प्रकाशक
ज्ञानमण्डल (पु० भं०) लि०
बनारस

प्रथमावृत्ति
मूल्य पाँच रुपया

मुद्रक
ओम्‌प्रकाश कपूर
ज्ञानमण्डल यन्त्रालय काशी

गान्धी-हत्याकाण्ड

युगपुरुषकी हत्या !!

३० जनवरी १९४८ को शामको ५ बजकर कुछ ही मिनट बाद अलौकिक युगपुरुष महात्मा गान्धी नयी दिल्लीके बिड़ला-भवनमें जब अपनी प्रार्थना-सभामें जा रहे थे तो एक युवकने अपनी पिस्तौलसे उनपर तीन गोलियाँ चलायीं। कुछ ही मिनटोंमें इस युगपुरुषका अवतार-कार्य समाप्त हो गया। प्रार्थना-सभामें एकत्र लोगोंने गोली चलानेवालेको पकड़कर पुलिसके हवाले किया। हत्याके समाचारके दो घण्टे बाद दुनियाको मालूम हुआ कि गोली चलानेके अभियोगमें जो युवक पकड़ा गया उसका नाम नथूराम विनायक गोडसे है।

हत्याका पहला प्रयत्न असफल

गान्धीजीकी हत्याका यह पहला ही प्रयत्न नहीं था। १० दिन पहले २० जनवरीको भी उनकी प्रार्थना-सभाके पास ही एक बम फटा था। उस समय मदनलाल नामका एक युवक दुर्घटना-स्थलपर ही गिरफ्तार किया गया था। इस प्रयत्नकी चर्चा गान्धीजीने खुद दूसरे दिन अपने प्रार्थना-उपदेशमें की थी। गान्धीजीने कहा—

"कलके बम फूटनेकी बात कर लूँ। लोग मेरी तारीफ करते हैं और तार भी भेजते हैं; पर मैंने कोई बहादुरी नहीं दिखायी। मैंने तो यही समझा था कि फौजवाले कहीं प्रैक्टिस करते हैं। बादमें सुना कि बम था। मुझसे कहा गया कि आप मरनेवाले थे, पर ईश्वरकी कृपासे बच गये। अगर सामने बम फटे और मैं न डरूँ, तो आप देखेंगे और कहेंगे कि वह बमसे मर गया, तो भी हँसता ही रहा। आज तो मैं तारीफके काबिल नहीं हूँ। जिस भाईने यह काम किया; उससे आपको या किसीको नफरत न करनी चाहिये। उसने तो यह मान लिया कि मैं हिन्दू-धर्मका दुश्मन हूँ। क्या गीताके चौथे अध्यायमें यह नहीं कहा गया है कि जहाँ कहीं दुष्ट धर्मको नुकसान पहुँचाते हैं, वहाँ उन्हें मारनेके लिए भगवान् किसीको भेज देता है। उसने बहादुरीसे जवाब दिया। हम सब ईश्वरसे प्रार्थना करें कि वह उसे सम्मति दे। जिसे हम दुष्ट मानते हैं और वह दुष्ट है, तो उसकी खबर ईश्वर लेगा।

हिन्दू धर्मकी कुसेवा

"वह नौजवान शायद किसी मसजिदमें बैठ गया था। जगह नहीं थी, तो वह हुकूमतको दोषी ठहरावे; पर पुलिस या किसीका कहना न माने, यह तो ठीक नहीं।

"इस तरह हिन्दू-धर्म नहीं बच सकता। मैंने बचपनसे ही हिन्दू-धर्मको पढ़ा और सीखा है। मैं छोटा-सा था और डरता था, तो मेरी दाई कहती थी कि डरता क्यों है? राम-नाम लो। फिर मुझे ईसाई, मुसलमान, पारसी सब मिले, मगर मैं जैसा छोटी उम्रमें था, वैसा ही आज भी हूँ। अगर मुझे हिन्दू-धर्मका रक्षक बनना है, तो ईश्वर मुझे बनावेगा।

बम फेंकनेवालेपर दया

"कुछ सिखोंने आकर मुझसे कहा कि हम नहीं मानते कि इस काममें कोई सिख शामिल था। सिख होता तो भी क्या? हिन्दू या मुसलमान होता तो भी क्या? ईश्वर उसका भला करे। मैंने इन्सपेक्टर जनरलसे कहा है कि उस आदमीको सताया न जाय। उसका मन जीतनेकी कोशिश की जाय। उसे छोड़नेको मैं नहीं कह सकता। अगर वह इस बातको समझ ले कि उसने हिन्दू-धर्म, हिन्दुस्तान, मुसलमानों और सारे जगत्के सामने अपराध किया है, तो उसपर गुस्सा न करें, रहम करें। अगर सबके मनमें यही है कि बूढ़ेका फाका निकम्मा था, पर उसे मरने कैसे दें? कौन उसका इलजाम ले? तो आप गुनहगार हैं, न कि बम फेंकनेवाला नौजवान। अगर ऐसा नहीं है, तो उस आदमीका दिल अपने-आप बदलेगा ही। क्योंकि इस जगत्में पाप कभी अपने-आप रह नहीं सकता। वह किसीके सहारे ही टिक सकता है! सिर्फ भगवान् और भगवान्के भक्त ही अपने सहारे रह सकते हैं। इसीमें हमारा असहयोग निकला। अहिंसात्मक असहयोग यहाँ भी ठीक है।

"आप भी भगवान्का नाम लेते हैं। हमला हो, कोई पुलिस भी मददपर न आवे, गोलियाँ भी चलें और तब भी मैं स्थिर रहूँ और राम-नाम लेता और आपसे लिखाता रहूँ, ऐसी शक्ति ईश्वर मुझे दे, तब मैं धन्यवाद लायक हूँ।

"कल एक अनपढ़ बहनने इतनी हिम्मत दिखायी कि बम फेंकनेवालेको पकड़वा दिया। यह मुझे अच्छा लगा। मैं मानता हूँ कि कोई मिसकीन हो, अनपढ़ हो, या पढ़ा लिखा हो, मन है तो सब-कुछ है। मन चंगा तो भीतरमें गंगा। मुझपर तो सबने प्रेम ही बरसाया है।"

पुलिसको षड्यन्त्रकी खबर

मदनलालकी गिरफ्तारीके बाद और गान्धीजीकी हत्याके पहले पुलिसको मदनलालके दोस्तोंके नामोंका पता लग गया था। पर वह हत्याके पहले उनको गिरफ्तार न कर सकी। इस सम्बन्धमें भारतीय विधान-परिषद्में ६ फरवरीको प्रश्नोत्तर हुए थे जो यहाँ दिये जाते हैं—

महात्मा गान्धीकी हत्याके सम्बन्धमें प्रश्नोत्तर

महात्मा गान्धीकी हत्याके सम्बन्धमें विधान-परिषद्के नियामक अधिवेशनमें ६ फरवरी, १९४८ को श्री अनन्तशयनम् अय्यङ्गरके प्रश्नके बाद निम्न पूरक प्रश्नोत्तर हुए—

श्री बालकृष्ण शर्मा—क्या यह सत्य है कि किसी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिसको प्रार्थना-सभामें उपस्थित रहनेका आदेश दिया गया था और इस अभागे दिन वह सुपरिण्टेण्डेण्ट वहाँ उपस्थित न था ?

माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल—वहाँ सशस्त्र पुलिस काफी संख्यामें थी ; किन्तु मुझे इस विषयमें कोई सूचना नहीं है कि सुपरिण्टेण्डेण्ट वहाँ था नहीं ? यह अफसर उपस्थित था या नहीं—यह मैं नहीं कह सकता ; किन्तु मैं जाँच-पड़ताल करूँगा।

श्री बालकृष्ण शर्मा—बम फटनेके दिन मेरिना होटलमें तलाशी ली गयी और कुछ कपड़ोंपर 'एन० वी० जी०'—नथूराम विनायक गोडसे—अक्षर छपे मिले। इस आधारपर पुलिस बंबई गयी और वहाँ बम्बईकी पुलिससे इस व्यक्तिका पता लगानेको कहा। बम्बई-पुलिसने यहाँकी पुलिसको यह कहकर लौटा दिया कि हम पता लगाते हैं ; किन्तु बम्बई-पुलिस ऐसा न कर सकी। क्या यह सत्य है कि बम्बई-पुलिस नथूराम गोडसेका पता नहीं लगा सकी ?

माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल—जिन बातोंकी जाँच हो रही है उनपर प्रकाश डालना कठिन या अनुचित है। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जिस पहले अपराधीने बम फेंका था उसकी गिरफ्तारी और उसका बयान लेनेके बाद एक अफसरको तुरन्त बम्बई वहाँके सी० आई० डी० विभागसे सम्पर्क स्थापित करनेके लिए भेजा गया। उनकी बात-चीतके पश्चात् यह निश्चय हुआ कि कुछ व्यक्तियोंकी गिरफ्तारी होनी चाहिये ; परन्तु गिरफ्तारियाँ तुरन्त करना अनुचित समझा गया, क्योंकि इससे षड्यन्त्रमें पड़े अन्य लोगोंको सुराग मिल जाता और वे भाग जाते या छिपकर काम करने लगते। इसलिए बम्बई-पुलिस और दिल्ली-की सी० आई० डी० सलाह-मसविदा करनेके बाद इस परिणाम पर पहुँची कि षड्यन्त्रका

आँगेतक पीछा किया जाय और कुछ समय और छोड़ा जाय। यह सत्य है कि पुलिसवाले इन लोगोंकी तलाशमें थे, किन्तु ये सभी वम्वईमें न थे।

श्री बालकृष्ण शर्मा—यदि इस सूचनासे मामलेकी छानवीनकी काररवाईपर कोई प्रभाव न पड़े तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या यह सत्य है कि नथूराम गोडसे वायुयानद्वारा दिल्ली वापस आया?

माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल—मेरे ख्यालमें जिन बातोंकी अभी जाँच पड़-ताल हो रही है उनपर प्रकाश डालना अनुचित होगा।

श्री देशबन्धु गुप्त—यदि यह सच है कि पहले गिरफ्तार किये गये व्यक्तिने हत्यारेका नाम बताया था तो क्या दिल्ली सी० आई० डी० के लिए बम्बईसे उसका फोटो प्राप्त करना सम्भव न था। बादमें इस फोटोकी प्रतिलिपियाँ प्रार्थना-सभामें देखरेख करनेवाले व्यक्तियोंको दे दी जाती ताकि देख-रेख करने-वाले लोग हत्यारेको पहचानकर उसकी समयके भीतर गिरफ्तारी कर लेते।

माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल—दिल्ली पुलिसने जानकारी प्राप्त करनेके बाद यही किया कि उसने इन व्यक्तियोंका पता लगाया। पर सभी व्यक्ति एक ही जगह नहीं थे और उनके फोटो लेना सम्भव न था।

श्री एल० कृष्णस्वामी भारती—क्या यह सत्य है कि इस सरकारको बम्बई पुलिसने सूचना दी थी कि एक बुरे चालचलनवाला व्यक्ति षड्यंत्रके सिलसिलेमें वम्वईसे रवाना हो चुका है?

माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल—यह सच नहीं है।

श्री एच० वी० कामत—क्या सरकारको ज्ञात है कि हमपर जो मुसीबत पड़ी है उसके परिणामस्वरूप कतिपय दल और व्यक्ति सम्पूर्ण दोषारोपण केवल गृहमंत्रीपर कर रहे हैं और इस प्रकार मंत्रि-मंडल तथा जनताकी विचारधारामें फूट डालनेका प्रयत्न कर रहे हैं?

अध्यक्ष—चुप रहिये, दूसरा प्रश्न।

श्री रोहिणी कुमार चौधरी—क्या मैं पूछ सकता हूँ कि पुलिसको जिस व्यक्ति-की रक्षा करनेका आदेश किया जाता है उसकी सुविधाके सम्बन्धमें सलाह लेनेकी रीति कहाँतक बर्ती जाती है? सच तो यह है कि इस सम्बन्धमें गवर्नर-जनरल या गवर्नरसे भी सलाह नहीं ली जाती।

माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल—जहाँतक वर्तमान मामलेका सम्बन्ध है, सम्बन्धित व्यक्ति भिन्न कोटिके थे और ऐसी अवस्थामें पुलिसके लिए उनसे सलाह लिये बिना कुछ करना सम्भव न था।

श्री रोहिणी कुमार चौधरी—किन्तु जो घटना हुई है, उसका ख्याल करते हुए, क्या मन्त्री महोदय ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि रक्षा-व्यवस्थाका पूरा प्रश्न पुलिसके हाथमें छोड़ दिया जाय ?

अध्यक्ष - शान्ति, शान्ति। यह तो आप बहस करने लगे।

श्री रोहिणी कुमार चौधरी—मैं केवल यह कह रहा हूँ कि भविष्यमें यह मामला पुलिसके ही विवेक और बुद्धिपर छोड़ दिया जाय।

अध्यक्ष—स्पष्ट है कि यह बात तो बहुत-कुछ सम्बन्धित व्यक्तिपर निर्भर करेगी।

श्री बालकृष्ण शर्मा—वस्तुतः माननीय स्वराष्ट्र-मन्त्रीने उत्तरमें बताया है कि हमारे मन्त्रियोंकी रक्षाका प्रबन्ध उनकी इच्छाओंके अनुकूल किया गया है। मेरी अर्ज है कि हमारे कुछ मन्त्री ऐसे भी हैं, इस मामलेमें जिनकी इच्छाओंका ख्याल न किया जाना चाहिये, क्योंकि......

अध्यक्ष—यह तो तथ्य जानना न हुआ, बल्कि दलील करना हुआ।

श्री रोहिणी कुमार चौधरी—श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूँ कि यह कैसे हुआ कि हत्यारेको पकड़नेके लिए सबसे पहले रघू मालीने ही हाथापाई की और पुलिस तो कुछ देर बाद पहुँची। उस समय पुलिस कहाँ थी ?

माननीय सरदार पटेल—मैं नहीं कह सकता कि पहले पुलिस आयी या पहले माली आया। यह तो अखबारकी एक खबर मात्र है।

अध्यक्ष—मैं समझता हूँ कि इस मामलेके सम्बन्धमें अधिक विस्तारके साथ बातें न की जानी चाहिये। न तो यह अच्छा ही है और न इसमें सार्वजनिक हित ही है।

गृह-मन्त्रीकी अपील

हत्याके बाद देशमें जगह-जगह गिरफ्तारियाँ शुरू हुईं। अखबारोंमें हत्याके षड्यन्त्रके सम्बन्धमें तरह-तरहकी बातें छपने लगीं। इसपर प्रान्तीय सरकारोंने आदेश निकालकर हत्याकी जाँचके बारेमें कोई चीज छापनेकी मनाही कर दी। हत्याका बदला लेनेका बहाना कर कई स्थानोंमें, विशेषकर बम्बई प्रान्त और कोल्हापुर रियासतमें कुछ, गुमराह लोगोंने गुण्डागिरीके काम शुरू किये। इसपर गृहमन्त्री सरदार पटेलने जनतासे अपील की—"यदि हम क्रोध और प्रतिहिंसाकी भावनासे प्रभावित हुए तो हम गान्धीजीकी शिक्षाओं और उनके विश्वासके अयोग्य सिद्ध

होंगे। मैं जनताको विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रकारके घृणित कार्य करनेवालोंके विरुद्ध सरकार पूरी जिम्मेदारीसे कारवाई करेगी। इस अत्यन्त दुःखद और निर्दय घटनाके पीछे यदि कोई षड्यन्त्र हुआ तो उसका पता लगानेमें सरकार कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। जनताके लिए यही उचित है कि इस कामकी जिम्मेदारी वह सरकारपर छोड़ दे और भड़कानेवाली स्थितिमें भी मनमाने ढङ्गसे कोई काम न करे। मैं सभी लोगोंसे अपील करता हूँ कि वे शान्त और अविचल रहें और यथासम्भव शीघ्र ही अपने कारबारमें लग जायँ। उन्हें चाहिये कि वे कानूनको अपना काम करने दें और प्रतिहिंसाकी गैर-कानूनी कारवाइयाँ न करें।"

लाल किलेका तीसरा मुकदमा

दिल्लीका लाल किला १७ वीं सदीमें शाहजहाँने यमुनाके किनारेपर बनवाया था। यहाँसे कई सौ गज दूर यमुनाके किनारे राजघाटपर महात्मा गान्धीके मृत देहकी दाह-क्रिया की गयी थी। जिस इमारतमें अदालत बैठी है वह पुरानी नहीं है, ब्रिटिश सिपाहियोंके लिए इसे अंग्रेजोंने बनाया। इसी किलेमें एक अन्य इमारतमें दो साल पहले आजादहिन्द फौजियोंका मुकदमा हुआ था। गदरके बाद बहादुरशाहका मुकदमा भी इसी किलेमें हुआ था। इस प्रकार लाल किलेमें चलनेवाला यह तीसरा बड़ा मुकदमा है।

मुकदमेकी तैयारी

दो ढाई महीने बीत गये, पर इस बातका पता नहीं लग रहा था कि गान्धीजीकी हत्याका मुकदमा कब शुरू होगा। अप्रैलके दूसरे सप्ताहमें अचानक एक दिन कानपुरसे खबर मिली कि वहाँके जिला और दौरा जज श्री आत्माचरण आई. सी. एस. गान्धी हत्याकाण्डका मुकदमा सुनेंगे। फिर दिल्लीसे भी गैर-सरकारी खबरें मिलीं कि यह मामला दिल्लीके लाल किलेमें एक खास अदालतमें मई महीनेमें शुरू होगा। इतना होनेपर भी सरकारकी ओरसे कोई घोषणा नहीं हुई थी इसलिए तरह-तरहकी अफवाहें लोगोंमें फैल रही थीं। हिन्दुत्ववादी लोग चाहते थे कि यह मामला जल्दी शुरू न हो क्योंकि उनका ख्याल था कि हत्याके बाद जितने अधिक दिन बीतते जायेंगे उतना ही उसका केवल राजनीतिक महत्त्व बढ़ता जायगा और हत्याके कार्यकी जघन्यता लोगोंकी स्मृतिसे कम होती जायगी। अभियुक्तोंके बचावकी तैयारीके लिए भी वे काफी समय चाहते थे। पर मुकदमेके शीघ्र शुरू होनेकी सम्भावनाकी खबरें सुनते ही उन्होंने 'डिफेन्स फण्ड' या बचाव-निधि खोला ताकि मुकदमेका काम चलानेके लिए और अभियुक्तोंके परिवारवालोंको सहायता करनेके लिए धन एकत्र किया जा सके। बङ्गालकी हिन्दू-सभाने भी इस काममें काफी उत्साह दिखाया।

८ मईको भारत-सरकारने अपने गजटमें घोषणा की कि दिल्लीमें एक विशेष फौजदारी अदालतकी स्थापना की गयी है, जिसके विचारपति कानपुरके जिला और दौरा जज श्री आत्माचरण होंगे। मालूम होता है कि इस मामलेमें सरकारी वकील पहले यह निश्चय नहीं कर पाये थे कि श्री सावरकरको हत्याकाण्डके मुकदमेसे अलग रखा जाय या उनपर भी गोडसे आदिके साथ मुकदमा चलाया जाय। अन्तमें उनका निश्चय यही हुआ कि सावरकरका मुकदमा भी सबलोगोंके साथ ही चले। सरकारने यह भी निश्चय किया कि बम्बई सुरक्षा-कानूनकी कुछ धाराएँ इस मुकदमेके लिए दिल्ली प्रान्तपर भी लागू की जायँ ताकि विचारपति मुकदमेकी कारवाई जल्दी-जल्दी चला सकें। इन धाराओंके अनुसार गवाहियाँ आदि विस्तारके साथ लिख लेने आदि मुकदमेकी साधारण कार्य-प्रणालीका पूरा-पूरा पालन करनेसे विचारपति बरी हो जाता है।

सरकारके इस निश्चयकी कुछ टीका-टिप्पणी भी हुई। भारतका सम्भवतः यह पहला ही मुकदमा था जिसका पूरा-पूरा हाल जाननेके लिए सारी दुनिया उत्सुक थी। टीकाकारोंका कहना था कि स्पेशल अदालत कई विचारपतियोंकी 'बेंच'

होती तो अच्छा होता और वम्बईका सुरक्षा-कानून दिल्लीमें लागू करनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

सरकारने दिल्लीकी गरमीकी परवाह न कर मईमें ही लाल किला-जैसे इतिहास-प्रसिद्ध स्थानमें मुकदमा चलानेका, और खुले तौरपर मुकदमेकी सुनवाई करनेका जो निश्चय किया; उसकी प्रशंसा देशभरमें की गयी और सरकारके इन निश्चयोंका स्वागत भी किया गया।

१५ मईको भारत सरकारने एक खास गजट निकालकर घोषणा की कि गान्धी-हत्याकाण्डके ९ अभियुक्तोंपर सरकारकी ओरसे जो मुकदमा चलाया जानेवाला है वह दिल्लीकी एक विशेष अदालतमें उसके जज श्री आत्माचरण आई. सी. एस. के सामने चलेगा। अभियुक्तोंपर ताजीरात हिन्दकी दफा १०९, ११४, ११५, १२० बी, और ३०२, १९०८ के विस्फोटक पदार्थ कानूनकी धारा ३, ४, ५ और ६ तथा १८७८ के शस्त्र-कानूनकी धारा १९ (डी) और १९ (एफ) के कई अभियोग लगाये गये।

अभियोग-पत्र

अभियुक्तोंकी सूची

(१) नथूराम विनायक गोडसे
(२) नारायण दत्तात्रेय आपटे
(३) विष्णु रामचन्द्र करकरे
(४) दिगम्बर रामचन्द्र बडगे
(५) मदनलाल काश्मीरीलाल पहवा
(६) शङ्कर किस्तय्या
(७) गोपाल विनायक गोडसे
(८) विनायक दामोदर सावरकर
(९) दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे

फरार

(१०) गङ्गाधर सखाराम दण्डवते
(११) गङ्गाधर जाधव
(१२) सूर्यदेव शर्मा
तथा कई अन्य अज्ञात व्यक्ति

अभियुक्त नं० १ से ९ तक ने १५ अगस्त १९४७ से ३० जनवरी १९४ के बीच दिल्ली, बम्बई और भारतकी अन्य जगहोंमें आपसमें मिलकर षड्यन्त्र रचा अभियुक्त नं० १० से १२ फरार हैं। वे तथा और भी कुछ अज्ञात लोग इ षड्यन्त्रमें शामिल थे। षड्यन्त्रका उद्देश्य गैरकानूनी काम करना तथा कराना था मोहनदास करमचन्द गान्धीका, जिन्हें लोग महात्मा गान्धीके नामसे पहचानते हैं, खू करना था और उसके लिए शस्त्र, गोला-बारूद और विस्फोटक पदार्थ लेना, रखना और उसको इधर-उधर भेजना तथा विस्फोटक पदार्थोंका विस्फोट कर भारतीय दण्ड-विधानकी धारा १२० (बी), धारा ३०२ के साथ और विस्फोटक पदार्थ कानून १९०८ की धारा ३, ४, ५, ६ और १८७८ के शस्त्र कानूनकी धारा १९ (डी) और १९ (एफ) के अनुसार इन्होंने गुनाह किया है।

इस षड्यन्त्रको पूरा करनेके लिए अभियुक्त नं० १ से ७ तकने दिल्लीमें ता० १७ से २० जनवरी १९४८ तक (दोनों दिन मिलाकर) अपने पास हथगोले, और गनकाटनके टुकड़े रखकर विस्फोटक-कानूनकी धारा ४ (बी) तोड़ी। इसका उद्देश्य कानूनी नहीं था और इसके लिए उन्होंने एक-दूसरेकी सहायता की; इसलिए वे भारतीय दण्ड-विधानकी धारा १४८ और विस्फोटक-कानून की धारा ४, ५ और ६ तथा भारतीय दण्ड-विधानकी धारा ११४ के अनुसार दोषी हैं।

षड्यन्त्रको पूरा करनेके लिए अभियुक्त नं. ५ मदनलालने २० जनवरी १९४८ को बिड़ला हाउसमें गनकाटनके स्फोटक टुकड़ोंका विस्फोट किया। इस विस्फोटसे जान माल धोखेमें पड़नेकी आशंका थी इसलिए ये विस्फोटक कानूनकी धारा ३ के अनुसार दोषी हैं। इसी प्रकार अभियुक्त नं० १ से ४ और ६, ७ ने अभियुक्त नं० ५ को इस काममें सहायता दी जिससे उक्त विस्फोट हुआ और इसलिए वे विस्फोटक कानूनकी धारा ३ और ६ तथा भारतीय दण्ड-विधानकी धारा ११४ के अनुसार दोषी हैं।

इसी प्रकार उक्त षड्यन्त्रके सिद्ध्यर्थ अभियुक्त नं० १ से ७ तक १५ जनवरी से २० जनवरी १९४८ तक दिल्लीमें पिस्तौल और गोली-बारूद ले गये और शस्त्र कानूनकी धारा १० तोड़ी। इसी प्रकार इस काममें उन्होंने परस्पर सहायता कर शस्त्र कानूनकी दफा १९ (डी) और भारतीय दंड-विधानकी धारा १०९ के अनुसार अपराध किया।

इसी प्रकार षड्यन्त्रकी सिद्धिके लिए अभियुक्त नं० १ से ७ तकने दिल्लीमें १७ से २० जनवरीतक अपने पास पिस्तौल और उसकी गोलियाँ रखकर शस्त्र कानूनकी धारा १४ और १५ को भंग किया। इस काममें एक दूसरेकी सहायता कर

उन्होंने शस्त्र कानूनकी धारा १९ (एफ) और भारतीय दण्ड-विधानकी धारा ११४ के अनुसार अपराध किया।

इसी प्रकार उक्त षड्यन्त्रकी सिद्धिके लिए अभियुक्त नं० १ और २ने १ जनवरी-तक वम्बई और दिल्लीमें एक दूसरेकी सहायता कर २० जनवरीको उक्त मोहनदास करमचन्द गान्धीका दिल्लीमें खून करनेका प्रयत्न किया। यह अपराध प्रत्यक्ष नहीं हुआ इसलिए वे भारतीय दण्ड-विधानकी धारा ११५ के अनुसार दोषी हैं।

इसी प्रकार उक्त षड्यन्त्रके सिद्ध्यर्थ अभियुक्त नं० १ और २ ने २८ से ३० जनवरीतक दिल्लीमें पिस्तौल और गोली वारुद ले जाकर शस्त्र-कानूनकी धारा १० को भंग किया और परस्पर सहायता कर शस्त्र-कानूनकी धारा १९ (डी) और भारतीय दण्ड-विधानकी धारा ११४ के अनुसार दोषके भागी बने। अभियुक्त नं० ३, ४, ६, ७ और ९ ने उक्त अपराधके काममें सहायता की इसलिए वे शस्त्र-कानूनकी दफा १९ (डी, एफ) और भारतीय दण्ड-विधानकी दफा ११४ के अनुसार दोषी हैं। अभियुक्त नं० ४, ६, ७ और ९ ने उक्त अपराध करनेमें सहायता की इसलिए शस्त्र-कानूनकी दफा १९ (एफ) और भारतीय दण्ड-विधानकी दफा १०९ के अनुसार वे दोषी हैं। उक्त षड्यन्त्रके सिद्ध्यर्थ अभियुक्त नं० १ से ३ तकने दिल्लीमें ३० जनवरीको या उसके लगभग अपने पास पिस्तौल और कारतूस रखकर शस्त्र-कानूनकी दफा १४ और १५ को भंग किया और उसमें एक दूसरेकी सहायता की इसलिए शस्त्र-कानूनकी दफा १९ (एफ) के अनुसार दोषके भागी बने।

इसी प्रकार उक्त षड्यन्त्रको सिद्ध करनेके लिए अभियुक्त नं० १ ने ३० जनवरी-को दिल्लीमें उक्त मोहनदास करमचन्द गान्धीको जानवूझकर उनपर पिस्तौलसे गोलियाँ छोड़कर जानसे मारकर उनकी हत्या की। इस प्रकार भारतीय दण्ड-विधानकी धारा ३०२ के अनुसार उन्होंने अपराध किया। अभियुक्त नं० २ और ३ ने इस काममें अभियुक्त नं० १ की सहायता की जिससे वे भारतीय दण्ड-विधानकी धारा ३०२ और ११४ के दोषी बने और अभियुक्त नं० ४, ६, ७, ८, ९, ने उक्त अपराध करनेमें सहायता की इसलिए वे भारतीय दण्ड-विधान की धारा ३०२ और १०९ के अनुसार दोषी वने।

यह अभियोगपत्र-कानूनकी भाषामें है। इसका मतलब समझाना आवश्यक है। भारतीय दण्ड-विधान (इण्डियन पिनल कोड) की धारा ३०२ हत्याके सम्बन्धमें है और इस धाराके अनुसार खूनीको फाँसी या कालापानीकी तथा जुर्मानेकी भी सजा दी जा सकती है। दफा १२० षड्यन्त्रके सम्बन्धमें है और इसके अनुसार षड्यन्त्रमें शामिल सब अभियुक्त उतने ही दोषी और उतनी ही सजाके पात्र माने

जाते हैं जितने दोषी कि प्रत्यक्ष उक्त अपराध करनेवाले समझे जाते हैं और जितनी सजा उन्हें दी जा सकती है। धारा १०८ और ११४ अपराधमें सहायता और उसे उत्तेजन देनेके सम्बन्धकी है। इनमें धारा ११४ उन लोगोंपर लागू होती है जो अपराधकी जगहपर उपस्थित नहीं रहते। इसी प्रकार धारा ११५ उस सम्बन्धमें है जब अपराध प्रत्यक्ष नहीं होता, पर उसके करनेमें सहायता दी जाती है।

अभियोग-पत्रके पहले परिच्छेदमें १ से ९ तक सभी अभियुक्तोंको षड्यन्त्रकारी कहकर उल्लेख किया गया है। अगले चार परिच्छेद दिल्लीमें २० जनवरीको हुए विस्फोटके सम्बन्धमें हैं। इनमें सावरकर (८) और परचुरे (९) शामिल नहीं किये गये हैं। अगले परिच्छेदमें बम-विस्फोटको हत्या करनेका प्रयत्न कहा गया है।

१५ अगस्त १९४७ से ३० जनवरी १९४८ तक ५॥ महीनेतक अभियुक्त अपने षड्यन्त्रकी योजना बनाते रहे। १७ जनवरीसे २० जनवरीतक ४ दिन सावरकर और परचुरेको छोड़कर अन्य सब अभियुक्त दिल्लीमें थे और बम-विस्फोटकी तैयारी कर रहे थे और वह विस्फोट गान्धीजीकी हत्याके लिए किया जानेवाला था क्योंकि विस्फोटक पदार्थोंके अलावा अभियुक्तोंके पास पिस्तौल और कारतूस भी थे। हत्याका यह प्रयत्न असफल रहा।

३० जनवरीके काण्डकी तैयारी ३ दिनमें हुई यानी २८ तारीखसे शुरू हुई। २० तारीखके कांडमें अभियुक्त नं ५ मदनलाल प्रधान अभियुक्त था। उसी प्रकार ३० जनवरीके कांडमें अभियुक्त नं १ गोडसे प्रधान था। उसके प्रत्यक्ष सहायक नं २ और ३ यानी आपटे और करकरे थे। बाकी सब दूरसे सहायता कर रहे थे। मदनलालके अपराधके समय पहले सातों अभियुक्त दिल्लीमें थे। गान्धीजीकी हत्याके समय पहले तीन अभियुक्त दिल्लीमें थे।

विस्फोटक पदार्थ कानूनकी धारा ३ के अनुसार यदि किसी आदमीके विस्फोट करानेसे जान-मालको नुकसान पहुँचनेकी सम्भावना हो तो—नुकसान पहुँचा हो या न पहुँचा हो—उसे आजीवन कालापानी या कम मीयादका कालापानी और जुर्मानेकी या १० सालतक कैद और जुर्मानेकी भी सजा दी जा सकती है। धारा ४ के अनुसार ऐसे विस्फोटक पदार्थ पासमें रखनेके लिए २० सालतक कालापानी और जुर्माना या ७ सालतक कैद और जुर्मानेकी सजा दी जा सकती है। धारा ५ के अनुसार भी गैरकानूनी तौरपर विस्फोटक-पदार्थ रखनेके लिए १४ सालतक कालापानी या ५ साल कैद और जुर्मानेकी सजा दी जा सकती है। धारा ६ सहायकोंके सम्बन्धमें है और उन्हें भी वही सजा बतायी गयी है जो प्रत्यक्ष अपराधीको दी जा सकती है।

शस्त्र-कानूनकी दफा १९ डी और एफमें कहा गया है कि जो कोई गैरकानूनी रूपसे शस्त्रास्त्र, गोली बारूद या सैनिक सामग्री अपने पास रखता है या दूसरी जगह भेजता है उसे ३ सालतककी कैद या जुर्माना या दोनों सजाएँ दी जा सकती हैं।

अभियुक्तोंके कानूनी बचावकी तैयारी

भारत दुनियाके अन्य उन्नत, प्रगत और लोकतन्त्रात्मक देशोंकी तरह अपने यहाँकी न्यायप्रणाली भी बना रहा है। गोडसेको हत्या-स्थलपर ही उत्तेजित भीड़ने बोटी-बोटी काटकर मार नहीं डाला, पर पुलिसके हवाले किया और उसपर तथा उसके साथियोंपर बाकायदा मुकदमा चलाया गया यह इसी बातका सबूत है। जब एक बार यह न्यायप्रणाली मान ली गयी तब इसके साथ आवश्यक सभी बातें करना आवश्यक हो गया। न्यायका काम बिलकुल निष्पक्ष हो इसकी बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। अभियुक्तोंको अपने बचावकी पूरी सुविधा दी जाती है। यदि वह कहता है कि हम अपनी ओरसे वकील नहीं कर सकते तो सरकार उसकी ओरसे बचावका इन्तजाम करती है। इस न्यायप्रणालीमें यह सिद्धान्त माना गया है कि ९९ अपराधी यदि छूट भी जायँ तो कोई चिन्ता नहीं, पर एक भी निरपराधीको सजा न हो। जबतक अभियोग न्यायालयमें साबित नहीं होता तबतक अभियुक्त निरपराध माना जाता है। खुद सावरकरने मदनलाल धिंग्राके बारेमें ब्रिटेनमें यही बात साहसके साथ सामने रखी थी और न्यायप्रिय ब्रिटेनवासियोंने इसे बिना किसी आपत्ति या रोषके मान लिया था। परतन्त्र भारतमें भी जितने क्रान्तिकारियोंके मुकदमे हुए उनमें अंग्रेज सरकारने अभियुक्तोंके बचावका पूरा-पूरा इन्तजाम किया था।

इसका यह अर्थ नहीं कि किसी जघन्यसे जघन्य कांडके मुकदमेमें भी अभियुक्तकी ओरसे बचावका काम करना न्याय-दानके काममें सहायता करना ही है। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि बचाव करनेवाला इस अपराधसे या अपराधीसे सहानुभूति रखता है। जिस प्रकार डाक्टरका काम रोगीकी चिकित्सा करना है—चाहे वह रोगी किसी भी महा-भयंकर रोगसे पीड़ित हो, और चाहे जिस दुष्कर्मके कारण रोगी बना हो, उसी प्रकार वकीलका काम हरएक अभियुक्तका बचाव करना है, उसे यह नहीं देखना है कि अभियुक्तका गुनाह किस कोटिका है। आजाद हिन्द सैनिकोंके मुकदमेमें भी अंग्रेजी सरकारने अभियुक्तोंको बचावकी पूरी सुविधा दी थी। कहते हैं कि इस मुकदमेमें बचाव करनेमें बचावके वकीलोंकी संयुक्त व्यवस्था होनेपर भी प्रतिवादी पक्षका ७ लाख रुपया खर्च हुआ। इस तरहके मुकदमोंमें बचाव करनेका मतलब यह नहीं समझना चाहिये कि बचाव करनेवाला वकील उस

अपराधका नैतिक समर्थक है, वह तो केवल न्याय-दान प्रणालीमें सहायता देनेका काम करता है।

एक बात अवश्य है। ऐसे मुकदमे जब राजनीतिक होते हैं तो अपराधीके राजनीतिक विचारोंसे सहमत रहनेवाले लोग बचावके लिए सबसे आगे रहते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं रहता कि अभियुक्तने यदि खून किया हो, डाका डाला हो तो उसके खून करने और डाका डालनेके कार्यका कोई नैतिक समर्थन करता है। नूरेम्बर्गमें जर्मन युद्धापराधियोंपर जो मुकदमा चला था, उसमें उनपर महायुद्धमें तीन करोड़ आदमियोंकी हत्या करनेका अभियोग लगाया गया था। पर उनके बचाव-का प्रबन्ध भी मित्रराष्ट्रोंने कर दिया था।

गान्धी-हत्याकाण्डके मुकदमेमें भी अभियुक्तोंका बचाव करनेके लिए कई वकील आगे आये और भारत सरकारने उनको पूरी सुविधा दी। मालूम होता है कि श्री सावरकरने जेलसे श्री भोपटकरको कहला भेजा कि मैं आपको अपना वकील बनाता हूँ और आपको मेरा बचाव करना ही पड़ेगा। उन्होंने सम्भवतः यह भी लिखा कि आप ही पर मेरा भरोसा है। इसके बाद भोपटकर इनकार नहीं कर सकते थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूपसे सावरकरका काम करना मंजूर कर लिया। पर एक बार जहाँ उन्होंने काम किया सारे मुकदमेके बचावका भार ही उनपर आ गया। इसपर महाराष्ट्र प्रान्तीय हिन्दू सभाकी कार्यकारिणीने एक न्याय-साहाय्य-समिति बनायी और एक न्याय-साहाय्य-निधि भी खोला। इस बचाव समितिके अध्यक्ष भोपटकर बनाये गये। संयोजक श्री रामभाऊ मंडलीक और कोषाध्यक्ष श्री ग. वि. केतकर बने। २ मईको समितिका काम शुरू हुआ। ६ जूनको पूनेमें इसकी फिर बैठक हुई और एक अखिल भारतीय बचाव समिति बनायी गयी जिसके १२ सदस्य थे। एक अखिल भारतीय बचाव निधि भी खोला गया। बचाव समितिकी ओरसे डाक्टर जयकरसे अनुरोध किया गया कि सावरकरकी इच्छाके अनुसार वे सावरकरकी ओर से पैरवी करें, पर डाक्टर जयकरने फुरसत न होनेका कारण बताकर इनकार कर दिया। बचाव समितिकी ओरसे बम्बई सरकारसे अनुरोध किया गया कि वह यरवदा जेलमें नजरबंद पूनेके श्री वासुदेव बलवन्त गोगटे वकीलको पूरी तरह या पेरोलपर रिहा कर दें क्योंकि अभियुक्त करकरेने स्पेशल जजके सामने यह इच्छा प्रकट की थी कि गोगटे ही मेरी पैरवी करें।

बादमें मालूम हुआ कि श्री गोगटेको रिहा करनेसे बम्बई सरकारने इनकार कर दिया।

बचाव समितिने वकीलोंको लाने-ले जाने और ठहराने आदिकी व्यवस्था करनेके लिए दो उपसमितियाँ भी बना दीं जिनका काम चालिसगाँवके श्री जोगलेकर,

बारसीके श्री बाबाराव काले और श्री वि. कृ. मेहेन्दलेके जिम्मे किया गया। २०-२५ हजार रुपया इसमें खर्च होनेका अन्दाज लगाया गया था।

अखिल भारतीय बचाव समितिके सदस्योंके नाम

(१) श्री ल. ब. भोपटकर, अध्यक्ष।

(२) लाला नारायण दत्त कोषाध्यक्ष १३ बाराखंभा रास्ता, नयी दिल्ली।

(३) श्री ग. वि. केतकर कोषाध्यक्ष, केसरी आफिस पूना २।

(४) श्री रामभाऊ मंडलीक संयोजक।

(५) श्री जमुनादास मेहता।

(६) श्री देवेन्द्रकुमार मुखर्जी।

(७) केप्टेन केशवचन्द्र।

(८) श्री पंचनाथन्।

(९) श्री गणपति ऐयर।

(१०) श्री लक्ष्मीशंकर वर्मा।

(११) डाक्टर ल. वा. परांजपे, नागपुर।

(१२) श्री रा. अ. कानिटकर, बुलडाना।

लाल-किलेमें तैयारी

मुकदमेकी तैयारी शुरू हुई। दिल्लीका इतिहास-प्रसिद्ध लाल-किला इसके लिए चुना गया था। किलेमें दो खण्डकी एक पत्थरकी इमारत है जिसमें पहले सैनिक-पुलिसकी प्रधान छावनी थी। इसी इमारतकी दूसरी मञ्जिलपर १०० × २३ फुट लम्बी-चौड़ी कोठरीमें अदालतका काम चलानेका निश्चय हुआ। इमारतके चारों ओर ८ फुट ऊँचा तारोंका घेरा डाल दिया गया था जिसमें अन्दर जानेके लिए एक और बाहर निकलनेके लिए एक इस प्रकार केवल दो दरवाजे रखे गये थे। लाल-किलेमें ही एक दूसरी जगहपर अभियुक्तोंको रखनेके लिए कोठरियाँ बनायी गयीं थी जिनमें दिल्ली-सेण्ट्रल जेलसे ले जाकर लोहेके दरवाजे लगाये गये थे। अदालतकी कोठरीमें लकड़ीके घेरेमें एक उच्चासनपर विचारपति और अदालतके रिपोर्टरकी जगहें बनायी गयीं। विचारपतिके बायीं ओर अभियुक्तोंके बैठनेके लिए तीन बेञ्चें रखी गयी थीं। उनके दाहिनी ओर गवाहोंका कठघरा बनाया गया था। कमरेमें २०० कुर्सियाँ रखी गयी थीं जिनपर पत्रकारों और खास-प्रवेश-पत्र लेकर आनेवाले दर्शक बैठ सकते थे। अदालतके कमरेके दोनों ओरके बरामदोंमें कई कमरे बनाये गये थे। विचारपतिका कमरा, शीघ्र-लेखकका कमरा, सबूत और सफाई

पक्षके वकीलोंके कमरे, पुलिस अधिकारियोंका कमरा और नाश्ता करनेका कमरा यहीं बनाया गया था। पत्रकारोंके कमरेमें दो टेलीफोन भी लगाये गये थे।

नीचेकी मंजिलमें एक बड़ा हाल बम्बईके पुलिस अधिकारियोंके लिए रखा गया था। उसीके पास महिला गवाहोंके लिए एक कमरा रखा गया था। बम्बईके एडवोकेट जनरल और उनके सहायकोंके लिए भी यहीं कमरे दिये गये थे। अतिरिक्त पुलिस और अन्य गवाहोंके लिए पास ही एक और इमारतमें व्यवस्था की गयी थी।

अदालतके रजिस्ट्रारने १९ मईको एक वक्तव्य निकालकर बताया कि अदालतमें वे ही लोग जा सकेंगे जिन्हें खास-प्रवेश-पत्र दिया जायगा। हरएक पत्र एक ही दिन चलेगा। प्रवेश-पत्रके लिए जो अर्जियाँ ली गयीं उनपर अर्जी देनेवालोंके फोटो और हस्ताक्षर भी लिये गये। जिन लोगोंको प्रवेश-पत्र दिये गये उनकी सूची दरवाजेपर लगा दी जाती थी। यह भी कह दिया गया था कि यदि पुलिस आवश्यक समझेगी तो उसे किसीकी भी तलाशी लेनेका अधिकार होगा।

२४ मईको गोडसे, सावरकर आदि अभियुक्त अलग-अलग विमानोंसे बम्बईसे दिल्ली पहुँचाये गये। बम्बईके बहुतसे पुलिस अधिकारी भी साथमें थे।

बम्बईका सुरक्षा-कानून दिल्लीमें लागू

इस मुकदमेके लिए भारत-सरकारने बम्बईके सुरक्षा-कानूनका विशेष न्यायालय-सम्बन्धी भाग दिल्लीके लिए भी लागू किया। १९४७ का यह सुरक्षा या गुण्डा-कानून बम्बई प्रान्तमें साम्प्रदायिक दंगोंके फौजदारी मामलोंको तुरन्त निपटानेके उद्देश्यसे बनाया गया था। इस कानूनके पाँचवें भागमें विशेष अदालतके संघटनके सम्बन्धमें नियम हैं। इस भागमें कानूनकी १० से २० तककी धाराएँ हैं। विशेष अदालतकी १० से २० तककी धाराएँ भारत-सरकारने दिल्ली प्रान्तमें लागू कीं। इन धाराओंका विवरण इस प्रकार है—

धारा १०—सरकार देशके किसी हिस्सेमें गजटमें प्रकाशित कर विशेष न्यायालय संघटित कर सकती है।

११—इस न्यायालयके लिए सरकार हाईकोर्टके या २ साल काम किये हुए किसी दौरा जजको विचारपति नियुक्त कर सकती है।

१२—सरकार विशेष आदेश निकालकर विशेष प्रकारके मुकदमे इस विशेष विचारपतिके जिम्मे कर सकती है।

१३—१-२—नीचे की अदालतमें सुनवाई होकर मुकदमा दौरा सुपुर्द न हुआ हो तो भी यह विशेष अदालत मुकदमा सुन सकती है। यह अदालत गवाहोंकी गवाहियोंका केवल आवश्यक अंश लिख लेकर भी काम चला सकती है। यदि अभियुक्तसे पूछकर समझा जाय कि कोई गवाह जरूरी नहीं है तो अदालत उसे बुलानेसे इनकार कर सकती है। विचारपति यदि समझे कि न्याय देनेके काममें अनावश्यक है तो वह अन्य कारणोंसे मुकदमेकी सुनवाई स्थगित करनेसे इंनकार कर सकता है।

१४—इन दो उपधाराओंके अतिरिक्त १० से २० तककी धाराओंके प्रतिकूल न हो ऐसे फौजदारी कानूनके सब नियम इस विशेष अदालतमें चल सकेंगे। यह दौरा अदालत मान ली जायगी। यदि विचारपति आवश्यक समझे तो किसी भी गवाहकी गवाही एक आदमीको नियुक्त कर कमीशनद्वारा ली जा सकेगी।

१५—हत्या करनेकी कोशिश करनेवाले अभियुक्तको फाँसी और छुरा भोंककर आहत करनेका आभियोग लगे व्यक्तिको फाँसी या आजीवन कालापानीकी सजा दी जा सकेगी।

१७—कानूनके अनुसार अन्य कोई भी सजा यह विशेष न्यायाधीश दे सकता है। जुर्मानेकी सजा करनेपर वारंट निकालकर-अभियुक्तकी चल-अचल सम्पत्ति जब्त करने और वेचकर जुर्माना वसूल करनेका विचारपतिको अधिकार होगा।

१८—विशेष अदालतसे सजा पाया हुआ व्यक्ति १५ दिनके अन्दर हाईकोर्टमें अपील कर सकता है। ऐसी अपीलोंमें हाईकोर्ट मुकदमेके कागजपत्र मँगा सकता है और अन्य अपीली अदालतोंके अधिकार रख सकता है, पर इस विशेष जजकी अदालतसे कोई मुकदमा उठाकर दौरा सुपुर्द करनेका या इस अदालतके काममें अन्य किसी प्रकारसे दखल देनेका अधिकार किसी भी अदालतको न होगा।

२०—विशेष अदालतके सामने चलनेवाले मामलोंमें जूरी या असेसर नियुक्त नहीं किये जा सकेंगे।

बादमें एक आर्डिनेन्स निकालकर भारत सरकारने इस बंबई शान्ति-रक्षा कानूनमें इस मुकदमेके लिए आवश्यक कुछ संशोधन भी किया। इस संशोधनके अनुसार इस कानूनके अनुसार मुकदमा सुननेवाले स्पेशल जजको ये अधिकार दिये गये कि वह मुकदमेसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरह सम्बन्धित किसी भी व्यक्तिकी गवाही लेनेके लिए उस व्यक्तिको क्षमादान कर सकें। शर्त यह होगी कि उक्त व्यक्ति अपराध और उससे सम्बन्धित व्यक्तियोंके बारेमें जो कुछ भी जानता हो पूरा पूरा सब-कुछ बता दे।

स्पष्टतः यह किसी इकबाली गवाहको माफ करनेका अधिकार स्पेशल जजको देनेके लिए था।

२४ मईको गोडसे-सावरकर आदि अभियुक्त अलग-अलग हवाई जहाजोंसे बम्बईसे दिल्ली ले जाये गये। यह खबर जब अखबारोंमें छपी तब स्पष्ट हो गया कि अब ३-४ दिनमें ही मुकदमेकी सुनवायी शुरू होगी।

प्रारम्भिक तीन पेशियाँ

अन्तमें गान्धीजीकी हत्याके ४ महीनेके बाद २७ मईको दिल्लीके लाल-किलेमें सारी दुनियाका ध्यान खींचनेवाला यह मुकदमा शुरू हुआ। २७ मई, ३ जून और १४ जूनको तीन पेशियाँ केवल प्रारम्भिक काररवाइयाँ पूरी करनेके लिए हुई। लाल-किलेमें पहले बहादुरशाह तथा नेताजी सुभाषबाबूकी आजाद-हिन्द-फौजके शाहनवाज, सहगल, ढिल्लों आदिके दो ऐतिहासिक मुकदमे हो चुके थे। इसलिए यह ऐतिहासिक स्थान गान्धी-हत्याकाण्डके ऐतिहासिक मुकदमेके अनुकूल ही था; पर पहले दिनकी पेशीमें युगपुरुष गान्धीजीकी हत्याकी गुरुताके अनुकूल मुकदमेमें गम्भीरता और शालीनता तथा गौरव दिखायी नहीं देता था। पहले दिन लाउडस्पीकरकी व्यवस्था इतनी खराब थी कि पत्रकारोंको केवल दर्शकका काम करना पड़ा। जज और वकील आपसमें जो बातचीत करते थे वह भी पत्रकारोंको सुनायी नहीं देती थी। बातचीत भी बिलकुल घरेलू ढंगसे होती थी। एक बार तो दोनों ओरके १०-१२ वकीलोंने न्यायाधीशको घेरकर ऐसे बातचीत करना शुरू किया मानो कोई बाजार या भेड़ियाधसान हो। अदालतका कमरा चौड़ाईसे (२३ फुट) बहुत अधिक लम्बा (१०० फुट) होनेके कारण अदालतका रूप नहीं रहा। जजने फोटोग्राफरोंको अदालतके अन्दर फोटो लेने दिये और फोटोग्राफरोंने फ्लैशलाइट जला-जलाकर पूरे १० मिनटतक खूब फोटोबाजी की। अभियुक्त हँस हँसकर बहुत खुश होकर अपनी फोटो खिंचवाते थे। इङ्गलैण्डमें अदालतोंके अन्दर इस तरह फोटो खींचने नहीं देते और अदालतके अन्दरके फोटो अखबारोंमें भी नहीं छपने देते, पर उस दिनके फोटो अखबारोंमें भी खूब छपे। फोटोसे अभियुक्तोंकी शिनाख्तकी काररवाईमें कानूनी अड़चनें पड़ सकती हैं। अदालतमें पानी पिलानेवाले भी सिरपर घड़े ले-लेकर खूब घूम रहे थे। इतना बड़ा मुकदमा, पर लोगोंमें कोई उत्सुकता नहीं मालूम पड़ती थी। पहले दिन देशी-विदेशी १०० पत्रकारोंके अलावा अदालतमें एक भी दर्शक नहीं था। लाल-किलेके बाहर भी कोई नहीं था। सादी वर्दीमें और वर्दीधारी खुफियावाले तथा पुलिसवाले अवश्य ३००-३५० की संख्यामें थे। इन्होंने पत्रकारोंके कैमरों और टाइपराइटरोंकी भी कड़ी नजरसे तलाशी ली।

पहले दिन २७ मईको अदालतका काम १० बजेसे केवल दो घण्टेतक

हुआ। मुकदमा शुरू होनेके एक घण्टा पहले अभियुक्त इमारतमें और दस मिनट पहले अदालतमें लाये गये। किसी भी अभियुक्तके हाथमें हथकड़ी नहीं थी। सबसे पहले नथूराम विनायक गोडसे आधी बाँहकी कमीज पहनकर अभियुक्तोंके लिए रखी गयी तीन बेञ्चोंमेंसे पहलीपर आ बैठा। इसके बाद आपटे और करकरे आकर उसी बेञ्चपर बैठे। इसके बाद बडगे, मदनलाल और गोपाल गोडसे आये और दूसरी बेञ्चपर पीछे बैठे। उनके पीछे तीसरी बेञ्चपर शंकर किस्तैया, सावरकर और परचुरे आकर बैठे। सावरकरके वकील भोपटकरने अदालतसे अनुरोध किया कि सावरकर बीमार हैं; इसलिए उनको गद्दीदार कुर्सी दी जाय। अदालतने यह अनुरोध मान लिया।

फोटो खींचनेके बाद सरकारी वकील श्री दफ्तरीने अभियुक्तोंपर लगाये गये अभियोग पढ़कर सुनाये। (पूरा अभियोग-पत्र अलग दिया गया है।) अभियोगोंमें खून, खूनका षड्यन्त्र, खूनमें सहायता, गैर-कानूनी हथियार रखना और विस्फोटक पदार्थ रखना, भेजना इत्यादि बातें थीं।

इसके बाद अदालतने अभियुक्तोंसे उनके बचावकी व्यवस्थाके बारेमें पूछा। यह भी पूछा कि उनकी अपनी कोई व्यवस्था न हो तो वे क्या सरकारकी ओरसे अपने बचावकी व्यवस्था कराना पसन्द करेंगे। इसपर गोडसे तथा ६ और अभियुक्तोंने कहा कि हम भोपटकरकी मार्फत अपने बचावकी व्यवस्था कर लेंगे। मदनलाल और बडगेने कहा कि हमें कोई वकील नहीं चाहिये। शंकर किस्तैयाने भी पहले कहा था कि सरकार ही मेरी ओरसे वकील दे; पर वह भी कुछ हिचकिचाहटके बाद कहने लगा कि हम भी भोपटकरकी मार्फत अपने बचावकी व्यवस्था कर लेंगे।

सभी अभियुक्त प्रसन्न नजर आ रहे थे। सावरकर और गोडसेको छोड़कर सब आपसमें हँसी-दिल्लगी भी कर रहे थे। सावरकर दुखीसे होकर मुकदमेकी सारी कारवाई ध्यानपूर्वक सुनते रहे। गोडसे किसीसे बात नहीं करता था। प्रसिद्ध पत्रकार डाक्टर कृष्णलाल श्रीधरानीने इन दोनोंका वर्णन इस प्रकार किया है—

"नाटकका सबसे प्रमुख अभिनेता नथूराम गोडसे था। वह दुबला पतला है, पर अविचलित और गम्भीर दिखायी देता था। धोती और कुरता पहने था, बाल कटानेके कारण साफ-सुथरा लगता था। उसकी ठुड्डी दृढ़ताकी सूचक है और बाजकी तरह नुकीली उसकी नाक है। छोटी छोटी आँखें जेलमें रहनेके कारण काली पड़ गयी हैं। वह साफ-साफ बोलता था और उसकी बातचीतमें खेद या पश्चात्तापका कोई भाव नहीं था। दूसरे अभिनेता वृद्ध सावरकर थे। वे इतने दुबले और कृषकाय हैं कि उन्हें आरामकुर्सीपर लाना पड़ा। बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य था। इस देशभक्त

वीरने कई अद्भुत कार्य आजतक किये और एक समय तो सारे भारतवर्षमें घर-घर उनका नाम हो गया था। आज वह स्वतन्त्र-भारतकी पहली सरकारद्वारा बनाये गये अभियुक्तोंके कठघरेमें बैठे थे। मनुष्यका जीवन उसे कहाँ से-कहाँ ले जा सकता है। सावरकर आश्चर्यचकित नजर आते थे।"

अदालतमें भाषाके बारेमें भी समस्या खड़ी हुई। बडगे और करकरेने कहा कि हमें सिर्फ मराठी आती है। शंकर किस्तैयाने कहा कि मैं केवल तेलगू जानता हूँ। भोपटकरने अदालतके प्रश्नोंको मराठीमें अनुवाद करके सुनाया। एक पत्रकारने शंकर किस्तैयाको तेलगू अनुवाद सुनाया।

मदनलाल अदालतको कुछ कहना चाहता था। वह तीन बार माइक्रोफोनके पास गया। उसने पहले कहा कि मुझे गुप्त रूपसे जजसे कुछ कहना है। इसपर अदालत-ने उससे कहा कि जो कुछ कहना हो, रजिस्ट्रारसे कहें, उनसे मुझे मालूम हो जायगा। विचारपतिने उससे यह भी कहा कि मुकदमेकी सुनवायी जिस दिन शुरू होगी उस दिन उसे अपनी बात कहनेका अवसर दिया जायगा।

अभियोग-पत्र पढ़े जानेके बाद सावरकरके वकील भोपटकरने अदालतसे कहा कि वारण्ट प्रोसीडिंगके अनुसार यानी फौजदारी कानूनकी २१ वीं धाराके अनुसार पहले प्रारम्भिक जाँचसे अभियोग साबित कर मामला दौरा सुपुर्द कर फिर अदालतकी काररवाई शुरू होनी चाहिये, पर जजने कहा कि फौजदारी कानूनके २३ वें चैप्टरके अनुसार विशेष कानूनके आधारपर १९४७ के बम्बईके सुरक्षा-कानूनके अनुसार यह मुकदमा चलनेवाला है, इसलिए संक्षिप्त प्रणालीसे ही यह मुकदमा चलेगा।

भोपटकरने यह भी कहा कि मुकदमेकी तैयारी करनेके लिए वह दो महीनेतक स्थगित रखा जाय, पर जजने उसे केवल १४ जूनतक स्थगित रखनेकी बात मान ली।

अदालतमें सावरकर, परचुरे और किस्तैया काली टोपियाँ पहनकर आये थे। करकरेने तो रेशमी शर्ट और कोट पहना था। नथूरामकी तरह उसके भाई गोपालने और आपटेने आधी बाँहकी कमीजें पहनी थीं।

३ जूनको अदालत फिर बैठी। उस दिन एक घण्टेसे कुछ ही अधिक समय काम हुआ। बचावकी व्यवस्था और अभियुक्तोंको दी जानेवाली सहूलियतोंके बारेमें उस दिन विचार हुआ और यह निश्चय हुआ कि मुकदमेकी दिन दिनकी बाकायदा काररवाई २२ जूनसे शुरू हो।

आज अदालतमें पहले दिनसे कुछ विपरीत दृश्य दिखायी दिये। पहले दिन उछलने-कूदनेवाले करकरे और मदनलाल आज चिन्तित दिखायी देते थे और पहले

दिन गम्भीर होकर बैठा हुआ गोडसे आज चञ्चल था। एक तरहसे गोडसेने ही मुकदमेकी कारवाई शुरू की। उसने धारा-प्रवाह अंग्रेजीमें बोलते हुए कहा कि सी क्लासके बन्दीकी तरह हमारे साथ व्यवहार होता है, २-३ दिन पानी माँगनेपर नहीं दिया गया; पर उसने यह भी कहा कि मैं तो कुछ और ही व्यवहारकी आशंका, अपेक्षा करता था, मैं रियायत नहीं चाहता, पर कानून-नियमके अनुसार हमें जो सुविधाएँ मिल सकती हैं मिलनी चाहिये। बडगेको छोड़कर अन्य ८ अभियुक्तोंने अच्छे व्यवहारके लिए अदालतके सामने दरख्वास्त भी दी। बडगेने कहा कि मिली सुविधाओंसे मैं सन्तुष्ट हूँ। इसपर पत्रकारोंने अपने मनमें यह समझ लिया कि बडगे निश्चित रूपसे इकबाली गवाह बन गया।

अभियुक्तोंकी ओर सुविधाओंकी माँगपर सरकारी वकील श्री पेटीगाराने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि अभियुक्त एक-दूसरेसे मिलने न पावें, बाहरसे उन्हें भोजन न लाने दिया जाय (क्योंकि उसमें जहर डालकर भेजा जा सकता है) और जेलके हज्जामसे ही अभियुक्त हजामत बनवाया करें।

गोडसेने अदालतसे यह भी पूछा कि हमलोग पुलिसकी हवालातमें हैं या जेलकी। जजने इस बातपर प्रसन्नता प्रकट की कि अभियुक्तोंने अपनी तकलीफें उनके सामने रखीं। उन्होंने कहा कि अभियुक्त जेलकी हवालातमें हैं और उन्हें बी क्लास या स्पेशल क्लासके कैदीकी तरह रखनेका हुक्म मैं दे रहा हूँ।

आपटेने शिकायत की कि हम लोगोंके कुछ रुपये-पैसे और अन्य चीजें पुलिसने ले ली हैं वे मुझे वापस की जायँ। जजने कहा कि जो कुछ कहना हो जेल-सुपरिण्टेण्डेण्टकी मार्फत दर्खास्त देकर कहें। अदालतने अभियुक्तोंको अपने कपड़े पहनने, अतिरिक्त खाद्य पदार्थ जेलमें ही तैयार कराने, चिट्ठियाँ, अखबार, किताबें और पत्रिकाएँ आदि मँगानेकी सुविधाएँ दे दीं।

अभियुक्तोंके वकील भोपटकरने अदालतसे कहा कि अदालत बचावके वकीलोंको जेलमें अभियुक्तोंसे मुलाकात करनेकी अनुमति दे। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि अदालतका काम दिनमें १० से ४ तक न होकर सबेरे ७॥ बजेसे या ८ बजेसे शुरू हो। अदालतने पहला अनुरोध मान लिया और दूसरेके लिए कहा कि अगली पेशी १० बजेसे ही हो। उसी दिन समयके बारेमें निर्णय किया जायगा।

अदालतने बताया कि सबूतके करीब १५० गवाहोंकी गवाहियोंका सारांश सफ़ाई-पक्षके वकीलोंको दिया गया। सरकारी वकील पेटीगाराने कहा कि ५-६ गवाहोंकी गवाहियाँ और ली जानेवाली हैं और उनके भी बयान बचाव-पक्षको यथासमय दिये जायँगे।

पेटीगाराने अदालतसे यह भी अनुरोध किया कि बम्बईके प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट-

को लिखकर एक मराठी और एक तेलगू दुभाषिया भेजनेको कहे। ग्वालियर और वम्बईसे गवाहियों और शिनाख्त आदिके सम्बन्धके कुछ जरूरी कागज मँगानेको भी उन्होंने अदालतसे कहा।

भाषाके सम्बन्धमें कुछ बहसके बाद निश्चय हुआ कि अंग्रेजीमें ही सारी कारर-वाई लिखी जाय, पर गवाहियाँ आदि जहाँतक हो सके गवाहोंकी भाषामें ही पूरी पूरी लिख ली जायँ यद्यपि सुरक्षा कानूनके अनुसार संक्षेपमें भी गवाहियाँ लिख लेनेसे काम चल जाता।

जजने भोपटकरसे बचावके सब वकीलोंके नामोंकी सूची माँगी। भोपटकरने इसके लिए एक सप्ताह और समय चाहा जिसपर जजने कहा कि कानूनसे हम और समय देनेके लिए बाध्य नहीं हैं, फिर भी यह सहूलियत दे सकते हैं कि सुनवाईका काम १४ तारीखसे शुरू न होकर २१ से हो। सरकारी वकीलने कहा कि २१ को माउण्टबेटन भारतसे विदा होनेवाले हैं इसलिए सम्भवतः पुलिस उसमें फँसी रहेगी। जजने इसपर निर्णय दिया कि मामला २२ तारीखको शुरू हो।

मामलेकी पेशीके पहले दिन मदनलालने कहा था कि हमें बचावके लिए कोई वकील नहीं चाहिये, पर आज उसने कहा कि भोपटकर हमारे बचावका भी इन्तजाम करा दें। शंकर किस्तैयाने पहले दिन वकील चाहा था, पर आज कहा कि सरकार ही मेरे बचावके लिए वकील दे।

—

प्रारम्भिक काररवाईकी तीसरी और आखिरी पेशी १४ जूनको हुई और आधे घण्टेतक चलती रही। भोपटकरने बचावके वकीलोंकी सूची अदालतको दी और कहा कि २२ तारीखसे सब वकील अदालतमें उपस्थित रहेंगे; बैरिस्टर ओक नथूरामकी और श्री मणियार गोपाल गोडसेकी पैरवी करेंगे।

सबूतकी गवाहियोंकी नकलें अदालतकी अनुमतिसे ७ अभियुक्तोंको दी गयीं। उनमें दो अंग्रेजी नहीं जानते थे।

आज करकरे गान्धी टोपी और नेहरू शर्ट पहनकर आये थे। भोपटकरने अदालतसे अनुरोध किया कि पुलिसवालोंको जेलमें अभियुक्तोंसे मिलनेसे रोक दिया जाय। अदालतने कहा कि यह दिल्लीके चीफ पुलिस कमिश्नरका मामला है और उन्हींसे कहना चाहिये। यदि इस तरह पुलिसको रोकनेका अदालतको कानूनन कोई अधिकार हो तो उसे बतानेको भी अदालतने भोपटकरसे कहा। दिल्लीकी दौरा अदालतोंके रिवाजके अनुसार हफ्तेमें शुक्रवारतक केवल ५ दिन अदालत बैठे, इस आशयका अनुरोध सफाई और सबूत दोनों पक्षोंके वकीलोंने किया और अदालतने उसे इस शर्तपर मान लिया कि मुकदमेकी काररवाई जल्दी-जल्दी होती जायगी। दो तीन दिन सुनवाईका हाल देखकर यदि आवश्यकता हुई तो अदालतका समय सवेरेका करनेके प्रश्नपर भी अदालतने विचार करनेका आश्वासन दिया।

अभियुक्तोंका संक्षिप्त परिचय

(१) नथूराम गोडसे—प्रधान अभियुक्त। यह गान्धीजीकी हत्याके तुरत बाद, दुर्घटना स्थलपर ही पकड़ा गया था। उम्र ३६ वर्ष। दर्जीका डिप्लोमा प्राप्त, पूनेमें दर्जीका काम करता था। १९३७ में सावरकरसे सम्पर्क हुआ। उनके साथ उनका निजी सेक्रेटरी बनकर देशभरका दौरा किया। बहुत दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघका भी सदस्य था। १९४४ में पूनेसे 'अग्रणी' नामका मराठी पत्र निकाला। इसके बन्द होनेपर 'हिन्दू राष्ट्र' पत्रका सम्पादक हुआ।

(२) ना. द. आपटेबी० एस-सी० बी० टी०—उम्र ३५। अहमदनगरमें अध्यापकका कार्य करता था। वहाँ राइफल क्लब भी खोला था।

(३) करकरे—उम्र ३५। यह भी अहमदनगरका ही है और वहाँ एक होटल चलाता था।

(४) बडगे—उम्र ३५। जिनके लिए लाइसेन्सकी जरूरत नहीं ऐसे छुरे आदि शस्त्र बेचनेकी पूनेमें दूकान करता था। बादमें मुखबिर बन गया।

(५) मदनलाल—उम्र करीब २३। गान्धीजीकी हत्याके १० दिन पहले प्रार्थना-सभाके स्थानसे ५० गज दूर बम/फूटा था। उसी विस्फोट-स्थानपर इसकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारीके बाद जब इसकी तलाशी ली गयी तो कहा जाता है कि इसके पास एक हथगोला भी मिला था।

(६) शंकर किस्तैया—यह बडगेकी दूकानमें नौकर था।

(७) गोपाल गोडसे—उम्र ३२। नथूरामका छोटा भाई। पिछले महायुद्धमें यह भारतीय सेनामें भरती हो गया था।

(८) सावरकर—उम्र ६५ साल। हिन्दू महासभाके भूतपूर्व अध्यक्ष। यौवनावस्थामें तेजस्वी।कार्य किये। पूना-कालेजमें पढ़ते समय ही अंग्रेजी राज्य-को उखाड़ फेकनेके लिए कोशिश शुरू की। लन्दन जाकर बैरिस्टर हुए, पर न्याया-लयोंमें खड़े होनेकी अनुमति नहीं मिली। १९१० में इंगलैण्डमें बादशाहके खिलाफ युद्ध करनेके षडयन्त्रमें शामिल होनेके अभियोगमें गिरफ्तार हुए। इस मामलेका नाम नासिक षडयन्त्र केस था। वे एक जहाजपर भारत लाये जा रहे थे। जहाज जब मार्सेलीज (फ्रांस) के पास पहुँचा तो आप पहरेदारोंकी आँख बचा-कर जहाजके छेदमेंसे समुद्रमें कूद पड़े और एक मील तैरकर किनारेपर पहुँचे, पर फ्रेंच प्रदेशमें फिर गिरफ्तार किये गये। उनकी गिरफ्तारीके सम्बन्धमें फ्रांस

और इंगलैण्डमें मतभेद और झगड़ा हुआ और अन्तमें मामला हेगके अन्तरराष्ट्रीय न्यायालयके सामने गया। अन्तमें वे भारत लाये गये, उनपर मुक़दमा चला और आजीवन कालापानीकी उन्हें सजा दी गयी। अंडमानकी जेलमें १४ साल बिताये। १९२४ में भारत लाये गये और रत्नागिरीमें नज़रबन्द रखे गये। १९३७ में बम्बईमें पहली कांग्रेस सरकार स्थापित होनेपर उनके ऊपरसे सारे नियंत्रण-बन्धन हटा लिये गये। इसके बाद सावरकर हिन्दू महासभामें शामिल हो गये और उसके अध्यक्ष चुने गये। मराठीके बहुत बड़े साहित्यिक और समाज-सुधारक, सामाजिक कार्यकर्त्ता भी हैं।

(९) परचुरे—ग्वालियरके एक डाक्टर।

खास अदालत

स्पेशल जज श्री आत्माचरण आई. सी. एस.

सबूतके वकील

श्री सी. के. दफ्तरी, ऐडवोकेट जनरल, वम्बई, प्रधान सरकारी वकील।

श्री एन. के. पेटीगारा, वम्बई।

श्री एम. जी. व्यवहारकर, वम्बई।

रायवहादुर ज्वालाप्रसाद, पंजाव।

पण्डित ठाकुरदास, दिल्ली।

जाँच अफसर

श्री जे. सी. नगरवाला, डिप्टी पुलिस कमिश्नर, वम्बई।

सफाई पक्षके वकील

प्रधान—श्री ल. व. भोपटकर, पूना।

(१) नथूराम गोडसेके लिए—वैरिस्टर वी. वी. ओक, वम्बई।

(२) आपटे—श्री वी. डी. मेंगले, वम्बई।

(३) करकरे—एडवोकेट नरहर दाजी डांगे, वम्बई।

(४) वडगे—? (मुखविर वना)

(५) मदनलाल—श्री पूरणचन्द वनर्जी।

(६) शंकर—श्री हंसराज मेहता, सीमाप्रान्त (सरकारकी ओरसे)।

(७) गोपाल गोडसे— श्री मोहनलाल मणियार।

(८) सावरकर—श्री ल व. भोपटकर।

—वैरिस्टर जमनादास मेहता

—श्री गणपतराय, दिल्ली

—श्री कुंजविहारी भोपटकर, पूना

(९) परचुरे—श्री पी. एल. इनामदार, ग्वालियर।

आरोप-पत्र

वडगे मुखबिर बना

गान्धीजीकी मृत्युके ४ महीने ३ सप्ताह बाद गान्धी हत्याकाण्डके मुकदमेकी रोज-रोजकी काररवाई २२ जूनको दिनमें १० बजे लाल किलेमें शुरू हुई। सबसे पहले जजने अभियुक्तोंसे पूछा कि उनके वकीलोंका इन्तजाम हो गया या नहीं। वडगेको छोड़ और सब अभियुक्तोंके वकील उपस्थित थे। इसके बाद जजने अभियोग पत्र पढ़ सुनाया जो ६ फुलस्केप पेजका था। फिर इसका अनुवाद करकरे-के लिए मराठीमें और शंकरके लिए तेलगूमें सुनाया गया। मराठी अनुवाद बम्बई-के चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेटकी अदालतके दुभाषिये श्री नवलकरने और तेलगू अनुवाद बेल्लारीकी कुमारी कमलम्माने सुनाया।

अदालतमें आज खान-मन्त्री श्री गाडगिल, न्याय-मन्त्री अम्बेडकर, श्रीमती अम्बेडकर और गृह-विभागके सेक्रेटरी श्री आर. एन. बनर्जी भी उपस्थित थे। आजकी सुनवाईके समय पहले-पहल दर्शकोंको उपस्थित रहनेकी अनुमति दी गयी थी। आज श्री जी. पी. हठीसिंह और श्री एच. वी. आर. आयंगरकी पत्नी श्रीमती आयंगर भी उपस्थित थीं।

अभियोग-पत्रका आशय यह है—

गान्धी-हत्याका मामला

सरकार बनाम नथूराम तथा ८ अन्य अभियुक्त

मैं, आत्माचरण, आप नथूराम गोडसे (३७), नारायण आपटे (३४), विष्णु करकरे (३७), मदनलाल पहवा (२०), शंकर (२०), गोपाल गोडसे (२७), विनायक सावरकर (६५) और दत्तात्रेय परचुरे (४९) पर ये अभियोग लगाता हूँ—

१—आप लोगोंने १ दिसम्बर १९४७ से ३० जनवरी १९४८ के बीच पूना, बम्बई, दिल्ली तथा अन्य स्थानोंपर आपसमें तथा दिगम्बर वडगे जिसे, माफी दे दी गयी है, गंगाधर एस. दण्डवते, गंगाधर जाधव और सूर्यदेव शर्माके साथ, जो अन्य कई अज्ञात आदमियोंके साथ फरार हैं, महात्मा गान्धीकी हत्याका

गैर-कानूनी काम करनेका षड्यन्त्र किया और निश्चय किया। ऐसा कर आपने ताजीरात हिन्दकी दफा १२० बी और ३०२ के अनुसार दण्ड पानेका काम किया।

२—उक्त निश्चय और षड्यन्त्रको कार्यान्वित करनेके लिए आप लोग (सावरकर और परचुरेको छोड़ अन्य ६ अभियुक्त) वडगेके साथ १० जनवरी और २० जनवरीके वीच—

ए (१) लाइसेन्सके विना २ रिवाल्वर और वहुतसे कारतूस आदि शस्त्रास्त्र और गोली-वारूद दिल्ली ले गये और शस्त्र-कानूनकी दफा १९ (डी) के अनुसार दण्ड पानेका आपने काम किया।

(२) उक्त अपराध करनेमें एक-दूसरेकी सहायता की और शस्त्र-कानूनकी दफा १९ (डी) और ताजीरात हिन्दकी दफा १०९ और ११४ के अनुसार दण्डके पात्र वने।

वी (१) दिल्लीमें अपने पास विना लाइसेन्सके २ रिवाल्वर मय कारतूसके रखकेर शस्त्र-कानूनकी दफा १० तोड़ी और दफा १९ (एफ) के अनुसार दण्डके भागी वने।

(२) दिल्लीमें उक्त अपराध करनेमें एक दूसरेकी सहायता की और इस प्रकारी ऐसा अपराध किया जिसमें शस्त्र-कानूनकी दफा १९ (एफ) और ताजीरात हिन्दक दफा १४४ के अनुसार सजा हो सकती है।

(३) १० और २० जनवरीके वीच आप ६ अभियुक्तोंने वडगेके साथ ए (१) विस्फोटक रूई गन काटनके दो टुकड़े और ५ हथगोले मय वत्ती और सलाईके हत्या करनेके उद्देश्यसे रखे और विस्फोटक कानूनकी दफा ४ (वी) के अनुसार दण्डनीय कार्य किया। (२)इसमें एक दूसरेकी सहायता कर विस्फोटक कानूनकी दफा ४ (वी)और दफा ६ के अनुसार दण्ड पाने योग्य काम किया। बी (१) ये विस्फोटक पदार्थ गैरकानूनी ढंगसे अपने पास रखकर आपने विस्फोटक कानूनकी दफा ५ के अनुसार दण्ड पानेका काम किया।

(२) इस काममें एक दूसरेकी सहायता कर उसी कानूनकी दफा ५ और ६ के अनुसार सजा पानेका काम किया।

(४) २० जनवरीको दिल्लीके विडला भवनमें—

ए (१) मदनलालने गैरकानूनी रूपसे गन काटनके टुकड़ेका विस्फोट किया जिससे जानमालको नुकसान पहुँच सकता था। ऐसा कर विस्फोटक कानूनकी दफा ३ के अनुसार सजा पानेका काम किया गया।

(४) अन्य ६ अभियुक्तोंने मदनलालसे यह काम कराया और इस प्रकार विस्फोटक कानूनकी दफा ३ और ६ के अनुसार सजा पानेका काम किया।

(५) २० जनवरीको दिल्लीके बिडला भवनमें गान्धीजीकी हत्या करनेके ऐसे प्रयत्नमें (परचुरेको छोड़) आप सब लोगोंने ऐसे अपराधमें एक दूसरेकी मदद की जिसमें फांसी या आजीवन कारावासका दण्ड मिलता है और इस प्रकार आपने ताजीरात हिन्दकी दफा ११५ के अनुसार दण्ड पानेका काम किया।

(६) २८ जून और ३० जूनके बीच—

ए—(१) नथूराम गोडसे और आपटे विना लाइसेन्सके आटोमेटिक पिस्तौल नं० ६०६८२४ मय कारतूसके ग्वालियरसे दिल्ली ले आये और शस्त्र-कानूनकी दफा ६ भंग की और शस्त्र-कानूनकी दफा १९ (सी) के अनुसार दण्ड पानेका काम किया। (२) नथूराम, आपटे और परचुरेने इस काममें एक दूसरेकी सहायता की और शस्त्र-कानूनकी दफा १९ (सी) और ताजीरात हिन्दकी दफा ११४ के अनुसार दण्ड पानेका काम किया।

बी—१—दिल्लीमें नथूरामने अपने पास पिस्तौल-कारतूस रखकर शस्त्र-कानूनकी दफा १४ और १५ तोड़ी और दफा १९ (एफ) के अनुसार सजा पानेका काम किया।२—दिल्लीमें आपटे और करकरेने एक-दूसरेकी सहायता की और शस्त्र-कानूनकी दफा १९ (एफ) और ताजीरात हिन्दकी दफा ११४ के अनुसार सजा पानेका काम किया।

७—३० जनवरीको दिल्लीके बिड़ला-भवनमें—

ए—(१) नथूरामने गान्धीजीकी जान-बूझकर हत्या कर ताजीरात हिन्दकी दफा ३०२ के अनुसार सजा पानेका काम किया। (२) आपटे-करकरेने नथूरामकी सहायता की और उनके सामने यह काण्ड हुआ। ऐसा कर उन्होंने ताजीरात हिन्दकी दफा ३०२ और ११४ के अनुसार सजा पानेका काम किया। (३) मदनलाल, शंकर, गोपाल, सावरकर और परचुरेने बडगेके साथ नथूरामकी सहायता की और ताजीरात हिन्दकी दफा ३०२ और १०९ के अनुसार सजा पानेका काम किया।

ह० आत्माचरण, आई. सी. एस. जज,
स्पेशल कोर्ट।

२२ जून १९४८, लाल-किला, दिल्ली।

———

यद्यपि बडगेको क्षमादान कर दिया गया था, फिर भी जबतक मुकदमेके लिए आवश्यक हो उसे कैदमें रखनेका निश्चय हुआ था। अभियोगपत्र पढ़े जानेके बाद जजने घोषणा की कि बडगे सरकारी गवाह बन गया है। इसके बाद वह कटघरेसे हटा लिया गया।

अनन्तर जजने सब अभियुक्तोंसे अलग अलग पूछा कि क्या आपने अपने ऊपर लगे अभियोग समझ लिये और क्या आप अपनेको दोषी मानते हैं या मुकदमा चलानेको कहते हैं ?

सब (आठों) अभियुक्तोंने अपनेको निर्दोष बताया और अपने ऊपर मुकदमा चलानेकी माँग की। नथूरामने खड़े होकर केवल इतना ही कहा—"मुझपर मुकदमा चलाया जाय। करकरेने भी यही कहा। मदनलालने अपनेको निर्दोष बताया और कहा कि मैं एक बयान देना चाहता हूँ। जजने कहा कि सब अभियुक्तोंसे सवाल पूछ लेनेके बाद बयान दे सकते हो।

शंकरने पहले कहा कि मैं दोषी हूँ, पर बादमें तेलगूमें समझानेपर कहा कि मुझे जो कुछ मालूम है मैं सब बता दूँगा। पर उसने यह भी कहा कि मुझपर भी मुकदमा चलाया जाय।

सावरकरने केवल इतना ही कहा कि मैं निर्दोष हूँ।

आपटे, गोपाल गोडसे और परचुरेने कहा कि हम निर्दोष हैं, हमपर मुकदमा चलाया जाय। परचुरेने यह भी कहा कि मैं ग्वालियर राज्यका स्थायी निवासी हूँ। पर सरकारके वकीलने यह दलील स्वीकार नहीं की।

इसके बाद जजकी अनुमतिसे मदनलालने इस आशयका लिखित बयान दिया—

"मैं अपनेको निर्दोष समझता हूँ। महात्मा गान्धीको किसी भी प्रकारकी हानि पहुँचानेका कोई भी षडयन्त्र नहीं रचा गया था और मैं ऐसे किसी षडयन्त्रमें शामिल नहीं था।

"२० जनवरी १९४८ को जो घटना हुई वह तो केवल गान्धीजीकी उन दिनोंकी मुसलिमपरस्त नीतिके विरोधमें देशमें फैले व्यापक असन्तोषको प्रकट करनेके लिए थी। इससे अधिक उसमें कोई बात नहीं थी। मेरे अतिरिक्त उस घटनामें और किसीका हाथ नहीं था।"

नथूरामने कहा कि हमें कागज—पेन्सिल मिली है। हम यहाँ जो बातें लिख लेंगे उन्हें पुलिस न देख सके ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाय। अदालतने इसपर विचार करनेका आश्वासन दिया।

षड्यन्त्रका विस्तृत विवरण—सबूत पक्षका कथन

मुकदमेकी सुनवाईका आरम्भ करते हुए सबूत पक्षके वकील श्री दफ्तरीने कहा—इस मामलेमें मुख्य अभियोग ३० जनवरीको महात्मा गान्धीकी हत्या करनेका है। प्रथम अभियुक्तने जिसे हम मुख्य अभियुक्त कह सकते हैं अपने हाथसे गान्धीजीकी हत्या की। यह बात सबको, अभियुक्तोंको भी, मालूम थी कि गान्धीजी न केवल राष्ट्रीय नेता थे, पर उनकी प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रीय जगतमें भी थी। उन्होंने अपना सारा जीवन अहिंसा और विश्वबन्धुत्व-भ्रातृत्वके सिद्धान्तोंके प्रचारमें खर्च किया। एक तरहसे यह ठीक ही था कि वे अपना कर्तव्य करते हुए मरते और वे मरे भी उन्हीं अहिंसा और भ्रातृत्वके सिद्धान्तोंके लिए ही। इन स्पष्ट बातोंको देखते हुए और हम नथूरामद्वारा की गयी हत्याके चश्मदीद गवाहोंको पेश करेंगे उनके बयानोंको सुनते हुए हत्याके उद्देश्योंके सम्बन्धमें अधिक बहस मुबाहसा करना आवश्यक और व्यर्थ प्रतीत होता है। पर इस मामलेमें हत्याके समय केवल पहला अभियुक्त ही उपस्थित नहीं था, उसके साथ सात और अभियुक्त हैं और हत्याका उद्देश्य और अधिक महत्वका था तथा वह और भी स्पष्ट हो जायगा।

२० जनवरीका विस्फोट

हत्या ३० जनवरीके दिन हुई, पर यह पहला ही प्रयत्न नहीं था। १० दिन पहले २० जनवरीको सावरकर और परचुरेको छोड़कर और सब अभियुक्त एक साथ दिल्लीमें थे। उस दिन मदनलालने उस स्थानके पास गन काटनसे एक विस्फोट किया जहाँ गान्धीजी रोज शामको प्रार्थना किया करते थे। बिड़ला भवनमें वे कई दिन पहलेसे रह रहे थे और रोज शामको प्रार्थना किया करते थे। प्रार्थनाके लिए वे अपने रहनेके कमरेसे ५ बजेके करीब बागके कोनेपर स्थित प्रार्थनास्थलपर जाया करते थे। कभी दर्शक अधिक आते थे, कभी कम, पर प्रार्थनाकी बात आमतौरसे लोग जानते थे। गान्धीजी किस तरह जाया करते थे इसको अच्छी तरह समझानेके लिए मैं बादमें बिड़ला भवनका एक नकशा भी उपस्थित करूंगा।

सभी अभियुक्त एकत्र थे

२० जनवरीको मदनलालने बत्ती लगाकर देशी बम (गन काटनके एक टुकड़े) का विस्फोट किया। उस समय सावरकर और परचुरेको छोड़ और सब अभियुक्त प्रार्थना-स्थलपर या उसके आसपास उपस्थित थे। यह बहुत महत्वकी बात है। अगर सबूत पक्षने यह साबित कर दिया कि ये लोग दो तीन दिन पहले दिल्ली आये थे, एक जगह एकत्र हुए, विस्फोटके समय वे सब उपस्थित थे और

सबके पास हथगोले और रिवाल्वर थे तो उनका उद्देश्य साफ मालूम हो जायगा। वे कोई संयोगसे एक जगह एकत्र नहीं हो गये थे। सबको मिलकर कोई एक काम करना था। अभियुक्त नं० ४ मदनलालने अभी मान लिया है कि "विस्फोट मैंने किया।" इसने और जो वातें कही हैं उन्हें हम असत्य सावित करेंगे। केवल यही नहीं, हम तो यह कहना चाहते हैं कि उस दिन गान्धीजीकी हत्या करनेका इरादा था। हत्या कव की जाय इसे वतानेके लिए विस्फोट किया जानेवाला था। पर यह योजना निष्फल हुई।

हत्याके समय प्रथम तीन अभियुक्त उपस्थित

पूर्वनिश्चित योजनाके अनुसार उस दिन हत्या क्यों नहीं हुई उसके कारणोंका विवरण अभी मैं नहीं वताऊँगा। मदनलाल गिरफ्तार कर लिया गया। और लोग भाग गये, पर कहाँ-कहाँ गये इसका पता लग गया। अभी सिर्फ इतना ही वताना काफी है कि अभियुक्त नं० १, २, ३ तथा अन्य वम्वईमें फिर एकत्र हुए और वादमें ३० जनवरीको अभियुक्त नं० १, २, ३ नथूराम, आपटे और करकरे फिर दिल्ली आये। नथूरामके हाथसे छोड़ी गयी तीन गोलियोंसे गान्धीजीकी हत्या हुई, पर अभियुक्त नं० २ और ३ हत्याके समय विड़ला-भवनमें या उसके आस-पास उपस्थित थे। यह कोई संयोगकी वात नहीं, वल्कि निश्चित योजनाके अनुसार थी।

कुछ समयसे यानी मार्च १९४४ से अभियुक्त नं० १ पूनेसे निकलनेवाले मराठी दैनिक 'अग्रणी' का सम्पादक था। अभियुक्त नं० २ की सहायतासे नथूरामने इसे निकाला था। नथूराम सम्पादक और आपटे जनरल मैनेजर जैसा था और पहले दोनों मालिक थे। मैं वताऊँगा कि यह पत्र उन्हीं वातोंका किस तरह प्रचार करता था जो गान्धीजीके सत्य, अहिंसा और भ्रातृत्वके सिद्धान्तोंके खिलाफ रहा करती थीं। यही हत्याके पीछेका रहस्य है।

यह सव लोग जानते हैं कि १५ अगस्तको हुए देश-विभाजनके पहले और वादमें देश वहुत अशान्त और चिन्ताजनक अवस्थासे गुजरा, पर इस स्थितिमें भी गान्धीजी मुसलमानोंके प्रति शान्तिका भाव रखनेपर हमेशा जोर देते रहे। १९४६से ही वङ्गाल और विहार और पञ्जावकी अशान्तिमें भी वे इसी वातका प्रचार करते रहे। विभाजनके वाद भी वे इसी वातको दोहराते रहे और उन्होंने नोआखाली जानेका निश्चय किया।

नथूराम विवेकभ्रष्ट हो गया

अव मैं केवल अभियुक्त नं० १ की वात करूँगा। वह हमेशा ही कट्टु और विरोधी रहा, यह उसके पत्रके लेखोंसे स्पष्ट हो जायगा। वह

हिंसाका समर्थक था, वदला लेनेका समर्थक था, और उन सब वातोंका विरोधी था जिनका गान्धीजी प्रचार करते रहे। यह विरोध अन्तमें इतना अधिक कटु हुआ कि अभियुक्त नं० १ ने अपना विवेक खो दिया और वह मूर्खताके इस नतीजेपर पहुँचा कि हम जिसे ठीक नीति समझते हैं उसकी विजयके लिए एकमात्र रास्ता उस व्यक्तिको खत्म करना था जो अहिंसाका प्रचार करता है, पर जिसे लाखों लोग मानते हैं। यदि वह विवेक-भ्रष्ट न होता तो उसे मालूम हो जाता कि किसी एक व्यक्तिको मारनेसे उसके सिद्धान्त नष्ट नहीं हो जाते। गान्धीजीके बारेमें तो यह बात और स्पष्ट थी क्योंकि उनके व्यक्तित्व और उपदेशोंका प्रभाव सबपर पड़ता था। साथ ही अभियुक्त सम्भवतः यह भी समझता था कि गान्धीजीकी हत्या कर उसे खुद जनतामें अपने वदला लेनेके सिद्धान्तका प्रचार करनेका अवसर मिलेगा।

पर अभियुक्त नं० १ हत्याके लिए अकेला जिम्मेदार नहीं था। उसका अभियुक्त नं० ३ करकरेके साथ काफी दिनोंसे परिचय था और यह स्पष्ट है कि दोनों हत्यामें प्रत्यक्ष शामिल थे।

चौथा अभियुक्त मदनलाल पञ्जाबसे आया शरणार्थी है। वह भावुक है, दुस्साहसी है और चाहे जो काम करनेको तैयार था। उससे करकरेके साथ सबसे पहले अहमदनगरमें मुलाकात हुई। उसकी दुस्साहसपूर्ण प्रकृतिकी बात जानकर अभियुक्त नं० १, २ और ३ ने अपना काम उससे करानेकी ठानी।

पाँचवाँ अभियुक्त शंकर वडगेका नौकर है। वडगेको माफी दी जा चुकी है। पूनेमें वडगेकी हथियारोंकी दूकान थी। वह अभियुक्त नं० १, २ और ३ के सम्पर्कमें इसलिए आया कि इन्हें हथियार चाहिये थे और वडगे हथियार गोली-वारूद दे सकता था और उसने इन तीनोंको काफी हथियार दिये भी। २० जनवरीके पहले उसको भी शामिल होनेके लिए फुसलाया गया और वह इनकी वात माननेतैयार भी हो गया। शंकर वडगेका नौकर था और उसने समझ-बूझकर अपने मालिकका साथ दिया और इस वातको अवश्य अच्छी तरह जानता था कि दिल्लीमें सबलोग क्यों आये हैं। दिल्लीमें आकर उसने खुद एक हथियार चलाकर देखा और २० जनवरीको जब हत्याकी कोशिश की गयी वह खुद प्रार्थना-सभामें उपस्थित था।

गोपाल गोडसे अभियुक्त नं० १ का भाई है। वह खड़कीमें एक सरकारी दफ्तरमें नौकर था। झूठ वहाना वताकर उसने छुट्टी ली और सबके साथ दिल्ली आया।

इन सब लोगोंके पास तरह तरहके शस्त्रास्त्र और विस्फोटक थे। एक और अभियुक्त डाक्टर परचुरेका कहना है कि मैं ग्वालियरका निवासी हूँ। हम इस वातको स्वीकार नहीं करते। हमने अदालतको वहुतसे कागज दिये हैं जिनसे मालूम

हो जायगा कि उसने अपना काम बहुत बादमें किया। २० और ३० जनवरीके बीच जब अभियुक्त नं० १ और २ ग्वालियर गये, डाक्टर परचुरेने वह पिस्तौल प्राप्त की जिससे अन्तमें गान्धीजीकी हत्या की गयी। अभियुक्त नं० १ और २ उससे पिस्तौल लेकर दिल्ली आये और ३० जनवरीको हत्या की।

सावरकरके सहयोगके बिना हत्या न होती

अन्तमें बहुत सूत्र रूपसे मैं सावरकरका जिक्र करूँगा। उनका नाम मशहूर है। वे एक खास विचारधारावालोंके नेता रहे हैं और कई सालतक हिन्दू महासभाके अध्यक्ष रहे। यह सर्वविदित है कि वे कभी अहिंसाके प्रेमी नहीं रहे और न मुसलिमोंके पक्षकी नीतिके कभी समर्थक रहे। वे बम्बईमें दादरमें रहते थे। अभियुक्त नं० १ और २ का उनसे बहुत घनिष्ठ सम्पर्क रहा है। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि वे उन्हें अपना गुरु मानते रहे। अभियुक्त नं० १ और २ ने जो अखबार निकाला वह सावरकरका आशीर्वाद लेकर निकाला। सावरकरने रुपये पैसेसे उनकी मदद की। सावरकरको वे कितना मानते थे यह इसी बातसे मालूम हो जायगा कि पत्रके हरएक अंकके पहले पेजपर सावरकरका चित्र छपता था। बम्बईके सावरकरके घरमें राजनीतिक कार्यकर्ता हमेशा आते जाते रहे और अभियुक्त नं० १ और २ भी अक्सर उनके यहाँ जाते थे। इस बातका प्रमाण मौजूद है कि अभियुक्त नं० १ और २ का सावरकरसे बराबर सम्पर्क बना रहा। इस बातका प्रमाण है कि २० जनवरी की घटनाके कुछ ही पहले सावरकरसे उनका सम्पर्क हुआ था। इस बातका भी यथेष्ट सबूत है कि जो कुछ होने वाला था उसे न केवल वे अच्छी तरह जानते थे, पर उनके सहयोगके बिना यह काण्ड हो ही नहीं सकता था।

१० और २० जनवरीके बीच क्या हुआ

अब मैं बताऊँगा कि २० और ३० जनवरीके बीच हरएक अभियुक्तका हाल क्या था और प्रथम तीन अभियुक्तोंने मिलकर १० और २० जनवरीके बीच क्या किया।

पहले अभियुक्त नं० १ को लीजिये! १९३८ में हैदराबाद सत्याग्रह नामका एक आन्दोलन हुआ। यह हैदराबादमें वहाँकी आन्दोलन करनेवाली पार्टीकी सहायता कर जनताके लिए अधिकार पानेके हेतु किया गया था। ब्रिटिश भारतके भी बहुतसे लोग हैदराबाद जानेके लिए तैयार हुए। उसमें अभियुक्त नं १ ने भी भाग लिया। वह गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सजा हुई। छूट आनेके बाद वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघका काम करने लगा। यह संस्था उस समय सैनिक या उग्र राजनीतिक संस्था नहीं थी। इसके बाद इसने हिन्दू राष्ट्रदल नामकी एक संस्था खोली जिसका

राजनीतिक उद्देश्य वही था जो आर. एस एस. का था, पर जो अधिक उग्र और सैनिक ढंगकी थी। उद्देश्य यह था कि हिन्दूधर्म इतना शक्तिशाली बनाया जाय कि वह हिन्दूसमाजकी रक्षा कर सके। इसके लिए कसरत करना, क्लब खोलना आदि कार्यक्रम बनाये गये। इसके बाद अभियुक्त नं. १ और २ ने सोचा कि अपने कार्यका प्रचार करनेके लिए कुछ और करना चाहिये। उनका कोई अखबार नहीं था इसलिए मार्च १९४४ में 'अग्रणी' निकालनेका निश्चय किया गया। २५ मार्च १९४८ को पत्रका पहला अंक निकला। इसके आवश्यक खर्चके लिए सावरकरने १५०००) दिया। उस साल गान्धीजीने अपनी एक प्रार्थनासभामें कहा था कि भारतमें यदि अलग मुसलिम राज हुआ तो मैं उसका विरोध नहीं करूँगा। इसके बाद ऐसी ऐसी बातें होती गयीं कि दोनों सम्प्रदायोंके बीच कटुता बढ़ती गयी। केन्द्रमें अस्थायी सरकारके लिए एक योजना बनी। इसका बहुतसे राजनीतिक दलोंने और विशेषकर हिन्दू महासभाने विरोध किया। १९४६ में पूर्वी बङ्गालमें दङ्गे हुए। उस समय श्री सुहरावर्दी बङ्गालके प्रधान मंत्री थे। कहा गया कि दङ्गोंके लिए वे जिम्मेदार हैं। गान्धीजी नोआखाली गये। करकरे भी नोआखाली सम्भवतः इसलिए गया कि वहाँका हालतकी जाँच की जाय। गान्धीजीका उद्देश्य दोनों सम्प्रदायोंमें मेल कायम करना था। अभियुक्त नं. २ और ३ की तरह राय रखनेवाले इसे पसन्द नहीं करते थे। मैं खास तौरसे अभियुक्त शंकरकी बात करता हूँ। वह कोई कट्टर राजनीतिक विचारोंका आदमी नहीं है। पर अभियुक्त नं. ८ गान्धीजीकी नीतिके सम्बन्धमें कट्टर विचार रखता था।

इसके बाद पंजाबमें दङ्गे हुए, फिर भी कांग्रेसद्वारा शासित प्रान्तोंमें बदलेकी कोई काररवाई नहीं करने दी गयी।

१५ अगस्तको देश-विभाजन हुआ और उसके बाद पंजाबका हत्याकाण्ड। गान्धीजीने कह दिया कि बदलेकी काररवाईका हमेशा विरोध करूँगा। इसके बाद काश्मीरका मामला हुआ। कांग्रेस पार्टीने जनमत-गणनाका प्रस्ताव रखा। फिर हैदराबाद राज्यमें भी कुछ उपद्रव हुआ। अन्तमें गान्धीजीका अनशन हुआ। यह अनशन दोनों सम्प्रदायोंमें एकता स्थापित करनेके लिए और खासकर हिन्दुओंको मुसलमानोंके विरुद्ध कार्य करनेसे रोकनेके लिए था। मैंने ये सब बातें अभियुक्त नं० १ को ध्यानमें रखकर कही हैं, क्योंकि इसके अखबारमें इसीके सम्बन्धमें लेख रहा करते थे और गाली-गलौज भी रहा करती थी।

अभियुक्त नं. २ बहुत विद्वान है और अहमदनगरमें ६-७ सालतक अध्यापक था। १९४२ में अहमदनगरमें राष्ट्रीय दलका प्रारम्भ कर उसने अभियुक्त नं. १ का साथ देना शुरू किया। वह करकरेको पहचानता था जिसके अहमदनगरमें कई

होटल थे। १९४३ में कुछ महीने वह सेनामें रहा। १९४४ में दोनोंने मिलकर 'अग्रणी' निकाला। इसके बाद शस्त्रास्त्र एकत्र करनेके अतिरिक्त अखबारका काम छोड़कर वह और कोई दूसरा काम नहीं करता था। १९४७ में एक बमविस्फोटके सम्बन्धमें वह गिरफ्तार कर लिया गया था, पर बादमें रिहा भी हो गया।

अभियुक्त नं० ३ करकरे आर. एस. एस. का सदस्य था। १९३८-३९ में वह हैदराबाद सत्याग्रहमें शामिल हुआ और १९४१ में हिन्दू महासभाका सदस्य बना। राष्ट्रीय दलके सम्बन्धमें उसका अभियुक्त नं० १ और २ से सम्पर्क हुआ और उसने असेम्बलीके चुनावोंमें श्री जमनादास मेहताके पक्षमें काम किया। नवम्बर १९४६ में वह नोआखाली गया और अभियुक्त नं० १ और २ से उसकी घनिष्ठता बढ़ी। जनवरी १९४८ के लगभग उसने शस्त्रास्त्र आदि एकत्र करना शुरू किया और पहले दोनों अभियुक्तोंके साथ षडयन्त्रमें शामिल हो गया। इसका मतलब यह नहीं लगाना चाहिये कि षडयन्त्र पहले दो अभियुक्तोंने रचा और करकरे उसमें शामिल हो गया। तीनों षडयन्त्रमें पहलेसे ही थे और यह दिसम्बर या शुरू जनवरीमें रचा गया।

शरणार्थी मदनलाल कैसे फँसा

नवम्बर १९४७ में अहमदनगरमें चौथे अभियुक्त मदनलालसे उससे भेंट हुई। एक छोटीसी दूकान खोलनेमें इसने मदनलालकी मदद की। अभियुक्त नं. ३ की राजनीतिक काररवाइयाँ ऐसी थीं कि शीघ्र ही अभियुक्त नं. ४ अपना पूरा समय अभियुक्त नं. ३ की सहायता करनेमें ही देने लगा। करकरे अहमदनगरमें नेता था और शरणार्थियोंमे काम करता था। इसी काममें मदनलालसे उसका परिचय हुआ।

नवम्बर १९४७ के आसपास मदनलाल बम्बई आया। बम्बईमें उसकी माटुंगाके एक कालेजके कोई प्रोफेसर जैनसे मुलाकात हुई जिन्होंने अपने पुस्तक-प्रकाशनके काममें इसे सहायता करनेको कहा। वह कुछ समय बम्बईमें जैनकी किताबें बेचता रहा और फिर अहमदनगर वापस लौटा। दिसम्बरमें वह फिर प्रोफेसर जैनसे मिला। शुरू जनवरीमें पहले दो अभियुक्तोंसे अहमदनगरमें उसकी मुलाकात हुई। अहमदनगरमें इन लोगोंके विरुद्ध राय रखनेवालोंकी एक सार्वजनिक सभा ५ जनवरीको हुई थी जिसमें इसने प्लेटफर्मपर चढ़कर जबरदस्ती भाषण करना चाहा जिससे सभा भङ्ग कर देनी पड़ी। १० जनवरीको वह बम्बई आया और १२ को प्रोफेसर जैनसे मिला। उसने प्रोफेसर जैनसे इस बातका भी कुछ जिक्र किया कि वह दिल्ली किस मकसदसे जा रहा है। जैनने उसको ऐसा न करनेके लिए

समझाया-बुझाया पर इसका कुछ असर नहीं हुआ और इसके बाद मदनलाल दिल्लीके लिए रवाना हो गया। जैनकी गवाही अदालतमें ली जायगी।

अभियुक्त नं० ७ एक डाक्टर है। वह कुछ वर्षोंसे ग्वालियरमें रहता है। हिन्दू सभासे उसका सम्बन्ध है। वह सार्वजनिक कार्यकर्ता था और इसी नाते गोडसेसे उसका परिचय था। जब गोडसे और आपटे उसके पास गये और हत्या करनेके लिए हथियार देनेको कहा तो उसने एक हथियार प्राप्त कर लिया और इन्हें दिया, यद्यपि अपने पासका हथियार उसने नहीं दिया। गोडसे जब ग्वालियर गया तो उसके पास एक पिस्तौल थी। वह खराब मालूम हुई इसलिए उसे नयी पिस्तौलका इन्तजाम करना पड़ा।

अब मैं श्री सावरकरके बारेमें कुछ कहता हूँ। वे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और हिन्दू महासभाके अध्यक्ष रहे हैं। राजनीतिक नेता होनेके कारण समय समयपर वे जो वक्तव्य देते थे उनको कुछ लोग स्वीकार करनेकी दृष्टिसे और बहुतसे लोग उत्सुकता-वश पढ़ते रहे। हिन्दू राष्ट्रीय दलकी स्थापनामें उनका आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी पुस्तकोंको, जो बहुतसी हैं और कड़ी विचारधाराकी हैं, बहुतसे उनके समर्थक मार्ग-दर्शनके ख्यालसे पढ़ते हैं। बहुतसी पुस्तकोंका पहले तीन अभियुक्तोंने बहुत प्रचार किया। जब जब सावरकर बम्बईके बाहर जाते तो गोडसे या आपटे उनके साथ जाते या साथ रहते। आखिरी बार १४ जनवरीको गोडसे और आपटे सावरकरके यहाँ गये। इसके ४ दिन बाद अभियुक्त बम्बईसे रवाना हुए यह बहुत महत्त्वकी बात है। दिसम्बर १९४४ आखीरमें या शुरू जनवरीमें षडयन्त्रकी पूरी रचना हुई।

अभियुक्त नं. ३ और ४, ९ तारीखको पूना गये और मदनलालका परिचय गोडसे-आपटेसे कराया गया। फिर करकरे-मदनलालको बडगेकी दूकान दिखायी गयी। बडगेका नौकर शंकर वहाँ था। इन लोगोंने कुछ हथगोले देखे, गनकाटनके टुकड़े भी देखे। १० जनवरीको करकरे और मदनलाल बम्बई आये और उसी दिन वे सावरकरके यहाँ गये। १० तारीखको वे प्रोफेसर जैनके यहाँ भी गये।

नथूरामने अपने बीमोंका उत्तराधिकार कर दिया

१३ तारीखको जो कुछ हुआ उसमेंसे केवल यही एक बात बतलाना काफी है कि नथूरामने आपटेकी पत्नीके नाम अपने २००० के बीमेका उत्तराधिकार कर दिया। यह आपटेकी जानकारीमें हुआ। १४ तारीखको गोडसे और आपटे बम्बई आये और दादरमें सावरकरके घर गये। वे बम्बईमें एक होटलमें ठहरे, रातमें ठाणामें जोशी नामके एक मित्रके यहाँ ठहरे। १४ को बडगे और शंकर भी बम्बईमें थे।

वडगेके पास कुछ विस्फोटक थे। एक थैलेमें ५ हथगोले और गनकाटनके दो टुकड़े रखे गये थे और थैला रख दिया गया ताकि बादमें उसे ले जाया जाय। उस दिन अभियुक्त नं० १ नथूराम गोडसेने अपने नामके ३००० के बीमेका उत्तराधिकार अपने भाई गोपाल गोडसेकी पत्नीके नाम किया। यह भी आपटेकी जानकारीमें किया गया। उसी दिन अभियुक्त नं. ६ गोपाल गोडसेने जो मोटर ट्रांसपोर्ट डीपोमें सिविलियन स्टोर कीपरका काम करता था, ७ दिनकी छुट्टीके लिए दरखास्त दी और १७ से २३ जनवरीतक उसकी छुट्टी मंजूर हो गयी। १५ को पहले चारो अभियुक्त उस जगह गये जहाँ हथगोलेका थैला रखा था। जब थैला खोला गया तब क्या हुआ इसका सबूत अदालतके सामने हैं। उस दिन वे जगह जगह घूमते रहे।

गोड़से-आपटेकी दिल्लीकी हवाई यात्रा

अभियुक्त नं. ४ किसी श्रीमती मोडकके यहाँ गया और उनसे कहा कि मैं कई मित्रोंके साथ दिल्ली जा रहा हूँ और आप शीघ्र ही कोई बड़ा समाचार सुनियेगा। उस दिन करकरे और मदनलाल पेशावर एक्सप्रेससे दिल्लीके लिए रवाना हो गये। १५ तारीखको दो दिन बाद १७ को बम्बईसे दिल्ली जानेवाले हवाई जहाजके दो टिकट खरीदे गये। ये टिकट करमरकर और एस० मराठे इन बनावटी नामोंसे निकाले गये पर ये वास्तवमें नथूराम और आपटेके लिए थे। वे विभिन्न समयोंमें विभिन्न नाम रखकर काम करते थे।

अभियुक्त नं. १ और २ बम्बईसे चलकर दोपहरमें दिल्ली पहुँचे। १८ को वडगे और शंकर भी दिल्लीके लिए रवाना हुए। अभियुक्त नं. ३ और ४, १७ को दिल्ली पहुँचे। वे एक होटलमें ठहरे। मदनलालने अपना असली नाम लिखाया। अभियुक्त नं. ३ ने अपना नाम व्यास बताया। अभियुक्त नं. १ और २ भी दोपहरको दिल्ली पहुँचकर एक होटलमें ठहरे और अपना नाम देशपाण्डे बताया। १८ को पहले चारो अभियुक्त दिल्लीमें थे। १९ को वडगे और शंकर भी पहुँचे। रातको गोपाल भी दिल्ली पहुँचा। २० को आपटे, वडगे और शंकर सबेरे बिड़लाभवन गये। आपटेने वडगे और शंकरको जगह दिखायी और खासकर वह जगह दिखायी जहाँ गान्धीजी बैठा करते थे।

उस समय उनके पास २ बन्दूकें, ५ हथगोले और गनकाटनके दो बड़े टुकड़े (स्लैब), विस्फोटक बत्ती और तार आदि थे। २० जनवरीको दोपहरके बाद ये शस्त्रास्त्र सब लोगोंको बाँटे गये। शंकरको एक हथगोला दिया गया। मदनलालको एक बन्दूक और गनकाटनका एक टुकड़ा मिला। एक हथगोला और एक बन्दूक वडगेके पास रही। १-१ हथगोला गोडसे और करकरेने लिया।

२० जनवरीको ही हत्याकी योजना

योजना यह थी कि एक निश्चित संकेतपर गनकाटनका विस्फोट कराया जाय और इससे लोगोंमें जो तहलका मचे उसका लाभ उठाकर और हथगोले फेंके जायँ तथा पिस्तौलसे गान्धीजीकी हत्या की जाय। योजनाके अनुसार विस्फोट तो हुआ, पर किसी कारणवश भीड़में घबराहट नहीं हुई और योजनाका अगला भाग कार्यान्वित नहीं किया जा सका। इस समय सब अभियुक्त बिड़लाभवन गये थे इसे मैं साबित करूँगा। निश्चित समयपर मदनलालने गनकाटनका विस्फोट कराया। लोगोंने उसे देखा और वह पकड़ लिया गया।

बम्बईसे दिल्लीकी दूसरी हवाई यात्रा

२० को हुई इस घटनाके बाद उसी रातको बडगे और शंकर दिल्लीसे रवाना हो गये और जानेके पहले हिन्दू महासभा भवनके पीछे जमीनमें थैला, गनकाटनका एक टुकड़ा और कुछ कारतूस गाड़ दिये। बादमें पुलिसद्वारा यह निकाला गया। अभियुक्त नं. १ और २ ने भी दिल्ली छोड़ी पर वे दूसरे रास्तेसे गये। वे पहले कानपुर गये और फिर कल्याण और ठाणा और वहाँसे बम्बई गये। करकरे दूसरे दिन मथुरा होकर बम्बईके लिए रवाना हुआ। बम्बईमें वे सब ठाणामें अपने एक मित्रके यहाँ मिले। फिर २७ तारीखको अभियुक्त नं. १ और २ हवाई जहाजसे दिल्लीके लिए रवाना हुए और दोपहरको वहाँ पहुँचे। उसी दिन वे ग्वालियर गये और रातको वहाँ पहुँचे। वे डाक्टर परचुरेके यहाँ गये और २८ को पिस्तौल प्राप्त करनेका काम हुआ। २८ को वे दिल्लीके लिए रवाना हुए और दूसरे दिन दिल्ली पहुँचे। इस बीच अभियुक्त नं. ३ भी २८ तारीखको दिल्ली पहुँचा। उन्होंने पिस्तौल चलाकर देखी और इतमीनान कर लिया कि वह ठीक है।

३० तारीखको वे सब एक साथ प्रार्थनासभामें गये। वहाँ जो कुछ हुआ, बहुत थोड़ेमें बताया जा सकता है। गान्धीजी अपने कमरेसे पैदल प्रार्थना-मैदानकी तरफ आये। उनके वहाँ पहुंचनेपर अभियुक्त नं. १ उनके पास गया और 'नमस्ते गान्धीजी' कहकर उसने १॥–२ फुट दूरीसे अपनी पिस्तौलसे गान्धीजीपर गोलियाँ चलायीं। पिस्तौलमें ७ गोलियाँ थीं जिनमेंसे ३ चलायी गयीं। दो गोलियाँ शरीरके पार निकल गयीं। दोनों गोलियां और तीन खाली खोल बादमें पाये गये। बिड़लाभवनके एक नौकरने अभियुक्तको घायल किया और वह पकड़ लिया गया। उसकी चोटका इलाज भी किया गया। अभियुक्त नं. २ और ३ वहाँसे भागे और दिल्लीसे चलकर २ फरवरीको बम्बई पहुँचे। इस बार वे एक दूसरे होटलमें ठहरे। वे ठाणा

गये और उस आदमीको देखा जिसके यहाँ वे ठहरे थे। वे वहाँसे चले गये, पर फिर लौट आये। अभियुक्त नं. २, १४ फरवरीको पकड़ा गया। बादमें उसी दिन अभियुक्त नं. ३ भी पकड़ लिया गया। ६ फरवरीको बम्बईमें शंकर पकड़ा गया। ५ फरवरीको पूनेमें गोपाल भी पकड़ा गया। ६ फरवरीको जनसुरक्षा कानूनके अनुसार सावरकर भी नजरबन्द कर लिये गये। ७ फरवरीको परचुरे नजरबन्द किये गये। सावरकर और परचुरे मुख्यतः चन्दा एकत्र करनेके लिए जगह जगह घूमते रहे।

इसके बाद श्री दफ्तरीने दाखिल किये गये कुछ कागज-पत्रोंकी ओर अदालतका ध्यान दिलाया। अप्रैल १९४७ और जनवरी १९४८ के बीच 'अग्रणी' में छपे लेखोंकी ओर उन्होंने जजका ध्यान दिलाया। लेखोंको पढ़ सुनाकर उन्होंने बताया कि अभियुक्त उस समय गान्धीजीकी नीतिके कितने विरोधी थे।

श्री दफ्तरीका भाषण २ घण्टे १० मिनटतक होता रहा। वे धीरे-धीरे बोलते थे, पर खास जगहोंपर जोर देकर भाषण करते थे। उन्होंने कहा कि २४ जूनको १० बजे दिनमें अदालत बिड़लाभवन चलकर दुर्घटनाके स्थलका मुआइना करे।

अदालतने बिड़लाभवन जाना स्वीकार किया और अभियुक्तोंसे भी पूछा कि क्या वे भी जाना चाहेंगे। नथूरामने कहा कि मेरी कोई खास इच्छा नहीं है। आपटे, करकरे, गोपाल गोडसे और मदनलाल इन चार अभियुक्तोंने और उनके वकीलोंने कहा कि हम भी उसी समय चलेंगे। इसपर श्री दफ्तरीने अपने साथ अभियुक्तोंको ले जानेपर आपत्ति की। उन्होंने कहा कि अभियुक्त बादमें भी जा सकते हैं। मैं इनको दुर्घटनाके स्थलका नकशा भी दूँगा। अदालतने उनकी आपत्ति नहीं मानी और जरूरी कड़ा पुलिस बन्दोबस्त करनेके लिए कहा ताकि अभियुक्त वहाँ ले जाये जा सकें। जजने दर्शकों और पत्रकारोंको वहाँ जानेकी मनाही कर दी।

इसके बाद अदालत २४ जूनको दिनमें २ बजेके लिए उठ गयी।

सबूत पक्षके गवाहोंके बयान

३ फरार अभियुक्तोंकी खोज जारी

२४ जूनको दिनमें २ बजे अदालत फिर बैठी। सबकी सम्मतिसे यह तय हुआ कि गवाहोंका बयान जज खुद जहाँतक हो सके केवल अंग्रेजीमें लिख लेंगे। आज सबूतके गवाहोंके बयान शुरू हुए। सबसे पहले ग्वालियर राज्यके एक हेड कान्स्टेबल ईश्वरदत्त मूलचन्दका बयान हुआ। वह अंग्रेजी समझता था, पर हिन्दीमें ही उत्तर देते हुए उसने कहा कि मैं ३० सालका ब्राह्मण हूँ। मैट्रिक पास हूँ। ९ सालसे ग्वालियरकी पुलिसमें और ५ सालसे खुफिया विभागमें काम कर रहा हूँ। मंडलीक नामक इन्स्पेक्टरके नीचे काम करता हूँ।

सरकारी वकील श्री दफ्तरीने यह बतानेके लिए कि इस मामलेमें तीन अभियुक्त गंगाधर दण्डवते, गंगाधर जाधव और सूर्यदेव शर्मा अभीतक फरार हैं, गवाहसे पूछा गया कि क्या तुम इन तीनोंको जानते हो? गवाहने कहा कि, हाँ, फरवरी १९४८ तक वे ग्वालियरमें थे, पर तबसे ग्वालियरमें नहीं हैं।

श्री दफ्तरी—ग्वालियरके इन तीनोंके पते दे सकते हो?

गवाहने पते दिये और कहा कि वे अब वहाँ नहीं हैं, ३ फरवरीके बादसे वे लापता हैं।

श्री दफ्तरी—३ फरवरीको क्यों तलाशी ली गयी?

गवाह—२ फरवरीको ग्वालियर रक्षा आदेशके अनुसार उनकी खोज की गयी। मैंने खुद तलाशी ली, पर उनका पता नहीं लगा।

गवाहने कहा कि इन तीनोंको दिल्ली, पूना और बम्बईकी पुलिस भी तलाश कर रही है। तीनोंकी खोजमें दिल्ली, पूना और बम्बईके पुलिस अफसर भी ग्वालियर आते-जाते हैं।

श्री दफ्तरी—इनकी खोजमें तुम कभी ग्वालियरके बाहर भी गये थे?

गवाह—इस सम्बन्धमें मैं दतिया गया था। दतियाकी पुलिस भी फरारोंकी खोज कर रही है।

श्री दफ्तरी—क्या खोज अब भी जारी है?

गवाह—हाँ।

श्री दफ्तरी—क्या उनकी गिरफ्तारीकी कोई आशा है?

गवाह—शायद जल्दी गिरफ्तारी होनेकी कोई आशा नहीं है।

श्री दफ्तरी—जबसे ग्वालियरमें इनकी खोज हो रही है क्या तुम जानते हो कि गान्धी-हत्याकाण्डके मामलेमें इनकी जरूरत है?

गवाह—जबसे दिल्लीकी पुलिस ग्वालियर गयी, तबसे हम जानते हैं कि गान्धी-हत्याकाण्डमें भी इनकी जरूरत है। फरवरीसे ही इनकी खोज हो रही है।

इसके बाद श्री दफ्तरीने कहा कि इस गवाहका काम खतम हो गया।

सफाईके वकील श्री डांगेने जिरह करते हुए पूछा—क्या ग्वालियरकी पुलिसने तुमको इन लोगोंकी तलाश केवल ग्वालियर राज्यमें, ब्रिटिश भारतमें नहीं, करनेका आदेश दिया था?

जजने रोककर कहा कि मैं इस सवालका मतलब ही नहीं समझता, क्योंकि सबूत पक्षने गवाहको केवल यह बतानेके लिए पेश किया था कि तीन आदमी फरार हैं।

डाक्टर परचुरेके वकील श्री इनामदारने जिरहमें पूछा—क्या तुम डाक्टर परचुरेको जानते हो?

गवाह—हाँ, पिछले ५-६ सालसे जानता हूँ। परचुरे ग्वालियरमें डाक्टरी करते थे और मैं पिछले ६-७ सालसे उन्हें देख रहा हूँ। मैं यह नहीं जानता कि ग्वालियरमें डाक्टर परचुरेकी कोई सम्पत्ति है या नहीं। यह भी नहीं जानता कि फरार आदमियोंकी ग्वालियरमें जमीनें हैं या नहीं। ग्वालियर राज्य गजटमें तीनोंके फरार होनेके बारेमें कोई सूचना छपी थी या नहीं यह भी नहीं जानता। इनामदारने इजलासमें ग्वालियर गजटकी कतरनें पेश कीं जिनसे प्रकट होता था कि ग्वालियर सरकारने तीनों फरारोंके नाम प्रकाशित नहीं किये हैं।

जलपानके बाद मदनलालके वकील श्री बनर्जीने अदालतमें एक दरखास्त दी कि सबूतकी ओरसे षडयन्त्र और हत्या दोनों अभियोग लगाये गये हैं इसलिए पहले उन्हें षडयन्त्रका अभियोग साबित करना चाहिये और फिर हत्याका। सबूतको घटनाओंके तारीखवार सिलसिलेमें और १९४४ से शुरू कर अपने गवाह पेश करने चाहिये।

अदालतने यह दलील नहीं मानी और कहा कि सबूतकी ओरसे कोई भी गवाह चाहे जब पेश किया जा सकता है। यदि वे मुझे इस बातका इतमीनान न करा सकेंगे कि कोई षडयन्त्र रचा गया था तो मैं गवाहोंको रोक दूँगा।

श्री बनर्जीने इसे मान लिया, पर कहा कि मुझे यह अधिकार रहे कि सबूतकी ओरसे षडयन्त्र साबित करनेके लिए पेश किये गये सब गवाहोंके बयान हो जायेंगे उसके बाद भी मैं किसी भी गवाहसे जिरह कर सकूँ।

अदालतने कहा कि गवाह कानूनकी दफा १० के अनुसार बयान, जिरह और सबूतकी ओरसे फिर बयान यही क्रम रहता है।

श्री बनर्जी अपनी बातको साबित करनेके लिए कोई कानून नहीं दिखा सके।

नाम बदलकर होटलमें ठहरे

इसके बाद दूसरा गवाह फतेहपुरी, दिल्लीके शरीफ हिन्दू होटलका जनरल मैनेजर रामलाल दत्त (पिताका नाम गोकुलचन्द मेहता, उम्र ५५ साल) पेश किया गया। उसने कहा कि १७ जनवरीको ३ आदमी होटलमें आये और १९ जनवरीतक कमरा नं० २ में ठहरे। मदनलालने अंग्रेजीमें रजिस्टरकी खानापूरी की। तीनोंने अपने नाम रजिस्टरमें वी. एम. व्यास, मदनलाल और अमचेकर (३३) लिखवाये। गवाहने अदालतके आदेशसे कठघरेमें जाकर मदनलाल और करकरेको पहचाना और कहा कि इन्होंने ही अपना-अपना नाम मदनलाल और व्यास लिखवाया था। बादमें शान्ताराम आत्माराम अमचेकर नामके एक आदमीको सरकारी वकील अदालतमें ले आये और गवाहने कहा कि यही वह तीसरा आदमी है जो होटलमें ठहरा था। जब ये लोग होटलमें ठहरे थे तो एक आदमी आया और उसने पूछा कि मदनलाल किस कमरेमें ठहरा है। मैंने अपने नौकरको उसे कमरा नं० २ में ले जानेको कहा। कठघरेमें जाकर गोपाल गोडसेको दिखाकर गवाहने कहा कि यही वह आदमी है जिसने आकर मदनलालके बारेमें पूछा था। ऐसा करते समय अदालतने गवाहकी आँखसे ऐनक उतार देनेको कहा ताकि वह अपनी असली आँखोंसे अभियुक्तको पहचाने।

गवाहने कहा कि तीनों आदमियोंने कहा था कि १९ तारीखको दिनमें २ बजे हम जायँगे, पर वे गये नहीं। मदनलालने कहा कि हम बादमें जायँगे और जो कुछ अतिरिक्त चार्ज होगा उसे दे देंगे।

जजद्वारा दुर्घटना-स्थलका मुआइना

इसके बाद अदालत २५ जूनको १० बजेके लिए उठ गयी। आज अदालत बैठनेके पहले स्पेशल जज श्री आत्माचरण, श्री दफ्तरी और श्री भोपटकरके साथ दिनमें १० बजे बिड़लाभवन गये थे। आपटे, करकरे, मदनलाल और गोपाल गोडसे भी पुलिसके कड़े पहरेमें ले जाये गये थे। जजने प्रार्थनास्थलके चारों तरफका हाता देखा, वह स्थान भी देखा जहाँ हत्या हुई थी। सबूतकी ओरसे दुर्घटना-स्थलका जो नकशा दिया गया था उससे मिलाकर जजने सब जगहें देखीं। गान्धीजीने अपने जीवनके आखिरी ५ महीने जिस कमरेमें बिताये उसे भी जजने

देखा। सब लोग हत्या-स्थानपर भी गये जहाँ गान्धीजीके खूनकी आखिरी बूँदें गिरी थीं और जहाँ अब सीमेण्टका चबूतरा बनाया गया है। चबूतरेपर 'हाय राम', ५-१७ समय और ३० जनवरी १९४८ तारीख लिखी है। गोली लगनेपर गान्धी-जीके मुँहसे 'हाय राम' के शब्द निकले थे।

करकरे और शंकरकी ओरसे जो मराठी और तेलगू दुभाषियेका काम कर रहे हैं उन्होंने आज अदालत में शपथ ली कि वे अदालतके प्रति वफादार रहेंगे। इन दुभाषियोंको अदालतने ही नियुक्त किया है। अदालतमें दुभाषियोंको बैठनेको सीट नहीं दी गयी। अतः वे खड़े ही रहे। आज भीड़ कम थी।

२५ जूनको अदालतका काम शुरू होनेपर परचुरेके वकील श्री इनामदारने एक दरखास्त दी जिसपर जजने कहा कि आप षडयन्त्रके अभियोगका और विवरण चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि सूर्यप्रकाशकी तरह साफ साफ अभियोग लगा दिये गये हैं, अब और स्पष्टीकरण मैं नहीं करूँगा। श्री इमानदारने कहा कि सरकारी वकीलने अपने बयानमें ग्वालियरका जिक्र किया और यह भी कहा कि २७ और २८ जनवरीको परचुरेने षडयन्त्रमें भाग लिया, पर अदालतने जो फर्द-जुर्म लगाया उसमें ग्वालियरका जिक्र नहीं है। इससे मेरे मुअक्किलका नुक्सान हो सकता है। अदालतने कहा कि अभियोग साफ साफ है और अब मैं उनमें कोई सुधार नहीं कर सकता।

इसके बाद रामलाल दत्तकी गवाहीका काम फिर शुरू हुआ।

श्री दफ्तरी—आपके होटलमें कितने नौकर हैं?

गवाह—उस समय ७ नौकर थे।

दफ्तरी—किसी अभियुक्तने धोनेके लिए कपड़े दिये थे इसके बारेमें आप कुछ जानते हैं?

गवाह—बी. एम. व्यास नाम बतानेवाले आदमीने मुझसे कहा था कि कपड़े धुलवानेका इन्तजाम करा दें। मैंने रामसिंह नौकरसे यह काम करनेके लिए कह दिया।

दफ्तरी—इन तीनों आदमियोंको आपने अपने होटलमें ठहरनेके बाद और भी कहीं देखा?

गवाह—हाँ, तीनोंको बम्बईमें देखा था।

अदालत—क्या आपने होटलमें देखा था?

गवाह—हाँ, पहले होटलमें और बादमें बम्बईमें एक मजिस्ट्रेटके सामने। मुझे दिल्लीकी पुलिस अभियुक्तोंकी शिनाख्तके लिए बम्बई ले गयी थी। शिनाख्त वहींके एक मजिस्ट्रेटके सामने हुई थी और मैंने इन्हीं तीन आदमियोंको पहचाना था।

दफ्तरी--क्या आपको याद है कि दिल्लीकी पुलिसने आपको शिनाख्तके लिए बुलाया था ?

गवाह--हाँ, मुझे २५ जनवरीके करीब दिल्लीकी पुलिसने बुलाया था, पर मैं बीमार था इसलिए नहीं जा सका।

दफ्तरी--आपके होटलसे शिनाख्तके लिए और किसीको भी बुलाया था ?

गवाह--हाँ, शान्तिप्रकाशको।

अदालत--हम इस प्रश्नका मतलब नहीं समझे। जब शान्तिप्रकाश आयेंगे तब आपको वे यह बात बतायेंगे।

दफ्तरी--अच्छी बात है, हुजूर (सर)।

दफ्तरीने इसके बाद कहा कि इस गवाहसे मेरा काम खतम हुआ।

करकरेके वकील श्री डांगेने जिरह करते हुए पूछा—कितने दिनोंसे आप इस होटलके काममें हैं ?

गवाह—पिछले ७-८ महीनेसे। यहाँ आनेके पहले मैं पाकिस्तानमें रुईकी एक फैक्टरीमें मैनेजर था।

डांगे—होटल खूब चलता है, हमने सुना है।

गवाह—हाँ, उसकी उन्नति होती जा रही है।

डांगे—रोज बहुतसे लोग आते और जाते होंगे। क्या आप याद करके बता सकते हैं कि रोजाना कितने लोग आपके होटलमें आते हैं ?

अदालतने बीचमें ही रोककर कहा कि गवाहने कल होटलका रजिस्टर देखकर बयान दिया था।

डांगे—मैं उसका स्मरण करके जवाब देनेके लिए कह रहा हूँ।

—याद करके क्या यह भी बता सकेंगे कि कौन लोग आपके होटलमें उतरनेवालोंसे मिलनेके लिए आते हैं ? क्या आप उन्हें पहचानगे ?

गवाह—यदि कोई हमारे होटलमें ठहरता है तो हम उसे पहचान लेंगे। कोई मिलने आता है, उसे भी पहचान लेंगे।

डांगे—मैं उन मिलनेवालोंके बारेमें पूछ रहा हूँ जो आपके यहाँ ठहरते नहीं।

गवाह—पर यदि कोई किसीसे मिलने आता है तो मैं उसे रुकनेको कहता हूँ और फिर अपने नौकरसे मुलाकात करानेके लिए कहता हूँ।

डांगे—श्री रामलाल, कृपाकर जो पूछता हूँ उसीका उत्तर दें। आप अपने होटलमें कितने घण्टे रहते हैं ?

गवाह—मैं अपने होटलका मालिक हूँ इसलिए·······

डांगे—मेरे सवालका सीधा जवाब दीजिये।

गवाह—सवेरेसे शामतक।

डांगे—आपने कहा कि ये और मदनलाल आपके होटलमें आये। आपने कभी इनसे बातें भी की थीं?

गवाह—व्याससे मुझसे दो-तीन बार बातचीत हुई।

डांगे—क्या इस आदमीने आपसे कहा कि मेरा नाम व्यास है?

गवाह—इसने यह कभी नहीं कहा कि मेरा नाम व्यास है, पर इसने रजिस्टर-में हस्ताक्षर करते हुए लिखा—वी. एम. व्यास। दस्तखत करते समय उसने मुझसे कहा कि मेरा नाम वी. एम. व्यास है।

डांगे—क्या आपको याद है कि कल आपने कहा था कि रजिस्टरपर मदन-लालने खानापूरी की थी?

अदालत—नहीं, आपने ठीक समझा नहीं। गवाहने कल कहा था कि नाम पहले हिन्दीमें लिखा गया, पर जब गवाहने उसे अंग्रेजीमें लिखनेको कहा तब मदनलाल आगे आया और अपने दोस्तके लिए दस्तखत की।

डांगे—क्या आपने कभी उसे व्यास कहकर पुकारा था?

गवाह—मैं उसे 'बाबूजी' या 'लालाजी' कहा करता था।

डांगे - जब कभी रजिस्टरपर कुछ काटा जाता है या बदला जाता है तो आप उसपर अपना दस्तखत करते हैं?

डांगेने अदालतको बताया कि नं० ४७ काटकर नं० ४८ बनाया गया, पर कोई दस्तखत नहीं की गयी।

अदालत—आपकी बात समझमें नहीं आयी। यदि आप अपने दोस्तको कोई चिट्ठी लिखते हैं और उसमें बीचमें काटकर ठीक करते हैं तो क्या हर बार कोई दस्तखत करते हैं?

गवाहने कहा कि मेरे साझीदारने काटकूट की है।

डांगे—क्या आप बता सकते हैं कि पिछले पेजपर मजमून लिखी जगहपर बहुतसी सादी जगह क्यों छोड़ दी गयी है?

गवाह—मैं इसे बादमें बताऊँगा।

अदालत—आप गवाहको बहुत बुद्धिमान मानते हैं क्या?

डांगे—जी, हाँ।

गवाह—१७ जनवरीको तीनों आनेवालोंके नाम पहले पेजपर एकके बाद नहीं लिखे जा सके इसलिए अगले पेजपर भी लिखा गया और पिछले पेजपर कुछ जगह छोड़ दी गयी।

डांगे—व्यास होटलमें आया तब क्या पहने था?

गव ह——धोती और ढीली बाँहका कुर्ता ।

गवाहने कहा कि दिल्लीमें पुलिसने मेरा बयान किस दिन लिया यह मुझे याद नहीं । शायद २३ या २४ जनवरीको लिया । कुछ पुलिस कान्स्टेबलों और २१ अन्य गवाहोंके साथ मैं रेलपर शिनाख्तके लिए बम्बई ले जाया गया । बम्बईमें मुझे उसी कमरेमें ठहरना पड़ा जिसमें पुलिसवाले भी ठहरे थे । ४-५ दिन मैं बम्बईमें था । दिल्लीकी पुलिस मेरे साथ शिनाख्तके लिए कचहरी गयी थी इसलिए बम्बईकी पुलिससे मेरा कोई वास्ता नहीं पड़ा ।

डांगेने करकरे (व्यास)को खड़ा रहनेके लिए कहा और गवाहसे पूछा——यह आपके होटलमें आया था तो यही कमीज और जाकिट पहने था ?

गवाह——मुझे याद नहीं ।

डांगेकी जिरहके बाद मदनलालके वकील श्री बनर्जीने जिरह की । उन्होंने पूछा —आपने कबसे कारबार शुरू किया ।

गवाह——शरीफ होटल पहले मुसलमानका था । मैंने ११ नवम्बर १९४७ को दिवालीके दिन इसे शुरू किया । मदनलाल जब ठहरा था तब उसका या किसी लड़कीका मामा होटलमें उससे मिलने नहीं आया था ।

अदालत——क्या आप मान लेते हैं कि यही वह मदनलाल है जो होटलमें ठहरा था ?

बनर्जी——जी हाँ ।

——मदनलाल, जब होटलमें ठहरा था तब उससे मिलने कोई आया था ?

गवाह — मैंने किसीको नहीं देखा ।

बनर्जी —कमरा नं० ३ में ठहरे लोगोंसे मिलने कोई आया था ?

गवाह——मुझे याद नहीं ।

बनर्जी——१७ और १९ जनवरीके बीच कमरा नं० ४ में ठहरे लोगोंसे मिलने कोई आया था ?

गवाहने कहा कि केवल दिमागसे याद कर मैं नहीं कह सकता ।

गवाहने यह भी कहा कि मदनलालने मुझसे कहा था कि मैं भी पाकिस्तानसे आया हूँ । यह नहीं कहा कि मैं अपनी शादीके सिलसिलेमें आया हूँ । यह नहीं जानता कि वह शादीके लिए कोई लड़की देखने सब्जी-मण्डी गया था । रजिस्टर हर दूसरे-तीसरे पुलिस देख जाती है । २४ जनवरीको पुलिसने रजिस्टर देखा था ।

बनर्जीके जिरह करनेके बाद गोपाल गोडसेने उठकर अदालतसे कहा कि गवाहसे सवाल पूछनेके पहले मैं अपने वकीलसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ ।

मणियारको अपने मुअक्किलसे करीब एक मिनट बात करनेकी अनुमति अदालतने दी।

मणियारने पूछा कि मदनलाल जब होटलमें ठहरा था तब गोपाल गोडसे उससे मिलने आया था यह बात आपने पुलिसमें दिये गये बयानमें कही है?

गवाहने कहा कि मैं उसे पहचान सकता हूँ।

श्री मणियार—क्या पुलिसने अपनी रिपोर्टमें यह भी लिख लिया था?

अदालत—इसे वह कैसे बता सकता है। यह कोई जरूरी नहीं कि पुलिस अक्षर अक्षर बयान लिख ले।

श्री मणियार—गोपाल गोडसे मदनलालसे मिलने कब आया था?

गवाह—दोपहरके लगभग यह आया था। उसके आनेके बाद १९ तारीखको मदनलालने मुझसे कहा कि मैं २ बजेके बाद भी होटलमें ठहरूँगा।

श्री मणियार—क्या उस समय आपके पास कोई बैठा था?

गवाह—जब गोपाल गोडसे होटलमें आया तब मेरा साझीदार मेरे पास था।

श्री मणियार—मैं कहता हूँ गोपाल गोडसेके आपके होटलमें आनेकी बात झूठी है और बनावटी है।

गवाह—गोपाल गोडसे व्यास और मदनलालसे मिलने नहीं आया यह बात ठीक नहीं है।

श्री मणियारने अदालतसे कहा कि बस मुझे और कुछ नहीं पूछना है।

श्री दफ्तरीने गवाहसे फिर सवाल पूछा कि क्या जो पुलिसवाले अफसर आपका रजिस्टर देखने होटलमें आते थे वे ही आपका बयान भी लेने आये थे?

अदालत—यह स्पष्ट है कि वे पुलिसवाले दूसरे होंगे।

तीसरा गवाह

इसके बाद तीसरे गवाह शरीफ होटलके साझीदार शान्तिप्रकाशकी (उम्र २६ साल) गवाही शुरू हुई। गवाहने करकरेको पहचाना और कहा कि यही १७ तारीखको व्यास नाम रखकर होटलमें आया था। उसके साथ और कौन आया था इसे मैं नहीं कह सकता। गवाहने गोपाल गोडसेको भी पहचाना और कहा कि यही वह बाहरी आदमी है जो व्यासके साथ आया था।

श्री डांगेके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि मैं होटलके काममें ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता। जब मन होता है दिनभरमें ४-५ घण्टे आकर बैठता हूँ। बिल-वसूल करना और हिसाब किताब देखना मेरा काम है। यदि कोई होटलमें ३-४ दिन ठहरा या मेरे साथ जिसका ताल्लुक आया उसे मैं पहचान सकता हूँ। व्यास-

से मेरी मुलाकात आखिरी दिन करीब आधे घंटेतक हुई। उसने मुझे बताया कि हमलोग दो बजे नहीं, और बादमें जायँगे। जब व्यास पहले पहल होटलमें आया तब भी मैं उपस्थित था। उसने अपना नाम रजिस्टरमें हिन्दीमें लिखा। दिल्लीकी पुलिसके साथ मैं शिनाख्तके लिए बम्बई गया था और प्रिंसेस स्ट्रीट पुलिस थानेकी ऊपरकी मंजिलमें टिका था।

श्री डांगेने कहा कि गवाह बिना पूछे सवालोंका जवाब भी दे रहा है इसलिए अदालतको उसे लिखना नहीं चाहिये। अदालतने डांगेको हल्की सी फटकार बताते हुए कहा कि आप मेरे लिखनेमें दखल न दें। गवाहके अधूरे जवाब मैं नहीं लिखूँगा। वह समझानेके लिए कोई अधिक बात कहेगा तो मैं अवश्य लिख लूँगा।

श्री मणियारके एक प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैंने पुलिसको उस आदमी-की हुलिया बतायी थी जो बाहरसे करकरे-मदनलालसे मिलने होटलमें आया था। किस दिन मेरा बयान पुलिसने लिख लिया यह मैं नहीं जानता।

जलपानके लिए उठनेके आधा घण्टा पहले अदालतकी बिजली आधे घण्टेमें १२ बार फेल हुई और बत्तियाँ पंखे बन्द होते रहे।

चौथे गवाह खानसामाका बयान

जलपानके बाद अदालत जब बैठी तो होटलके बेयरा या खानसामा रामसिंह वल्द भानसिंह (उम्र २२ साल) का बयान शुरू हुआ।

श्री दफ्तरी--कठघरेमें बैठे लोगोंको देखो, इनमेंसे किसीको पहले भी देखा है?

रामसिंह कठघरेकी ओर गया और मदनलाल और करकरेको पहचानकर कहा कि अंग्रेजी सालके पहले महीनेमें ये होटलमें आये थे।

दफ्तरी--वे कब होटलमें ठहरे थे इसे क्या तुम ठीक ठीक जानते हो?

गवाह--मुझे अच्छी तरह याद है कि वे अंग्रेजी सालके पहले महीनेमें आये थे।

दफ्तरी--क्या तुम खुद उनकी खिदमतमें थे?

गवाह--हाँ, मैं ही बेयरा था। नं० २ के अलावा और ५ कमरे मेरे जिम्मे हैं।

श्री दफ्तरीने श्री शान्ताराम आत्माराम अमचेकरको अदालतमें बुलवाया और गवाहसे पूछा कि क्या तुमने इनको पहले कभी देखा है?

गवाह--हाँ, उन दो आदमियोंके साथ, जिन्हें मैंने अभी बताया, ये भी कमरा नं० २ में ठहरे थे।

दफ्तरी--तुमने कहा कि इनको अंग्रेजी सालके पहले महीनेमें देखा था। आज भी देख रहे हो। इस बीच कभी और इन लोगोंको देखा था?

गवाहने कहा कि दिल्ली जेलमें शिनाख्तके लिए हमें ले गये थे और बम्बई भी

ले गये थे तब दोनों बार देखा था। बम्बईमें मैं अपने दोनों मालिकोंके साथ रहा और ११-१२ दिन बम्बई देखता रहा।

दफ्तरी — दिल्ली जेलमें जब तुम ले जाये गये तब क्या तुम्हारे दोनों मालिक तुम्हारे साथ थे ?

गवाह—वे बीमार थे।

अदालतने पूछा कि दिल्ली जेल और बम्बईमें क्या तुम शिनाख्तके लिए गये थे ?

दफ्तरीने कहा कि उसने दिल्लीमें एक आदमीकी और बम्बईमें दूसरेकी शिनाख्त की।

दफ्तरी—दिल्लीमें तुमने किसकी शिनाख्त की ?

गवाह—करकरेकी।

अदालतने कहा कि इस बातका साफ पता नहीं चलता कि गवाहने अभी जिन दो आदमियोंको पहचाना वे कौन थे।

दफ्तरी—गवाहने पहले क्या कहा इसे आप देखिये तब बात साफ हो जायगी।

दफ्तरी—रामसिंह, जब ये तीनों आदमी होटलमें ठहरे थे तो क्या इनमेंसे किसीने कपड़ा धोनेके लिए दिया था ?

गवाह—हाँ, मैनेजरने मुझसे कमरा नं० २ से कपड़ा लेनेके लिए कहा था। पञ्जाबी (मदनलाल) से मैंने कपड़ा लिया। कपड़े लेकर मैं लाण्ड्री गया और बादमें फिर धुल जानेपर वापस लाकर करकरेको दिया।

गवाहीके बाद सफाईके वकील श्री डांगेने पूछा—तुम कहाँतक पढ़े हो ?

अदालत—क्या वह पढ़ा-लिखा मालूम होता है ?

गवाह—मैं पढ़ना-लिखना नहीं जानता। मैं बारहो अंग्रेजी महीनोंके नाम नहीं बता सकता। एक और बेयरा हरि नामका उस समय काम करता था, पर बादमें वह होटल छोड़कर अपने घर चला गया।

बनर्जी—तुम खुद लाण्ड्री कपड़े ले गये या हरिको दिये ?

गवाह—मैं खुद ले गया।

अदालत—यह वह पहले ही बता चुका है।

बनर्जी—यदि अदालत वह बयान देखे जो इसने पुलिसवालोंको लिखाया तो उसमें लिखा मिलेगा कि इसने लाण्ड्री ले जानेके लिए हरिको कपड़े दिये।

अदालतने गवाहसे पूछा कि क्या तुमने पुलिससे कहा था कि हरि कपड़े लाण्ड्रीमें ले गया था ?

गवाह—नहीं हुजूर। गवाहने यह भी कहा कि मुझे ३२) और खाना मिलता है। होटलमें २० कमरे हैं और चार बेयरे। कमरा नं० १ खाली था। नं० ११ में

कोई ठहरा था, पर कौन ठहरा था मैं नहीं जानता। श्री बनर्जीने कहा कि जिरह खतम हो गयी।

पाँचवाँ गवाह

इसके वाद होटलमें करकरे और व्यासके साथ ठहरे शान्ताराम आत्माराम अमचेकरको सबूत पक्षने अपना पाँचवाँ गवाह पेश किया। शान्ताराम (उम्र ३० साल) हिरलोक सावन्तवाडी (बम्बई प्रान्त) में रहता था।

शान्तारामकी गवाही अब तककी पाँचों गवाहियोंमें सबसे अधिक महत्त्वकी रही। शान्ताराम कराचीसे आया शरणार्थी है। उसने कहा कि मैं १५ जनवरीकी रातको ९। बजे बम्बईसे पेशावर एक्सप्रेसमें तीसरे दर्जेके डिब्बेमें दिल्ली चला। आते हुए करकरे और मदनलालसे अपने ही डिब्बेमें मुलाकात हुई और मैं उन्हींके साथ शरीफ होटलमें १८को और १९ की शाम तक ठहरा था। करकरेने गाड़ीमें मुझसे कहा कि मैं हिन्दू महासभाका एक कार्यकर्ता हूँ और इसी सिलसिलेमें दिल्ली जा रहा हूँ।

अमचेकर कराचीमें सरकारी नौकर था और १२ जनवरीको बम्बई पहुँचा। वरली शरणार्थी कैम्पमें वह ठहरा था और वहाँसे टिकट लेकर अपनी नौकरी पाकिस्तानसे हिन्दमें ट्रान्सफर कराने वह दिल्ली आया था। गाड़ीमें दूसरे दिन सवेरे लोगोंने कहा कि ट्रेन ४-५ घण्टे लेट है। मैं सोचने लगा कि यदि मेरा काम दिल्लीमें उसी दिन नहीं हुआ तो मैं कहाँ ठहरूँगा। मराठी छोड़कर और किसी भाषामें मैं बोल नहीं सकता था। इतनेमें मराठीमें किसीकी बातचीत सुनी। मैंने सोचा यह हमारे मुल्कका है और गाड़ी यदि लेट पहुँची तो यह हमारी मदद कर सकता है। मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उसने कहा दिल्लीको और पूछनेपर अपना नाम करकरे बताया।

करकरेकी ओर उँगली दिखाकर गवाहने कहा कि यही वह आदमी है।

गवाहने आगे कहा—करकरेने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं कराचीसे आया एक शरणार्थी सरकारी नौकर हूँ और अपनी नौकरी हिन्दमें ट्रान्सफर कराने दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने पूछा कि यदि गाड़ी दिल्ली लेट पहुँची तो क्या मेरे रहनेका बन्दोबस्त आप कर सकेंगे? करकरेने कहा कि बिड़ला-मन्दिरमें कोई इन्तजाम कर दूँगा।

गवाहने मदनलालको दिखाकर कहा कि यह भी उसी डिब्बेमें था, पर मैं तबतक यह नहीं जान सका था कि मदनलाल भी करकरेके साथ जा रहा है, जबतक हम दिल्ली स्टेशनपर नहीं उतरे और करकरेने मदनलालको नहीं पुकारा।

गाड़ी शनिवार १७ जनवरीको दिनमें १२॥ बजे दिल्ली पहुँची। हमलोग स्टेशनसे ताँगेपर रवाना हुए और पहले हिन्दू महासभाके दफ्तर गये। वहाँ जगह नहीं मिली इसलिए बिड़ला-मन्दिर गये। वहाँ भी जगह नहीं थी। तब हमने तागेवालेसे कहा कि चाँदनी चौकमें किसी होटलमें ले चलो। ताँगा जा रहा था तब शरीफ होटलका साइनबोर्ड दिखाई दिया। हमलोग होटलमें गये, यहाँ एक कमरा मिला जिसमें हम ठहरे। कमरेका नं २ था। होटलमें मदनलालसे मेरी बातचीत हुई। उसने कहा कि मैं मोसंबीका व्यापारी हूँ। अहमदनगरमें मोसंबी खरीदता हूँ और बम्बईमें लाकर बेचता हूँ। करकरे मेरे कारबारमें रुपया लगाता है। मदनलाल करकरेको 'सेठ' कहा करता था।

१७ को मैं दिल्ली पहुँचा और १९ की शामको बम्बईके लिए रवाना हुआ। १८ को सबेरे रविवारको हमलोग घूमनेके लिए जाना चाहते थे। करकरेने कहा कि हम स्टेशन जायँगे क्योंकि कोई आनेवाला था।

दूसरे दिन मैं दफ्तर गया और फार्म भरकर ३ बजे वापस आया।

ट्रान्सफर ब्यूरोके एक अफसरने इस बातकी ताईद की कि गवाहने दफ्तरमें आकर फार्म भरा था। उसने अदालतको फार्मकी कापी भी दी।

आज अदालत उठनेके पहले नथूरामने उठकर अदालतसे अनुरोध किया कि मुखबिर बडगे और अभियुक्त शंकरको इस तरह रखा जाय कि बडगे शंकरसे या और किसी अभियुक्तसे मिल न सके। आजकल वे ऐसे रखे गये हैं कि एक-दूसरेसे मिल सकते हैं। अदालतने नथूरामकी बात मान ली और कहा कि हम बडगेको अलग-अलग जेलमें तो नहीं, पर एक ही जेलमें दूरके कमरेमें रखनेका आदेश देंगे।

इसपर सरकारी वकील दफ्तरीने कहा कि बाकी अभियुक्त भी ऐसे रखे जायँ कि एक-दूसरेसे मिल न सकें। जजने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं।

इसके बाद अदालत सोमवार २८ जूनके दिनमें १० बजेके लिए उठ गयी जब अमचेकरकी गवाही लेनेका काम जारी रहेगा। जजकी इच्छा थी कि शनिवारको भी अदालत बैठा करे, पर अभियुक्तोंके वकीलोंने कहा कि हफ्तेमें ६ दिन काम करनेसे गवाहोंसे मिलकर उनकी बातें सुननेका टाइम हमें नहीं मिलेगा। भोपटकरने कहा कि जबतक सख्त गरमी पड़ रही है तबतक तो हफ्तेमें ५ ही दिन काम हो। जजने कहा कि कल महीनेका आखिरी शनीचर है और दिल्लीकी दौरा अदालतके रिवाजके मुताबिक मैं कल अदालत नहीं करूँगा, पर आगेसे शनिवारको भी अदालतका काम करनेपर मुझे सोचना पड़ेगा।

२८ जून १९४८

आज अदालतमें गान्धी-परिवारके श्री कनू गान्धी भी उपस्थित थे। यह पहला अवसर था जब गान्धी-परिवारका कोई व्यक्ति गान्धी-हत्या-काण्डके मुकदमेकी सुनवाईके समय उपस्थित रहा हो। आज श्री अमचेकरकी गवाहीका काम जारी रहा। उन्होंने कहा—

ट्रान्सफर ब्यूरोसे लौटनेके बाद मैं होटलमें अपने कमरेमें गया। करकरे, मदनलाल तथा एक और आदमी वहाँ था। करकरे और वह आदमी एक खटियापर बैठे थे और मदनलाल दूसरी खटियापर था। मेरे कमरेमें घुसते ही करकरेने मुझसे कहा कि मदनलालकी शादीके सिलसिलेमें हमलोग जालन्धर जा रहे हैं और होटल छोड़ देंगे तथा इस बीच महाराष्ट्र निवासमें रहेंगे। मैंने उनसे कहा कि मेरा काम खतम हो गया और मैं आज शामको ही बम्बई लौट जाऊँगा। मैंने करकरेसे पूछा कि बम्बईका आपका पता क्या है, पर उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं दो घण्टेतक कमरेमें रहा। बीचमें १५ मिनटके लिए टाउनहाल गया था। वहाँ शरणार्थियोंको रेलके टिकट मुफ्त बाँटे जाते थे, पर मुझे नहीं मिला और मालूम हुआ कि उस दफ्तरमें टिकट नहीं बटते। जानेके पहले करकरेने मुझसे कहा था कि हमलोग जल्दी कमरा छोड़ देंगे और टाउनहालसे जल्दी लौट आइये। वे होटल छोड़नेकी जल्दीमें थे, पर धोबीके यहाँसे कपड़े नहीं आये थे, इसलिए उन्हें देर हो रही थी।

यह पूछनेपर कि कमरेमें उस समय जो तीसरा आदमी था वह कौन था, गवाहने कटघरेमें बैठे गोपाल गोडसेकी ओर इशारा किया। पूछनेपर गवाहने कहा कि मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई। शामको ५ बजे मैं होटल छोड़कर चला उस समय भी तीनों कमरेमें थे। करकरेको होटलके बिल मिले थे। मैंने उन्हें देखकर अपने हिस्सेका २०) दे दिया। १७ तारीखको जब हम लोग दिल्ली पहुँचे, तो रेलसे उतरनेपर करकरेने मेरा टिकट माँग लिया, जब हम लोग गेटसे बाहर निकलने लगे तो करकरेने टिकट कलक्टरको टिकट नहीं दिया। मदनलाल और करकरेके पास मिलाकर एक बिस्तर और एक ट्रंक जो करीब डेढ़ फुट लम्बा होगा, था। ट्रेनमें बिस्तरपर करकरे ही सोया था और ट्रंककी चाभी भी उसके पास थी, क्योंकि जब ट्रंक खोलना पड़ता तब मदनलाल करकरेसे चाभी माँगता। पहले दिन होटलमें पहुँचनेके दो घण्टे बाद करकरे बाहर गया और मैं मदनलालके साथ चाँदनी चौक गया। मदनलालने कहा कि यहाँ मेरे मामा रहते हैं। मुझे सड़कपर छोड़कर वह एक घरमें

घुसा। १५ मिनट तक मैं उसकी राह देखता रहा, पर जब वह नहीं लौटा तो और घूमने चला गया। रातको मदनलालसे मैंने पूछा कि तुम लौट क्यों नहीं आये तो उसने कहा कि मामीने मुझे रोक रखा था। दूसरे दिन रविवारको मैं मदनलाल-के साथ सब्जीमण्डी गया। वहाँ उसने मुझे एक मकान दिखाया, पर वह अन्दर नहीं गया। हम लोग होटल लौट आये, फिर सब्जीमण्डी गये, क्योंकि मदनलालने कहा कि शादीके लिए एक लड़की देखने में अपने एक रिश्तेदारके यहाँ जाना चाहता हूँ। शामको जब हम सब्जीमण्डी गये तो मदनलाल सवेरे दिखाये मकानके सामने कोनेवाले एक मकानमें गया। उसने कहा कि यहीं वह लड़की रहती है। हम लोग उस घरमें करीब १ घण्टे तक रहे। ७ बजे शामको एक और शरणार्थी मदनलालके साथ आया। शामको होटलमें मदनलालने और मैंने साथ साथ खाना खाया। करकरे वहाँ नहीं था। मैं सोने चला गया, उस समयतक भी करकरे लौटा नहीं था। सवेरे जब सोकर उठा उस समय भी वह नहीं था। दूसरे दिन ट्रान्सफर ब्यूरोसे मैं लौटा तब मैंने करकरेको देखा।

अभियुक्तोंकी शिनाख्तके लिए पुलिस मुझे अपने गाँवसे बम्बई ले गयी थी। चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेटके सामने मैंने अभियुक्तोंको देखा था। इन लोगोंको मैंने पहले कभी नहीं देखा था।

बयान खतम होनेके बाद जब श्री दफ्तरी अपनी जगहपर बैठे तो नथूराम गोडसेने खड़े होकर कहा कि अदालतमें शिनाख्त कराना ठीक नहीं है। अभियुक्तोंके चित्र अखबारोंमें छप गये हैं, मुकदमेकी फिल्म भी दिखायी जा रही है। अदालतमें ऐसी हालतमें किसीकी शिनाख्त करना बहुत आसान है।

जजने कहा कि मेरे संतोष और अदालती रिकार्ड पूरा करनेके लिए शिनाख्तकी काररवाई कराना जरूरी था। गोडसेने कहा कि दिल्ली और बम्बईमें दो बार शिनाख्तकी काररवाई हो चुकी है। अब जब कि सबके फोटो छप चुके हैं, फिर अदालतमें भी शिनाख्त हो रही है।

अदालतने कहा कि जब तक मजिस्ट्रेटके सामने शिनाख्त नहीं होती, अभि-युक्त परदेके अन्दर रखे जाते हैं, पर उसके बाद उन्हें खुला ही रखते हैं। अभियुक्त आठ हैं और उनमेंसे किसी एकको पहचानना है यह आपके फायदेकी बात है। यह आपका भाग्य है कि अच्छे कपड़े पहननेको मिल रहे हैं और अच्छा बर्ताव हो रहा है, अन्यथा ऐसे अभियुक्त पैदल इधर-उधर घुमाये जाते हैं और सब कोई उन्हें देख सकता है। फिर भी अभियुक्तको कोई उज्र है तो वह अपने वकीलसे कहे और वकील अदालतको बतावे।

श्री डांगेने अमचेकरसे जिरह की तो उन्होंने कहा—कराचीमें सिविल सप्लाई विभागमें नौकरी करनेके पहले मैं प्रूफरीडर था और ४०) पाता था। सरकारी नौकरीमें मुझे १७५) मिलता था। कराचीसे बिना अपने अफसरकी अनुमति लिये मैं चला आया। ऐसा करनेपर भी बम्बई लौट आनेके बाद मैंने सोचा कि मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है, इसलिए ट्रान्स्फर ब्यूरोमें फार्म भरनेके लिए दिल्ली आया। करकरेसे पहले पहल मेरी मुलाकात ट्रेनमें १६ जनवरीको सबेरे ८ बजेके करीब हुई जब वह मराठीमें किसीसे बातचीत कर रहा था।

जजने श्री डांगेसे कहा कि मराठीमें आप सवाल न पूछें क्योंकि कोई सवाल ऐसा भी हो सकता है जिसे मैं आपत्तिजनक समझूँ।

श्री अमचेकरने आगे कहा कि मुझे राजनीतिमें दिलचस्पी नहीं है। हिन्दूसभाका क्या कहना है यह मोटे तौरसे जानता हूँ, पर उसकी नीतिके बारेमें विस्तृत जानकारी नहीं है। मैं यह नहीं जानता था कि करकरे शरणार्थियोंमें भी काम करता था। यह भी नहीं जानता था कि अहमदनगरमें उसके कई होटल हैं जहाँ शरणार्थियोंको मुफ्तमें खाना दिया जाता है। करकरेने मुझसे कहा था कि बम्बईमें उसके कई होटल हैं। मदनलाल करकरेको 'सेठ' कहता था। 'सेठ' का मतलब मैं अमीर आदमी समझता हूँ। करकरेसे मेरा सम्बन्ध मामूली था। १८ जनवरीको करकरेने मुझसे कहा था कि कोई आनेवाला है। वह आदमी कौन था और वह आया या नहीं इसकी मैंने पूछताछ नहीं की। यह मेरी दिल्लीकी पहली यात्रा थी, इसलिए इसके बारेमें इतनी अधिक बातें याद रहीं।

डांगे वकीलने पूछा कि दिल्लीकी यह पहली यात्रा थी तो आप अकेले घूमने कैसे निकले थे? इसपर अदालतने कहा कि आप क्या उनको १० सालका बच्चा समझते हैं? वे कराचीसे बम्बई अकेले नहीं गये?

गवाहने आगे कहा—जब मैं दिल्ली आया तो मेरे पास ९० रुपयेके करीब था, लौटते वक्त ५० के करीब रहा होगा।

श्री बनर्जीके जिरह करनेपर गवाहने कहा—मैं २१ जनवरीको वापस बम्बई पहुँचा और २७ जनवरीको वहाँसे अपने गाँवके लिए रवाना हुआ। पुलिसने मुझे बुलाया तबतक मैं बराबर अपने गाँवमें ही रहा। हम जब दिल्ली पहुँचे तो मदनलालने कहा कि सब लोग मेरे मामाके यहाँ ठहरें। १८ को मैं मदनलालके मामाके यहाँ गया और उनसे सब बातें कीं। शामको जब हम उस मकानमें गये जो मदनलालकी भावी पत्नीके मकानके सामने था तो हमें चाय दी गयी और बहुत-सी औरतें मदनलालको देखने आयी थीं। मैं मदनलालके साथ १८ तारीखको एक सभामें भी गया था। इसमें पहले श्री जयप्रकाश नारायणने और बादमें पण्डित

जवाहरलाल नेहरूने भाषण किया। जब जयप्रकाश बोल रहे थे तो मदनलालने चिल्लाकर कहा कि मुझे बम्बईमें एक सभामें भाषण करने नहीं दिया गया तो इन्हें इस सभामें भाषण करने क्यों दिया जा रहा है। इसपर मैंने यह सोचकर कि मदनलालपर पुलिस या सुननेवालोंमेंसे कोई हमला कर सकता है उसका साथ छोड़ दिया।

१८ को मदनलालके साथ होटलमें जो आदमी आया उसने खाना खाया और वहीं रहा तथा दूसरे दिन मुझे ट्रान्सफर ब्यूरो ले गया। पर मुझे यह याद नहीं है उस व्यक्तिका परिचय मुझसे उस मकानमें किया गया जहाँ हम चाय पीने गये थे।

मणियार वकीलके जिरह करनेपर गवाहने कहा—करकरे और मदनलालके साथ होटलमें मैंने जिस आदमीको देखा था उसका नाम मैंने पुलिसको नहीं बताया था, पर आज जिस आदमीकी ओर इशारा किया वही करकरे और मदनलालके साथ रहा। बम्बईमें शिनाख्तकी कारवाई होनेके पहले मैंने गोपालकी कोई फोटो नहीं देखी थी।

श्री दफ्तरीके फिर पूछनेपर गवाहने कहा कि करकरे और मदनलालके साथ जो आदमी रहा उसका नाम मैं नहीं जानता था, इसलिए मैंने पुलिसको उसका नाम नहीं बताया।

जलपानके बाद जब अदालत बैठी तो मदनलालके वकीलने कहा कि मदनलालकी तबीयत ठीक नहीं है। मदनलालने भी कहा कि मैं बीमार हो गया हूँ, सिर दर्द हो रहा है और सामने जो बिजलीका बल्ब लटक रहा है उससे आँखोंको तकलीफ हो रही है। अदालतने उसे बगलवाले कमरेमें कुछ देर आराम करनेकी अनुमति दी। इन्स्पेक्टरने कहा कि एक डाक्टर बुलाया गया है और वह पहुँचता ही होगा। उनके कहनेपर मदनलालको धूपका काला चश्मा दिया गया ताकि बत्तीकी चमकाहट-से तकलीफ न हो। ४५ मिनटके बाद डाक्टर आया और मदनलालको पासवाले कमरेमें ले जाया गया।

श्री दफ्तरीके कहनेपर अदालतने मुखबिर बडगेको जेलसे अदालतमें लानेका आदेश इन्स्पेक्टरको दिया।

छठे गवाहका बयान

छठे गवाह हीरानंदानीने कहा कि मैं सिंधी हूँ। उम्र ३९ साल है। गृह-विभाग-के ट्रान्सफर ब्यूरोमें क्लर्क हूँ। मेरा दफ्तर उन लोगोंकी अर्जियाँ लेता है जो अपनी नौकरियाँ हिंदमें बदलवाना चाहते हैं। एक अर्जी दिखलायी जानेपर गवाहने कहा कि यह डाकसे नहीं आयी है, इसलिए खुद कोई दे गया होगा। अर्जीपर खाना-

पूरी होनेके वाद मैं दस्तखत करता हूँ। अर्जी नं० ५२८६ की खानापूरी शांताराम समचेकर नामके एक आदमीने की। एक रजिस्टर भी रखा गया है जिसमें यही नम्बर है। गवाहसे जिरह नहीं की गयी।

सातवाँ गवाह

सवूतके सातवें गवाह रामचन्द्रने कहा कि मैं राजपूत हूँ, उम्र २३ साल है, नयी दिल्लीके मेरीना होटलमें आनेवालोंके नाम लिखनेका काम करनेवाला क्लर्क हूँ। आनेवालोंके नाम एक रजिस्टरमें लिखे जाते हैं। १७ जनवरीको २ आदमी आये और उन्होंने अपना नाम एल्. देशपांडे और एम्. देशपांडे लिखाया। गवाहने नथूराम गोडसे और आपटेको पहचाना और कहा कि ये ही दो आदमी आये थे। एस्. देशपांडेने रजिस्टरमें खानापूरी की। उनको ४० नम्बरका कमरा दिया गया। होटलमें कई रजिस्टर हैं। दिनके रजिस्टरमें खर्चका हिसाब लिखा जाता है और उसीसे विल वनाये जाते हैं। इन दोनोंका आखिरी विल दूसरे क्लर्क श्री मार्टिन थेडियसने वनाया था। विलमें शराव आदिके खर्चका भी एक खाना है। यदि किसीको शरावकी जरूरत रहती है तो वह एक चिटपर दस्तखत करता है। कभी कभी चिटकी नकल भी रहती है और कभी नहीं। १७ जनवरीकी ऐसी ही चिटपर और १८ जनवरीकी दो चिटोंपर एस्. देशपांडेके दस्तखत हैं।

१० मिनटके वाद मदनलाल अदालतमें वापस लाया गया और फिर रामचन्द्रकी गवाहीका रुका काम शुरू हुआ। उसने कहा—२० जनवरीको रात ११ वजे पुलिस होटलमें एक आदमीको ले आयी। मैं उस समय होटलमें अपनी ड्यूटीपर था। मैंने उस आदमीको देखा नहीं, उसके ऊपर कंवलकी तरह कोई चीज लपेटी गयी थी। उस समय मैनेजर श्री सी. पचेको होटलमें थे। पचेकोके साथ पुलिस उस आदमीको सीढ़ीसे ऊपर ले गयी। मैं भी वादमें ऊपर ४० न० वाले कमरेमें बुलाया गया। पुलिसने कमरेकी तलाशी ली और टाइप किया हुआ एक कागज उसे मिला। पुलिस उसे ले गयी। (गवाहने उस कागजको अदालतमें भी पहचाना) नं ४० के कमरेका वेयरा कालीराम कुछ कपड़े ले आया और कहा कि ये इसमें टिके लोगोंके हैं। पुलिस उन कपड़ोंको ले गयी।

सवूत पक्षने ८ कपड़े पेश किये और वे अदालतमें एक्जिविटके तौरपर रखे गये। इनमें एक गरम सूट, सूती ट्राउजर, पापलीनका सफेद शर्ट, २ सफेद लुंगियाँ, वंवईया पैजामा, जवाहर कोट, एक रूमाल और एक तौलिया था जिसपर एन्० वी० जी० लिखा था।

श्री ओकके जिरह करनेपर गवाहने कहा—१७ जनवरीके पहले मैंने इन दो आदमियोंको कभी नहीं देखा था। वे जब होटलमें थे तो ताली लेते या जमा करते समय दिनमें १-२ बार दिखाई देते थे। दो बार दिल्ली जेलमें मैंने इनकी शिनाख्त की। २० जनवरीको पुलिस होटलका रजिस्टर देखने आयी और चेक कर दस्तखत कर चली गयी। ५ फरवरीको वह रजिस्टर तथा अन्य कागज पत्र ले गयी।

श्री मॅगलेके पूछनेपर गवाहने कहा—मेरा काम आनेवालोंकी पूछताछ करना, उनके नाम रजिस्टरमें लिख लेना और जब वे जाने लगें तो बिल तैयार कर देना है। मुझे और कुछ नहीं करना पड़ता। ये दोनों जब आये तो मेरे सामने २-४ मिनट तक थे। आपटे खाकी हाफपैण्ट, सफेद शर्ट और ऊनी मफलर पहने था। मफलरका रङ्ग याद नहीं। नं० ४१ का कमरा एयर सर्विसेस आव इण्डिया लिमिटेडको दिया गया है। १७ से १९ जनवरीतक उसमें कंपनीके ६ अफसर ठहरे थे। ४२ नम्बरके कमरेमें १७ जनवरीको मेजर रेक्स नामका एक आदमी आया। वह दूसरे दिन चला गया। १९ तारीखको श्री जी० अग्निलेको नामका आदमी आया।

आठवाँ गवाह

आठवाँ गवाह मेरीना होटलका बड़ा बेयरा नारायणसिंह था। नारायणसिंहने कहा कि मेरा काम और बेयरोंके कामोंपर नजर रखना और कभी कभी कोई बेयरा गैरहाजिर हो तो कमरोंमें चाय आदि देना है। गवाहने अभियुक्त करकरे और शंकरकी ओर इशारा कर कहा कि मैंने इन्हें कमरा नं० ४० में चाय पीते देखा है। बंबईमें मैंने इनकी शिनाख्त की थी। उस दिन कमरा नं० ४० में मैं ५ कप चाय ले गया था। पहली बार दो कप तो कमरेमें टिके लोगोंके लिए ले गया था, बादमें तीन कप बाहरसे मिलनेके लिए आये लोगोंके लिए ले गया था।

श्री डांगेके जिरह करनेपर गवाहने कहा—मैंने होटलमें सैकड़ों लोगोंको चाय दी है।

श्री मेहताके जिरह करनेपर उसने कहा—उस दिन मैंने शंकर और करकरेको होटलमें करीब १५ मिनट देखा था। पहले भी एक दो बार होटलमें इन्हें देखा था।

नारायणसिंहने अदालतसे कहा कि मैंने बम-विस्फोटके २०-२५ दिन बाद पुलिसको बयान दिया था। पुलिसको मैंने इन दो आदमियोंकी हुलिया भी बतायी थी। उनकी ऊँचाई भी अन्दाज से पुलिसको लिखायी थी।

श्री मेहताके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि यदि मैं किसीको एक-दो बार देखूँ या किसीको खास तौरसे देखूँ तो बादमें उसे पहचान लूँगा।

आज बडगे अदालतमें बगलवाले कमरेमें लाया गया था, पर किसी भी गवाहीमें उसका काम नहीं पड़ा इसलिए अदालतमें नहीं लाया गया। अदालतने उसे कल हाजिर रखनेका आदेश दिया।

नौवाँ गवाह मेहरसिंह—२९-६-४८

आज अदालतमें सबसे पहले नयी दिल्लीके केन्द्रीय तामीरात-विभागके जङ्गल-विभागके सिपाही मेहरसिंहकी गवाही हुई। उसने कहा कि जिस दिन गान्धीजीकी प्रार्थना-सभामें बम-विस्फोट हुआ उस दिन मैं अपने दो साथी प्यारेलाल और कप्तानके साथ अपने क्षेत्रमें चक्कर लगानेके लिए रोजकी तरह गया था। दिनमें ११ बजे पाँचकुईं पुलक्षेत्रके पास चार आदमी मिले। इसके अतिरिक्त उस दिन और कोई घटना नहीं हुई। मैंने उन लोगोंसे पूछा कि आप क्यों घूम रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया कि हम बाहरसे शहर देखने आये हैं और घूम रहे हैं। उनके इस तरह घूमनेसे मेरे मनमें सन्देह हुआ था और इसीलिए मैंने वह सवाल पूछा था। इन लोगोंसे मेरी मुलाकात बिड़ला-मन्दिर और हिन्दूसभा कार्यालयके पीछे करीब ३ फर्लांगकी दूरीपर हुई थी।

शिनाख्तके लिए सरकारी वकील श्री दफ्तरीने अदालतसे कहा कि बडगेको कठघरेमें लाया जाय। इसपर वकील मेंगलेने आपत्ति की और फिर गवाह एक दीवालके पीछे हटा दिया गया और बडगे लाकर अभियुक्तोंमें बैठा दिया गया। माफी मिलनेके बाद आज बडगे पहली बार अदालतमें लाया गया था। इसके बाद मेहरसिंह फिर अदालतमें लाया गया। कठघरेकी ओर जाकर उसने शंकर किस्तैया, गोपाल गोडसे, आपटे और बडगेकी ओर इशारा करके बताया कि ये ही वे ४ आदमी थे जिनको विस्फोटके दिन मैंने देखा था।

श्री मेंगलेके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि इस घटनाके डेढ़ महीनेके बाद पुलिस मेरे पास आयी। विस्फोटके दिन इन लोगोंसे मेरी बातचीत ५-७ मिनट हुई होगी। जिस दिन बातचीत हुई और जिस दिन पुलिस आयी उन दोनों दिनोंके बीच मैंने इनमेंसे किसीको नहीं देखा। मैं सदर दफ्तरमें था जब पुलिसवाले मेरे पास आये थे। एक पुलिस सब इन्स्पेक्टर आया और मुझे तुगलक रोड पुलिस-स्टेशनपर ले गया। १ महीनेके बाद मुझे बम्बई ले जाया गया जहाँ एक मजिस्ट्रेटके सामने इन लोगोंकी शिनाख्त की गयी। जब मुझे तुगलक रोड पुलिस-स्टेशनपर ले गये थे उस समय आपटे और करकरे वहाँ नहीं थे।

श्री मेंगलेने पूछा कि तुम जब बम्बईमें शिनाख्त कर रहे थे तब क्या आपटेने यह शिकायत नहीं की थी कि तुगलक रोड पुलिस स्टेशनपर तुमने उसको पहले ही,

देखा था। गवाहने कहा कि आपटेने यह शिकायत की थी कि बहुतसे लोगोंने मुझे गिरफ्तारीके समय देखा था। उसने मेरा नाम कोई खास तरहसे नहीं लिया था।

श्री बनर्जीके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि विस्फोटकी बात मुझे विस्फोटके दिन ही मालूम हुई। यह पूछनेपर कि क्या तुम्हारे पास रेडियो है, गवाहने कहा कि मैं शरणार्थी हूँ, मेरे घरपर पानी भी नहीं है। विस्फोटके दिन मैंने २॥ मीलका चक्कर लगाया था।

मेहता वकीलने पूछा कि जितने लोग उस जंगलमें जाते हैं सबकी रिपोर्ट तुम करते हो? गवाहने कहा कि नहीं, जब देखता हूँ कोई शरारत करनेके ख्यालसे आया है तो रिपोर्ट करता हूँ। इन चारोंसे मिलनेकी रिपोर्ट मैंने नहीं की थी क्योंकि आवश्यक नहीं समझा था।

श्री मणियार वकीलके जिरह करनेपर मेहरसिंहने कहा कि मैं कोई ४ सालसे नौकरी कर रहा हूँ। गोपाल गोडसेकी ओर इशारा कर गवाहने कहा कि चारो आदमियोंमें यह भी एक था और इसीने मेरे सवालोंका जवाब दिया था।

बाइबिलकी खोज

इसके बाद मेरीना होटलके ऐंग्लो इंडियन मैनेजर श्री पचेको गवाही देने खड़े हुए। श्री दफ्तरीने कहा कि वे ईसाई हैं इसलिए कसम खानेके लिए बाइबिलकी जरूरत है। कचहरीमें बाइबिल नहीं थी। इसपर नथूराम गोडसेने खड़े होकर कहा कि जिस जेलमें मैं बन्द हूँ वहाँ एक बाइबिल है। एक पुलिस अफसर उसे लानेके लिए तुरन्त भेजा गया और उसकी प्रतीक्षामें अदालतकी काररवाई कुछ देर रुकी रही। पुलिस अफसरके जानेके बाद निश्चय हुआ कि बाइबिल लायी जाने तक किसी और गवाहकी गवाही ली जाय।

दसवाँ गवाह

मेरीना होटलके बेयरा कालेरामने बयान देते हुए कहा कि जिस दिन बिड़ला-भवनमें विस्फोट हुआ था वह दिन मुझे याद है। मैं उस दिन कमरा नं ४०, ४१, ४२ और ४५ की खिदमतमें था। ४० नम्बरके कमरेमें कौन ठहरे थे यह मुझे याद है। गवाहने नथूराम गोडसे और आपटेको पहचान कर कहा कि ये ही दो आदमी कमरा नम्बर ४० में ठहरे थे। बम फटनेके ३ दिन पहले रात ९ बजे सबसे पहले मैंने इन्हें कमरेमें देखा था। चौथे दिन दोनों होटल छोड़कर चले गये। वे आपसमें मराठीमें बोलते थे इससे मैंने समझा कि वे बम्बईकी तरफके रहनेवाले हैं। मैं बम्बई-

में काम कर चुका हूँ इसलिए मराठी समझता हूँ, मैं बोल नहीं सकता। नथूरामकी तरफ इशारा कर गवाहने कहा कि इसीने मुझे ११ कपड़े धुलवानेके लिए दिये थे। मैंने कपड़े धोबीको दे दिये, पर उनके वापस लानेके पहले ही दोनों होटल छोड़कर चले गये थे। पुलिसने जिस दिन मेरा बयान लिया उसी दिन कपड़े वापस ले आया था। कालेरामने उन दस कपड़ोंको भी पहचाना जिन्हें नथूरामने धुलवानेके लिए दिया था। उसने दोनों अभियुक्तोंको दिल्ली जिला जेलमें भी शिनाख्तके समय पहचाना था।

श्री ओक वकीलके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि कमरेमें ठहरे दोनों आदमियोंको मैं दिनभरमें २–४ बार देखता था। दोनों ३–४ दिन होटलमें ठहरे थे, इसलिए मुझे अच्छी तरह याद है। उनकी शिनाख्तके लिए मैं बम्बई नहीं गया था। ये लोग चले गये उसके दो-तीन दिन बाद पुलिसने मेरा बयान लिख लिया। १०–१५ दिनके बाद मैं पहली बार शिनाख्तके लिए ले जाया गया और उसके ७-८ दिन बाद दूसरी बार ले जाया गया।

श्री मैंगलेके जिरह करनेपर गवाहने कहा—कुछ हवाबाज होटलके ४५ नम्बरके कमरेमें ठहरे थे। कुछ हवाबाज ४१ नम्बरके कमरेमें भी ठहरे थे। ४५ नम्बरके कमरेमें कुल कितने आदमी थे यह ठीक-ठीक बताना सम्भव नहीं। यह संख्या रोज-रोज घटती-बढ़ती थी। ४१ नम्बरके कमरेमें अधिकसे अधिक कितने आदमी थे यह कहना भी सम्भव नहीं।

जिस दिन दोनों होटलमें आये उस दिन रात ९ बजेके पहले मुझे इन दोनोंको देखनेका अवसर नहीं मिला था। मेरी ड्यूटी ९ के पहले ही शुरू हुई थी, पर मैं दूसरे कमरोंमें था। दफ्तरसे मुझे रात ९ बजे कहा गया कि कमरा नं ४० में जाओ।

ग्यारहवाँ गवाह—करकरेने शराब पी

इसके बादके गवाह मेरीना होटलके ही बेयरे गोविन्दराम शर्माने कहा कि विस्फोटका दिन मुझे याद है। उसने नथूराम गोडसे, करकरे, गोपाल गोडसे और बडगेको पहचाना और कहा कि इन्हें मैंने कमरा नं ४० में दुर्घटनाके ३ दिन पहले देखा था। मेरा काम 'बार' में और कमरोंमें शराब–शरबत परोसनेका था। पहले दिन मैंने इस कमरेमें विस्कीका एक पेग और दूसरे दिन दो पेग पहुँचाया था। करकरेकी ओर इशारा कर गवाहने कहा कि दोनों दिन इसीने शराब पी थी।

श्री ओकके पूछनेपर गवाहने कहा कि करीब दो महीने बाद पुलिसने मेरा बयान लिया और इसके ४ दिन बाद मैं बम्बई ले जाया गया। मैं बम्बईमें ५ दिन

था। पुलिस मुझे स्टेशनसे सीधे मजिस्ट्रेटकी अदालतमें ले गयी। मैं और कहीं नहीं ले जाया गया था।

बारहवाँ गवाह

जलपानके बाद मेरीना होटलके मैनेजर श्री पचेकोकी गवाही हुई। बाइबिल मिल गयी थी और उन्होंने उसीसे कसम खायी।

गवाहने कहा कि जनवरी १९४८ में होटलमें दो आदमियोंके आनेकी बात मुझे याद है। उन्होंने अपना नाम देशपाण्डे लिखा था। १७ जनवरीको दोनों होटलमें आये और २० जनवरी तक रहे। वे जब आये तब मैं होटलमें नहीं था। विस्फोटका दिन भी मुझे याद है। २० जनवरीकी रातको कोई ११ बजे पुलिस होटलमें आयी। पुलिसवाले बहुतसे थे और उनके बीच हथकड़ी पहने एक आदमी था। उनके साथ आनेवाले पुलिस अफसरने मुझसे पूछा कि कमरा नं० ३२ में कौन ठहरा है? मैंने कहा कि उसमें एक ब्रिटिश अफसर है, इसके बाद हथकड़ी पहने हुए आदमीको पुलिस अफसरने बुलवाया। मैंने उस समय उस आदमीको पहले-पहल देखा। होटलमें जब वह लाया गया तब उसका मुँह ढँक लिया गया था, पर वह जब हम लोगोंके पास लाया गया तब मुँह खुला था। वहाँ उससे कहा गया कि तुम्हारे दोस्त जिस कमरेमें ठहरे हैं और जहाँ तुम शामको आये थे वह कमरा दिखलाओ। वह हमें कमरा नं० ४० में ले गया।

मदनलालकी ओर इशारा कर गवाहने कहा कि यही आदमी उस दिन हथकड़ी पहनाकर लाया गया था। गवाहने नथूराम गोडसे और आपटेको भी पहचाना और कहा कि देशपाण्डेके नामसे ये ही होटलमें ठहरे थे। गवाहने कहा कि दोनोंमेंसे एक नथूरामको मैंने पहली बार शिनाख्तमें पहचाना था, पर दूसरी बार नहीं पहचान सका।

श्री ओकके प्रश्नपर गवाहने कहा कि २० तारीखको पुलिसको जो मुँहजबानी बयान दिया उसके अलावा मैंने पुलिसको और कोई बयान नहीं दिया। विस्फोटके १५ दिन बाद पहली बार शिनाख्त परेड हुई। उस दिनके पहले ही गान्धीजीकी हत्या हो चुकी थी। अखबारोंमें मैंने हत्या.के बारेमें पढ़ा था। मैंने यह भी पढ़ा था कि हत्यारेपर कुछ लोगोंने हमला किया था। २० जनवरीके १-२ दिन बाद पुलिसने मुझसे पूछताछ की थी। पहली शिनाख्तके समय नथूराम गोडसेने क्या पहना था यह मैं नहीं बता सकता। जेलमें जब उसे पहचाना तो उसमें कुछ फर्क था। पहली बार उसके सिरपर पट्टी बँधी थी।

तेरहवाँ गवाह

तेरहवाँ गवाह मेरीना होटलका क्लर्क मार्टिन थेडियस था। इसने नथूराम गोडसेको पहचाना और कहा कि इसीने बिल माँगा और उसे चुकता किया। करकरे एक बार होटलमें मिलने आया था।

श्री डांगेके जिरह करनेपर गवाहने कहा—विस्फोटके १९-२० दिन बाद मैंने करकरेकी शिनाख्त की। मुझे बम्बई नहीं ले गये थे। नथूरामकी ओर इशारा कर गवाहने कहा कि होटलका बिल इसने दिया। करकरे होटलमें क्यों आया था यह मैं नहीं जानता। इस बातका भी मुझे पता नहीं कि करकरेने शराब पी या नहीं।

सबूतके वकील बिड़ला-भवनका नक्शा पेश करना चाहते थे, पर सफाई-पक्षके पास नकशा नहीं था इसलिए अदालतने उसे पेश करनेकी अनुमति नहीं दी और कहा कि कल अदालत बैठनेके पहले सफाई-पक्षको भी नकशेकी एक कापी दी जाय।

और कोई गवाह नहीं था इसलिए अदालत जल्दी उठ गयी।

चौदहवाँ गवाह—२०-६-४८

आज चौदहवें गवाह टैक्सी ड्राइवर सुरजीतसिंहकी गवाही हुई। गवाही-जिरहमें चार घंटे लगे। इतना समय इसके पहले किसी गवाहमें नहीं लगा था। आज केवल एक गवाहकी गवाही हो सकी। सुरजीतसिंह आया नहीं था इसलिए अदालतका काम शुरू होनेके पहले नथूराम, सावरकर और परचुरेको छोड़ और अभियुक्तों, उनके वकीलों, सरकारी वकीलों और जजने उस मोटरका मुआइना किया जिसमें बैठकर अभियुक्त २० जनवरीको बिड़ला-भवन गये थे। इस मोटरकी विशेषता यह है कि सामान रखनेकी जगह पीछे न होकर ऊपर है।

गवाहने अपनी गवाहीमें कहा—२० जनवरीको विस्फोटके दिन मैं कुछ लोगोंको अपनी कारमें बिड़ला भवन ले गया था। रीगल सिनेमा टैक्सी स्टैण्डपर ये लोग मोटरमें बैठे। शामको ४ या ४। बजे चार आदमी मोटरमे बैठे। उनमेंसे एकने किराया तथा अन्य बातें तै कीं। पहले बिड़ला-मंदिर, वहाँसे बिड़ला-भवन और वहाँसे कनाट प्लेस चलनेको कहा गया। आपटेकी ओर इशारा कर गवाहने कहा कि इसीने सब कुछ तै किया। किराया १२) तै हुआ था। मोटरमें ३ आदमी पीछे बैठे थे और दाढ़ीवाला आदमी आगे मेरे साथ बैठा था। मुखबिर बडगेको पहचान कर गवाहने कहा कि यही आगे बैठा था। गोपाल गोडसे, आपटे और शंकर किस्तैयाको पहचानकर कहा कि ये तीनों पीछे बैठे थे।

गवाहने आगे कहा—चारोंको लेकर मैं पहिले बिड़ला-मंदिर गया। लोग उतर कर कहीं चले गये। १५-२० मिनटके बाद वे आये और मैं उन्हें बिड़ला-भवन ले गया। वहाँ मैंने अपनी गाड़ी भवनके पीछेकी ओर खड़ी की। मैं रास्ता नहीं जानता था और कारमें बैठे आपटेने जिस रास्ते बताया उस रास्ते कार ले गया। बिड़ला-भवन पहुँचनेपर उसमें बैठे लोग बायीं ओरसे उतरे और नौकरोंके कार्टरमेंसे होकर बिड़ला-भवनतक गये। रास्तेमें २-३ आदमी और मिले जिनसे उन्होंने बातचीत की। मैं खुद प्रार्थना-मैदान चला गया इसलिए इसके बाद फिर मैंने नहीं देखा। मैं पहुँचा तब प्रार्थना शुरू नहीं हुई थी। मैं १५-२० मिनट वहाँ रहा। लाउडस्पीकर खराब था और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं मोटरमें लौट आया। कोई ५ मिनटके बाद ये लोग भी लौट आये। दाढ़ीवाला आदमी नहीं लौटा, पर उसकी जगह एक दूसरा आदमी आया। नथूराम गोडसेको पहचानकर कहा कि यही वह आदमी था।

इन लोगोंके लौट आनेके बाद हम लोग तुरत रवाना हो गये। ये लोग आते ही कहने लगे—मोटर चालू करो, मोटर चालू करो। मुझे विस्फोट जैसी कोई आवाज सुनाई दी, पर यह नहीं कह सकता कि वह आवाज मोटर चालू करनेके पहले हुई थी या मोटर चलनेके बाद। मैंने यह भी नहीं देखा कि ये लोग दौड़ते आये या मामूली चालसे चलते हुए। हम लोग भी उसी रास्ते लौटे जिस रास्ते आये थे और कनाट प्लेस पहुँचे। किराया देकर ये लोग चले गये।

गान्धीजीकी हत्याका दिन मुझे याद है। इसके ३-४ दिन बाद पुलिसके कामसे मैं अपनी मोटर तुगलक रोड पुलिस-स्टेशन ले गया था। दो सिख पुलिस अफसरोंने मुझे बुलाकर पूछा कि क्या मैं २० जनवरीको अपनी कार बिड़ला-भवन ले गया था। मैंने पुलिसको उस समय एक बयान दिया। ४-५ दिन बाद मैं दिल्ली जिला जेल ले जाया गया जहाँ मैंने नथूराम गोडसेकी शिनाख्त की। कुछ दिन बाद मैं फिर जिला जेल ले जाया गया। इस बार आपटेकी शिनाख्त की। बादमें बम्बई ले जाया गया जहाँ मैंने गोपाल गोडसे और बडगेकी शिनाख्त की।

अदालतमें भी गवाहने चारोंकी शिनाख्त की। बडगे नहीं था तो उसने कहा कि दाढ़ीवाला नहीं है। बडगे फिर अदालतमें लाया गया और गवाहने शिनाख्त की। श्री ओक वकीलके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि गोडसेको मैंने दिल्ली जिला जेलमें सिरमें तौलिया लपेटे देखा था।

श्री मेंगलेके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि इसी मोटरको मैं लाहौरमें भी किरायेपर चलाता था। बादमें दिल्लीमें किरायेपर चलाने लगा और अब अपने

कामसे चलाता हूँ। किराया तय करनेवाले आदमीने उस दिन काला कोट, काला ट्राउजर और एक मफलर पहना था। किराया तय करनेमें १५ मिनट लगे होंगे।

जलपानके बाद जजने कहा कि श्री शिवनारायणकी एक दर्खास्त आयी है कि वे परचुरेका बचाव करेंगे।

श्री मेंगलेने गवाहसे जिरह जारी रखी। उसने कहा कि मैं जब बम्बई गया तो बहुतसे लोगोंसे जान-पहचान हुई और उनसे मिलने मैं बादमें बिड़लाभवन अक्सर जाता रहा।

श्री बनर्जीको उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि मेरी कारमें बैठे लोगोंको मैंने प्रार्थना-सभामें नहीं देखा। प्रार्थना-मैदानके पास एक टैक्सी ड्राइवरसे मेरी मुलाकात हुई थी। उसने मेरी कारमें बैठे लोगोंको देखकर कहा था कि इन लोगोंको कल मैं अपनी मोटरमें बिडला-भवन ले आया था।

श्री मेहताके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैं निरक्षर हूँ और १९४० से ४७ तक लाहौरमें टैक्सी चलाता रहा। २० जनवरीके बारेमें लोग बहुत बातचीत करते रहे इसलिए वह तारीख मुझे याद है। लाहौरके परीमहल या शाह आलमीमें लगी आगकी ठीक तारीख इसलिए याद नहीं थी कि लोग उसके बारेमें इतनी चर्चा नहीं करते थे। दङ्गोंके दिनोंमें मैं टैक्सी भी नहीं चलाता था। मेरी मोटरमें जो लोग बैठते हैं उन्हें ३-४ दिन बादतक मैं पहचान सकता हूँ। विस्फोटकी आवाज मैंने सुनी थी, पर यह नहीं कह सकता कि वह बमके विस्फोटकी थी या और किसी तरहके विस्फोटकी। मैंने पुलिसको रिपोर्ट इसलिए नहीं दी कि मैं समझता था, कि मेरी कारमें बैठे लोगोंसे विस्फोटसे कोई सम्बन्ध नहीं है। टैक्सी स्टैण्डपर पहुँचनेके दो घण्टे बाद पता लगा कि बिड़ला-भवनमें बम फटा था।

श्री मणियारके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैं यह नहीं जानता कि गोपाल गोडसे अकेले ही मोटरके पास लौटा था या और लोगोंके साथ।

इसके बाद अदालत कलके लिए उठ गयी।

१ जुलाई

आज सुनवाई प्रारम्भ होनेपर श्रीमती सुलोचना देवीका बयान शुरू हुआ। सुलोचना देवी राजपूत महिला हैं, अवस्था २५ वर्ष है और नयी दिल्लीमें अल्बुकर्क रोडपर रहती हैं।

गवाहने बताया कि मेरी सबसे बड़ी लड़की ७ वर्षकी है और लड़का ३ वर्षका है जिसका नाम महेन्द्रसिंह है। मुझे याद है कि बम-विस्फोट बिड़ला-भवनमें किस दिन और किस स्थानपर हुआ। मेरा घर बम-विस्फोटकी जगहसे केवल १०० फुट दूर है

और वम-विस्फोटके समय तो मैं केवल १३-१४ फुट ही दूर थी। ५ वजे मेरा लड़का घरसे वाहर चला गया था। लड़केको उसके जानेके ठीक ५ मिनट बाद ढूँढ़ने मैं निकली थी। लड़का विड़ला-भवनके कर्मचारी क्वार्टरके पीछे वाले सर्कलमें गया था, मैं भी वहीं पहुँची और यहाँ मैंने उसे अन्य लड़कोंके साथ खेलता हुआ पाया। मेर पहुँचते ही एक कार आकर खड़ी हुई जिसका रंग गहरा हरा था। कारमें कुछ सवारियाँ वैठी थीं। मैंने उन्हें उतरते हुए भी देखा। मेरे ख्यालसे कारसे चार व्यक्ति उतरे थे। ये सवारियाँ कारके पिछले भागसे उतरीं और वे लोग २-३ व्यक्तियोंसे मिले। कार विड़ला-भवनके पार्श्वमेंसे होकर उस सर्कलमें आयी थी। इसके बाद वे चारों व्यक्ति वातें करते हुए विड़ला भवनके दरवाजेमें घुसे। मैं ठीक ठीक नहीं कह सकती कि वे प्रार्थनास्थलपर गये थे या नहीं। विड़ला-भवनके नौकर क्वार्टरोंमें रहनेवाले छोटूरामको ५-७ महीनोंसे मैं जानती हूँ। मैं फूलसिंहको भी जानती हूँ। वह भी वहीं रहता है। कारमेंसे एक व्यक्तिने उतरकर इन क्वार्टरोंमें रहने वाले एक व्यक्तिसे वात की।

जिस स्थानपर वम-विस्फोट हुआ था, वहाँपर मैंने एक व्यक्तिको जाते हुए देखा था। मेरा ख्याल है कि यह व्यक्ति कारकी ओरसे आया था। मैंने उसे एक स्थानपर वम रखते और एक तीली जलाते हुए देखा। मैंने यह भी देखा है कि उस जलती हुई तीलीको उसने वमके साथ छुआ दिया। इसके बाद वह व्यक्ति अलबुकर्क रोडके क्वार्टरोंकी ओर आ गया और मैं अपने वच्चेको जवर्दस्ती उस स्थानके पाससे खींच लायी जहाँपर वम रखा गया था। मैंने एक धागे या तारमेंसे कुछ चिनगारियाँ भी निकलती हुई देखीं। जब वम फटा तो मैं उस व्यक्तिसे केवल ४-५ कदमके फासले पर ही थी जिसने वममें आग लगायी थी। वमसे मैं केवल १३-१४ कदम दूर थी। वम फटनेपर वहाँ वहुतसे लोग जमा हो गये।

३ व्यक्ति दीवार फाँद कर आये, जिनमेंसे एक फूलसिंह और दूसरा वन्दूकधारी पुलिस कान्सटेवल था। तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था। उन्होंने मुझसे पूछा""क्या हुआ? मैंने वताया कि अमुक व्यक्तिने वम रखकर उसको दियासलाई दिखाई थी। इसपर तीनों आदमियोंने उसे पकड़ लिया। गवाहने मदनलालकी ओर इशारा करके वताया कि उसने वम रखा था और उसमें आग लगायी थी। वडगे, नथूराम गोडसे और आपटेको भी पहचान लिया जो कारमें बैठकर विड़ला-भवन आये थे और उन्होंने मदनलालसे वातचीत की थी। मुझे शिनाख्तकी परेडमें पहले दिल्ली जेल ले जाया गया और वहाँपर मैंने गोडसे और आपटेको पहचाना। इसके बाद वम्बईकी शिनाख्त परेडमें वडगेको पहचाना।

श्री दफ्तरीने गवाहसे पूछा कि क्या तुम उस कारको पहचान सकती हो? इसपर गवाह, दफ्तरी और गोडसेके वकील श्री ओक अदालतसे बाहर कार देखने गये। वहाँपर सुलोचनाने बताया कि यह वही कार है जो २० जनवरीको बिड़ला-भवनमें आयी थी।

वकील श्री ओक द्वारा जिरह की जानेपर सुलोचनाने कहा कि सामान्यतः बिड़ला-भवनके पीछेके सर्कलमें कोई कार या तांगा आदि आकर नहीं खड़ा होता। बम-विस्फोटके कुछ ही देर बाद पुलिसने मेरा बयान लिया था। मुझे नहीं मालूम था कि जिस धागे या तारको मैंने दियासलाईसे जलाये जाते हुए देखा वह बमसे सम्बंधित था।

गवाहने अपने बयानमें कहा कि दिल्ली जेलकी पहली शिनाख्तमें १५ व्यक्ति थे। उस समय वे साधारण कपड़े पहने हुए थे। वहाँपर मैंने गोडसेको पहचाना था। वह सादे कपड़े पहने हुए था। सिरपर उसने कुछ न कुछ पहन रखा था किन्तु यह ठीक ठीक मैं नहीं कह सकती कि वह कोई पट्टी थी। २-३ और व्यक्ति भी अपने सिरोंपर कुछ बाँधे हुए थे।

श्री मेंगलेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने बताया कि मेरा पति एक मोटर-ड्राइवर है। उनके पास अपनी कार है। गवाहने यह भी बताया कि मैं २०-२५ मिनटतक कारको ध्यानपूर्वक देखती रही। आये लोगोंको कारसे उतरनेमें भी कमसे कम ५ मिनट लगे होंगे। बमविस्फोटसे कोई घायल नहीं हुआ और मैं यह नहीं कह सकती कि जब वे व्यक्ति कारसे उतरे तो उन्होंने कौनसी पोशाक पहन रखी थी।

श्री बनर्जीकी जिरहके उत्तरमें गवाहने बताया कि विस्फोटके बाद मदनलालने भागनेका प्रयत्न नहीं किया। जब फूलसिंह और पुलिसका सिपाही उसे पकड़नेको आगे बढ़े तब भी वह नहीं भागा।

इसके बाद शंकरके वकील श्री हंसराज मेहताने गवाहसे पंजाबीमें जिरह करनी चाही, किन्तु जजने इसपर आपत्ति प्रकट की और कहा कि पहले इंगलिशमें जिरह की जानी चाहिये, बादमें चाहें तो वे पंजाबीमें कर सकते हैं।

गवाहने यह बताया कि मैंने पहले कोई बम नहीं देखा था और जो बम फटा वह ईंटके समान दिखाई देता था। उसकी ऊँचाई २ इञ्च थी और बम-विस्फोटके बाद मैंने कारसे उतरनेवाले व्यक्तियोंको फिर नहीं देखा।

जजने सुलोचनासे पूछा कि क्या बम विस्फोटसे किसी व्यक्तिको या स्थानको नुकसान पहुँचा? उत्तरमें सुलोचनाने कहा कि विस्फोटसे दीवारमें एक छेद हो गया था। अनेक ईंटें बाहर निकल आयीं।

१६वाँ गवाह—फोटो लेनेका बहाना

जलपानके बाद सबूत पक्षकी ओरसे छोटूराम नामक गवाह पेश किया गया। छोटूराम नयी दिल्लीके बिड़ला-भवनके एक क्वार्टरमें रहता है।

छोटूराम पहले कार क्लीनर था। किन्तु अब वह मोटर-ड्राइवर है। वह बिड़ला-भवनमें पिछले ११ वर्षोंसे नौकर है। वह वहाँके एक क्वार्टरमें रहता है। ये क्वार्टर बिड़ला-भवनके पिछले हिस्सेमें बने हुए हैं। उसने बताया कि बिड़ला-भवनमें कुल ९ क्वार्टर हैं जिनमें नौकर रहते हैं।

यदि मोटर गेरेजकी ओरसे इन क्वार्टरोंकी गिनती की जाय तो छोटूरामका क्वार्टर नम्बर तीन है। उसने बताया कि बम फटनेकी दुर्घटनाकी तारीख मुझे याद है। जब बम फटा था तब मैं अपने क्वार्टरसे बाहर थोड़ी दूरपर बैठा था।

गवाह छोटूरामने यह बताया कि मैं बिड़ला-भवनके चौकीदार फूलसिंहको जानता हूँ। बम-विस्फोटके समय फूलसिंह मेरे सामने खड़ा हुआ था। फूलसिंहके कमरे तथा मेरे कमरेके बीचमें केवल एक कमरा पड़ता है। बिड़ला-भवनके पीछे खुला मैदान है। पिछले फाटककी तरफ यह मैदान पड़ता है। मैं जब वहाँ बैठा था तो उधरसे कुछ आदमियोंको लौटते देखा। वे उस मैदानमें कारसे उतरे थे। मैंने उस कारको रुकते देखा था। यह कार बिड़लाभवनके पीछेकी सड़कसे आयी थी। वह सड़कके बायें किनारेपर ठहरी थी। कारका रंग गहरा हरा था और उसके छतपर सामान रखनेकी जगह बनी थी।

कारके रुकनेपर उसमेंसे चार आदमी निकले। वे बायीं ओर उतरे और कारके चारों तरफ गये। उनसे आकर तीन या चार आदमी और मिल गये। उन्होंने तब आपसमें बातचीत की और फिर प्रार्थनासभाकी ओर चले गये। वे दो या तीनके गुट बनाकर गये। उन्होंने मेरे क्वार्टरके चारों ओर दो या तीन बार चक्कर भी लगाये। इसके बाद उनमेंसे तीन आदमी चले गये और उनमेंसे एक आदमी आकर मुझसे बातचीत करने लगा।

इस आदमीने मुझसे कहा कि उसे उस जगह पहुँचा दे जहाँ म० गान्धी प्रार्थना किया करते हैं, ताकि वह उनकी फोटो ले सके। उसने जोर दिया कि गान्धीजीकी फोटो ले लेने दे। मैंने कहा कि यदि तुम गान्धीजीकी फोटो लेना चाहते हो तो केवल सामनेकी ओरसे ले सकते हो। लेकिन मैंने उससे यह नहीं पूछा कि वह पीछेसे ही फोटो क्यों लेना चाहता था। उसके पास कैमरा दिखाई न देता था। अतः मैंने पूछा कि कैमरा कहाँ है? उसके पास एक बेग था जो काले कपड़ेका था, उसमें कुछ भारी चीज जान पड़ती थी। उसमें कैमरा न निकला। अतः वह कारकी

ओर दौड़कर गया, मानो वह कैमरा लेने जा रहा हो। इस तरह वह दरवाजेके बाहर निकल गया।

वे फाटकके बाहर कुछ देखभाल करने लगे तब उनमेंसे एक दीवालकी ओर गया जहाँ बादमें बम फटा था। जब वह आदमी दीवालसे हट गया तो इसके दो-तीन मिनट बाद ही बमका धड़ाका सुनाई दिया। फूलसिंह और एक सैनिक दीवार पार करके गये। मैं भी फाटकके बाहर लपका। जब बम फटा तो वे फाटक-पर खड़े थे और बम फटते ही कारकी ओर लपके।

मैंने एक आदमीको दीवारपर कुछ रखते और जलाते देखा था। मैंने बम-विस्फोट करने वालेकी बाँह पकड़ ली। इसके बाद वह आदमी बिड़लाभवनके पास पुलिस-शिविरमें भेज दिया गया। मैं स्वयं वहाँ गया। एक थानेदारने उसकी तलाशी ली और उसकी जेबमेंसे एक बम बरामद हुआ। कुछ सैनिकोंने इस बमको उधेड़ा और फ्यूज बाहर निकाल लिया। यह बम फिर एक टीनमें रखकर कपड़ेसे बाँध दिया गया। इसपर बिड़लाभवनकी मुहर लगा दी गयी।

इसके बाद गवाह कटघरेकी ओर बढ़ा और मदनलालकी ओर इशारा कर कहा कि यह व्यक्ति वही था जिसे फूलसिंह और रतनसिंहने पकड़ा था। इन लोगोंको श्रीमती सुलोचनाने बताया था कि मदनलाल वह है।

छोटूरामने कठघरेमें फिर करकरेकी भी शिनाख्त की। कहा कि इस व्यक्तिने ही फोटो लेनेकी बाबत मुझसे पूछा था।

"क्या आप कारमें आनेवाले किसी और आदमीको भी पहचान सकते हैं?" छोटूरामसे पूछा गया। गवाहने इसपर आपटे और नथूराम गोडसेको पहचाना। उसने कहा कि मैंने इन लोगोंको करकरेके साथ अपने क्वार्टरके पास देखा था।

बम-विस्फोटके कारण दीवारकी ईंटें टूट गयी थीं और इधर उधर जा गिरी थीं। इस विस्फोटसे २ फुट लम्बी-चौड़ी और १½ फुट गहरी जमीन विच्छिन्न हो गयी थी।

क्वार्टरका एक कोना भी क्षतिग्रस्त हुआ था। बिड़ला-भवन सड़कके बायें किनारेपर है जो अलबुकर्क रोडको जाती है। अभियुक्तोंकी कार कच्ची सड़कसे पीछे-की ओर होकर आयी थी।

छोटूराम गवाहने आगे बताया कि प्रार्थना-सभा में म० गान्धीकी हत्याके दिन मैं दुर्घटनाके बाद २०-२५ मिनट तक वहाँ रहा। मुझे वहाँ चली हुई गोलियाँ, दो खाली कारतूस तथा कंधेकी पेटी मिली थी। ये चीजें वहीं पड़ी थीं जहाँ म० गान्धीको गोली मारी गयी थी। ये शिनाख्तके लिए पेश की गयीं और गवाहने उन्हें पहचान लिया। चली गोलियोंपर ११ तथा १२ नम्बर पड़ा था और पेटी पर १३। खाली

कारतूसोंपर ९ तथा १० नम्बर पड़ा था। गान्धीजीको घटनास्थलपरसे हटानेके बाद वहाँ कुछ रुधिर पड़ा रहा। गवाहने अभियुक्तोंवाली कार भी पहचान ली।

ओकके पूछनेपर छोटूरामने बताया कि मैंने बम-विस्फोटके बाद गोडसेको लगभग १५-२० मिनट देखा था, ५ या ७ फुटकी दूरीसे देखा था। उस समय गोडसे टहल रहा था।

गान्धीजीकी हत्याके ५ या ६ दिन बाद मैं नथूराम गोडसेको देखने गया था। वह जिस आदमीकी शिनाख्तको गया था वह वह नहीं था जिसने गान्धीजीको मारा था। मैंने उसे ५ मिनटतक देखनेके बाद पहचान लिया था। वह शिनाख्तके समय २५-३० आदमियोंके साथ खड़ा किया गया था। मुझे यह याद नहीं कि वह उस समय क्या कपड़े पहने था।

श्री मॅगलेके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने बताया कि मैं कारक्लीनर था। अब कार-ड्राइवर हो गया हूँ, क्योंकि क्लीनर नया आ गया है। जब बम फटा तब मैं क्लीनरका ही काम करता था। इसके अलावा मैं और आकस्मिक कार्य भी कर दिया करता था। मेरी ड्यूटीके घण्टे नियत न थे। मुझे ६५ रु० मासिक वेतन मिलता था। इस समय मुझे ८५ रु० मिलते हैं। जब कार वहाँ आयी तो मैंने इन लोगोंको ५-६ मिनटतक देखा था।

२ जुलाई—फोटो लेनेके लिए घूस भी देनी चाही

आज करकरेके वकील मॅगलेने छोटूराम गवाहसे जिरह शुरू की।

गवाहने बताया कि बिड़ला-भवनके नौकर-क्वार्टरोंकी छतें ढलुवाँ हैं। कारें प्रायः क्वार्टरोंके सामनेसे ही आकर खड़ी होती हैं, मुझे एक पञ्जाबी कार और दिल्ली कारमें भेद नहीं मालूम। मैं यद्यपि गान्धीजीकी प्रार्थनामें प्रायः जाया करता था, किन्तु २० जनवरीको मैं नहीं गया था।

लोग प्रातः-सायं गान्धीजीके दर्शन करने आते थे। मैं भी उनके दर्शन करने जाया करता था किन्तु यह नहीं कह सकता कि एक महीनेमें कितनी बार जाता था। बहुतसे लोग गान्धीजीका प्रार्थनाके समय फोटो लेने आया करते थे।

मेरे कमरेके पासके गेरेजमें २० जनवरीको कोई मरम्मत नहीं हो रही थी, किन्तु बिड़ला भवनके अतिथि-गृहके पीछे उस दिन मरम्मत अवश्य हो रही थी।

करकरेकी ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि इसने उस दिन गान्धी टोपी पहनी हुई थी। मैंने यह भी देखा कि उसकी आँखें छोटी-छोटी हैं। करकरेने गान्धीजीका चित्र खींचनेके लिए मुझे ५-१० रुपयेकी घूस भी देनी चाही, इससे मेरा सन्देह उसके प्रति और भी बढ़ गया। किन्तु उसे निकाल बाहर करनेका मुझे कोई

अधिकार नहीं था। वम-विस्फोटसे पूर्व इस विषयमें मैं विड़ला-भवनके अधिकारियों-को भी कुछ नहीं बता सका।

जहाँ बम फटा था, वहाँपर १५-२० आदमी इकट्ठा हो गये थे। मुझे यह नहीं मालूम कि उनमेंसे प्रार्थना-स्थलसे आये हुए कितने व्यक्ति थे, क्योंकि मैं दूसरे दर-वाजेसे वम-विस्फोटके स्थानपर गया था। अपने क्वार्टरके वाहर बैठकर मैं रामधुनकी संगीतमय ध्वनि सुन सकता था जिसे गान्धीजीके साथकी लड़कियाँ गाया करती थीं।

वम-विस्फोटके वाद मैं सीधा अपने घर न आकर पुलिसका ध्यान उस घटनाकी ओर खींचनेके लिए चला गया। करकरेको पहचाननेके दिन मुझे बुखार नहीं था।

एक अन्य प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि ३० जनवरीको मैं कुछ सामान खरीदनेके लिए वाजार गया था। आनेके वाद गान्धीजीकी हत्याका समाचार सुनते ही मैं दौड़ा-दौड़ा वध-स्थानपर गया और मैंने खाली गोलियाँ उठा लीं।

वकील श्री वनर्जीकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि उन दिनों प्रार्थना ५ वजे शुरू होकर ५॥ वजे समाप्त हुआ करती थी। २० जनवरीको कारके पहुँचनेतक गीताका प्रवचन और सम्मिलित गान समाप्त नहीं हुआ था और न 'रामधुन' ही शुरू हुई थी।

मेरे और कारके बीच केवल ५०-६० फुटका अन्तर था। वम्वईमें मैंने ३ व्यक्ति-योंको पहचाना था। वहाँपर मैंने एक दाढ़ीवालेकी शिनाख्त की थी। गवाहने वडगेकी ओर इशारा करते हुए कहा कि यह वैसा ही आदमी है, पर मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता कि यह वही आदमी है जिसे मैंने बम्बईमें पहचाना था।

जो सवार कारसे उतरे वे और वे जिन व्यक्तियोंसे मिले वे सव नौकर क्वा-र्टरोंकी ओर आये। हो सकता है कि २० जनवरीको मैंने मजिस्ट्रेटसे यह कहा कि मैंने नथूराम गोडसेको मदनलालके साथ कारसे उतरते हुए देखा है। किन्तु मुझे यह निश्चय नहीं कि पुलिसको मैंने यह कहा है कि मदनलाल अन्य तीन व्यक्तियोंके साथ कारसे उतरा था। मेरा यह अनुमान था क्योंकि मैंने उन्हें कारके पीछेसे आते हुए देखा था। करकरेके फोटो लेनेके लिए इजाजत लेने आनेसे पूर्व एक व्यक्ति क्वा-र्टरोंके हातेमें घूम गया था। मुझे यह नहीं मालूम कि कौनसा व्यक्ति पहले प्रार्थना-स्थलपर गया।

वकील श्री हंसराज मेहताके जिरह करनेपर शंकरकी ओर इशारा करते हुए गवाहने कहा कि मैं यह नहीं कह सकता कि शंकर कारमें आया था, किन्तु उसे मैंने अपने क्वार्टरके सामने चलते फिरते देखा था। मैं यह भी नहीं कह सकता कि वह कारसे उतरनेवाले व्यक्तियोंके पास खड़ा था और उसने किस प्रकारके कपड़े पहने हुए थे।

गवाहसे पूछा गया कि क्या वह 'साजिश' शब्दका अर्थ समझता है ? गवाहने कहा 'नहीं'। अन्नका अभिप्राय भी नहीं जानता।

जलपानके बाद जब अदालतका इजलास फिर बैठा तो बचाव-पक्षके वकील श्री बनर्जीने अदालतसे प्रार्थना की कि आवश्यकता हो तो मुझे अपने मुअक्किल मदनलालके अतिरिक्त अन्य अभियुक्तोंसे भी सलाह-मसविदा करनेकी इजाजत मिलनी चाहिये। बचाव-पक्षके प्रमुख वकील श्री एल. बी. भोपटकरने भी बनर्जीके आवेदनका समर्थन किया और इतना और कहा कि बचाव-पक्षके सब वकीलोंको अभियुक्तोंसे परस्पर मन्त्रणा करनेकी इजाजत होनी चाहिये।

इसपर जजने कहा कि लिखित रूपमें अपना आवेदन पेश करें।

इसी बीच पुलिस द्वारा पकड़ी गयी नकदीको लौटानेके उनके आवेदनपत्रपर भी विचार किया गया। जजने कहा कि अभियुक्तोंके पास मिली सब चीजें अदालतमें प्रदर्शित करनेके लिए आवश्यक हैं।

इसके बाद नथूराम विनायक गोडसे और आपटेकी एक संयुक्त प्रार्थनापर विचार किया गया, जिसमें पूनाके प्रेसिडेन्सी औद्योगिक बैंकको उनका रुपया उन्हें या उनके एजेण्टोंको देनेसे न रोकनेके लिए कहा गया था। जजने सुझाव पेश किया कि अभियुक्त अपने वकीलोंकी मार्फत सीधे स्वयं बैंकको लिखें। यदि बम्बई-पुलिसके आदेशानुसार बैंकने उनकी अदायगी बन्द कर रखी होगी, तो वे इस मामलेको अपने हाथमें ले लेंगे।

१७वाँ गवाह

इसके बाद बिड़ला-भवनके चौकीदार भूरसिंहको गवाहीके लिए बुलाया गया। उसकी उम्र ३५ वर्ष है और वह पिछले २॥ सालसे बिड़ला-भवनमें चौकीदारीका काम करता है। इससे पहले वह सेनामें नौकरी करता था। गवाहने बताया कि मेरा घर बिड़ला-भवनके पीछे है। मेरे कमरेका नं० १ और छोटूरामके कमरेका नं० ३ है। बम-विस्फोटके स्थानपर मैं उपस्थित था। उस दिन प्रार्थना शुरू होनेसे पहले मैं छोटूरामके पास खड़ा था।

हातेकी दीवारके बाहर एक खुला स्थान है, इसी खुले स्थानपर एक गहरे भूरे रंगकी कार, जिसके ऊपर कैरियर लगा हुआ था, आकर रुकी थी। मैंने समझा कि कार शायद एकदम अन्दर चली जायेगी, इसलिए कारको रोकना चाहिये, पर वह २२ नं० के कमरेकी दीवारके सामने जा खड़ी हुई। ४ आदमी कारमेंसे उतरे और २-३ व्यक्तियोंसे बात करने लगे। बादमें वे प्रार्थना-स्थलके अन्दर चले गये। लगभग ५ मिनट बाद ३-४ व्यक्ति वापस आ गये। एकको छोड़कर सब दरवाजेकी

ओर चल दिये और एक छोटूरामके साथ हो लिया। उसनें छोटूरामसे गान्धीजीका चित्र उतारनेके लिए स्थानकी माँग की।

६ बजेकी ड्यूटीपर जानेके लिए मैं कपड़े बदलने कमरेके अन्दर चला गया। जब मैं कमरेके बाहर आया तो मैंने उनमेंसे किसीको न देखा और मैं प्रार्थना-स्थलकी ओर चला गया। ४-५ मिनट बाद मैंने बमका धड़ाका सुना और पुलिस कान्स्टेबल रतनसिंह और मैं बगीचे और दीवारको कूदते फाँदते हुए बम-विस्फोट के स्थानपर पहुँचा। हमारे साथ एक फोटोग्राफर और एक सैनिक हवलदार भी था। बाहर खड़ी हुई सुलोचनाने हमें उस आदमीको दिखाया, जिसने बम रखकर उसमें आग लगायी थी। हमने उसे पकड़ लिया और बिड़लाभवनके बाहरके पुलिसके खेमेमें ले आये। सब-इन्स्पेक्टर साहनीके आनेपर उस व्यक्तिकी तलाशी ली गयी तो उसके कोटके अन्दर दाहिनी जेबमें एक और बम मिला। मैंने बम बरामद होनेके मेमोपर हस्ताक्षर भी किये थे।

एक बन्द टीनका डिब्बा जिसमें वह फ्यूजरहित बम रखा हुआ था, अदालत-में पेश किया गया। गवाहने बताया कि उस हथगोलेमेंसे फ्यूज निकाल लिया गया था। इसके अतिरिक्त मदनलालके पाससे बरामद की गयी अन्य वस्तुएँ—एक सिगरेटका डिब्बा, दियासलाईकी डिब्बी, ५ और २ रुपयेके नोटोंसे युक्त एक चमड़े-का बटुआ, हरा कंघा, एक लड़कीका फोटो, कागजकी चिट, राशनकार्ड और एक उर्दूकी चिट्ठी भी दिखायी गयी।

इसके बाद बडगे अभियुक्तोंके कठघरेमें लाया गया और गवाहसे पूछा गया कि क्या वह इनमेंसे किसी व्यक्तिको पहचान सकता है, जो बमविस्फोटके लिए जिम्मेदार हो? गवाहने मदनलालकी ओर संकेत किया और नथूराम गोडसे, आपटे, करकरे और बडगेकी ओर लक्ष्य करके उसने बताया कि २० जनवरीको बम-विस्फोटसे पहले ये लोग मेरे क्वार्टरके सामने घूम रहे थे। गवाहने बताया कि गान्धीजीकी हत्याके बाद मैं जयपुर चला गया था और कुछ दिनों बाद वहाँसे लौटा।

श्री डांगे द्वारा जिरह की जानेपर गवाहने कहा कि मुझे याद नहीं है कि पुलिस-को अपने बयानमें यह कहा हो कि मैंने चार व्यक्तियोंको कारसे उतरते देखा है। जब वे कारसे उतरे तब भी मैंने उनकी शकल नहीं देखी। उसे यह भी नहीं मालूम कि वे २-३ व्यक्ति कहाँसे और कब आये थे, जिनके साथ कारसे उतरनेवाले ४ व्यक्तियोंने बातें कीं। छोटूरामके पास जो व्यक्ति आया था उसने उससे पंजाबीमें बातचीत की। २० जनवरीको लगभग ७०० व्यक्ति प्रार्थनासभामें आये थे। जो बम फटा, उसपर किसीकी दृष्टि नहीं गयी। बम-विस्फोटके बाद भी प्रार्थना जारी रही। डांगेने करकरेकी ओर इशारा करके पूछा कि उसने उस

समय कौनसी पोशाक पहन रखी थी। गवाहने बताया कि उसने सफेद कमीज और सफेद गान्धी टोपी पहन रखी थी। बहुतसे लोग इस प्रकार गान्धी टोपी पहनकर सभामें आया करते थे।

५ जुलाई

सोमवारको १० बजे गान्धी-हत्याकाण्डके मुकदमेकी सुनवाई पुनः प्रारम्भ होनेपर अदालतने पहले श्री भोपटकर और श्री बनर्जीकी इस अपीलको निपटाया कि बचाव पक्षके वकीलोंको अपने अपने मुअक्किलोंके साथ-साथ अन्य अभियुक्तोंसे परामर्श और पारस्परिक मन्त्रणाकी सुविधा मिलनी चाहिये। जजने अपना निर्णय देते हुए कहा कि वे इस प्रकारका कोई सामान्य नियम नहीं बना सकते, किन्तु प्रश्नकी गम्भीरता और महत्त्वको देखकर उसपर पारस्परिक चर्चाकी इजाजत दी भी जा सकती है।

इसके बाद बिड़ला-भवनके चौकीदार भूरसिंहसे जिरह प्रारम्भ हुई।

श्री बनर्जीकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि हाँ मैंने पुलिसको यह कहा था कि जिस व्यक्तिने छोटूरामसे गान्धीजीका चित्र ले लेनेके लिए कहा था उसने टोपी पहनी हुई थी। कारसे उतरनेवाले व्यक्तियोंके साथ जिन्होंने बातें कीं उनमें एक दाढ़ीवाला था।

गवाहने मदनलालकी ओर इशारा करते हुए कहा कि उसने ही छोटूरामसे बात की थी और वह हमारे क्वार्टरके इधर-उधर घूमता रहा। जब मैं अपनी वर्दी पहननेके लिए कमरेमें घुसा था उस समय मदनलाल उसी स्थानके पास खड़ा था जहाँ बम फटा।

श्री मेहता द्वारा जिरह की जानेपर भूरसिंहने कहा कि उनके क्वार्टरके सामनेके मैदानमें कारें आ नहीं सकती थीं यद्यपि वहाँपर कारोंके न रुकनेकी कोई सूचना या आदेश नहीं लगा हुआ था। इधरसे कोई १०-१५ व्यक्ति उस दिन प्रार्थनामें भाग लेने गये होंगे। ४-५ बच्चे बम-विस्फोटके समय वहाँपर खेल रहे थे। सुलोचनाका लड़का महेन्द्र उस समय वहाँपर खेल रहा था। एक कर्मचारीका भी लड़का था। मैंने किसी बच्चेसे बात नहीं की थी।

गोपाल गोडसेके वकील श्री मणियारने जिरह करनेसे पूर्व अपने मुअक्किलसे मन्त्रणा की।

गवाहने कहा कि २० जनवरीकी शामको ५ बजे उस मैदानमें एक कार आकर रुकी। अभी अँधेरा नहीं हुआ था। मैंने गोपाल गोडसेको उस मैदानमें इधर उधर

घूमते हुए देखा था। वह मेरे क्वार्टरके आगेसे भी २-३ वार गुजरा होगा। मैंने गोपाल गोडसेको उसी रूपमें देखा था जिस दृष्टिसे अन्य व्यक्तियोंको।

१८ वाँ गवाह

अगले गवाह करनालके मजिस्ट्रेट तथा जिला शरणार्थी अफसर श्री के. एम. साहनी थे। गवाहने वताया कि २० जनवरीको ठीक ५ वजे मैं प्रार्थनामें गया था। १० जनवरीको एक कार दुर्घटनामें मेरी पत्नीकी मृत्यु हो गयी थी और मुझे भी गहरी चोट लगी थी। गान्धीजीने इस दुःखद घटनापर समवेदना प्रकट करते हुए उनसे मिलकर करनाल वापस जानेके लिए मुझे कहा था।

गवाहने आगे अपने वयानमें कहा कि २० जनवरीको प्रार्थना-स्थलमें मैं गान्धीजीके सामने उनसे सिर्फ ४-५ कदमकी दूरीपर था। चन्द्रगुप्त विद्यालंकार मेरे साथ थे। ५। वजे भयानक विस्फोट हुआ। गान्धीजी उस समय तक अपनी प्रार्थना शुरू कर चुके होते, किन्तु लाउडस्पीकर खराव हो गया था।

विस्फोटका शब्द पीछेकी हदवन्दीकी दीवारकी दाहिनी ओरसे सुनाई दिया। मैं तुरन्त ही उस दिशामें गया और मैंने धुआँ निकलते हुए दीवारमें हुए छेदको देखा। वम-विस्फोटके स्थानसे ६-७ गजकी दूरीपर एक व्यक्ति खड़ा था, उसको एक सैनिक पुलिस सिपाही, चौकीदार और एक अन्य व्यक्तिने धर दबोचा। पास ही में एक स्त्री खड़ी थी जिसके साथ दो वच्चे भी थे, उसीने वम रखनेवाले व्यक्तिकी ओर संकेत किया था। पकड़े गये व्यक्तिने अपना नाम मदनलाल वताया। इसके वाद मैं पुलिसको रिपोर्ट करने चला गया। वहाँ तलाशीमें अनेक वस्तुओंके साथ मदनलालके पाससे हथगोला भी मिला। वम रखनेवाले व्यक्तिके रूपमें गवाहने कठघरेमें खड़े हुए मदनलालको पहचान लिया।

श्री मेंगलेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैं कई वार विड़लाभवन आ चुका था और अनेक वार मुझे गान्धीजीसे वात करनेका सुअवसर मिला था। जितनी प्रार्थनाओंमें मैं गया उनमेंसे केवल एक वार ही पहले पहल कुरानकी आयतोंका पाठ किया गया।

श्री डांगेकी जिरहके जवावमें गवाहने कहा कि मैं आर्यसमाजी हूँ, धार्मिक मन्तव्यों और ग्रन्थोंसे मुझे प्रेम है। अन्य धर्मोंका भी मैं आदर करता हूँ। गीता भी मैंने पढ़ी है। गीतामें धर्मका तात्पर्य कोई विशेष सैद्धान्तिक विचारधारा नहीं किन्तु 'कर्तव्य' है।

एक दो वार कुरानकी आयतोंके पढ़नेपर आपत्ति भी की गयी। मार्च सन् ४७ में भंगीवस्तीमें भी एक वार आपत्ति की गयी थी, किन्तु उस समय आपत्ति

करनेवाला कोई शरणार्थी नहीं था। दूसरी बार भी आपत्ति उठानेवाला शरणार्थी तो नहीं मालूम देता था।

जलपानके बाद अदालतका इजलास जब फिर बैठा तो जजने श्री रामसिंह उपालको मदनलालका अतिरिक्त वकील होनेकी इजाजत दे दी।

श्री बनर्जीने प्रार्थना की कि चूँकि सुलोचना देवीके पुलिसको दिये गये बयानमें और अदालतको दिये गये बयानमें अन्तर है, इसलिए उसकी गवाही दुबारा ली जानी चाहिये। इसपर कुछ बहस भी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि शिनाख्तका प्रत्येक मेमो अदालतकी फाइलमें रखा जाना चाहिये।

जजने कहा कि बम्बईकी शिनाख़्त मेमोकी सब फाइलें तो उनके पास हैं किन्तु दिल्लीकी सब नहीं हैं। किन्तु बचाव पक्षके वकील जब उन्हें देखना चाहेंगे, मुझे दिखानेमें कोई आपत्ति नहीं होगी। श्री बनर्जीने कहा कि जिस दिन सुलोचनाकी गवाही ली गयी थी उस दिन उसका शिनाख्त मेमो उचित जगहमें नहीं था, इसलिए पुनः उसकी गवाही ली जानी चाहिये। किन्तु अदालतने इस बातको स्वीकार नहीं किया।

इसके बाद गवाह साहनीसे डांगेने फिर जिरह शुरू की। गवाहने कहा मैंने कुरानके कुछ हिस्से और बाइबिल पूरी पढ़ी है। मुझे यह पता नहीं कि गान्धीजी शुरूमें हिन्दके विभाजनके विरुद्ध थे किन्तु बादमें इससे सहमत हो गये थे। मैं भारतके बँटवारेका विरोधी था।

इसके बाद गवाहसे पूछा गया कि क्या गान्धीजी रहीम और करीमको राम और कृष्णके साथ एक कर देना चाहते थे? गवाहने कहा कि रहीमका मतलब है दयालु और करीमका मतलब है परोपकारी। मेरे ख्यालमें गान्धीजीके इन शब्दोंके उच्चारणका यही अभिप्राय रहा है कि भगवान् दयालु और परोपकारी हैं। 'रघुपति राघव······' भजनमें हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतिको मिला देनेसे किसीको क्षोभ नहीं होता था।

गवाहने कहा कि २० जनवरीको मैंने वैयक्तिक तौरपर रिपोर्ट की थी। ६-६॥ बजे उस दिन मैं गान्धीजीके साथ था। विस्फोटके बाद भी प्रार्थना जारी रही, केवल कुछ थोड़ी-सी खलबली मची थी। बम-विस्फोटसे किसीको चोट नहीं आयी। जब-तक मैं प्रार्थना-स्थलपर रहा, मदनलालको गान्धीजीके सामने पेश नहीं किया गया। महात्माजीने मदनलालको देखनेकी इच्छा भी प्रकट नहीं की। बम-विस्फोटकी घटनापर गान्धीजीसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। मैं यह नहीं कह सकता कि बम-विस्फोटके बाद भी प्रार्थना जारी रही, किन्तु लोग अभी उसी प्रकार बैठे अवश्य थे। गवाहसे पूछा गया कि गीताका 'स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः' श्लोक

ठीक है या गलत। गवाहने कहा ठीक है, और मैं भी इसे ठीक मानता हूँ। मैं यह नहीं कह सकता कि सड़ककी बत्तियाँ बिड़ला-भवनके मुख्य फाटकके समीप थीं या नहीं और जनवरीमें दिल्लीमें सार्वजनिक बत्तियाँ जलनेका समय ५-३० था। मदनलालको जब पुलिसके खेमेमें ले जाया गया, तो मैं दरवाजेपर था। मदनलाल बिलकुल मेरे पास था और वहाँपर मैंने रिपोर्ट लिखी। तम्बूमें इतना प्रकाश नहीं था कि व्यक्तिके चेहरेको या उसके पाससे बरामद हुई चीजोंको अच्छी तरह देखा जा सके। उस दिन बिड़ला-भवनके हातेमें इधर-उधर घूमने-फिरनेवाले व्यक्तियोंके सम्बन्धमें मैंने किसीसे कुछ नहीं सुना।

गवाहने श्री मेहताकी जिरहके उत्तरमें कहा कि मैंने अपनी आँखोंके सामने किसी हिन्दू या सिखको कत्ल किये जाते हुए या उनकी जायजाद फूँके जाते हुए नहीं देखा। मैंने हिन्दू सिखोंके मकानोंको फुँकते हुए जरूर देखा है। १९४७ के अप्रैलमें मैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बनाया गया था, उससे पूर्व मैं रावलपिण्डीमें वकालत करता था। रावलपिण्डीमें ५० हिन्दू और सिखोंके शव मैंने स्वयं गिने थे, जो अपने-आप मरे हुए मालूम नहीं देते थे। हो सकता है कि बिड़ला-भवनके पीछे नौकरोंके क्वार्टरके यहाँ मैं एक बार गया होऊँ।

६ जुलाई—१९वाँ गवाह—गोपाल गोडसेने विस्फोटकी खबर रेडियोपर सुनी

आज इजलासके बैठनेपर फ्रन्टियर हिन्दू होटलके मैनेजर रामप्रकाश गवाहका बयान लिया गया। गवाहने बताया कि २० जनवरी १९४८ को गोपाल और जी. एम. जोशीके नामसे गोपाल गोडसे और करकरे मेरे होटलमें आकर ठहरे थे। ये व्यक्ति हिन्दुस्तानी भाषा बोला करते थे।

श्री डांगेकी जिरहके जवाबमें गवाहने बताया कि मैं प्रतिदिन १०-१२ घन्टे काम करता हूँ। यह होटल दिल्ली जंकशनसे ५०० फुटकी दूरीपर है। मुझे यह नहीं मालूम कि होटलमें आते समय करकरेने कौनसी पोशाक पहन रखी थी। २ महीनेके बाद बम्बईकी शिनाख्त परेडमें मैंने करकरेको पहचाना था। उस समय तो उसने कुर्ता और पायजामा पहना हुआ था।

गोपाल गोडसेसे परामर्श करके मणियार द्वारा जिरह की जानेपर गवाहने बताया कि गोपाल गोडसे होटलमें एक कमरा लेनेके लिए उसके पास आया था। उस समय एक कमरा खाली था। मैंने उसे वह कमरा दिखा दिया था। गवाहने यह भी बताया कि २० जनवरीकी रातको नौ बजे रेडियोपर खबर होनेके समय गोपाल गोडसे होटलके कार्यालयमें १५-२० मिनट तक बैठा रहा। अगले दिन सुबह जब वह होटल छोड़कर गया, तो उस समय मैं उपस्थित नहीं था। मैं नहीं

कह सकता कि वह कैसी पोशाक पहनकर होटलमें आया था। उन्हें होटलकी दूसरी मञ्जिलका ४ नं० का कमरा दिया गया था।

२० वाँ गवाह महासभा-भवनके पीछे बम गाड़े गये थे

अगला गवाह चमनलाल ग्रोवर था। उसने बताया कि फरवरीमें मैं तुगलक रोड-के पुलिस थानेमें बुलाया गया। मैं लोदी बस्तीमें एक भोजनालय चलाता हूँ। थानेमें बन्द कमरेमेंसे एक व्यक्तिको मेरे सम्मुख लाया गया। उस व्यक्तिने बताया कि वह हिन्दू महासभा-भवनके पीछे उस स्थानको दिखायेगा, जहाँ एक बम तथा अन्य विस्फोटक द्रव्य गाड़े हुए थे। इसके बाद मुझे, मेरे साथी मनोहरलालको और उस व्यक्तिको, पुलिस दो कारोंमें हिन्दू महासभा-भवन ले गयी। मैं जिस कारमें गया था वह बन्द थी। जिस व्यक्तिको मेरे साथ ले जाया गया था, उसने कुर्ता धोती पहनी हुई थी। जब उसे पुलिसकी हिरासतमेंसे निकाला गया था तो उसपर बुर्का डाल दिया गया था। उसके साथ केवल बम्बईकी पुलिसके अधिकारी थे। गवाहने कठघरेके समीप जाकर शंकरकी ओर निर्देश करके कहा कि इसी व्यक्तिको पुलिस उसके साथ हिन्दू महासभा-भवन ले गयी थी। इसके बाद शंकर हमें हिन्दू महासभा-भवनके पीछे ले गया और भवनकी नौकर बस्तीके पिछेकी दीवारके पास जाकर बताया कि यहाँपर एक बम गाड़ा गया था। उसने स्वयं अपने हाथसे उस जगह जमीनको खोदा और एक हथगोला निकाला, जो ईंटजैसा मालूम देता था। इसके अतिरिक्त २५-२६ कारतूस भी मिले। कारतूस कपड़ोंमें लपेटे हुए थे और अखबारसे बँधे थे। उसी समय वहाँपर उन वस्तुओंकी सूची बनायी गयी। पुलिसने उन सबको अपने कब्जेमें कर लिया। इसके बाद शंकरसे पूछा गया कि अन्य दो हथगोले कहाँ हैं। इसपर वह हमें उस स्थानसे ४५ गज दूर एक मद्रासी स्कूलके पीछे ले गया और वहाँपर एक पत्थरके नीचेसे उसने दो हथगोले खोदकर निकाले।

इन वस्तुओंकी प्राप्तिका उसी समय मेमो बनाया गया, जिसपर मैंने और मनोहरलालने हस्ताक्षर किये। इसके बाद हम तुगलक रोड पुलिसके थानेमें लौट आये और वहाँपर विस्फोटक विशेषज्ञोंकी सहायतासे पुलिसने उनमेंसे फ्यूज निकलवा लिये। इसके बाद उन वस्तुओंको पैक करके ऊपर मुहर लगा दी गयी। यहाँ भी एक मेमोपर मनोहरलाल मेहता और मैंने हस्ताक्षर किये।

जिस मुहरका प्रयोग किया गया था उसपर सी. एल. जी. (चमनलाल ग्रोवर) के संक्षिप्त हस्ताक्षर थे। उस समय मनोहरलाल, शंकर, मेरे और पुलिसके सिवा वहाँपर और कोई नहीं था। गड़े हुए बमोंकी खोज करते समय शंकरका

बुर्का हटा दिया गया था। अन्य सब अवसरोंपर उसके ऊपर बुर्का डला रहा। जब ये वस्तुएँ बरामद की जा रहीं थी उसी समय उसके आसपासके स्थानोंका खाका भी खींच लिया गया। पी ४४ नम्बरका चित्र यही खाका था।

जंगलमें पिस्तौल दागनेका अभ्यास किया गया

जलपानके पश्चात् गवाह चमनलाल ग्रोवरने बताया कि मैं बादमें भी तुगलक रोडके थानेमें ले जाया गया था। मध्याह्नके दो बजे दो बन्द किये हुए व्यक्तियोंके पास पुलिस मुझे ले गयी। यह पूछे जानेपर कि क्या तुम अभियुक्तोंमेंसे उन दो व्यक्तियोंको पहचान सकते हो उसने कठघरेके पास जाकर नारायण दत्तात्रेय आपटे और करकरेको पहचाना। आपटेने कहा कि वह उन्हें उस स्थानपर ले जायेगा जहाँ एक पेड़पर पिस्तौल दागनेका अभ्यास किया गया था। इस बार जब मैं उन बन्द किये हुए व्यक्तियोंके साथ कारमें गया तो मेरे साथ लक्ष्मीकान्त जैन भी था। हम हिन्दूमहासभा-भवनकी ओर गये जहाँ बम्बईकी पुलिसका एक अफसर भी मौजूद था। वह पेड़ कौन-सा है ? आपटेसे यह पूछनेपर वह हिन्दू महासभा-भवन और मद्रासी स्कूलके बीचकी सड़कसे दोनों मकानोंके पीछे ले गया। वहाँसे एक सूखे नालेको पार करके हम काफी दूरतक जङ्गलमें गये। तब उसने एक पेड़की ओर इशारा करके कहा कि यह वही पेड़ है। वृक्षपर चार गोलियोंके निशान थे और तनेमें कुछ दूरी परसे ही वृक्षकी ६ शाखाएँ फूट रही थीं। यह एक विचित्र पेड़ था। एक शाखापर दो और दो शाखाओंपर एक-एक गोलीका निशान था। एक ही शाखापर दोनों गोलियोंके निशान एक-दूसरेसे एक-एक फुटकी दूरीपर थे। ये निशान जमीनकी सतहसे सिर्फ २॥ फुट ऊँचे स्थानपर थे। अन्य दो निशान ३ और ३॥ फुटकी ऊँचाईपर थे। आपटेने बताया कि इस वृक्षसे ५ गजकी दूरीपर एक पत्थरपर बैठकर मैं इस वृक्षपर निशाना साधा करता था। पेड़के पास कुछ खाली कारतूस भी पाये गये। कारतूसोंके खोलोंको पुलिसने अपने कब्जेमें कर उनको पैक कर दिया और उनपर अपनी और गवाहकी मुहर लगवा ली। तनेमें जहाँ गोलीके निशान थे उन भागोंको काट लिया गया। गोलीके निशानसे युक्त पेड़के ३ टुकड़े अदालतमें पेश किये गये। इस सारे कार्यमें करकरे भी हमारे साथ रहा। जङ्गलमें ही एक 'पञ्चनामा' तैयार किया गया जिसपर यथाविधि मैंने हस्ताक्षर कर दिये। पुलिस जब आपटे और करकरेको उस स्थानपर ले जा रही थी तो उनपर बुर्का डाल रखा गया था।

श्री ओकद्वारा जिरह की जानेपर गवाहने कहा कि मैं प्रथम बार पुलिसका गवाह बना हूँ। एक कांस्टेबल मेरे पास रेस्टोरेण्टमें आया और उसने मुझसे कहा कि

सी. आई. डी.के पुलिस-अफसर तुम्हें बुलाते हैं। पहली तलाशी ११ फरवरीको और दूसरी २६ फरवरीको ली गयी थी। गवाहने कहा कि भंगी-बस्तीमें मैं दो बार प्रार्थना-सभामें गया था। दूसरी बार जब मैं गया तो कुरानकी आयतोंका पाठ पढ़ा गया था किन्तु किसीने उसपर कोई आपत्ति न उठायी।

श्री मँगलेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि जो कान्स्टेबल मेरे पास आया था उसने मुझे यह भी बताया कि थानेमें बम्बई-पुलिसका एक अधिकारी भी है। उसने मुझे पुलिस-अफसरका नाम नहीं बताया और न मैं कान्स्टेबलका नाम ही जानता था। मुझे उस समय यह नहीं पता था कि मुझे किसलिए बुलाया जा रहा है। कान्स्टेबलने भी मुझे यह नहीं बताया। वह मेरे पास २॥ बजे आया था और मैं लगभग ३। बजे थाने पहुँचा। मार्गमें लक्ष्मीकान्त जैनको भी मैं साथ ले चला। वहाँ जाकर हमने देखा कि बम्बई-पुलिसका वह अधिकारी हमारा पूर्वपरिचित ही है। हमने उनका अभिवादन किया।

इसके बाद आपटे और करकरेको कोठरीके बाहर लाया गया और उन्हें भी बैठनेके लिए कुर्सी दी गयी। उनको हथकड़ी लगी हुई थी। उस समय उनके ऊपरसे बुर्का हटा दिया गया था। ये लोग कुर्सीपर बैठे नहीं। बम्बई-पुलिसके उस अधिकारी 'नगरवाला' ने हमारे सामने आपटेसे प्रश्न किये। मैंने नगरवालासे कुछ नहीं पूछा। मैंने आपटेसे भी यह नहीं पूछा कि वह वक्तव्य क्यों देना चाहता है। जंगलमें जाकर सब काररवाई करनेमें हमें ४५ मिनट लगे। बम्बई-पुलिसके कुछ व्यक्तियोंने 'पत्रनामा' अंग्रेजीमें भी लिखा था।

शंकरके वकील हंसराज मेहताद्वारा जिरह की जानेपर गवाहने बताया कि मैं रावलपिण्डी रहता था। पंजाबके बँटवारेसे मेरी सब सम्पत्ति छूट गयी। मेरा यह विश्वास नहीं था कि गान्धीजी मुस्लिम पक्षपाती नीतिका उपदेश देते हैं। ११ फरवरीको थानेमें मनोहरलालके साथ जानेके पूर्व मैंने सी. आई. डी. के अफसरको पहले नहीं देखा था। हमारे पहुँचनेके १५ मिनट बाद शंकर कोठरीसे बाहर लाया गया था। वहाँपर पुलिसने मुझसे कहा कि उसे गान्धी-हत्याकाण्डकी जाँचमें सेवाओंकी आवश्यकता है। शंकरसे थानेमें कुछ नहीं पूछा गया। शंकर टूटी-फूटी हिन्दुस्तानीमें बोल रहा था, किन्तु मैं उसकी बोली समझ रहा था। बुर्का उसी तरहका था जैसा कि मुस्लिम महिलाएँ पहना करती हैं। हम ११ फरवरीको रातको ९॥ बजे हिन्दू महासभा-भवन पहुँचे थे। उस समय वहाँपर दूसरा और कोई आदमी नहीं था।

जब बम रखनेके स्थानको खोदनेके लिए शंकरको हिन्दू महासभा-भवन ले जाया गया, तब उसके केवल एक हाथमें हथकड़ी थी और सिरपरसे बुर्का उतरा हुआ था

७ जुलाई—२१ वाँ गवाह

आज आगराके विस्फोटक परीक्षक श्री एस. सी रायकी गवाही हुई।

गवाहने कहा कि मैं कलकत्ता विश्वविद्यालयका एम एस-सी. हूँ और पिछले सात वर्षोंसे भारत सरकारके शस्त्र कारखानेमें विस्फोटक रसायनज्ञके तौरपर काम कर रहा हूँ। मेरा काम विस्फोटकोंके बारेमें भेजी गयी रिपोर्टोंकी जाँच करना था।

भारतके मुख्य विस्फोटक परीक्षककी मार्फत दिल्लीकी सी. आई. डी.से मेरे पास ९ फरवरी १९४८ को एक पत्र आया। पत्रके साथ दो पार्सल भी थे। देवकीनन्दन हेड कान्स्टेबल उन्हें मेरे पास लाया था। मुहरें ज्योंकी त्यों थीं। पैकटोंपर लगी मुहरोंके अलावा उन्हीं मुहरोंके दो नमूने भी साथ भेजे गये थे। मैंने इन पैकटोंको खोला और देखा कि अन्दर रखे हुए हथगोलोंकी बनावट बिल्कुल सही थी। उनका वजन २॥ पौण्ड था। ये अत्यन्त भयानक विस्फोटक थे। डिब्बेको अच्छी तरह साफ किया गया, जिससे कोई विस्फोटक अन्दर न रह जाय। हथगोला एक उत्तम ब्रिटिश विस्फोटक था जो व्यक्तियोंको मारनेके काममें लाया जाता है। दूसरे डिब्बेमें भी विस्फोटक द्रव्य थे। मैंने अपनी जाँचकी रिपोर्ट अधिकारियोंको २० फरवरी १९४८ तक दे दी थी।

दिल्ली सी. आई. डी. का ही एक दूसरा पत्र मुझे १२ फरवरीका भेजा हुआ मिला। पत्रके साथ ४ मुहरबन्द पार्सल भी आये थे। मुहर बिल्कुल ठीक थी। उनमें हथगोले भरे हुए थे। जाँच करनेसे मालूम हुआ कि उनमेंसे दो हथगोलोंमें बेरियम नत्रित भरा गया है और दो अन्यमें बैराटोल। मालूम होता था कि बैराटोल वाले ये हथगोले ब्रिटेनमें बने हैं। एक तीसरे हथगोलेसे मालूम होता था कि ये खड़की (पूना) के शस्त्र कारखानेके बने हुए हैं। अधिकारियोंके निर्देशानुसार उनके अन्दरके तत्व मैंने नष्ट कर दिये थे। विस्फोटक द्रव्यसे रहित हथगोले वापस दिल्लीकी सी. आई. डी. को भेज दिये गये।

गवाहने कहा कि डिटोनेटर और फ्यूज भयंकर विस्फोटकोंके विस्फोट करनेमें काम आते हैं। अधिकारियोंके निर्देशानुसार डिटोनेटर और फ्यूज मैंने हटा दिये थे। इनके पार्सलमें एक औंस शुष्क रूईमें १ पौण्ड गीला गनकाटन रखा गया था। यह एक उत्तम विस्फोटक होता है। उस समय यह बिल्कुल ठीक हालतमें था।

जो रुई गवाहको दिखायी गयी थी उसपर डा. एन. के. मैत्रके हस्ताक्षर थे।

२२ वाँ और २३ वाँ गवाह—दिल्लीसे बम्बई टेलिफोन

पुलिस फोटोग्राफर कुँवर सिंहने कहा कि बिड़ला-हाउसके नौकरोंके क्वार्टरके दो फोटो मैंने खींचे। उन्होंने अदालतमें इनको पहचाना।

टेलिफोन रेवेन्यू नयी दिल्लीके एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर श्री पी. आर. कैलासकी गवाही इसके बाद हुई। उन्होंने कहा कि दिल्लीसे जितने ट्रंक टेलिफोन किये जाते हैं उन सबका लेखा मेरे दफ्तरमें रखा जाता है। अदालतमें एक चिट पेश किया गया जिसमें १९ जनवरीको दिल्ली ८०२४ नम्बरसे बम्बई ६०२०१ नम्बरको टेलिफोन किये जानेकी बात लिखी थी। गवाहने कहा कि १९ जनवरीको दिनमें ९–२० पर यह कॉल दर्ज कराया गया। यह पर्सनल अर्जेण्ट था और 'दामले या कसिया' के लिए दर्ज कराया गया था। दिल्ली ८०२४ नम्बर नयी दिल्ली रीडिंग रोड हिन्दू सभाके अवैतनिक आफिस सेक्रेटरीके नाममें है। बातचीत नहीं हो सकी इसलिए इसके लिए केवल २॥।) चार्ज किया गया। जिससे बातचीत करना चाहते थे वह नहीं मिले। बिल भेजा गया और १९ मईको उसका रुपया मिल गया।

अन्य वकीलोंने जिरह करनेसे इनकार किया। यह नम्बर भोपटकरका था इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जिरह करूँगा। उन्होंने सब पहले पहल जिरह की थी। गवाहने कहा कि उस समय बम्बईमें जो आपरेटर था उसीने यह चिट तैयार की है। ऐसी ही चिटें दिल्लीसे हुई सारी बातचीतोंके लिए आती हैं।

भोपटकरने कहा—चिटके नीचे देखिये कुछ कटा हुआ है। अदालतने चिट देखी। उसमें 'दलाल' नाम काटकर 'डेमेलो' बनाया गया था। दूसरा नाम 'कसिया' था।

गवाहने कहा कि मैं ठीक नाम नहीं जानता, जो चिटमें लिखा है वही जानता हूँ। पुलिसने मुझसे कुछ सवाल जरूर पूछे थे, पर कोई बयान नहीं लिया था। मैंने पुलिससे यह नहीं कहा था कि कॉल ११–१५ पर बुक किया गया। बम्बईवालोंने पहले ११ बजे फिर ११–५० पर उस आदमीको बुलानेकी कोशिश की थी। मैं यह भी नहीं जानता कि १९ मईको बिलका रुपया किसने दिया।

ट्रंककॉलका बिल पेश किया गया तो उसमें बम्बईका नं० ६०२१० लिखा था। गवाहने कहा कि मैंने जाँच नहीं की कि बम्बई ६०२१० कौन है।

२४ वाँ और २५ वाँ गवाह

इसके बाद दिल्ली स्टेशनके एक टिकट-बाबू लाला बद्रीनाथकी गवाही हुई। उसने कहा कि २० जनवरीको ४ बजे दिनसे १२ बजे रातके बीच मेरी ड्यूटीमें मैंने कानपुरके लिए पहले दर्जेके तीन टिकट बेचे। टिकट नं० ६१४ ए, ६१४ बी और ६१५ थे। यह नहीं कह सकता कि पहले दोनों टिकट (एक ही टिकटके दो भाग) एक साथ बेचे या अलग-अलग। कानपुर होकर जानेवाली (एक गाड़ी) हावड़ा एक्सप्रेस ९ बजे रातको दिल्लीसे रवाना हुई।

नक्शानवीस श्री एन. एन. कपूरने कहा कि पुलिसके कहनेसे मैंने बिड़ला-भवनके पिछवाड़ेके दो नक्शे बनाये थे।

सबूतका और कोई गवाह नहीं था इसलिए अदालत जल्दी उठ गयी। जजने सबूत पक्षको आगाह किया कि उसे पर्याप्त गवाह बुलाने चाहिये। दफ्तरीने कहा कि अगले गवाहकी गवाहीमें पूरे दो दिन लगेंगे।

८ जुलाई—४ गवाहोंके बयान

आज अदालतमें दिल्ली जंकशन स्टेशनके बुकिंग क्लर्क सुन्दरलाल (२८) ने नथूराम गोडसे और आपटेको पहचानकर कहा कि ये ही दो २९ जनवरीको स्टेशनके रेलवे रिटायरिंग रूममें ठहरे थे। करकरेको पहचानकर गवाहने कहा कि ३० जनवरीको यह भी उसी कमरेमें आया था। २९ जनवरीको दोपहरको १२ बजे नथूराम अपना नाम विनायकराव बताते हुए आया और एक दो चारपाईवाले कमरेको रिजर्व करनेके लिए कहा। मैंने कहा कि अभी कोई कमरा खाली नहीं है, पौन घण्टेके बाद आइये। १ बजे विनायकराव अपने मित्रके साथ आया और एक कमरा उनको दिया गया। विनायकरावने सेकेण्ड क्लासके दो टिकट दिखाये, एक पूनेसे था और एक ग्वालियरसे। ३० जनवरीको विनायकराव फिर आया और कहने लगा कि हम और रहेंगे, पर मैंने कहा कि नियमानुसार २४ घण्टेसे अधिक कोई नहीं रह सकता और स्टेशन सुपरिण्टेण्डेण्टकी अनुमतिके बिना टाइम नहीं बढ़ाया जा सकता। १ बजे भी ये लोग नहीं गये इसलिए मैं इनके कमरेमें गया। उस समय एक और आदमी वहाँ खड़ा था। मेरे कमरा खाली करनेके लिए कहनेपर विनायकरावने उस तीसरे आदमीसे बिस्तर बाँधनेको कहा। मैं कोई १५ मिनट खड़ा था और जब सामान बाहर निकाला जाने लगा तो दफ्तर वापस लौट गया। कमरेमें तीनों मराठीमें बातचीत कर रहे थे।

जिरहमें वकील श्री ओकके यह पूछनेपर कि २८ मईको अखबारोंमें गवाहने अभियुक्तोंके चित्र देखे या नहीं; गवाहने कहा कि नहीं। रसीदपर १२ काटकर १ बनाया गया था उसके बारेमें पूछनेपर गवाहने कहा कि यह उसी समय बनाया गया था जब रसीद दी गयी थी। गवाह कुछ बहरा था इसलिए सवाल आदि करनेमें कुछ दिक्कत हुई।

इसके बाद रेलवे क्वार्टरमें रहनेवाले विश्रामगृहके परिचारक हरिकिशनकी गवाही हुई। उसने कहा कि मुझे गान्धीजीके हत्या-दिवसका स्मरण है और यह भी याद है कि २९-३० जनवरीको ६ नं० के कमरेमें लोग टिके हुए थे। उन तीन व्यक्तियोंमेंसे एकने दो रुपये देकर कपड़े धुलवानेके लिए दिये। उस व्यक्तिको गवाहने नथूराम गोडसेके रूपमें पहचाना। ६ नं० के कमरेमें ठहरते समय उसके साथ दो और आदमी थे। उनमेंसे एकके पास कुछ सामान भी था। जिस व्यक्तिने मुझे दो रुपये दिये थे उसने उन रुपयोंको विश्राम-गृहके मोचीको देनेके लिए कहा

था जो विश्राम-गृहमें जूतोंपर पालिश किया करता था। यह पूछे जानेपर कि क्या वह अभियुक्तोंमेंसे उन अन्य दो व्यक्तियोंको पहचान सकता है, अभियुक्तने कहा हाँ। (किन्तु वह केवल करकरेको ही पहचान सका)। ३० को १२॥ बजे मैंने उनसे कमरेको खाली करनेके लिए कहा। उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि शीघ्र ही खाली कर देंगे; किन्तु उन्होंने पूछा कि क्या वे २४ घण्टेके लिए और नहीं ठहर सकते ? मैंने कहा, मुश्किल है। इसके बाद वे अपना सामान पहले दर्जेके वेटिंग रूममें ले गये।

इसके बाद दिल्ली रेलवे स्टेशनपर जूतोंपर पालिश करनेवाले जन्नू मोचीकी गवाही हुई। उसने बताया कि गान्धीजीकी हत्याके एक दिन पहले ६ नं० के कमरेमें ३ बाबू आकर ठहरे थे उनमेंसे एकके जूतोंपर मैंने पालिश भी की थी। उसी पालिश करानेवाले व्यक्तिने मुझे कपड़े धुलवानेके लिए भी दिये थे और उनकी जल्दी माँग की थी। इसीलिए ५ कपड़ोंकी धुलाई उसने दो रुपया दी थी।

यह पूछे जानेपर कि क्या वह उस व्यक्तिको पहचान सकता है, जिसने उससे अपने जूतेपर पालिश करायी थी तो जन्नूने कठघरेके पास जाकर नथूराम विनायक गोडसेको पहचाना। यह पूछे जानेपर कि क्या वह अन्य दो व्यक्तियोंको भी पहचान सकता है, गवाहको थोड़ी देरके लिए अदालतसे बाहर ले जाया गया। इसी बीचमें अभियुक्तोंने अपने स्थान बदल लिये और करकरेने तो ऐनक भी पहन ली। फिर भी गवाहने अन्दर आकर आपटे और करकरेको पहचाना। जन्नू ३० ता० को सुबह जब कपड़े धुलवाकर लाया, तो बाबू वहाँपर नहीं थे। उसने बैरा हरिकृष्णको वे कपड़े सौंप दिये।

जिरहमें गवाहने कहा कि मैं सदर बाजारमें रहता हूँ और दिल्ली स्टेशनपर मोचीका काम करके २-३ रुपये प्रतिदिन कमा लेता हूँ।

अगला गवाह पुलिस हेड कान्स्टेबल देवकीनन्दन था। उसने कहा कि ९ फरवरी १९४८ को तुगलक रोड पुलिस-थानेमें एच. सी. काबुलसिंहने मुझे दो मुहरबन्द पार्सल दिये थे। मैं उन्हें सी. आई. डी. के अफसरोंके पास ले गया। मुझे उन पार्सलोंको आगराके विस्फोटक परीक्षकके पास ले जानेको कहा गया। १० फरवरीको प्रातः जब मैंने वे पार्सल विस्फोटक परीक्षकको सौंपे तब तक वे ठीक वैसे ही थे। तुगलक रोड पुलिस थानेके काबुलसिंहसे १३ फरवरीको ४ मुहरबन्द पार्सल और मिले। उनको भी मैं पहले तो सी. आई. डी. के अफसरोंके पास ले गया और उसी दिन वे भी मैंने आगराके विस्फोटक परीक्षकको पहुँचा दिये। २८ अप्रैलको मुझे फिर आगरा भेजा गया और २९ अप्रैलको दो मुहरबन्द पार्सल विस्फोटक निरीक्षकके पाससे लाकर मैंने फव्वारेके पासकी कोतवालीमें सौंप दिये।

९ जुलाई—एक दिनमें ८ गवाह

आज अदालत जब बैठी तो अभियुक्त मदनलालकी ओरसे एक दरखास्त इस आशयकी दी गयी कि महात्मा गान्धीकी यात्राओं, भाषणों और लेखोंके सम्बन्धमें कानूनी मान्यता देनेके लिए अदालत 'देहली डायरी' पुस्तकको स्टैण्डर्ड किताब मान ले।

आज अदालतमें पहले पहल गवाहोंने ३० जनवरीको हुए गान्धीजीके हत्याकाण्डका विस्तृत विवरण सुनाया।

आज सबसे पहले शाही भारतीय वायुसेनाके सार्जेन्ट रामचन्द्रकी सबूत पक्षकी ओरसे गवाही हुई। उन्होंने बताया कि मुझे अम्बालासे दिल्ली स्थानान्तरित किया गया था और मैं गान्धीजीकी शामकी प्रार्थनाओंमें जाया करता था। एक दिन एक साधुने संस्कृतमें कुछ आपत्ति की थी, संभवतः वह कुरानके पाठके सम्बन्धमें थी। 'रघुपति राघव राम रहीम, पतितपावन कृष्ण करीम' गाते मैंने कभी नहीं सुना था। २० जनवरीकी शामको विड़लाभवनके पीछे नौकरोंके क्वार्टरके हातेकी दीवारके पास गनकाटनके एक टुकड़ेका विस्फोट होते हुए देखा था। उस समय गान्धीजी प्रार्थनासभामें भाषण कर रहे थे। मैं बम फटनेके स्थानकी ओर भागा और दीवार फाँदकर पास ही खड़ी हुई एक पंजाबी लड़की सुलोचनादेवीसे मैंने पूछा कि बम-विस्फोट किसने किया है। जब सुलोचना देवीने पास खड़े हुए एक व्यक्तिकी ओर इशारा किया तो मैंने उस व्यक्तिको पकड़ लिया।

बादमें एक पुलिस कान्स्टेबल और विड़लाभवनके चौकीदारने भी मदनलालको पकड़ लिया। इसके बाद रामचन्द्र गवाह कटघरे के पास गया और मदनलालकी ओर संकेत करके कहा कि इसी व्यक्तिको मैंने पकड़ा था। गवाहने आगे कहा—मदनलालने मेरी पकड़ छुड़ानेकी कोशिश की किन्तु उसे सफलता नहीं मिली। पुलिस कान्स्टेबलने अपनी रायफल मदनलालकी ओर कर दी। मुझे यह नहीं मालूम कि रायफलमें कारतूस थे या नहीं। उस समय सुलोचना कुछ उत्तेजित मालूम देती थी।

इसके बाद तुगलक रोड पुलिस थाने के स्थानापन्न सब-इन्स्पेक्टर अमरनाथकी गवाही ली गयी। अमरनाथका काम प्रार्थनाके समय विड़लाभवनकी देखभाल करना था। गवाहने अपने बयानमें कहा कि मेरी ड्यूटी सायं ४॥ बजेसे शुरू होती थी। मेरे नीचे १ हेडकान्स्टेबल और ४ कान्स्टेबल काम करते थे। ३० जनवरीको गान्धीजीकी हत्याके दिन मैं गान्धीजीके पीछे खड़ा था। मैंने एक गोलीकी आवाज सुनी और धुआँ भी उठता हुआ देखा।

मैं तुरन्त ही हत्यारेकी ओर भागा और मैंने उसे गर्दन और कन्धोंसे पकड़

लिया। परन्तु मेरे पकड़ने तक वह दो गोलियाँ और चला चुका था। सार्जेन्ट देशराजने कातिलकी कलाई पकड़ ली और उसके हाथसे पिस्तौल छीन ली जिसमेंसे चार कारतूस और मिले।

वहाँपर इकट्ठी हुई भीड़ने उसी समय कातिलपर हमला करना शुरू कर दिया। मैं, इस डरसे कि कहीं लोग उसे मार ही न डालें, कातिलको वहाँसे हटाकर कुछ दूर एक दूसरे स्थानपर ले गया। किन्तु अबतकके हमलोंसे उसे एक घाव हो चुका था, और उसमेंसे खून बह रहा था। इतना बयान दे चुकनेके बाद गवाह अभियुक्तोंके कठघरेके पास गया और गोली चलानेवाले व्यक्तिके रूपमें उसने नथूराम गोडसेको पहचाना।

गोडसेके वकील श्री ओक जब गवाहसे जिरह करने लगे तो नथूराम गोडसेने खड़े होकर जज से कहा कि मैं यह नहीं चाहता कि मेरा वकील मुझसे सम्बन्धित ३० जनवरीकी घटनाके प्रत्यक्षदर्शी सबूत पक्षके गवाहसे कोई सवाल पूछे।

अगले गवाह गान्धीजीके निकट रहनेवाले श्री नन्दलाल मेहता थे। उन्होंने कहा कि मैंने हत्यारेको गान्धीजीपर गोली चलाते हुए देखा था क्योंकि मैं उस दिन गान्धीजीके साथ ही प्रार्थनामें जा रहा था। जब गान्धीजी लड़खड़ाकर गिर रहे थे, मैंने उन्हें सहारा दिया और उनका सिर गोदमें टिका दिया। गान्धीजीके प्राणपखेरू तुरन्त ही उड़ गये। पहले मैंने गान्धीजीके ऊपरी वस्त्रोंमें खून जमा हुआ देखा। बादमें स्नान कराते हुए मुझे मालूम हुआ कि उनके शरीरपर गोलियोंके ३ घाव हैं। मैंने पुलिसकी सूचनारिपोर्टपर हस्ताक्षर किये थे।

जलपानके बाद अदालतके फिर बैठनेपर हेडकान्स्टेबल काबुल सिंहने गवाही देते हुए कहा कि २० जनवरी, १९४८ को मदनलालके पाससे बरामद किये गये हथियार तुगलक रोडके पुलिस थानेमें रखे गये थे। ३० जनवरीको स्थानापन्न सब-इन्स्पेक्टर अमरनाथने भी थानेमें कुछ हथियार रखवाये थे, जिनके विषयमें कहा जाता था कि ये नथूराम गोडसेके पाससे मिले हैं। ११ फरवरीको ४ मुहरबन्द पैकेट और २५ रिवाल्वरके कारतूस जमा कराये गये। मुहरबन्द पैकटोंमें तीन हथगोले, ३ दाहक, एक डिटोनेटर और एक गनकाटनका टुकड़ा रखा हुआ बताया जाता था। ये वही हथियार थे जो अभियुक्त शंकरने हिन्दू महासभाभवनके पीछेकी जमीनमेंसे निकालकर पुलिसको दिये थे।

२६ जनवरीको २ मुहरबन्द पैकेट और २ मार्चको एक और पैकेट जमा कराया गया था। २ मार्चको जमा कराये गये पैकेटमें लकड़ीके ३ टुकड़े थे। ये वही टुकड़े थे, जिनपर हिन्दू महासभाभवनके पीछेके जंगलमें गोली मारनेका अभ्यास किया गया था। इन तीनों टुकड़ोंपर ४ गोलियोंके निशान थे।

तुगलक रोड पुलिस थानेका सिपाही रत्नसिंह अगला गवाह था। उसने कहा कि २० जनवरीको बिड़लाभवनकी निगरानीमें तैनात किये हुए लोगोंमें मैं भी था। उस दिन जब मैंने विस्फोटका शब्द सुना तो तुरन्त तेजीसे उसी ओर गया। मेरे पास एक रायफल और ५० कारतूस थे। मैंने एक दीवार फाँदी और वहाँपर एक पञ्जाबी लड़कीको खड़ी देखा। मैंने उससे पूछा कि क्या वह बम-विस्फोट करनेवाले व्यक्तिको जानती है। उस लड़कीने पास ही खड़े एक व्यक्तिकी ओर इशारा किया। मैंने अपनी रायफल मदनलालकी ओर करके कहा कि यदि तू भागनेकी कोशिश करेगा, तो मैं तुझे गोली मार दूँगा। मैंने उसे पकड़ लिया। सार्जेन्ट् रामचन्द्र और चौकीदार भूरसिंहने भी उसे पकड़ लिया (गवाहने कठघरेके पास जाकर मदनलालको पहचाना) रास्तेमें मुझे मजिस्ट्रेट साहनी मिले और हम मदनलालको बाहरके पुलिस खेमेमें ले गये। ३० जनवरीको भी मैं ड्यूटीपर था। गान्धीजीकी बायीं ओरसे मैंने गोली दागनेकी २-३ आवाजें सुनीं। एक इन्स्पेक्टर और सार्जेन्टने हमलावरको पकड़ लिया। सार्जेन्टने हत्यारेके हाथसे पिस्तौल छीन ली। जिस स्थानपर गान्धीजीको गोली मारी गयी थी, वहाँपर मैंने कारतूसोंके दो खोल, और दो जाया कारतूस पड़े हुए देखे। मैं उनकी देखभाल करता रहा।

उसने नथूराम गोडसे और आपटेकी ओर इशारा करते हुए कहा कि इन दो व्यक्तियोंमेंसे कोई एक ३० जनवरीको पकड़ा गया था। मुझे यह निश्चय नहीं, कि इनमेंसे किसने उस दिन गान्धीजीपर गोली चलायी थी।

६ठा गवाह तुगलक रोड पुलिस थानेका सहायक सब-इन्स्पेक्टर धाल्लूराम था, जो इस समय करौल बागके थानेमें काम करता है। उसने अपने बयानमें कहा कि मैं २ फरवरीको उन पार्सलोंको फिल्लौरकी एक रसायनशालामें जाँचके लिए वहाँ ले गया था। २ फरवरीको ही मैं उन पार्सलोंको वापस लेकर दिल्ली चला आया।

दिल्ली प्रान्तके नाँगलोई पुलिस थानेका सहायक इन्स्पेक्टर परशुराम अगला गवाह था। फरवरी और मार्चमें वह दिल्लीके तुगलक रोड पुलिस थानेमें काम करता था। उसने अपने बयानमें बताया कि मैं २ मार्चको तीनों तनोंके टुकड़ोंको एक ही पैकेटमें रखकर, जिसका भार ८-१० सेर तक हो गया था, उनपर हुए गोलियोंके छेदोंकी जाँचके लिए एक अन्य स्थानको ले गया।

अगला गवाह हेडकान्स्टेबल धरमसिंह था; जो ३० जनवरी १९४८ को बिड़लाभवनमें ड्यूटीपर तैनात था। महात्मा गान्धीजीकी जब हत्या की गयी तो वह उनके दाहिने हाथकी ओर था। मैंने गान्धीजीपर गोली चलायी जाते हुए देखा था। गवाह कठघरेके पास गया और नथूराम गोडसेको पहचानकर बोला—यही वह व्यक्ति है जिसने गान्धीजीपर गोली चलायी थी।

इसके बाद जाँचके लिए अन्य कोई गवाह नहीं था, इसलिए अदालत सोमवार-के लिए स्थगित हो गयी।

१२ जुलाई

आज अदालतकी कारवाई शुरू होनेपर 'दिल्ली डायरी' पुस्तकको अदालतद्वारा स्वीकार कर लेनेका अनुरोध करनेवाली मदनलालकी अर्जी पेश हुई। मदनलालके वकील श्री बनर्जीने कहा कि मेरे मुअक्किलका कहना है कि उसने जो कुछ किया महात्मा गान्धीके कार्यों और नीतिके विरुद्ध अपना विरोध-प्रदर्शन करनेके लिए किया। इसके लिए जरूरी है कि अदालत किसी एक पुस्तकको जिसमें गान्धीजीके लेखों, भाषणोंका संग्रह हो, सन्दर्भके लिए मंजूर करे। 'दिल्ली डायरी' में गान्धीजी-के सितम्बर १९४७ से जनवरी १९४८ तक किये गये भाषणोंकी रिपोर्ट है और राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसादने उसकी भूमिका लिखी है।

सरकारी वकील दफ्तरीने अर्जीको स्वीकार करनेका विरोध किया। अदालतने कहा कि यह अर्जी उस समय पेश की जानी चाहिये जब सफाई पक्षके गवाहोंके बयान लेनेका काम शुरू हो, अर्जीपर अन्तिम निर्णय उसी समय किया जायगा। इस बीच अदालतने 'दिल्ली डायरी' की एक कापी दाखिल करनेके लिए श्री बनर्जीसे कहा।

३८ वें गवाह—सिविल सर्जन

आज सबसे पहले नयी दिल्लीके इरविन हास्पिटलके सुपरिण्टेण्डेण्ट और सिविल सर्जन लेफ्टनेण्ट कर्नल पी. एन. तनेजाका बयान हुआ। उन्होंने ३१ जनवरीको ८॥ बजे बिड़ला-भवनमें गान्धीजीके शवकी परीक्षा की थी। उन्होने कहा कि मैं समझता हूँ कि गान्धीजीकी मृत्यु पिस्तौलसे छोड़ी गयी गोलियोंसे लगी चोट-से शरीरके अन्दर रक्तस्राव होनेसे जो धक्का लगा उसके कारण हुई।

गवाहने कहा कि गान्धीजीके शवकी शिनाख्त डाक्टर जिवराज मेहताने भी की थी। उनके शरीरपर पाँच घाव मैंने देखे। एक घाव छातीकी दाहिनी ओर गहरा, दबा और अण्डाकार था। दो और घाव दाहिनी ओर थे। $\frac{1}{4}'' \times \frac{1}{6}''$ के ये थे और शरीरकी दूसरी ओर ये $\frac{1}{3}'' \times \frac{1}{4}''$ हो गये थे। तीनों सम्भवतः पिस्तौलकी गोलियोंके थे। बाकी दो घाव पीछेकी ओर गोली निकल जानेके थे। (गवाहने डाक्टरी भाषामें घावोंका पूरा वर्णन किया।) गवाहने कहा कि बिड़ला-भवन पहुँचते ही मुझे रक्तसे सनी एक धोती दिखायी गयी। मुझे शव-रिपोर्ट और पुलिसकी रिपोर्ट

दिखायी गयी। गवाहने इन दोनों रिपोर्टों और अपनी रिपोर्टकी अदालतमें शिनाख्त की। (गोडसेकी इच्छाके अनुसार इनसे जिरह नहीं की गयी।)

ग्वालियरके गवाह

अगले गवाह ग्वालियरके जगदीशप्रसाद गोयलने अपने बयानमें कहा कि मैं डाक्टर परचुरेको १९४१ से जानता हूँ (गवाहने उनकी शिनाख्त भी की।) वे 'हिन्दूराष्ट्र-सेना' के 'सर्वाधिकारी' थे। हिन्दू युवकोंको संघटित करनेके लिए यह बनायी गयी थी। परचुरेके कहनेसे मैं भी इसमें शामिल हुआ था और रोज परेडमें जाता रहा। मैं सावरकरके सेक्रेटरी दामलेको भी जानता हूँ। वे १९४१ में ग्वालियर आये थे। दामलेके साथ आपटे भी ग्वालियर आया था (गवाहने कठघरेमें आपटेकी ओर इशारा कर कहा।) इसके बाद २८ जनवरी १९४८ को आपटेको मैंने ग्वालियरमें डाक्टर परचुरेके दवाखानेमें देखा। कठघरेमें नथूरामकी ओर इशारा कर गवाहने कहा कि यह भी उसी दिन डाक्टर परचुरेके यहाँ था। दो साल पहले भी मैं गोडसेसे मिला था। उस समय वह 'अग्रणी'का सम्पादक था। ('अग्रणी' बादमें 'हिन्दू-राष्ट्र' हुआ।) २८ जनवरीको सवेरे करीब ९ बजे मुझे डाक्टर परचुरेके यहाँसे जरूरी बुलावा आया। मैंने खबर दी कि दफ्तर जाते समय आऊँगा। १०॥ बजे मैं दवाखाने गया। डाक्टर परचुरे नहीं थे, पर गोडसे और आपटे वहाँ बैठे थे। मैं रुका नहीं और दफ्तर चला गया। मैं ग्वालियरके दण्डवते (फरार अभियुक्त) को भी जानता हूँ। २८ जनवरीकी रातको करीब ९ बजे वह मेरे घर आया और कहने लगा कि गोडसेको एक पिस्तौलकी जरूरत है। मुझसे उसने कहा कि मैं अपनी पिस्तौल बेच दूँ। मैंने कहा कि मेरे पास एक ही पिस्तौल है इसलिए मैं बेंच नहीं सकता। दण्डवतेने कहा कि दूसरी पिस्तौल मिल जायगी और ५००) भी मिलेंगे। इसपर मैंने अपनी पिस्तौल दण्डवतेको दे दी। १० बजे दण्डवते फिर आया और एक देशी रिवाल्वर और ३००) देने लगा। मैंने इनकार किया और कहा कि या तो पिस्तौल लौटा दो या ५००) दो। दण्डवते इसपर चला गया। पिस्तौलके साथ मैंने ७ राउण्ड कारतूस भी दिये थे। (गवाहने इन चीजोंको अदालतमें पहचाना।) २ फरवरीको मैं डाक्टर परचुरेसे मिला और उनसे कहा कि मेरे पिस्तौलका अच्छा उपयोग नहीं किया गया। परचुरे कुछ बोले नहीं।

इनका बयान शुरू होनेके पहले परचुरेके वकील इनामदारने इनका बयान लेनेपर आपत्ति उपस्थित करते हुए कहा था कि मेरा मुअक्किल ग्वालियर राज्यका प्रजाजन है। जजने यह विवाद बादमें उठानेको कहा।

श्री इनामदार वकीलकी जिरहके उत्तरमें गवाहने बताया कि मैं फरार हो गया था, पर अप्रैलमें झांसीमें पकड़ा गया। लेकिन बादमें पुलिसने रिहा कर दिया। जबसे पुलिसने मुझे हिरासतसे छोड़ा है तबसे पुलिस द्वारा कोई निगरानी नहीं की गयी। मैं पुलिसके साथ दिल्लीमें हूँ, क्योंकि मुझे भय है कि ग्वालियर जानेपर सार्वजनिक सुरक्षा आर्डिनेन्सके अन्तर्गत मुझे हिरासतमें न ले लिया जाय।

उसने बताया कि मुझे हिरासतसे रिहाईका कोई लिखित आदेश देखनेको नहीं मिला। मैं जानता था कि ग्वालियरमें एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा था। संघियों और राष्ट्रसेनाके बीच एक झगड़ा भी चल रहा था। राष्ट्रसेनाका मैं भी सदस्य था। मैं मधुकर कालेको भी जानता था; किन्तु मैं यह नहीं जानता कि वह संघी थे। वे ग्वालियर राज्य सरकारके कर्मचारी हैं।

उसने बताया कि पिस्तौलका कोई लाइसेंस मेरे पास नहीं था। मैंने यह पुलिससे छिपाकर रखी थी। (गवाहके पास और भी कोई ऐसी लिखा-पढ़ी न थी जिससे सिद्ध हो सके कि यह पिस्तौल उसकी ही थी।)

उन दिनों विभिन्न राजनीतिक दलोंके नेता ग्वालियरमें अपने मतोंका प्रचार करने आते-जाते थे। ग्वालियरकी विभिन्न संस्थाएँ 'ब्रिटिश' भारतकी संस्थाओंसे स्वतंत्र थीं। २४ जनवरी १९४८ को कांग्रेसके हाथमें ग्वालियरका शासन आया। ग्वालियरमें हिंदूमहासभा विरोधदलके रूपमें थी। डा० परचुरे हिंदूमहासभाके एक नेताओंमेंसे हैं। ग्वालियर सरकारने जनवरी १९४८में डा० परचुरेको नजरबन्द कर लिया क्योंकि उस समय ग्वालियर अंतरिम सरकारमें हिस्सा लेनेके लिए हिंदूमहासभा सत्याग्रह करनेका इरादा कर रही थी। अभीतक ग्वालियर सरकारमें हिंदूसभाको कोई भाग नहीं मिला है।

दिल्लीसे सावरकरके घर बम्बई फोन किया गया

जलपानके बाद आजके तीसरे गवाह सरदारीलाल वर्माका बयान लिया गया। आप दिल्ली ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंजके सुपरवाइजर हैं। वह अपने साथ एक ट्रंक-कॉल टिकट लाये थे जिससे साबित होता था कि १९ जनवरी १९४८ को दिल्लीके ८०२४ नम्बरके फोनसे बम्बईके ६०२०१ नम्बरको फोन किया गया। यह फोन दिल्लीकी हिन्दू महासभाके जनरल-सेक्रेटरीकी ओरसे बम्बईके दो व्यक्तियों—दामले और कासारके लिए किया गया था। यह फोन पहली बार उस दिन सवेरे ११ बजे करनेकी कोशिश की गयी और फिर ११-५५ पर, किन्तु दोनों बार बम्बईमें जिनके लिए फोन कि। गया था वह उपलब्ध न हो सके। अतः फोनका कॉल रद्द कर दिया गया और प्रेषकसे २५ प्रतिशत महसूल वसूल किया गया। बम्बई फोनका उक्त नम्बर ६०२०१ वी. डी. सावरकरके फोनका नम्बर है।

बचाव पक्षके वकीलोंके नेता श्री एल. बी. भोपटकरकी जिरहके उत्तरमें गवाह सरदारीलालने कहा कि मैं अपने दफ्तरकी लिखापढ़ीके आधारपर यह बता रहा हूँ कि यह ट्रंककॉल किसने किया था। मुझे व्यक्तिगत रूपसे इसका कुछ ज्ञान नहीं। दिल्लीसे प्रतिदिन लगभग १५०० ट्रंककॉल होते हैं। बाहरके कॉलोंका भी लेखा रहता है। बम्बईके उस कॉलमें 'दामले' का दिल्लीका शब्दविन्यास 'डेमल' हो गया था, जब कि बम्बईमें इस नामको 'डिमेलो' लिखा गया। दूसरा नाम दिल्लीमें 'कसर' लिखा गया और फोन नं० ८०२४ था। किन्तु श्री भोपटकरने कहा कि यह नाम 'कसाई' लिखा है और नं० ८३२४ है। लेकिन अदालतने यह स्वीकार नहीं किया।

ट्रंककॉल टिकटपर 'कॅंसिल्ड' शब्द लिख दिया गया था। किन्तु बादमें वह काट दिया गया। गवाहने यह बात मान ली कि यह शब्द वास्तवमें काट दिया गया था। श्री भोपटकरने कहा कि ११-५५ बजेके नीचे भी कुछ लिखा है। इसपर गवाहने बताया कि पेंसिलसे '१२' लिखा गया था। यह अक्षर मिट गये हैं, लीपापोती नहीं की गयी है।

गवाहने कहा कि यह कॉल रद्द नहीं किया गया क्योंकि प्रेषकसे २५ प्रतिशत महसूल ले लिया गया था। टिकटका यह महसूल २-१२ आना था, किन्तु उसपर १ रु० १५ आना कैसे लिखा गया, यह मैं नहीं जानता।

अगली गवाही दिल्लीकी टेलीफोन आपरेटर सिख लड़की कु० बलवन्त कौरकी हुई जो १९ जनवरी ४८ को बम्बईके स्विचबोर्डपर थी। उसने कहा कि कॉल पानेवाले व्यक्ति उपलब्ध न थे, अतः मैंने ९१ नम्बरको उसकी सूचना दी कि कॉल रद्द कर दिया जाय। इन्क्वायरी सेक्शनमें उस समय एक नयी कर्मचारिणी कु० जी० फर्नेंस थी। उन्होंने टिकटपर 'कॅंसिल्ड' लिख मारा। उनका यह लिखना गलत था। अतः उसे काटना पड़ा। कु० फर्नेंस अभी जनवरीमें ही इस विभागमें आयी हैं। श्री भोपटकरकी जिरहके उत्तरमें कु० कौरने कहा कि मुझे तब बम्बई-आपरेटरका नाम मालूम न था। मैंने दोनों बार बम्बईके ६०२०१ नम्बरसे पूछनेपर यही जवाब पाया कि सम्बद्ध व्यक्ति उपलब्ध नहीं।

आज अन्तमें गवाही २६ वर्षीया एँग्लो-इंडियन लड़की कु० जी० फर्नेंसकी हुई। इनसे शपथ लेनेके लिए जेलसे बाइबिल मँगवायी गयी। अतः अदालतकी कार्यवाही १५ मिनटतक स्थगित रही। इस लड़कीने अगस्त १९४७ में टेलीफोन एक्सचेंजमें पैर रखा और जनवरी ४८ में इन्क्वायरी विभागमें आ गयी। उसने बताया कि मैंने गलतीसे 'कॅंसिल्ड' शब्द लिख दिया था और बादमें उसे काटकर वहाँ हस्ताक्षर किये थे। मैंने गलतीसे १२ लिखे थे और बादमें उन्हें मिटानेकी कोशिश की। मुझे ठीक मालूम नहीं कि 'कॅंसिल्ड' शब्द किसने काटा था। शंकर

क्रिस्तैयाके वकील श्री मेहताकी जिरहपर इस गवाहने कहा कि 'वम्बई वोर्ड' तथा 'इन्क्वायरी विभाग' एक ही कमरेमें केवल ५ गजके अन्तरपर हैं।

१३ जुलाई

आज मुकदमेकी सुनवाई फिर शुरू होनेपर सवूत पक्षके अगले गवाह गरीवाका वयान लिया गया। इसकी उम्र ५० वर्ष है और यह ग्वालियरमें ताँगा हाकनेका काम करता है।

गरीवाने अपने वयानमें कहा कि मुझे यह मालूम है कि गान्धीजीको कव कत्ल किया गया था। गान्धीजीकी हत्यासे दो-तीन दिन पहले मैं ग्वालियर स्टेशनसे रात ११॥ वजे दो आदमियोंको ले गया था, जो वम्वई एक्सप्रेससे आये थे और पहले दूसरे दर्जेके टिकटके दरवाजेसे स्टेशनसे वाहर निकले थे। मार्गमें घोड़ेकी लगाम टूट जानेसे मैंने उन लोगोंको दूसरे ताँगेमें भेज दिया। वे दोनों व्यक्ति परचुरेके पास जा रहे थे।

गवाह कठघरेके पास गया और उसने ताँगेमें सवार होनेवाले व्यक्तियोंको पहचाना, जो नथूराम गोडसे और आपटे थे। गवाहने उन्हें वम्वईमें भी पहचान लिया था।

श्री ओकने अपने मुअक्किल नथूराम गोडसेसे सलाह करके गवाहसे जिरह न करनेका फैसला किया। आपटेके वकील मॅगलेकी जिरहके उत्तरमें गरीवाने कहा कि ग्वालियर स्टेशनपर उन्हें देखनेके दो महीने वाद उसने उन्हें वम्वईमें देखा था। मैंने रेडियोपर गान्धीजीके कत्लका समाचार सुना था।

करकरेके वकील डॉगेकी जिरहके उत्तरमें गरीवाने कहा कि मैं गत ३० सालसे ताँगा चला रहा हूँ, इस अरसेमें मैंने सैकड़ों मुसाफिरोंको इधरसे उधर पहुँचाया है। परचुरेके वकील डाँगेने पूछा—'परचुरे जहाँ रहता था उस मुहल्लेमें कितने घरोंपर लाल निशान थे?' गरीवाने कहा—मुझे नहीं मालूम।

गान्धीजीकी हत्याके ८ दिन वाद गरीवा ग्वालियर रेलवे स्टेशनपर सव-इन्स्पेक्टर माण्डलिकसे मिला था। माण्डलिक सवेरे ५ वजे दिल्लीसे आये थे। माण्डलिकने मुझे कहा कि यह अफवाह है कि जो दो व्यक्ति परचुरेके घरमें ठहरे थे, उनका गान्धीजीकी हत्यासे गहरा सम्वन्ध है। तव मैंने माण्डलिकको वताया कि दो व्यक्तियोंको तो मैं ही परचुरेके घरकी तरफ आधी दूरीतक ले गया था। दो घण्टे वाद मुझे थाने वुलाया गया। ग्वालियर स्टेशनपर मेरा कोई वयान नहीं लिया गया। माण्डलिक मुझे वम्वई ले गये और मैं उन्हींके साथ ठहरा था। गवाह

गरीबाने आगे बताया कि जिस रातको मैं उन दो व्यक्तियोंको परचुरेके घरपर ले जा रहा था, उस दिन चाँदनी खिली हुई थी।

इसके बाद एक मुसलमान ताँगेवाले जुम्माको गवाहीके लिए बुलाया गया। गरीबाके ताँगेके खराब हो जानेके बाद वही उन दोनों व्यक्तियोंको परचुरेके घरतक पहुँचा आया था। उसने बताया कि गान्धीजीकी हत्याकी खबर मुझे ४-५ दिन बाद लगी और उनकी हत्यासे ३ दिन पूर्व मैं दो मुसाफिरोंको ताँगेमें बिठाकर परचुरेके घर ले गया था। मैं स्वयं तो यह नहीं जानता था, कि परचुरे कहाँ रहता था; किन्तु मुझे गरीबाने उसके घरकी दिशा बता दी थी, और कहा था कि उसका घर लाल है। मुसाफिरोंने मुझे १≈) किराया दिया। गवाह कठघरेके पास गया और नथूराम गोडसेको लक्ष्य करके बोला कि इसीने मुझे किराया दिया था।

परचुरेके वकील इनामदारकी जिरहके जवाबमें जुम्माने कहा कि मैं परचुरेके घरसे १००-१२५ कदमकी दूरीपर रहता था। पिछले साल ग्वालियरमें भी काफी हिन्दू मुसलिम दंगे हुए। मैंने सुना था कि परचुरे एक हिन्दूमहासभाई नेता है, इसलिए मैं ग्वालियर शहरमें जाकर रहने लगा था। गान्धीजीकी हत्याके ६-७ दिन बाद थानेमें मेरा बयान लिखा गया था, और मैं माण्डलीकके साथ शिनाख्तके लिए बम्बई गया था।

कानपुर रेलवे स्टेशनके ३ कर्मचारियोंकी गवाहियाँ

इसके बाद कानपुर रेलवे स्टेशनके जाँचक्लर्क शिवप्यारेलाल दीक्षितका बयान लिया गया। उसने कहा कि २१ जनवरीको नथूराम गोडसे कानपुर स्टेशनके वेटिंग रूममें ठहरा था। उसके साथ एक और भी आदमी था। ६।।।) प्रतिदिनके किरायेपर उन्हें १ नं०का विश्रामगृह दिया गया। गवाहने नथूराम गोडसेको पहचाना। वह गोडसेकी शिनाख्तके लिए बम्बई भी गया था। इस गवाहसे किसीने जिरह नहीं की।

अगला गवाह कानपुर रेलवे स्टेशनके जाँच-पड़ताल कार्यालयका क्लर्क ए० बी० सक्सेना था। इसीने गोडसेके लिए रजिस्टरमें कमरा दर्ज किया था। कमरा रिजर्व करानेवाले व्यक्तिको उसने पहचाना जो गोडसे था। गवाहने कहा उस समय मैंने उसके साथ किसी व्यक्तिको न देखा था। मैं उसकी शिनाख्तके लिए बम्बई भी गया।

इसके बाद एक ऐंग्लो इण्डियन महिला एञ्जेलिना कोल्स्टनकी गवाही ली गयी। कानपुर स्टेशनपर विश्रामगृहकी सफाई और उसके फर्नीचरकी देखभाल करना उसका काम था। गवाहने बताया कि २२ जनवरीको दिनके ११ बजे मैंने दो व्यक्तियोंको विश्रामगृहके १ नं० के कमरेकी ओर जाते हुए देखा। उन्होंने मैले कपड़े पहने हुए

थे, इसलिए मैंने जाँचपड़ताल की कि वे विश्रामगृहमें ठहरनेके अधिकारी हैं या नहीं। बादमें मैंने देखा कि नीचे एक मुसाफिर चिल्ला रहा है—"नाथूराम! नाथूराम!! गाड़ी आली!" तभी मैंने एक आदमीको अपना बिस्तर और अटैचीकेस लेकर नीचे उतरते हुए देखा। वह गाड़ी लखनऊ-बम्बई मेल थी, जो कानपुर होकर बम्बई जा रही थी। गवाहने गोडसे और आपटेको पहचानकर कहा कि ये दोनों २१-२२ जनवरीको कानपुर स्टेशनके विश्रामगृहमें ठहरे थे। बम्बईकी शिनाख्त परेडमें भी मैंने इन्हें पहिचाना था।

आपटेके वकील मेंगलेकी जिरहके जवाबमें गवाहने कहा कि मैं नवम्बर १९४७ के अन्तमें मैट्रन बनी और अप्रैलमें श्रीमती बावेर्सके स्थानपर स्थायी रूपसे मैट्रन बन गयी। नवम्बरसे पहले मैं टिकट कलेक्टर थी। विश्रामगृहका निरीक्षण २३ जनवरीको होनेवाला था, इसलिए उस दिन स्टेशन मास्टरने मुझे सब कुछ अधिकाधिक स्वच्छ रखनेकी हिदायत दी थी।

बचाव पक्षके वकीलने पूछा कि क्या वह तुम्हें अयोग्य समझता था, उसने उत्तर दिया कि मैं अयोग्य होती तो नवम्बरमें मुझे स्थायी रूपसे यह पद क्यों मिलता। इसपर अदालतमें खूब हँसी हुई।

आजके ६ ठे गवाह रघुपतिराव हाँडा थे, जो दिल्लीके स्टेशनपर मार्गदर्शकका काम करते हैं। रघुपतिराव उस समय पहले दर्जेके वेटिंग रूममें मौजूद थे, जब ३० जनवरीको पुलिसने कुछ चीजोंको हस्तगत किया था। उस समय उन चीजोंकी प्राप्तिका एक मेमो बनाया था, जिसपर हाँडाने हस्ताक्षर किये थे। उन चीजोंमें ८ कमीजें और मराठीकी ६ किताबें थीं। ४ कमीजोंपर एन. वी. जी. अक्षर लिखे थे। इस गवाहसे बचाव पक्षके किसी भी वकीलने कोई भी प्रश्न नहीं पूछा।

इस समय नथूराम गोडसेने यह इच्छा प्रकट की कि उन चीजोंमेंसे अदालतको जिनकी आवश्यकता न हो, वे उसे लौटा दी जायँ। अदालतने प्रमुख सरकारी वकील पी. के. दफ्तरीको यह हिदायत कर दी कि जो चीजें इनके कामकी न हों, वे गोडसेको लौटा दी जायँ। श्री दफ्तरीने कहा कि यदि बचाव पक्षके वकील इस आशयका एक आवेदनपत्र लिखेंगे, तो फालतू चीजोंको लौटानेकी व्यवस्था कर सकेंगे।

जब एक गोलियोंवाली दवाईकी शीशीको लौटानेका सवाल पैदा हुआ, जो ३० जनवरीको स्टेशनपरसे बरामद हुई थी, तो जजने कहा कि ये गोलियाँ तबतक नहीं लौटायी जा सकतीं, जबतक कि कोई रसायनज्ञ अच्छी तरह उनकी परीक्षा न कर ले। कारण स्पष्ट ही है। गोडसेने कहा कि मुझे उन गोलियोंकी आवश्यकता ही नहीं है।

अभियुक्त परचुरेके वकील इनामदारने यह युक्ति पेश की कि चूँकि मेरा मुअक्किल ग्वालियरका निवासी है, उसे अदालतमें कानूनी तौरपर पेश नहीं किया गया है और इसीलिए सबूतके पक्षकी मौखिक और लिखित गवाहियाँ भी गैरकानूनी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि परचुरेने ग्वालियरमें एक सिविल जजके सामने बयान देते हुए अपना अपराध स्वीकार किया था, मजिस्ट्रेटके सामने नहीं, जब कि कानूनी दृष्टिसे मजिस्ट्रेटके सामने वैसा किया जाना चाहिये था।

सबूतकी ओरसे पी. के. दफ्तरीने कहा कि कानूनी मुद्दोंपर पीछे बहस करेंगे। इस बीचमें गवाहीमें यह तो सिद्ध होने दो कि परचुरेने ग्वालियरमें एक मजिस्ट्रेटके सामने अपना वक्तव्य दिया था। इसलिए दफ्तरीने आगे ग्वालियरके प्रथम कोटिके मजिस्ट्रेट सैयद मञ्जरअली रिजवीको गवाहीके लिए बुलाया।

परचुरेके वकील इनामदारने तुनककर इसपर आपत्ति प्रकट की और कहा कि इस परिस्थितिमें गवाहको बुलाकर उनको झाँसा दिया गया है। वहीं पुलिससे प्राप्तिका वह मेमो मिला है, जिसके आधारपर यह नयी गवाही ली जायगी, इसलिए उन्हें कुछ समय दिया जाना चाहिये।

अदालतने श्री पी. के. दफ्तरीको हिदायत की कि वे बचाव पक्षके वकीलको 'प्राप्तिमेमो' की एक प्रतिलिपि दे दें। इसके बाद मुकदमेकी सुनवाई कलके लिए स्थगित हो गयी।

१४ जुलाई

आज अदालतमें परचुरेके वकील इनामदारने एक अर्जी पेश की जिसमें कहा गया था कि पुलिसने जो कबूली जबाब लिया वह उनकी और उनके परिवारकी जान, माल और जेलकी धमकी देकर लिया गया था। इसलिए उसे अदालत खुशीसे दिया बयान न समझे।

मदनलालके वकील श्री बनर्जीने अदालतमें आज 'दिल्ली डायरी' की एक प्रति दाखिल कर दी।

डाक्टर परचुरेकी पत्नी श्रीमती सुशीलाबाई परचुरे आज मुकदमेकी सुनवाई देखती रहीं। वे कल जेलमें अपने पतिसे मिली थीं।

आज मुकदमेकी सुनवाई आरम्भ होनेपर अभियुक्त मदनलालके वकील श्री बनर्जीने प्रार्थना-पत्र पेश करके सबूतके गवाह ग्वालियर नगरके प्रथम श्रेणीके मजिस्ट्रेट सैयद मंजरअलीके गवाही देनेके विरुद्ध आपत्ति उठायी।

श्री बनर्जीने आपटेके उन कथित बयानोंके विरुद्ध आपत्ति उठायी जो कि उसने गवाहके सामने गोडसेके बारेमें दिये थे। बनर्जीने कहा कि आपटेने जो

बयान दिये थे वे भारतीय दण्डविधानकी १६४ वीं धाराके अनुसार उसी हालतमें स्वीकार्य हो सकते हैं जब कि उसने बयानमें अपने विषयमें ही कहा हो, किसी अन्यके विषयमें नहीं।

प्रार्थना-पत्रके अनुसार आपटेने अपने बयानमें कहा था कि वह गवाहको उस स्थानपर ले जा सकेगा जहाँ कि गोडसेने ग्वालियरमें परचुरेके मकानपर पिस्तौल चलाकर उसकी आजमाइश की थी कि वह ठीक निशाना लगाती है या नहीं।

इसके उत्तरमें सबूतके वकीलने कहा कि आपटेके बयानको वहाँतक स्वीकार किया जा सकता है, जहाँतक उसका सम्बन्ध पिस्तौलकी प्रयुक्त गोलियोंकी खोज-बीन तथा वह जिस दीवारपर चलायी गयी थीं उसके देखनेसे सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी चीजें हैं जिनके विषयमें उसका बयान स्वीकार किया जा सकता है। आपने कहा कि इस प्रार्थना-पत्रपर विचार करनेका समय वह होता जब कि गवाह अपनी गवाहीके दौरानमें उसके बारेमें जो कुछ कहना चाहता कह चुकता।

इसके बाद मंजरअलीको अपना बयान देनेके लिए बुलाया गया। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि मैं २७ फरवरी १९४८ को अभियुक्त परचुरेके मकानपर गया था। मेरे साथ पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट खिज्र मुहम्मद और सी. आई. डी. इन्सपेक्टर माण्डलिक भी थे। हम सब पहले रेलवे स्टेशनके पास पार्क होटलमें गये।

उन्होंने आगे बताया कि तब एक पुलिस अफसर आपटेको होटलके जीनेसे नीचे उतारकर लाया। आपटेने तब हमें बताया कि वह डा० परचुरेके घरमें उस दीवारको हमें दिखा सकता है, जिसपर निशाना साधनेके लिए पिस्तौलकी गोलियाँ चलायीं गयी थीं। हमारी इस पार्टीमें जो वहाँ गयी थी, बम्बई और ग्वालियर दोनों-की पुलिस थी। पार्क होटलमें यह पार्टी एक विशेष कारमें परचुरेके घर गयी। इस कारके शीशे रंगीन थे, उनको चढ़ा लिया गया ताकि कारमें बैठे हुए लोगोंको राहगीर न देख सकें।

मंजरअलीने फिर कहा कि हम सब लोग पहले परचुरेके घरमें घुसे, बादमें दाहिनी ओर मुड़नेपर हमें एक सँकरा रास्ता मिला जिससे हम मकानके पीछे पहुँचे। वहाँ पहुँचनेपर अभियुक्त आपटेने बताया कि जब कभी वह उस जगह जाया करता था तो इस मार्गसे न आकर बायीं गलीसे होकर निकल जाया करता था।

सबूतके वकीलने कहा कि यह बयान इसलिए पेश किया गया है ताकि यह साबित हो जाय कि अभियुक्त आपटे, परचुरेके घर तथा उसके पड़ोससे कितना अधिक परिचित था।

गवाह मंजरअलीने फिर कहना आरम्भ किया कि उसके बाद अभियुक्त-आपटेने मकानके पीछे दीवारपर वह लक्ष्य-स्थान बताया जहाँपर निशाना लगाया जाता था तथा वह जगह भी बतायी जहाँ जब गोडसे निशानाबाजी सीखता तो वह स्वयं खड़ा होकर देखा करता था। गवाहने कहा कि मैंने दीवारपर प्रयुक्त गोलियोंके तीन निशान अपनी आँखसे देखे हैं। हमारी पार्टीके एक सदस्य गङ्गासिंहने मेरा ध्यान इन गोलियोंके छेदोंकी ओर आकर्षित किया था। दीवारके नीचे प्रयुक्त गोलीका टुकड़ा मिला था। यह टुकड़ा अदालतमें पेश किया गया जिसे दिखानेके लिए जमा कर लिया गया।

यह प्रयुक्त गोलीका टुकड़ा जो दीवारके पास पड़ा मिला था, जब एक सोनारसे तुलवाया गया तो यह वजनमें पाँच रत्ती कम एक तोला निकला। इसे एक लिफाफेमें बन्द कर दिया गया और उसपर गवाहोंके हस्ताक्षर नियमित रूपसे करवा लिये गये। इस लिफाफेपर कोई सील मुहर नहीं लगायी गयी। (यह लिफाफा अदालतके सामने पेश हुआ तो पता चला कि उसमें प्रयुक्त गोली रखी हुई है और इसपर बम्बई सी. आई. डी. की मुहर लगी है। इसके बाद एक अप्रयुक्त कारतूस भी अदालतमें दाखिल कर लिया गया।

तत्पश्चात् अदालतमें वह लिफाफा खुलवाया गया जिसपर गवाहोंके हस्ताक्षर थे। अदालतने वह गवाही स्वीकार नहीं की जो अप्रयुक्त कारतूसके बारेमें पेश की गयी कि वह कहाँसे मिला है। (डा०) परचुरेके मकानका खाका और उस समय गवाहोंने जो पंचनामा तैयार किया था, उसकी तीन तीन प्रतियां तैयार की गयीं। उन प्रतियोंपर मजिस्ट्रेट मंजरअलीके हस्ताक्षर किये गये। आपटेके वकील श्री मेंगलेको जवाब देते हुए गवाह मंजरअलीने कहा कि २७ फरवरीको दिनके ११-११॥ बजेके बीच पुलिस उनके इजलासमें आयी थी। सूचना मिलते ही मैं एक जीपकारमें बैठकर उनके साथ पार्क होटल जा पहुँचा जहाँ मेरे सामने आपटे लाया गया। इसके बाद हम सब आवरण-युक्त कारमें बैठ गये और परचुरेके घर गये। हम परचुरेके घरपर दो घण्टे तक रहे। गवाहने कहा कि मुझे यह मालूम नहीं कि अभियुक्त परचुरेके पास कोई हथियार या गोली-बारूद थी या नहीं।

मदनलालके वकील श्री बनर्जीको पूछनेपर, गवाहने बताया कि मैं १ अगस्त १९३८ को फर्स्टक्लास मजिस्ट्रेट बना। मेरे पास इस समय ग्वालियर गजटकी ऐसी कोई प्रति नहीं जिससे मैं अपनी इस नियुक्तिको साबित कर सकूँ। मैं यह भी नहीं जानता कि किस कानूनके अनुसार मैं डा. परचुरेके घर जा सकता था। मैंने पुलिससे इस बारेमें कोई पूछ-ताछ नहीं की कि कोई मुकदमा ग्वालियर राज्यके निवासी आपटेके विरुद्ध दायर है। मैं स्वयं जानता था कि हिन्द डोमीनियनमें आपटे-

के विरुद्ध एक मुकदमा दायर है। किन्तु मुझे इस मुकदमेसे सम्बन्ध रखनेवाले कोई कागज अभीतक देखनेको न मिले थे। मुझे इतना मालूम है कि एक मजिस्ट्रेट पुलिसके साथ जाँच-पड़तालके लिए तभी जा सकता है जब भारतीय दण्ड-विधानकी १५७ धाराके अन्तर्गत उसकी अदालतसे रिपोर्ट दर्ज करायी जाय। मुझे यह मालूम नहीं कि यदि मुझे अभियुक्तके घरकी तलाशीका वारण्ट जारी करनेका अधिकार नहीं था तो मैं पुलिसके साथ नहीं जा सकता था। मेरे इजलासमें ऐसी कोई फाइल नहीं जिसका सम्बन्ध इसी मुकदमेसे होता। क्योंकि मैंने सारी फाइलें बम्बई पुलिसके हवाले कर दी थीं।

परचुरेके वकील श्री इनामदारको जवाब देते हुए गवाह मंजरअलीने कहा कि मुझे परचुरेके घर ले जानेके लिए बम्बई पुलिसका एक अफसर आया था। उस समय मैंने अपने इजलासका काम शुरू नहीं किया था। न मुझे अपने इजलासमें यह सूचना दी गयी थी कि मुझे एक ऐसे मामलेको निबटाना है जो हिन्द डोमीनियनसे सम्बन्धित है। मुझे सारा भेद तब बताया गया जब मैं उस जीपकारमें बैठा था जो होटलकी ओर जा रही थी। मैं न तो इस क्षेत्रमें सर्वोच्च अधिकारी था और न इस प्रकारके अधिकारीके अधीन ही था। मैंने किसी पुलिस अफसरसे इसकी पूछताछ न की कि उन्होंने जाँच-पड़तालके लिए इससे सम्बन्ध रखनेवाले सर्वोच्च अधिकारीसे आज्ञा ले ली है या नहीं। मैंने आपटे अथवा बम्बई या ग्वालियर पुलिसको कोई आदेश नहीं दिया कि वह पार्क होटलसे मेरे साथ परचुरेके घर चलें। मैंने जो कुछ किया, वह सब ग्वालियर पुलिसकी प्रार्थनापर किया। मैं आपटेके कहनेपर पार्क होटलसे परचुरेके घर गया।

पुलिस अफसरोंकी तथा मेरी तलाशी परचुरेके घरमें घुसनेसे पूर्व किसीने नहीं ली। न मैंने यह पूछा कि परचुरे इस समय घरपर था या नहीं। जब हम परचुरेके घर पहुँचे थे तो उससे पहले हमें यह अफवाहें सुननेमें आ चुकी थीं कि ग्वालियर राज्य अर्थ-विभागके सेक्रेटरी श्री के. एस. परचुरे भी उसी घरमें रहते हैं। आप अभियुक्त परचुरेके भाई हैं। मैंने यह नहीं पूछा कि उस समय सेक्रेटरी परचुरे कहाँ थे। इस घटनासे पूर्व मुझे परचुरेकी गिरफ्तारीकी खबर मिले एक सप्ताह हो चुका था।

गवाहने फिर कहा कि घरमें घुसनेसे पहले मैंने यह नहीं पूछा कि घरके भीतर कोई बालिग आदमी है या नहीं। सेक्रेटरी परचुरेका लड़का जिसकी उम्र १५ वर्ष है, घरमें था। लेकिन जब हम लोग परचुरेके घरके चारों ओर गये तो हमारे साथ उस घरका कोई बालिग व्यक्ति न था। परचुरेके घरका पिछला आँगन खुला हुआ है और उसके ऊपर कोई छत नहीं। मैंने उस दीवारको जिसपर गोलियोंके

छेद थे; दूसरी ओरका भाग नहीं देखा। मुझे यह ज्ञात नहीं कि यह दीवार कितनी ऊँची है। वहाँ दूसरी ओर एक परनाला भी था लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि वह पिछले आँगनसे कितनी दूर होगा।

मैंने प्रयुक्त गोली, पंचनामा तथा मकानका नक्शा बम्बई पुलिसको दे दिया था। मैंने जो कुछ किया उसकी रिपोर्ट ग्वालियरके अधिकारियोंको नहीं दी, लेकिन पंचनामेकी एक प्रति मेरे इजलासमें पड़ी हुई है। मैंने पंचनामेपर आपटेके हस्ताक्षर नहीं कराये। परचुरेके मकानका पिछला आँगन बिलकुल साफ था और जब हमने उसे देखा तो जान पड़ता था कि उसे प्रयोगमें लाया जा रहा है। मुझे उपयुक्त कारतूसके बारेमें कुछ मालूम नहीं। (यह कारतूस कचहरीमें एक बड़े बिना सील मुहरके लिफाफेसे निकाला गया) मैं आपटे तथा किसी भी बम्बईके पुलिस अफसरको पहले नहीं जानता था। बम्बईके एक पुलिस अफसरने मुझे आपटेको पहचनवाया था।

ग्वालियरसे पिस्तौल प्राप्त करनेकी कहानी

जलपानके बाद दूसरे गवाह ग्वालियर राज्यके २२ वर्षीय क्लर्क मधुकर केशव कालेने सबूतकी ओरसे गवाही देते हुए कहा कि १९४०-४१ से मैं हिन्दू राष्ट्रीय सेनासे सम्बन्धित हूँ और परचुरेको गत ५-७ वर्षोंसे भली-भाँति जानता हूँ। मई १९४७ से पूर्व मैं प्रायः डाक्टर परचुरेके घर आया जाया करता था। इसके बाद मैंने वहाँ जाना बन्द कर दिया क्योंकि मैं सरकारी नौकरीमें चला गया था।

परचुरे सेनाका एक महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी था। मैं दण्डवतेको भी जानता हूँ, वे भी सेनाके एक पदाधिकारी थे। (दण्डवते तीन फरार अभियुक्तोंमेंसे एक है) महात्मा गान्धीकी हत्यासे पूर्व जनवरी मासमें मैं एक या दो बार परचुरेसे मिला। २८ जनवरीको जब मैं बैंक रुपया लेने जा रहा था तो दिनके १२॥ बजे परचुरेके मकानपर गया था। मैं परचुरेके घर उससे यह बात-चीत करने गया था कि २४ जनवरीको ग्वालियरमें कांग्रेस सत्ता आरूढ़ हो गयी थी उसके विषयमें हिन्दू महासभा क्या कदम उठा रही है? यद्यपि महाराज तथा हिन्दू महासभामें यह समझौता हो गया था कि मन्त्रिमण्डलमें सभाके तीन सदस्य लिये जायेंगे पर इसके बावजूद भी कांग्रेसको मन्त्रिमण्डल बनानेके लिए आमन्त्रित किया गया।

गवाहने बताया कि जब मैं डा० परचुरेके मकानमें घुसा तो उस समय डा० परचुरेके अतिरिक्त तीन अन्य व्यक्ति और थे। इनमेंसे एक व्यक्ति तो दण्डवते थे, जिसे मैं जानता था, पर अन्य दो व्यक्तियोंको नहीं जानता था। बादमें पता चला कि उन दोनों व्यक्तियोंके नाम नथूराम गोडसे तथा नारायण आपटे हैं। (गवाहने कठघरेमें जाकर गोडसे तथा आपटेकी शिनाख्त भी की।)

कालेने बताया कि जिस समय मैं परचुरेके घर गया तो गोडसे और आपटे पिस्तौलोंके घोड़ोंको दबानेकी असफल चेष्टा कर रहे थे। जब घोड़ा दबानेमें असफल रहे तो उन्होंने दण्डवतेसे कहा कि हमें बढ़िया-सी पिस्तौलें ला दो। दण्डवतेने कहा कि पिस्तौलें चालू हालतमें हैं। लो मैं तुम्हें घोड़ा दबाकर दिखाऊँ।

इसके बाद दण्डवते उन्हें आँगनमें ले गया। मैं भी उनके साथ गया। दण्डवतेने कारतूस लगाकर एक पिस्तौल भरी तथा हवामें गोली छोड़ी। तत्पश्चात् दोनोंने भी गोली चलानेकी कोशिश की, पर नाकामयाब रहे। उन्होंने दण्डवतेसे कहा कि हमें तुम एक अच्छी-सी पिस्तौल ला दो। हमें जल्दी ही ग्वालियरसे चले जाना है, क्योंकि हमारी पार्टीके साथी रवाना हो चुके हैं।

दण्डवतेने कहा कि मैं शामतक एक पिस्तौल ला दूँगा और तुम लोग रातकी गाड़ीसे चले जाना। यह वार्तालाप आँगनमें हुआ था। उस समय परचुरे आँगनमें नहीं था। मैंने भी एक पिस्तौल हाथमें लेकर देखी थी। ये देशी पिस्तौलें थीं। दण्डवतेने भी मुझे बताया था कि ये पिस्तौलें देशी हैं।

गोडसे तथा परचुरे दोनों इस बातके लिए तैयार हो गये कि हम राततक डा० परचुरेके घर ठहरे रहेंगे। इसके पश्चात् मैं उक्त तीनों व्यक्तियोंके साथ दूसरी मंजिलपर डा० परचुरेके निजी कमरेमें गया। दण्डवतेने परचुरेसे कहा कि तुम इन दोनोंको अपनी लाइसेन्सशुदा पिस्तौल दे दो। पर परचुरेने साफ इन्कार कर दिया और कहा कि मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूँ कि लाइसेन्सशुदा पिस्तौल दे दूँ।

बादमें हम सब फिर नीचेके कमरेमें उतर आये। जीनेमें ही ग्वालियरकी राजनीतिपर बात-चीत शुरू हो गयी। परचुरेने बताया कि वह इस सिलसिलेमें क्या करनेवाले हैं, क्योंकि महाराजने महासभासे भी समझौता किया हुआ था। परचुरे कांग्रेसकी नीति तथा सिद्धान्तोंके जरूर विरोधी थे पर वह हिंसाकी सीमातक जानेको तैयार नहीं थे।

मैं १॥ बजेके करीब परचुरेके घरसे बैंक गया और रुपया निकाल कर अपने घर चला गया। २९ जनवरीको मैं परचुरेसे नहीं मिला। ३० जनवरीको शामके ६ बजेके आस पास मैं परचुरेसे मराठा बोर्डिंग हाउसके सामने मिला।

कालेने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि इस समयतक मैंने रेडियोपर सुन लिया था कि गान्धीजीकी हत्या कर दी गयी। यह बात मैंने परचुरेको बतायी। परचुरेने पूछा कि गान्धीजी स्वयं मरे या किसीने उनकी हत्या कर दी, क्योंकि २० जनवरीको प्रार्थना-सभामें बम-विस्फोट हो चुका था। मैंने कहा कि मुझे पता नहीं कि क्या घटना घटी। तत्पश्चात् मैं परचुरेके साथ उनकी दूकानतक गया। मधुकर खिरे नामक एक अन्य व्यक्ति भी उनकी दूकानपर आया।

इसके बाद ग्वालियर नगरमें गान्धीजीकी हत्याके बारेमें बहुत-सी अफवाहें फैल गयीं। इस समयतक मैंने हत्यारेका नाम नहीं सुना था। मैंने परचुरेसे कहा कि गान्धीजीकी मृत्युके कारण दूकान बन्द कर दो। परचुरे इसपर राजी हो गये और अपना दवाखाना बन्द कर दिया। मैं अपने घर लौट गया।

३१ जनवरीको मैंने सुना कि गान्धीजीके हत्यारेका नाम नथूराम विनायक है। मैंने सोचा हो न हो यह वही नथूराम विनायक गोडसे है जिसे कि मैंने तीन-चार दिन पहले परचुरेके घर देखा था।

हत्याके षड्यन्त्रका सुराग ग्वालियरसे लगा

गवाहने बताया कि मैं गंगाधर पटवर्धन तथा शंकर पवारको जानता हूँ। २८ जनवरीको ही मैंने डा० परचुरेके लड़केसे गोडसे तथा आपटेके नाम सुने थे। मैंने १ फरवरीको सारी कहानी अपनी माँको सुनायी और दूसरे दिन अपने मित्रोंको जिनमें पटवर्धन तथा पवार भी थे। पटवर्धनने मुझे धमकाकर पूछा कि मुझे यह सारी कहानी कैसे मालूम हुई।

२ फरवरीको पटवर्धन एकसे अधिक बार मेरे घर आया था तथा मैं उसी दिन पवारके घर दोपहरको गया था। पवार भी उस दिन मेरे घर आया था।

जब मधुकर-खिरे मेरे घर २ फरवरीको आया तो मैंने यह बात उसे भी बतायी। पटवर्धन भी उस समय उपस्थित था। उसने मुझपर जोर दिया कि मैं सारी घटनाकी सूचना सरकारको दे दूँ। मैंने कहा मैं किसी अधिकारीको बताऊँगा। तत्पश्चात् पटवर्धन मुझे कारमें बिठाकर गृहमन्त्री श्री घुलेके मकानपर ले गया। मैंने सारी घटना संक्षेपमें गृहमन्त्रीको बतायी।

तीन फरार अभियुक्तोंमेंसे जी. एन. जाधवको भी मैं जानता हूँ। १ या २ फरवरीको प्रातः उससे भेंट हुई थी। मैं यह भी जानता हूँ कि परचुरे सार्वजनिक भाषण भी किया करते थे। (गवाहने कठघरेमें जाकर परचुरेकी शिनाख्त की। उसने बम्बईकी शिनाख्त परेडमें भी परचुरे, गोडसे तथा आपटेको पहचाना था।)

२८ जनवरीको मैंने डा० परचुरेके मकानमें दण्डवतेको १०-१०) रुपयेके चिह्न कुछ नोट गोडसेको देते हुए देखा। मैंने हिन्दू राष्ट्रीय सेनामें ही दण्डवतेको बोलते देखा, सार्वजनिक रूपसे नहीं।

परचुरेके वकील श्री इनामदार द्वारा जिरह की जानेपर गवाहने बताया कि १९४१–४२ से पूर्व मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघमें था। संघ तथा हिन्दू राष्ट्रीय सेनामें काफी झगड़ा चला आ रहा था। मैं गोडसेको 'हिन्दू राष्ट्र' के सम्पादकके रूपमें जानता था। मैं स्वयं यह पत्र पढ़ा करता था। (तत्पश्चात् १–२ नवम्बर १९४७

की पत्रकी दो प्रतियाँ अदालतके रिकार्डोंमें शामिल कर ली गयीं। जजने इसपर कहा कि अदालतको इस वातसे कोई सरोकार नहीं कि इनमें क्या लिखा है।)

जहाँतक मुझे याद है 'हिन्दू राष्ट्र'में संघके खिलाफ कुछ नहीं छपता था। परचुरे संघका स्वयंसेवक नहीं था। मेरी वहन दिल्लीके लेडी हार्डिंज कालेजमें पढ़ती है और उसे ग्वालियर सरकारकी ओरसे छात्रवृत्ति मिलती है। मेरे पिता डाक्टर थे और ४५ वर्षकी उम्रमें उनका देहान्त हुआ था। मैं राज्यका सरकारी कर्मचारी हूँ। मेरी विधवा माँको सरकारसे हरजानामें अलाउंस मिल रहा है। मैं पटवर्धनको गत ७ वर्षोंसे जानता हूँ। वह पुलिसका भेदिया था। वैसे वह कितावें, नेशनल सेविंग्स सार्टीफिकेट वेचता था तथा बीमा कम्पनीका एजेण्ट था। खिरे तथा पटवर्धन एक ही मकानमें रहते हैं पर एक ऊपरकी मंजिलमें, दूसरा नीचेकी मंजिलमें। मैं खिरेके यहाँ प्रायः आया जाया करता था। पवारको भी मैं ९ वर्षसे जानता हूँ। खिरेका पिता तांगेवाला था और खिरेका कोई पेशा नहीं।

२८ जनवरीको न दण्डवतेने न गोडसे-आपटेने मेरी उपस्थितिपर आपत्ति प्रकट की और न परचुरेने। मुझे यह ज्ञात नहीं कि परचुरेके पास लाइसेन्सशुदा हथियार है या नहीं। राज्यमें जिनके पास लाइसेन्सशुदा हथियार हैं, उनमेंसे मैं किसीको नहीं जानता पर देशी वन्दूकें अवश्य देखी हैं।

गवाहने यह भी वताया कि ग्वालियर थानेमें मैं ३ फरवरीसे ११ फरवरीतक पुलिसकी हिरासतमें रहा। नजरबन्दीकी हालतमें ही मुझे वम्वई ले जाया गया तथा वहाँ वर्ली पुलिसके सदर मुकामपर रखा गया था। इन्स्पेक्टर मांडलिक वहाँ मेरे साथ ठहरे थे।

पुलिस वादमें मुझे एक शिनाख्त परेडमें ले गयी। पुलिसका एक हवलदार मुझे वम्वईसे ग्वालियर वापस लाया और फिर ग्वालियर थानेमें नजरवन्द कर दिया।

१५ जुलाई

आज परचुरेके वकील श्री इनामदारने श्री एम० के० कालेसे जिरह करनी फिर शुरू की। कालेने कहा कि मेरी माता सदैव गान्धीजीका समर्थन करती थीं। ३० जनवरी १९४८ को मैंने परचुरेसे कहा था कि वह गान्धीजीकी स्मृतिमें अपना दवाखाना वन्द रखे। मैं अपने परिवारमें सवसे बड़ा पुरुष सदस्य हूँ। मुझे गान्धीजीकी हत्याके वारेमें उसी दिन पता चल गया था जिस दिन कि वापूजीकी हत्या हुई थी पर यह वात मैंने अपनी माताको अगले दिन वतायी। मेरी माताने मुझे किसी वातके लिए भला-बुरा नहीं कहा। मैं दो फरवरीकी रातके ८॥ वजे ग्वा-

लियरके गृहमंत्रीके घर पहुँचा था और आध घण्टे तक वहाँ रहा। वहाँसे मैं सीधा अपने घर आया। मैं गृहमन्त्रीकी ही कारमें उनके घर गया। जब मैं गृहमन्त्रीको सारी बातें बता रहा था तो पटवर्धन, खिरे तथा भावे नामक तीन व्यक्ति उपस्थित थे। उसी दिन आधी रातके बाद २॥ बजे मुझे पुलिसने गिरफ्तार कर लिया। हवालातमें मैंने डा० किशोर, रामचरन तथा अन्य ५-६ व्यक्तियोंको देखा। पवार उस समय हवालातमें नहीं था। हिन्दू महासभाके नेतागण परचुरेके घरपर ठहरा करते थे। महासभासे मेरा अर्थ ग्वालियर राज्य हिन्दू महासभासे है। मैंने पटवर्धनको जो विवरण बताया था, उसके लिए उसने मुझे किसी प्रकारका 'बखशीश' देनेका वादा नहीं किया था, न उसने मुझे यह धमकी दी थी कि यदि मैं उसे सारी घटना नहीं बताऊँगा तो वह मुझे ग्वालियर नगरमें हुई दो हत्याओंमें फँसवा देगा जिनके बारेमें तबतक कोई पता नहीं चला था।

५१ वाँ गवाह

इसके बाद सबूतकी ओरसे ग्वालियर राज्यके २० वर्षीय छात्र एम० बी० खिरेने अपनी गवाही दी। इससे मराठीमें जिरह की गयी। इस्तगासेके प्रमुख वकील श्री पी० के० दफ्तरीके बीमार होनेसे उनके स्थानपर श्री पेटीगारा काम कर रहे थे।

खिरेने अपने बयानमें बताया कि मैं डा० परचुरेको गत ५-६ वर्षोंसे जानता हूँ। मैं प्रायः हिन्दू राष्ट्रीय सेनाकी परेडोंमें जाया करता था। परचुरे इस सेनाका संचालक था। मैं तीन-चार साल पहले परचुरेके साथ एक बार दिल्ली आया था। मुझे गान्धीजीकी हत्याके दिनके बारेमें स्मरण है। जिस दिन गान्धीजीकी हत्या हुई थी, उसी दिन शामको ६ बजे मुझे इसका पता लग गया था। खबर सुनते ही मैं परचुरेके दवाखानेकी ओर चल पड़ा। मैंने दवाखाने पहुँचकर परचुरेसे कहा कि गान्धीजीकी हत्या हो गयी है और अब गान्धीजीके सिद्धान्तोंका विरोध करते रहना सम्भव न होगा। इसपर परचुरेने मुझसे कहा कि यदि तुम गान्धीजीके विचारोंसे इतने प्रभावित थे तो अपनी पत्नीको तो कहो गान्धीजीको देनेको तैयार नहीं थे!

मैंने परचुरेसे पूछा कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जिसने गान्धीजीकी हत्या की हो। परचुरेने उत्तर दिया कोई हम जैसा व्यक्ति होगा। इसके बाद मैंने परचुरेसे कहा कि दिवंगत आत्माके प्रति आदर प्रकट करनेके लिए अपनी दूकान बन्द कर दो। परचुरेने इसपर दवाखाना बन्द कर दिया। पहले मैंने सोचा कि मैं अपने घर चला जाऊँ, पर बादमें मैंने अपना विचार बदल दिया और परचुरेके साथ राजपूत बोर्डिंग हाउस तक गया। वहाँ जाकर परचुरेने आवाज लगायी

"रामदयाल सिंह, रामदयाल सिंह"। (मैं रामदयाल सिंहको केवल शक्लसे ही जानता था।) जब सिंह बाहर आया तो परचुरेने उससे (रामदयाल सिंहसे) कहा कि मैंने (परचुरेने) अपना काम पूरा कर दिया, अब तुम अपने हिस्सेका काम पूरा करो। परचुरेने यह भी कहा कि हमारा आन्दोलन सफल होकर रहेगा। इसके बाद उन दोनोंमें कोई बातचीत नहीं हुई।

जब गवाह यह बयान दे रहा था तो डांगेने जजसे कहा कि गवाहने अदालतके सामने जो व्यवहार किया तथा उत्तर देनेमें जो विलम्ब किया इसे नोट कर लिया जाय। इसपर जजने कहा कि गवाहने मराठीसे अंग्रेजीमें बोलनेकी कोशिश की इसलिए कुछ उलझनमें पड़ गया।

इसके बाद गवाहने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि मैं परचुरेके घर गया। घरमें उस समय रेडियो बज रहा था। फिर कुछ मिठाई मँगायी गयी और बाँटी गयी। रूपा नामक व्यक्ति मिठाई लाया था। मुझे यह याद नहीं कि किसने मिठाई मँगायी थी। रूपा हमेशा परचुरेके साथ रहा करता था। परचुरेका उससे कोई रिश्ता न था। रूपा भी हिन्दू राष्ट्रीय सेनाका एक सदस्य था। मुझे भी मिठाई दी गयी। उस समय परचुरेके परिवारके व्यक्ति रेडियो सुन रहे थे।

तत्पश्चात् मैंने परचुरेसे कहा कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। परचुरेने पूछा किस कामसे। मैंने उसे यह नहीं बताया और अपने घर चला गया।

सबूत पक्षके वकीलने बीचमें पूछा कि—"तो तुम दिल्ली क्यों आना चाहते थे?" गवाहने उत्तर दिया—"मैंने विचार किया कि मुझे दिल्ली जाना चाहिये।"

गवाहने अपने बयानमें यह भी बताया कि मैं ३० जनवरीको रातके ९ बजे श्री पटवर्धनसे मिला। हम दोनों एक ही मकानमें रहते थे, पर अलग अलग मंजिलोंमें। पटवर्धनके मिलनेपर मेरी और उसकी बात-चीत गान्धीजीकी हत्याके विषयमें होती रही। कुछ अन्य व्यक्ति भी उस समय उपस्थित थे। बात-चीतके दौरानमें मैंने कहा था—'गान्धीजीका हत्यारा कोई महाराष्ट्र निवासी होना चाहिये।'

मैं उसी रात (३० जनवरीको) ११॥ बजेवाली गाड़ीसे दिल्लीको रवाना हो गया। मैं ३१ जनवरीको दिल्लीमें रहा। मैंने गान्धीजीकी अर्थीका जुलूस देखा। ३१ जनवरीकी रातको मैं ग्वालियरको रवाना हो गया और अगले दिन प्रातः ग्वालियर पहुँचा। मैं स्टेशनसे सीधा परचुरेके घर गया। उस समय परचुरे घरपर नहीं था। तदुपरान्त मैं परचुरेसे कतई नहीं मिल सका। हाँ, पटवर्धनको मैंने लौटनेपर उसके मकानपर देखा था। दिल्लीसे लौटनेपर एक दिन सड़कपर अकस्मात् ही कालेसे भेंट हो गयी। मैं २ फरवरीकी शामको कालेके घर गया। उस समय काले अपने घरमें अकेला ही था। थोड़ी देर बाद ही कालेके घर पटवर्धन भी आ

गया। कालेने बताया कि मैंने गोडसे तथा आपटेको देखा था। पटवर्धन इस सम्बन्धमें और अधिक विवरण जानना चाहता था। पर कालेने कहा कि यह सब मैं किसी अधिकारीके सामने कहना अधिक पसन्द करूँगा।

इसके बाद पटवर्धन चला गया और ५ मिनटके अन्दर ही एक कार लेकर लौटा। काले, पटवर्धन, भावे और मैं ग्वालियर राज्यके गृहमन्त्री श्री घुलेके घर कारमें बैठकर गये। कालेने वहाँ बताया कि उसने क्या क्या देखा और क्या क्या वह जानता है। मैं फिर घर लौट आया। (गवाहने कठघरेके पास जाकर परचुरे-की शिनाख्त की।)

आपटेके वकील मेंगले द्वारा जिरह की जानेपर कहा कि तीन-चार वर्ष पहले जब परचुरे हिन्दू महासभाके अधिवेशनमें भाग लेने दिल्ली आया था तो मैं उसके साथ दिल्ली आया था। उस समय ४० स्वयंसेवक भी परचुरेके साथ दिल्ली आये थे।

परचुरेके वकील श्री इनामदारके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि मुझे यह कुछ ध्यान नहीं कि जब ३० जनवरीको रामदयाल सिंहकी परचुरेसे बातचीत हुई तो वह क्या क्या कपड़े पहने था। उस समय रामदयाल सिंह जल्दीमें नहीं मालूम पड़ता था। रामदयाल सिंह हिन्दू महासभाके कामोंमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता था।

राजपूत सेवासंघ (ग्वालियर) २४ जनवरीके बाद हिन्दू महासभासे साँठगाँठ करनेकी कोशिश कर रहा था ताकि अन्तरिम सरकारमें उसे भी कुछ स्थान मिल जाय। उसी दिन (२४ जनवरीको) राज्यमें कांग्रेसने अन्तरिम सरकार बनायी और हिन्दू महासभाने २४ जनवरीसे २८ जनवरीतक विरोधी प्रदर्शन किया। पर राजपूत सेवासंघ प्रदर्शनमें शामिल नहीं हुआ।

मैं जानता हूँ कि परचुरे हिन्दू महासभाकी गतिविधियोंका, जिनमें उक्त प्रद-र्शन भी शामिल है, प्रबन्धकर्ता था।

ग्वालियरके गृहमन्त्रीने भावे, पटवर्धन तथा मुझसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा था। उन्होंने कालेका वक्तव्य भी नहीं लिखा था।

गलाण्डे नामक व्यक्तिको भी मैं जानता हूँ पर ३० जनवरी और २ फरवरी को मेरी गलाण्डे और पटवर्धनसे संयुक्त रूपसे कोई बातचीत नहीं हुई थी।

'हत्या करनेवाला अपना ही आदमी है'—परचुरे

जलपानके बाद दूसरे गवाह रामदयालसिंहने अपनी गवाही दी। रामदयालसिंह की उम्र ३७ वर्ष है और जमींदार है। यह राजपूत सेवासंघका अध्यक्ष है। जब राम-दयालसिंह गवाही देनेके लिए आया तो एक सफेद लम्बा कोट पहने था जिसके बटन सोनेके थे। यह सिरपर पीली गान्धी-टोपी लगाये था।

रामदयालसिंहने अपने बयानमें कहा कि मैं पहले एक पत्रका सम्पादक तथा मालिक था। मैं चार-पाँच सालसे परचुरेको जानता हूँ। गान्धीजीकी हत्याके दिन ही मैंने दूसरेके मुँहसे यह खबर सुन ली थी। उस समय मैं राजपूत बोर्डिंग हाउसमें ठहरा हुआ था। खबर सुननेपर मैंने बोर्डिंग हाउसमें एक शोक-सभा करनेका आयोजन किया। उसी समय परचुरेसे मुलाकात हुई। जब मैं परचुरेसे मिला था तो मैं झण्डेके लट्ठेके पास खड़ा था। उस समय यही ७-७॥ बजे होंगे। अँधेरा हो चला था। मैं अपने मित्रोंसे उस समय बात-चीत कर रहा था। मेरे मित्रोंमें जगन्नाथसिंह नामका एक व्यक्ति था। शोक-सभाकी काररवाई उस समयतक शुरू नहीं हुई थी। परचुरेने मेरे समीप आकर कहा—"एक अच्छा काम तो हुआ। हिन्दूधर्मका विरोधी मार डाला गया। अब हिन्दूधर्म सुरक्षित रह सकेगा। जिस व्यक्तिने गान्धीजीको मारा है, वह अपना ही आदमी है। जिस व्यक्तिने कुछ दिन पहले बम फेंका था वह भी हमारा ही आदमी था। यह बात ठीक है कि जिस पिस्तौलसे गान्धीजीको मारा गया है, वह यहीं (ग्वालियर) से गयी थी। जिस व्यक्तिने गान्धीजीकी हत्या की है वह दक्षिण भारतसे आया और ग्वालियर होकर दिल्ली गया था।"

गवाहने कहा कि मैंने परचुरेकी उक्त बातोंका कुछ भी जवाब नहीं दिया, पर जगन्नाथसिंहने कहा—"चुप रहो और अपना रास्ता देखो।" परचुरे मेरे पास जब आया था तो उसके साथ दो अन्य व्यक्ति थे। मैं उनमेंसे किसीको नहीं जानता। जब परचुरे मुझसे बात-चीत कर रहा था तो दोनों व्यक्ति उसके पीछे दस कदमपर खड़े थे। उनमेंसे किसीने भी बात-चीतमें भाग नहीं लिया। तत्पश्चात् परचुरे और उसके दोनों साथी मेरे पाससे चले गये।

जब परचुरे चला गया तो मैंने जगन्नाथसिंहसे कहा कि परचुरेमें यह आदत है कि काम कोई और करे, और स्वयं उसकी वाहवाही लूटना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस समय परचुरेने जो कुछ भी कहा है, उसमें कुछ राज जरूर है। आज प्रातः जब मैं परचुरेसे मिला था तो उसने जो लंबा वक्तव्य मेरे सामने झाड़ा था, उससे मैं यह विश्वास करने लगा हूँ।

इसके बाद मैं शोक-सभामें भाग लेने चला गया।

परचुरेके वकील श्री इनामदारके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि राजपूत-सेवा-संघ एक राजनीतिक तथा सामाजिक संस्था है। संघने माँग की थी कि ग्वालियर मन्त्रिमण्डलमें उसे भी प्रतिनिधित्व दिया जाय। संघने ३० जनवरीको इस बातके विरुद्ध प्रदर्शन करनेकी योजना बनायी कि उसे मन्त्रिमण्डलमें प्रतिनिधित्व

क्यों नहीं दिया गया। हिन्दू महासभाने २४ जनवरीसे ३० जनवरीतक विरोधी प्रदर्शन किया।

गवाहने यह भी बताया कि ३० जनवरीकी शामको परचुरेने मुझसे यह कहा था कि मैंने अपने हिस्सेका काम कर दिया और अब आप अपना काम पूरा करो। यह बात सही नहीं कि परचुरेने मुझे बातचीत करनेके लिए बुलाया था। उसके साथी कैसे थे, मैं यह नहीं बता सकता। मैं खिरे तथा जी. पटवर्धनको जानता हूँ। मैं यह नहीं जानता कि उस समय परचुरेके साथ खिरे था या नहीं। जगन्नाथ सिंहने शोक-सभामें भाग नहीं लिया। वह मेरे पास परचुरेके आनेसे आध घण्टा पहले आया था।

इसके बाद तीसरे गवाह जगन्नाथ सिंहने अपना बयान दिया। जगन्नाथ सिंह ग्वालियरमें जंगलोंका ठेकेदार है। गवाहने बताया कि मैं ३० जनवरीको राजपूत बोर्डिंग हाऊस रामदयालसिंहसे कांग्रेससे पदासीन होनेसे उत्पन्न समस्याओंपर विचार करने गया था। मैं परचुरेको जानता हूँ। मैं ३० जनवरीको प्रातः परचुरेके घर गया। उस समय परचुरेने मुझसे कहा कि एक ही सप्ताहमें कोई बड़ी घटना घटनेवाली है। उसके बाद हमने ग्वालियर राज्यके मन्त्रिमण्डलमें भाग लेनेके लिए क्या कदम उठायें इसपर विचार-विमर्श किया।

तत्पश्चात् उसी दिन शामको ७ बजे राजपूत बोर्डिंग हाऊसके समीप मैं परचुरेसे मिला जब कि वह रामदयालसिंहसे बात-चीत कर रहा था। वह भी राजपूत बोर्डिंग हाऊसमें हुई शोक-सभामें भाग लेने आया था।

परचुरेने रामदयालसिंहसे बात-चीत करते हुए कहा कि मेरा एक काम हो गया। हिन्दूधर्म अब नष्ट होनेसे बच जायगा। गान्धीजी हिन्दूधर्मके द्रोही थे। औरंगजेबके अवतार थे। हत्या करनेवाला मेरा अपना आदमी है। बम फेंकनेवाला मदनलाल भी अपना ही आदमी है। इसपर मैंने परचुरेसे चले जानेको कहा। वह एक-दो मिनटमें चला गया। मैं भी कुछ देर बाद चला गया क्योंकि शोक-सभामें देर थी। परचुरेके चले जानेपर मैंने रामदयालसिंहसे कहा—"ऐसा मालूम होता है जैसे परचुरे शेखी बघार रहा हो। पर आज सवेरे उसने मुझसे जो कुछ कहा था, उसे देखते हुए उसके इस कथनमें कुछ सत्य मालूम पड़ता है।"

कठघरेमें जाकर जब गवाहने शिनाख्त की तो श्री सावरकरकी ओर इशारा करके उन्हें परचुरे बताया। अपने स्थानपर आनेपर उसने कहा—अरे डाक्टर साहब तो इनके पीछे हैं। कठघरेके पास दुबारा जाकर उसने परचुरेकी शिनाख्त की। इसपर आपटेने शिकायत की कि गवाह शिनाख्त करनेमें असफल रहा तो सबूत पक्षने गवाहसे कुछ बात की है। सबूत पक्षके वकील पेटीगाराने इसका विरोध करते हुए

पूछा कि ठीक-ठीक बताइये कि किस व्यक्तिने गवाहसे बात-चीत की। आपटेने इसका कुछ उत्तर न दिया। पेटीगाराने कहा कि सावरकरपर तेज रोशनी पड़ रही है, इसलिए गवाहने उन्हें परचुरे समझा। परचुरे तथा सावरकर दोनों ही काली टोपी पहने तथा चश्मा लगाये थे। दोनोंके गाल चिपके हुए थे और दोनोंका रंग एक था।

परचुरेके वकील श्री इनामदारकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि राजपूत बोर्डिंग हाऊसमें परचुरेने रामदयालसिंहको आवाज नहीं दी। वे स्वयं एक दूसरेके समीप पहुँच गये थे। उस समय अँधेरा होनेसे मैं यह नहीं बता सकता कि परचुरेके साथ कौन थे। परचुरेके कथनके बारेमें मैंने पुलिसमें रिपोर्ट नहीं की।

१६ जुलाई—५४ वाँ और ५५ वाँ गवाह

आजकी सुनवाईमें श्री पी. के. पेटीगाराके बीमार हो जानेसे सबूत पक्षकी ओरसे श्री सी. जे. शाहा वकील थे।

सबूत पक्षकी ओरसे दिल्लीके एक लम्बरदार गूगन सिंहकी गवाही ली गयी। गवाहने कहा कि ३० जनवरीको मैं बिड़ला हाउसकी प्रार्थनासभामें मौजूद था। उस दिन बापूजीकी हत्याके बाद एक पिस्तौल, ४ भरे हुए कारतूस, २ चले हुए कारतूसोंके खोल, २ प्रयुक्त गोलियाँ तथा कंधेकी पट्टी मिली थी। अगले दिन भी जब मैं प्रातः बिड़ला हाउस गया तो एक खाली कारतूस और मिला। दोनों ही दिन प्राप्त वस्तुएँ पैकेटोंमें बन्द करके उनपर अपनी मुहर लगा दी। ७ फ़रवरीको मैं तुगलक रोड थाने गया। वहाँ मेरी मुहरसे एक पैकेटपर जिसमें हथगोले थे, मुहर लगायी गयी।

बचावके किसी भी वकीलने गवाहसे जिरह नहीं की।

सबूत पक्षके दूसरे गवाह बिहारीलालने जो पार्लमेण्टरी स्ट्रीट थानेमें सब-इन्सपेक्टर हैं, कहा कि ३० जनवरीको मैं तुगलक रोड थानेमें ड्यूटीपर तैनात था। सी. आई. डी. के सुपरिण्टेण्डेन्टकी आज्ञासे मैं दिल्ली जंक्शन स्टेशनपर गया। जिस समय मुझे यह आज्ञा दी गयी, उस समय नथूराम गोडसे उपस्थित था। सी. आई. डी. के सुपरिंटेण्डेन्टने मुझसे कहा कि मैं गोडसेका बिस्तर आदि सामान स्टेशनसे ले आऊँ जो कि गोडसे फर्स्ट क्लासके वेटिंगरूममें छोड़ आया था। आज्ञा मिलनेपर मैं वेटिंगरूममें गया और वहाँसे बिस्तर तथा किरमिचके दो थैले लाया। (गवाहने अदालतमें गोडसेका बिस्तर पहचान लिया)। इन थैलोंमें कुछ कपड़े, किताबें तथा अखबार थे। बिस्तरमें भी कुछ कपड़े थे। (गवाहने इन वस्तुओंको भी अदालतमें पहचाना)

वेटिंगरूममें ही इन वस्तुओंकी प्राप्ति की रसीद बनायी गयी और इस रसीदपर

मैंने हस्ताक्षर किये। उस समय रेलवे पुलिसका सब-इन्सपेक्टर तथा कुछ अन्य व्यक्ति मौजूद थे जो कि तलाशीके गवाह थे। इसके बाद मैं सारा सामान थाने लाया और वहाँ जमा कर दिया।

गोडसेके वकील श्री वी. वी. ओकने अदालतके सामने आपत्ति उठायी कि प्राप्त पुस्तकोंमेंसे किसीपर भी मेरे मुअक्किलके हस्ताक्षर नहीं हैं और न उनपर उसका नाम ही लिखा है।

इसके उत्तरमें जजने कहा कि सबूत पक्ष इस बातका दावा तो नहीं कर रहा है।

श्री ओकके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि जब मैं वेटिंगरूम गया तो गोडसे को अपने साथ नहीं ले गया। मैं पुलिसमें गत २२ वर्षोंसे नौकरी कर रहा हूँ। जब मैं गोडसेका सामान लेने स्टेशन गया था तो वेटिंगरूममें ताला नहीं लगा था।

आज केवल ५० मिनट अदालतका काम हुआ।

१९ जुलाई

आज सबूत पक्षकी ओरसे सर्वप्रथम ग्वालियरके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट श्री आर० बी० अटलकी गवाही हुई।

सबूत पक्षके मुख्य वकील श्री दफ्तरीके पूछनेपर गवाहने अपने बयानमें कहा कि मैं सितम्बर १९४७ में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बना और राज्यकी सरकारी नौकरीमें १९३२ से हूँ। १७ फरवरी १९४८ को ग्वालियर पुलिसके सुपरिण्टेण्डेण्ट थोरात पाटिलने मुझे एक पत्र भेजा। बताते हैं कि यह पत्र सी० आई० डी० के इन्सपेक्टर बालकिशनने लिखा था। पत्रमें लिखा था कि मैं डी० एस० परचुरेका बयान लूँ। यह पत्र मुझे १७ फरवरीको शामके ६ बजे मिला था। स्वयं थोरात पाटिल इसे मेरे पास लाये थे।

इसके पश्चात् मैंने इस पत्रपर यह लिख दिया कि इस सम्बन्धमें कल अर्थात् १८ फरवरीको बयान लिये जायँगे। मैंने पुलिसको आज्ञा दी कि वह अभियुक्तको अगले दिन प्रातः अदालतमें पेश करे। थोरातने मुझसे कहा कि यदि अभियुक्तको अदालत लाया गया तो भारी भीड़ भड़कम हो सकती है। दूसरे, अभियुक्त सेनाके अधिकारमें है अतः इसे अदालतमें पेश करनेमें भी दिक्कत हो सकती है। थोरातने मुझसे यह भी कहा था कि अभियुक्त किलेमें नजरबंद है।

अगले दिन थोरात कुछ अन्य पुलिस अफसरोंके साथ आया और मुझसे प्रार्थना की कि मैं किलेमें चलकर ही अभियुक्तका बयान लूँ। इस बातमें मैं राजी हो गया। मैंने किले जाना इसलिए स्वीकार किया था ताकि अदालतके सामने भीड़ एकत्र न हो। पहले भी कई बार अदालतमें बाहर तथा अन्दर प्रदर्शन हुए हैं।

गवाहने आगे बताया कि मैं कारमें बैठकर किले गया। थोरात, खिज्रमुहम्मद तथा एक या दो अन्य पुलिस अफसर भी उस समय मेरे साथ थे। जब हम किलेमें अभियुक्तकी कोठरीकी ओर गये तो किलेके कमाण्डेण्ट मेजर छत्रेको भी अपने साथ ले लिया। अभियुक्त चूँकि फौजी नजरबंदीमें था अतः किलेके कमाण्डिंग अफसर विना हम अभियुक्त तक नहीं पहुँच सकते थे। कोठरीके पास आकर कार रोक दी गयी और हम लोग जीनेपर चढ़कर परचुरेकी कोठरीमें गये। परचुरेकी बारिक के सामने एक फौजी संतरी खड़ा था। मेजर छत्रे पहले कोठरीमें घुसे और हमलोग उनके पीछे पीछे गये। कोठरीमें घुसनेपर मैंने परचुरेसे पूछा कि क्या यह सही है कि तुम अपना बयान देना चाहते हो? परचुरेने कहा—हाँ।

इसके बाद मैं और परचुरे कोठरीके पिछले भागमें गये। मैंने मेजर छत्रेसे कहा कि यहाँ एक मेज तथा दो कुर्सियाँ डलवा दी जायँ और रक्षाके लिए दो फौजी जवान तैनात कर दिये जायँ। मैं और परचुरे जहाँ बैठे थे उससे पचास पचास गजकी दूरीपर कोठरीकी दोनों दीवारोंके पास उन दोनों फौजी जवानोंको खड़ा किया गया था। मेजर छत्रे बादमें नीचे कारके पास चले गये।

तत्पश्चात् मैं और परचुरे अकेले रह गये। मैंने एक घंटेतक परचुरेको समझाया कि जाब्ता फौजदारीकी दफा १६४ के मातहत इकबाल करते हुए बयान देनेका महत्व क्या है। मैंने परचुरेको यह भी बता दिया कि इकबाली बयान देनेपर भी सजा होना निश्चित है। कानूनके अन्दर कोई भी व्यक्ति तुम्हें इकबाली गवाह बननेके लिए लाचार नहीं कर सकता। इतनी सारी बातें बता देनेके बाद भी परचुरेने कहा कि मैं इकबाली बयान (दोष स्वीकार करते हुए दिया गया बयान) देनेको तैयार हूँ। जब मुझे यह संतोष हो गया कि अभियुक्त स्वेच्छासे इकबाली बन रहा है तो फिर मैंने परचुरेसे कहा कि अब अपना बयान दो। अभियुक्त ४५ मिनट तक अपना बयान देता रहा। जब अभियुक्त वे सब बातें कह चुका जो कि उसे कहनी थीं तो मैंने उससे फिर कहा कि अभी इकबाली न बनो। मैंने परचुरेको इस बातपर विचार करनेके लिए आधे घण्टेका समय दिया। इसके बाद भी जब परचुरेको अपना बयान देनेको उत्सुक पाया तो उससे प्रश्न करने लगा तथा उसके उत्तर सुनने लगा। परचुरेको यह बात भली भाँति ज्ञात थी कि मैं फर्स्टक्लास मजिस्ट्रेट हूँ।

मैंने परचुरेको यह छूट दी थी कि वह चाहे अंग्रेजीमें चाहे मराठीमें अपना बयान दे। उसने अंग्रेजीमें ही बयान देना पसंद किया और फलतः अंग्रेजीमें ही बयान लिया गया था। मैंने शब्द प्रतिशब्द अभियुक्तका बयान लिखा। जब वह अपना बयान दे रहा था तो मैंने केवल उससे यही कहा कि समय कम है अतः जल्दी जल्दी अपना बयान दे दो। बयान लेते समय मैंने परचुरेसे कोई भी प्रश्न

नहीं पूछा। जब अभियुक्तका बयान पूरा हो गया तो मैंने सारा लिखा हुआ बयान पढ़कर उसे सुनाया। बादमें मैंने उक्त कागज परचुरेके हाथमें दिया ताकि वह चाहे तो स्वयं भी पढ़ ले। तत्पश्चात् मैंने उससे कहा कि वह बयान लिखे हुए कागजके प्रत्येक पृष्ठपर दस्तखत करे। फिर मैंने उसपर आवश्यक बातें लिख दीं और अपने हस्ताक्षर किये।

इसके बाद मैं और परचुरे कोठरीके दरवाजेपर फिर आये और मेजर छत्रेको बुलाकर मैंने अभियुक्तको उन्हें सौंप दिया। बादमें मैं कारकी ओर चला आया।

परचुरेका इकबाली बयान

तब गवाहने अदालतमें परचुरेका ऊपर कथित बयान पढ़ा। अभियुक्त परचुरेने अपने बयानमें कहा था कि—"यह बयान देते समय पुलिसने न मुझे कोई धमकी दी और न मुझसे कुछ वादा किया है। मैं अपनी इच्छासे यह बयान दे रहा हूँ।

"मैं १९४१ से नथूराम गोडसेको व्यक्तिगत रूपसे जानता हूँ, पर गोडसेका नाम १९३९ से ही सुन रखा था। २७ जनवरीको रातको ११ बजे गोडसे तथा आपटे मेरे घर आये थे। गोडसेने मुझसे कहा था कि मैं कुछ विशेष कार्यसे यहाँ आया हूँ। मैं २ फरवरीसे पहले ही एक भयानक काण्ड करने जा रहा हूँ और वह काण्ड है महात्मा गान्धीकी हत्या।

"गोडसेके पास एक रिवाल्वर था, पर वह एक अच्छा-सा रिवाल्वर चाहता था। मैंने उससे कहा कि मैं किसी भी हालतमें अपनी लाइसेन्सशुदा पिस्तौल देनेको तैयार नहीं, पर दूसरी पिस्तौल ला देनेका वादा किया। मैंने अपने पुत्र नीलकण्ठ तथा नौकर रूपाको भेजा कि जाकर दण्डवतेको बुला लाओ। २८ जनवरीको दोपहर बाद जब मैं घर लौटा तो देखा कि गोडसे, आपटे और दण्डवते एक देशी पिस्तौलकी आजमाइश कर रहे हैं। वे उसकी परीक्षा करने आँगनमें गये। मैं उनके साथ नहीं गया।

"शामको दण्डवते ११-१२ कारतूस और एक स्वचलित पिस्तौल लेकर मेरे घर आया। उसने कहाँसे यह पिस्तौल प्राप्त की, यह मुझे नहीं मालूम। उसने कहा कि इसकी कीमत ५०० रु० है। इसपर आपटेने दण्डवतेको ३०० रु० दिये और बाकी रुपये बादमें अदा करनेका वादा किया।

"उसी दिन रातको तीनों तांगेमें बैठकर चले गये।

"२९ जनवरीको मैंने अपने भाईसे कहा कि मैंने गान्धीजीकी हत्या करनेके लिए गोडसे तथा आपटेको एक पिस्तौल दिलवानेमें सहायता की है। इस बातको सुनते

ही मेरे भाईको एक धक्का-सा लगा और उसने मुझसे कहा कि मैं इस झमेलेमें क्यों पड़ा ?

"३० जनवरीको जब मैंने सुना कि गान्धीजीकी हत्या कर दी गयी तो मैंने १ रु० की मिठाई मँगवायी और अपने घर तथा मित्रोंमें बँटवायी। हिन्दू राष्ट्रीय सेनाके १०-१५ सदस्योंने मिठाई ली।

"मैं यह नहीं जानता कि गोडसे तथा आपटे जो रिवाल्वर अपने साथ लाये थे वह उन्होंने अपने पास रखा या दण्डवतेको दे दिया था। मेरे पास एक टूटी हुई स्टेनगन भी थी जिसे मैं मुरारमें अपने एक मित्रके यहाँ रख आया था।"

गवाहने परचुरेका बयान पढ़नेके बाद अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि जब मैं अभियुक्तका बयान लिख रहा था, उस समयपर पुलिसका कोई भी आदमी हमारे पास न था। जहाँ कार खड़ी थी, सड़कका वह भाग भी कोठरीसे या बाहरी बरामदेसे नहीं दिखाई देता था।

मैं परचुरेका इकबाली बयान लेने किलेको सबेरे ७ बजे गया था। मैं परचुरेका बयान घर लौटनेपर अपने साथ लाया था। दो तीन दिन बाद मैंने मुहरबन्द लिफाफेमें परचुरेका बयान इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डियामें जमा कर दिया था। इस लिफाफेपर मेरी मुहर लगी हुई थी। मैंने परचुरेका बयान ६ अप्रैलको ग्वालियर-के वैदेशिक तथा राजनीतिक विभागके सेक्रेटरीको दे दिया था।

तत्पश्चात् गवाह कठघरेके पास गया और परचुरेकी शिनाख्त की।

परचुरेके वकील श्री इनामदारके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि मैं १९४५ से परचुरेको ग्वालियरके एक निवासी, एक डाक्टर तथा हिन्दूसभाके नेताके रूपमें जानता हूँ। मुझे यह पता नहीं कि हिन्दूसभामें परचुरेकी असली स्थिति क्या है या ग्वालियरमें उसकी क्या सम्पत्ति है ?

मैं ग्वालियरमें एक सिटी सब जज होकर आया था। १७ सितम्बर १९४७ को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ था। इससे पूर्व साम्प्रदायिक दंगोंके मुकदमे सुननेके लिए मैं स्पेशल जज बनाया गया था और जाब्ता फौजदारीके अनुसार मुझे दण्ड देनेका अधिकार था। १७ सितम्बर १९४७ को मेरे अतिरिक्त ग्वालियरमें ४ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और थे। १७ सितम्बरको साम्प्रदायिक अशान्तिग्रस्त इलाकोंमें ग्वालियर भी अशान्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। जिस किलेमें अभियुक्त नजरबन्द रखा गया था वह ग्वालियर-क्षेत्रका ही एक भाग है।

१७ फरवरीको मैंने यह नहीं कहा था कि मुझे किले ले चलनेकी अपेक्षा अभियुक्तको ही जेलमें क्यों न लाया जाय। जब मैं परचुरेका बयान लेनेको तैयार हो गया था, उससे पूर्व मैंने यह नहीं पूछा था कि मेरी अदालतमें परचुरेके

विरुद्ध कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है। मुझे यह याद नहीं आ रहा है कि मैंने पुलिससे पूछा था कि परचुरेके विरुद्ध क्या मुकदमा है। सी. आई. डी. इन्सपेक्टर बालकिशनने पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट थोरातके हाथ जो प्रार्थना-पत्र भेजा था, उसके अनुसार परचुरेपर एक अभियोग था। मैंने थोरातसे यह नहीं पूछा था कि बालकिशन परचुरेके विरुद्ध कोई जाँच-पड़ताल कर रहा है या नहीं। मैं बयान लेनेको इसलिए तैयार हो गया था कि ग्वालियर पुलिसके सुपरिण्टेण्डेण्ट थोरातने मुझसे आकर ऐसा करनेको कहा था। मैंने थोरातसे यह भी नहीं पूछा था कि बालकिशनको ग्वालियर राज्यके इस मामलेकी खोज-बीन करनेका अधिकार है या नहीं।

किलेमें मैंने अभियुक्त परचुरेसे तीन घण्टेतक बातचीत की। इस समयमें मुझे अभियुक्तकी शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाका अध्ययन करनेका अवसर मिला। मैंने उसे ज्वराक्रान्त नहीं देखा था। न उसने ही मुझे यह कहा कि मुझे बुखार आ रहा है। मैंने अभियुक्तकी नाड़ी नहीं देखी थी। मुझे यह भी पता नहीं कि परचुरेका अंगूठा सूजा हुआ था या नहीं। मैंने यह भी नहीं देखा कि अभियुक्तकी गरदन घूमती है या नहीं। मैंने उससे यह भी नहीं पूछा कि वह दवा खा रहा है या नहीं। किलेके डाक्टरसे भी मैं नहीं मिला था।

गवाहने आगे बताया कि उस दिन ही मैंने प्रथम बार ग्वालियरका किला देखा था। अतः मैं यह नहीं बता सकता कि किलेमें किस तरफ सिंधिया स्कूल है और किस ओर आर्डनेंस फैक्टरी है जहाँ जानेपर पाबंदी लगी हुई है। मैं यह नहीं जानता कि जिस जगह अभियुक्तकी कोठरी थी, वह प्रतिबंधित क्षेत्र था या नहीं। मैं यह भी नहीं बता सकता हूँ कि किलेमें जिस जगह परचुरे रखा गया था वहाँ औरंगजेबने अपने भाई मुरादपर अत्याचार किये थे तथा उसे मार डाला था।

इसपर जजने पूछा कि आप औरंगजेबके समयके बारेमें क्यों प्रश्न कर रहे हैं? इसके उत्तरमें अभियुक्त परचुरेके वकील श्री इनामदारने कहा कि मैं यह प्रकट करना चाहता हूँ कि जिस स्थानपर परचुरेको रखा गया था, वह कैसा स्थान था।

इसपर जजने हँसते हुए पूछा कि "क्या आपके कथनका अर्थ है कि लालकिलेमें औरंगजेबके समयमें किसीपर अत्याचार नहीं हुआ?"

जिरह की जानेपर गवाहने आगे कहा कि जब मैंने इम्पीरियल बैंक आफ इण्डियामें परचुरेका इकबाली बयान दाखिल किया था तो मैंने यह पूछताछ नहीं की थी कि कौनसी अदालत अभियुक्तपर मुकदमा चला रही है। मुझे पता है कि ग्वालियर जाब्ता फौजदारीकी १६६ वीं धाराके अनुसार उस मजिस्ट्रेटको अभियुक्तका इकबाली बयान मुकदमा सुननेवाले मजिस्ट्रेटकी अदालतमें भेज देना चाहिये

जिसने वह बयान लिया हो। पर मैंने ग्वालियरके कानून मंत्रीको सूचित किया था कि मैंने अभियुक्तका इकबाली बयान बैंकमें दाखिल कर दिया है। मुझे मेरे किसी उच्च अधिकारीने यह आज्ञा नहीं दी कि मुझे क्या करना चाहिये। जबतक मैंने बयान बैंकमें दाखिल नहीं किया तबतक यह मेरे पास ही रहा। जबतक मैंने इसे बैंकमें जमा नहीं किया था उससे पहले किसी पुलिस अफसरको नहीं दिखाया था।

गवाहने यह भी कहा कि मैं नहीं कह सकता कि जिस जगह परचुरे नजरबंद करके रखा गया था, वह जेल क्षेत्र है। वह स्थान पुलिस थानामें भी नहीं था। यदि यह पुलिस थानेका क्षेत्र होता तो मुझे मालूम हो जाता पर मैंने इस बारेमें जाँच-पड़ताल नहीं की थी कि वह स्थान किस क्षेत्रमें है।

१८ फरवरीको प्रातः गवाहका बयान लेने किले जानेसे पूर्व मुझे पता नहीं था कि अभियुक्त कितने अरसेसे नजरबन्द है। बयान लेनेके बाद मैंने कोई आज्ञा इस आशयकी नहीं निकाली कि अभियुक्तको जेलमें स्थानान्तरित कर दिया जाय। मैं यह नहीं जानता कि सब-इन्सपेक्टर मांडलिक भी मेरे साथ किले गया था या नहीं। मैं यह भी नहीं जानता कि मांडलिक कौन है। मैं इतना भर जानता हूँ कि कुछ पुलिस अफसर जो मेरे साथ किले गये थे, ग्वालियर पुलिसके नहीं थे। मुझे यह नहीं मालूम कि वे दिल्ली पुलिसके थे या नहीं।

मुझसे कभी भी पुलिसने यह आज्ञा नहीं ली कि अभियुक्तको नजरबंद रखें। मैंने चीफ एक्स्ट्राडिंग अधिकारीके सामने यह मामला नहीं रखा। १८ फरवरीको जब मैं परचुरेका इकबाली बयान लेने गया तो मुझे यह ज्ञात नहीं था कि इसमें कितना समय लगेगा। जब मैं बयान लिखने गया था तो अपने साथ कुछ कागज तथा ग्वालियर जाब्ता फौजदारीकी एक प्रति लेता गया था। मैं अपनी अदालती मुहर किलेमें नहीं ले गया था। बयानपर अपनी अदालती मुहर तो मैंने अप्रैल १९४८ में कभी लगायी थी। (अर्थात् बयान लेनेके लगभग १॥ महीने बाद) जब मैं बयान लिखने गया था तो अदालती मुहरें बनने गयी थीं।

मुकदमेकी फिल्म गैर कानूनी

युक्तप्रांत, विहार, पूर्वी पंजाब आदि प्रांतों में 'महात्माजीका मुकदमा' 'गोडसेका मुकदमा' नामक छोटी फिल्म का प्रदर्शन गैर कानूनी करार दिया गया था।

मुखबिर बडगेका बयान

२० जुलाईसे ३१ जुलाईतक सुनवाई

२० जुलाईको मुखबिर दिगम्बर रामचन्द्र बडगेको सबूत पक्षने अपनी ओरसे बयान देनेको पेश किया। बडगे पहले एक अभियुक्त था, पर बादमें मुखबिर हो गया और उसे क्षमादान दे दिया गया।

अपना बयान देते हुए बडगेने कहा कि पूनामें मेरा शस्त्र-भण्डार चल रहा था और मैं शस्त्रास्त्र तथा गोला-बारूद बेचा करता था। मैं १९४० में हिन्दूसभाके सदस्योंके सम्पर्कमें आया। तभीसे मैं महासभाके अधिवेशनोंमें भाग लिया करता था। इन अधिवेशनोंमें मैं किताबें तथा शस्त्रास्त्र बेचा करता था। मैंने श्री विनायक दामोदर सावरकरके भाषण सुने हैं। मैं १९४४-४५ में सावरकरसे मिला था। सावरकरके अंग-रक्षक अप्पा कासारको भी मैं जानता हूँ। कासारके हाथों तो मैंने कुछ खंजर बेचे थे।

गोडसे और आपटेको मैं १९४०-४१ से जानता हूँ। सावरकरके सेक्रेटरी दामलेसे भी मेरा सम्पर्क था। मैं २-३ वर्षोंसे करकरेको जानता हूँ। बडगावकर नामक व्यक्तिको भी मैं जानता हूँ।

एक बार १९४४ में पूनामें मैंने हिन्दूराष्ट्र दलकी एक बैठकमें भाग लिया था, जिसमें सावरकरने भाषण किया। सावरकरने अपने भाषणमें कहा था कि कांग्रेसकी नीति हिन्दू-हितोंके लिए घातक है और हमें मुसलमानोंका आर्थिक बहिष्कार करना चाहिये। अगर मुसलमान जरा भी ऐंठें तो हमें ईंटका जवाब पत्थरोंसे देना चाहिये। हमें शस्त्रास्त्रोंका प्रयोग सीखनेके लिए सेनामें अधिकसे अधिक संख्यामें भरती होना चाहिये।

१९४७ में मैं हिन्दू महासभाके बम्बई स्थित कार्यालयमें प्रति मास दो बार जाया करता था। यह दफ्तर दादरमें था। जब भी मैं बम्बई जाता तो महासभाके दफ्तरमें जाना कभी न भूलता था।

मुझे याद है कि परमेकर तथा पण्डित बखलेके कार्यके सिलसिलेमें एक सभा सावरकरके निवासस्थानपर हुई थी। मेरे अतिरिक्त २०-२५ व्यक्ति इस सभामें आये थे। इन सबका एक समूह-बद्ध फोटो भी लिया गया जिनमें मैं भी था।

प्रश्न—"क्या तुमने कभी भी आपटेको शस्त्रास्त्र दिये?"

उत्तर—"हाँ, मैंने कई बार आपटेको शस्त्रास्त्र दिये ।"

अदालतने इस प्रश्नोत्तरको इसी रूपमें लिखा क्योंकि सफाईके वकीलने इस बातपर आपत्ति उठायी थी कि सबूत पक्षने एक दोहरा (लीडिंग) प्रश्न पूछा है ।

बडगेने अपने बयानमें आगे कहा कि आपटे पहले-पहल जुलाई-अगस्त १९४७ में मुझसे शस्त्रास्त्र लेने आया था । आपटेके साथ उस समय करकरे भी था । पूनामें मेरी दूकानपर आपटे शस्त्रास्त्र लेने आया था और मुझसे कहा कि "कुछ प्रभावशाली व्यक्ति भी तुमसे शस्त्रास्त्र तथा गोली-बारूद खरीदना चाहते हैं । इस समय तो तुम मुझे एक स्टेनगन दे दो ।" आपटे तथा करकरेके लिए एक स्टेनगन मैंने गुरुदयालसिंहकी मार्फत प्राप्त की । यह स्टेनगन आपटेको यरवडा जेलके पीछे दी गयी थी और आपटेने १२०० रु० दिये थे । जुलाई, अगस्त तथा दिसम्बर १९४७ के बीच मैंने आपटे तथा करकरेको ३००० रु० की कीमतके शस्त्रास्त्र तथा गोली-बारूद बेचे थे ।

एक बार नवम्बर १९४७ में मैं अपने परिवारके साथ भोर राज्य तीर्थयात्राके लिए बैलगाड़ीमें जा रहा था । येरवण्डणे नामक स्थानपर मोटर साइकिलपर चढ़ा हुआ आपटे मिला तो उसने मुझसे पूछा—"मुझे वह 'बीज' चाहिये ।" (यह 'बीज'का अर्थ हथियार तथा गोली-बारूद था) मैंने उससे कहा कि लौटनेपर मैं इसका प्रबन्ध कर दूँगा ।

आठ-दस दिन बाद मैं तीर्थयात्रासे लौटकर पूना पहुँचा था । पूना लौटनेके एक दो दिनके अन्दर मैंने वे वस्तुएँ प्राप्त कर लीं जिनकी आपटेको आवश्यकता थी । चीजें जुटा लेनेके बाद मैं हिन्दूराष्ट्र दलके दफ्तर गया और आपटेको सूचना दी कि सारा सामान तैयार है । आपटेने उत्तर दिया कि जब दलके लोग लौट आयेंगे तो मैं सभी चीजें ले आऊँगा । इसके बाद मैं उस स्थानसे चला आया । दिसम्बरके अन्तिम सप्ताहमें आपटे मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि क्या 'वह सामान' अब भी तुम्हारे ही पास है या कहीं और । मैं एक या दो दिनमें करकरेको तुम्हारे पास वह सामान लेने भेजूँगा ।

इसके बाद आपटे ९ जनवरी १९४८ को शामके ६॥ बजे मेरे यहाँ आया और कहने लगा कि 'वह सामान' करकरे तथा कुछ अन्य व्यक्तियोंको दिखा देना जो कि उसके साथ दो-तीन घण्टे बाद आयेंगे । उसी रात ८॥ बजे करकरे तथा तीन अन्य व्यक्ति आये । अन्य तीनों व्यक्ति मदनलाल, ओमप्रकाश तथा चोपड़ा थे । मैंने इससे पहले मदनलालको कभी नहीं देखा था । करकरेने इन तीनों व्यक्तियोंका मुझसे तथा मेरा उनसे परिचय कराया ।

इसके बाद करकरेने मुझसे कहा —भाई, 'वह सामान' जो तुम्हारे पास है,

दिखाओ। मैंने अपने नौकर शंकरसे वह सामान लानेको कहा। नौकरके सामान लानेपर उसे मदनलालने लिया था और कहा था कि मैं इनको चलाना जानता हूँ। यह 'सामान' गनकाटनके टुकड़े, हथगोले, कारतूस, पिस्तौलें तथा बममें आग लगानेके तार थे। इन लोगोंने यह सामान देखा और चले गये।

१० जनवरीको प्रातः १० बजे आपटे मेरे पास आया और हिन्दूराष्ट्र दलके दफ्तरमें मुझे लिवा ले गया। वहाँ नथूराम गोडसे उपस्थित था। आपटेने मुझसे गनकाटनके दो टुकड़े, २ रिवाल्वर तथा ५ हथगोले माँगें थे। उस समय मैं दफ्तरके बाहर आपटेके पास ही खड़ा था। गोडसे दफ्तरके अन्दर खड़ा था।

मैंने आपटेको बताया कि इस समय रिवाल्वर तो मेरे पास है नहीं, शेष सामान मैं दे सकूँगा। फिर आपटे कहने लगा कि अच्छा, गनकाटनके ये दो टुकड़े तथा ५ हथगोले ही दे दो। यह सामान मुझे बम्बईमें चाहिये। इसकी जो कीमत होगी मैं दे दूँगा।

मुखबिर बडगेने आगे कहा कि आपटेको मैंने बताया कि मैं यह सामान चालीसगाँवमें अवस्थित अपने मकानको बेचनेके बाद बम्बईमें जाकर दे सकूँगा। आपटे इतने समयकी प्रतीक्षा करनेको तैयार हो गया। इस वार्तालापके पश्चात् आपटेने गोडसेको भी बाहर बुला लिया और उसे हमारी वार्तासे परिचित कराया और कहा कि "हमारा एक काम तो पूरा हो गया।"

इसके बाद आपटे तथा गोडसेने कहा कि मैं (बडगे) यह सामान १४ जनवरी-तक बम्बईमें हिन्दू महासभाके दफ्तरमें पहुँचा दूँ।

१२ जनवरीको अपना वह मकान बेंचकर मैं अगले दिन पूना लौट आया। उसी दिन शामको मैंने अपने नौकर शंकरसे कहा कि वह इस सामानको बम्बई ले जाय और १४ जनवरीकी शामको गोडसे तथा आपटेको दे दे। दो गनकाटन स्लाब, ५ हथगोले, बममें आग लगानेवाले तार तथा कुछ विस्फोटक आदि खाकी थैलेमें बन्द करके उसे दे दिये।

१४ जनवरीको मैं शंकरके साथ बम्बईको रवाना हो गया। बम्बई पहुँचनेपर हम लोग सीधे दादरके हिन्दू महासभाके दफ्तर गये। उस समय आपटे तथा गोडसे वहाँ थे नहीं। जब मैंने पूछा कि वे कहाँ गये हैं तो बताया गया कि वे शीघ्र ही आनेवाले हैं। आधे घण्टेतक हम लोग इन्तजार करते रहे। फिर भी जब वे न आये तो हम चाय पीने नीचे उतरे।

जब हम नीचे उतर रहे थे तो मार्गमें आपटे जीनेपर चढ़ता हुआ मिल गया। मुझे देखते ही वह कहने लगा कि "बड़ा अच्छा हुआ कि आप आ गये। हमें यह सामान कहीं रखनेका इन्तजाम करना चाहिये। आओ नीचे आओ!" यह कहकर

मैंने शंकरके हाथसे वह थैला ले लिया और आपटेके साथ हो लिया। ४-५ कदम ही हम आगे चल पाये थे कि पटरीपर गोडसे भी मिल गया।

हम वहाँसे चलकर शिवाजी पार्कमें स्थित सावरकरके निवासस्थानपर आये। शंकर हमारे साथ नहीं आया था। वहाँ पहुँचकर आपटेने मेरे हाथसे थैला ले लिया और केवल गोडसेको साथ लिये हुए अन्दर गया। मुझसे बाहर ही थोड़ी देर के लिए ठहरनेको कहा। ५-१० मिनट बाद वे फिर बाहर आये। वह थैला भी आपटेके हाथमें था।

हम तीनों फिर वापस हिन्दू महासभाके दफ्तर गये। मैंने शंकरको भी आवाज देकर बुलाया। फिर आपटेने एक कार ली और हम चारो कारमें बैठकर भुलेश्वरमें दीक्षित महाराजके मकानपर गये। मैं दीक्षित महाराजको १९४०-४१ से जानता हूँ। हम चारो मकानमें अन्दर गये। उस समय रातके १०॥ बजे थे और दीक्षित महाराज सो रहे थे। शंकरको बाहर ही छोड़ हम लोग और भी अन्दर घुसे। हमने नौकरसे कहा कि इस थैलेको सवेरे तक रख लो। हम आकर सुबह ले जायेंगे। नौकर इस बातपर राजी हो गया।

हम फिर दादरमें हिन्दू महासभाके दफ्तरमें आये। वहाँ मुझे तथा शंकरको कारसे उतार दिया गया। आपटेने गोडसेको कुछ रुपये दिये। इनमेंसे गोडसेने मुझे ५०) किराये भाड़ेके लिए दिये। आपटे तथा गोडसेने मुझसे वादा किया कि हम अगले दिन आपसे मिलेंगे। आप हिन्दू महासभाके दफ्तरमें ही सोयें।

महासभाके दफ्तरमें मुझे मदनलाल मिला। मैंने मदनलालसे पूछा कि करकरे कहाँ हैं। मदनलालने कहा कि वह (करकरे) ठाणा गया है। (ठाणा बम्बईके समीप एक जिला है) वह एक दो दिनके अन्दर-अन्दर लौट आयेगा।

अगले दिन १५ जनवरीको प्रातः ८॥ बजे आपटे तथा गोडसे महासभाके दफ्तरमें आये। उस समय शंकर, मदनलाल, मैं तथा दफ्तरसे सम्बन्ध रखनेवाले दो तीन व्यक्ति और मौजूद थे। आपटेने हम लोगोंको अपने साथ आनेको कहा। आपटे आगे चला और हम पीछे हो लिये। मदनलालने उस समय तक कपड़े नहीं पहने थे अतः वह पीछे रह गया और मैं तथा शंकर, आपटे और गोडसेके साथ अग्रणी प्रिंटिंग प्रेस आये। यहाँ करकरे भी हमें मिल गया। हम प्रेसमें घुस गये। जोशी नामक कोई व्यक्ति इस प्रेसका मालिक था। आपटेने शंकरसे कहा कि वह बाहर ही ठहरे। बाकी चारों—मैं, गोडसे, आपटे तथा करकरे—प्रेसमें घुस गये तथा जोशीसे मिले। मुझे यहीं बैठाकर बाकीके लोग जोशी सहित और भी भीतर बढ़ गये। एक घण्टे बाद ये लोग बाहर आये। जोशीको वहीं छोड़कर हम लोग सभी हिन्दू महासभाके दफ्तर लौट आये।

महासभाके दफ्तरमें पहुँचनेपर करकरेने मदनलालसे कहा कि विस्तर उठा लाओ और मेरे साथ आओ। सब बाहर निकल आये। शंकरको छोड़कर हम सब उस टैक्सीमें बैठ गये जिसे कि आपटे लाया था। टैक्सीमें बैठकर हम लोग दीक्षित महाराजके घर आये। मदनलालने अपना विस्तर बाहरके हालमें रखा और खुद भी वहीं रुक गया। शेष पाँचो व्यक्ति अन्दर चले गये। दीक्षित महाराज वहीं थे। सभी उस थैलेको लेने गये थे जो कि वे कल रात यहीं छोड़ गये थे।

मैंने दीक्षित महाराजसे कहा कि वह थैला लाइये। वह तुरन्त तो थैला नहीं मँगा सके पर एक घण्टे बाद थैला लाया गया। मैंने वह थैला खोला और सारा सामान आपटेको दिखाया। बादमें मैंने थैला बन्द करके आपटेको दे दिया और आपटेने वह थैला करकरेको पकड़ा दिया। करकरेसे आपटेने यह भी कहा कि हम थैला लेकर मदनलालके साथ फ्रंटियर या पंजाब मेलसे दिल्लीको रवाना हो जायेंगे। करकरेने थैला मदनलालको दे दिया और उसे विस्तरमें बाँधनेको कहा। इसके बाद करकरे तथा मदनलाल वहाँसे रवाना हो गये।

'गान्धी, नेहरू और सुहरावर्दीको खतम करो'

शेष हम सब वहीं बैठकर दीक्षित महाराजसे बातचीत करने लगे। आपटेने दीक्षित महाराजसे कहा कि हम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यसे दिल्ली जा रहे हैं अतः एक या दो रिवाल्वर दे दो। दीक्षित महाराजने कहा कि मेरे पास रिवाल्वर तो नहीं है पर एक पिस्तौल है जिसे कि मैं देना नहीं चाहता। आपटेने दीक्षितसे कहा कि आप एक रिवाल्वर दिलानेकी पूरी पूरी कोशिश कीजियेगा तो दीक्षितने उत्तर दिया—"हाँ मैं कोशिश करूँगा।" इसके बाद हम सब बाहर निकल आये और आँगनमें आकर खड़े हो गये। आपटेने मुझसे पूछा कि क्या तुम भी दिल्ली चलना चाहते हो। मैंने पूछा—क्यों? आपटेने कहा कि सावरकरने निश्चय किया है कि गान्धीजी, पण्डित जवाहरलाल नेहरू तथा हसन शहीद सुहरावर्दीको खतम कर दो और यह काम हमें सौंपा है। अगर तुम भी हमारे साथ चलो तो तुम्हारा सफर-खर्च हम करेंगे।

वडगेने आगे बयान देते हुए कहा कि मैंने आपटेको जवाब दिया कि मैं बम्बईसे दिल्ली सीधा नहीं जा सकता क्योंकि पूना जाकर कुछ घरेलू काम धाम करना है। फिर मैं दिल्ली चल सकूँगा। इसपर गोडसेने भी कहा कि मैं भी पूना जाना चाहता हूँ ताकि अपने भाई गोपाल गोडसेसे पूछ सकूँ कि उसने १ रिवाल्वर लानेका जो प्रबन्ध करनेको कहा था वह किया या नहीं। गोपाल गोडसे भी बम्बई आकर हमारे साथ-साथ दिल्ली चलनेवाला था।

फिर हम लोग टैक्सीमें बैठकर काटन एक्सचेंजकी बिल्डिंग आये। गोडसे तथा आपटे मकानमें अन्दर गये और २०–२५ मिनट बाद वापस आ गये। मैं कारमेंसे उतर पड़ा। आपटेने मुझसे कहा कि आप बोरीबन्दर (विक्टोरिया टरमीनस) स्टेशनपर १७ जनवरीको प्रातः मुझसे मिलना। इसके बाद मैं वापस महासभा दफ्तर आ गया।

इसी दिन शामको महासभाके मकानके सामने मदनलालसे मिला। मदनलालने मुझे बताया कि गाड़ी छूट गयी और हम दिल्ली न जा सके। करकरे स्टेशनपर पड़ा हुआ है। मैं कुछ कामसे यहाँ आया हूँ। रातकी गाड़ीसे ही हम लोग अब जा सकेंगे।

१५ जनवरीको रातकी गाड़ीसे मैं शंकरके साथ पूना रवाना हो गया। मैं पूनाके देशमुख नामक व्यक्तिको जानता हूँ। हम अगले दिन आधी रात बाद २ बजे पूना पहुँचे। मैं पूनाके आमदार खरातको जानता हूँ। इससे मैं १६ जनवरी-को पूनामें मिला था। मैं कुछ 'सामान' उसे देना चाहता था जो कि वह रियासत कांग्रेस वालोंके हाथ बेच आये। मैं चाहता था कि सारा सामान आज ही बिक जाय क्योंकि उसी दिन मुझे आपटे आदिके साथ दिल्ली आना था। जब मैं खरातके घरसे लौट रहा था 'हिन्दूराष्ट्र' कार्यालय में मैं एन० वी० गोडसेसे मिला। जब मैं हिन्दू राष्ट्रके दफ्तरसे आगे निकल गया तो गोडसेने दो आवाज़ें देकर मुझे बुलाया था। गोडसेने मुझे बुलाकर मुझसे पूछा था कि क्या मैं दिल्ली चलनेको तैयार हूँ तो मैंने 'हाँ' कहा था।

गोडसे बादमें एक छोटी सी पिस्तौल लाया और मुझे देकर कहा कि इसके बदलेमें एक बड़ा रिवाल्वर ला दो, यदि बड़ा रिवाल्वर न मिल सके तो यही लौटा लाना। बादमें मैं हैदराबाद राज्य कांग्रेसके एक कार्यकर्त्ता श्री शर्माके यहाँ गया जिनके हाथ मैंने '३२ बोरका एक रिवाल्वर बेचा था। मैंने शर्मासे जब पिस्तौलके बदले रिवाल्वर देनेको कहा तो वे इस बातपर राजी हो गये और चार कारतूस तथा रिवाल्वर दे दिया।

रातको २ बजकर ४० मिनटपर मैं शंकरके साथ बम्बईको रवाना हो गया। १७ जनवरीको प्रातः बम्बई पहुँचकर मैंने शंकरको दादर स्टेशनपर उतार दिया और मैं विक्टोरिया टरमीनस चला गया। प्लेटफार्मके बाहर मुझे आपटे तथा गोडसे मिल गये। आपटेने कहा कि दिल्ली चलनेसे पूर्व कुछ रुपया इकट्ठा कर लें। आपटे टैक्सी लाया। उसमें बैठकर हम लोग गवर्नमेण्ट गेटरोड लालबागमें बम्बई डाईंग वर्क्स गये और उसके मालिक सेठ चरनदास मेघजी मथुरादाससे मिले। मैंने आपटे तथा गोडसेका उससे परिचय कराया।

सावरकरका आशीर्वाद

वहाँसे हम तीनो हिन्दूमहासभाके दफ्तर, दादर आये और शंकरको भी अपने साथ ले लिया। सबके कारमें बैठ जानेपर गोडसेने कहा कि हमें श्री सावरकरके अन्तिम दर्शन करने उनके घर चलना चाहिये। इसपर हम सावरकरके घर गये। शंकरको बाहर ही रुकनेको कहकर हम लोग सावरकरके मकानमें घुसे। आपटेने मुझे नीचेकी मंजिलके एक कमरेमें ठहरनेको कहा और स्वयं गोडसे सहित ऊपर चला गया। वे ५-१० मिनटमें वापस आये। सावरकर आगे आगे थे। सावरकरने गोडसेको संबोधित करके कहा कि—जाओ, और सफलतापूर्वक वापस आओ। 'यशस्वी होऊन या'। फिर इसी कारमें बैठकर हम रुइया कालेज गये। टैक्सीमें आपटेने कहा कि—तात्याराय (सावरकर) ने भविष्यवाणी की है कि गांधीजीके १०० वर्ष समाप्त हो गये। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा कार्य सफलतापूर्वक समाप्त होगा।

(आपटेने यह मराठीमें 'गांधीची शंभर वर्षे भरली' कहा था। सबूत पक्षके वकीलके जोर देनेपर अदालतने ये मराठी शब्द रोमन लिपिमें लिखे। गोडसेके वकील श्री ओकने ये शब्द लिखे तथा सबूत पक्षके प्रमुख वकील श्री दफ्तरी इसे देखते गये थे।)

बादमें हम अफजुलपुलकरके मकानपर गये और वहाँ १५-२० मिनट ठहरे। मैं इस व्यक्तिको जानता हूँ। उससे ऐसी वास्कटके बारेमें बातचीत करना चाहता था जिसे पहननेपर गोली भी पार नहीं जा सकती थी। मैंने आपटे तथा गोडसेसे उसका परिचय कराया। हम सबने हैदराबाद राज्यके बारेमें परस्पर बातचीत की। फिर उसने हमें १०० रु० दिये।

२१ जुलाई

आज सबसे पहले मदनलालके वकील श्री बनर्जीने अदालतका ध्यान इस ओर दिलाया कि महात्मा गान्धीने अपने जीवनके अन्तिम दिनोंमें जो भाषण दिल्लीमें किये थे उनका अधिकृत रिकार्ड अदालत रखे। बनर्जीने यह भी कहा कि अदालत इस कार्यको शीघ्र करे क्योंकि सरकारी मुखबिर बडगेने कल अपने बयानमें कहा था कि जिन लोगोंको खत्म करनेकी योजना बनायी गयी थी उनमें श्री सुहरावर्दीका भी नाम था। इसलिए यह सिद्ध करना परम आवश्यक है कि महात्मा गान्धी तथा सुहरावर्दीमें क्या सम्बन्ध था। इस बातका गान्धीजीकी उन वक्तृताओंसे पता चल सकेगा जो उन्होंने अपने अन्तिम दिनोंमें दी थी।

सबूत पक्षके मुख्य वकील श्री दफ्तरीने कहा कि यदि इस प्रकारका कोई प्रमाण मिल जाता है तो मुझे उसे स्वीकार करनेमें कतई आपत्ति नहीं है, पर मेरी समझमें यह नहीं आता कि अदालत किसी भी पुस्तकको आधिकारिक प्रमाण कैसे मान लेगी जबतक कि उसे यह मालूम न हो कि उस पुस्तककी कौन-सी लाइन, कौन-सा पैरा या पन्ना मुकदमेसे सम्बन्ध रखता है।

जज श्री आत्माचरणने अपना निर्णय देते हुए कहा कि मुझे इस सम्बन्धमें कोई भी पुस्तक स्वीकार करनेमें कोई आपत्ति नहीं, पर अदालत उसमें वर्णित विषयके लिये उत्तरदायी न होगी। पर मैं इस पुस्तक या उसके किसी भागको तभी अधिकृत प्रमाण मानकर रिकार्डमें रखूँगा जब कि इसका उचित समय आयगा।

परचुरेके वकील श्री इनामदारने एक लिखित प्रार्थना-पत्र अदालतमें पेश किया कि कल जब मुखबिर अपना बयान दे रहा था, तो २ सशस्त्र पुलिसमैन उसके पीछे खड़े थे, इन दोनोंको वहाँसे हटा दिया जाय। बहुतसे पुलिसवालोंके उपस्थित होनेसे गवाहपर एक प्रकारका दबाव पड़ता है। मुखबिर तो स्वतन्त्र और सबूत पक्षकी ओरसे गवाही देनेवाला होता है। उसे सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है।

सबूत पक्षके वकीलने कहा कि मुखबिरपर पहरा रखनेके दो कारण हैं, एक तो वह भाग न जाय, दूसरे कोई उसे मार न डाले या अपहरण न कर ले, जैसा कि कई मुकदमोंमें हो चुका है। मुखबिर अभी नजरबन्द ही है।

इसपर जजने निर्णय दिया कि सशस्त्र पुलिसवालोंका पहरा तो रहेगा, पर जहाँ खड़े थे उससे कुछ अधिक दूर।

फिर मुखबिर बड़गे कठघरेमें गवाही देनेके लिए लाया गया। कल जहाँसे उसने अपना बयान छोड़ा था, आज वहाँसे आगे बयान देते हुए बडगेने कहा—अफ़ज़ुलपुरकरसे १०० रु० लेकर हम कालेके घरको कारमें रवाना हुए। कालेका घर दिखानेके लिए हमने पाटनकरको साथ ले लिया। गोडसे, आपटे, पाटनकर तथा मैं कालेके घरमें अन्दर गये। शंकरको कारपर बाहर ही छोड़ गये थे। पाटनकरने गोडसे तथा आपटेका परिचय कालेसे कराया और स्वयं चलता बना। फिर गोडसे तथा आपटे कालेसे अँग्रेजीमें बातें करने लगे जिसे मैं कतई न समझ सका। ५-७ मिनट बाद काले जीनेसे चढ़कर ऊपर गया और नोटोंकी एक गड्डी लाकर गोडसेको दे दी। १००-१०० रु० के १०-१५ नोट इस गड्डीमें थे।

हम सब फिर बम्बई डाईंग वर्क्स गये। उस समय मालिकका छोटा भाई वहाँ था। मैं तथा शंकर वहीं बैठ गये और गोडसे तथा आपटे टैक्सीमें बैठकर कहीं चले गये। १॥ घण्टे बाद आपटे उसी टैक्सीमें लौट आया और गोडसे एक दूसरी टैक्सीमें किसी कामसे चला गया था। आपटेके आनेतक डाईंग वर्क्सका मालिक भी

लौट आया था। उससे १५ मिनटतक आपटेने अँग्रेजीमें बातचीत की। हम सब फिर टैक्सीमें बैठे और दीक्षित महाराजके घर आये। शंकरको कारमें छोड़कर मैं तथा आपटे अन्दर गये। आपटे दीक्षितजीसे रिवाल्वर लेना चाहता था। दीक्षित महाराजने उसे एक छोटीसी पिस्तौल दिखायी। जब आपटे उसे ही लेनेको तैयार हो गया तो दीक्षित महाराजने कहा कि जबतक रुपया नहीं दे दोगे, मैं इसे नहीं दूँगा। आपटेने कहा मुझसे दादा महाराजने एक रिवाल्वर देनेका वादा किया है। आप यह पिस्तौल ही मुझे दे दें, पर दीक्षित महाराज साफ नाँ कर गये और हमलोग वहाँसे चले आये।

पहले हम लोग जुहू हवाई अड्डेपर गये, बादमें सान्ताक्रुज अड्डे गये। आपटेने मुझे ३५० रु० दिये और मुझसे कहा कि आप शंकरके साथ आज रातको दिल्ली रवाना हो जाओ। इसपर मैं और शंकर उसी टैक्सीमें बैठकर पटवर्धनसे मिलने कुर्ला आये। वह उस समय वहाँ था नहीं। मैंने वहीं रुकनेका निश्चय किया और टैक्सीवालेको ५५॥≈) देकर रसीद ली और उसे विदा किया। हम लोग वहाँ रातके ९॥ बजेतक रहे। पटवर्धनने मुझे ४००) दिये।

१८ जनवरीको मैं और शंकर फिर दीक्षित महाराजके यहाँ गये, पर न तो वहाँसे रुपया ही प्राप्त हुआ और न हथियार ही मिले। वहाँसे हम दोपहर बाद २॥ बजे विक्टोरिया टरमीनस स्टेशन पहुँचे और इण्टर क्लासमें बैठकर पंजाब-मेलसे दिल्ली रवाना हो गये।

दिल्ली आगमन और हत्याकी तैयारी

हम १९ जनवरीको रातके ९॥ बजे दिल्ली पहुँचे। एक ताँगेमें बैठकर हम हिन्दू महासभाके दफ्तर गये। वहाँ हमें मदनलाल हालमें ही मौजूद मिला। मदनलालने हम लोगोंका परिचय नथूराम गोडसेके छोटे भाई गोपाल गोडसेसे कराया। इसके जरा देर बाद ही गोडसे, आपटे तथा करकरे भी आ पहुँचे। ये लोग मुझसे, गोपाल, मदनलाल तथा शंकरसे इसी हालमें सोनेको कहकर चले गये और अगले दिन सवेरे आनेका वादा कर गये।

२० जनवरीको सवेरे ८॥ बजे आपटे तथा करकरे हमारे पास आये और मदनलालको ईंधनके लिए कुछ रुपये देकर चले गये। आधे घन्टे बाद लौटनेपर आपटेने मुझे तथा शंकरको बिडला हाउसतक अपने साथ चलनेको कहा। हम लोग कारमें बैठकर बिडला हाउस गये और दरवाजेपर कार रोक दी। आपटे तथा मैं कारसे उतरकर बिडला हाउसमें घुसने लगे तो दरवाजेपर खड़े चपरासीने हमें टोका। आपटेने कहा कि हम गान्धीजीके सेक्रेटरीसे मिलने जा रहे हैं। दरबानने कहा आप

एक पर्चीपर अपना नाम तथा भेंटका कारण लिख दीजिये। आपटेने पर्ची लिखकर उसे दे दी। पर्ची लेकर जब दरवान अन्दर गया तो काला सूट पहने एक बलिष्ठ व्यक्ति बाहर आया। आपटेने इस व्यक्तिकी ओर इशारा करते हुए मुझे बताया कि यह 'सुहरावर्दी' है, प्रार्थनाके समय यह भी गान्धीजीके पास बैठा करता है।

इतनेमें दरवान लौट आया और मैं तथा आपटे अन्दर गये और एक खुले मैदानमें आये जहाँ प्रार्थना हुआ करती थी। आपटेने एक स्थान दिखाकर कहा कि गान्धीजी और सुहरावर्दी वहाँ बैठा करते हैं। आपटेने मुझे एक झरोखा या खिड़की दिखायी। डोरी खींचकर उसने खिड़की खोली और कहा कि इसमेंसे एक रिवाल्वर चलाया जा सकता है और हथगोला भी फेंका जा सकता है। जहाँतक सम्भव हो, गान्धीजी तथा सुहरावर्दी दोनों खत्म कर दिये जाने चाहिये। दोनों नहीं तो एक को तो मार ही देना चाहिये।

फिर हम मंचकी दूसरी ओर गये। आपटेने इशारेसे दो स्थान दिखाये। एक स्थान तो सामने दीवारके पास था और दूसरा दीवारके समीप बायीं ओरको था। उसने कहा कि दोनों स्थानपर एक एक गन-काटन स्लाव रख दिया जाय और आग लगा दी जाय ताकि इनके धड़ाकेसे लोगोंका ध्यान इधरकी ओर आकर्षित हो जाय।

आपटेने मुझसे कहा कि अपनेको फोटोग्राफर बताकर इस पीछेके कमरेमें घुसा जा सकता है और झरोखेसे गोली चलायी जा सकती है तथा हथगोला भी फेंका जा सकता है। हम लोग कमरेमें तो नहीं घुसे पर उस स्थानकी देखभाल करके लौट आये।

हम २० जनवरीको ११॥ बजे बिड़ला हाउससे सारी जगह आदि देखकर हिन्दू महासभा भवन लौटे। महासभा भवनमें मुझे छोड़कर आपटे बाहर चला गया और २०-२५ मिनट बाद लौटा। लौटनेपर आपटेने गोपाल गोडसेसे कहा कि हमें जंगलमें चलकर अपने रिवाल्वरोंकी परीक्षा कर लेनी चाहिये। गोपाल तथा मैं अपने साथ एक एक रिवाल्वर दिल्ली लाये थे। फिर आपटे, गोपाल, शंकर तथा मैं महासभा भवनके पीछे जंगलमें गये। एक रिवाल्वर जो ·३८ बोरका गोपालके पास था तथा ·३२ या ·२२ बोरका दूसरा रिवाल्वर शंकरके पास था।

जब हम जंगलमें गये तो देखा कि गोपालका रिवाल्वर पूरी तरह चालू हालतमें नहीं है। फिर आपटेने शंकरकी पिस्तौल देखी और उसमें चार कारतूस भरकर शंकरसे चलानेको कहा। जब गोली पेड़के तनेतक नहीं पहुँची तो आपटेने कहा कि यह किसी कामकी नहीं। फिर गोपालने अपने ही रिवाल्वरकी मरम्मत करनी शुरू की और शंकरसे कहा कि महासभा भवन जाकर मेरे थैलेमेंसे तेलकी शीशी तथा चाकू ले आओ। कहेके अनुसार शंकर ये चीजें ले आया। जब गोपाल

गोडसे रिवाल्वरको ठीक कर रहा था तो जंगलके तीन चौकीदार आ गये। उनमेंसे एकने पूछा—"तुम यहाँ क्या कर रहे हो ?" जबतक ये चौकीदार हमारे नजदीक तक आये, हमने वह रिवाल्वर जमीनपर बिछे हुए चादरेके नीचे छुपा दिया। गोपाल गोडसेने उनसे पंजाबीमें बात की और वे चले गये।

तब आपटेने कहा कि यहाँ बैठना तो बेकार है और हम सब लौटकर महासभा भवन आये जहाँ मदनलाल और करकरेको हालमें बैठा पाया। आपटेने करकरेसे कहा कि तुम मदनलालके साथ मेरीना होटल जाओ, हमलोग थोड़ी देरमें आयेंगे। मदनलाल अपना बिस्तरा हिन्दू महासभा भवनमें ही छोड़ गया था। इन लोगोंके जानेके कुछ देर बाद आपटेने गोपाल गोडसेसे कहा कि अब आप सब लोग भी मरीना होटल जाइये। और गोपाल तुम वह 'सामान'का थैला लेते जाना। गोपालने थैला ले लिया और हम सब मरीना होटल आये। होटलकी तीसरी मंजिलके एक कमरेमें हमने नथूराम गोडसेको बिस्तरपर लेटे हुए पाया। गोपालने थैला कमरेमें रख दिया। फिर मैं तथा शंकर बाकीके लोगोंको उसी कमरेमें छोड़कर खाना खाने नीचे उतर आये।

हम लोग खाना खाकर जब लौटे तो देखा कि गोपाल गोडसे रिवाल्वरको ठीक कर रहा है। कमरेमें घुसकर कमरेके अन्दरसे किवाड़ लगा लिये गये। फिर आपटे, करकरे, मदनलाल तथा मैं स्नान-गृहमें गये। नथूराम तथा शंकर स्नान गृहके समीप खड़े हो गये। हम चारोंने गन काटनके टुकड़ों तथा हथगोलेमें डेटोनेटर, प्रायमर तथा फ्यूज वायर लगाने आरम्भ किये। इस समय नथूरामने मुझे आवाज देकर कहा—बडगे यह हमारा अन्तिम प्रयत्न है। काम पूरा होना चाहिये। देखो सारी चीजें ठीक लगायी जायँ। (बडगे, हा आमचा शेवट चा प्रयत्न आहे, काम हे झालेच पाहिजे, हे व्यवस्थित जोडा)

इस समय सफाईके वकीलने आपत्ति की कि मराठीमें बडगेने जो कुछ कहा है उसका अंग्रेजीमें अर्थ "मेरा अन्तिम प्रयत्न" होता है न कि "हमारा अन्तिम प्रयत्न।" जजने गवाहके मराठी शब्द ही लिख लिये।

शस्त्रास्त्र बटे—नकली नाम रखे गये—भेष बदला गया

बडगेने आगे कहा कि हथगोले तथा गनकाटन टुकड़े ठीक करके हम कमरेमें आये। तब तक गोपालने भी रिवाल्वर ठीक कर लिया। आपटेने कहा कि अब हमें यह तय करना चाहिये कि कौन क्या शस्त्रास्त्र लेगा? अच्छा, एक एक हथगोला तथा एक एक गनकाटन स्लाब मदनलाल तथा शंकरको दे दिया जाय। नथूराम, गोपाल तथा करकरे एक एक हथगोला और मैं तथा बडगे एक एक

रिवाल्वर लें। मैंने कहा कि लोगोंमें तहलका मचानेके लिए एक गनकाटन स्लाब ही काफी है, दो ले चलना बेकार है। एक गनकाटन स्लाब तथा एक हथगोला तो मदनलालको दे दो। एक एक हथगोला तथा एक एक रिवाल्वर मैं और शंकर लूँ। बाकीके लोग एक एक हथगोला लें। और नथूराम तथा आपटे संकेत देते रहें। इसपर आपटेने कहा कि मदनलाल तो दीवारके पास एक गनकाटन स्लाबमें आग लगा दे। धड़ाका होते ही बडगे फोटोग्राफर बनता हुआ पीछेके कमरेमें घुस जाय और झरोखेमेंसे गान्धीजीको गोली मार दे तथा एक हथगोला फेंके। मैं मदनलालको इशारा दूँ तथा नथूराम मुझे इशारा देता रहे। बाकीके लोग प्रार्थना सभाके लोगोंमें घुलमिल जायँ।

आपटेने कहा कि सभी निम्न प्रकार अपने बनावटी नाम रख लें—गोडसे—देशपाण्डे, करकरे—व्यास, आपटे—करमरकर, बडगे—बण्डोपन्त तथा शंकर तुकाराम। मदनलाल तथा गोपालके झूठे नाम क्या रखे गये यह मुझे याद नहीं। आपटे यह भी चाहता था कि हम लोग अपने कपड़े बदल लें। नथूराम फौजी तरहके खाकी कपड़े पहने। आपटेने नीले रंगकी पतलून तथा कोट पहना। करकरेने जवाहर शर्ट, धोती तथा गांधी टोपी, मदनलालने अंग्रेजी फैशनसे कोट, कमीज तथा पतलून, गोपालने कमीज, नेकर तथा कोट, बडगेने धोती तथा जवाहर कट पहनी। शंकरने कोट कमीज, धोती तथा टोपी पहनी। करकरेने एक्टरकी भाँति अपनी मूछें तथा भौंहें ज्यादा बारीक कर लीं और माथेपर लाल टीका लगा लिया।

इसके बाद आपटेने मदनलालको देनेके लिए करकरेको एक हथगोला और एक गनकाटन स्लाब दिया। उसने मुझे तथा शंकरको एक एक हथगोला तथा एक एक रिवाल्वर दिया। इसके बाद मदनलाल तथा करकरे बिडला हाउसको रवाना हो गये। १५ मिनट बाद एक टैक्सीमें आपटे, शंकर, गोपाल तथा मैं बिडलाहाउसको चल दिये। नथूरामने २० मिनट बाद आनेका वादा किया। हम चारों मरीना होटलसे चलकर पहले हिन्दू महासभा भवन गये।

२२ जुलाई

अपना बयान जारी रखते हुए बडगेने बताया कि २० जनवरी १९४८ को बिड़लाभवनके प्रार्थना मैदानमें उस समय क्या गुजरा जब कि मदनलालने गनकाटन स्लाबमें पलीता लगाकर भीषण विस्फोट किया था।

बडगेने कहा कि मैं अपना रिवाल्वर तथा हथगोला हैण्डबेगमें छिपाकर ले गया था। मरीना होटलसे पहले हम सब महासभाभवन गये और वहाँसे बिडलाभवन। हम लोग कारमें बैठकर बिडलाभवनके पीछे ही गये थे और वहींपर कार रोककर

हम सब उतर पड़े। हम तीन चार कदम ही बढ़े होंगे कि मदनलाल मिल गया। आपटेने मदनलालसे पूछा—"तैयार हो गया ?" मदनलालने उत्तरमें कहा—"हाँ, मैं तैयार हूँ।" मैंने दीवारके पास गनकाटन स्लाव लगा दिया है। केवल उसमें दियासलाई छुआनेकी देर है। इसी समय मैंने करकरेको अन्दरसे आते तथा मंचके पीछेकी ओर किसीसे बातें करते देखा। यह वही स्थान था जो कि सुबह आपटे मुझे दिखाने ले गया था।

बडगे डर गया—हत्याका प्रयत्न विफल

करकरेने आपटेसे कहा कि बहुत देर की, प्रार्थनासभा शुरू हो चुकी है। गान्धीजी भी आ गये हैं और मैंने कमरेमें घुसकर किसी एक आदमीको झरोखेसे फोटो लेनेकी व्यवस्था भी ठीकठाक कर ली है। आपटेने मुझे फोटोग्राफर बनकर झोला लिये हुए अन्दर घुस जानेको कहा।

कमरेके समीप मैंने २-३ आदमियोंको बैठे हुए देखा। यह विचार आते ही कि यदि कुछ गड़बड़ी कमरेमें हो गयी तो मैं वहीं पकड़ जाऊँगा, मैं डर गया। नथूरामने कहा—"डरो मत। हमने सब लोगोंके भाग निकलनेका प्रबन्ध कर लिया है।" और नथूराम, आपटे तथा करकरे मुझपर जोर डालने लगे कि मैं अन्दर चला जाऊँ। पर मैंने कहा कि मैं कमरेमेंसे गोली दागनेकी अपेक्षा गान्धीजीके सामने जाकर वहाँसे गोली दागना ज्यादा पसन्द करूँगा। आपटे तथा गोडसे इसपर राजी हो गये। मैंने शंकरको इशारा दिया और हम दोनों टैक्सीकी ओर चले गये। बाकीके लोग वहीं बात करते तथा घूमते रहे।

मैंने अपना तथा शंकरका रिवाल्वर निकाल लिया और उन्हें तौलियोंसे लपेटकर हैण्डबेगमें रख लिया और हैण्डबेग कारमें रख दिया। अपना हथगोला शंकरको पकड़ाकर मैंने शंकरको हिदायत कर दी कि जब तक मैं कुछ इशारा न दूँ तुम कुछ मत करना। फिर मैं अन्य लोगोंके पास लौट आया। मैं अपनी कमीजकी जेबोंमें हाथ डाले वहाँ खड़ा हो गया ताकि वे समझें कि रिवाल्वर मेरे पास ही है। गोडसे और आपटेसे कहा कि मैं तैयार हूँ। आपटेने एक बार फिर पूछा कि क्या तुम तैयार हो। मैंने कहा—'हाँ' और मैं प्रार्थनासभाकी ओर बढ़ गया। शंकर भी मेरे साथ आया।

इसी समय आपटेने मदनलालकी पीठपर हाथ रखा और कहा 'चलो' और मदनलालको मैंने उस स्थानकी ओर जाते देखा जहाँ कि दीवारमें स्लाब रखा गया था। मैं और शंकर प्रार्थना सभामें चले गये। करकरे हमारे पीछे आया। मैंने देखा कि गान्धीजीके पास २०-३० स्त्रियाँ बैठी हुई हैं। मैं गान्धीजीसे १५-२० कदम-

की दूरीपर दाहिनी ओर जाकर खड़ा हो गया। करकरे तथा शंकर भी मेरी दाहिनी ओर कुछ दूरीपर खड़े हुए। तीन चार मिनट बाद बड़े जोरका धड़ाका हुआ। जिस ओरसे धड़ाकेकी आवाज आयी थी, उधरसे मैंने धुआँ निकलते देखा। धड़ाका सुनकर ५-६ आदमी उधरको दौड़े। गान्धीजीने उपस्थित जनताको हाथ जोड़कर शान्त रहनेको कहा। मैंने देखा कि ५-६ मिनट बाद मदनलाल पकड़ लिया गया। उपस्थित जनता शान्त रही। मैंने यह भी देखा कि मदनलालको गिरफ्तार करके दरवाजेके सामने लगे खेमेमें ले जा रहे हैं। फिर मैंने खेमेमेंसे ४-५ आदमियोंको जो पुलिसवाले लगते थे, अपनी ओर आते देखा। मुझे भय हुआ कि कहीं मदनलाल इनके साथ हो और वह मुझे देख न ले। अतः अपना मुँह छिपानेके लिए दूसरी तरफको मुँह फेर लिया। कुछ देर बाद जब मैंने फिर पीछेकी ओर निगाह डाली तो देखा कि जनता उधर जाने लगी है। मैंने शंकरको इशारा किया कि मेरे साथ साथ आओ और प्रार्थनामें उपस्थित भीड़में मिलकर यहाँसे निकल चलो।

प्रार्थनासभासे निकलकर हमने एक ताँगा किया और महासभा भवन आये। मैंने नथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे तथा आपटेको प्रार्थना-सभामें नहीं देखा। मैंने शंकरसे कहा कि महासभा भवनके पीछे जङ्गलमें जाकर हथगोलोंको फेंक आओ। जब शंकर वहाँसे चला गया तो मैं दिल्लीसे चल देनेके लिए अपना बिस्तरा बाँधने लगा। तबतक गोडसे तथा आपटे आ गये और आपटेने पूछा कि क्या हुआ। मैं उसपर नाराज होकर झुँझला पड़ा तथा उनसे चले जानेको कहा।

तब तक शंकर लौट आया। मैं और शंकर महासभा भवनसे बाहर निकल आये और ताँगा करके नयी दिल्ली स्टेशन आये। मैंने तीसरे दर्जेके दो टिकट बम्बईके लिए खरीदे। मैंने स्टेशनपर कुछ पुलिसके सिपाहियोंको घूमते हुए देखा। मैं डर गया। बाहर आकर मैंने दूसरा ताँगा किया और पुरानी दिल्ली स्टेशनपर आया। रातको ९॥-१० बजेवाली गाड़ीसे बम्बईको रवाना हो गया। हम २२ जुलाईको दिनके ११॥ बजे कल्याण स्टेशनपर उतरे। वहाँसे हम पूनाके लिए गाड़ीमें बैठे और उसी दिन शामके ४॥ बजे पूना पहुँचे।

मैं ३१ जनवरीको प्रातः ५-५॥ बजे पूनामें गिरफ्तार किया गया था।

हिन्दू महासभाके भवनके पीछे जो हथगोला बरामद हुआ तथा मदनलालके पास जो हथगोला मिला था उसको बडगेने अदालतमें पहचाना।

यह पूछे जानेपर कि तुमने ये हथगोले कहाँसे प्राप्त किये, बडगेने कहा कि खड़की शस्त्रागारसे मैंने ये हथगोले मँगाये थे। मैं इसे शस्त्रागारमें काम करनेवाले लोगोंसे खरीदा करता था। पर मुझे यह नहीं मालूम कि इन्हें कौन बनाता है?

गवाह बडगेने यह भी बताया कि पूनामें "हिन्दूराष्ट्र" का दफ्तर कच्चे मकानमें है। दफ्तरके पास ही आपटे तथा गोडसेने अपने लिए एक खेमा लगा रखा था। इस पत्रका पहले नाम था "दैनिक अग्रणी", बादमें इसका नाम बदलकर "हिन्दूराष्ट्र" कर दिया गया था।

प्रश्न—"तुम लोगोंने अपने बनावटी नाम क्यों रखे थे ?"

उत्तर—करकरेने कहा था कि हमें प्रार्थना-सभामें एक दूसरेको बुलानेकी आवश्यकता पड़े। अगर हमने असल नामसे आवाज दी तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए बनावटी नाम ही रखना अच्छा समझा। बडगेने यह भी बताया कि आपटे हिन्दू महासभाका एक कार्यकर्ता है और नथूराम गोडसे उसका एक प्रमुख नेता है। वह मुझे महासभाके सभी वार्षिक अधिवेशनोंमें ले जाता था। मैं महासभा-के लिए चन्दा एकत्र करता तथा सदस्य बनाया करता था।

मैं बम्बईमें दिल्ली आनेको इसलिए राजी हो गया था कि एक तो गोडसे तथा आपटेका बहुत दिनोंका मुलाहिजा था, दूसरे हम सब एक ही दल महासभामें काम करते थे। तीसरी बात यह थी कि गोडसे और आपटे कभी कभी मुझे अपनी दूकान चलानेको आर्थिक मदद भी देते थे। मैंने समझा था कि तात्याराव (अर्थात् सावरकर) ने हमें आज्ञा दी है जिसका हर हालतमें पालन करना चाहिये। अतः मैं इनके साथ दिल्ली आनेको राजी हो गया था। जबसे मेरा गोडसे तथा आपटेसे परिचय हुआ है मैं उनकी आज्ञाका पालन करता रहा हूँ।

इसके बाद गवाह कठघरेके पास गया और उसने सभी अभियुक्तोंकी शिनाख्त की। जब उसने परचुरेकी भी शिनाख्त की तो सब अभियुक्त मुसकराने लगे। इसपर बडगेने कहा कि परचुरेको मैंने तीन-चार वर्ष पहले कानपुरमें महासभाके अधिवेशनमें देखा था।

जज श्री आत्माचरणने वे पत्र भी अदालतके रिकार्डमें शामिल कर लिये जो कुछ समय पहले बडगेने सावरकर तथा उनके सेक्रेटरी दामलेको लिखे थे। ये पत्र सावरकरकी फाइलमें मिले।

बडगेने अदालतको करकरेका अपने नाम २९ मई १९४७ का लिखा हुआ पत्र दिया। करकरेने पत्रमें बडगेको लिखा था कि मेरे लिए अपने किसी एक मित्रके हाथ बम भेजो, पर एक बारमें १० बमसे अधिक नहीं। पत्रमें जहाँ भी उसका अर्थ 'बम' से होता था उसने 'पुस्तक' और 'वस्तु' लिखा था।

बडगेने अपने बयानमें कहा कि २१ जनवरीको गिरफ्तार हो जानेके बाद मैंने पुलिसको हरवंश सिंह, देशमुख तथा आनदार खरातके घर दिखाये थे।

बड़गेसे जिरह

सबूत पक्षके मुख्य वकील श्री पी० के० दफ्तरीने जब प्रश्न पूछने बन्द कर दिये तो सफाई पक्षके मुख्य वकील श्री एल. बी. भोपटकरने जिरह आरम्भ की। भोपटकरकी जिरहके उत्तरमें बडगेने कहा कि "दिल्ली-यात्रा" के लिए हमें केवल एक स्थान कुर्लामें कालेसे रुपये प्राप्त हुए। दूसरे स्थानसे ४००) मिले थे, वे मेरे निजी व्यवहारके थे, उनका दिल्ली-यात्रासे कोई सम्बन्ध नहीं था।

मैं यह जानता हूँ कि हिन्दू महासभाकी नीति तथा कार्यक्रम अ. भा. हिन्दू महासभा समिति निर्धारित करती है और कार्यकारिणीका यह कर्तव्य होता है कि वह इस कार्यक्रमपर अमल करे। हिन्दू महासभाका अन्तिम अधिवेशन दिसम्बर १९४६ के अन्तिम सप्ताहमें गोरखपुरमें हुआ था। श्री सावरकरने इस अधिवेशनमें भाग नहीं लिया था। गत तीन-चार वर्षोंसे सावरकरका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था और वे महासभाके कार्योंमें सक्रिय भाग नहीं ले रहे थे।

बडगेने आगे कहा कि यह बात गलत है कि सावरकर गत तीन वर्षोंसे मकानके बाहर भी नहीं निकले हैं। वे १९४६ से बड़ी-बड़ी सभाओंमें भाग नहीं लेते थे, पर कुछ छोटी असार्वजनिक सभाओं तथा सामाजिक सभाओंमें भाग लेते रहते थे। कभी-कभी ये सभाएँ उनके मकानमें और कभी निकटस्थ स्थानपर हुआ करती थीं।

मैं हिन्दू महासभामें १९४१ से काम करता हूँ। मैं हिन्दू संघटन निधिके लिए चन्दा एकत्र करता था और उसका २५ प्रतिशत पारिश्रमिकके रूपमें मुझे मिलता था। हिन्दू महासभाके सदस्य भरती करनेके लिए मुझे ३०)--३५) प्रति मास मिला करते थे। मुझे यह ज्ञात नहीं कि यह निधि हिन्दू महासभाने खोली थी या उसके अधिकृत थी। रुपया महासभाके अध्यक्ष श्री एल० बी० भोपटकरकी सलाहसे खर्च किया जाता था।

बडगेने कहा—"सावरकर मराठीके माने हुए लेखक तथा कवि है। यह सत्य है कि सारे भारतमें सावरकरसे श्रेष्ठ मराठी या अंग्रेजीमें भाषण करनेवाला नहीं है। मैं इन्हें हिन्दुओंका ही नेता नहीं समझता वरन् एक देवता समझता हूँ।"

सावरकर लगातार ६ वर्षों तक हिन्दू महासभाके अध्यक्ष रहे थे। मैंने सावरकर की मराठीकी पुस्तकें पढ़ी हैं और मेरे विचारसे किसीने भी मराठीमें आपसे अच्छी पुस्तकें नहीं लिखीं। मैं सावरकर तथा उनके जैसे विचारवाले लेखकोंकी पुस्तकें बेचा करता था। मैंने कांग्रेसकी किताबें कभी नहीं बेचीं। सावरकरके महाराष्ट्र ही में बहुतसे अनुयायी नहीं वरन् सारे भारतमें हैं। यद्यपि मैं कई बार सावरकरके घर गया था पर उनसे केवल एक बार मिला था। मैं श्री ए० एस० भिड़े तथा आर०

दामलेको जानता हूँ। भिड़े सावरकरके ही मकानमें बायीं ओरको रहता है, पर दामले कहाँ रहता है यह मुझे ज्ञात नहीं। हाँ, वह सावरकरके ही मकानमें मिला करता था।

बडगेने आगे बयान देते हुए कहा कि मुझे यह ज्ञात है कि १५ अगस्त १९४७ को श्री सावरकरने अपने मकानपर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा तथा हिन्दू महासभाका झण्डा—दोनों—फहराये थे। मैंने अपने घरपर केवल महासभाका ही झण्डा फहराया था। जहाँतक मुझे ज्ञात है - पूनाके सभी महासभाइयोंने अपने घरोंपर महासभाका झण्डा फहराया था, तिरंगा नहीं।

बडगेने यह भी बतलाया कि हिन्दू महासभाने एक प्रस्ताव पास करके अपने अनुयायियोंको केवल सभाका झण्डा फहरानेका आदेश दिया था। महासभाइयोंने इस बात पर बड़ा विरोध प्रकट किया था कि सावरकरने सभाके निर्णयके विरुद्ध तिरंगा झण्डा फहराया। मैंने, नथूराम गोडसे, आपटे और करकरेने भी इसका विरोध किया था। गोडसे, आपटे तथा करकरेसे इस संबंधमें मैंने बातचीत की थी।

२३ जुलाई

नथूराम गोडसेके वकील श्री ओकने अदालतमें प्रार्थनापत्र पेश करके आपत्ति प्रकट की कि बम्बईके कुछ पत्र अदालतकी कारवाईको मोटे मोटे शीर्षक देकर छापते हैं। यह अदालतके प्रति घृणा प्रकट करनेके समान है। मैं यह नहीं चाहता कि इन पत्रोंके विरुद्ध कोई कारवाई की जाय, पर मैं यही चाहता हूँ कि वे भविष्यमें ऐसे मोटे मोटे शीर्षक न दें। जजने इसके लिए हामी भर ली।

बचाव पक्षके प्रमुख वकील श्री एल० बी० भोपटकरके जिरह करनेपर बडगे ने कहा कि महासभाकी नीति विभाजित भारतको फिर एक करनेकी है। भारतसंघके मंत्री डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जीने मंत्रिमंडलमें शामिल होनेसे पूर्व श्री सावरकरसे अवश्य स्वीकृति ली होगी। उन्होंने अ० भा० हिन्दू महासभाके अध्यक्ष श्री भोपटकर की भी स्वीकृति ली होगी।

मैं जानता हूँ कि देशके विभाजनके बाद महासभाकी नीति नेहरू मंत्रिमंडलका साथ देने तथा कांग्रेस सरकारसे कंधेसे कंधा मिलाकर चलनेकी रही है। महाराष्ट्र प्रान्तीय हिन्दू महासभाके वार्षिक अधिवेशनमें भोपटकरने प्रस्ताव पेश किया था कि महासभाको नेहरू सरकारका साथ देना चाहिये। गोडसे तथा आपटेने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था। इसपर जो विवाद हुआ था उसमें भोपटकरने कहा था कि महासभाको राजनीतिक संस्थाके रूपमें भंग हो जाना चाहिये। जिस समय श्री भोपटकरने यह कहा था, नथूराम गोडसेने भोपटकरपर वार करनेके लिए एक

चाकू निकाल लिया था। आपटेने गोडसेका ही समर्थन किया था। यह अधिवेशन दिसम्बर १९४६ में हुआ था (इसपर भोपटकरने कहा कि गवाह सन् भूल रहा है।)

आपटे तथा गोडसेका दृष्टिकोण सर्वथा स्वतंत्र था। हाँ, कभी कभी वे महासभाके नेताओंसे परामर्श कर लिया करते थे। गोडसे तथा आपटे कभी कभी महासभाकी नीतिकी अपने पत्र (पहले 'दैनिक अग्रणी' बादमें) 'हिन्दू राष्ट्र'में आलोचना किया करते थे।

१९३७ से पहले मैं कांग्रेसका सदस्य था। उन दिनों मैं किरानेकी दूकान करता था। १९३७ में मैं पूना आया और नौकरीके लिए कई स्थानोंकी खाक छानी। १९३८ में पूना म्युनिसिपल्टिीमें कांग्रेसी कौंसिलरोंका बहुमत था। म्युनिसिपल्टिीमें कोई नौकरी दिलानेके लिए श्री अत्रेके मकानपर मैंने सत्याग्रह किया था। श्री अत्रे म्युनिसिपल्टिीकी कांग्रेस पार्टीके नेता थे। अत्रेने मुझे नगर-निर्माण योजना विभागमें १८)-२०) मासिककी जगह दिलायी और मैंने अनशन तोड़ दिया। वहाँ मैंने दो तीन महीने काम किया।

फिर मैंने नामजोशी द्वारा श्री जी० वी० केतकरसे कहलवाया कि मुझे नौकरी दिला दीजिये। श्री केतकरने मुझे हिन्दू संघटन निधिके तथा हिन्दू अनाथ आश्रमके लिए चन्दा एकत्र करनेका काम सौंपा। यह धन प्रत्येक हिन्दूके लिए व्यय होता था, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दलका क्यों न हो।

मैंने १९४२ में अपने घरका कुछ सामान बेंचकर ७५-रु० से १०० रु० तककी पूँजीसे शस्त्रभंडारकी दुकान खोली थी। मैंने शंकर नामक नौकरको जो कि इस मुकदमेका एक अभियुक्त है, सितम्बर-अक्टूबर १९४६ में नौकर रखा। मैं एम० टी० कुलकर्णीसे शस्त्रास्त्र खरीदा करता तथा बेचा करता था। कुलकर्णीकी दुकानका नाम 'हिन्दू भण्डार' था।

१९४०-४१ में मेरी मुलाकात दीक्षित महाराजसे हुई। वह किसी संस्थाके धर्माध्यक्ष थे। दीक्षित महाराज कट्टर सनातनी थे। मुझे यह ज्ञात नहीं कि दीक्षित महाराज कांग्रेसमें काम करते थे या नहीं और अगस्त १९४२ में कांग्रेसका छिपकर काम किया था या नहीं। मैं दीक्षित महाराजको भी शस्त्रास्त्र तथा गोली बारूद दिया करता था, पर मैंने यह कभी नहीं पूछा कि धर्माध्यक्षको हथियारोंकी जरूरत क्योंकर पड़ी। मुझे हथियारोंके दाम बराबर मिल जाते थे अतः किसी बातकी चिन्ता नहीं किया करता था।

बम्बईमें जब भी साम्प्रदायिक दंगे हुआ करते, दीक्षित महाराज मुझसे हथियार खरीदते थे। मैं जो हथियार उन्हें देता उनमें ६ से ९ इंच लम्बी कटारें, बघनखे आदि होते (शिवाजीने इसी बघनखेसे अफजल खाँ को मारा था।) मैंने

दीक्षित महाराजको लाइसंस वाले हथियार जैसे पिस्तौल, रिवाल्वर, बारूदी रुईके टुकड़े तथा विस्फोटक भी दिये। दीक्षित महाराजके पास उनके लिए लाइसेंस नहीं था। मैंने जून-जुलाई १९४७ में दीक्षित महाराजको १५० प्रति सैकड़ाके हिसाब से १००० विस्फोटक; ५०० रु० में एक पिस्तौल तथा २०० रु० में बारूदी रुई-का एक टुकड़ा दिया था।

दादा महाराज दीक्षित महाराजके भाई थे और वैष्णवोंके वल्लभसम्प्रदायके गुरु थे। मैंने दादा महाराज के हाथ १२८० रु० में पूनामें विस्फोटक पदार्थके ४० पैकेट बेचे। मैं तो यही जानता हूँ कि दादा महराज पक्के सनातनी हैं। कांग्रेसी हैं या नहीं यह मुझे नहीं मालूम।

मैं आमदार खरातको जानता हूँ, पर होनाजी गणपतसे परिचित नहीं हूँ। खरात कांग्रेस समाजवादी था और मेरे मकानके सामने रहता था। मेरे उससे मैत्रीपूर्ण सम्बंध थे। जबसे खरातका विवाह १९४६ में हुआ, तभीसे मैं उसे जानता हूँ। मैंने १६ जनवरी १९४८ की शामको ७॥ बजे खरातको विस्फोटक पदार्थोंके दो बंडल दिये थे और कहा था कि यह हैदराबाद राज्य कांग्रेसके कार्य-कर्त्ताके सिवा और किसीको न देना। खरात इन कार्यकर्त्ताओं में बाबासाहब परांजपे, देशमुख, शेषराव तथा नायकको जानता था। मैंने खरातसे यह भी कहा था कि इन चारोंमेंसे जो भी यह बंडल ले, वह जितना रुपया दे वही ले आना। कीमत पहलेसे ही तय थी जिसे ये लोग जानते थे।

जब मैं दिल्लीसे २२ जनवरीको पूना पहुँचा था तो खरातसे नहीं मिला था। मैं गान्धीजीकी हत्याके एक दिन बाद ३१ जनवरीको गिरफ्तार कर लिया गया था। इस बीचके ९ दिनोंमें मैं हैदराबाद राज्य कांग्रेसके किसी कार्यकर्त्तासे नहीं मिला। मैं किसीसे भी मिलने मिलाने नहीं गया क्योंकि मुझे गिरफ्तार हो जानेका भय था। मैं जानता था कि मदनलाल गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं सोचता था कि यदि मैं खरातके घर गया तो खरात वह दोनों बंडल मुझे लौटा सकता है और मुझे भय था कि यदि मैं बंडल लिये रहा तो पुलिस कहीं मुझे भी न पकड़ ले।

वी० डी० सावरकरने १९४५-४६ में हिन्दुओंको शस्त्रास्त्र देनेके लिए मेरी विशेष प्रशंसा की थी। मैं उस समय उन्हीं लोगोंके हाथ शस्त्रास्त्र बेचा करता था जिनके पास लाइसेन्स नहीं होता था। हथियारोंके बेचनेके सिलसिलेमें मुझपर दो तीन बार मुकदमा चल चुका है, पर हर बार मैं छूट गया। मैं हमेशा उन हथियारों-का हिसाब-किताब रखता था जो कि कानूनन बिक सकते थे।

३१ जुलाईको मेरे मकानपर भीड़ने आक्रमण किया। सारे सामानमें जिसमें एकाउण्ट बुक भी थी, आग लगा दी। महात्मा गान्धीकी हत्याकी खबर सुनकर क्रुद्ध

भीड़ने हिन्दू महासभाके प्रमुख व्यक्तियों तथा उन व्यक्तियोंके घरोंपर आक्रमण किया जिनका कि महात्मा गान्धीकी हत्यामें हाथ होनेका सन्देह हुआ। इस सिलसिलेमें नथूराम गोडसेके अखबारके दफ्तर तथा पूनामें मेरे घरपर भी हमला हुआ।

वडगेने बताया कि अभियुक्त शंकरका काम था खंजर आदिकी मूठोंपर पालिश करे, निजी साइकिल रिक्शा चलाये, समाचार लाये, ले जाये तथा मैं जब और जहाँ अपने साथ ले जाऊँ, चले। आरम्भमें उसकी तनखाह २०) प्रति मास तथा खाना थी। वादमें उसकी तनख्वाह वढ़ाकर ३०) कर दी। वह पिस्तौल तथा हथगोले भी लाया ले जाया करता। शंकरपर मेरा पक्का विश्वास था और अब भी है।

मैं एक वार नवम्बर १९४६ में अवैध रूपसे शस्त्रास्त्र बेचनेपर गिरफ्तार कर लिया गया था और वादमें जमानतपर रिहा कर दिया गया था। इस वीच शंकर मेरी वहनसे २०० रु० लेकर भाग गया। मैंने इस डरसे कि कहीं पुलिस मुझे उसको भगानेके लिए जिम्मेवार न समझ वैठे, २४ नवम्बर १९४६ को उसपर मुकदमा चला दिया। उस मुकदमेमें क्या हुआ यह मुझे ज्ञात नहीं।

मैं ए० एस० भिड़ेको जानता हूँ जो 'फ्री हिन्दुस्तान' नामक अंग्रेजी साप्ताहिकका सम्पादक था और हिन्दूमहासभाका कार्यकर्त्ता था। वडगेने यह भी वताया कि अप्पा कासार सावरकरके वम्बईसे वाहर जानेपर उनका अंगरक्षक होता था। सावरकरके मकानपर दो गुरखोंका पहरा रहता था जो वहीं जीनेके नीचे रहते थे। मैं वड़गावकर नामक व्यक्तिको जानता हूँ जो हिन्दू संघटन निधिके लिए चन्दा एकत्र करनेमें १९४०-४१ में मेरा सहायक था। मैंने उसे अन्तिम वार १९४५ में शोलापुरमें देखा था।

१९४३-४४ में मैं नथूराम गोडसेके साथ महासभाके कानपुर अधिवेशनके वाद दिल्ली आया था। इसके वाद मैं १९ जनवरी १९४८ की रातको दूसरी वार दिल्ली आया था।

जब मैं २० जनवरीको दिल्लीसे पूनाको रवाना हुआ तो दिल्लीमें हुई सारी घटनाको भूलनेकी पूरी पूरी चेष्टा की। अतः मैंने शंकरसे यह भी नहीं पूछा कि तुमने उन दोनों हथगोलों, एक गनकाटन स्लाव तथा अन्य वस्तुओंको महासभाके पीछे जंगलमें कैसे फेंका। मुझे इन फेंकी हुई वस्तुओंकी कीमत ५००) की भी चिन्ता न थी। एक गनकाटन स्लावकी कीमत २०० रु० तथा एक हथगोलेकी कीमत १५०) होती है। मैं अपने साथ पूना ऐसी कोई चीज लौटाकर नहीं ले गया था जिससे कि धरपकड़का कोई भय हो।

वडगेने एक प्रश्नके उत्तरमें यह भी वताया कि मैं भारत तथा हैदरावादके सम्वन्धकी कटुता समझता हूँ और एक समय आयेगा जब भारत तथा हैदरावाद-

में लड़ाई होगी। मुझे यह भी ज्ञात है कि हैदराबाद राज्यमें भी हिन्दू महासभाकी एक शाखा है।

मैं दीक्षित, पटवर्धन तथा प्रवीणचन्द्र सेठियाको भी जानता हूँ।

२६ जुलाई

श्री आत्माचरणको मार डालनेकी धमकी

आज कारवाई फिर शुरू होनेपर जज आत्माचरणने बताया कि मुझे एक गुमनाम चिट्ठी मिली है जिसमें मुझे मार डालनेकी धमकी दी गयी है।

यह भेद उन्होंने उस समय खोला जब बचाव पक्षके वकील श्री बनर्जीके उस प्रार्थनापत्रपर विचार किया जा रहा था जिसमें अदालतके अन्दर आते हुए कानूनकी पुस्तकोंवाले थैलों और सूटकेसोंकी भी तलाशीपर आपत्ति प्रकट की गयी थी।

सबूत और बचाव दोनों पक्षोंके वकीलों श्री पी० के० दफ्तरी और बनर्जीने भी यह प्रकट किया कि उन्हें भी मार डालनेकी धमकीके पत्र मिल चुके हैं।

श्री बनर्जीने अदालतके हातेमें तलाशी ली जानेपर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि मेरी आपत्ति सिद्धान्तपर आश्रित है। मैं अपनी कानूनकी किताबें अदालतमें नहीं ला पाता हूँ इससे मेरी युक्ति प्रत्युक्तिमें बाधा पड़ती है।

श्री पी० के० दफ्तरीने इस महत्वपूर्ण मुकदमेमें सुरक्षाके उपायोंको आवश्यक बतलाया और कहा कि जब सभीकी तलाशी ली जाती है, तो किसी व्यक्तिको उसमें अपना अपमान अनुभव नहीं करना चाहिये। स्त्रियोंके भी थैलोंकी तलाशी ली जाती है यद्यपि उनमें लिपस्टिक और फेसपाउडरसे बढ़कर खतरनाक चीजें नहीं मिलतीं।

श्री दफ्तरीने उदाहरण भी प्रस्तुत किये, जिनमें अदालतमें मुखबिरोंको गोली मार दी जानेकी घटनाएँ थीं। एक अन्य उदाहरणमें उन्होंने बताया कि जज-पर लकड़ीका कुंदा भी फेंका गया था।

जजने कहा कि वे सुरक्षाके लिए बर्ते गये उपायोंमें कोई ढील नहीं कर सकते। यदि बचाव पक्षके वकील पहलेसे ही सूचित कर दिया करें तो अदालत स्वयं उनके लिए पुस्तकोंका प्रबन्ध कर देगी।

श्री बनर्जीने अदालतका सुझाव स्वीकार कर लिया।

बडगेकी जिरहके फिर शुरू होनेसे पूर्व वादी पक्षके वकील श्री दफ्तरीने कहा कि बडगेको जुकाम और बुखार है इसलिए जिरह कलतक स्थगित कर दी जाय।

जजने कहा कि यदि गवाह चाहेगा तो उसे कुर्सी दे दी जायगी, किन्तु जिरह स्थगित नहीं की जा सकती। इसके बाद जिरह शुरू हुई।

भोपटकरके एक प्रश्नके उत्तरमें मुखबिर वडगेने कहा कि मुझे मालूम है कि वम्बई सरकारने 'अग्रणी' से ४-५ वार जमानत माँगी थी। अन्तिम जमानतकी रकम ६,००० रु० थी। उसने कहा कि हो सकता है कि मैंने इसमें ४-५ रु० दिया हो।

वडगेने कहा कि मैं हैदरावादकी राज्य कांग्रेसको नकद दाम मिलनेपर ही हथियार देता था, किन्तु अपने परिचितोंको उधार भी दे दिया करता था।

आपटेको मैं जो चीज वेचता था उसपर लाभसहित पूरी कीमत वसूल करता था इसलिए कमीशनपर वेचनेका तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, कभी कभी मैं कोई चीज आपटेको विल्कुल मुफ्त भी दे देता था, क्योंकि इसके पूर्व अनेक अवसरोंपर वह मेरी सहायता कर चुका था। इस सहायताका स्वरूप यह था कि उसकी वदौलत धनी आदमी मेरे पास सामान खरीदने आ जाते थे, और आपटे और गोडसेने मुझे समय समयपर ५, १०, ५० तथा १०० रु० की भी सहायता दी है।

१० जनवरीको गोडसे और आपटेको मैं गनकाटनके टुकड़े और ५ हथगोले देनेको राजी हो गया। मेरे पास रिवाल्वर कोई था नहीं। आपटेने गोडसेसे कहा कि हमारा एक काम पूरा हो गया है। यह सुनकर आपटेसे मैंने पूछा कि दूसरा काम क्या है। उसने मुझसे कहा कि यह मैं वादमें वताऊँगा।

मैंने आपटेसे यह नहीं पूछा कि वह वस्तुओंको पूना न भिजवाकर वम्वई क्यों भिजवा रहा है, क्योंकि मैं आपटेके आदेशमें ननु नच नहीं किया करता था। आपटेसे मुझे १००-२०० रुपयोंकी आर्थिक सहायता मिली होगी। अन्य अनेक प्रकारोंसे भी उसने मेरी वड़ी सहायता की।

गवाहने आगे कहा कि मैं हथियारोंका ज्यादा स्टाक नहीं रखता था। आर्डर मिलनेपर वे हथियार मँगाकर मैं आर्डर देनेवालेके पास भेज दिया करता था, तथापि कुछ हथियार मैं अपनी दुकानके पीछेके वृक्षकी तहमें छिपाकर रखता था।

आपटेने मुझे उन हथियारोंकी कीमत पूनामें नहीं चुकायी। उसने कहा कि वह वम्वईमें उनकी कीमत अदा कर देगा, किन्तु वम्वईमें पहुँचनेपर यह निश्चय हुआ कि मैं भी उनके साथ दिल्ली चलूँ, इसलिए वहाँ पर भी दाम लेनेका सवाल नहीं उठा। वडगेने कहा कि स्वयं भी मैंने उनकी कीमत नहीं माँगी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि आपटे अपने आप ही विना कहे कीमत चुका देगा। १५ जनवरीको आपटेने मुझे ५०) देकर कहा कि यह तुम्हारा पूनासे अव तकका सफर-खर्च है। मुझे यह विश्वास था कि हथियारोंकी भी कीमत मुझे वादमें चुका दी जायगी।

वडगेने आगे कहा कि यदि आपटेने १५ जनवरीको वम्वईमें उन चीजोंकी कीमत दी होती तो मैं अवश्य ले लेता। पूनासे मेरा और शंकरका सफर-खर्च तो

केवल १०) हुआ था, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मुझे ये ४०) ज्यादा क्यों दिये गये हैं। मैंने समझा कि बादको सब हिसाब किताब ठीक कर लिया जायेगा।

१५ जनवरीको दीक्षितजी महाराजके घर वह सामानका थैला खोला गया। जो वहाँ उपस्थित थे उनको मैंने हथगोला चलाना सिखाया। दीक्षित महाराजने हथगोलेके प्रयोगकी छोटी छोटी बातोंपर मेरे प्रयोगकी कुछ गल्तियोंको सुधारा। वहाँ-पर गोडसे, करकरे, मदनलाल और आपटे भी उपस्थित थे।

दीक्षित महाराजने कहा, मदनलालको तो मैं जानता हूँ, यह (करकरे) कौन है। मैंने बताया कि करकरे अहमदनगर हिन्दू महासभाका एक अच्छा कार्यकर्त्ता है।

उसके बाद १८ जनवरीको प्रातः ८॥ बजे शंकरको साथ लेकर मैं पुनः दीक्षित महाराजके पास गया। मैंने उन्हें एक रिवाल्वर दिखाया और उसके लिए ३५०) की माँग की। दीक्षित महाराजपर मेरे ७५०) पहलेके उधार थे, वे भी मैंने माँगे, मुझे पैसेकी बड़ी आवश्यकता थी। मैंने दीक्षित महाराजको झूठ बताया कि मैं यह रिवाल्वर खरीद कर लाया हूँ।

मुझे गोडसे और आपटेके साथ दिल्ली चलनेके लिए कहा गया, उसके बाद १५ जनवरीको दीक्षित महाराजके पास नहीं गया।

१५ जनवरीको जब मैं और आपटे दीक्षित महाराजके घर गये थे तो आपटेने दीक्षितको बतलाया था कि उनके दलने ४० हजार रुपयेके गोला बारूद और हथियार जमा कर लिये हैं और वे कश्मीर जा रहे हैं। जब करकरे और मदनलाल हथियारोंके उस थैलेको लेकर दीक्षित महाराजके घरसे चले गये तो आपटेने दीक्षित महाराजसे कहा कि हम एक महत्त्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं। दीक्षित महाराजके यह पूछनेपर कि वह महत्त्वपूर्ण कार्य क्या है, आपटेने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने कहा कि हम बादको बतलायेंगे। दो दिन बाद आपटेने दीक्षितको बतलाया कि हम कश्मीर जा रहे हैं। मैंने अकेलेमें दीक्षितसे केवल १७ जनवरीको भेंट की थी, न तो १५ जनवरीको और न १८ जनवरीको।

१५ जनवरीकी रातको बम्बईसे पूना जाते हुए हमने टिकट न लेकर केवल प्लेटफार्म टिकट लिया था और पूनामें टिकट कलेक्टरको २) देकर हम स्टेशनसे बाहर निकल आये।

१७ जनवरीको हम बम्बई फिर गये और गोडसे, आपटे और शंकरके साथ हम विनायक दामोदर सावरकरके पास गये। मैं और शंकर तो नीचे ही रहे। गोडसे और आपटे ऊपर सावरकरसे मिलने गये। जिस कमरेमें हम थे उसीमें अप्पा कासार और जी० दामले भी थे, किन्तु हमने कोई बातचीत नहीं हुई। मैं यह नहीं कह सकता कि आपटे और गोडसेके यह बतानेपर कि वे गान्धीजीकी हत्या करने दिल्ली

जा रहे हैं, कालेने उन्हें १२०० रु० दिये थे। वे आपसमें अंग्रेजीमें बातचीत कर रहे थे, जिसे मैं समझ नहीं सकता। इससे पूर्व बोरीबन्दरपर गोडसे-आपटेने मुझसे कहा था कि हमें दिल्ली जानेके लिए पैसा इकट्ठा करना चाहिये। इसलिए मेरा अनुमान है कि गोडसे और आपटेकी आवश्यकताको जानकर ही कालेने उन्हें १२०० रु० दिये होंगे।

आपटेने सान्ताक्रूज हवाई अड्डेपर शंकर और मुझे दिल्ली आ सकनेके लिए ३५०) दिये थे। आपटेने कहा कि हम अधिक धन इकट्ठा नहीं कर सके, इसलिए मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ यही बहुत है। यह आपटेको दिये गये हथियारोंकी कीमत नहीं थी। दिल्लीमें अचानक कोई गड़बड़ी हो जानेकी सम्भावनासे अपने आपको सुरक्षित करनेके लिए मैंने पटवर्धनसे ४००) उधार लिये थे, किन्तु वे वापस नहीं चुकाये।

२० जनवरीको प्रातः दिल्लीमें हिन्दूमहासभा भवनमें जब मैं आपटेसे मिला तो मैंने आपटेसे और धन नहीं माँगा। किन्तु मैंने उसे एक पुर्जा दिखाया जिसमें यह लिखा था कि ३५०) मेंसे मैंने कितना खर्च किया है। बम्बईके टैक्सी ड्राइवरसे मिली हुई रसीद भी मैंने आपटेको दे दी। आपटेने उन्हें फाड़ डाला और कहा कि ऐसे हिसाब-किताबकी कौन पर्वाह करता है?

मैंने अपने नौकर शंकरको गान्धीजीके मारनेका पूरा षड्यन्त्र २० जनवरीको मैरीना होटलमें हम सबके एकत्र होनेतक नहीं बताया था। इसके बाद सबको हथियार बाँटे गये। आपटे होटलसे पहले उतर आया; शंकर, गोपाल गोडसे और मैं पीछे उतरे। तब मैंने शंकरको बताया कि मैं एक व्यक्तिपर हथगोला फेंककर गोली चलाऊँगा। और तुम्हें भी उस व्यक्तिके विरुद्ध यही करना होगा। और मैंने उसे बताया कि वह एक बूढा आदमी है और उसका नाम 'गान्धी' है।

२० जनवरीको मैंने प्रार्थना-स्थलमें हसन शहीद सुहरवर्दीको नहीं देखा। बम विस्फोट होनेके थोड़ी देर बाद ही मैं वहाँ से चला आया और कह नहीं सकता कि बादमें क्या हुआ। मैंने विस्फोटका शब्द सुना था, मदनलालको पकड़कर ले जाये जाते हुए भी देखा था, किन्तु मेरा मन इतना विक्षुब्ध था कि मैं यह भी नहीं समझ पा रहा था कि महात्मा गान्धी क्या कह रहे हैं। मैंने केवल उनको हाथ उठाकर भीड़को शान्त रहनेकी अपील करते हुए देखा था।

मैंने फोटोग्राफर बनकर प्रार्थना-स्थलके पीछेके कमरेमें घुसना स्वीकार कर लिया था जिसकी दीवारके पीछेसे मैं अपना काम पूरा करता। मैंने इसकी भी पर्वाह न की कि फोटोग्राफर बननेके लिए मुझे कोई कैमरा भी मिल सकेगा या नहीं। मेरे पास जो थैला था, प्रतीत होता था, कि इसमें कोई कैमरा है। किन्तु इसमें था

हथगोला और एक रिवाल्वर। यह कन्वासका खाकी रंगका १२ इञ्च लम्बा ६ इञ्च चौड़ा थैला था। करकरेके पास भी एक थैला था।

अपना और शंकरका रिवाल्वर तौलियेमें लपेटकर जब मैंने कारमें ही छोड़ दिया, तो टैक्सी ड्राइवर उस समय वहाँ नहीं था। मुझे उन रिवाल्वरोंको वहाँ छोड़ जानेमें बिल्कुल भय नहीं लगा, क्योंकि मैं डरता ही क्यों, रिवाल्वर मिलनेपर टैक्सी ड्राइवरकी आफत आती, वही पकड़ा जाता। (इसपर अदालतमें सबको हँसी आ गयी।) और भी हँसी हुई जब बडगेने यह कहा कि मैंने अपने साथ गोला रखना पसन्द किया क्योंकि उसके गान्धीजीपर फेंक देनेसे मेरे हाथमें कुछ नहीं रहता और मैं वेदाग वच जाता। इसके विपरीत रिवाल्वरसे तो गोली ही निकलकर गान्धीजीके लगती और रिवाल्वर मेरे हाथमें रह जाता, जिससे मैं आसानीसे पकड़ा जाता। उसने कहा मेरी अपनी विलक्षण दाढ़ी और वाल हैं, जिनके कारण आसानीसे पहचाने जानेका भय था। इसलिए मैंने हथगोला भी शंकरको दे दिया और उससे कहा कि जवतक संकेत न मिले उस हथगोलेका उपयोग न करो।

मदनलाल, बडगे और शंकरको छोड़ सब भाग गये

बडगेने कहा कि यदि नथूराम गोडसे, आपटे, करकरे, और गोपाल गोडसेने पहले हथगोला फेंका होता, तो मैं शंकरको भी हथगोला फेंकनेके लिए जरूर इशारा करता। परन्तु मदनलालने ज्यों ही गनकाटनके टुकड़ेसे विस्फोट किया ये चारो टैक्सी लेकर हवा हो गये। उसने कहा कि कारमें रिवाल्वर इसलिए छोड़ दिये थे, क्यों कि मैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं समझता था। गान्धीजीको मारनेके लिए हथगोले ही काफी थे। यह सुझाव केवल प्रार्थना-स्थल जानेके बाद ही सूझा।

२७ जुलाई

आज बचाव पक्षके प्रमुख वकील श्री एल० बी० भोपटकरने मुखबिर बडगेसे चौथे दिन जिरह जारी रखी।

भोपटकरके प्रश्नके उत्तरमें बडगेने कहा कि १९-२० जनवरीको हिन्दूमहासभा-भवनके जिस कमरेमें मैं तथा शंकर ठहरे थे, उसमें ताला नहीं लगा था। गोपाल गोडसेने जिस आलमारी "वह सामान" रखा था, उसमें भी ताला नहीं था; हाँ, उसके किवाड़ बंद रहे।

अन्य हथगोलोंसे पहचाननेके लिए मेरे हथगोलोंपर काला गुणा (×) का चिन्ह लगा था तथा एक लालपट्टी उनके चारो ओर लपेटी हुई थी। मैंने अबतक कुल ५०-६० हथगोले बेचे हैं। ये सब हथगोले मैंने [illegible] कुछ कर्मचारियों तथा अकर्मचारियोंके मित्रोंने खरीदे थे।

इसपर ये हथगोले अदालतमें पेश किये गये, तो उनपर वह निशान लगे हुए थे जो कि वडगेने वताये थे। वडगेने कहा कि इसके अतिरिक्त मेरे पास ऐसा कोई सवूत नहीं है कि जिससे यह सिद्ध हो कि ये हथगोले मैंने आपटेको दिये थे। यह सव कार्य इतने गुप्त रूपसे किया गया था कि इसका कोई रेकार्ड ही नहीं मिल सकता।

अदालतने वडगेके इस वयानको अदालती रेकार्डमें रखनेसे इन्कार कर दिया कि महात्मा गान्धीने आमरण अनशन इसलिए किया था कि भारत पाकिस्तानको ५५ करोड़ दे दे। चूँकि गवाहको अनशनके कारणका कोई सीधा ज्ञान नहीं था, इसलिए वह यह नहीं कह सकता कि अनशनका क्या कारण था। उसने चाहे कुछ भी पत्रोंमें पढ़ा हो या दूसरोंके मुँहसे सुना हो, वह कथित वात ही है, तथ्य नहीं। इसलिए उसके इस वयानको अदालत कानूनी रेकार्डमें नहीं रख सकती।

जिरहके उत्तरमें वडगेने आगे कहा कि दिल्लीसे पूना लौटनेपर मैंने अपना सारा घर देखा-भाला ताकि कहीं कोई आपत्तिजनक चीज घरमें न हो। मैंने शंकरसे भी यही करनेको कहा था। मेरे घरमें उस समय जो ६००-७०० तलवारें तथा खंजर थे, उनकी मुझे कुछ चिन्ता न थी। मैंने कहीं वाहर आना-जाना तथा पुराने मित्रोंसे मिलना-जुलना वन्द कर दिया था। एक प्रकार २३ जनवरीसे ३१ जनवरीतक मैं अपने घरमें छिपा रहा।

मैं हिन्दू राष्ट्रके दफ्तरके सामनेसे तो निकल जाता पर कभी भी अन्दर घुसकर नहीं गया। मैंने यह पूछताछ भी नहीं की कि नथूराम गोडसे, करकरे, आपटे, गोपाल गोडसे पूना आ गये या नहीं। मैंने इन आठ दिनोंमें किसीको भी नहीं देखा।

३० जनवरीको मैं पूनाके उपनगर शिवाजीनगरमें यात्राको गया। यह स्थान सर चुन्नीलाल मेहताके वँगलेके पीछे एक जंगलमें पहाड़ीपर था और चतुःश्रृंगी-जीके मन्दिरसे दूर था।

इसके अगले दिन मैं गिरफ्तार कर लिया गया और वड़ी कोतवाली वुधवार पेठमें वन्द कर दिया गया। वहाँसे मुझे छावनीके थानेमें ले जाया गया। शंकर मेरे साथ गिरफ्तार नहीं किया गया था। वम्वई जेलमें मैंने शंकरको फरवरीके दूसरे सप्ताहमें देखा था। मैं ४ फरवरीको वम्वई जेलमें भेजा गया था और वहाँ २४ मईको दिल्ली आनेतक ठहरा रहा। मुझे २१ जूनको ५॥ वजे सरकारी क्षमादान दिया गया था।

जव सरकारी क्षमा-दानपर भी जिरह करनेकी श्री भोपटकरने इच्छा व्यक्त की

तो जज श्री आत्माचरणने क्षमा-दानकी आज्ञाकी मूल प्रति उन्हें दे दी। यह क्षमा-दान-आज्ञा जेजने दी थी।

बडगेने जिरहके उत्तरमें आगे बताया कि मैं बम्बईमें ४ फरवरीसे २४ मईतक पुलिसकी हिरासतमें रहा। मैं सी. आई. डी. की स्पेशल ब्रांचकी बिल्डिंगमें रखा गया था। जबतक मेरा बयान नहीं ले लिया गया, मैं सबसे पृथक् रखा गया था। बयान ले लिये जानेपर मेरे कमरेमें शंकर आ गया था। बादमें गोपाल गोडसे तथा मदनलाल भी मेरे ही कमरेमें रखे गये थे। मेरी गिरफ्तारीके बाद १८-२० दिनमें ही मेरा बयान लिया गया था। बयान देते समय मैंने यह इच्छा व्यक्त नहीं की थी कि मैं मजिस्ट्रेटके सामने ही बयान दूँगा। पर पुलिससे मैंने यह अवश्य कहा था कि मैं सारी बातें सच-सच कह देना चाहता हूँ, फिर उसका परिणाम कुछ भी क्यों न हो, चाहे मुझे इसके लिए फाँसी भी क्यों न हो जाय।

अपनी गिरफ्तारीकी एक घटनाका जिक्र करते हुए बडगेने कहा कि १९४२ में एक दिन सावंत तथा अंगारकर नामक दो छोटे थानेदार एकदम मुझपर दौड़ पड़े और मुझे खूब पीटा। मुझे यह ज्ञात न हो सका कि मुझे इस प्रकार क्यों पीटा गया। बादमें मुझे पता चला कि पुलिसको सूचना प्राप्त हुई थी कि मेरे पास पिस्तौलें तथा रिवाल्वरें रहती हैं, इसलिए वे अकस्मात् यों आक्रमण न करते तो सम्भव था कि मैं उनपर आत्मरक्षार्थ पिस्तौल चला देता।

उस समय मैं पिस्तौलें तथा रिवाल्वर नहीं बेचता था। अतः जब पुलिसने मेरे घर तथा दूकानकी तलाशी ली तो कोई चीज बरामद न हुई और मैं रिहा कर दिया गया। मैंने सबसे पहली बार १९४७ के मध्यमें पिस्तौल और रिवाल्वर बेचा था।

मेरी गिरफ्तारीके बाद और पुलिसको बयान देनेतक पुलिसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था।

सबूत पक्षके प्रधान वकील श्री दफ्तरीने जजसे पूछा कि क्या इस कथनका यह अर्थ निकलता है कि बडगेके साथ बयान ले लेनेके बाद बुरा व्यवहार किया गया? जजने कहा—इसका आवश्यक रूपसे यह अर्थ नहीं निकलता। इसपर भोपटकरने कहा कि जब गवाहका बयान ले लिया गया तो फिर बुरा बर्ताव करनेकी आवश्यकता ही क्या थी?

भोपटकरने आज ११ बजकर ५५ मिनटपर अपनी जिरह समाप्त की। फिर नथूराम गोडसेके वकील श्री वी० वी० ओकने बडगेसे जिरह करना आरम्भ किया।

जजने हँसते हुए श्री ओकसे पूछा कि आपकी जिरह भी भोपटकरकी जिरहकी भाँति लम्बी-चौड़ी होगी?

श्री ओकने उत्तर दिया—"अभी बहुत छोटी होगी।"

श्री ओकके प्रश्नके उत्तरमें बडगेने बताया कि मैंने ये शस्त्रास्त्र हैदराबाद राज्य-कांग्रेस तथा हिन्दुओंके लाभार्थ एकत्र किये थे ।

२० जनवरीको प्रार्थना-सभामें शंकरने अपना एक हथगोला तथा रिवाल्वर अपने कोटकी जेबोंमें रखा था । जिस समय मैंने तथा शंकरने अपनी पिस्तौलें निकालकर तौलियामें लपेटीं और उन्हें टैक्सीमें रखा उस समय कोई भी आदमी दूरतक दिखायी नहीं देता था ।

२० जनवरीकी शामको प्रार्थना-सभामें बम फटनेके बाद जब मैं आया तो मुझे यह पता नहीं कि करकरे आदि अन्य व्यक्ति कहाँ गये । जब मदनलालने गनकाटनके टुकड़ेमें आग लगाकर विस्फोट किया, उसके बाद मैंने इन्हें नहीं देखा ।

मैं जानता हूँ कि गान्धीजी जहाँ भी रहते वहीं प्रार्थना-सभा किया करते थे, पर मैं २० जनवरीसे पूर्व कभी भी उनकी प्रार्थना-सभामें नहीं गया । एक बार आपटेने नयी दिल्ली (भंगी बस्ती) में गान्धीजीकी प्रार्थना-सभामें प्रदर्शन किया था । उसनें (आपटेने) यह बात एक वर्ष पूर्व पूनामें एक सभामें भाषण करते हुए कही थी । आपटेके कथनानुसार उसने (आपटेने) प्रार्थना-सभामें एक जुलूसका नेतृत्व किया तथा गान्धीजीसे बात करनी चाही थी । आपटेसे गान्धीजी मिले नहीं । आपटेका कहना था कि वे डरके मारे अन्दर घुस गये थे ।

जब आपटेने प्रदर्शन किया था तो नथूराम गोडसे भी वहाँ था । उस दिन आपटेके साथियों तथा कांग्रेसियोंमें परस्पर संघर्ष हो गया था ।

२॥ बजे आपटेके वकील श्री मेंगलेने बडगेसे जिरह करनी शुरू की । मेंगलेके प्रश्नके उत्तरमें बडगेने कहा कि मैंने किसी अंग्रेजी स्कूलमें शिक्षा नहीं पायी । मैं केवल मराठी लिख-पढ़ सकता हूँ । मैंने १९२७ में स्कूलसे पढ़ना छोड़ा था ।

बडगेने आगे कहा कि मैंने १९४७ में पूनामें वीर सावरकर वाचनालय खोला था जिसमें मराठी पत्र मँगाया करता था । ये पत्र महासभा विचारधाराके होते थे । यह वाचनालय मेरी पुस्तककी दूकानका एक भाग था । उसमें एक मेज पड़ी थी तथा कुछ कुर्सियाँ पड़ी थीं जिनपर कि पाठक बैठते थे ।

मैं देशकी राजनीतिक प्रगतिमें दिलचस्पी लेता था और विभिन्न राजनीतिक दलोंकी गतिमें भी दिलचस्पी रखता था । देशकी राजनीतिक घटनाओंकी जानकारी रखनेके लिए मराठी पत्र पढ़ा करता था । मैं दैनिक 'अग्रणी' की नीति जानता था जो कि बादमें 'हिन्दू राष्ट्र' के नामसे निकला करता था । इसे पण्डित नथूराम गोडसे तथा नाना साहब आपटे निकाला करते थे । इस पत्रने विभाजनका विरोध किया था । पत्रका मत था कि मुसलमानोंको खुश करने तथा अहिंसाकी कांग्रेसकी नीति देशके लिए हितकर नहीं है ।

बडगेने कहा कि पत्रका मत था कि हिंसाका जवाब हिंसासे दिया जाय, पर यह हिंसा आत्मरक्षार्थ हो, आक्रमणके हेतु नहीं।

एक अन्य प्रश्नके उत्तरमें बडगेने कहा कि नथूराम गोडसेने पूनामें जो हिन्दू राष्ट्रीय दल चलाया था, उसका उद्देश्य चुनावोंमें महासभाकी मदद करना, सभाका प्रचार करना, महासभाकी बैठकोंमें शान्ति रखना तथा साधारणतः अनुशासन सिखाना था।

श्री ओकने बताया कि दल ब्वॉय स्काउट असोसिएशनके सदस्य था।

बडगेने जिरहके उत्तरमें कहा कि मैं पूनाके गुरुद्वारेमें रहनेवाले गुरुदयालसिंह नामक सिखसे शस्त्रास्त्र खरीदा करता था। गुरुदयालके पास लाइसेन्स नहीं था और वह पूनाके पंजाबियोंको हथियार बेचता था। मैं कान्से नामक एक व्यक्तिको भी जानता हूँ। वह रविवारपेठ (पूना) में रहता था। उसकी साइकिलकी दूकान थी जो मेरी दूकानके सामने थी। यह खडकी आर्डनेन्स फैक्टरीमें काम करता था। वह मेरे हाथ गनकाटनके टुकड़े, कारतूस, फ्यूज वायर तथा विस्फोटक पदार्थ आदि शस्त्रास्त्र भी बेचा करता था।

जजने श्री मैंगलेसे पूछा कि "इस प्रकारके प्रश्न करनेसे आपका क्या तात्पर्य है?"

श्री मैंगलेने कहा कि 'मैं यह दिखानेकी चेष्टा कर रहा हूँ कि बडगेका सम्पर्क कैसे लोगोंसे था?"

जज—"सबूत पक्षने भी तो यही प्रश्न किये थे।"

मैंगले—"मैं सबूत पक्षकी अपेक्षा इसे अधिक स्पष्ट कर देनेकी चेष्टा कर रहा हूँ।"

श्री दफ्तरीने कहा कि गवाहका कहना है कि मैं विभिन्न व्यक्तियोंसे हथियार खरीदता था और पता नहीं कि वे खडकी शस्त्रागारके बने होते थे या नहीं।

श्री मैंगले—"सबूत पक्ष इस बातमें दिलचस्पी नहीं लेता कि वे हथियार कहाँसे आते थे। मैं कहता हूँ कि ये लोग खडकी शस्त्रागारसे चुराकर 'सामान' लाते थे और गवाहके हाथों बेचते थे।"

बडगेने आगे कहा – दरवानसिंह नामक एक सिखसे गनकाटनके टुकड़े, हथगोले, कारतूस, पिस्तौल, रिवाल्वर तथा विस्फोटक पदार्थ खरीदा करता था। उनसे मैंने ४००० रु० का सामान तथा गुरुदयालसिंह से १०००० रु० का सामान खरीदा था।

खडकी शस्त्रागारमें काम करनेवाले एक व्यक्ति छन्नसिंहसे भी मेरा परिचय है। वह मद्रासी या सिख नहीं। छन्नसिंह तथा कान्से दोनोंने मिलकर मुझे १५००० रु० कीमतका सामान बेचा।

२८ जुलाई

आज अदालतमें कानून मंत्री डा० अंबेडकर अपनी पत्नीके साथ कुछ देरके लिए उपस्थित थे।

सबसे पहले सफाई पक्षके एक वकील श्री जमुनादास मेहताने बम्बईके दीक्षित महाराजके मकानका नक्शा अदालतमें पेश किया और जजको उसका कारण समझाया।

श्री मेंगले द्वारा की गयी जिरहका उत्तर देते हुए मुखबिर बडगेने कहा कि १५ जनवरीको बम्बईके हिन्दू महासभा दफ्तरमें आपटेने मुझसे यह नहीं कहा था कि गान्धीजीके अनशनके विरुद्ध केवल प्रदर्शन करनेके लिए दिल्ली चलना है।

श्री मेंगले—क्या आपटेने १५ जनवरीको सवेरे बम्बईके हिन्दू महासभाके दफ्तरमें तुमसे यह नहीं कहा कि हिंद सरकारने पाकिस्तानको ५५ करोड़ रुपया देनेसे इन्कार कर दिया है?

बडगे—नहीं।

मेंगले—क्या आपटेने तुमसे यह नहीं कहा था कि अनशनके विरुद्ध प्रदर्शन करनेके लिए स्वयंसेवक एकत्र करना आवश्यक है?

बडगे—नहीं।

मेंगले—क्या आपटेने तुमसे यह नहीं कहा था कि काफी संख्यामें स्वयं-सेवक एकत्र नहीं हो रहे हैं इसलिए तुम मेरे खर्चेसे दिल्ली चलो?

बडगे—नहीं।

मेंगले—क्या आपटेने तुमसे यह नहीं कहा कि दिल्ली चलकर तुम न केवल प्रदर्शनमें सहायता कर सकते हो, पर वहाँ शरणार्थियोंको खूब ऊँचे ऊँचे दामोंपर शस्त्रास्त्र भी बेचकर अपना फायदा कर सकते हो?

बडगे—नहीं

बडगेने कहा कि मेरे और आपटेके बीच ऐसी कोई बातचीत कभी नहीं हुई। गवाहने कहा कि मैं नथूरामके हस्ताक्षरसे परिचित नहीं और उनका दस्तखत पहचान नहीं सकता। गोडसेसे मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली।

२० जनवरीको सवेरे आपटे और बडगे जब बिड़ला हाउसमें प्रार्थना-स्थलका मुआइना कर रहे थे तो किसीने भी टोंका नहीं था। आपटेने दीवालकी जालीका नाप जिस डोरीसे लिया था वह हथगोलेके नापकी थी। आपटेने पहले हथगोलेका व्यास नाप लिया था और यह देखना चाहता था कि जालीके छेदमेंसे हथगोला जा सकता है या नहीं। नापजोख करनेके बाद आपटेने मुझसे कहा कि हथगोला आसानीसे अन्दर फेंका जा सकता है।

बडगेने कहा कि आपटेने मुझसे कहा था कि हथगोला छेदमें रखो, और फिर नीचेकी स्प्रिंग दबाओ और पिस्तौलकी नलीसे उसे दूसरी ओर ढकेल दो।

पौने बारह बजे मेंगलेने जिरह खतम की और करकरेके वकील डांगेने सवाल पूछना शुरू किया। उन्होंने जब पूछा कि 'बडगे, आज तुम्हारी तबीयत कैसी है', तो अदालतमें हँसी हुई।

बडगेने जवाब दिया "अभी बिलकुल ठीक नहीं हुई।"

जजने कहा—आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं या और कुछ?

बडगेने कहा—मैं पहले कांग्रेसवाला था और फिर महासभावादी, पर कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघका कार्यकर्ता नहीं था। मैं १९४२ के 'भारत छोड़ो' प्रस्तावके बारेमें जानता हूँ। युद्धमें कांग्रेसके असहयोगकी बात भी जानता हूँ। पूनेका महाराष्ट्र व्यायाम-मण्डल जानता हूँ जहाँ युद्धके लिए सेनाके अफसरोंकी भरती होती थी। सरकार रुपयेसे इस संस्थाकी सहायता करती थी और मण्डल जिन उम्मेदवारोंको चुनता था उन्हें भरती कर लेती थी। श्री एल. बी. भोपटकर मण्डलके संस्थापक थे। मैं गोडसेको पण्डित और आपटेको नानाराव कहा करता था। मुझे लोग हिन्दू राष्ट्र सेवकके नामसे जानते थे।

महाराष्ट्रमें अप्पासाहब और नानासाहब अप्पाराव और नानाराव हो जाते हैं। 'साहब' शब्द उर्दू है, इसलिए मराठी भाषा शुद्ध करनेके लिए यह किया जाता है। करकरे अहमदनगरका है और डेक्कन गेस्ट हाउसका मालिक था, जहाँ हिन्दू शरणार्थियोंको युद्धमें रहने खानेको दिया जाता था। करकरे हिन्दू शरणार्थियोंकी सेवा करने पूर्वी बंगाल नोआखाली भी गया था। वह अपने साथ १०० खंजर ले गया था। मुझसे उसने ये खरीदे थे। उसने मुझसे ५०) का एक इस्पातका जाकट भी लिया था जिससे नोआखालीके दंगाग्रस्त क्षेत्रमें मुसलमानोंके छुरेसे रक्षा हो। इस जाकटसे छुरेसे रक्षा हो सकती थी, पर गोलीसे नहीं। इसके बाद मैंने गोलीसे बचाने-वाले जाकट भी तैयार कराये, जिनका दाम ७५) और १५०) के बीच होता था। करकरेने मुझसे ९ जनवरीको यह नहीं कहा कि मदनलाल, चोपड़ा और ओमप्रकाश शरणार्थी हैं। यह भी नहीं कहा था कि ये भी अहमदनगरसे आये हैं। मुझसे मदनलालका परिचय यह कहकर कराया गया कि वह साहसी, उत्साही और [illegible] लड़का है। २० जनवरीको उसकी गिरफ्तारीके बाद ही मैंने अखबारोंमें पढ़ा कि वह शरणार्थी था। मेरा भाई एन. आर. बडगे बम्बई-पुलिसमें नौकर है। इस समय वह पूनेमें है। मैंने चालिसगाँवका अपना मकान उसके हाथ १०००) में बेचा। मैंने १९३४-३५ में स्वेच्छासे ही कांग्रेससे इस्तीफा दिया, क्योंकि कांग्रेसके सिद्धान्तों-से मैं सहमत नहीं था। मैं ५ सालतक कांग्रेसमें था। १५ जनवरीको [illegible],

आपटे और करकरे जब शिवाजी प्रिंटिंग वर्क्सके मैनेजर श्री जोशीसे बात-चीत करने अन्दर गये थे तब मैं बाहर ही था। मुझे उन लोगोंने बाहर छोड़ा इससे मुझे अपमान नहीं मालूम हुआ, क्योंकि मैं यही नहीं समझ सका था कि मुझे वे लोग वहाँ ले ही क्यों गये थे ?

९ और २० जनवरीके बीच मुझे कभी आपटे और कभी नथूराम गोडसे या दोनों आदेश देते रहे।

श्री डांगे—इन दिनों रुपयेका लेन-देन कौन करता था ?

श्री दफ्तरी—मुझे इस प्रश्नपर सख्त आपत्ति है। यह अस्पष्ट और साधारण है।

जज—आपका उद्देश्य क्या है ? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि कथित षड्यन्त्रका रुपये-पैसेवाला संचालक कौन था ? इसलिए जबतक आप यह नहीं पूछते कि कोई खास लेन-देन किसने किया तबतक गवाह क्या जवाब दे सकता है ?

गवाहने कहा—जब करकरे और मदनलाल दिल्लीके लिए रवाना हुए तो मेरे सामने आपटेने उनको कोई रुपया-पैसा नहीं दिया। आपटेने जब मुझसे कहा कि रुपया इकट्ठा करना चाहिये तब मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इसका मतलब मैंने यह समझा कि और रुपयेकी उसको जरूरत है।

श्री डांगे—क्या तुम जानते हो कि १७ जनवरीको गान्धीजीकी हालत चिन्ताजनक हो गयी थी ?

जज—गवाह इसका जवाब कैसे दे सकता है ? उसे इसकी जाती जानकारी तो नहीं हो सकती थी।

डांगे—पर उसने रेडियोपर सुना होगा।

जज—चाहे सुना हो चाहे न सुना हो इससे क्या होता है। वह तो सुनी बात ही होगी। यहाँ वह दर्ज नहीं की जा सकती।

डांगे—सारी दुनिया जानती थी कि अनशनके बाद गान्धीजीकी हालत खराब होती जाती थी।

जज—इससे मुकदमेमें कोई मदद नहीं मिलती। आपको यही प्रश्न पूछनेकी जिद है तो दर्खास्त दीजिये। जब मैं उसका फैसला दूंगा तब वह अदालती रेकार्डमें आ सकता है अन्यथा नहीं।

डांगे—मैं दरखास्त दूँगा।

श्री बनर्जी—सबूत पक्षने ऐसे ही सवाल पूछे थे और अदालतने उन्हें पूछने दिया था। टैक्सी ड्राइवरों और नौकरानियोंसे पूछा गया था—"गान्धीजी ३०

जनवरीको कत्ल किये गये इसे आप जानते हैं ?" उन्होंने अपनी आँखोंसे यह बात नहीं देखी होगी। उन्होंने भी सुनी हुई बात ही कही होगी।

जज—सबूतके वकीलोंने वे प्रश्न कुछ और बातें साबित करनेके लिए पूछे थे, हत्याकी बात साबित करनेके लिए नहीं। लेकिन आपके सवाल तो यही बात साबित करनेके लिए पूछे जा रहे हैं कि गान्धीजीकी हालत संकटपूर्ण होती जा रही थी और इसीलिए मैं यह सवाल नहीं पूछने दे रहा हूँ।

श्री डांगेके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने कहा—मैंने किसी आदमीपर गोली नहीं चलायी है। मैंने करकरेके हाथ २०० से २५० तक खंजर बेचे। खरीद बिक्रीकी रोज मैं डायरी रखता था पर गान्धीजीकी हत्याके बाद भीड़ने मेरी दूकानपर हमला किया तब ये सब चीजें जल गयीं। फिर भी गैरकानूनी हथियारोंकी खरीद बिक्रीका मैं कोई हिसाब नहीं रखता था। मैं स्कूलमें बहुत तेज था और मेरा पहला नम्बर रहा करता था।

जीवन भरमें मैंने एक बार हजामत बनवायी और वह भी १९४२ में जब पिताजीकी मृत्यु हुई।

श्री डांगे—क्या तुम जानते हो कि केवल साधू लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं, तुम्हारी तरह प्रपंचवाले लोग नहीं।

गवाह—शिवाजी महाराज साधू नहीं थे, पर उन्हें भी दाढ़ी थी और परिवार था।

डांगे—तुम पुलिसकी हवालातमें थे तब तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा रहा ?

गवाह—मैं स्वस्थ और मजबूत रहा।

डांगे—तुम्हारी एक आँख दूसरीसे छोटी क्यों है ?

गवाह—मेरे पिताने मुझसे कहा कि जब मैं ११ महीनेका था तो कोई चीज मेरी बाँयी आँखमें चली गयी जिसे निकाल डालना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि मेरी आँख छोटी रह गयी।

श्री डांगे—तुम शिवाजीके पुत्र संभाजीको जानते हो ?

गवाह—हाँ।

डांगे—क्या तुम जानते हो कि संभाजीने मुसलमान होनेसे अच्छा मर जाना समझा ?

जज—मैं इतिहासकी बातें गवाहसे नहीं पूछने दूँगा।

२९ जुलाई

करकरेके वकील श्री डांगेने अदालतके समक्ष एक पत्र उपस्थित किया और

निम्न बातोंपर आपत्ति उठायी—(१) कल अदालतने बडगेके इस बयानको अस्वीकार कर दिया कि १७ जनवरीको गान्धीजीकी हालत अनशनके कारण चिन्ता-जनक थी। (२) करकरेका बडगेको लिखा पत्र अदालतमें दिखानेके लिए न रखा जाय।

दूसरी आपत्तिके बारेमें जजने पूछा कि आपको यह आपत्ति क्यों है ? श्री डांगेने कहा कि यह पत्र फाड़कर आठ टुकड़े कर दिया गया था, फिर बादमें उसे जोड़कर चिपकाया गया है। इस पत्रकी दूसरी ओर क्या था, यह किसीको ज्ञात नहीं। कोई यह भी नहीं कह सकता कि यह पत्र क्यों फाड़ा गया और कब फाड़ा गया।

सबूत पक्षके वकील श्री पी० के० दफ्तरीने इस प्रार्थनापत्रका इस आधारपर विरोध किया कि यह आपत्ति उचित समय उठायी जानी चाहिये थी। गवाहीमें पहले यह सिद्ध किया जाना चाहिये कि यह पत्र क्यों और किन स्थितियोंमें फाड़ा गया।

प्रथम आपत्तिके बारेमें जजने फैसला दिया कि बडगेने गान्धीजीकी अवस्थाके बारेमें पत्रोंमें जो भी पढ़ा या रेडियोसे जो भी सुना वह सुनी हुई बात है, अतः स्वीकार नहीं की जा सकती। डांगे—"मान लीजिये कि आपटेने उससे ऐसा कहा।"

जज—उस हालतमें इसे स्वीकार किया जा सकता है। यदि आप गवाहसे यह पूछना चाहते हैं कि उसने यह बात आपटेसे सुनी या नहीं, तो मैं इस प्रश्नको पूछनेकी स्वीकृति दे सकता हूँ।

इसके बाद गवाह बडगे कठघरेमें लाया गया। डांगेके प्रश्नके उत्तरमें बडगेने कहा कि यह बात सच नहीं है कि १७ जनवरीको आपटेने मुझसे कहा था कि महात्मा गान्धी इस समय अनशन कर रहे हैं और उनकी हालत चिन्ताजनक है।

इसके बाद मदनलालके वकील श्री बनर्जीने बडगेसे जिरह करनी आरंभ की। बनर्जीके प्रश्नके उत्तरमें बडगेने कहा कि २० जनवरीको शामको मैं प्रार्थना-सभामें २०-२५ मिनट ठहरा था। जब मैंने अपनी ओर पुलिसके तीन चार सिपाहियोंको आते देखा तो समझा कि मदनलाल भी उनके साथ है।

बडगेने पुलिसके सामने जो बयान दिया था, उसमें कहा था कि मैंने देखा कि मदनलालको खेमेमेंसे तीन-चार सिपाही लेकर निकले और वे उसे जहाँ बम फटा था, वहाँ ले जा रहे थे। अदालतमें बडगेको उक्त बयान दिखाया गया और बचाव पक्षके वकीलने पूछा कि क्या तुमने इस आशयका कोई बयान पुलिसको दिया था। बडगेने उत्तरमें कहा कि मैंने इस तरहका कोई बयान पुलिसको नहीं दिया वरन् यह कहा था कि तीन चार पुलिसमैन मदनलालको मेरी ओर लिये आ रहे थे, मैं इससे डर गया और समझा कि कहीं वे मुझे तथा शंकरको गिरफ्तार करने न आ रहे हों।

जब मैं हिन्दू महासभाके दफ्तर आया तो गोधूलिकी वेला थी और बत्तियाँ जलनेका समय था। ३१ जनवरीको सब-इन्स्पेक्टर ओकने मुझे गिरफ्तार किया था। थाने आनेवाले मजिस्ट्रेटका नाम देसाई था। मजिस्ट्रेटने मुझसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा। मुझे तथा अन्य अभियुक्तोंको पुलिसकी हिरासतमें रखनेके लिए रिमाण्ड लेनेको हमें दूसरे मजिस्ट्रेटके सामने पेश किया गया था। इस मजिस्ट्रेटका नाम ब्राउन था। वह बम्बईका चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट था।

जब २४ मईको मुझे दिल्ली लाया गया था तो लाल किलेकी जेलमें नहीं रखा गया था। मैं जिस जेलमें रखा गया था उसका नाम नहीं जानता। (सबूत पक्षके प्रधान वकीलने बताया कि बढगे तथा अन्य अभियुक्त लालकिला जेलमें लाये जानेसे पूर्व सेण्ट्रल जेलमें रखे गये थे।) बम्बईमें मुझे पुलिसकी हवालतमें रखा गया था, जेलमें नहीं। पूनामें गिरफ्तार करके मैं बम्बई लाया गया था। बम्बई लानेके तीसरे दिन ही अर्थात् ५ फरवरीको फिर मुझे पूना लाया गया। ६ फरवरी या इसके आस-पास मुझे फिर बम्बई ले जाया गया। ८ फरवरीके आस-पास मुझे एक बार फिर पूना ले जाया गया। बादमें पुलिसके एक दलको खरातके घर और नाग-मोडे और शेलारके घर ले गया था। इस समयतक मैंने पुलिसमें कोई बयान नहीं दिया था। केवल पुलिसके प्रश्नोंका उत्तर ही देता रहा।

जब जब पुलिस मुझे पूना ले गयी, शंकरको भी पुलिस पूना ले गयी थी क्योंकि शंकर मेरा नौकर था और जहाँ भी मैं बताता, वह 'सामान' लेकर जाता था। जब मैं पुलिसको अपना बयान दे चुका, तब शंकर मेरे पास ही नजरबन्द करके रखा गया था।

२७ मईको मुझे अदालतमें पेश किया गया और अदालतने मुझसे पूछा था कि क्या तुम कोई वकील करना चाहते हो। मैंने कहा कि मैं वकील करना नहीं चाहता, मैं सारी बात सच सच कह देना चाहता हूँ। जूनके आरम्भमें मैंने प्रार्थनापत्र दिया था कि मुझे बम्बईके डिप्टी कमिश्नर पुलिस श्री जे० नगरवालासे भेंट करनेकी स्वीकृति दी जाय। नगरवाला चीफ पुलिस प्रासीक्यूटर थे। मैंने नगरवालासे कहा कि मैं सारी बातें सच सच बताना चाहता हूँ। नगरवालाने कहा कि अच्छा मैं प्रबन्ध करूँगा। इस सिलसिलेमें जब कुछ नहीं हुआ तो २४ जूनको मैंने नगरवालासे मुला-कात करनेके लिए एक और प्रार्थनापत्र दिया। वे मुझसे मिले। मैंने उनसे कहा—मैं सारी सचाई बता देना चाहता हूँ। नगरवालाने कहा कि उस हालतमें आपको गवाहके रूपमें गवाही देनी होगी, पर मैंने अपना बयान देनेपर जोर दिया। मैंने कहा कि मुझे इस बातकी परवाह नहीं है कि मुझे अदालतमें गवाहके रूपमें उपस्थित किया जायगा या नहीं तो नगरवालाने कहा कि मैं एडवोकेट जनरलसे सलाह

मशविरा कर लूँ और यदि आवश्यक समझा गया तो गवाहके रूपमें पेश किया जायगा ।

१४ जूनको मुझे अन्य अभियुक्तोंके साथ अदालतमें पेश किया गया । उस दिन मैंने अदालतसे प्रार्थना नहीं की कि मैं सारा भेद खोल देनेको तैयार हूँ ।

जब मैं बम्बईमें पुलिसकी हिरासतमें था तो मईके मासमें मेरी पत्नी रुक्मिणी मुझसे मुलाकात करने आयी । मैंने उससे कहा कि तुम मेरे सारे इन्दुलतलब रुक्का तथा महत्त्वपूर्ण चिट्ठियाँ ले आओ । वह चूँकि अपढ़ थी अतः यह जरूरी था कि कोई एक आदमी उसे सारी चिट्ठियाँ पढ़कर सुनाये ताकि वह उनमेंसे महत्त्वपूर्ण पत्र ही लाये । वह १५ दिन बाद पत्र लेकर पूना लौटी थी । अदालतमें बी ९० नम्बरका जो पत्र दिखाया गया है, उसे मेरी पत्नी ही लायी थी या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता (यह बडगेके नाम लिखा करकरेका पत्र था) । मैंने यह पत्र पुलिसको नहीं दिया था ।

बडगेको खाँसी आ रही थी । और वह अस्वस्थ था । अतः उसकी प्रार्थनापर स्पेशल अदालतमें सबसे पहली बार उसे बैठनेके लिए स्टूल दिया गया ।

पुलिस अफसर पिण्टोने २२ फरवरीको मेरा बयान लिया था । नगरवाला मुझसे मराठीमें प्रश्न करते और मराठीमें दिये मेरे उत्तरोंका अंग्रेजीमें अनुवाद करते थे, क्योंकि पिण्टो मराठी नहीं जानता था । मेरा बयान हलदीपुर नामक सिपाहीने टाइप किया था । मेरा बयान दो दिनमें लिया जा सका था ।

श्री बनर्जीकी जिरहके उत्तरमें अपनी गवाही देते हुए मुखबिर बडगेने कहा कि बम्बईसे दिल्ली रवाना होनेसे पूर्व मेरे पास लगभग ९००) थे । जब मैं १९ जनवरीको दिल्ली पहुँचा तो मेरे पास लगभग ६८०) रह गये थे ।

मैंने इस बातपर ध्यान नहीं किया कि नयी दिल्लीके जिस होटलमें नथूराम गोडसे ठहरा था उसके कमरेमें ताला चाभी थी या नहीं । मैंने यह भी नहीं देखा कि कमरेके अन्दरकी आलमारीमें ताला चाभी थी या नहीं । मैंने गोडसेसे यह नहीं कहा था कि इस "सामान"को नयी दिल्लीके होटलमें रखना महासभा भवनमें रखनेकी अपेक्षा अधिक सुरक्षित होगा ।

श्री बनर्जी—क्या यह सच नहीं है कि १९ जनवरीकी रातको नयी दिल्ली महासभा-भवनमें आपटे, गोडसे तथा करकरेने तुम्हें बुरा-भला कहा था कि बम्बईमें तुम्हें स्वयंसेवक लानेके लिए ३५०) दिये थे, फिर स्वयंसेवक क्यों नहीं लाये और देरसे क्यों आये ? बडगे—"नहीं ।"

बनर्जी—मदनलालको हथगोला क्यों दिया गया था ?

बडगे—यह तय किया गया था कि जैसे ही मदनलाल गनकाटन स्लाबसे

विस्फोट करे, मदनलाल सहित हम सब एक साथ महात्मा गान्धीपर गोली चलायें तथा हथगोले फेंकें।

वडगेने आगे बताया कि मैं करकरेको उस समय तक देखता रहा जबतक कि खेमेंसे तीन चार पुलिसवालोंको मैंने अपनी ओर आते हुए न देखा। इसके बाद करकरे मुझे नहीं दिखायी दिया। वह कहाँ गया, उसपर क्या बीती, मुझे यह ज्ञात नहीं।

मैं तथा शंकर दिल्लीमें वेचनेके लिए अपने साथ ४ हथगोले, २ रिवाल्वर तथा २ गनकाटन स्लाव नहीं लाये थे। मैं तो केवल एक रिवाल्वर तथा उसके लिए ४ कारतूस लाया था। मुझे यह याद नहीं कि वह रिवाल्वर '३२ वोरका था या '२२ वोरका।

यह बात सच नहीं है कि मैंने उस सामानको हिन्दू महासभा भवनके पीछे डरकर गाड़ दिया था कि कहीं २० जनवरीको शामको विड़ला हाउसमें गिरफ्तार न कर लिया जाऊँ। यह बात भी सच नहीं है कि शरणार्थी होनेके कारण मदनलाल-ने कहा था कि मैं पीड़ित हूँ और किसीको हानि नहीं पहुँचाऊँगा, मैं तो केवल गन-काटन स्लावसे धड़ाका कर दूँगा और बादमें गिरफ्तार हो जाऊँगा।

शंकरके वकील श्री मेहताने वडगेसे शामके ३ वजकर १० मिनटपर जिरह शुरू की।

वडगेने जिरहके उत्तरमें वताया कि शंकरकी अवस्था २०-२२ वर्षकी होगी। वह मेरे यहाँ लगभग १८ महीनेसे नौकरी करता था। मैं पहले उसे २०) तनख्वाह देता था, बादमें वढ़ाकर ३०) कर दिये थे। उसके अतिरिक्त वह मेरे घर ही रहता था, खाता तथा मेरे यहाँसे ही कपड़े लेता था। शंकर अधिकांशतः घरका काम-काज करता था। इसके अतिरिक्त जहाँ भी जरूरी होता था, वह 'सामान' लेकर जाया करता था। वह एक आज्ञाकारी नौकर था और कभी भी काम करते समय बड़बड़ाता नहीं था। उसने कभी भी मेरी बात नहीं टाली। कभी कभी वह रूठ कर वैठता था, पर वह वैसे ही होता था जैसे कोई बालक अपने पितासे करता है।

सबसे पहले अण्णा वोनकर शंकरको मेरे पास लाया था। अण्णा वोनकरकी बढ़ईगीरीकी दूकान थी। वहाँ पहले शंकर १॥ से २ रु० रोजपर काम करता था। वह पढ़ा-लिखा न था।

मेरी गलीमें ही मेरी वहिन रहती थी, पर मेरे घरसे थोड़ी दूरपर। एक दिन मैंने अपनी वहिनके घरसे २०० रु० लानेके लिए शंकरको एक पुर्जा दिया था। शंकर इसी प्रकार मेरी ओरसे और लोगोंसे भी रुपया वसूल करता था। मैं अपने रिश्तेदारोंसे उधार नहीं लिया करता था।

शंकरको 'सामान' देकर मैं अकेले ही उसे वम्वई भेज देता था और मैं खुद वादमें जाया करता था। कभी-कभी मैं उसके साथ-साथ जाता।

वडगेने आगे कहा कि महात्मा गान्धीकी हत्याके षड्यन्त्रमें मैंने जान-वूझकर भाग लिया था। मैं इसका परिणाम भोगनेको तैयार था। अतः मेरे वच जाने या छूट जानेकी चेष्टा करनेका कोई प्रश्न नहीं उठता। पूनामें हो रहे दंगेके कारण मेरे दिमागमें कुछ चिन्ता रहती थी, वरना मुझे अपने भविष्यके वारेमें कतई चिन्ता न थी। मेरी गिरफ्तारी हो जानेपर मेरा भाई नारायण मेरी पत्नी तथा परिवारको लेकर केवल एक वार मुलाकात करने वम्वई आया था। नारायण वम्वई पुलिसमें एक सिपाही है। यह वात गलत है कि जव मैं और शंकर मेरीना होटल गये तो मैनेजरने कहा था कि यह भिखारियोंके आनेकी जगह नहीं है। मेरी आमदनी १९४७ में प्रति-मास ५० से लेकर २००० तक होती थी, पर महीनेके आखीरमें कुछ वचता नहीं था। अपनी परवरिश करना और देश-सेवा करना मेरा उद्देश्य था इसलिए मैं हिन्दुओंको मुफ्तमें हथियार दिया करता था। धन वचाकर अमीर होनेकी वात मैंने कभी नहीं सोची। मेरी पत्नी और वच्चोंको सँभालनेवाला कोई नहीं है। वे भूखों मर रहे होंगे। मैं गिरफ्तार हुआ तो उनको उनके नसीवपर छोड़ दिया। यह वात ठीक नहीं है कि मैंने शंकरसे २० जनवरीको सवेरे हिन्दू महासभाके दफ्तरके पीछे 'सामान' गाड़ देनेके लिए कहा ताकि जव आवश्यकता पड़े वह दिल्लीमें शरणार्थियोंके हाथ वेचनेके लिए या वम्वई वापस ले जानेके लिए निकाला जा सके। शंकर २० जनवरीको दिनभर हिन्दू महासभाके दफ्तमें नहीं रहा, वह मेरे साथ मेरीना होटल गया। और वहाँसे विड़ला भवन और मेरे साथ ही वहाँसे महासभा-भवन वापस आया।

यह भी सच नहीं है कि मैंने इसलिए महासभाके दफ्तरके अलमारेमें ताला नहीं लगाया कि शंकर वहाँ देख भाल करता रहा।

५-१० की छोटी-मोटी रकम छोड़कर मैंने शंकरको दिल्ली जानेपर या वम्वई लौटनेपर कोई रकम नहीं दी।

३० जुलाई

आशा थी कि आज मुखविर वडगेसे वचाव पक्षके वकीलोंकी जिरह समाप्त हो जायगी और वाकीके दिनमें अदालतकी ओरसे गवाहका वयान उसे सुनाया जायगा ताकि गवाह सुनकर उसपर हस्ताक्षर कर दे। अतः आज अदालतकी कारवाई ११। वजे आरम्भ हुई।

आरम्भमें गोपाल गोडसे तथा (डा०) परचुरेके वकील श्री इनामदारने अदालतका ध्यान इस ओर दिलाया कि सवूत पक्षने मुखविरको सवसे अन्तमें गवाही

देनेको पेश किया है, इससे मेरे मुअक्किल गोपाल गोडसेके प्रति बहुत सी भ्रान्त धारणाएँ पैदा हो गयी हैं। मैं जानता हूँ कि सबूत पक्षको इस बातके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वे जिस क्रमसे गवाह पेश करना चाहते हैं, वैसे पेश न करके किसी और क्रमसे गवाह पेश करें। पर मैं यह आशा अवश्य करता हूँ कि वे इस क्रमसे गवाहोंको भविष्यमें पेश करें ताकि मेरे मुअक्किलका मामला न बिगड़े।

अभियुक्त शंकरने खुद बडगेसे जिरह की

अभियुक्त शंकर किस्तय्याने उठकर अदालतसे कहा कि कल मेरे वकील मेहताने बडगेसे जो प्रश्न पूछे वे मेरी पूर्व सहमतिके अनुकूल न थे, अतः मैं स्वयं बडगेसे जिरह करना चाहता हूँ। जजने सबूत पक्षसे सलाह-मशविरा करके उसे जिरह करनेकी आज्ञा दे दी। शंकरसे कहा गया कि वह माइक्रोफोनपर आकर जोरसे प्रश्न करे। शंकरने तेलगूमें प्रश्न किये और तेलगूके दुभाषिये एम० कमलम्माने इसका अनुवाद किया।

शंकरके प्रश्नके उत्तरमें बडगेने बताया कि मेरीना होटलमें मेरी और शंकरकी बातचीत मराठीमें हुई थी। मैंने शंकरको होटलमें कोई हिदायतें नहीं दी थीं पर जब हम जीनेसे नीचे उतर रहे थे, तो मैंने शंकरको बताया कि हथगोला (बम) तथा पिस्तौल कैसे चलाते हैं और इनका क्या उपयोग करना है। मैंने शंकरको यह नहीं बताया कि होटलके कमरेमें अन्य अभियुक्तोंसे क्या क्या बातें हुईं। जब हम लोग कमरेमें अन्दर हथगोलों तथा गनकाटन स्लाबोंको ठीक कर रहे थे, तो शंकर हमारे साथ नहीं था, वह अलग खड़ा रहा।

महासभा-भवनके पीछे जब शंकरने पेड़की ओर पिस्तौल चलायी थी तो आपटेने उससे पिस्तौल चलानेको कहा था। शंकरने अपनी इच्छासे गोली नहीं चलायी। शंकरने पिस्तौल चलानेमें असमर्थता तक प्रकट की थी, पर आपटेने उससे कहा था कि घोड़ा तो दबाओ।

२० जनवरीको प्रातः जब आपटे, मैं तथा शंकर बिड़ला हाउस गये थे तो मैंने शंकरको कुछ करनेकी हिदायत नहीं दी। वह केवल कारके पास खड़ा रहा और हम दोनों अन्दर प्रार्थना-स्थल देखने चले गये थे। २० जनवरीकी शामको प्रार्थना-सभामें जब हम गये थे तो शंकर गान्धीजीकी बायीं ओर खड़ा था। शंकरने मुझसे कभी भी यह प्रश्न नहीं किया था—आखिर यह सब क्यों हो रहा है ?

शंकरने मुझसे पूनामें यह भी नहीं पूछा कि हम लोग दिल्ली क्यों जा रहे हैं। मैंने ही उसे बताया था कि गोडसे तथा आपटेके कहनेपर हम दिल्ली जा रहे हैं। जब मैं,

गोडसे, आपटे तथा शंकर, सावरकरके मकानपर-बम्बईमें गये थे तो शंकर कारके पास खड़ा रहा और मकानमें नहीं घुसा था।

शंकर—मान लो कि गान्धीजीकी हत्याके लिए ही यह सारा षड्यन्त्र चल रहा था, तो क्या मैं उसके बारेमें जानता था?

बडगे—"पूना, बम्बई तथा दिल्ली आनेपर भी तुम्हें तबतक इसका पता नहीं था जबतक कि मैं और तुम मेरीना होटलके जीनेमें नीचे नहीं उतर रहे थे और मैंने तुम्हें बताया था कि गान्धीजीकी हत्याका षडयन्त्र हो रहा है, यद्यपि तुम सबके साथ आते जाते रहते थे।

इसके बाद इनामदारने १२ बजे जिरह आरम्भ की। बडगेने जिरहके उत्तरमें कहा कि १९ जनवरीको मैं, शंकर, गोपाल गोडसे तथा मदनलालके साथ रात ११॥ बजे तक जागता रहा। २० जनवरीको प्रातः ५ बजे उठा और कसरत की। उस दिन सवेरे बूँदाबादी हो रही थी और लगभग ७॥ बजे तक होती रही।

२० जनवरीको गोपाल गोडसेके पास एक विस्तर तथा लोहेका बक्स था। मैंने पुलिसको दिये अपने बयानमें कहा था कि करकरे तथा मदनलाल "सामान" (अर्थात् बम तथा बारूदी रुई आदि) मेरीना होटल ले गये, पर पुलिसने सामानका अर्थ विस्तर आदि लगाया।

हिन्दू महासभाका प्रचारक तथा किताबें वेचनेवाला होनेके कारण मुझे बोलने (बातचीत करने) की बहुत आदत थी, पर मैंने भाषण कभी नहीं दिया।

बडगेने कहा कि यह बात सर्वथा गलत है कि २० जनवरीको मेरीना होटलके उस कमरेमें जिसमें नथूराम ठहरा था, मैंने बिड़लाभवनमें २० जनवरीको हुए काण्डके सिलसिलेमें हुई गरमागरम बहसमें भाग लिया था। वहाँ तो ऐसी कोई बहस हुई ही न थी।

बडगेने आगे बताया कि यह बात भी गलत है कि नथूराम गोडसेने हम लोगों से कहा था—'मेरे सिरमें दर्द है। मुझे तंग न करो। अगर आप लोगोंको बहस करनी है तो स्नानगृहमें चले जाओ।"

२० जनवरीको जब मैं गान्धीजीकी दाहिनी ओर २० कदमपर खड़ा था, तो किसीने आपत्ति नहीं की थी। पहले तीन चार मिनट तक मैं गान्धीजीकी ओर मुँह किये खड़ा था। जब मैंने देखा कि मदनलालको पुलिसके सिपाही गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं तो मैं भीड़की ओर मुँह करके खड़ा हो गया। वहाँ ५-७ आदमी खाकी वरदी पहने हुए थे, पर उनके पास कोई हथियार न था। मैं नहीं कह सकता कि वे पुलिसके आदमी थे या फौजके। जब मैं प्रार्थना-सभामें था तो टैक्सी ड्राइवर क्या कर रहा है यह मैं नहीं देख रहा था।

जब मैं प्रार्थना-सभासे महासभाके दफ्तर पहुँचा तो जल्दी ही मैं दिल्ली स्टेशन-को रवाना हो गया। मैं महासभामें कोई २५ मिनट रहा हूँगा। मैं जब वहाँसे चला तो दफ्तरके हाल या कमरेके दरवाजेमें ताला नहीं लगाया। मैंने कमरा भी किसीको नहीं सौंपा। मदनलाल तथा गोपाल गोडसेके बिस्तर वहाँ पड़े हुए थे।

गवाह बडगेने आगे कहा कि २० जनवरीको महासभा-भवनका चौकीदार मुझे नहीं मिला। १९ जनवरीको जब मैं रातमें महासभा-भवन पहुँचा तो चौकी-दारसे मिला था। मैंने उससे पूछा कि हमारे ठहरनेके लिए कौनसी जगह है। मुझे उसका नाम नहीं मालूम पर उसका रंग काला था। मैं नहीं कह सकता कि उसका नाम रामसिंह था या कुछ और। उसकी अवस्था यही २८-३० वर्ष-की होगी।

श्री इनामदार—उसका रंग कितना काला था?

बचाव पक्षके वकील श्री डांगेकी ओर उँगली उठाकर बडगेने कहा कि इनके जितना काला होगा, पर इनके इतना तगड़ा नहीं था।

वकील इनामदारने जब बडगेसे पूछा कि जब रिवाल्वर चलाते हैं तो निशाना कैसे साधते हैं, तो बडगेने बताया कि रिवाल्वर चलानेके लिए पहले उसे कानके समीप लाओ, हाथ सीधा करो और घोड़ा दबा दो।

मध्य जनवरीमें जब मैं बम्बई गया था तो मेरा ध्यान अपने उसी उद्देश्यकी ओर रहा जिसके लिए मैं वहाँ गया था। अतः मैं नहीं कह सकता कि उन दिनों वहाँ प्रदर्शन हो रहा था या नहीं।

बडगेसे जिरह २ बजकर ४५ मिनटपर समाप्त हुई।

श्री दफ्तरी बडगेसे फिर प्रश्न करना चाहते थे। अतः उन्होंने इसकी स्वीकृति माँगते हुए जजसे कहा—"मुखबिरने अपनी सारी गवाहीमें 'देखा' और 'मिला' शब्दोंका भेद रखा है।"

जज—"उसके बयानका मराठीसे अंग्रेजीमें अनुवाद किया गया है। इसलिए इन शब्दोंका भेद मैं इस समय कैसे कर सकता हूँ।"

श्री दफ्तरी—"मैं केवल यह चाहता हूँ कि श्रीमान्‌जी इन शब्दोंका भेद ध्यानमें रखें।" दफ्तरी गवाहसे इसलिए प्रश्न करना चाहते थे कि जिरहमें बहुतसी बातें ऐसी आ गयी हैं जिनके विषयमें कि गवाहने अस्पष्ट तथा सन्दिग्ध बातें कही हैं। सबूत पक्षके वकीलने कुछ महत्त्वपूर्ण कागज तथा सामान अधिकृत रेकार्डके रूपमें स्वीकार किये जानेकी प्रार्थना की, ताकि कुछ अस्पष्ट बातोंका अर्थ साफ हो जाय।

श्री दफ्तरी चाहते थे कि निम्न बातोंके स्पष्टीकरणके लिए अदालत गवाही स्वीकार कर ले—(१) सावरकरके मकानसे ताक कितनी दूर है। (२) गोडसे

तथा आपटे किन किन व्यक्तियोंसे सलाह किया करते थे। (३) जूटके थैलेको अदालत प्रदर्शनार्थ रखी वस्तुओंमें शामिल कर ले तथा (४) वे प्रार्थना-पत्र जो कि मुखबिरने श्री जे० नगरवालाको दिये थे जिनमें कहा गया था कि मैं सारी सचाई खोल देना चाहता हूँ।

जूटके थैलेके बारेमें जजने कहा कि थैलेका अदालती प्रदर्शनार्थ वस्तुओंमें शामिल करनेकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है।

बडगेने अदालतमें वह थैला पहचाना जिसमें रिवाल्वर और हथगोला रखकर वह प्रार्थना-सभा ले गया था।

इसी थैलेमें उसने २० जनवरीको प्रार्थना-सभामें जाकर वह रिवाल्वर बंद करके टैक्सीमें रखा था। इस थैलेमें एक पेंसिल, दाँतका मंजन, साबुन तथा एक शीशा भी था।

श्री दफ्तरीके दुबारा प्रश्न करनेपर बडगेने बताया कि सावरकरके मकान और सड़कके किनारेके बीच जहाँ कि कार खड़ी हुई थी, १५ से २० फुट तकका फासला है। इस फासलेमें सड़ककी पटरी भी शामिल है। दीक्षित महाराजके घर तथा काटन एक्सचेंजकी बिल्डिंगके बीच १॥-२ फर्लांगका फासला है।

बडगेने जिरहके दौरानमें कहा था कि गोडसे तथा आपटे स्वतन्त्र बुद्धिसे काम करते थे, पर वे कभी कभी कुछ व्यक्तियोंसे सलाह मशविरा भी किया करते थे।

श्री दफ्तरी—"वे 'कुछ व्यक्ति' कौन कौन हैं?"

बडगे—"अ० भा० हिन्दू महासभाके तत्कालीन अध्यक्ष।"

श्री दफ्तरी—"कोई और?"

बडगे—ये प्रायः तात्याराव (सावरकर), अण्णाराव भोपटकर तथा जी० वी० केतकरसे सलाह मशविरा किया करते थे।

बचाव पक्षकी ओरसे केवल इनामदारने यह इच्छा प्रकट की कि श्री दफ्तरी द्वारा दुबारा प्रश्न करनेपर मैं दुबारा जिरह करना चाहता हूँ। श्री इनामदारके प्रश्नोंके उत्तरमें बडगेने कहा कि जिस थैलेकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले शिनाख्त की है, वह मुझे गिरफ्तारीके बाद कभी भी नहीं दिखाया गया। मैंने इस थैलेकी इससे पहले कहीं भी शिनाख्त नहीं की।

३१ जुलाई

आज पहले पहले शनिवारको अदालतकी कारवाई हुई। पिछले नौ दिनोंमें बडगेने जो गवाही दी उसकी ६८ पेजकी रिपोर्ट उसे पढ़कर सुनायी गयी और उसपर अदालतने बडगेका हस्ताक्षर लिया। बडगेने कुछ परिवर्तन सुझाया जिसे अदालत-

ने लिख लिया। ३० जनवरीको नथूरामके पास बिड़ला-भवनमें ५९२) की रकम मिली थी। वह उसे आज लौटा दी गयी। आपटेको कुछ किताबें देनेकी भी अनुमति अदालतने दी, पर कहा कि पहले सरकारी वकील उन किताबोंको देख ले।

शंकरके वकील श्री हंसराजने अदालतमें दर्खास्त दी कि शंकरने कल खुद ही बडगेसे जिरह की, इसपर मुझे आपत्ति है। मैं हर बार अपने मुअक्किलसे सलाह लेकर जिरहके सवाल पूछा करता था फिर भी शंकरने आपत्ति की है। इससे मालूम होता है कि २९ जुलाईकी रातमें कुछ ऐसी बात हुई है जिससे शंकरने यह नया शिगूफा छोड़ा। ऐसी स्थितिमें शंकरके वकीलका काम करनेमें मेरी स्थिति विकट हो गयी है। अदालत मुझे इस मामलेमें सलाह दे।

अदालत सोमवारको इस दर्खास्तपर विचार करेगी।

अदालतोंके सभी रेकार्ड मात

गान्धी-हत्याकाण्डके मुलतानी गवाहकी आज जब गवाही समाप्त हुई तो मोटे अन्दाजके अनुसार उसने करीब इतनी सामग्री कही, जिससे कि २०० पृष्ठकी किताब आसानीसे बन सकती है। जज श्री आत्माचरणने जो कुछ नोट किया उसमें भी २५ हजारके करीब शब्द और ३२ दोनों तरफ छपे हुए पृष्ठ हैं।

बडगेकी गवाही आजका दिन मिलाकर पूरे १० दिन चालू रही। इस समयमें उसने ४० घण्टेसे अधिक समय गवाहीमें दी और यद्यपि वह थोड़ा ही अस्वस्थ है, लेकिन, फिर भी पूर्ववत् स्वीकृतिसे अन्त तक उत्तर देता रहा।

बडगेकी गवाही दिल्ली और बम्बईकी अदालतोंके सभी रेकार्ड मात करती है।

यद्यपि बडगेको शाही माफीनामा मिल गया है, लेकिन उसकी मुक्ति तभी होगी, जब अदालत फैसला सुना देगी। इसमें अभी महीनोंकी देर है।

२ अगस्त

आज रूबूत पक्षकी ओरसे पूर्वी पंजाबकी वैज्ञानिक प्रयोगशालाके डाइरेक्टर डा० डी. एन. गोयल अगले गवाहके तौरपर पेश किये गये।

गवाहने कहा कि मैं १९३५ से पंजाबकी सी. आई. डी. प्रयोगशालाका अध्यक्ष

रहा और पंजावके बँटवारेके बादसे पूर्वी पंजावकी सी. आई. डी. प्रयोगशालाका अध्यक्ष हूँ।

सहायक सब-इन्स्पेक्टर धालूराम दिल्लीके डिपुटी इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिससे १ पत्र और ४ मुहरबन्द पार्सल लाया था, जिनपर ९ फरवरी १९४८ की तिथि अंकित थी।

पुलिस ट्रेनिंग स्कूलके प्रिन्सिपल डी. सी. लालने अपने हस्ताक्षर करके उन पत्रोंको प्रमाणित किया था। श्री लाल इस समय जालन्धरकी पुलिसके डिपुटी इन्स्पेक्टर जनरल हैं। मैं श्री लालके हस्ताक्षरको पहचानता हूँ। जो वस्तुएँ सहायक सब-इन्स्पेक्टर मेरे पास लाया था, मैंने उनकी जाँच करके, उनपर अपनी रिपोर्ट लिख, उनको लौटा दिया।

गवाहने आगे वताया कि मुझे यह जाँच करनेके लिए कहा गया था कि वी. और सी पार्सलोंमें वन्द ३ खाली कारतूस क्या ए. पार्सलमें रखी हुई पिस्तौलसे छोड़े गये थे? ३९ नं० की प्रदर्शित वस्तु (एक्जिबिट) वही पिस्तौल है, जो ए. नम्बर के पार्सलमें रखी हुई थी।

बी. पार्सलमें दो प्रयुक्त गोलियाँ थीं, जिनपर अव ११ और १२ नं० पड़ा हुआ है।

सी. पार्सलमें खाली कारतूसका खोल था, जो यहाँपर ५५ नं० की वस्तु है।

पार्सल डी. में ४ अप्रयुक्त कारतूस थे। मैंने परीक्षणके लिए उनको पिस्तौलमें भरकर चलाया, ये कारतूस हूबहू, शकल सूरत और मारमें भी ए. और बी. पार्सलके कारतूसोंके सदृश थे।

बी. और सी. पार्सलोंके खाली कारतूस अवश्य ही ए. नम्बरके पार्सलमें रखी हुई पिस्तौलसे चलाये गये होंगे।

मैंने तीनों प्रयुक्त कारतूसोंकी सूक्ष्मवीक्षण यन्त्रसे भी जाँच की और यह निश्चय करनेके लिए कि वे ए. पार्सलकी पिस्तौलसे छोड़े गये थे, उन तीनों कारतूसोंके खोलोंकी परस्पर जोड़ी वनाकर जाँच की।

दो भिन्न भिन्न पिस्तौलोंसे छोड़े हुए दो कारतूसोंपर एक जैसे चिह्न नहीं पड़ते। एक ही प्रकारके दो अस्त्र भी कारतूसोंपर एक जैसे चिह्न नहीं वनाते। तीनों प्रयुक्त कारतूसोंपर विलकुल सदृश निशान थे।

मैंने स्वयं डी. पार्सलके अप्रयुक्त कारतूसोंको लेकर उन्हें ए. पार्सलकी

पिस्तौलसे छोड़ा। उसके बाद मैंने उन्हें बी. और सी. पार्सलके खाली कारतूसोंसे मिलाया। उनपर बिलकुल उनके समान ही निशान पड़े थे।

मैंने उनके दो माइक्रो फोटो भी लिये। उन दोनों फोटोमें बिलकुल एक ही तरहके निशान थे।

मैंने प्रयुक्त की हुई सब गोलियोंकी जाँच की और यह देखा कि उन सबपर ६ लीकें थीं। पहले मैंने उन लीकोंकी बिना अणुवीक्षण यन्त्रकी सहायताके जाँच की। उसके बाद अणुवीक्षण यन्त्रसे भी देखा कि न केवल वे लीकें किन्तु अन्य भी स्थूल आँखसे न दीखनेवाले अत्यन्त छोटे छोटे निशान भी, सबपर एक जैसे बने हुए थे।

मेरे पास इस समय ४ खाली कारतूसोंके खोल मौजूद हैं। इनके अन्दरकी गोलियोंको मैंने अपने परीक्षणके लिए चलाया था। अदालतने इन खोलोंको अपनी दर्शनीय वस्तुओंमें शामिल कर लिया।

अपनी गवाही जारी रखते हुए गवाह गोयलने कहा कि ३ मार्चको मुझे दिल्लीकी सी. आई. डी. के पुलिस सुपरिन्टेण्डेण्टसे एक मुहरबन्द पार्सल मिला था, जिसके साथ एक पत्र भी था जिसपर १ मार्चकी तारीख पड़ी हुई थी। पार्सलमें लकड़ीके ३ टुकड़े थे जो प्रदर्शनीय वस्तुओंमें, ३३, ३४, और ३५ नं० की हैं। मैंने उनकी जाँच की और यह परिणाम निकाला कि इन लकड़ियोंपर अवश्य ही ये गोलियोंके निशान हैं। तथापि इन लकड़ियोंमें कोई गोली नहीं मिली। लकड़ियोंपर बने हुए निशान इस प्रकारके थे, कि केवल ऊपरी देखरेखसे तो वे ऐसे मालूम पड़ते थे, जैसे ये चाकू जैसी किसी काटनेवाली वस्तुके निशान हों। इसके बाद गोलीके वास्तविक निशानों-की मैंने सूक्ष्म रासायनिक परीक्षा की, जिससे मुझे वहाँ पर सीसे और शोरेकी उपस्थितिका ज्ञान हुआ। इनसे मैं इसी परिणामपर पहुँचा कि ये निशान गोलियोंके ही हैं।

मैं पंजाब विश्वविद्यालयका डी० एस-सी० हूँ।

नथूराम गोडसेके वकील ओककी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि यदि १०-१२ फुटकी दूरीसे लकड़ीके टुकड़ेपर गोली चलायी जाय, तो उसमें ज्वलन-के निशान पड़ भी सकते हैं, और नहीं भी पड़ सकते। किन्तु यदि वह चौंक

गोली नहीं है, जिससे लकड़ीके टुकड़ेपर प्रहार किया गया है, तो लकड़ीपर शोरा मौजूद नहीं हो सकता।

इसके बाद आपटेके वकील मेंगलेने गवाहसे जिरह की। गोयलने बताया कि पिछले १४ सालसे मैं भिन्न भिन्न प्रकारके हथियारोंकी जाँच किया करता हूँ। रिवाल्वरके कारतूस पिस्तौलके कारतूससे भिन्न होते हैं। '३२ बोरके पिस्तौलका कारतूस '३२ के बोरके रिवाल्वरसे नहीं छोड़ा जा सकता।

बचाव पक्षके वकील श्री बनर्जीने अदालतसे कहा कि बडगेको माफी देकर उसे मुखबिर बना लेनेके लिए अदालतको अधिकार देनेवाला आर्डिनेन्स उस आर्डिनेंसकी शक्तिसे बाहर चला जाता है, जिसके मातहत यह खास अदालत बैठायी गयी है। उन्होंने कहा कि इस आधार अदालतमें बडगेकी गवाही अस्वीकार्य हो जाती है।

श्री बनर्जीने आगे कहा कि २१ जूनको तीसरे पहर बडगेको माफी देनेके लिए जब अदालतका इजलास बैठा था, तब न बडगे और न उसका वकील ही उपस्थित था। इस प्रकार बडगेको शाही माफी देना अदालतके अधिकारसे बाहरकी बात है।

जज श्री आत्माचरणने कहा कि यदि बनर्जी चाहें तो वे अभी यह प्रश्न उठाकर उसपर विवाद कर सकते हैं। किन्तु बनर्जीने कहा कि वे इस प्रश्नको बादमें उठायेंगे।

आपटेके वकील मेंगलेकी जिरहके उत्तरमें गवाह डा० गोयलने कहा कि सम्भवतः पिस्तौलके कारतूस रिवाल्वरसे नहीं छोड़े जा सकते।

इसके बाद करकरेके बचावपक्षीय वकील डांगेने गवाहके साथ जिरह की। गवाहने बताया कि इन कारतूसोंकी जाँच करते समय मैंने उन निर्देशोंका ध्यान रखा, जो साथ भेजे गये एक पत्रमें लिखे थे। भेजे गये कारतूसोंकी जाँचके लिए मुझे डी० पार्सलके चारो उपयुक्त कारतूसोंको स्वतः चलाना पड़ा। यदि पार्सलमें और कारतूस होते, तो मैं और भी चलाकर अपने अनुसन्धानको पुष्ट कर सकता था।

मदनलालके वकील श्री बनर्जीके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि जिन लकड़ियोंकी मैंने परीक्षा की थी, उनमें मैंने यह नहीं पता लगाया कि कुल कितना सीसा है। हो सकता है कि सीसेके साथ ओषजन मिलनेसे सीसेका

ओषित बन गया हो। उस ओषित समाससे मैंने सीसेके तत्वको अलग नहीं किया।

इसके बाद गोपाल गोडसे और डा० परचुरेके वकील श्री इनामदारने गवाहके साथ जिरह की। गवाहने बताया कि मैंने जाँच करते समय लकड़ीके टुकड़ेमें विद्यमान सीसेको नत्रकाम्लमें नहीं घोला। मुझे नहीं मालूम कि पेड़के तनेमें नत्रकाम्ल होता है या नहीं।

इसके बाद अदालतने अभियुक्त शंकरसे पूछा कि गवाहसे क्या तुम भी कुछ जिरह करना चाहते हो? शंकरने कहा कि मुझे कोई सवाल नहीं पूछना है क्योंकि मुझे इस गवाहमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तब जजने उससे पूछा कि उसके वकील हंसराज मेहताने शनिवारको अदालतको जो आवेदनपत्र दिया था उसके विषयमें तुम्हें क्या कहना है।

हंसराज मेहताने यह पूछा था कि जब अभियुक्त शंकरने स्वयं गवाह चडगेसे जिरह की, तो अब मेरी सेवाओंकी आवश्यकता नहीं है।

शंकरने कहा कि मेरे वकील जेलमें या अदालतमें मुझसे जो बात करें उसके लिए मैं एक तेलगू जाननेवाला दुभाषिया चाहता हूँ, जिससे भविष्यमें भाषाके विषयमें कोई कठिनाई न हो। स्मरण रहे कि शंकर केवल तेलगू जानता है, और उसके वकील तेलगू समझ नहीं सकते।

इसके बाद सरकारी वकील श्री पी. के. दफ्तरीके पुनः सवाल पूछनेपर गवाहने बताया कि दिल्ली पुलिसके डिप्टी इन्सपेक्टर जनरलके पत्रसे उनके परीक्षणों और गणनाओंपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

इसके बाद अदालतने गवाहसे निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की—

वैज्ञानिक प्रयोगशाला सी० आई० डी० डिप्टी इन्सपेक्टर जनरलकी अध्यक्षतामें है। प्रयोगशालाके स्थानीय अध्यक्ष पुलिस ट्रेनिंग स्कूलके प्रिंसि-पल हैं। गवाहको पुलिस विभागसे वेतन मिलता है।

अगले गवाह बम्बईके सी ग्रीन होटल, मैरीन ड्राइवके मैनेजर कावसजी मिलाजी रालेको पेश किया गया। पी० के० दफ्तरीके एक प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि पुलिस १२ फरवरीको मेरे होटलमें आयी थी वह उसके रजिस्टर देखने आयी थी, जिसकी सूचना मुझको ४॥ बजे मेरे होटल आने-

पर मुझे दी गयी। उसी दिन रातको १०॥ बजे फिर पुलिस आयी और मेरे रजिस्टरको ले गयी उस समय भी मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं था।

अगले दिन सायं ४॥ बजे मैं स्वयं सी० आई० डी० के दफ्तर गया। रजिस्टरमें नारायणराव डी० और वी० कृष्णाजीके बारेमें मुझसे पूछा गया। पुलिसने मेरा बयान लिखा। मुझे याद है कि किन परिस्थितियोंमें उन दिनों उन व्यक्तियोंके लिए कमरे रिजर्व किये गये थे। २ फरवरी १९४८ को नारायणराव नामका एक व्यक्ति होटल आया, और दो आदमियोंका कमरा ठहरनेके लिए रिजर्व कराया। मैं उसे पहलेसे नहीं जानता था। इस व्यक्तिने रजिस्टरपर स्वयं हस्ताक्षर किये और अपना नाम नारायणराव बतलाया। नारायणरावने कहा कि मेरा एक मित्र भी है, जो अभी स्टेशनपर ही है।

गवाह कठघरेके पास गया और नारायण दत्तात्रेय आपटेके पास जाकर बोला कि यही नारायणराव डी० है।

गवाहने आगे कहा कि मैंने तो नारायणरावके कथित मित्रको कभी नहीं देखा, कमरेमें नारायणराव ही अकेला रहा।

रजिस्टरमें नारायणरावने केवल अपना नाम लिखा था। रिजर्व किये हुए कमरेका नम्बर मेरे हाथका लिखा हुआ है। दूसरा वी० कृष्णाजीका नाम भी नारायणरावके हस्तलेखमें है।

३ और ४ फरवरीको १ नं० और ए-६ नम्बरके कमरे खाली होनेवाले थे। नारायणरावने दो सुलहनामे तैयार किये जिनपर क्रमशः नारायणराव डी. और वी० कृष्णाजीके हस्ताक्षर थे। २ फरवरीको ७॥ बजे शामको मैं होटलसे चला गया। अगले दिन १०॥ बजे मैं फिर होटलमें आया। उस समय मैंने नारायणरावके साथ एक महाराष्ट्रिय महिलाको देखा।

४५ मिनट बाद नारायणराव मुझसे मिला और उसने कहा कि होटल-ने मुझे दो शय्याका कमरा नहीं दिया, इसलिए अब मैं इस होटलको छोड़ रहा हूँ। उसने कहा कि मैं 'आर्यपथिकाश्रम' जा रहा हूँ और ११-१५ पर वह चला गया।

उसी दिन शामको नारायणराव फिर होटल आया—वह धोती भूल गया था। उसने मुझे प्रत्येक कमरेके ११) कियायेके दिये। इसके बाद मैंने नारायण रावको पुलिस शिनाख्त परेडमें और फिर उसके बाद आज यहाँ पर देखा है।

गवाहसे फिर जिरह नहीं की गयी।

३ अगस्त—अभिनेत्री कुमारी शान्ता मोडककी गवाही

आज पूनेमें दक्षिण जिमखानामें रहनेवाली अभिनेत्री शान्ता भास्कर मोडककी गवाही ली गयी।

शान्ताने कहा "मैं पूनामें रहती हूँ, काम अधिकांश मेरा बम्बईमें ही है। मेरा-भाई शिवाजी पार्क, बम्बईमें रहता है। मुझे याद है कि १४ जनवरीको मैं पूना एक्सप्रेसमें बैठकर पूनासे बम्बई गयी थी। मैंने दूसरे दर्जेका टिकट खरीदा था। जब मैं खिड़कीके पास अपने लिए जगह ढूँढ़ रही थी तो एक व्यक्तिने पूछा कि मुझे किस चीजकी जरूरत है। मैंने उससे कहा कि मैं खिड़कीके पास बैठना चाहती हूँ। उस महानुभावने कहा कि मैं आपको अपना स्थान दिये देता हूँ, आप शौकसे बैठिये। वह उठ गया। तब मैं उसकी जगहपर बैठ गयी। इसके बाद वह मेरे सामने ही एक बेंचपर बैठ गया। प्रत्येक बेंच पर दो सीट होती हैं। जब गाड़ी चल रही थी, तो एक दूसरा महानुभाव आया और उस व्यक्तिकी बगलमें आकर बैठ गया। मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि ये दोनों महानुभाव एक दूसरेसे परिचित हैं।"

गवाहने उक्त दोनों व्यक्तियोंकी पहचानमें कठघरेमें खड़े हुए आपटे और नथूराम गोडसेकी ओर इशारा किया।

गवाहने कहा कि जिस महानुभावने मुझे अपनी सीट दी थी उसने मुझसे पूछा "क्या आप 'बिम्बा' हैं?" मैंने कहा—'हाँ'। थोड़ी-थोड़ी देर बाद उसके साथ मेरा वार्तालाप भी हुआ करता था। दोनों महानुभाव आपसमें भी बात करते थे। जब दादर स्टेशन पास आ गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि 'आप कहाँ जा रही हैं?' मैंने कहा—'मैं शिवाजी पार्क जाऊँगी।' मैंने उनकी आपसी बातचीतसे पता लगाया कि वे शिवाजी पार्कमें सावरकर-सदन जा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि वैसे तो मुझे अपने भाईके स्टेशनपर ही आ जानेकी आशा है, लेकिन अगर वह नहीं आया, तो हम सब इकट्ठे साथ ही शिवाजी पार्क चलेंगे। उन्होंने मेरी बात मंजूर कर ली।

स्टेशनपर मेरा भाई आ गया और उसकी जीपपर हम सब रवाना हुए। मेरे भाईने मुझसे कहा था कि वह जीपको अपने पाससे निकालना चाहता

है। उन महानुभावोंने कहा कि उस जीपको वे खरीद लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दिनोंतक न तो वे पूनामें होंगे, न बम्बईमें। लौटनेपर जीपको खरीद लेंगे। मेरे भाईका घर और सावरकर-सदन एक सड़कपर उसके एक ही ओर पास-पास हैं। दोनोंके बीचमें खुला स्थान है।

उस रातको हम उन दोनों महानुभावोंको 'सावरकर-सदन' छोड़कर अपने घर लौट आये। मैंने केवल यही देखा कि वे सावरकर-सदन जा रहे थे।

बादमें पुलिस मुझे उनकी शिनाख्त करनेके लिए बम्बई ले गयी।

नथूराम गोडसेके वकील श्री ओककी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैंने उन महानुभावोंको सावरकर-सदनमें घुसते हुए नहीं देखा।

करकरेके वकील डांगेको गवाहने जवाब दिया कि मैं बम्बई विश्वविद्यालय-की स्नातिका हूँ। मैं प्रति दिनको घटनाओंका ब्योरा लिखनेके लिए अपने पास कोई डायरी नहीं रखती। यह बात सच है कि दोनों महानुभावोंमेंसे एकने मुझसे यह कहा था कि हम गाँवोंमें प्रचारकार्य करते हैं। मैंने उन्हें १४ जन-वरी, १९४८ से पहले कभी नहीं देखा।

सावरकरके वकील एल० बी० भोपटकरकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि यह सच है कि बम्बईके चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट ब्राउनके सामने मैंने अपना बयान दिया था। पुलिसके सामने भी मैंने अपना वक्तव्य दिया था। मजिस्ट्रेटको मैंने अपने बयानमें यह नहीं बताया था कि उन दोनों महानुभावोंने मुझसे यह कहा था कि अभी तो वे बम्बई और पूनासे बाहर जा रहे हैं, लौटने-पर वे जीपको खरीदनेकी बात सोचेंगे। पहले मेरा बयान पुलिसके सामने लिया गया था।

इसके बाद आपटेके वकील मैंगलेने जिरह की। गवाहने कहा कि मैं १२ फरवरी १९४८ को पुलिस थाने गयी थी। उस समय और उसके बाद मैंने किसी भी सरकारी उच्चाधिकारीको न तो फोन किया और न उसके पास कोई सन्देश ही भेजा।

परचुरे और गोपाल गोडसेके वकील इनामदारको उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि मैं क्राफर्ड मार्केट थानेमें पुलिसको बयान देने गयी थी। उस समय मुझे कोई भी अभियुक्त नहीं दिखायी दिया।

६१ वाँ गवाह

दूसरा गवाह एल्फिंस्टन होटल, बम्बईका साझेदार काश्मीरी लाल था।

उसने कहा कि २४ जनवरीको दो व्यक्ति मेरे पास आये थे। मैंने उन्हें दो शय्याओंवाला एक कमरा दिया था। २६ जनवरीकी शामको उनमेंसे एक व्यक्तिने कहा कि हम प्रातः ही होटल छोड़कर चले जायँगे, नौकरको उससे पहले ही चाय दे जानेका आदेश दे दिया जाय।

गवाह कठघरेके समीप गया और होटलमें ठहरनेवाले एक व्यक्तिके रूपमें उसने आपटेको पहचाना।

गवाहने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि इसके बाद ५ फरवरीको मध्याह्नमें १॥ बजे मैंने होटलकी गैलरीमें इसे खड़े हुए देखा। एल्फिंस्टन होटल-के प्रमुख भागसे फोन मिला कि पुलिस २४ जनवरीको ६ नं० के कमरेमें ठहरे हुए व्यक्तियोंके विषयमें छानबीन कर रही है। मैंने रजिस्टरको उलटपलट कर देखना शुरू किया।

५ नं० के कमरेमें जो दो मुसाफिर ठहरे थे, वे भी गैलरीमें बाहर आये हुए थे। होटलके गोविन्द नौकरने मुझसे कहा कि ६ नं० के कमरेमें ठहरनेवाले दो व्यक्तियोंमें से एक तो यहाँ खड़ा मालूम देता है। गोविन्दको यह मालूम था कि उन व्यक्तियोंकी छानबीन करनेके लिए मेरे पास बड़े होटलसे हिदायत आयी है।

गैलरीमें खड़े हुए उन दो व्यक्तियोंमेंसे एक मेरे पास आया और उसने पूछा कि क्या बात है। मैंने उनसे कहा कि कुछ भी हो, तुमसे क्या मतलब।

इसके बाद रजिस्टर उठाकर मैं बड़े एल्फिंस्टन होटल चला। वहाँसे मुझे बम्बईके सी० आई० डी० आफिसमें ले जाया गया। वहाँसे मैं पुलिसके साथ पुनः होटल वापस आया। जब पुलिस चली गयी तो मुझे यह मालूम हुआ कि उधर ५ नं० के कमरेमें ठहरे हुए व्यक्ति भी चले गये हैं।

गवाहने कठघरेके पास जाकर आपटेकी पहचान की और कहा कि ५ फरवरीको ५ नं० के कमरेमें ठहरनेवाला और बादको बाहर गैलरीमें खड़े हुए दो व्यक्तियोंमेंसे एक यह था।

गवाहने कहा कि मैं बम्बईकी शिनाख्त परेडमें भी गया था और वहाँ भी मैंने अभियुक्तको पहचाना था। अन्य किसी अवसरपर मैंने उसे नहीं देखा।

इस गवाहके साथ जिरह नहीं की गयी।

तीन और गवाहोंके बयान

तीसरे गवाह 'बम्बई लाण्ड्री' पूनाके मालिक नरसिंह भागजी पेश किये गये। गवाहने कहा कि मैं पूनामें 'बम्बई लाण्ड्री' का १९ सालसे मालिक हूँ। उसने कहा कि मैं नथूराम विनायक गोडसेको जानता हूँ। (गवाहने गोडसेको पहचाना) मैं ग्राहकोंके कपड़ोंको अलग अलग करनेके लिए उनपर संक्षिप्त हस्ताक्षर डाल देता हूँ। बादमें गवाहने ४ कमीजोंको पहचाना जिनपर एन० वी० जी० लिखा था, जो नथूराम विनायक गोडसेकी थीं। गवाहने कहा कि ये नाम अमिट स्याहीसे लिखे जाते हैं।

दिल्ली रेलवे स्टेशन और मेरीना होटलमें बरामद किये गये कपड़े गवाहको दिखाये गये। गवाहने उन्हें पहचानकर बताया कि ये गोडसेके ही हैं। उनपर अमिट स्याहीसे एन० वी० जी० लिखा था।

गोडसेके वकील श्री वी० वी० ओकके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि मेरी दुकान सदाशिव पेठमें है। मुझे अनेक स्थानोंसे धुलनेके लिए कपड़े मिला करते हैं किन्तु नथूराम गोडसेने व्यक्तिशः आकर मुझे कभी कपड़े नहीं दिये।

अदालतमें दिखायी गयी कमीजोंमेंसे एक कमीज ऐसी भी थी, जिसपर एन० वी० जी० के सिवा और भी कुछ लिखा था, किन्तु यह मिटा दिया गया था। यह बात सच नहीं है कि ये कपड़े मुझे पूनाके शनिवार पेठके एन० वी० गाडगिलने दिये होंगे। सदाशिव पेठके नारायण विष्णु गोखलेको मैं जानता भी नहीं। अपने ग्राहकोंसे लिये हुए कपड़ोंकी जो रसीद मैं उन्हें देता हूँ, उसकी एक कार्बन प्रतिलिपि भी अपने पास रखता हूँ; जिसे सामान्यतः एक मास बाद मैं नष्ट कर देता हूँ। मैं अंग्रेजी जानता तो नहीं किन्तु इतना जानता हूँ कि इस भाषामें संक्षिप्त हस्ताक्षर किस प्रकार लिखे जाते हैं।

श्री पी० दफ्तरीने अदालतको एक आवेदन पेश किया जिसमें लिखा था कि मुखबिर बडगेकी जिरहमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गये हैं जिनमें उसके बिना लाइसेंसके हथियार बेचनेपर उसके चरित्रपर दोषारोपण किया गया है।

'गवाहने उत्तर दिया था कि मेरे पास हथियार बेचनेका लाइसेंस निस्सन्देह नहीं था किन्तु लाइसेंसके लिए मैंने प्रार्थनापत्र भेज रखा है।'

'गवाहने आगे कहा था कि मेरे प्रार्थनापत्रका अनेक व्यक्तियोंने समर्थन किया था, जिनमें भोपटकर भी थे।'

दुबारा जिरह करते हुए बडगेका प्रार्थनापत्र और कागज दिखाये जानेकी इजाजत नहीं दी गयी।'

'यह आवेदन कथित सत्योंको रेकार्डमें लानेके लिए पेश किया जा रहा है। उपर्युक्त प्रश्न और वस्तुओंके दिखानेकी इजाजत न देना कानून-विरुद्ध है।'

जजने कहा कि इस प्रार्थनापत्रपर वे अपना निर्णय बादमें देंगे।

अगले गवाह 'आर्यपथिकाश्रम'के मैनेजर गयाप्रसाद दुबेकी गवाही ली गयी। उसने कहा कि मैं आपटेको १॥ सालसे जानता हूँ, क्योंकि प्रायः वह मेरे होटलमें आकर ठहरा करता था। (गवाहने कठघरेके पास जाकर आपटेको पहचाना।)

गवाहने कहा कि २३ जनवरी १९४८ को आपटे एक स्त्रीके साथ मेरे होटलमें आया था। उन्होंने रजिस्टरपर हस्ताक्षर नहीं किये थे, क्योंकि वे दोनों होटलसे बाहर चले गये थे। २४ जनवरीको रातको १ बजे वे वापस आये। मैंने २॥ बजे तक उनके कमरेमें बिजली जलती हुई देखी। मैं वहाँ गया और देखा कि दोनों आपसमें बातें कर रहे हैं।

प्रातः ६ बजे मुझे फिर उनके दर्शन हुए। मैंने आपटेसे रजिस्टरमें अपने हस्ताक्षर करनेके लिए कहा। आपटेने जवाब दिया कि मैं इस महिलाको स्टेशनपर छोड़ने जा रहा हूँ, वहाँसे लौटकर मैं हस्ताक्षर कर दूँगा।

११॥ बजे वह वापस आया और फिर बिना हस्ताक्षर किये कहीं बाहर चला गया। उसने फिर यही कहा कि मैं लौटकर हस्ताक्षर कर दूँगा।

२४ जनवरीकी रातभर वह महिला आपटेके साथ रही। अगले दिन सवेरे वे दोनों चले गये। मैंने आपटेके कथनानुसार रजिस्टरमें उसका नाम डी० नारायण लिख दिया।

५ फरवरीको प्रातःकाल आपटेने फिर होटलमें एक अलग कमरा देनेकी माँग की, लेकिन कोई खाली कमरा न था। आपटे प्रायः अंग्रेजी ढंगकी पोशाक पहनता था, किन्तु उस दिन वह भारतीय वेशमें आया था। उसने

मैंले कपड़े पहने हुए थे और उसके पास कोई सामान नहीं था। इसका कारण पूछनेपर उसने कहा कभी कभी ऐसे भी होता है।

इसके बाद अगले गवाह छोटे एल्फिन्स्टन होटलके सेवक गोविन्द विश्वनाथ मलेकरकी गवाही हुई।

गवाहने बताया कि २४ जनवरीको ६ नं० के कमरेमें ठहरे हुए दो व्यक्तियोंको पुलिस तलाश कर रही थी। मैंने उन व्यक्तियोंको देखा था। २७ जनवरीको प्रातः ६॥ बजे वे होटल छोड़कर चले गये। मैं रात्रिके समय उनकी परिचर्या किया करता था।

उनके होटलमें ठहरनेके समय २४ जनवरीसे २७ जनवरी तकके अरसेमें एक महानुभाव और एक महिला उनसे अलग अलग मिलने आयी थीं। गवाहने होटलमें ठहरनेवाले दो व्यक्तियोंसे मिलने आनेवाले व्यक्तिके रूपमें अभियुक्तोंमेंसे गोपाल गोडसेको पहचाना।

मलेकरने आगे अपने बयानमें कहा कि जो व्यक्ति २ फरवरीको ५ नं० के कमरेमें आकर ठहरे थे, उनको मैं जानता हूँ, उनमेंसे एकका नाम नारायणराव है और दूसरा इसका मित्र है। उसने कठघरेमें आपटे और करकरेको पहचाना, जो फरवरीके प्रथम सप्ताहमें ५ नं० के कमरेमें आकर ठहरे थे।

वे होटलमें ३ फरवरीको आये थे और ५ को चले गये। इस बीचमें उनके पास अनेक मुलाकाती भी आये थे।

पुलिस और होटलके मालिक काश्मीरी लालने २४ जनवरीको ६ नं० के कमरेमें ठहरनेवाले व्यक्तियोंके विषयमें छान-बीन की। मैंने बादमें उन व्यक्तियों-को शिनाख्त परेडमें पहचान लिया था।

करकरेके वकील डांगे द्वारा जिरह की जानेपर गवाहने कहा कि अनेक मुसाफिर आकर होटलमें ठहरते हैं और उनके पास अनेक मुलाकाती भी आते हैं। मैं २० नं० के कमरेमें ठहरे हुए ३०-३५ मुसाफिरोंकी परिचर्या किया करता था।

गोपाल गोडसेके वकील इनामदारकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मुझे यह तो ठीक याद नहीं कि किस तिथिको मुलाकाती ६ नं० के कमरेमें ठहरे महानुभावसे मिलने आये थे, लेकिन मेरा अनुमान है कि वे सम्भवतः

२५ जनवरीको आये थे। दो मुलाकाती अलग-अलग तारीखोंमें उनसे मिलने आये थे।

४ अगस्त--आपटे-करकरेकी गिरफ्तारीका हाल

आज बम्बईके पार्सके अपोलो होटलके अभ्यागत क्लर्क कैण्डिडो पिण्टोकी गवाही हुई।

गवाहने कहा कि १३ फरवरी, १९४८ को दो व्यक्ति दो-सवा दो बजे मेरे होटलमें ठहरने आये थे। कठघरेमें खड़े हुए व्यक्तियोंमेंसे गवाहने उनको पहचाना। वे आपटे और करकरे थे।

गवाहने आगे अपने बयानमें कहा कि उस समय उनके पास कोई सामान नहीं था। वे उस समय रजिस्टरमें अपना नाम लिखकर चले गये। रातको ८ बजे वापस आये, उस समय उनके पास सामान भी था। नारायण आपटे मेरे होटलमें पहले भी आ चुका है, किन्तु उस दिन उसने अपना नाम आर० विष्णु और अपने साथीका एन० काशीनाथ बताया।

१४ फरवरी, १९४८ को ११ बजे दो पुलिस अफसर होटलमें आये, किन्तु वे मुसाफिर उस समय होटलमें नहीं थे। पुलिस अफसर उनके आनेकी वहीं होटलमें प्रतीक्षा करने लगे।

आपटे ५-४५ बजे वापस आया। एक पुलिस अफसरने उसे तुरन्त गिरफ्तार कर लिया। दूसरा मुसाफिर (करकरे) ८-४५ पर वापस आया और वह भी गिरफ्तार कर लिया गया।

उस समय तो मैं उनका नाम नहीं जानता था लेकिन रातको मुझे १० बजे मालूम हुआ कि वे आपटे और करकरे थे।

अगला गवाह बम्बईके मैजस्टिक होटलका निरीक्षक माइकेल पैट्रिक केरी था। उसने 'पञ्चनामे' पर अपने हस्ताक्षर होनेका प्रमाण पेश किया। (यह गवाह उस समय भी उपस्थित था, जब दोनों अभियुक्तोंकी तलाशीमें उनके पाससे अनेक वस्तुएँ बरामद की गयी थीं।)

इस अवसरपर बचाव पक्षके वकील और अभियुक्त करकरे और आपटे-ने अदालतकी अनुमति लेकर उन बरामद की हुई वस्तुओंको देखना चाहा। इसपर वे वस्तुएँ उन्हें दिखा दी गयीं।

गवाहने तीसरे दर्जेके दो टिकटों और ३१ जनवरीको भेजे गये एक्सप्रेस तारकी रसीद पहचानी, जो आपटेके पाससे बरामद हुई थी।

डांगे (करकरेके वकील) की जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि जब करकरे गिरफ्तार किया गया था तब उसके पास कुल १३ रेल टिकट थे।

दुबारा जिरह की जानेपर गवाहने कहा कि जिस पुलिस अफसरने तलाशी ली थी, वह स्वयं बम्बईके डिप्टी कमिश्नर जे० डी० नगरवाला थे।

अदालतने अभियुक्त आपटे और उसके वकील मेंगलेको इस बातकी इजाजत दे दी कि वे ब्राउनके सामने लिखी गयी रिपोर्टको आद्योपान्त पढ़ सकते हैं।

प्रोफेसर जगदीशचन्द्र जैनकी गवाही

जलपानके पश्चात् शिवाजी पार्क, बम्बईके रहनेवाले तथा रामनारायण रुइया कालेजके प्रोफेसर श्री जगदीशचन्द्र जैनकी गवाही ली गयी।

गवाहने अनेक किताबें लिखी हैं। अक्तूबर १९४७ के दूसरे सप्ताहमें गुप्त नामक एक व्यक्तिने उससे मदनलाल शरणार्थीका परिचय कराया था। गवाहने कहा कि मैंने मदनलालको कोई काम दिलानेकी कोशिश की, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली।

निराश होकर मदनलालने मुझसे कहा कि यदि चपरासीका काम भी मिले, तो मैं उसे कर लूँगा। मैंने उसे हतोत्साह न होनेके लिए कहा और उसे २५ प्रति शत कमीशनपर पुस्तकें बेचनेके लिए दीं। तदनुसार २६ अक्टूबर, १९-४७ से उसने पुस्तकें बेचना शुरू कर दिया, किन्तु यह काम उसने १० दिन तक ही किया।

बादमें मदनलालने मुझसे कहा कि मैं पटाके भी बेचता हूँ। इसके बाद वह फल बेचनेके लिए अहमदाबाद चला गया। मैंने उसे किताबें भी वहाँपर बेचनेके लिए दीं।

कुछ दिनों बाद सूद नामक व्यक्तिको साथ लेकर मदनलाल फिर मेरे पास आया और ३०० किताबें ले गया।

तीन सप्ताह बाद मदनलाल फिर वापस आया और उसने मुझसे कहा कि आपकी ४०) की किताबें बिक गयी हैं। मदनलालने उनका पैसा मुझे नहीं

दिया। मदनलाल फिर अहमदनगर चला गया और वहाँपर करकरेके होटलसे उसने मुझे १ दिसम्बर और ९ दिसम्बरको दो पत्र लिखे, जिनमें किताबोंकी कीमत चुकानेकी असमर्थताके लिए क्षमायाचना की गयी थी।

पत्रोंको अदालतकी प्रदर्शनीय वस्तुओंमें शामिल कर लिया गया।

गवाहने आगे कहा — जनवरीके प्रथम सप्ताहमें मदनलाल फिर एक सेठको लेकर मेरे पास आया और बोला कि इस सेठकी अहमदनगरमें फलोंकी दुकान हैं! (गवाहने अभियुक्तोंमेंसे मदनलालको पहचाना।)

दो दिन बाद मदनलाल पुनः आया और उसने बताया कि "अहमदनगरमें मैंने हिन्दू मुस्लिम एकताका पाठ पढ़ानेवाले रावसाहब पटवर्धनपर हमला कर दिया। पुलिस भी हिन्दू पक्षपाती थी, इसलिए उसने मुझसे कुछ न कहा, केवल मेरा खञ्जर ले लिया। हिन्दुओंके हितके लिए अहमदनगरमें एक स्वयंसेवक दल बनाया गया था, उसमें मैं भी शामिल हुआ। अहमदनगरमें एक पार्टी खड़ी की गयी थी, जिसे करकरे आर्थिक सहायता देता था। सावरकरने मेरे कारनामोंको सुनकर मुझे अपने पास बुलाया। दो घण्टे तक हमारी बातें हुईं और अन्तमें पीठ थपथपाकर शाबाशी देते हुए सावरकरने मुझे अपने कार्यको जारी रखनेके लिए कहा।"

मदनलालने फिर मुझसे यह भी कहा कि "एक पार्टी महात्मा गान्धीजीकी हत्या करनेके लिए हथियार और गोलाबारूद भी जमा कर रही है। हमारी योजना यह है कि मैं पहले एक बम फेंककर प्रार्थना-सभामें आतंक और खलबली पैदा कर दूँगा और उस गड़बड़ीमें हमारी पार्टीके अन्य आदमी गान्धीजीको खत्म कर देंगे।"

मैंने मदनलालको ऐसा न करनेके लिए बहुत समझाया, किन्तु मदनलाल दुबारा आनेका वचन देकर उस समय वहाँसे चला गया। मदनलालने मुझसे कहा कि मैं अपने साथियोंके साथ हिन्दू महासभा-भवनमें ठहरा हुआ हूँ। वह जल्दीमें था, क्योंकि उसका कहना था कि करकरे सदा मेरे पीछे परछाईंकी भाँति लगा रहता है और मुझे अकेला नहीं छोड़ता। मदनलालने मुझे १५) दिये। अभी मेरे १५) उसके पास और बाकी थे।

मैंने मदनलालकी बातको गम्भीरतासे बिलकुल नहीं सोचा, क्योंकि उन दिनों प्रायः प्रत्येक शरणार्थी गान्धीजीको बुरा-भला कहता रहता था।

मदनलाल फिर मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं आवश्यक कार्यसे दिल्ली जा रहा हूँ, लौटनेपर आपसे मिलूँगा।

इसके बाद गवाहने करकरेको पहचाना, जो सेठ बनकर मदनलालके साथ उसके पास आया था।

गवाहने कहा कि मुझे याद है कि दो दिन बाद सेण्ट मैरिस होस्टलमें जयप्रकाश नारायण भाषण करने आये थे। मैंने सोचा कि मैं मदनलालके मुँह सुनी हुई सारी बात उन्हें बताऊँ, किन्तु अत्यधिक भीड़के कारण मैं उन्हें केवल यही बता सका कि सम्भवतः दिल्लीमें गान्धीजीको मारनेका षड़यन्त्र किया जा रहा है।

२१ जनवरीको प्रातः मैंने अखबारमें यह पढ़ा कि दिल्लीमें प्रार्थना स्थल-पर २० जनवरीको एक बम विस्फोट किया गया और इस सिलसिलेमें मदन-लाल नामका एक व्यक्ति पकड़ा गया है।

उस समय भारतके गृहमन्त्री सरदार पटेल बम्बईमें ही मौजूद थे। मैंने सोचा कि मैं उन्हें वह सब कुछ बता दूँ, जो मुझे मदनलालसे ज्ञात हुआ है। मैंने उनके घर टेलीफोन किया। वहाँसे उत्तर मिला कि वे हवाई अड्डेपर जा चुके हैं। मैं बम्बई प्रान्तीय कांग्रेसके अध्यक्ष एस. के. पाटिलसे भी सम्पर्क स्थापित न कर सका।

उसी दिन शामको ४ बजे मैं बम्बईके प्रधान मन्त्री श्री बाल गंगाधर खेर तथा गृह मन्त्री श्री मुरारजी देसाईसे मिला और मैंने इन्हें गान्धीजीकी हत्याके षड्यन्त्रके विषयमें जो कुछ सुना था, सब बता दिया।

इससे पूर्व बचाव पक्षके वकील एल. बी. भोपटकरने एक आवेदनपत्र पेश किया था, जिसमें डा० जैनकी गवाहीके कुछ अंशोंको स्वीकार करनेपर आपत्ति प्रकट की गयी थी।

श्री पी०के० दफ्तरीने कहा कि बचाव पक्षके वकील उस गवाहकी गवाही-के विषयमें पहलेसे ही कैसे आपत्ति प्रकट कर सकते हैं, जब कि वह गवाह अभी तक अदालतमें पेश नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बचाव पक्षके वकीलको जब किसी गवाहकी गवाहीपर आपत्ति प्रकट करनी हो, तो वह उसी समय की जानी चाहिये। भोपटकरने उनका सुझाव मान लिया, किन्तु यह कहा

कि मैंने यह आपत्ति इसलिए उठायी थी कि बादमें सरकारी वकील कहीं यह शिकायत न करें कि वे उसके लिए बिलकुल तैयार न थे।

जजने अपना फैसला दिया कि गवाहीके औचित्य या अनौचित्यका प्रश्न तभी उठाया जा सकता है जिस समय गवाही ली जा रही हो।

श्री भोपटकरने अदालतके सामने एक दूसरा आवेदनपत्र पेश किया जिसमें दो ऐसे कानूनी उदाहरण दिये गये थे जिनसे यह प्रतिपादित होता था कि किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा एक षड्यन्त्रकारीके वक्तव्यके आधारपर पेश की हुई गवाही उस पार्टीके दूसरे षड्यन्त्रकारीके पक्ष या विपक्षमें दी नहीं जा सकती।

५ अगस्त

अदालतमें श्री दफ्तरीने आज दो पत्र प्रदर्शित वस्तुओंमें शामिल करनेके लिए पेश किये।

ये पत्र डा० जगदीशचन्द्र जैनने पुलिसको दिये थे। ये पत्र जगदीशचन्द्र जैनके पतेपर मदनलालको लिखे गये थे। मदनलालने दिल्लीसे लौटकर उन पत्रोंको लेनेके लिए कहा था, पर २० जनवरीको दिल्लीमें पकड़े जानेके कारण वह लौट नहीं सका।

श्री जे० सी० जैनने कहा कि तब मैंने उन पत्रोंको बम्बईके डिप्टी कमिश्नर जे० डी० नगरवालाको दे दिये।

मदनलाल जब करकरेको मेरे पास लाया था, तबके सिवा मैंने कभी करकरेको नहीं देखा। उसके बाद करकरेको मैंने सिर्फ बम्बईकी शिनाख्त परेडमें और कल यहींपर अदालतमें देखा था।

सावरकरके वकील एल. बी. भोपटकरकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मुझे ठीक ठीक वह तारीख याद नहीं जब समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणने एक सार्वजनिक सभामें भाषण किया था। उस बैठकके बुलानेमें मैंने कोई भाग नहीं लिया। उस समय हमारे कालेजके प्रिंसिपल डी० बी० देशपाण्डे थे। कालेजके अधिकांश प्रोफेसर महाराष्ट्रीय हैं। मैं सावरकरका घर जानता हूँ। मेरा घर उनके घरसे ४ फर्लांगसे कुछ कम दूरीपर उसी सड़कपर है।

पुलिससे पहले पहल मेरा सम्पर्क इसी घटनाके सम्बन्धमें हुआ जब वह मेरा

बयान लेने आयी थी। इस विषयमें २१ जनवरी १९४८ से लेकर १७ फरवरी १९४८ तक मैंने किसीको कोई पत्र नहीं लिखा। पुलिस द्वारा मेरे बयानके नोट किये जानेके १० दिन बाद मजिस्ट्रेटने मेरा बयान लिखा।

मजिस्ट्रेटके सामने मैंने यह नहीं कहा था कि मदनलालने मुझे यह बताया है कि उनका दल हथियार और गोलाबारूद जमा कर रहा है जो जंगलमें गाड़ दिये जाते हैं। मैंने मजिस्ट्रेटको मदनलालका यह कथन भी नहीं बताया कि उसने हिन्दू मुसलिम एकताका पाठ पढ़ानेवाले रावसाहब पटवर्धनपर हमला किया था, और चूँकि पुलिस भी हिन्दू पक्षपातिनी ही थी, इसलिए उसने मुझसे कुछ भी न कहा, और उस समय मेरे पास एक खंजर भी था।

मैंने मजिस्ट्रेटको यह भी नहीं बतलाया था कि मदनलालने मुझसे कहा था कि सावरकरने मुझे बुलाकर दो घण्टेतक बातचीत की और मेरी पीठ थपथपाकर मुझे अपना काम जारी रखनेके लिए कहा।

मैंने मजिस्ट्रेटको यह कहा था कि बम्बईके गृहमन्त्री और प्रधान मन्त्रीको महात्मा गान्धीजीको मारनेके इस षड्यन्त्रका पता लगानेमें मैंने अपनी सेवाएँ अर्पित की थीं। मैं एक नागरिक होनेके नाते सरकारकी मदद करना चाहता था। गृहमन्त्रीने मुझसे कहा कि पुलिस मामलेकी जाँच कर रही है और आवश्यकता हुई तो आपको सूचित कर दिया जायेगा।

गवाहने आगे अपने बयानमें कहा कि मदनलालने मेरी २००) की किताबें बेचीं। मैंने पुलिसको यह नहीं कहा कि करकरे भी मेरी किताबें बेचा करता है। मैंने स्वतः अपनी उपस्थितिमें शरणार्थियोंको कांग्रेस और उसके नेताओंकी आलोचना करते हुए देखा और सुना है।

आपटेके वकील मंगलेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैं प्रति दिन अखबार पढ़ता हूँ और जनवरीमें बम्बईसे बाहर कहीं नहीं गया। मैं बम्बईके गवर्नरका नाम नहीं जानता। मैं भी युक्त प्रांतका रहनेवाला हूँ और बम्बईके गवर्नर भी युक्त प्रांतके ही रहनेवाले हैं।

मैंने अखबारोंमें पढ़ा था कि भारतके पास पाकिस्तानके ५५ करोड़ रुपये हैं। मैंने यह भी पढ़ा था कि भारत इस रकमको पाकिस्तानको देना नहीं चाहता था क्योंकि उसे डर था कि इसका प्रयोग उसीके विरुद्ध काश्मीरके युद्धमें किया जायेगा। मुझे यह नहीं मालूम कि यह रकम गान्धीजीके उपवास करने-

से पहले या उपवास कर चुकनेके बाद कब पाकिस्तानको दी गयी। मैंने यह भी पढ़ा था कि गान्धीजीने ७ दिनके बाद अपना उपवास तोड़ दिया था।

१९४२ में तत्कालीन भारतीय सरकारने 'भारत छोड़ो' आन्दोलनके सिल-सिलेमें मुझे गिरफ्तार कर लिया था। तब मैं कांग्रेसी था।

करकरेके वकील डांगेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मेरी कितावें ॥) से लेकर ३५) के मूल्य तककी थीं। मदनलालने वे पुस्तकें मुझे लौटा दी थीं जिन्हें वह बेच नहीं सका था।

मैंने करकरेको प्रथम बार तभी देखा था जब मदनलालके साथ सेठ बनकर वह मेरे पास आया था। उस समय मैंने सचमुच ही उसे एक पैसेवाला आदमी समझा था।

मैं मदनलालके जीवनमें दिलचस्पी लेता था, क्योंकि वह शरणार्थी था। मैंने ऐसा एक भी हिन्दू महासभाई नहीं देखा जिसने शरणार्थियोंके लिए कुछ किया हो। मैंने मदनलाल और करकरेको यह भी नहीं बताया कि मैं कांग्रेसी हूँ।

मदनलालके वकील श्री बनर्जीके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि जो पुस्तकें मैंने मदनलालको बेचनेके लिए दी थीं वे प्रायः अर्थशास्त्र या राजनीतिकी थीं।

मदनलालका परिचय पहले पहल गुप्त नामके एक महाशयने मुझसे कराया और कहा कि मदनलाल पुष्पा नामकी एक कन्याको मुसलमानोंके पंजेसे छुड़ाना चाहता है। मैंने उस कन्याको प्राप्त करनेमें मदनलालकी कोई सहायता नहीं की।

जनवरीमें मैंने सरदार वल्लभभाई पटेलका एक भाषण सुना था, किन्तु मुझे याद नहीं कि अपने भाषणमें सरदार पटेलने उन ५५ करोड़ रुपयोंकी ओर कुछ संकेत किया था या नहीं। मैं गान्धीजीको मारनेके षड्यन्त्रकी सूचना देने किसी थानेपर नहीं गया, क्योंकि मैं किसी पुलिस अफसरको जानता नहीं था।

२१ जनवरीको बम्बईके प्रधान मन्त्री बी० जी० खेर और गृहमन्त्री मुरारजी देसाईको मैंने अपना कोई बयान नहीं दिया था, केवल उनसे बातें की थीं।

यह बात सच नहीं है कि मदनलालने मुझसे यह कहा हो कि रावसाहब पटवर्धन काश्मीरके विषयमें भाषण करते हुए शेख अब्दुल्लाका पक्ष ले रहे थे, इसलिए मैंने उनपर हमला किया।

मदनलालने मुझे उन व्यक्तियोंके नाम नहीं बताये जिनके साथ वह बम्बईके हिन्दू महासभाभवनमें ठहरा था।

उसने मुझे यह भी नहीं बताया कि अहमदनगरकी सभाके संघर्षमें उसे चाकूका घाव लगा था।

यह बात सच नहीं है कि मदनलालने गान्धीजीकी हत्याके उद्देश्यसे एकत्र किये जाते हुए शस्त्रास्त्रोंकी ठीकठीक तादाद मुझे बता दी थी।

९ अगस्त

श्री बनर्जीने आज प्रो० जगदीशचन्द्र जैनके साथ जिरह जारी रखी।

गवाहने कहा कि मदनलालने मुझे यह नहीं बताया कि कौन-सा और कितना हथियार और गोलाबारूद उन्होंने अहमदनगरके पास जंगलमें छिपा रखा है।

मैंने अपना बयान १७ फरवरी, १९४८ को अपने घरमें पुलिसको दिया था। बम्बई पुलिसके डिप्टी कमिश्नर नगरवाला भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मेरा बयान लिखा।

गोपाल गोडसे और परचुरेके वकील श्री इनामदारकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैंने अपने पास मदनलालके साथ हुई बात-चीतकी कोई डायरी नहीं रखी है। यह बात सच नहीं है कि मजिस्ट्रेटको अपना बयान लिखानेसे पहले मैं बम्बईकी खुफिया पुलिसके हेडक्वार्टरमें गया था। जो पुलिस आफिसर मेरा बयान लिखने मेरे घर आये थे, वे मेरे मजिस्ट्रेटके पास बयान लिखानेके लिए जाते हुए साथ नहीं गये थे।

गवाहने बताया कि मेरी किताबें प्रकाशक अपनी कीमतपर ही छापते थे। जो विस्तारपूर्वक बातें मैंने पुलिस अफसरोंको अपने घर बयान देते हुए बतायी थीं, वे मैंने मजिस्ट्रेटके समक्ष अपने बयानमें इसलिए नहीं कहीं कि मैं यह समझता था कि उन विस्तारकी बातोंको दुबारा कहना आवश्यक नहीं है। मजिस्ट्रेटको मैंने अपना केवल संक्षिप्त बयान दिया था। मदनलालने अहमदनगरके पास जंगलमें गाड़े हुए हथियारोंकी न तो मुझे कीमत बतायी थी और न यह बताया था कि वे किस आकार-प्रकारके हैं।

६८ वाँ गवाह

श्री जैनके बाद फ्रेडरिक होटल बम्बईके सहायक मैनेजर श्री जान फ्रेट्सने कहा कि मैंने उस पंचनामेपर हस्ताक्षर किये थे, जो लैंसडाउन रोड कोलाबा बम्बईके अपोलो होटलमें १४ फरवरीको रात ९-४५ पर पुलिस तथा अभियुक्त आपटे और करकरेकी उपस्थितिमें तैयार किया गया था।

आपटेके वकील मैंगलेने ३१ जनवरीको 'लोकशक्ति'के तथा 'चित्रा' अखबारके ३१ जनवरी और १ फरवरीके अंक गवाहको दिखाये। गवाहने उन्हें पहचान लिया और कहा कि ये आपटेके बिस्तरेमें मिले थे।

इसके बाद सरकारी वकील श्री दफ्तरीने १८ जनवरी और २२ जनवरीके 'हिन्दू राष्ट्र' के दो अंक दिखाये जिन्हें अदालतने प्रदर्शित वस्तुओंमें शामिल कर लिया।

महंत श्री कृष्णजी महाराजकी गवाही

इसके बाद मोटा मन्दिर बम्बईके महन्त श्रीकृष्ण जीवनजी महाराजकी गवाही ली गयी। गवाह वैष्णव सम्प्रदायके संस्थापक वल्लभाचार्यका वंशानुगत हैं। १९४२ से वह कांग्रेसका सदस्य है। उसके पास उड़ाकेका ए लाइसेंस था, जो अब समाप्त हो चुका है।

गवाहने कहा कि मैं आपटेको जानता हूँ (गवाहने कटघरेके पास जाकर आपटेको पहचाना।) मैं सावरकरसे दो बार मिला हूँ और एक बार सुभाषचन्द्र बोससे भी मिला हूँ।

मैं यह सुनकर कि आपटे दिल्लीमें होनेवाली पाकिस्तान विधान परिषद्को तबाह कर देना चाहता है, उसके पास गया। पंढरपुर जाते हुए बीचमें मैं पूना रुका और मैंने वहाँपर आपटेके घरकी पूछताछ की।

मैं आपटेसे मिला और उससे कहा कि मैंने सुना है कि तुम पाकिस्तान विधान परिषदको उड़ानेकी फिक्रमें हो। आपटेने कहा—बात तो ठीक ही है, किन्तु उसके लायक मेरे पास हथियार और गोलाबारूद नहीं है। मैंने आपटेसे कहा कि फिलहाल तो मैं पंढरपुर जा रहा हूँ, वहाँसे लौटनेपर तुमसे इस विषयमें बातचीत करूँगा।

मैं पंढरपुर गया। वहाँ मुझे एक आदमी मिला जिसे आपटेने भेजा था

और कहा था कि शीघ्र ही उससे जाकर मिलूँ। (करकरेकी ओर दिखाकर गवाहने कहा कि यही वह आदमी था।)

आपटेने मुझसे कहा कि गोआमें दो गोला फेंकनेवाले मार्टर बिक रहे हैं, जिनकी कीमत ४,०००) है। मैंने उससे कहा कि यदि मैं उनके लिए मार्टरकी व्यवस्था भी न कर सकूँ, तो भी वे श्री जिना और श्री लियाकत अली खाँको मारनेकी अपनी कोशिश जारी रखें। आपटेने कहा कि मेरे पास दो पिस्तौलें हैं, किन्तु उनपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम मुझे दो रिवाल्वर लाकर दो। आपटे या करकरेने मुझे दो पिस्तौलें दीं जिनमेंसे एक मैंने अपने भाई दीक्षित महाराजको दे दी। जब पिस्तौलें मुझे दी गयीं उस समय मैं उन्हें कोई रिवाल्वर न दे सका। उसके बाद आपटे मुझे बम्बईमें मिला और उसने मुझसे रिवाल्वरोंकी माँग की, लेकिन मैं रिवाल्वर न दे सका, क्योंकि मेरे पास कोई था ही नहीं।

आपटेने मुझे उस समय कहा कि मुझे पाकिस्तानको हथियार ले जानेवाली गाड़ीको उड़ानेके लिए अग्निप्रेक्षक (आग उगलनेवाले यन्त्र) चाहिये। वह अग्निप्रेक्षक खरीदनेके लिए ५,०००) चाहता था। किन्तु मेरे पास पैसा नहीं था। आपटेने कहा कि यदि मैं उसे कार दे दूँ, तो वह हैदराबादकी सीमापर चुँगी चौकीको लूट लेगा। मैंने इस उद्देश्यके लिए अपनी स्टेशन वैगन गाड़ी दे दी।

अक्तूबर १९४७ में आपटे मुझे पूनामें मिला। उसने मुझसे कहा कि अपने उद्देश्यमें मुझे कोई बहुत सफलता नहीं मिली। इसपर मैंने उससे अपनी गाड़ी ले ली।

मैंने पाकिस्तान जानेवाली हथियारोंकी गाड़ीको उड़ानेके लिए आपटेको हथगोले और डाइनामाइट देने चाहे। यह दिन शायद ११ अक्टूबर १९४७ था। आपटेने मुझसे कहा कि गाड़ी १६ अक्टूबरको पाकिस्तान जायगी, १४ को तुमसे मिलूँगा। किन्तु उस दिन वह मेरे पास नहीं आया। दिवालीसे ६ दिन पहले आपटे मेरे घर आया, उसने पूनामें अपने 'हिन्दूराष्ट्र' प्रेसका मुझसे उद्घाटन करनेके लिए कहा। मैंने स्वीकार कर लिया। प्रसंगवश आपटेने मुझसे कहा कि वह गाड़ी समूची पाकिस्तानको नहीं गयी, किन्तु थोड़ा थोड़ा करके वे हथियार पाकिस्तान भेजे गये हैं।

नथूराम गोडसेकी ओर इशारा करते हुए गवाहने कहा कि वह भी पूना और बम्बईमें आपटेके साथ मेरे पास आया था। दोनोंमें ट्रेनको उड़ानेके सम्बन्धमें बातचीत हुई। मैं जबतक अग्निप्रेक्षकको देख न लूँ, तबतक उसपर पैसा खर्च नहीं करना चाहता था, इसलिए आपटे मुझे खड़की आदि स्थानपर ले गया।

आपटेने कहा कि मैं बडगेको बुलाऊँगा जो हमें विस्फोटक द्रव्य देगा। बुलानेपर बडगे आ पहुँचा। बडगे गनकाटनके टुकड़े तथा विस्फोटकोंसे भरे हुए कई डिब्बे ले आया। मैंने बडगेसे ४० पैकेट लेकर आपटेको दे दिये। उनकी कीमत मैंने दीक्षित महाराजके द्वारा चुकानेकी व्यवस्था की। (इसी समय पार्श्व भागसे बडगे अदालतमें लाया गया और गवाहने उसे पहचाना।)

गवाहने कहा कि १७ जनवरीको अपने छोटे भाईके साथ हवाई जहाजसे मैं अहमदाबाद गया। आपटे और गोडसे भी उसी हवाई जहाजमें बैठे थे। वे अगली सीटपर बैठे थे। उनके पीछे देखनेपर मैंने हाथ हिलाया, तब उनको मेरी उपस्थितिका ज्ञान हुआ। बदलेमें उन्होंने भी हाथ हिलाया। हम सब अहमदाबाद उतर गये।

जब हम हवाई जहाजसे उतरकर अड्डेके कार्यालयकी ओर जा रहे थे तो मैंने आपटेसे कहा, तुम डींग तो बहुत हाँकते हो, लेकिन करके तुमने कुछ भी नहीं दिखाया। आपटेने उत्तर दिया कि उचित समयपर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जायगा।

१० अगस्त

गोस्वामी श्रीकृष्ण जीवनजी महाराज उर्फ दादा महाराजकी गवाही आज भी जारी रही। उन्होंने कहा कि अहमदाबादके स्वामी नारायण मन्दिरमें प्रवेश पानेके लिए हरिजनोंने जो सत्याग्रह शुरू किया था उसका विरोध करनेके लिए मैं १७ जनवरीको वहाँ गया और १९ को बम्बई वापस आ गया। आपटे-गोडसे २६ जनवरीको मेरे घर मुझसे मिले और रिवाल्वर माँगा। मेरा उनपर विश्वास नहीं रहा इसलिए मैंने इनकार कर दिया। हरिजन आन्दोलनका विरोध करने मैं पंढरपुर भी गया था। नोआखाली काण्डमें ज्यादती

मुसलमान बनाये गये हिन्दुओंको फिर हिन्दू बनानेके लिए मैं नोआखाली भी गया था।

भोपटकरके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि स्वतन्त्रता-दिवसके पहले ९ अगस्त १९४७ को मैं श्री सावरकरकी अध्यक्षतामें दिल्लीमें हुए हिन्दू कन्वेन्शनमें शामिल होने दिल्ली आया था। मुझे यह याद नहीं कि उसमें नेहरू सरकारका समर्थन करनेवाला प्रस्ताव मंजूर हुआ था या नहीं। मैंने नेहरू सरकारका विरोध किया था, पहले भी मैंने नेहरू सरकारका समर्थन नहीं किया और आगे तबतक समर्थन नहीं करूँगा जबतक उसकी वर्तमान नीति नहीं बदलती। नेहरू सरकारकी पाकिस्तानके प्रति शमन-नीति मुझे अच्छी नहीं लगती। हिन्दू परिषदमें सावरकरने अपने भाषणमें कहा था कि हिन्दुओंको अब अपने मतभेद भूलकर किसी भी आक्रमणका सामना करनेके लिए तैयार हो जाना चाहिये और राज्यके हाथ मजबूत करने चाहिये। १९४७ में जन्माष्टमीके दिन मैं गृहमन्त्री श्री मुरारजी देसाईके घर गया था और उन्हें यह आश्वासन दिया था कि भारतीय संघमें मुसलमानोंको मार डालनेके लिए किये गये किसी भी हिंसात्मक षडयन्त्रमें मैं सहायता न दूँगा। गृहमन्त्रीको मेरे बारेमें गलतफहमी हो गयी थी, इसलिए मैं उनके घर गया था। मैंने श्री मुरारजीसे यह नहीं कहा कि मैंने आपटेको कहा था कि आप कमसे कम श्री जिना और श्री लियाकतअली खाँको मार डालिये। वे दोनों पहले ही पाकिस्तान चले गये थे। पाकिस्तान विधान परिषद या पाकिस्तान जानेवाली शस्त्रास्त्र ट्रेनको उड़ा देनेके बारेमें भी मैंने मुरारजी भाईसे कुछ नहीं कहा था। गान्धीजीकी नीति नेहरू सरकारकी नीतिसे अलग थी। गान्धीजी देशविभाजनके खिलाफ थे।

श्री डांगे द्वारा की गयी जिरहमें गवाहने कहा कि मैंने गीताका अध्ययन किया है और उसपर प्रवचन भी करता हूँ। 'स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः' गीतामें कहा है। इसमें स्व, पर, और धर्म इन तीनों शब्दोंकी व्याख्या करना जरूरी हो जाता है। धर्मका अर्थ उपासना और कर्तव्य भी होता है। अहिंसाका मतलब होता है काया, वाचा या मनसे भी किसीको कष्ट न पहुँचाना। सत्याग्रहका थोड़ेमें अर्थ 'निष्क्रिय प्रतिकार' हो सकता है। मेरी राय है कि हरिजनोंको मन्दिरोंमें प्रवेश नहीं करना चाहिये। पंढरपुरके

मन्दिरके लिए साने गुरुजीने अनशन किया और श्री विश्वासराव डावरेने उनपर फौजदारी मुकदमा चलाया इसे भी मैं जानता हूँ।

श्री बनर्जीके इस प्रश्नपर कि मन्दिरोंमें कुरानकी आयतें पढ़नेसे हिन्दुओंको क्रोध आ सकता है या नहीं, गवाहने कहा कि मेरे भाई ही खुद कुरानकी आयतोंका पाठ करते हैं।

श्री इनामदारके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि मैं १९४६ में दिवालीके बाद नोआखाली गया था और मैंने धर्मभ्रष्ट ४ हजार आदमियोंको हिंदू धर्ममें फिर शुद्ध कर लिया था। सुहरावर्दी सरकारके खिलाफ बहुतसे लोग शिकायत करते थे और हिन्दुओंपर बहुत अत्याचार हो रहा था और आतंक छाया था।

श्री दफ्तरीने फिर गवाहसे प्रश्न पूछे। उसने कहा कि बम्बईमें जब शिनाख्तकी काररवाई हुई तो मैंने समझा था कि जिनके नाम मैं जानता हूँ उन्हें पहचानना है। करकरेको नामसे मैं नहीं जानता था इसलिए उसकी शिनाख्त मैंने नहीं की।

७० वाँ गवाह

इसके बाद ओरिएंटल गवर्नमेण्ट सेक्युरीटी बीमा कम्पनीके एक्चुअरी श्रीधर नारायण वैद्यका बयान हुआ। उन्होंने कहा कि नथूराम गोडसेने ३ और २ इस प्रकार ५ हजारके दो बीमे कराये थे। १४ जनवरी १९४८ को पहले बीमेका श्रीमती सिंधु गोपाल गोडसेके नामपर और १३ जनवरीको दूसरे बीमेका श्रीमती चंपू नारायण आपटेके नामपर नथूरामने उत्तराधिकार कर दिया। बीमे-की दोनों पालिसियाँ कम्पनीके प्रधान कार्यालयमें हैं।

११-१२ अगस्त

अभियुक्त शंकर किस्तय्याके बीमार हो जानेके कारण ११ और १२ अगस्त-को मुकदमेकी सुनवाई स्थगित थी। मद्रास हाइकोर्टके एडवोकेट एन. पंच-नाथन्ने ११ को अपना वकालतनामा पेश किया।

१२ अगस्त

आज एअर इण्डिया इंटरनेशनल सर्विसके यात्रियोंके लिए हवाई पासमें

चाय पान आदिकी व्यवस्था करनेवाली नौकरानी कुमारी लोर्ना बेनब्रिजका बयान लिया गया। कु० बेनब्रिजने बताया कि बम्बईके सांताक्रूज हवाई अड्डेसे दिल्लीको जो एअर इंडिया हवाई जहाज सीधा आया था उसमें नथूराम गोडसे तथा आप्टे भी यात्री थे। उसने इन दोनों व्यक्तियोंको अदालतमें पहचान लिया।

गवाहने कहा—मैं एअर इंडिया हवाई जहाजोंमें पिछले २६ महीनोंसे नौकरी करती आ रही हूँ।

२७ जनवरीको मैं उस हवाई जहाजपर काम करती थी जो बम्बईके सांताक्रूज हवाई अड्डेसे सवेरे ९ बजे उड़ा था। यह जहाज मार्गमें बिना रुके सीधा दिल्ली आता था। जब हवाई जहाज अड्डेसे चल पड़ता था तो मैं यात्रियोंसे टिकट एकत्र करती थी और उनके नाम यात्री-तालिकामें दर्ज कर देती थी।

२७ जनवरीको जिन यात्रियोंने यात्रा की उनमें वी० राव तथा एन० राव नामक दो यात्री भी थे।

जब जहाज अड्डेसे उड़ता है तो उससे पहले यात्रियोंके सामानकी सूची भी मुझे दे दी जाती है। उस दिनकी सूचीमें यात्री सामानके सम्बन्धमें वी० नारायणराव तथा एन० विनायक रावके नाम भी दर्ज हैं। सूचीके अनुसार दोनों यात्री साथ साथ यात्रा कर रहे थे। अतः उन दोनोंने अपना सामान इकट्ठा करवा दिया था।

जब पुलिसने मुझसे पूछा कि क्या 'राव' नामक दो यात्रियोंका नाम मुझे याद है जिन्होंने २७ जनवरीको एअर इंडिया हवाई जहाजसे यात्रा की थी, तो मैंने कहा कि मुझे याद है। मुझे यह भी याद है कि इनमेंसे एक यात्री मेरे पास कई बार आया और काफी तथा मिठाइयोंके लिए आदेश दिया। उसने साधारणसे अधिक बार काफी और मिठाइयोंकी माँग की। जो व्यक्ति काफी माँगने आता था वह आप्टे था।

श्री ओककी जिरहपर गवाहने बताया कि वह यात्री-सूची, सामान-सूची तथा हवाई जहाजकी सूची बादमें प्रधान कार्यालयमें दाखिल कर दी गयी थी। जब मैंने इन व्यक्तियोंकी शिनाख्त परेडमें पहचान की तो वे सूचियाँ मेरे पास न थीं।

षड्यंत्रकी बात पहलेसे मालूम थी

सबूत पक्षके गवाह अंगदसिंहकी गवाहीके सम्बन्धमें बचाव पक्षके प्रधान वकील श्री भोपटकरके उज्रको सुननेके बाद अदालतने सबूतके प्रधान वकीलके तर्कको स्वीकार करते हुए इस गवाहका बयान भारतीय गवाही कानून, १८७२ की १५७ धाराके अंतर्गत लिखे जानेका निर्णय किया। अतः अंगदसिंह अदालतमें बुलाया गया और आज उसका बयान लिया गया। अंगदसिंह बम्बई-का एक दलाल है।

गवाह अंगदसिंहने कहा—मेरा कार्यालय फोर्ट, बम्बईमें है। मैं प्रो० जे० सी० जैनको पिछले दो वर्षोंसे जानता हूँ। मैं प्रो० जैनसे सप्ताहमें दो तीन बार मिला करता था। मैं मदनलालको जानता हूँ। (गवाहने मदनलाल-को अदालतमें पहचान लिया।) गवाहने बताया कि मैं पहले पहल २६ अक्तूबर १९४७ को प्रो० जैनसे उनके घर मिला था। उस दिन शिवाजी पार्कमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघका प्रदर्शन था। इस अवसरपर प्रो० जैनने मदनलालका परिचय मुझे कराया था और मुझसे कहा था कि इस व्यक्तिके लिए कहीं रोजगार तलाश कर दीजिये। यद्यपि मदनलाल उस समय चपरासीका काम करनेको तैयार था लेकिन मैंने उससे कहा कि आप कुछ पढ़े-लिखे आदमी हैं, अतः आप किसी व्यापारकी ओर ध्यान दें। मदनलालको मेरा यह सुझाव पसन्द नहीं आया।

जब मैं बादमें १० जनवरी अथवा ११ जनवरी १९४८ को प्रो० जैनके पास लगभग सायं ७ बजे उनके मकानपर गया तब मदनलाल वहाँ न था। बादमें वह वहाँ आ धमका। उसने तब अहमदनगरकी अपनी हल-चलोंका वर्णन सुनाया। उसने कहा कि अहमदनगरमें एक पार्टी बनायी गयी है जिसकी आर्थिक सहायता सेठ करकरे करता है। मदनलालने बड़े रोचक ढंगसे उस घटनाका वर्णन किया जब कि रावसाहब पटवर्धनने एक सभामें भाषण किया था। मदनलालने भाषण करते समय पटवर्धनकी हँसली पकड़ ली थी और उनकी छातीपर चाकू तानकर उनसे ललकार कर कहा था कि अब आप फिर कहें कि हिन्दू और मुस्लिमोंको भाई-भाईकी तरह रहना चाहिये। इसके बाद मदनलालने अपनी जेबसे अखबार निकाले और उन्हें प्रो० जैनके हवाले किया और कहा कि इन अखबारोंने उसकी कितनी प्रशंसा की है।

दो दिन बाद मैं प्रो० जैनसे जब मिला तब वह मुझे बड़े चिंतित दिखायी दिये। उन्होंने मुझे बताया कि मदनलालने उनसे कहा है कि उसकी पार्टीने महात्मा गान्धीकी हत्याका षड़यन्त्र किया है और उसके सिलसिलेमें हथियार और गोला-बारूद एकत्र किया जा रहा है तथा बैरिस्टर सावरकरका इस षड़यन्त्रके पीछे हाथ है। मैंने प्रो० जैनसे कहा कि वल्लाह! आप भी एक शरणार्थी (मदनलाल) की गप्पबाजीका ख्याल करते हैं। फिर भी मैं उनके इस सुझाव-को मान गया कि इस खबरकी सूचना अधिकारियोंको दे देनी चाहिये।

२१ जनवरी १९४८ को मैं प्रो० जैनसे फिर मिला। इससे पहले मैं अखबारमें यह पढ़ चुका था कि दिल्लीमें बिड़लाभवनकी प्रार्थना-सभामें महात्मा गान्धीकी हत्याके प्रयत्नमें एक बम फटा और इस सिलसिलेमें मदनलाल पकड़ लिया गया। प्रो० जैन और मैंने आशंका की कि कहीं महात्मा गान्धीकी हत्या-का षड़यंत्र सच्चा साबित न हो। अतः हम लोगोंने अधिकारियोंको उसकी सूचना देनेका निर्णय किया। प्रो० जैनने बम्बईके प्रधान मन्त्री श्री बा० गं० खेरसे सम्पर्क स्थापित किया और उनसे मिलनेके लिए सायं ४ बजेका समय ले लिया। लेकिन मुलाकातके लिए मैं न जा सका।

सावरकरके वकील श्री भोपटकरकी जिरहमें गवाह अंगदसिंहने बताया कि मैं अब समाजवादी हो गया हूँ। बम फटनेके तीन दिन बाद मैंने समाजवादी नेता श्री अशोक मेहता और श्री हरीशको बताया कि महात्मा गान्धीकी हत्याके लिए एक षड़यन्त्र रचा गया है। मेरा बयान पुलिसने गत फरवरीके अंतिम सप्ताहमें लिखा है।

गवाहने बताया कि मुझे यह याद नहीं कि मैंने पुलिसको यह भी कहा था कि मैंने सरदार पटेल तथा एस. के. पाटिलसे भी मिलनेकी कोशिश की थी। मुझे ख्याल है कि मैंने पुलिससे यह कहा था कि सेठ करकरे उस पार्टीको आर्थिक सहायता दे रहा है। सेठ करकरेने अहमदनगरमें उन फलोंकी दूकानों-पर अधिकार कर लिया था जिन्हें मुसलमान छोड़कर चले गये थे।

गवाहने फिर बताया कि मैं सावरकरको नहीं जानता। मैंने पुलिसको यह बता दिया था कि प्रो० जैनसे मदनलालने कहा था कि वह (मदनलाल) सावरकरके घर आ-जा चुका है और सावरकरने उसकी बहादुरीके लिए उसकी पीठ ठोंककर शाबाशी भी दी है।

ओककी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैं कांग्रेस महासमितिके बम्बई अधिवेशनमें उपस्थित न था जब कि भारत-विभाजनका प्रस्ताव स्वीकृतिके लिए उसके सामने रखा गया था।

श्री डांगेकी जिरहमें गवाहने कहा कि मेरा प्रो० जैनसे पहला सम्पर्क १९४५ या १९४६ में हुआ था। प्रो० जैनको मेरे वोटकी आवश्यकता थी, क्योंकि वे बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस समितिके चुनावमें उम्मेदवार बनकर खड़े थे। प्रो० जैन उस चुनावमें असफल रहे।

१६ अगस्त

आज श्री डांगेने अंगदसिंहसे जिरह जारी रखी।

गवाहने कहा कि मदनलाल जब अहमदनगरके कारनामोंका बखान कर रहा था मैंने सोचा कि वह शेखी मार रहा है। मैंने 'भारत छोड़ो' आन्दोलनमें कोई हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि मैं एक आपरेशनके कारण १॥ वर्ष तक बीमार रहा।

मदनलालके वकील श्री बनर्जीके एक सवालके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैं २१ जनवरी, १९४८ को दिल्ली आया था।

गवाहने कहा कि मुझे याद नहीं कि मदनलालने प्रोफेसर जैनसे यह कहा हो कि स्वयंसेवक दलने ही अहमदनगरसे मुसलमानोंको भगाया है। पुलिसको अपना बयान देते हुए मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवकके 'संघट्ट' की तारीख अवश्य बतायी थी।

इससे पूर्व अदालतने 'दिल्ली डायरी' को, जिसमें गान्धीजीके प्रार्थना-भाषण थे, रेकार्डमें अंकित करनेसे इन्कार कर दिया।

एक अन्य प्रश्नका उत्तर देते हुए अंगदसिंहने कहा कि मेरी उपस्थितिमें मदनलालने प्रोफेसर जगदीशचन्द्र जैनको यह नहीं बताया था कि अहमदनगरकी एक सभामें रावसाहब पटवर्धन कश्मीरके प्रधान मन्त्री शेख अब्दुल्लाकी तारीफ कर रहे थे।

इसके बाद गोपाल गोडसे और परचुरेके वकील श्री इनामदारने गवाहसे जिरह की। गवाहने बताया कि प्रोफेसर जैन और मुझमें इसलिए मैत्री हो गयी कि हम दोनों साहित्यमें दिलचस्पी लेते थे और दोनों पुस्तकालयके थे। यह सच

सच नहीं है कि जब प्रो० जैन कुछ चिन्तित दिखायी दिये थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपका बच्चा तो बीमार नहीं है।

अगला गवाह इम्पीरियल बैंक आफ इण्डियाकी बम्बई शाखाके पेन्शनर गणपतराव भीमराव अफजलपुरकर था। गवाहने कहा कि महासभाके लिए चन्दा जमा करनेवालेके तौरपर पूनाके बडगेको मैं गत ५ वर्षोंसे जानता हूँ।

बडगेको अदालतमें पेश किया गया और गवाहने उसे पहचान लिया।

गवाहने कहा कि बडगेको अन्तिम बार जनवरीके मध्य दो आदमियोंके साथ देखा था। बडगेने मुझे उन दोनों व्यक्तियोंका परिचय कराते हुए कहा था कि ये हिन्दू महासभाके सदस्य हैं और हैदराबादमें सत्याग्रह करने वहाँ जा रहे हैं। तब उन सबने आपसमें हैदराबादकी स्थितिपर विचार किया।

गवाहने अभियुक्तोंमेंसे नथूराम गोडसे और आपटेको पहचाना, जो उस दिन बडगेके साथ थे। बडगे द्वारा परिचय कराये जानेसे पूर्व मैं यह नहीं जानता था कि उनमेंसे एक तो 'अग्रणी' का सम्पादक है और दूसरा व्यवस्थापक।

मैंने बडगेको १००) दिये, क्योंकि वह हैदराबाद संघर्षके लिए पैसे माँग रहा था। वे तीनों मेरे साथ १५ मिनटतक रहे। बडगे एक बार मेरे पास इस्पातका जाकेट (कवच) बेचने आया। वे दिन हिन्दू और मुसलमानोंके दंगोंके थे और मालूम नहीं था कौन, कब, किसकी कोखमें छुरा भोंक जाय। इसलिए मैंने अपने पुत्रके लिए बडगेसे एक इस्पाती जाकेट खरीद लिया। बडगेको मैंने उसके ५०) दिये।

गोडसेके वकील श्री ओकके एक प्रश्नका उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि बम्बईकी शिनाख्त परेडमें मैंने बडगेको पहचाना था पर मुझे यह मालूम नहीं था कि आपटे कौन है, और गोडसे कौन है? लेकिन मैंने बताया कि ये दोनों व्यक्ति बडगेके साथ पहली मुलाकातके समय मौजूद थे। अदालतमें आज गवाहने आपटे और गोडसेको पहचानते हुए कहा कि अब मैं कह सकता हूँ कि आपटे कौन है और गोडसे कौन है, क्योंकि अखबारोंमें उनके फोटो और नाम छप चुके हैं और मैंने उन्हें देखा है।

इसके बाद आपटेके वकील श्री मेंगलेने जिरह शुरू की। जिरहके जवाबमें गवाहने कहा कि मैंने लोहेका जाकेट ५०) में २ मास पहले खरीदा था,

जब कि बडगे गोडसे और आपटेके साथ मुझसे मिलनेके लिए आया था। जब मैंने बडगेको १००) दिये थे तो वे दोनों आपसमें यह चर्चा कर रहे थे कि ये दाम कम हैं।

इसके बाद श्री भोपटकरने जिरह शुरू की। एक प्रश्नके उत्तरमें गवाहने बताया कि १०० रु० मैंने बडगेको वैयक्तिक तौरपर नहीं दिये थे।

इसके बाद अदालतने चरनदास मेघजी मथुरादासकी जो बम्बई यूनियन डाइंग मिल्सके हिस्सेदार हैं, गवाही ली। गवाहने बयान देते हुए कहा कि मैं बडगेको १९४७ के शुरूसे जानता हूँ, जब कि वह मेरे पास इस्पातके जाकेट बनानेकी योजना लेकर आया था और मुझे उसमें आर्थिक सहायता देनेके लिए कहा था। मैंने बडगेको ४००) दिया। २ मासके पश्चात् बडगेने एक इस्पाती जाकेट मुझे दिया था।

जनवरी १९४८ के मध्यमें बडगे गोडसे और आपटेके साथ मेरे पास आया और उनका परिचय कराते हुए कहा कि ये दोनों व्यक्ति 'हिन्दू राष्ट्र' का संचालन करते हैं। (गवाहने बडगे, आपटे और गोडसेको अदालतमें पहचाना।)

गवाहने कहा कि वे मुझसे अग्नि-प्रेक्षक हथियार और गोला बारूदके लिए ५,००० रु० माँगते थे और उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ दिनों बाद मुझे यह भी मालूम हो जायगा कि इस रकमकी मददसे क्या गुल खिलता है।

मैंने उन्हें बताया कि मैं कोई आर्थिक सहायता नहीं कर सकता, लेकिन अपने मित्रोंसे पूछकर यदि कुछ सम्भव हुआ तो करूँगा। आपटे द्वारा बाधित किये जानेपर मैंने उन्हें १०००) दिया। यह बातचीत मकानके बाहर हुई थी, किन्तु रुपया मकानके अन्दर दिया गया था, जिसे लेकर आपटे चला गया। इसके बाद आपटे १९ फरवरीको पुलिसके साथ मेरे पास आया।

श्री ओकके प्रश्नके उत्तरमें कहा कि बम्बईमें मजिस्ट्रेटके सामने मैं गोडसेको पहचान नहीं सका। आपटेके वकीलकी जिरहमें गवाहने कहा कि मैं कांग्रेसी हूँ, और मुझे पता नहीं था कि हिन्द सरकारने गान्धीजीके अनशनके कारण ५५ करोड रुपया पाकिस्तानको देना मंजूर कर लिया था।

मैं बडगेके साथ सदा मराठी भाषामें बात करता रहा हूँ। मैंने अपने निजी हिसाबसे आपटेको १०००) दिया था, लेकिन यह कहीं भी दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि मैं अपने निजी खर्चेका कोई हिसाब-किताब नहीं रखता।

यह बात सच नहीं है कि मैंने १९ फरवरी १९४८ को यह बताया था कि मैंने कोई रुपया आपटेको नहीं दिया। जाँचके सिलसिलेमें पुलिस मेरी फैक्टरीका बहीखाता अपने साथ ले गयी थी।

डांगेके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि जब मुझे बडगेने इस्पाती जाकेट दिया था, तो मैंने उसके मूल्यके विषयमें बडगेसे कुछ नहीं पूछा था।

शिनाख्त परेडमें मैंने गोडसेके बजाय करकरेकी नथूराम गोडसेके रूपमें शिनाख्त की थी।

मैंने 'हिन्दू राष्ट्र' की नीतिके सम्बन्धमें गोडसे और आपटेसे कुछ नहीं पूछा था, जब गोडसे और आपटेका परिचय बडगेने मुझसे कराया था।

१७ अगस्त

अभियुक्त शंकर और मुखबिर बडगेकी बीमारीके कारण आज मुकद्दमेकी सुनवाई न हो सकी। अब सुनवाई २० अगस्तको होगी।

२० अगस्त

बाम्बे यूनियन डाइंग मिल्सके हिस्सेदार श्री चरनदास मेघजी मथुरादाससे श्री डांगे वकीलने जिरह शुरू की। गवाहने कहा कि मैं राजनीतिमें दिलचस्पी नहीं लेता। रजाकारोंके अत्याचार रोकनेके लिए मैंने १०००) दान दिया था। गान्धी-स्मारक निधिमें भी कुछ रकम देना चाहता हूँ पर अभी दी नहीं है।

श्री भोपटकरके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि आपटे हैदराबाद स्टेट कांग्रेसका सदस्य है या नहीं, यह प्रश्न मैंने उससे नहीं पूछा था। उसने मुझे हथगोले और आग उगलनेवाला यन्त्र भी नहीं दिखाया था।

इसके बाद खड़की (पूना) के मोटर ट्रांसपोर्ट स्टोर सब-डीपोके सिविल असिस्टेण्ट सेक्युरिटी अफसर श्री लेस्ली पर्सीवल पाण्डेकी गवाही हुई। उन्होंने कहा कि मैं अभियुक्त गोपाल गोडसेको जानता हूँ। २८ अक्तूबर १९४० को उसने इण्डियन आर्मी आर्डनेन्स कोरमें अस्थायी स्टोरमैनकी नौकरी शुरू

की। जनवरी १९४८ में वह अस्थायी सिविलियन असिस्टेण्ट स्टोर कीपर हुआ। १५ जनवरीको उसने ८ दिनकी छुट्टी माँगी, पर वह मंजूर नहीं हुई। इसपर उसने १७ जनवरीसे २३ जनवरी तक छुट्टी माँगी। कैप्टन हाण्डूने छुट्टी मंजूर की। २४ को छुट्टी थी और २५ को रविवार था। वह २६ को फिर कामपर आया।

श्री इनामदारके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि गोपाल गोडसेने २ से ४ फरवरीतक पुलिसके पहरेमें काम किया। २२ फरवरीको वह बर्खास्त कर दिया गया।

नथूरामको हत्यास्थलपर पकड़नेवाले मालीकी गवाही

इसके बाद बिड़ला-भवनके माली रघुनाथ नाइककी गवाही हुई। उसने कहा कि हत्याके दिन मैं प्रार्थना-स्थानपर उपस्थित था। सीढ़ी चढ़कर गान्धीजी ५-७ कदम गये होंगे इतनेमें एक आदमी उनके सामने आया। गान्धीजीके साथ उस समय आभा गान्धी, मनुबेन, नन्दलाल मेहता और गुरुबख्श सिंह थे। मैं गान्धीजीसे १०-५ कदम दूर था। मैंने पिस्तौलकी गोलियोंकी तीन आवाजें सुनीं और उधर दौड़ गया। मेरे हाथमें खुरपा था जिससे मैंने आक्रमणकारीके सिरपर प्रहार किया और उसे पीछेसे पकड़ रखा। पुलिसने उसके हाथसे पिस्तौल छीन ली। इसके बाद पुलिस और एक सैनिकने उसे पकड़ रखा।

नथूरामको पहचान कर गवाहने कहा कि इसीने गान्धीजीपर आक्रमण किया था। नथूरामके कहनेपर मालीसे जिरह नहीं की गयी।

दीक्षित महाराजकी गवाही

इसके बाद बम्बईके माता मन्दिरमें रहनेवाले बम्बई पुष्टिमार्गीय वैष्णव सम्प्रदायके आदिगुरु और गोस्वामी कृष्णजी महाराजके भाई गोस्वामी दीक्षित महाराजकी गवाही हुई। गवाहने कहा कि १९३९ से मैं सार्वजनिक कार्य कर रहा हूँ। १९४२ से राजनीतिमें भी भाग लेता हूँ। १९४६ के आखिरमें मैंने बडगेसे ३५०) के खंजर आदि लेकर बम्बई प्रान्तमें मुस्लिम रियासतोंके पासके गाँववालोंको आत्मरक्षाके लिए बाँटे थे। १९४७ के आखिर तक बडगे ३-४ बार मेरे यहाँ आया। कभी खंजरको भी वह साथ ले जाता रहा। मेरे भाईने

१९४७ के अगस्त-सितम्बरमें आपटेसे मेरा परिचय कर दिया। १९४७ के अगस्तसे दिसम्बर तक आपटे मुझसे २-३ बार मिला। हम हैदराबादके प्रश्न-पर उससे बातचीत करते थे।

मदनलालको पहचान कर गवाहने कहा कि जैन प्रोफेसरकी किताबें बेचनेके लिए यह मेरे यहाँ आया था। मदनलालने मुझसे कहा था कि वह पंजाबी शरणार्थी है। मैंने उससे ५) की किताबें लीं। १९४८ की १५ जनवरीको बडगे-आपटे और दो आदमियोंको ले आये। इनमेंसे एक मदनलाल था। दूसरेको मैं पहचानता नहीं था, पर बडगे उसे 'करकरे' के नामसे पुकारता था। १५ जनवरीको आपटे, बडगे, मदनलाल, गोडसे और करकरे मेरे यहाँ आये और बडगेने कहा कि शंकरने नौकर नारायणको एक थैला दिया है उसे मँगा-इये। इतनेमें नारायण कमरेमें आया तो मैंने थैलेके बारेमें उससे पूछा। उसके यह कहनेपर कि थैला उसने रखा है, मैंने थैला ला देनेको कहा और खुद स्नान करने स्नान-गृहमें चला गया। आधा घण्टेके बाद लौटा तो बडगे थैलेमें रखी चीजें देख रहा था। थैलेमेंसे निकाली गयी चीजोंमें मैंने दो हथगोले और दो सफेद पदार्थ देखे। बडगे बता रहा था कि हथगोलोंका उपयोग कैसे किया जाता है। एक जगह मैंने उसकी गल्ती सुधारी और बताया कि किस तरह हथगोला फेंका जाता है। इसके बाद बडगेने सब चीजें थैलेमें भर लीं और वे सब लोग हमारे यहाँसे चलने लगे। आपटे और बडगे मेरे कमरेमें रह गये। तब मैंने उन दोनोंसे पूछा कि क्यों ये चीजें दिखायी और क्यों आप लोग मुझसे मिलने आये हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी महत्त्वके कार्यपर निकले हैं और आप हमें रिवाल्वर और पिस्तौल दें। मैंने कहा कि किस कामपर आप चले हैं यह बताइये तो मैं आपकी माँगपर विचार करूँगा। पर उन्होंने उस समय काम बतानेसे इन्कार कर दिया और जाने लगे। मैंने बडगेको ठहरनेको कहा तो उसने कहा थोड़ी देरमें आता हूँ।

२० मिनटके बाद वह आया। मैंने उससे कहा कि आप लोगोंने जो निश्चय किया उसे मुझे बताना ही पड़ेगा। पर उसने इसका जवाब न देकर मदनलाल और करकरेके बारेमें कहना शुरू किया। अंतमें उसने कहा कि शाम-को आकर सब बातें बताऊँगा।

१५ जनवरीके बाद जनवरीके आखिरी हफ्तेमें आपटे एक दिन मिला

था। मैंने उससे पूछा कि आप लोगोंके कश्मीर जानेकी बात मालूम हुई थी, तो आप इतनी जल्दी लौट कैसे आये? आपटेने कहा कि हमने लगभग ३०-४० हजारके शस्त्रास्त्र, गोला-बारूद खरीदा है और आधेसे अधिक दिल्लीके भी आगे भेज चुके हैं। बाकी भेजनेके लिए हम लौट आये हैं। इसके बाद उसने कहा कि दिल्लीके भी आगे बिना रिवाल्वरके जाना खतर-नाक है, इसलिए एक रिवाल्वर दीजिये। दादा महाराजने रिवाल्वर देना स्वीकार किया है यह भी उसने कहा। इसके बाद गोडसेके पाससे एक रिवाल्वर लेकर आपटेने दिखाया और कहा कि यह ३००) में लिया है और इसीके साथ जोड़ीका एक और रिवाल्वर चाहिये।

२१ अगस्त

दीक्षित महाराजका बयान आज फिर आगे लिखा गया।

गवाहने कहा—जनवरी १९४८ के अंतिम सप्ताहमें मैंने माता मन्दिरमें जेसलमेरकी सभामें भाग लिया जो उसी दिन शामको आमन्त्रित की गयी थी। मैं बीमार होनेके कारण वहाँ एक आराम कुर्सीमें लिटाकर ले जाया गया था। उस समय गोडसे (नथूराम) मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा कि क्या मैंने हथियारोंका प्रबन्ध कर लिया है? इसके उत्तरमें मैंने 'न' कर दिया। जनवरी १९४८ में मेरे पास एक पिस्तौलका लाइसेन्स था। महात्मा गान्धीकी हत्याके सात दिन बाद, दादा महाराज बनारससे लौटे। मैंने उनसे पूछा कि महात्मा गान्धीकी हत्याके सिलसिलेमें गिरफ्तार किया गया यह गोडसे कौन है? दादा महाराजने इसपर मुझे बताया कि यह गोडसे वही व्यक्ति है जो जेसलमेर-सभामें मुझसे मिला था। जून-अक्तूबर १९४७ की अवधिमें, मैंने बडगेसे ५-७ हजार रुपयेके हथियार खरीदे थे। मैंने बडगेको दादा महाराजके हिसाबमें १२८० रुपये और भी अदा किये थे।

श्री भोपटकरकी जिरहके उत्तरमें गवाहने बताया कि जो हथियार मैंने बडगेसे खरीदे थे वे मुफ्त बाँटे गये थे। मैंने दादा महाराजसे नहीं पूछा कि उन्होंने उन हथियारों और गोला-बारूदका क्या किया था जो उन्होंने खरीदे थे। मैं समाजवादका समर्थक हूँ और मेरा विचार राजनीतिक क्षेत्रमें मेरे भाई दादा महाराजसे भिन्न है।

तबले और डुग्गेके अन्दर खंजर

मैं समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायणसे तीन या चार बार मिल चुका हूँ। मैंने 'भारत छोड़ो' आन्दोलनमें कोई सक्रिय भाग नहीं लिया। अगस्त-आन्दोलनके समय समाजवादी नेता श्री अच्युत पटवर्धन माता मन्दिरमें तीन दिन ठहरे थे जहाँ मैं स्वयं रहता था।

दिल्लीमें महात्मा गान्धीकी प्रार्थना-सभामें बम विस्फोट होनेके पश्चात् मैंने अखबारोंमें पढ़ा कि मदनलाल नामक एक व्यक्ति इस सम्बन्धमें गिरफ्तार किया गया है। पर उस समय तक मैं यह नहीं जानता था कि मदनलाल वस्तुतः कौन है। जिस दिन "जेसलमेरकी सभा" हुई थी, उस दिन प्रातः आपटे तथा गोडसेने मुझसे बम-विस्फोटके बारेमें बातचीत नहीं की थी।

श्री डांगेके जिरह करनेपर गवाहने बताया कि मैंने बडगेसे ३५० रु० के खंजर खरीदे थे। बडगे तबले तथा डुग्गेके अन्दर छिपाकर खंजर मेरे पास लाया करता था।

मेरी वैयक्तिक आर्थिक आमदनी २००० से ४००० रु० तक थी। मैं आमदनी तथा खर्चका कोई हिसाब-किताब नहीं रखता था। यह रुपया दूसरे लोग प्रेमपूर्वक मुझे भेंटमें दे जाया करते थे।

१९ अप्रैल १९४७ के बादसे मेरे पास एक पिस्तौलका लाइसेंस है। उस समय कांग्रेस मन्त्रिमण्डल प्रान्तमें बन चुका था। मुझे यह याद नहीं कि उस समय श्री मुरारजी देसाई गृहमन्त्री थे। १९४२ में बम्बईकी खुफिया पुलिस मेरी निगरानी रखती थी। मैं यह नहीं कह सकता कि खुफिया पुलिसने मुझपर कबतक निगरानी रखी। मेरे भाईके पास भी पिस्तौलके लाइसेंस थे। जिस छोटीसी आलमारीमें मैं अपनी पिस्तौल रखता था, उसको मैं ताला नहीं लगाता था, क्योंकि जब भी कभी मैं बाहर जाता तो कमरेमें ताला लगाया जाता था। जब मैंने बडगेसे हथियार तथा गोला-बारूद खरीदा तो मुझे यह बात भली प्रकार मालूम थी कि उसके पास शस्त्रास्त्र बेचनेका लाइसेंस नहीं है।

मैं हिन्दू महासभाकी नीतिसे कुछ मामलोंमें असहमत हूँ, पर हिन्दुओं तथा हिन्दुओंके अधिकारोंकी रक्षाकी उसकी नीतिसे अब भी सहमत हूँ।

नथूरामने स्वयं जिरह की

श्री डांगेकी जिरहके बाद स्वयं नथूराम गोडसेने अदालतकी अनुमति पाकर गवाहसे प्रश्न किये। गोडसेके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने बताया कि समाजवादी नेताओंसे मेरा घनिष्ठ सम्पर्क रहा है। मैं यह जानता हूँ कि समाजवादी नेताओंका उद्देश्य हिन्दुओंको शक्तिसम्पन्न बनाना नहीं था, पर हैदराबादमें उनके कार्यकलापोंको देखकर मैं यह समझता कि वे यह सब कुछ हिन्दुओंको शक्तिशाली बनानेके लिए कर रहे हैं।

गवाहने आगे बताया कि मैंने समाजवादी नेताओंसे भारत-विभाजनके बारेमें कभी भी बहस करके उनका दृष्टिकोण जाननेका प्रयत्न नहीं किया। भारत-विभाजनकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी। मुझे यह ज्ञात नहीं कि विभाजनके प्रश्नपर अ० भा० कांग्रेस महासमितिके अधिवेशनमें समाजवादी दल तटस्थ रहा या नहीं।

गवाहने यह भी बताया कि दादा महाराजने 'जैसलमेरकी सभा' का सभापतित्व किया था। यह बात सच है कि पाकिस्तानी हमलावरोंने जैसलमेर राज्यपर हमला किया था और यह सभा हमलेका विरोध करनेके लिए माता-मन्दिर बम्बईमें हुई थी।

मुझे यह याद नहीं कि इस सभामें किसी वक्ताने इस आशयका भाषण किया था कि नहीं कि जहाँ एक ओर पाकिस्तान जैसलमेर तथा हिन्दुओंपर आक्रमण कर रहा है वहाँ दूसरी ओर हमारी सरकार महात्मा गान्धीके अनशनके दबावमें आकर पाकिस्तानको ५५ करोड़ रुपये दे रही है। अतः हमारी सरकारका यह काम हमारे प्रति विश्वासघात है। इस सभामें बहुतसे वक्ताओंने भाषण किये थे। हो सकता है कि कुछ वक्ताओंने ऐसा भी कहा हो।

गवाहने आगे बताया कि यह बात सच है कि इस सभामें केन्द्रीय सरकारकी पाकिस्तानी पोषक नीतिकी कड़ी आलोचना की गयी थी। मेरे भाईने जो इस सभाके सभापति थे, कोई आपत्ति नहीं उठायी थी।

पत्रूत पक्षके प्रमुख वकील श्री दफ्तरीने अदालतका ध्यान इस अनौचित्यकी ओर आकृष्ट कराया कि एक अभियुक्त और उसके वकील दोनोंको एक ही गवाहसे जिरह करनेकी अनुमति क्यों दी गयी।

नथूराम तथा करकरेके वकीलने इस आपत्तिका विरोध करते हुए कहा कि वकीलकी जिरहके बाद भी अभियुक्तको गवाहसे जिरह करनेकी अनुमति देनेका अधिकार अदालतको होता है। जब अदालत दो अभियुक्तों शंकर किस्तय्या तथा नथूराम गोडसेको जिरह करनेकी अनुमति दे चुकी तो अब सबूत पक्षके प्रधान वकीलने क्यों आपत्ति उठायी।

इसके उत्तरमें श्री दफ्तरीने कहा कि वकीलके जिरह कर चुकनेपर भी शंकर किस्तय्याको जिरह करनेकी अनुमति इसलिए दे दी गयी थी कि उसने यह शिकायत की थी कि मेरे वकीलने गवाहसे वे प्रश्न नहीं पूछे जिन्हें कि मैं पुछवाना चाहता था। फिर यदि मैंने प्रथम अवसरपर अभियुक्तोंको जिरह करनेकी अनुमति दी जानेपर आपत्ति नहीं उठायी तो इसका यह अर्थ नहीं कि मैं आगे भी आपत्ति नहीं उठा सकता। मैं यह जानता हूँ कि वकीलके जिरह कर चुकनेपर भी गवाहसे अभियुक्तको जिरह करनेकी अनुमति देना अदालतके अधिकारकी बात है, पर मेरी आपत्तिका उद्देश्य यह है कि अदालत इन अधिकारोंका समुचित प्रयोग करे।

२३ अगस्त

"मैं राष्ट्र-पितातक शरणार्थियोंकी पुकार पहुँचाना चाहता था"

आज अभियुक्त मदनलालने अपने वकील श्री बनर्जी द्वारा एक आवेदनपत्र पेश किया।

आवेदनपत्रमें कहा गया है कि २१ अगस्तको गवाह दीक्षितजी महाराजकी जिरहमें मेरे हिन्दू महासभासे सम्बन्धित होनेके विषयमें कुछ पर्यालोचन हुआ था। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि न तो मैं हिन्दू महासभाका सदस्य हूँ और न कभी रहा हूँ। मैं प्रत्येक घटनापर या वस्तुपर एक शरणार्थी होनेके नाते विचार करता था, किसी राजनीतिक दलके सदस्यके रूपमें नहीं।

गान्धीजी द्वारा पाकिस्तानको ५५ करोड़ रुपया देनेके लिए भारत सरकारको वाध्य करनेके कारण मेरी आत्माको बहुत आघात लगा। ऐसा मालूम होता था कि दिल्लीके मुसलमानोंकी गुनगुनाहट तो गान्धीजीको स्पष्टतः सुन पड़ती है, किन्तु राष्ट्र-पिता और भारत सरकारके डिक्टेटर तक शरणार्थियोंकी आसमानको फाड़ देनेवाली हृदयविदारक चीत्कारें उनके पासतक नहीं पहुँचती। उन्हें पहुँचानेके लिए मैंने २० जनवरीको बम-विस्फोट किया था।

माता मन्दिरके दीक्षित महाराजकी जिरह आज भी जारी रही। मैंगलेकी जिरहका उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि १५ अगस्त, १९४७ को दादा महाराजने मरम्मतके लिए मुझे एक पिस्तौल दी थी। जैसे उमेरकी बैठक १५ जनवरीके १०-११ दिन बाद की गयी थी।

श्री बनर्जीके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि मैंने मदनलालकी पुस्तकें एक शरणार्थीको सहायता पहुँचानेके ख्यालसे खरीदी थीं। जब मदनलाल मेरे पास किताबें बेचने आया था, तो प्रसंगवश मैंने उससे पंजाबकी स्थितिपर बातचीत की थी।

माता मन्दिरमें 'विग्रह' के पास तथा भजन और कीर्तनवाले स्थानपर तथा जहाँ लोग 'विग्रह' का दर्शन करनेके लिए एकत्र होते हैं, कुरानके पाठकी इजाजत नहीं दी जाती। मैंने थोड़ी-सी कुरान पढ़ी है।

वकील इनामदारके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा मुझे नहीं मालूम कि विक्रमी संवत्‌की आज कौनसी सौर तिथि है। मुझे १५ जनवरीकी तारीख याद है, क्योंकि उसके दो दिन बाद बीमारीमें कृश हो जानेके कारण मैं गिर पड़ा था और मुझे चोट आयी थी। मैं नोआखालीकी घटनाओंको देखकर हिन्दुओंकी सहायता करनेमें अधिक दिलचस्पी लेने लगा।

दुबारा जिरह की जानेपर दीक्षित महाराजने कहा कि यद्यपि खञ्जरोंके लिए लाइसेन्सकी आवश्यकता नहीं है तथापि बडगे उन्हें तबले और डग्गेमें छिपाकर इस कारण लाता था कि बम्बईके पुलिस कमिश्नरने खञ्जर तो क्या, एक लकड़ी भी हाथमें लेकर चलना बन्द कर रखा था।

गृहमन्त्री मुरारजी देसाईकी गवाही

सावरकरके वकील भोपटकरने अदालतको एक आवेदन पत्र पेश किया जिसमें 'इण्डियन एविडेंस एक्ट' की १५७ वीं धाराके मातहत प्रो० जगदीशचन्द्र जैनकी गवाहीको पुष्ट करनेके निमित्त बम्बईके गृहमन्त्री मुरारजी देसाईको पेश करनेपर आपत्ति प्रकट की गयी थी।

उन्होंने कहा कि बचाव पक्षकी युक्ति यह है कि विधिके अनुसार प्रो० जगदीशचन्द्र जैनकी गवाही स्वीकार नहीं की जा सकती, इसलिए उसकी पुष्टि भी अनावश्यक है।

न्यायाधीशने अपना फैसला दिया कि स्पष्टतः मुरारजी देसाई गवाही देनेसे नहीं रोके जा सकते। हमें क्या मालूम कि वे किस प्रकारकी गवाही देंगे, इसलिए उनकी गवाही सुन लेनी चाहिये। उसे स्वीकार करने या न करनेके सम्बन्धमें पीछे विचार कर लिया जायगा।

इसके बाद न्यायाधीशकी अनुमतिसे सवूत पक्षने मुरारजी देसाईको पेश किया। उन्हें बैठनेके लिए एक कुर्सी दी गयी।

उन्होंने कहा कि मैं बम्बई सरकारका गृहमन्त्री हूँ। मेरे पास गृह और राजस्व विभाग हैं। अपने कार्यका पारिश्रमिक भी मैं लेता हूँ। अपराध और उनकी जाँचका कार्य गृहविभागके अन्तर्गत आता है।

मुझे अब मालूम हुआ है कि प्रो० जगदीशचन्द्र जैन कौन हैं। मैंने पहले पहल उन्हें २१ जनवरी १९४८ को देखा था। उस दिन लगभग सायं ४ बजे वे प्रधानमन्त्री बा. गं. खेरसे मिलने आये थे। प्रधान मन्त्रीने मुझे बुलाया। सचिवालयमें मैं उनके पासके कमरेमें ही था। मैं प्रधान मन्त्रीके कमरेमें गया जहाँ मैंने उनके साथ एक व्यक्तिको बैठे हुए देखा जिसके विषयमें मुझे अब मालूम हुआ है कि वे प्रो० जगदीशचन्द्र जैन थे।

प्रो० जैनने मुझे सारी कहानी सुनायी। उन्होंने कहा—"मैंने सुना है कि कल दिल्लीमें बिड़ला-भवनके प्रार्थना-स्थलके समीप एक बम-विस्फोट हुआ है, इस सम्बन्धमें जो व्यक्ति पकड़ा गया है, उसे मैं जानता हूँ। इसका नाम मदनलाल बताया गया है। मैं उन तत्वोंको भी जानता हूँ, जिनसे प्रेरणा पाकर यह बम-विस्फोट किया गया है।"

प्रो० जैनने कहा था "मदनलालके साथ मेरा परिचय एक शरणार्थीके तौरपर हुआ। मैंने उसे पैसोंकी मदद भी दी है। दिल्लीके बम-विस्फोटकी घटनासे ३-४ दिन पहले वह बम्बईसे दिल्ली रवाना हुआ। दिल्ली जानेसे पूर्व मदनलालने मुझसे बातें की थीं और बताया था कि हममेंसे एकने एक बड़े नेताकी हत्या करनेका निश्चय कर लिया है। बहुत जोर देनेपर मदनलालने मुझे यह बताया कि वह बड़ा नेता महात्मा गान्धी हैं।"

मुरारजी देसाईने आगे कहा कि प्रो० जैनने मुझसे यह भी कहा—"मदनलालके साथ अहमदनगरसे करकरे नामक एक व्यक्ति भी मेरे पास आया था। मदनलालने मुझे करकरेके कारनामे भी बताये। करकरे मदनलालको सावरकरके पास ले गया, जहाँ उसकी सावरकरसे दो घण्टेतक बातचीत हुई और अन्तमें सावरकरने मदनलालके कामोंपर तथा उसकी योजनापर पीठ थपथपाकर आशीर्वाद दिया।" मदनलालने मुझे यह भी बताया था कि हथियार और गोला-बारूद अहमदनगरके पास जंगलमें गाड़ रखे गये हैं।

मुरारजीने कहा—मैंने उस समय तुरन्त ही जे० सी० जैनसे पूछा कि तभी आपने मुझे सूचित क्यों नहीं कर दिया। उन्होंने कहा कि 'शरणार्थी' प्रायः गान्धीजी और कांग्रेसको कोसते रहते हैं, मैंने मदनलालकी बातोंको गम्भीरतासे नहीं लिया, इसलिए पहले नहीं आया।

प्रो० जे० सी० जैनसे यह सूचना मिलते ही मैंने खुफिया पुलिसके अध्यक्ष जे० डी० नगरवालाको बुलवाया। नगरवाला किसी अन्य कार्यमें व्यस्त होनेके कारण तुरन्त ही मेरे पास नहीं आ सके, किन्तु मैंने उन्हें हिदायत कर दी कि रातको मेरे अहमदाबाद जानेसे पूर्व वे स्टेशनपर अवश्य मिल लें।

नगरवाला स्टेशनपर रातको ८·१५ बजे मिले। मैंने जे० सी० जैन द्वारा कही गयी सारी कथा उन्हें सुना दी और उन्हें ३ विशेष निर्देश दिये। १. करकरेको एकदम गिरफ्तार कर लिया जाय, २. सावरकरके घर और उनकी गतिविधिपर सख्त निगरानी रखी जाय और ३. इस षडयन्त्रमें शामिल लोगोंके बारेमें अधिकसे अधिक जानकारी प्राप्त की जाय।

सरदार पटेलको २२ जनवरीको सारी बातें बतायीं

मैं २२ को सवेरे अहमदाबाद पहुँचा और वहाँपर सरदार वल्लभभाई पटेलसे मिला, जो पहले ही वहाँ पहुँच गये थे। सरदार पटेल और उनके सेक्रेटरीको मैंने प्रो० जे० सी० जैनका वृत्तान्त और उसपर अपनी काररवाई दोनों सुना दीं।

अदालतके उठनेसे पूर्व दफ्तरीने न्यायाधीशसे कहा कि यह आपके ध्यानमें लाया जा चुका है कि नथूराम गोडसे स्वयं श्री मुरारजी देसाईसे जिरह करना चाहते हैं। दफ्तरीने कहा कि बचाव पक्ष भी इस बातपर सहमत है कि गवाहसे अभियुक्त और उसका वकील दोनों जिरह नहीं कर सकते। यदि अभियुक्त स्वयं ही जिरह करना चाहता है, तो उनका वकील फिर इस मामलेमें कोई हाथ नहीं डाल सकता।

कल दफ्तरीके इस प्रस्तावपर युक्ति-प्रत्युक्ति होगी और उसके बाद मुरारजी देसाईकी गवाही जारी रहेगी।

२४ अगस्त

बम्बईके गृहमन्त्रीकी गवाही आज भी जारी रही।

श्री देसाईने कहा—२१ जनवरीको जब श्री नगरवाला स्टेशनपर मुझसे मिले थे तो मैंने उन्हें षड्यन्त्रकी जानकारी देनेवालेका नाम नहीं बताया था। प्रो० जैनने मुझसे कहा कि मैं उनका नाम प्रकट न करूँ किन्तु उन्होंने इस षड्यन्त्रका पता लगानेमें आवश्यकता पड़नेपर सब प्रकारकी सहायता देनेका आश्वासन दिया था।

गान्धीजीकी हत्याके ३-४ दिन बाद प्रो० जैनने मुझसे कहा कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं है, मैं पुलिसको खुले तौरपर सहायता देनेके लिए तैयार हूँ। तब मैंने नगरवालासे उनका परिचय करा दिया। २१ जनवरी १९४८ से बादमें मैं षड्यन्त्र-के रहस्यको जाँचने लगा रहा।

इसके बाद जिरह शुरू हुई। पहले भोपटकरने देसाईसे जिरह की।

देसाईने कहा कि २१ जनवरी १९४८ के बादसे नगरवालासे परिचय कराने तक मैं जे० सी० जैनसे तीन बार मिला। पहली मुलाकात सचिवालयमें हुई और बादकी दो मेरे घरपर। मुझे यह नहीं मालूम कि नगरवालाने प्रो० जैनसे कितनी मुलाकातें कीं। प्रो० जैनसे मैं दूसरी बार २४ जनवरी १९४८ को और तीसरी बार ३-४ फरवरी १९४८ को मिला।

मैंने असेम्बली भवनमें अपने कार्यालयके पुलिसके सामने वक्तव्य दिया। नगरवालाने मेरा वक्तव्य लिखा। मुझे नहीं मालूम कि प्रो० जे० सी० जैनने मुझसे पहले इस षड्यन्त्रके विषयमें किसी पुलिस अफसरसे कहा हो।

सचिवालयमें प्रो० जैनके मुखसे ही प्रथम बार मुझे यह मालूम हुआ कि गान्धीजीको मारनेके लिए कोई षड्यन्त्र किया जा रहा है। समय समयपर मैं नगरवालासे पूछता रहता था कि षड्यन्त्रकारियोंका पता लगानेमें कितनी प्रगति की है। मैंने नगरवालासे यह नहीं कहा कि वे विशेषतः सावरकरके पास जाकर प्रो० जैनके कथनकी सत्यताका पता लगायें।

२१ जनवरीको स्टेशनपर मैंने नगरवालासे प्रो० जैनके घरकी भी निगरानी रखनेके लिए नहीं कहा था।

मैं दादा महाराज और दीक्षित महाराजको जानता हूँ। मैं दोनोंसे केवल एक बार मिला हूँ। १९४८ में बम्बईमें मैंने यह अफवाह सुनी थी कि दादा महाराज हथियार और गोलाबारूद जमा करनेमें व्यस्त हैं। मुझे यह नहीं मालूम था कि दादा महाराज उन हथियारोंको समाजवादियोंको बाँट देते हैं। अब मुझे यह बात अखबारोंमें प्रकाशित दादा महाराजके बयानसे मालूम हुई है।

मुझे मालूम है कि सावरकर सार्वजनिक सुरक्षा कानूनके अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये थे, गिरफ्तारीकी तिथि मुझे मालूम नहीं।

श्री मेंगलेकी जिरहका जवाब देते हुए देसाईने कहा कि मैं १८ वर्षोंसे कांग्रेसी हूँ और सरदार वल्लभभाई पटेल, पण्डित जवाहरलाल नेहरू, डा० राजेन्द्रप्रसाद, राजकुमारी अमृत कौर, मौलाना अबुलकलाम आजाद और डा० अम्बेडकरको जानता हूँ।

मैं कांग्रेस महासमितिके अधिवेशनमें भाग लेने तथा अपनेसे सम्बन्धित एक सम्मेलनमें भाग लेनेके लिए दिल्ली गया था, केन्द्रीय सरकारसे षड्यन्त्रके विषयमें कोई निर्देश पाने नहीं, यद्यपि महत्त्वपूर्ण विषयोंपर मैं केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलकी सलाह लिया करता हूँ। मैं यथासम्भव भारतके प्रान्तों तथा देशकी राजनीतिक गतिविधिसे परिचित रहता हूँ।

अखबारोंमें मैंने पढ़ा था कि गान्धीजी १३ जनवरीसे उपवास कर रहे

गान्धीजीका मैं सम्मान करता था इसलिए मुझे उनके स्वास्थ्य और कुशल-क्षेमकी बड़ी चिन्ता हुई।

मैंने अखबारोंमें यह भी पढ़ा था कि भारतको पाकिस्तानके ५५ करोड़ रुपये देने हैं, किन्तु भारत कश्मीरकी लड़ाईके कारण उन्हें नहीं दे रहा है। परन्तु मैं ठीक ठीक तिथि नहीं जानता कि कब भारत सरकारने ५५ करोड़ न देनेका निश्चय किया और कब उसने अपने इस निश्चयको उलट दिया।

१७ जनवरीको चौपाटी (बम्बई) की बैठकमें सरदार पटेलने भाषण किया था, तो मैं भी उपस्थित था। मैंने गान्धीजीके उपवासके विषयमें सरदार पटेलसे कोई विशेष बात नहीं की। सरदार पटेलके बम्बईके आवासकालमें मैं उनसे ३-४ बार मिला, परन्तु किन विषयोंपर मेरी उनसे बातचीत हुई, यह मुझे याद नहीं।

मैं यह नहीं कह सकता कि भारत द्वारा पाकिस्तानको ५५ करोड़ रुपया दे देनेका समाचार मैंने गान्धीके उपवासकालमें या उपवासकालके बाद पढ़ा था।

श्री डांगेके प्रश्नके उत्तरमें मुरारजीने कहा—मई १९१८ से मई १९३० तक मैंने सरकारी नौकरी की। १९३० में मैंने त्यागपत्र दे दिया। १९३७ से १९३९ तक बम्बईकी सरकारमें मैं एक मन्त्री भी रहा हूँ। उस समय मैं गृहमन्त्री नहीं था, श्री के० एम० मुंशी गृहमन्त्री थे। उस समय भी साम्प्रदायिक दंगे हुए थे।

बम्बईकी सरकार शरणार्थियोंमें दिलचस्पी लेती थी। मुझे याद नहीं कि करकरे-से कोई इस आशयका पत्र मिला हो जिसमें उसने अहमदनगरमें ५००० शरणार्थियोंको बसानेकी बात कही हो। उस समय मेरे पास इस प्रकारके बहुतसे वैयक्तिक प्रस्ताव आया करते थे।

जनवरी, १९४८ के प्रथम सप्ताहके अन्तमें मुझे मालूम हुआ कि अहमदनगरका कोई करकरे नामक व्यक्ति शरणार्थियोंको उपद्रव करनेके लिए भड़का रहा है।

२१ जनवरी, १९४८ को जब प्रो० जैन सचिवालयमें मुझसे मिले थे, तो मैंने उनसे मदनलाल और उनके पारस्परिक सम्बन्धके विषयमें पूछताछ नहीं की थी। न मैंने प्रो० जैनसे यह पूछा कि उन्होंने मदनलालको कितने रुपये दिये हैं। मुझे उनकी बात बिल्कुल सच्ची प्रतीत हुई।

गवाहोंको जाँच लेनेका मुझे बड़ा अनुभव है, क्योंकि मैं ११ साल तक मजिस्ट्रेट रह चुका हूँ। प्रो० जैनने जिस प्रकार घटना सुनाई उससे मैं इसी परिणाम-पर पहुँचा कि प्रो० जैन स्पष्ट और सत्य बात कह रहे हैं।

मैंने अपने सेक्रेटरीकी मार्फत अहमदनगरके पुलिसको करकरेको गिरफ्तार कर लेनेका आदेश दे दिया था। मैंने नगरवालाको हिदायत दी थी कि वे इस सम-

यन्त्रका पता लगानेके लिए पूनाके डी० आई० जी० और सी० आई० डी० से सम्पर्क स्थापित करें।

अधिकांश जनता महात्मा गान्धीको राष्ट्रपिता समझती रही है। मैं २१ जनवरी, १९४८ को अहमदाबाद इसलिए गया था कि सरदार पटेल उस अस्पताल की आधारशिला रख रहे थे जिसका मैं एक ट्रस्टी था।

मैं भारतका बँटवारा करनेके पक्षमें नहीं था।

प्रो० जैनकी आशंका और इस अवस्थामें कोई हानि न देखकर मैंने नगरवालाको प्रो० जैनका नाम नहीं बताया।

मैं गान्धीजीको व्यक्तिशः जानता हूँ। उनकी प्रार्थनामें मैं केवल दो बार गया हूँ। प्रार्थनाओंमें कुरानके उद्धरण भी पढ़े जाते थे।

कुछ शरणार्थी बम्बईमें आकर मुझसे मिले। शरणार्थियोंकी सहायताका कार्य मेरे जिम्मे नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें शरणार्थी अफसरके पास जानेके लिए कहा।

मुझे यह याद नहीं कि प्रो० जैनने मुझसे यह कहा हो कि वे सारी घटना जयप्रकाश नारायणको भी सुनाना चाहते थे।

वकील श्री बनर्जीके प्रश्नके उत्तरमें श्री देसाईने कहा—जहाँ तक मैं जानता हूँ अभियुक्तोंका कोई भी केस मेरे सामने पेश नहीं किया गया और मैंने केसको वापस लेनेकी कोई आज्ञा भी नहीं दी। मुझे याद नहीं कि बम्बईके चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेटसे आपटे, करकरे और गोपाल गोडसेके विरुद्ध केसको लौटा लेनेके लिए आवेदनपत्र मिला हो।

इसके बाद वकील ओकने देसाईसे जिरह की। श्री देसाईने जवाबमें कहा कि १७ वर्षोंसे मैं कांग्रेस महासमितिका सदस्य हूँ। १९४२ में बम्बई तथा इलाहाबादमें कांग्रेस महासमितिके जो अधिवेशन हुए थे, उनमें मैं उपस्थित था। मुझे यह याद नहीं कि इलाहाबादवाले अधिवेशनमें श्री राजगोपालाचारीने मुसलमानोंको आत्मनिर्णयका अधिकार देनेका प्रस्ताव पेश किया था या नहीं। बिना प्रस्तावको देखे मैं कुछ नहीं कह सकता।

इसके बाद ओकने 'इण्डियन ईयर बुक' से वह प्रस्ताव पढ़ा। श्री देसाईने कहा मुझे नहीं मालूम मैं उस समय बैठकमें उपस्थित था या गाड़ी पकड़नेके लिए पहले ही उठकर चला गया था।

मुझे तो तथाकथित राजगोपालाचारी फार्मूलेका सार भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं उसमें दिलचस्पी ही नहीं लेता था।

मुझे याद है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको मतभेद होनेके कारण कांग्रेस

छोड़नी पड़ी थी। वे एक प्रकारसे मुस्लिम लीगसे समझौता करना चाहते थे, जिससे कांग्रेस सहमत नहीं हो सकती थी।

१९४२ में इलाहाबादकी कांग्रेस महासमितिमें श्री जगत्‌नारायणने भारतको विभक्त करनेके किसी भी प्रस्तावके विरुद्ध एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और सम्भवतः वह पास भी हो गया था।

सितम्बर, १९४५ में कांग्रेस महासमितिकी बैठक हुई और उसने फैसला किया कि चुनाव लड़े जायँ।

मैं ९ अगस्त १९४२ से जुलाई १९४५ तक जेलमें रहा। उस समयतक सब कांग्रेसी कैदी और नजरबन्द छोड़ दिये गये थे।

मैं बम्बईकी धारा सभाका सूरतके ग्रामीण हिन्दू निर्वाचन क्षेत्रसे सदस्य चुना गया था। यह मैं भी मानता हूँ कि जिस प्रकार हिन्दू महासभा एक साम्प्रदायिक संस्था थी, उसी प्रकार मुस्लिम लीग भी साम्प्रदायिक संस्था थी।

चुनावके समयके सब कांग्रेस घोषणापत्रोंको याद रख सकना कठिन है।

कांग्रेसने १९४५-४६ का चुनाव मातृ देशकी आजादी और उसकी इकाई प्रान्तों-के लिए स्वायत्त शासनको लेकर लड़ा था। मुझे नहीं मालूम कि १९४५ के कांग्रेस महासमितिके संकल्पमें आत्मनिर्णयका अधिकार पास कर दिया गया था या हटा दिया गया था। बिना कागजके मैं यह नहीं बता सकता।

बँटवारेकी माँग एक साम्प्रदायिक संस्था मुस्लिम लीगकी थी।

मुस्लिम लीगने यह चुनाव स्पष्टतः भारतके विभाजनकी घोषणापर लड़ा था। बम्बईमें एक भी गैर-मुस्लिम लीगी कांग्रेसके टिकटपर आम मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रसे नहीं चुना गया, केवल एक मुसलमान जमींदार क्षेत्रसे कांग्रेसके टिकटपर चुना गया था।

एक गैर-लीगी मुसलमानको मैं अनिवार्यतः राष्ट्रवादी नहीं मानता। मैं १९४७ की कांग्रेस महासमितिकी बैठकमें उपस्थित था, जिसमें ३ जूनकी विभाजन योजना-पर विचार किया गया था। अधिवेशनमें इस बँटवारेकी योजनापर आम असन्तोष नहीं था और न कोई खुशी ही थी। इसे तो अनिवार्य समझा गया था।

२५ अगस्त

आज वकील ओकने श्री देसाईसे साथ जिरह जारी रखी।

श्री मुरारजी देसाईने कहा—मुझे धुँधली स्मृति है कि १४-१५ जून १९४७ को हुई कांग्रेस महासमितिकी बैठकमें विभाजनका संकल्प एकमतसे पास नहीं

हुआ था। अनेक समाजवादियोंने संकल्पके पक्षमें मत नहीं दिये थे, यद्यपि कुछ पक्षमें भी थे।

अधिवेशन जब शुरू हुआ था, तो महात्मा गान्धी उपस्थित नहीं थे। बादमें आ गये थे। मुझे नहीं मालूम कि क्या उन्हें बुलाया गया था। मेरा ख्याल है कि अधिवेशनमें गान्धीजीने अपने भाषणमें विभाजन-संकल्पका समर्थन किया था। मुझे याद नहीं कि गान्धीजीके इस कथनपर किसीने आलोचना की हो कि केन्द्रीय सरकार पंजाब, कलकत्ता और नोआखालीके दंगोंको काबूमें करनेमें असमर्थ रही है, इसलिए यदि भारतका बँटवारा किया गया तो स्थिति और बिगड़ जायगी।

प्रांतों और प्रादेशिक इकाइयोंके आत्मनिर्णयके सिद्धान्तको स्वीकार करते हुए भी कांग्रेस प्रान्तोंको यह अधिकार देनेके विरुद्ध थी कि वे जब चाहें भारत संघसे अलग हो जायँ। मैं नहीं कह सकता कि इस संकल्पके प्रस्तुत करनेसे पहले प्रान्तोंसे भी सलाह ली गयी थी या नहीं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, विभाजनके प्रश्नपर प्रान्तोंमें कोई जनमत नहीं लिया गया।

प्रेसपर नियन्त्रण रखना मेरे हाथमें है। मुझे याद है कि धुलियामें देवगिरिकरकी अध्यक्षतामें मराठी पत्रकारोंका वार्षिक सम्मेलन हुआ था। देवगिरिकर एक बार एक शिष्टमण्डल भी मेरे पास लाये थे। वे एक प्रमुख कांग्रेसी हैं।

मैं जानता हूँ कि नथूराम गोडसे 'अग्रणी' और 'हिन्दूराष्ट्र' का सम्पादक था। मुझे याद नहीं कि उसके अखबारसे कितनी जमानत माँगी गयी थी। मेरा ख्याल है कि उससे जमानत माँगी गयी, वह जब्त कर ली गयी और फिर दूसरी जमानत माँगी गयी। मैं नहीं कह सकता कि कितनी बार जमानत माँगी गयी। जमानत इसलिए माँगी जाती थी कि वह मुसलमानोंके विरुद्ध घृणा फैलाता और हिंसाके लिए उत्तेजित करता था। जहाँ तक मुझे याद है नथूराम गोडसेने जमानत जब्त करनेके विरुद्ध बम्बईके हाईकोर्टमें अपील की थी। मेरा ख्याल है कि वह प्रार्थना नामंजूर कर दी गयी थी। सद्भावना प्रकट करनेके ख्यालसे १५ अगस्त, १९४७ (स्वाधीनता-दिवस) को जब्त की गयी सब जमानतें लौटा दी गयी और भविष्यमें अच्छा कार्य करनेकी उनसे अपील की गयी।

मुझे याद नहीं कि पत्रकारोंका जो शिष्टमण्डल मेरे पास आया था उसमें नथूराम गोडसे भी था या नहीं। हो सकता है कि शिष्टमण्डलके नेता देवगिरिकरने मुझसे कहा हो कि जमानत जब्त करके उसे लौटा देनेका कार्य तो ऐसा है मानों दण्ड देकर उसपर न्यायकी मरहमपट्टी कर दी गयी हो। मेरा ख्याल है कि उन्होंने यह भी कहा था कि अपराधी सम्पादकपर मुकदमा चलाया जाना चाहिये।

गोडसे उत्तेजित हो गया

जब गोडसेके वकीलने मुरारजी देसाईसे पूछा कि क्या उन्हें पत्रकारोंके आम असन्तोषकी जानकारी थी तो अभियुक्त नथूराम गोडसे खड़ा हो गया और कहने लगा—"मेरे अखबारका दमनपर दमन किया गया जिससे मेरा खून खौल उठा। इस विषयमें मैं कई बार गृहमन्त्रीसे भी मिला।"

अगले प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि प्रेस ऐक्टके मातहत प्रेसोंके विरुद्ध काररवाई प्रेस सलाहकार समितिकी अनुमति लेकर की जाती थी। यह समिति सम्पादक सम्मेलनकी चुनी हुई है जिसमें गृह विभागके सेक्रेटरी एक सरकारी नामजद सदस्य हैं।

'अग्रणी'से जब प्रथम बार जमानत माँगी गयी थी, तब प्रेस सलाहकार समितिसे अनुमति नहीं ली गयी थी। उसके बाद उस जमानतकी जब्ती और पुनः जमानतकी माँग प्रेस सलाहकार समितिकी अनुमतिसे की गयी थी। अप्रैल १९४६ से लेकर अबतक ९०० मामलोंकी रिपोर्ट की गयी है।

दुबारा जिरह की जानेपर श्री देसाईने बताया कि २१ जनवरी, १९४८ से १०-१२ दिन पहले भी एक दूसरे मामलेको लेकर मैंने गृहविभागके सेक्रेटरीकी मार्फत करकरेको पकड़नेकी आज्ञा दी थी।

७९वाँ गवाह—छात्र वसंत जोशी

श्री देसाईकी जिरहके बाद शांतासदन ठाणामें रहनेवाले विद्यार्थी वसन्त गजानन जोशीकी गवाही ली गयी।

गवाहने कहा कि मेरे पिता 'शिवाजी मुद्रणालय' के मालिक हैं। मेरा परिवार ३ सालसे ठाणामें रह रहा है। इससे पूर्व हम पूनामें तथा उससे भी पहले अहमदनगरमें थे, जहाँ मेरे पिता अमरीकी मिशन हाई स्कूलमें काम करते थे।

मैं विष्णु रामचन्द्र करकरेको जानता हूँ। १९४३ से वह हमारे परिवारसे परिचित है (गवाहने कठघरेमें करकरेको पहचाना।) मैंने उसे अहमदनगरमें देखा था।

मैं आपटेको भी जानता हूँ। वह अहमदनगरमें हमारे घर आया करता था (गवाहने आपटेको पहचाना।)

(गोडसेकी ओर इशारा करते हुए)—मैं नथूराम गोडसेको भी जानता हूँ। पहले पहल मैंने उसे २५ जनवरी १९४८ को देखा था। उस दिन आपटे और करकरेके साथ वह ठाणामें मेरे घरपर आया था।

२५ जनवरी, १९४८ को प्रातः ५॥ या ६ बजे करकरे एक बक्स लिये हुए मेरे घर आया। मैं उस समय घरके बाहर सो रहा था। करकरेने आवाज लगायी तो हम सब जाग उठे। इसके बाद पिताका दिया हुआ एक तार भेजनेके लिए मैं तो बम्बई चला गया और मेरे पिता और करकरे बातचीत करते रहे।

तारघर जाकर मैंने पिताका तार भेज दिया।

वह तार अदालतमें गवाहको दिखाया गया। गवाहने उसे पहचान लिया।

मैं नथूराम गोडसेके छोटे भाई गोपाल गोडसेको भी जानता हूँ। वह भी २५ जनवरीको सायं ४ बजे एक ट्रक लेकर मेरे पास आया था। उस समय भी करकरे मेरे घरपर ही था। उसी दिन रातको ९ बजे नथूराम गोडसे और आपटे भी आये। वे दोनों तथा गोपाल गोडसे और करकरे चारो आपसमें बातचीत करने लगे। मेरे पिता उस समय भोजन कर रहे थे।

आध घण्टे बाद आपटे और गोडसे मेरे घरसे चले गये। बादमें गोपाल गोडसे भी पूना चला गया, किन्तु करकरे रातभर हमारे घरपर ही रहा।

२६ जनवरीको सवेरे जब मैं कालेज गया, तो करकरे हमारे घरपर था, किन्तु जब मैं शामको लौटा तो करकरे जा चुका था, पर उसका सन्दूक अभी वहीं पड़ा था।

३० जनवरी, १९४८ की रातको रेडियोपर मैंने गान्धीजीकी हत्याकी खबर सुनी। अगले दिन मैं कालेज नहीं गया।

१३ फरवरी तक आपटे-करकरे ठाणामें थे

५ फरवरीको आपटे और करकरे हमारे घर आये और बीचमें दो दिन छोड़कर १३ फरवरी तक वहाँ रहे।

२६ जनवरी और ५ फरवरी १९४८ के मध्य इन चारों व्यक्तियोंमेंसे मैंने किसीको भी नहीं देखा।

वकील श्री मेंगलेके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि आपटे और करकरे ठाणाके मेरे घरपर आते-जाते रहते थे, किन्तु ५ फरवरीसे पहले आपटे कभी मेरे घरपर ठहरा नहीं था। करकरे १९४७ में एक बार ठहरा था। मार्च १९४७ तक मैं पूनामें रहता था।

डांगेने उससे जिरह की। गवाहने कहा कि पूनामें मैं अपनी नानीके घर रहता था। २५ जनवरीको सवेरे करकरेके आवाज देनेसे मैं तो नहीं जागा, किन्तु मेरे माता-पिता उठ बैठे थे।

श्री इनामदारके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि २५ जनवरीको गोपाल गोडसे

मेरे घर आया था, तो मैं भोजन कर चुका था। वह उस दिन रातको किस समय मेरे घरसे गया, यह मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता।

२६ अगस्त—८० वाँ गवाह

आज बम्बईके टैक्सी ड्राइवर ऐतप्पा कृष्णा कोटियनने गवाही देते हुए कहा कि १७ जनवरी १९४८ को बम्बईमें नथूराम गोडसे, आपटे, शंकर और बड़गे मेरी टैक्सीमें घूमे। बोरीबन्दरपर सवेरे ७। के करीब पूनेसे ट्रेन आनेके समयके बाद तीन आदमियोंने मेरी टैक्सी किरायेपर तै की। उनके पास एक बिस्तर था। पहले लालबागकी ओर चलनेको कहा गया। यूनियन डाइङ्ग मिलके हातेमें लाकर मैंने गाड़ी खड़ी की। १०-१५ मिनटके बाद दादरके लिए हम लोग रवाना हुए। वहाँपर लेडी जमशेदजी रोडपर मारुतीके मन्दिरके पास गाड़ी खड़ी की गयी। शंकर वहाँ गाड़ीपर बैठा। वहाँसे शिवाजी पार्क गये। वहाँ चारो उतरकर पासके मकानमें गये। वहाँसे दादरकी हिन्दू कालनीमें हम गये। १५ मिनट वहाँ रुकनेके बाद हम कुर्ला गये। डाक्टर पटवर्धनकी दूकानके पास गाड़ी खड़ी की। वहाँ एक आदमी और मोटरमें चढ़ा। वहाँसे पहाड़ीतक गये। इसके बाद चारो उतरकर पहाड़ीपर पैदल गये। वहाँसे लौटकर हमने पाँचवें आदमीको वहाँ उतार दिया जहाँ वह चढ़ा था। फिर हम बाम्बे डाइङ्ग मिल लौटे। वहाँसे नथूरामने सोमय्या कालियनकी मोटर किरायेपर ली और वह उसमें चला गया। बचे तीनों आदमियोंको लेकर मैं भुलेश्वर भोईवाडा लेन गाड़ी ले गया। तीनों उतरकर पैदल लेनके अन्दर गये। थोड़ी देरमें नारायण आपटे वापस आया। वहाँसे मैं मरीन ड्राइव ग्रीन होटल गाड़ी ले गया। होटलमेंसे नथूराम और एक स्त्री बाहर आयी। एक नौकर दो थैले ले आया। वहाँसे हम एयर इण्डिया दफ्तर गये। दो आदमी सामानके साथ वहाँ उतर गये और आपटे वापस आया। वहाँसे बोरीबन्दर आये जहाँ वह स्त्री उतर गयी। भुलेश्वरमें आपटे उतर गया। दो और आदमियोंको लेकर वह आया और हम फिर बाम्बे डाइङ्ग हाउस गये। थैला उतारकर हम एयर इण्डिया आफिस फिर गये। नथूराम वहाँ था जिससे आपटेने बातचीत की। वह वापस आया और हम [illegible] चले। रास्तेमें आपटेने पूछा कि सान्ताक्रूज जानेको कितना समय लगेगा और [illegible] लायक पेट्रोल है या नहीं। बाम्बे डाइङ्ग पहुँचनेपर वहाँ रुके दोनों आदमी मोटरमें आ गये। वहाँसे हम जुहू और वहाँसे सान्ताक्रूज गये। आपटे उतरकर [illegible] गया। उन्होंने कालिना चलनेके लिए कहा। वहाँ एक [illegible]। बाम्बे एनिमल हास्पिटलके पास गाड़ी खड़ी की गयी। वहाँसे [illegible] पास हम फिर लौटे। तीन आदमी वहाँ उतर गये। [illegible] बिस्तर [illegible]

मुझसे किराया पूछा। मीटर देखकर मैंने ५.५ रुपया १० आना कहा। बडगेके कहनेपर मैंने रसीद दी।

८१ वाँ गवाह

टैक्सी ड्राइवरकी गवाहीके बाद बम्बई असेम्बलीके हरिजन सदस्य गणपत सम्भाजी खरातका बयान हुआ। उन्होंने कहा कि मैं १॥ सालसे बडगेको पहचानता हूँ। बडगे मेरे यहाँ कोई चीज रखनेके लिए रातको ९ बजे आया था। उसके पास २ बण्डल थे। एक बोरेमें बँधा था और और दूसरा थैलेमें था। सामान रखकर वह चला गया। उसी दिन नागमोडे और शेलार भी मेरे यहाँ आये। दोनोंको एक एक बण्डल मैंने दे दिया। कुछ दिनके बाद पुलिस तलाशीमें आयी, तो मैं उनको इन दोनोंके यहाँ ले गया। वहाँ एक बण्डल खोलते ही उसमें शस्त्रास्त्र और गोली-बारूद निकला।

फिर जिरहमें गवाहने कहा कि मैंने समझा था कि बण्डलमें खंजर होंगे इसलिए उन्हें खोलकर नहीं देखा था। समाजवादी कार्यकर्त्ता लिमये और गोरे किसी कामके लिए शस्त्रास्त्र एकत्र कर रहे हैं यह मैं नहीं जानता था। दिल्लीके विस्फोट-के बादमें दो बार बडगेके यहाँ गया था, पर उससे मुलाकात नहीं हुई।

३० अगस्त—८२ वाँ गवाह

आज दिल्लीके एक व्यापारी सरदार गुरुबचन सिंहकी गवाही हुई।

गवाहने बताया कि मैं महात्मा गान्धीको जानता हूँ। मैं प्रायः प्रतिदिन प्रार्थना-सभामें जाया करता था। मैं बिड़ला हाउसमें गान्धीजीका काम किया करता था। गान्धीजी सितम्बर १९४७ से बिड़ला हाउसमें ठहरे थे और मैं वहाँ रोजाना सवेरे तथा शामको जाया करता था।

जिस दिन गान्धीजीकी हत्या की गयी थी उस दिन भी मैं बिड़ला-भवन गया था। उस दिन मुझे शामके तीन बजे बुलाया गया था ताकि मैं भेंट करनेवालो-की सहायता कर सकूँ। उस दिन सरदार पटेल तथा कुमारी मणिबहन पटेल सबसे बादमें महात्माजीसे मिलकर गये थे।

गान्धीजीकी प्रार्थना-सभाका समय साधारणतः संध्याके ५ बजे था। उस दिन ५ बजनेके कुछ पूर्व ही मैंने गान्धीजीको स्मरण कराया कि ५ बजनेवाले हैं और प्रार्थनाका समय हो रहा है। इसके थोड़ी देर बाद सरदार पटेल तथा कुमारी मणिबहन पटेल वहाँसे चली गयीं।

गवाहने आगे बताया कि जब मैंने महात्माजीको यह बताया कि आपको आज कुछ देर हो गयी है तो वे प्रार्थना-स्थलकी ओर लपककर चले। उस दिन आभा

सिंह नामक एक व्यक्तिने मुझे ५ मिनटके लिए बिड़ला-भवनमें रोक लिया। उससे बात करके मैं प्रार्थना-सभाकी ओर चला आया।

उस दिन भीड़ हटानेवाला कोई नहीं था

जब कि गान्धीजी प्रार्थना-स्थलको जाया करते तो एक या दो आदमी उनके सामने चलकर आगेसे लोगोंको हटाते जाते थे, पर ३० जनवरी १९४८ को कोई भी व्यक्ति नहीं था जो सामनेके लोगोंको हटाता। मैं जल्दी जल्दी गान्धीजीके सामनेकी ओर बढ़नेकी कोशिश कर रहा था, पर जब मैं उनकी दाहिनी ओर बराबरमें आया, मैंने गोली चलनेकी आवाज सुनी। फिर दूसरी गोली चलनेकी आवाज हुई। मैंने सामने ही एक व्यक्तिको खड़े पाया जो हाथमें पिस्तौल लिये हुए था। मैंने उसके हाथपर अविलम्ब आघात किया। मेरे ख्यालसे मेरे आघात करनेके बाद ही उसने तीसरी गोली चलायी।

इसके बाद बहुतसे आदमियोंने हत्यारेको पकड़ लिया। महात्मा गान्धीने जो आभा गान्धी तथा मनु गान्धीके कन्धोंपर हाथ रखे आ रहे थे, अपने हाथ जोड़ लिये और "हे राम" कहते हुए नीचे गिर गये।

इसके बाद गान्धीजीको बिड़ला-भवन लाया गया। बिड़ला-भवनमें ही कुछ देर बाद आपने अन्तिम साँस तोड़ते हुए महायात्रा की।

कठघरेमें जाकर गवाहने हत्यारेके रूपमें नथूराम गोडसेकी शिनाख्त की।

गवाहने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि रातको ९ बजेके लगभग जब गान्धीजीके शरीरपरसे चद्दर उतारी गयी तो उनके कपड़ोंमें एक खाली कारतूस पाया गया। श्री देवदास गान्धीने मुझे वह कारतूस दिखाया।

मैं श्री शहीद सुहरावर्दीको जानता हूँ। प्रार्थना-सभामें मैंने उन्हें एक या दो बार देखा है। वे गान्धीजीको देखने बिड़ला-भवन आया करते थे। जिस दिन बम-विस्फोट हुआ था उस दिन भी मैं बिड़ला-भवनमें था, पर प्रार्थना-सभामें सम्मिलित नहीं हुआ था। उस दिन दिनको ११॥ बजे श्री सुहरावर्दी गान्धीजीको देखने आये थे।

[illegible] जिरह करनेपर गवाहने बताया कि महात्मा गान्धी [illegible] मृत्युसे [illegible] पूर्व १॥ महीने तक ठहरे थे। प्रार्थना-सभाओंमें कभी कुरानकी [illegible] और श्रीमद्भगवद्गीताके श्लोक पढ़नेमें पढ़े जाते थे। बादमें गान्धीजी [illegible] प्रार्थनामें गाये गये भजनोंका अर्थ [illegible]। [illegible] साहबसे कोई भजन आदि पढ़नेकी [illegible] कहनेकी आज्ञा दे देते।

परचुरे तथा गोपाल गोडसेके वकील श्री इनामदारके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने बताया कि पूर्व तथा पश्चिमसे आनेवाली सभी गाड़ियाँ एक ही लाइनपर आकर खड़ी होती हैं, क्योंकि ग्वालियर स्टेशनपर एक ही प्लेटफार्म है।

३१ अगस्त—८५ वाँ गवाह—गोडसे चार भाई हैं

आज पूनाके उद्यम इञ्जीनियरिंग लिमिटेडके मैनेजर श्री पाण्डुरंग विनायक गोडबोलेकी गवाही हुई। गवाहने कहा कि मैंने उद्यम इञ्जीनियरिंग फर्ममें १९४२ में नौकरी की थी जब कि इसका मालिक दत्तात्रेय विनायक गोडसे था जो कि अभियुक्त नथूराम गोडसेका भाई है। इस फर्मसे मैंने १९४३ से नौकरी छोड़ दी, पर १९४५ में मैं फिर इसी फर्ममें काम करने लगा। १९४७ में यह फर्म एक लिमिटेड कम्पनी बन गयी।

दत्तात्रेय गोडसेके तीन भाई नथूराम, गोपाल और गोविन्द हैं। इन्हें १९४२ से शकल-सूरतसे पहचानता हूँ। मैं नारायण दत्तात्रेय आपटेको भी आकृतिसे पहचानता हूँ। गोपाल गोडसे खड़कीमें रहा करता था। गोपाल गोडसेके पिताका मकान उसी हातेमें है जिसमें कि यह इंजीनियरिंग फर्म है। ३० जनवरी १९४८ से ८-१० दिन पहले गोपाल गोडसे रातको ९॥-१० बजे मेरे घर आया था। उसने कहा कि मैं आपके यहाँ एक रिवाल्वर तथा कुछ कारतूस रखना चाहता हूँ। ये चीजें कपड़ेके एक थैलेमें थीं। मैंने उसका थैला अपने बक्समें रख लिया। इसके बाद गोपाल गोडसे चला गया।

३० जनवरीको मैंने सुना कि नथूराम गोडसेने महात्मा गान्धीकी हत्या कर दी। मैं भयभीत हो गया और सोचने लगा कि कहीं गोपाल गोडसेके रखे हुए सामान-से मैं चक्करमें न आ जाऊँ। उसी समय मेरा मित्र गोपाल विष्णु काले मेरे यहाँ आया। मेरी उससे इस विषयमें बातचीत हुई और यह निर्णय किया गया कि इस सामानको फेंक दिया जाय। पर मुझमें साहस नहीं था कि मैं उस झोलेको फेंक आऊँ। इसपर कालेने कहा कि मैं स्वयं ही यह कार्य कर दूँगा। मैंने वह थैला उसे दे दिया।

८ फरवरी १९४८ को जब मैं अपने घर लौट रहा था तो मैंने देखा कि गोपाल गोडसेको कुछ पुलिस अफसर पकड़े हुए थे और वे एक कारसे उतरे। गोपाल गोडसे मेरे पास आया और मुझसे उन कारतूसों और रिवाल्वरके बारेमें पूछा। मैंने बताया कि उन्हें मैंने अपने मित्र कालेको दे दिया था। इसके बाद मैंने उन्हें कालेका घर दिखाया। मैंने कालेके घर जाकर उससे पूछा कि उस थैलेका

क्या किया। कालेने बताया कि मैं वह थैला फरगुसन कालेज रोडके समीप फेंक आया था।

पुलिस हम सबको कारमें बैठाकर उस स्थानपर ले गयी। वहाँ खोज-बीन की गयी पर रिवाल्वर न मिला।

जिरहमें गवाहने बताया कि सार्वजनिक सुरक्षा कानूनके अन्तर्गत मैं जूनके तीसरे सप्ताह तक नजरबंद रखा गया था।

८६ वाँ गवाह

दूसरा गवाह महादेव गणेश काले था। वह कुरलाकी काले इंक मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनीका मालिक है। कालेने बताया कि मैं बडगेको चार-पाँच सालसे जानता हूँ।

बचाव पक्षका खर्च

नयी दिल्ली, ३१ अगस्त। महात्मा गान्धी हत्याकाण्डके मुकदमेमें अब तक बचाव पक्ष ३०,००० रु० खर्च कर चुका है जिसमें प्रारम्भिक रेल किराया २००० रु० तथा बचाव पक्षके वकीलोंको मकान मुहैय्या करनेका खर्च ५,०००) भी शामिल है।

बचाव पक्षके ११ वकीलोंमेंसे हंसराज मेहताको सरकारने नियुक्त किया है और इनामदारको डा० परचुरेने। श्री एल० बी० भोपटकर, जे० एल० भोपटकर, जमनादास मेहता तथा गणपतराय मुफ्त पैरवी कर रहे हैं और शेष पाँच वकील वी० वी० ओक, मणियार, एच० एन० सॅगले, एन० डी० डांगे तथा वी० बनर्जी नाममात्रकी फीस ले रहे हैं, जिसके मदमें प्रति मास ५,००० रु० खर्च होता है।

बचाव पक्ष वकीलोंके खान पान, आवागमन और नि[illegible] प्रति मास २०००) खर्च करता है। इस प्रकार उनका मासिक ८०००) खर्च है।

अब तक हिन्दू महासभाकी [illegible] समिति अभियुक्तोंके बचावके लिए ४०,००० रु० इकट्ठा कर चुकी है। समितिको [illegible] पूरे १०,०००) और [illegible] जानेकी आशा है।

वह मेरे पास महाराष्ट्रके लिए [illegible]। मैं [illegible] जानता हूँ क्योंकि वह कुरलामें [illegible]

करता था। उसने मुझसे अपने पत्र 'अग्रणी' के लिए मेरी कम्पनीके विज्ञापन माँगे थे।

मुझे यह स्मरण है कि जनवरी १९४८ में बडगे तथा आपटे मेरे पास एक तीसरे व्यक्तिके साथ आये थे। इस तीसरे व्यक्तिका नाम नथूराम गोडसे बताया गया था। गोडसेने कहा कि मैं और आपटे चाहते हैं कि 'हिन्दूराष्ट्र'की प्रकाशक लिमिटेड कम्पनी मजबूत हो जाय और अच्छी तरह चल निकले। इसलिए हम छपाईका कुछ सामान खरीदना चाहते हैं। इस कार्यके लिए हम आपसे ३००० रु० की सहायता चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं इस समय केवल १००० रु० ही अपने हिसाब-किताबसे कर्ज दे सकता हूँ। गोडसे इस बातपर राजी हो गया। मैंने १००० रु० गोडसेको दे दिया। गोडसेने कहा मैं पूनासे रसीद भेज दूँगा।

राजाजीके भाषणपर आपत्ति

इससे पूर्व मदनलालने अपने वकील श्री बनर्जीकी मार्फत एक प्रार्थना-पत्र अदालतमें दिया कि गवर्नर-जनरल श्री सी० राजगोपालाचारीने १४ अगस्त १९४८ को अपने ब्राडकास्टमें कहा था—"हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है महात्मा गान्धीकी मृत्यु। जिन लोगोंने गान्धीजीकी हत्या की है, उन्होंने हमारे देशको वह सबसे बड़ी हानि पहुँचायी है जो कि किसी राष्ट्रका बड़ेसे बड़ा शत्रु भी नहीं पहुँचा सकता। जब उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, तभी वे (गान्धीजी) हमसे छीन लिये गये।" उनके इस कथनसे मुकदमेकी निष्पक्षतामें बाधा पड़ती है और अदालतके सामने मुकदमा पूरा होनेसे पूर्व ही लोगोंको मेरे तथा मेरे साथी अभियुक्तोंके प्रति दुर्भावना पैदा होती है।

८७ वाँ गवाह

तीसरे गवाह रामचन्द्र मोहिनीराज पाटनकरका बयान हुआ। वह बम्बईके तारघरमें तारबाबू था।

गवाहने बताया कि मैं कुरलामें गत ३० वर्षोंसे रहा हूँ। मैं अपने पड़ोसी आर० के० पटवर्धनको जानता हूँ। मैं बडगेको भी जानता हूँ। दो-तीन साल पहले बडगे हिन्दू महासभाके लिए चन्दा एकत्र करनेके लिए मेरे पास आया था। मेरा इससे घनिष्ठ परिचय हो गया था।

लोटस इंक मैनुफैक्चरिंग कम्पनीके काले नामक व्यक्तिको भी मैं जानता हूँ। एक बार मैं बडगे तथा उसके दो मित्रोंको, जनवरी मासके मध्यमें, कालेके घर ले गया था। मैं वहाँ ठहरा न था क्योंकि मुझे ड्यूटीपर दिनको १२ बजे जाना था।

जब मैं उस दिन रातके ८॥ बजे घर लौटा तो मुझे पता चला कि पटवर्धनने

मुझे फौरन बुलवाया है। मैं वहाँ गया और बडगेको बैठा पाया। पटवर्धनको २०० रु० की आवश्यकता थी। मैंने २००) दे दिये। उस समय पटवर्धनके पास कुछ और रुपये थे। उसने वे रुपये तथा मेरे दिये हुए रुपये इकट्ठा कर बडगेको दे दिये।

८८ वाँ गवाह

अगले गवाह सदाशिव पेठ, पूनाके गोविन्द विष्णु काळेने बताया कि जनवरी १९४८ में मैं मिलिटरी एकाउण्ट्स विभागमें काम करता था। १० वर्षसे मैं पाण्डुरंग वि० गोडबोलेको जानता हूँ। ३० जनवरी १९४८ को रातको मैं उसके घर गया था और गान्धीजीकी मृत्युके बारेमें बातचीत करता रहा। उस समय गोडबोले हतबुद्धि हो रहा था। उसने मुझे बताया कि मेरे पास एक रिवाल्वर है जिसे कि मैं फेंक देना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं उसे फेंक आऊँगा। उसने मुझे कपड़ेका एक थैला दिया जिसमें एक रिवाल्वर तथा ५ कारतूस थे। मैंने फर्गुसन कालेज रोडके समीप कारतूस तो ३-४ फरवरीको और रिवाल्वर [illegible] फरवरी १९४८ को फेंका था।

गोडसे और उपन्यास

नयी दिल्ली, ३१ अगस्त। मालूम हुआ है कि नथूराम गोडसेने अपना वक्तव्य लिखना शुरू कर दिया है। अदालतसे बाहरका समय वह अधिकतर अपना वक्तव्य तैयार करनेमें ही बिताता है।

अपना शेष समय वह हिन्दी और मराठी उपन्यासों तथा अन्य पुस्तकोंके पढ़नेमें बिताता है।

अन्य अभियुक्तोंने भी अपने अपने वक्तव्य तैयार करने शुरू कर दिये हैं।

मैंने रिवाल्वरको भी झोले समेत फेंक दिया। मैंने पुलिसको वह स्थान दिखाया जहाँ कि मैंने कारतूस फेंके थे, पर पुलिस कूड़ादानीमें कारतूसोंको ढूँढ़नेको तत्पर न थी।

१ सितम्बर—८९ वाँ गवाह

आज गुलाव हिन्दू होटल, वम्बईके मालिक शिवा नागेश शेट्टीने गवाही दी।

शेट्टीने अपने वयानमें कहा कि मैं एक होटलका मालिक हूँ। मुझे याद है कि क्राफर्ड मार्केटके समीपस्थ सी० आई० डी० के दफ्तरमें मैं वुलाया गया था। वहाँ एक रजिस्टर पेश किया गया। वहाँ एक पंचनामा तैयार किया गया और मैंने उसपर हस्ताक्षर किये। एक व्यक्तिने जिसने अपना नाम प्रभाकर नानाभाई वैद्य वताया था, वह रजिस्टर पेश किया था। गवाहने अदालतमें रजिस्टर तथा पंचनामा पहचाना।

अन्य प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि रजिस्टरमें दो खानोंमें खाना-पूरी की गयी है। मेरे साथ एक और व्यक्ति था। उसने भी उस पंचनामे और रजिस्टरपर दस्तखत किये थे। फिर उस रजिस्टरको पुलिस ले गयी थी।

९० वाँ गवाह

पैरामाउण्ट फिल्म्स आफ इण्डियाका एक कर्मचारी यशवन्त शान्ताराम वोरकरने गवाही देते हुए कहा कि ११ मार्च १९४८ को मैं सी० आई० डी० के दफ्तरमें वुलाया गया। उस दिन एक व्यक्ति अन्दर लाया गया जिसने अपना नाम नथूराम गोडसे वताया था। एक सफेद कागज उसे दिया गया और उससे अंग्रेजीमें लिखाया गया। गोडसेने उस कागजपर लिखकर तीन-चार स्थानोंपर दस्तखत किये।

(गवाहने अदालतमें इस कागजको पहचाना और वताया कि मैंने भी इस कागजपर दस्तखत किये थे।)

इसके वाद मेरी उपस्थितिमें आपटे, करकरे, मदनलाल और गोपाल गोडसे अलग अलग लाये गये। उनसे भी अलग अलग कागजोंपर लिखाकर दस्तखत कराये गये। मैंने भी इन कागजोंपर अपने हस्ताक्षर किये थे।

श्री डांगे द्वारा जिरह की जानेपर गवाहने वताया कि यद्यपि मेरी भाषा कोंकणी है, पर मैं मराठी भी अच्छी तरह जानता हूँ। करकरेको यह नहीं वताया गया था कि उससे वार-वार हस्ताक्षर करनेको क्यों कहा गया है।

श्री वनर्जीके जिरह करनेपर गवाहने वताया कि ११ मार्च १९४८ को ही

में पहली बार सी० आई० डी० के दफ्तर गया था। मैं यह नहीं कह सकता कि उस समय कोई मजिस्ट्रेट था या नहीं।

श्री इनामदारके जिरह करनेपर गवाहने बताया कि मेरी उपस्थितिमें अभियुक्तों-को यह नहीं बताया गया था कि उनसे यह सब कुछ किसलिए लिखाया जा रहा है, पीछे कहा गया हो तो मैं नहीं जानता।

९१ वाँ गवाह

अगले गवाह विनयकुमार शान्ताराम प्रधानने पिछले गवाह यशवन्त शान्ता-राम बोरकरके बयानकी पुष्टि करते हुए गवाही दी। गवाहने अपने बयानमें बताया कि मैं मार्च १९४८ में जे० जे० स्कूल आफ आर्टस् बम्बईमें पढ़ता था। मुझे याद है कि मैं सी० आई० डी० के दफ्तरमें गया था। वहाँ जिस समय पाँच व्यक्तियों-को लिखनेको कहा गया था उस समय मैं उपस्थित था। मैंने भी उन कागजोंपर हस्ताक्षर किये थे।

श्री मेंगले द्वारा जिरह की जानेपर गवाहने कहा कि नथूराम गोडसेसे कोई भी बात मराठीमें लिखनेको नहीं कही गयी थी। इसके बाद मैं फिर कभी सी० आई० डी० के दफ्तर नहीं गया।

श्री डौंगेके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि करकरेने कागजपर जो वी० वाई० एस० (V. Y. S.) लिखा है, उसे यह लिखनेके लिए नहीं कहा गया था।

श्री इनामदारके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने बताया कि एक पुलिस अफसरने अभियुक्तोंको उस पत्रके आधारपर लिखनेको कहा था जिसे कि वह अन्य पत्रोंके साथ अपने साथ लाया था।

२ सितम्बर—९२ वाँ गवाह

आज नयी दिल्लीके स्पेशल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट श्री [illegible]ने गवाही दी।

गवाहने अपना बयान देते हुए कहा कि फरवरी १९४८ में मैं नयी दिल्लीमें स्पेशल मजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ था। मुझे याद है कि पुलिसने मुझे ७ फरवरी और २८ फरवरीको दो शिनाख्त परेडें देखनेको कहा था।

विड़ला-भवनके छोटूरामने भी शिनाख्त की थी कि यही व्यक्ति मदनलालके साथ बैठकर टैक्सीमें आया था। टैक्सी ड्राइवर सुरजीत सिंहने शिनाख्त करके बताया था कि यही व्यक्ति २० जनवरीको तीन अन्य व्यक्तियोंके साथ मेरी टैक्सीमें बैठकर विड़ला-भवन आया था। इसके अतिरिक्त तीन अन्य गवाहोंने भी शिनाख्त की थी।

दूसरी शिनाख्त परेड २८ फरवरी १९४८ को आपटे और करकरेके बारेमें सेण्ट्रल जेलमें हुई थी। इस परेडमें मेरीना होटलके सी० पचेको, रामचन्द्र और कालीरामने आपटेको पहचाना तथा अभ्यागत परिचारक श्री मार्टिनने करकरेकी शिनाख्त की थी। टैक्सी ड्राइवर सुरजीत सिंहने आपटेकी ओर इशारा करते हुए बताया था कि इस व्यक्तिने २० जनवरी १९४८ को रीगल सिनेमाके पाससे टैक्सी किरायेपर की थी। छोटूरामने आपटे और करकरेको पहचानते हुए कहा था कि ये व्यक्ति अन्य दो व्यक्तियोंके साथ ४॥-५ बजे विड़ला-भवन गये थे। विड़ला-भवनके चौकीदार भूरासिंहने आपटे और करकरेकी ओर इशारा करते हुए कहा था कि जब ये लोग विड़ला-भवन आये थे तो मैं दरवाजेपर बैठा हुआ था। सुलोचना देवीने भी आपटेको पहचाना था। दोनों अवसरोंपर कोई पुलिस अफसर मौजूद न था।

गवाहने बताया कि मुझे यह याद है कि परचुरेका इकबाली बयान ग्वालियरके गृह-विभागसे मैंने प्राप्त किया था और बादमें एक पुलिसके अफसरको दे दिया कि वह उसे इस विशेष अदालतके सिपुर्द कर दे।

ओकके जिरह करनेपर गवाहने बताया कि मैं ३१ जनवरी १९४८ को पार्लमेण्ट स्ट्रीट थाने गया था और पुलिसकी हिरासतमें नथूराम गोडसेको रखनेका रिमाण्ड मैंने दिया था।

श्री मेंगलेके जिरह करनेपर गवाहने बताया कि १९४३ में मुझे लकवा मार गया था जिससे चेहरेपर कुछ विरूपता आ गयी है। दूसरी शिनाख्त परेड शामको ४॥ बजे हुई थी।

कई प्रार्थना-पत्र पेश

आज नथूराम गोडसेके वकील श्री ओकने दो प्रार्थना-पत्र पेश किये। पहले प्रार्थना-पत्रमें सबूतकी ओरसे दी गयी उस दरख्वास्तका हवाला दिया गया था जिसमें बम्बईके गृह-मन्त्री श्री मुरारजी देसाईसे पूछे गये कुछ प्रश्नोंको रेकार्डमें दर्ज करनेकी अदालतसे प्रार्थना की गयी थी। प्रार्थना-पत्रमें कहा गया है कि सबूतकी आपत्ति कानूनकी दृष्टिसे मजबूत नहीं है। मुरारजी देसाईसे पूछे गये प्रश्न पूछनेमें हमारा इरादा यह मालूम करनेका था कि २० जनवरी १९४८ को हुए काण्डसे पूर्व देशकी राजनीतिक स्थिति क्या थी।

दूसरे प्रार्थना-पत्रमें कहा गया था कि सबूतके गवाह सरदार गुरुबचनसिंहका यह बयान अदालतके रेकार्डमें नहीं रखा गया है कि महात्मा गान्धीने मुझसे कहा था कि मैंने इसलिए अनशन किया है कि दिल्लीके मुसलमान आजादीसे सड़कोंपर चल-फिर नहीं सकते। यह कथन किसीसे सुनी हुई बात नहीं है। अतः गवाहका यह बयान भारतीय गवाही कानूनकी ६० वीं धाराके अनुसार स्वीकार्य होना चाहिये।

सावरकरके वकील श्री भोपटकरने श्री दफ्तरीके प्रार्थना-पत्रके उत्तरमें एक प्रार्थना-पत्र दिया कि बम्बईके गृह-मन्त्री श्री देसाईने इस प्रश्नका उत्तर नहीं दिया था—"सावरकरके घर और उनकी गतिविधिपर कड़ी निगरानी रखनेकी आज्ञा देना क्या आपकी दृष्टिमें अच्छा काम था ?" चूँकि यह प्रश्न वापस लिया जा सकता है। अतः जजने इसे रेकार्डके लिए नहीं लिखवाया। यह ठीक ही किया है।

मजिस्ट्रेटसे जिरह

इसके बाद श्री डांगेने गवाह कृष्णचन्द्रसे जिरह की। गवाहने कहा कि शिनाख्त परेड होनेसे पहले जेलके सुपरिण्टेण्डेण्टने मुझे दिखा दिया था कि करकरे कौनसा है। मैं यह नहीं कह सकता कि उसने शिनाख्त परेडमें बाहरी व्यक्तियोंको क्यों नहीं खड़ा किया। मैंने स्वयं १२ विचाराधीन कैदियोंको परेडमें अभियुक्तोंके साथ खड़ा किया था। आपटे तथा करकरे महाराष्ट्रीयसे नहीं लगते थे। मैं यह नहीं कह सकता कि उन १२ विचाराधीन कैदियोंमें कोई महाराष्ट्रवासीसा लगता था या नहीं।

पहली शिनाख्त परेडमें गोडसेके सिरपर पट्टी नहीं बँधी थी। हाँ, एक कपड़ा वह अपने सिरमें बाँधे हुए था।

श्री बनर्जीके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने बताया कि २५ जनवरी १९४८ को मैंने पुलिसको रिमाण्ड दिया था कि वह मदनलालको [illegible] हिरासतमें रखे। इसके बाद मदनलालको हिरासतमें रखनेके लिए मुझसे रिमाण्ड नहीं मांगा गया।

इनामदारके जिरहके उत्तरमें गवाहने बताया कि जिस पैकेटमें आपटेका इकबाली बयान ग्वालियरसे लाया था, उसपर भारत सरकारकी मुहर लगी हुई थी। मुहरका नमूना मेरे पास नहीं आया। मैंने उस पैकेटको खोलकर [illegible] फिर उसपर मुहर लगा दी थी।

श्री ओकके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि मैंने जेउसे कपड़ा लानेको कहा था। मैंने किसी व्यक्तिविशेषसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने सिरमें कपड़ा बाँधो। वह कपड़ा तौलिया तथा रूमाल जैसा था। मुझे यह याद नहीं कि मैंने ३१ जनवरी १९४८ को गोडसेके सिरपर कोई चोट देखी थी या नहीं।

९३ वाँ गवाह

दूसरे गवाह भारत सरकारके शरणार्थी विभागके एक कर्मचारी श्री एस० आर० सहगलने गवाही देते हुए कहा कि १९ जनवरी १९४८ को मैं ईस्टर्न कोर्ट दिल्ली में ट्रंक एक्सचेंजमें तैनात था। ट्रंक टेलीफोनको लिख लेना मेरा काम था।

१९ जनवरीको प्रातः ९ बजकर २० मिनटपर दिल्लीसे टेलीफोन नं० ८०२४ से बम्बईको ६०२०१ नम्बर टेलीफोनसे मिलानेको कहा गया। जब ट्रंक कॉल लिखाया जाता है तो एक टिकटपर दिल्लीके टेलीफोनका नम्बर तथा बाहर जिस स्थानके लिए टेलीफोन मिलानेको कहा जाता है, उसका नाम लिखा जाता है।

२ सितम्बर—९४ वाँ गवाह

आज बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवेके एक कर्मचारी श्री रमणलाल देसाईने गवाही दी।

गवाहने कहा कि जनवरी और फरवरी १९४८ में मैं विलेपार्ले स्टेशनपर तैनात था। मैं गत ६ वर्षोंसे रेल विभागमें काम कर रहा हूँ। मेरा काम बाहरसे आनेवाले व्यक्तियोंके टिकट एकत्र करना तथा उन्हें हर दो घण्टे बाद एक रजिस्टरमें चढ़ाना है। मैं इन टिकटोंको रजिस्टरपर चढ़ानेका काम टिकट कलेक्टरके दफ्तरमें किया करता था। डाकगाड़ियाँ इस स्टेशनपर नहीं रुकतीं। पहले मैं इन टिकटोंको स्टेशनके हिसाबसे सिलसिलेवार लगा लेता, बादमें रजिस्टरमें टिकटोंके नम्बर चढ़ाता हूँ। मैं इन टिकटोंको चढ़ाते समय एक प्रति कारबन लगाकर और तैयार करता था।

३० जनवरीको मैं टिकट चढ़ानेकी ड्यूटीपर प्रातः ७ बजेसे ११ बजे तथा शामको ४ बजेसे ८ बजे तक था। उस दिन दादर स्टेशनसे विलेपार्लेके लिए जारी किये ०५८३० नम्बरसे लेकर ०५९४० नम्बर तकके टिकट आये।

०५८९१ नम्बरका टिकट जो आपटेके पास पकड़ा गया था, और अदालतमें पेश किया गया था, गवाहको दिखाया गया।

गवाहने टिकट देखकर कहा कि यह टिकट विलेपार्ले स्टेशनपर प्राप्त किया गया था। उस दिन ०५८३० से ०५८३४ नम्बरके टिकटोंका पता नहीं लगा। ३० जनवरी १९४८ को यह टिकट नं० ०५८९१ दोपहरको बारह बजेसे शामके चार बजे तक एकत्र किया जाना चाहिये था।

२४ घण्टेमें जो टिकट एकत्र किये जाते हैं, वे सब एक बंडलमें बाँधकर बम्बई सेण्ट्रल स्टेशन भेज दिये जाते हैं। वहाँसे वह बण्डल अजमेर भेज दिया जाता है। स्टेशनपर दर्ज किये गये टिकटोंकी कारबनकी तैयार की गयी प्रति भी इस बण्डलके साथ भेजी जाती है। जब एक टिकट एक यात्रीसे प्राप्त कर लिया जाता है तो उस टिकटको किसी दूसरे व्यक्तिको देनेका किसीको अधिकार नहीं। ०५८९१ नम्बरका टिकट तीसरे दर्जेका था।

मॅगलेके जिरह करनेपर गवाहने बताया कि जो टिकट (०५८२० से ०५८२४) प्राप्त नहीं हुए वे दादर स्टेशनसे बाँटे गये होंगे। उस दिन विलेपार्ले स्टेशनपर दादरसे बाँटे गये १०६ टिकट एकत्र किये गये थे। टिकट बाँधकर उनका बण्डल दफ्तरमें रखा जाता है। कोई भी बाहरी व्यक्ति दफ्तरके कमरेमें नहीं घुस सकता। बादमें एक रेलवे गार्डके हाथों यह बण्डल बम्बई सेण्ट्रल स्टेशन भेज दिया जाता है। प्रायः उसी रातको ये बण्डल बम्बई सेण्ट्रल स्टेशनसे अजमेरको भेज दिये जाते हैं। मैं बम्बई सेण्ट्रल स्टेशनपर भी काम कर चुका हूँ। मैंने ३१ जनवरी १९४८ को टिकटोंके इन बण्डलोंको बम्बई भेजे जानेसे पूर्व जाँच पड़ताल तथा मिलान किया था। इस बातकी पूरी सावधानी रखी गयी थी कि कहीं टिकट गिर न जाय।

श्री डॉगेकी जिरहका उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि विलेपार्ले स्टेशनपर एक रजिस्टर रहता है जिसपर कि मैं आने-जानेका समय लिखा करता था। मेरे नाम जो सम्मन जारी किया गया था उसमें कोई भी कागज लानेके लिए मुझसे नहीं कहा गया। रजिस्टरपर दर्ज किये गये नम्बरकी कारबन लगाकर निकाली प्रति भी ३१ जनवरीको अजमेर भेज दी गयी थी। (यह कारबन प्रति अदालतमें दिखायी गयी थी।) कभी कभी बगैर टिकटवाले व्यक्ति गिरफ्तार भी हो जाते हैं। जब बहुत अधिक भीड़ होती है तो बहुतसे यात्री एकदम दरवाजेसे निकल जाते हैं और उनमें-से किसीके पास टिकट होता है, किसीके पास नहीं।

इसके पूर्व नथूराम गोडसेके वकील श्री ओकने अदालतमें एक प्रार्थनापत्र इस आशयका दिया कि प्रार्थना-सभामें खाली कारतूसका खोल मिला और श्री देवदास गान्धीने वह खोल गवाह सरदार गुरबचन सिंहको दिया। यह गवाही तबतक विचारणीय नहीं हो सकती जब तक कि स्वयं श्री देवदास गान्धीका बयान अदालतमें न लिया जाय। इसलिए मैं अदालतसे प्रार्थना करता हूँ कि वह खुद पहले यह पता लगाकर निश्चय कर ले कि श्री देवदास गान्धी गवाहके रूपमें पेश किये जायेंगे या नहीं। अदालतने इस प्रार्थनापर अभी कोई निर्णय नहीं दिया।

गवाह श्री रमनलाल देसाईसे श्री इनामदारने जिरह की। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति विलेपार्ले स्टेशनका टिकट ले और किसी अन्य स्टेशनपर उतर

जाय तो जिस स्टेशनपर उससे वह टिकट लिया जायगा, वहाँसे वह टिकट फिर विलेपार्ले स्टेशन नहीं भेजा जायगा। विलेपार्ले स्टेशनके अधिकारी उस टिकटको गुम-शुदा कहेंगे। जब सारे टिकटोंका बण्डल बाँधा जाता है, तो उसमें छेद कर दिया जाता है।

दुबारा प्रश्न किये जानेपर गवाहने इस तथ्यका हवाला देते हुए कि आपटेके पास जो टिकट पाया गया था उसमें छेद नहीं है, कहा कि यह टिकट बण्डल बाँधनेसे पहले, पर रजिस्टरमें दर्ज होनेके बाद, निकाल लिया गया होगा।

श्री डांगेके प्रश्नोंके उत्तरमें गवाहने कहा कि रजिस्टरमें टिकट दर्ज हो जानेपर फिर दुबारा चेकिंग नहीं होती है।

९५ वाँ गवाह

अगले गवाह एलफिंस्टन रोड स्टेशनके टिकट कलक्टर जान गोन्सने अपने बयानमें कहा कि २ फरवरीको मैं ड्यूटीपर था। मैंने उस दिन टिकट एकत्र किये और उन्हें रजिस्टरमें दर्ज भी किया था।

इसी समय आपटेके वकील श्री मेंगलेने कहा कि इस गवाहकी गवाही इस मुकदमेमें अप्रासंगिक है। आपने अदालतसे प्रार्थना की कि २ फरवरी १९४८ की तारीखके टिकटसे कोई अनुमान न लगाये, क्योंकि इस तारीखके टिकट न तो मेरे मुअक्किलने पेश किये हैं और न सबूत पक्षकी ओरसे पेश किये गये हैं।

सबूत पक्षके वकील श्री दफ्तरीने कहा कि यदि मैं यह प्रमाणित कर दूँ कि अभियुक्तोंके पास जो टिकट था वह अवैध था तो आगे चलकर अदालत उन टिकटोंको प्रामाणिक नहीं मान सकती जो कि उसको गिरफ्तारीके समय पुलिसको मिले थे। इसके बाद अदालतको इस विषयपर फैसला देनेका अधिकार है। अदालतने दोनों पक्षोंकी बात सुनकर आगे गवाही लेनेकी अनुमति न दी।

९६ वाँ गवाह

इसके बाद बम्बईमें जिमनाशियम रोडपर स्थित एक होटलके मालिक रघु परमेश्वर नायककी गवाही हुई।

गवाहने कहा कि मुझे याद है कि मैं सी० आई० डी० के दफ्तरमें बुलाया गया था और एक रजिस्टरकी कुछ खानापूरी मुझे दिखायी गयी थी। मेरे सामने एक पंचनामा तैयार किया गया था। मैंने उस पंचनामे तथा रजिस्टरपर अपने हस्ताक्षर किये थे।

६ सितम्बर—९७ वाँ गवाह

आज बम्बई बड़ौदा रेलवेके असिस्टेण्ट एकाउण्ट्स अफसर श्री नाथूराम अग्रवालकी गवाही हुई।

गवाहने बताया कि मेरे विभागमें रोजाना वे टिकट वापस होकर आया करते थे जो कि विभिन्न स्टेशनोंपर यात्रियोंसे लिये जाते हैं। ३० जनवरी १९४८ को विलेपार्ले स्टेशनपर जो टिकट यात्रियोंसे लिये गये थे उनकी रिपोर्ट अजमेरमें मुझे मिली थी।

इस रिपोर्टसे तो यह सिद्ध होता है कि ०५८९१ नम्बरका टिकट विलेपार्ले स्टेशनपर यात्रीने लिया है। यह भी सम्भव नहीं है कि एक ही दिन में एक ही नम्बरके दो टिकट हों। प्रत्येक स्टेशनके एक लाखके लगभग टिकट छपते हैं और जिस स्टेशनपर बहुत ज्यादा लोग आते जाते हों, वहाँ भी एक बार छपे टिकट समाप्त होनेमें कमसे कम २ महीने लग जाते हैं।

जिरहमें गवाहने कहा कि इस रिपोर्टमें ऐसा लगता है कि इसकी तारीख २९ से बदल कर ३० की गयी हो। जितने टिकट बाँटे जाते हैं प्रायः उनके १५ प्रति शत टिकट गुम हो जाते हैं।

९८ वाँ गवाह

इसके बाद दादर स्टेशनके टिकट कलेक्टर श्री मेंडसकी गवाही हुई। गवाहने बताया कि ३१ जनवरी १९४८ को सैंडहर्स्ट रोड स्टेशनसे दादर तकका टिकट जिसका नं० ६७४० था, दादर स्टेशनपर शामके ४ बजेसे १२ बजे रातके बीचमें मैंने लिया था। मैंने लिखा था कि ६७४१ नम्बरका टिकट गुम है (करकरेके पास पुलिसको जो टिकट मिला था, उसका नम्बर ६७४० है।)

ठाणासे दादर तकका टिकट, जिसका नम्बर १७३८ है, दादर स्टेशनपर ४ बजे शामसे १२ बजे रातके बीच प्राप्त किया गया था।

जिरहमें गवाहने बताया कि केवल गुमशुदा टिकटोंके नम्बर नोट किये जाते हैं।

इससे पूर्व करकरेके वकील श्री डांगेने इस आशयका एक प्रार्थनापत्र अदालतमें पेश किया कि नित्य प्राप्त किये गये टिकटोंको चढ़ानेका जो रजिस्टर है, उसकी कारबन लगाकर तैयार की गयी ३० जनवरी १९४८ की कापी ३ सितम्बरको अदालतमें दर्शनीय वस्तु मान ली गयी है, यह अवैध है। अतः इससे सम्बन्धित सबूत पक्षकी गवाही स्वीकार न की जाय। इसके लिए यह दलील दी गयी थी कि सबूत कानूनके अनुसार किसी भी कागजकी कारबन लगाकर तैयार की गयी प्रति ओरिजनल सबूत नहीं होता। दूसरे यह प्रति जिस व्यक्तिके पास होती है, उसने पेश नहीं की।

३ सितम्बर १९४८ को सबूत पक्षकी ओरसे श्री जान गोन्सने जो कागज पेश किये हैं, उनके बारेमें भी इसी तरहकी आपत्ति इसी प्रार्थना-पत्रमें उठायी गयी है।

गवाह श्री मैंडसने और जिरहके उत्तरमें कहा कि जब बहुत भीड़ होती है तो दादर स्टेशनपर कुछ व्यक्ति बिना टिकट दिये भी निकल सकते हैं। ६७४० तथा १७३८ नम्बरके टिकट दादर स्टेशनपर लिये गये होंगे।

९९ वाँ गवाह—टिकट एकत्र करनेका रहस्य

इसके बाद ठाणा स्टेशनके टिकट कलेक्टर श्री जयप्रकाश कुरेसियाने गवाही दी। गवाहने बताया कि २ फरवरी १९४८ को मैं शामके ४ बजेसे रातके १२ बजे तक ड्यूटीपर था और उसके अगले दिन प्रातः ८ बजेसे शामके ४ बजे तक ड्यूटीपर था।

इसी समय आपटेके वकील श्री मैंगलेने आपत्ति उठायी कि इस गवाहकी गवाही अनियमित करार दे दी जाय क्योंकि यह २ फरवरी १९४८ को ठाणा स्टेशनपर प्राप्त २९३१ नम्बरके टिकटके सम्बन्धमें होगी।

श्री दफ्तरीने कहा कि अभियुक्तने ऐसे काफी टिकट एकत्र करनेका प्रयत्न किया है जो कि कानूनन उसके पास नहीं रहने चाहिये। अभियुक्तने ३० जनवरीसे १४ फरवरी तकके टिकट जान बूझकर एकत्र किये थे ताकि वह यह सिद्ध कर सके कि घटनाके दिन मैं वहाँ था ही नहीं। अदालतने श्री मैंगलेकी आपत्ति स्वीकार कर ली तथा आगे गवाही लेनेसे इनकार कर दिया।

इसके बाद बम्बई कोआपरेटिव इन्श्योरेंस सोसाइटीके चीफ एजेण्ट तथा कुलकर्णी कम्पनीके साझीदार श्री दत्तात्रेय रामचन्द्र काटेने गवाही दी। गवाहने अपने बयानमें कहा कि मुझे याद है कि २२ तथा २३ मार्च १९४८ को मैं बम्बईके सी० आई० डी० पुलिसके दफ्तरमें बुलाया गया था। ५ व्यक्तियोंको अलग अलग बुलाकर उनसे कागजपर लिखनेको कहा गया। मैंने भी उन कागजोंपर हस्ताक्षर किये थे। लिखनेके लिए दो फाउण्टेनपेन दिये गये थे।

ये पाँच व्यक्ति मदनलाल, करकरे, नथूराम गोडसे, आपटे तथा गोपाल गोडसे थे। अन्तमें एक पंचनामा तैयार किया गया और मैंने उसपर हस्ताक्षर किये। पुलिसके डिप्टी कमिश्नर श्री नगरवाला भी उस समय उपस्थित थे। दूसरे दिन भी इन लोगोंसे कागजोंपर लिखवाया गया था। उस दिन गोपाल गोडसे पहले आया था और इसके बाद मदनलाल, करकरे, आपटे और नथूराम गोडसे आये थे। मैंने भी उन कागजोंपर हस्ताक्षर किये थे। बादमें एक पंचनामा तैयार किया गया था। मैंने उस पंचनामेपर भी हस्ताक्षर किये थे।

७ सितम्बर तरमें पंच होनेके लिए बुलाया गया था।
ने एक कोट दिखाया। मैंने उस कोटपर
आज बम्बईके एक मेकेनिक श्री परेराक
१९४८ को मैं खुफिया पुलिसके दफ्तरमें बुला
गोडसे, आपटे तथा करकरे लाये गये और उनसे एक एक व्यक्ति बैठा था जिसने
कहा गया। इसके बाद एक पंचनामा तैयार किया गया। मैंने किसका है? आपटेने यह
नामा दोनोंपर अपने हस्ताक्षर किये। क पैण्ट निकाला

जिरह करनेपर गवाहने बताया कि गवाहोंको एक फाइलमेंसे कुछ बोला तैयार था जो कि पुलिसके सब-इन्स्पेक्टर श्री हल्दीपुरके पास थी।

१०१ वाँ गवाह

इसके बाद बम्बईके निवासी एक क्लर्क श्री एस० वाई० सुर्वेने गवाही देते हुए कहा कि १० मार्च १९४८ को मुझे खुफिया पुलिसके दफ्तरमें बुलाया गया था। वहाँ नथूराम गोडसे, आपटे, करकरे, मदनलाल तथा गोपाल गोडसेको बुलाया गया और मेरी उपस्थितिमें एक-एक कागजपर कुछ लिखवाया गया था। गवाहने यह बताया कि मैंने भी उन कागजों तथा पंचनामेपर हस्ताक्षर किये थे। श्री हल्दीपुरने पंचनामा लिखा था। श्री हल्दीपुरने इन व्यक्तियोंको अपना बोला हुआ लिखनेको बाध्य नहीं किया था। उन्होंने किसी शब्दके स्पेलिंग (हिज्जे) नहीं बोले थे और न मदनलालसे किसी विशेष तरीकेसे कोई विशेष पत्र लिखनेको कहा था।

१०२ वाँ गवाह

भारत साइकिल कम्पनी, ग्रैण्ड ट्रंक रोड लुधियानाके श्री बिहारीलाल चूटरामने गवाही देते हुए कहा कि मैं ३० जनवरी १९४८ को बिड़ला-भवनमें उस समय मौजूद था जब कि नथूराम गोडसेकी तलाशी ली गयी थी और गोडसेके पास बहुतसी वस्तुएँ निकली थीं। इन चीजोंमें एक तो जेबकी डायरी तथा ग्वालियरके सिक्के भी थे।

गवाहने बताया कि उस दिन पहली ही बार मैं प्रार्थना-सभामें गया था। मैं गान्धीजीकी दाहिनी ओर खड़ा था। मैं भोपाल या ग्वालियर कभी नहीं गया। मैं लायलपुरका रहनेवाला हूँ। प्रार्थना-सभामें ही नथूरामके पाससे पिस्तौल छीना गया था।

८ सितम्बर—१०३ वाँ गवाह

गवर्नर-जनरल राजाजीके भाषणके सम्बन्धमें आपत्ति करते हुए मदनलालके वकीलने जो अर्जी दी थी उसके बारेमें आज उन्होंने कहा कि [illegible]

३ सितम्बर १९४८ को सबूत पक्षकी ओर हैदराबादका उपद्रव दबानेके लिए मदनलाल किये हैं, उनके बारेमें भी इसी तरहकी आपत्ति वापस ले लेनेको कहा है।

गवाह श्री मैंडसने और जिरहके ... नक हरि जाचकको गवाही हुई। गवाहने कहा कि दादर स्टेशनपर कुछ व्यक्ति बि... चौकीमें पंच बननेके लिए बुलाया गया था। वहाँ जाने- १७३८ नम्बरके टिकट ... व्यक्तिको मौजूद पाया। उसने शेखर नामक व्यक्तिसे कपड़े- ...र करनेको कहा जो उसके पास था। थैला खोला गया। उसके अन्दर ...ुए थीं, उनकी सूची तैयार की गयी। वहाँ एक पंचनामा तैयार किया गया तथा मुझे पढ़कर सुनाया गया। मैंने पंचनामेपर हस्ताक्षर किये। थैलेकी वस्तुओंमें पिस्तौल जैसा एक हथियार, दो हथगोले तथा कारतूसोंकी एक पेटी थी।

१०४ वाँ गवाह—असाधारण जेबोंका कोट-पैण्ट

अगले गवाह नारायण गणेश दावकेने अपने बयानमें कहा कि मैं पूनाकी दर्जियोंकी एक फर्म दावके एण्ड कम्पनी का मालिक हूँ। मैं आपटे (अभियुक्त) को जानता हूँ, क्योंकि वह गत तीन वर्षोंसे मेरे यहाँ कपड़े सिलवाता है। मेरी दूकानसे आपटेके घर केवल एक मिनटका रास्ता है।

अदालतमें दो कपड़े पेश किये गये। गवाहने इन कपड़ोंको पहचानते हुए कहा कि यह ऊनी सूट मेरी दूकानका सिला हुआ है। यह कोट पतलून मेरी दूकानपर १९ नवम्बर १९४६ को डाला गया था और ५ दिसम्बर १९४६ को तैयार माँगा गया था। आपटेने इसकी सिलाई ३०) दी थी। इस कोट तथा पैण्टकी जेबोंकी गहराई असाधारण थी। पुलिस आपटेको लेकर १७ अप्रैल १९४८ को मेरी दूकानपर आयी और यह ऊनी सूट मुझे दिखाकर पूछा कि यह सूट किसने तैयार किया है। मैंने पुलिसको रजिस्टर दिखाकर कहा कि यह सूट मैंने तैयार किया है। इसके बाद एक पंचनामा तैयार किया गया और पुलिस मेरा रजिस्टर ले गयी जो कुछ दिनों बाद मुझे लौटा दिया गया।

जिरहमें गवाहने कहा कि मैं पूनाके मराठी विद्यालयमें शारीरिक शिक्षाका शिक्षक भी रहा हूँ। मुझे यह याद नहीं कि मैंने आपटेको शारीरिक शिक्षा दी या नहीं। यह हो सकता है कि आपटेने मुझसे दस मास पूर्व महात्मा गान्धीकी प्रार्थना सभामें प्रदर्शन करनेको एक स्वयंसेवकके रूपमें अपने साथ चलनेको कहा हो।

१०५ वाँ गवाह

अगले गवाह बम्बई गैस कम्पनीके एक कर्मचारी श्री विनायक शंकरराव दलवीने अपना बयान देते हुए बताया कि १६ अप्रैल १९४८ को मुझे क्राफर्ड मार्केटके

समीप स्थित सी० आई० डी० के दफ्तरमें पंच होनेके लिए बुलाया गया था। पुलिसके डिप्टी कमिश्नर श्री नगरवालाने मुझे एक कोट दिखाया। मैंने उस कोटपर हस्ताक्षर किये थे।

इसके बाद मैं कोट लेकर एक कमरेमें गया जहाँ एक व्यक्ति बैठा था जिसने अपना नाम आपटे बताया था। मैंने उससे पूछा यह कोट किसका है? आपटेने यह स्वीकार किया कि यह कोट मेरा है। इसके बाद आपटेने बक्ससे एक पैण्ट निकाला और कहा कि इस कोट और पैण्टसे पूरा सूट होता है। इसके बाद पंचनामा तैयार किया गया।

९ सितम्बर—१०६ वाँ गवाह

आज सदाशिव पेठ पूनाके ब्रोकर महादेव गोविन्द कुलकर्णीकी गवाही ली गयी। गवाहने अपने बयानमें कहा कि ३० जनवरी १९४८ को रातमें २॥ बजे पुलिस सदाशिव पेठके मकानके एक कमरेमें मुझे पंच बननेको बुला ले गयी जहाँ नथूराम गोडसे रहता था। यह वह कमरा था जो मैंने अनगल नामक एक व्यक्तिको किरायेपर उठा दिया था। तलाशी लेनेपर कमरेमें कुछ चीजें बरामद हुई थीं। एक पत्र तथा एक चेकके अतिरिक्त एक अलमारीके ऊपर मोम जैसा कोई पदार्थ पड़ा पाया था, जिसमेंसे दुर्गन्ध निकल रही थी।

जिरहमें गवाहने कहा कि अनगलको ५) प्रति मास किरायेपर यह कमरा दिया गया था। मैं यह नहीं जानता कि अनगल नथूराम गोडसेसे किराया लिया करता था या नहीं। जो चिपकना पदार्थ अलमारीपर पड़ा था, उसे उठानेसे पहले एक पानी भरी बाल्टीमें डाला गया था क्योंकि वह विस्फोटक पदार्थ था।

१०७ वाँ गवाह

अगले गवाह ग्वालियरके पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री दिनकर पांडुरंगराव [illegible] पाटिलने बयान देते हुए कहा कि मैं ग्वालियर राज्यमें गत ११ वर्षोंसे नौकर हूँ। गत जनवरी-फरवरी मासमें मध्यभारतकी तत्कालीन राजधानी लश्करमें पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट था। मैं डाक्टर परचुरेको जानता हूँ। वह ग्वालियर हिन्दूसभाका अध्यक्ष तथा हिन्दू राष्ट्र संघका संयोजक था।

जनरल पुलिसकी आज्ञाके अनुसार परचुरेको फौजी अधिकारियोंके सुपुर्द कर दिया था ताकि उसे ग्वालियर किलेमें कैद किया जाय।

गवाहने आगे बताया कि १४ फरवरीको बम्बई और दिल्ली पुलिसके अफसर गान्धी हत्याकाण्डके सिलसिलेमें ग्वालियर आये थे। ग्वालियरके इन्स्पेक्टर-जनरल पुलिसने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं उनकी उस कार्यमें सहायता करूँ। १६ फरवरीको ग्वालियर सेनाके कमाण्डरसे आवश्यक स्वीकृति लेकर इन अफसरोंको मैं ग्वालियर किले ले गया ताकि वे डा० परचुरेको देख सकें।

किलेमें डा० परचुरे उनकी बारिकसे दवाखानेके कमरेमें लाये गये। मैंने परचुरेका परिचय उन अफसरोंसे कराया। इन पुलिस अफसरोंने परचुरेसे जो भी प्रश्न पूछे, उनका परचुरेने उत्तर दिया। इसके बाद परचुरेको फिर उनकी बारिकमें भेज दिया गया।

पुलिस अफसरोंको बयान दे चुकनेके बाद मेरी जानकारीमें कोई भी पुलिस अफसर फिर परचुरेके पास नहीं जा सका। अगले दिन १७ फरवरी १९४८ को मैं परचुरेको पिछले दिनके बयानके सिलसिलेमें मुरार ले गया। ग्वालियर सेनाके कमाण्डरकी आवश्यक स्वीकृति इसके लिए ले ली गयी थी। बम्बई और दिल्लीके पुलिस अफसर भी उस समय मौजूद थे। एक मजिस्ट्रेट भी बुला लिया गया था। परचुरे हम लोगोंको एक स्थानपर ले गया जहाँपर एक स्टेनगन बरामद हुई। स्टेनगन बरामद होनेके बाद परचुरे फिर किले पहुँचा दिया गया। इस सिलसिलेमें एक रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी। १६ या १७ फरवरीको परचुरेने हममेंसे किसीसे भी यह शिकायत नहीं की कि मेरा स्वास्थ्य खराब है या किलेमें मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।

स्टेनगन बरामद होनेमें केवल एक घण्टा लगा था। १८ फरवरी १९४८ को प्रातः किलेमें ग्वालियरके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेटकी उपस्थितिमें डा० परचुरेने अपना इकबाली बयान दिया था। १९ फरवरीको परचुरे किलेसे पुलिस हवालातमें भेज दिया गया। पुलिसकी हिरासतमें परचुरे २४ अप्रैल १९४८ तक रखा गया। इसके बाद वह बम्बई पुलिसके हवाले कर दिया गया।

२० जनवरी १९४८ को परचुरे ग्वालियरके मजिस्ट्रेटके सामने मूल बयान लेने और अभियुक्तके स्थानान्तरणके सिलसिलेमें पेश किया गया। स्थानान्तरणकी कानूनी कारवाई अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि २३ अप्रैलको अभियुक्त ग्वालियर-के पोलिटिकल (बाह्य) मन्त्रीके आज्ञानुसार बम्बई पुलिसके हवाले कर दिया गया।

गंगाधर जाधव, गंगाधर सखाराम दंडवते तथा सूर्यदेव शर्माको मैं जानता हूँ। ये लोग अभी तक फरार हैं। सरकार इन लोगोंको इसी मुकदमेके सिलसिलेमें

गिरफ्तार करना चाहती थी। इनकी गिरफ्तारीके वारंट निकल चुके हैं। १७ फरवरी-को डा० परचुरेको दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुआ दिखाया गया था।

जिरहमें गवाहने कहा कि जबसे मैं लश्करमें हूँ तबसे मेरी जानकारीमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा हिन्दू राष्ट्रीय सेवा संघके सदस्योंमें कभी भी लड़ाई नहीं हुई। सार्वजनिक सुरक्षा आर्डिनेन्सके अन्तर्गत जो व्यक्ति फरवरीमें गिरफ्तार किये गये थे, उनमेंसे कुछ तो हाई कोर्टकी आज्ञासे तथा शेष ग्वालियरके गृहमन्त्रीकी आज्ञासे रिहा कर दिये गये थे। ग्वालियरमें कांग्रेस पार्टीने २४ जनवरी १९४८ को सरकार सँभाली थी। मुझे यह याद नहीं कि मैंने अपने किसी मातहत अफसरको यह जाँच करनेकी आज्ञा दी हो कि परचुरे भारतका नागरिक है या नहीं।

मेरा ख्याल है कि परचुरेका भाई मुकदमा शुरू होनेतक नजरबन्द रहा। परचुरेके भाईका लड़का भी गिरफ्तार कर लिया गया था, पर मैं यह ठीक-ठीक नहीं बता सकता कि वह कब रिहा कर दिया गया था। ग्वालियर-किला-क्षेत्रका शासन किला-कमाण्डरके हाथमें रहता है।

स्टेनगन मिलनेके बारेमें जो मुकदमा शुरू किया गया था, वह पुराणिक नामक एक व्यक्ति तथा परचुरेके विरुद्ध था। यह सच है कि यह मुकदमा फिर केवल पुराणिकपर ही चलाया गया था।

जो पुलिस अफसर ग्वालियर गये थे, वे मेहमान-गृहमें ठहराये गये थे। ग्वालियरके जिला-मजिस्ट्रेटने मुझसे यह नहीं कहा था कि मैं इस मुकदमेके सिल-सिलेमें भारत डोमीनियनकी पुलिसकी सहायता करूँ। मुझे तो इस आशयकी आज्ञा ग्वालियरकी पुलिसके इन्स्पेक्टर-जेनरलने दी थी।

२७ फरवरी १९४८ को मैं आपटेको लेकर परचुरेके घर गया था तो परचुरेकी पत्नी ही वहाँ थी। (बादमें गवाहने इस बातपर सन्देह प्रकट किया कि उस दिन २७ फरवरी ही तारीख थी।) मैं आपटेको लेकर परचुरेके घर यह मालूम करने गया था कि आपटे और गोडसे उसके घर गये थे या नहीं।

साधारणतः कैदी ग्वालियरकी सेण्ट्रल जेलमें रखे जाते हैं, पर परचुरे इसलिए किले भेजा गया था कि जेलमें रखनेसे जो प्रदर्शन जेलके सामने हो सकते थे, वे न हो सकें। जब परचुरे किलेमें कैद रखा गया था, तो फौजने ही उसे खाना दिया था। वृहत्तर ग्वालियर जिसमें किलेका क्षेत्र भी शामिल है, [illegible] तौरपर उपद्रवग्रस्त घोषित कर दिया गया था।

मुझे यह नहीं मालूम कि परचुरेका भाई अब भी नौकर है या नहीं। २४ जनवरी १९४८ को हिन्दू महासभा पार्टीने मोतीमहलमें एक प्रदर्शन किया था। मुझे यह ज्ञात नहीं कि इस सिलसिलेमें हुई एक सभामें परचुरेने भाषण किया था या नहीं।

मुझे यह ज्ञात है कि परचुरे समझौता बोर्डका एक सदस्य था जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न सम्प्रदायोंमें शान्ति तथा अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना था।

१० सितम्बर—१०८ वाँ गवाह

पूनाके एक डाक्टर पी० डी० गोखलेकी गवाही हुई। गवाहने कहा कि १७ अप्रैल १९४८ को मैं पूना छावनी थानेमें पंच बनानेके लिए बुलाया गया था। उस समय श्री नगरवाला तथा पुलिसके अन्य अफसर भी वहाँ मौजूद थे।

रजिस्टरमें एक सूटकी नाप लिखी हुई थी, जो मुझे दिखायी गयी थी। मैंने रजिस्टरपर हस्ताक्षर किये थे। इस सम्बन्धमें एक पंचनामा तैयार किया गया था। एक ऊनी सूट भी उस समय पेश किया गया था।

१०९ वाँ गवाह

अगले गवाह वी० डब्ल्यू० इनामदारने अपने बयानमें कहा कि १३ अप्रैल १९४८ को पुलिसके डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्टने मुझे आनन्द आश्रमकी तलाशीका गवाह बनानेको बुलाया था। उस आनन्द आश्रममें आपटेका परिवार रहा करता था।

सबूत पक्षके वकीलने दो पत्र तथा एक फोटो अदालतमें पेश किया। फोटोमें सावरकर, नथूराम गोडसे, आपटे आदिका संयुक्त चित्र था। इन्हें पहचानते हुए गवाहने कहा कि मकानकी तलाशी लेते समय ये पत्र तथा फोटो बरामद हुए थे। उस समय एक पंचनामा तैयार किया गया और मैंने उसपर अपने हस्ताक्षर किये थे। श्री नगरवाला तथा अन्य पुलिस अफसर वहाँ मौजूद थे। मकानमें उस समय एक स्त्री तथा एक पुरुष था।

जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि जनवरी-फरवरी १९४८ में मैं सदाशिव पेठ, पूनामें रहता था। ३० जनवरी १९४८ को रातको रेडियोसे मैंने महात्मा गान्धीकी हत्याकी खबर सुनी थी। उस दिन महात्मा गान्धीकी हत्याके कारण उत्तेजित भीड़ने पूनामें बहुतसे महासभाइयोंके मकान तोड़-फोड़ डाले थे। मैंने इन क्षतिग्रस्त मकानोंको देखा था। उससे ३१ जनवरीसे पूनामें कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। जोगलेकर नामक एक व्यक्तिका तिमंजिला मकान पूर्णतया जलाकर खाक कर दिया गया था। लक्ष्मी रोडपर पूना गेस्ट हाउसके सामनेका मकान भी जला दिया गया था। मैं कांग्रेसी हूँ।

११० वाँ गवाह

तीसरे गवाह शिवकन्तकुंज विलचन्दने अपने बयानमें कहा कि मैं २३ मई १९४८ को सी० आई० डी० के दफ्तरमें पंचनामाका गवाह होने गया था। वहाँ

३५-४० वर्षकी एक स्त्रीने एक तह किया हुआ कागज खुफियाके सब-इन्स्पेक्टर श्री प्रधानको दिया था। जब इस कागजकी तह खोली गयी तो उसमें कागजके ८ टुकड़े निकले। एक पंचनामा तैयार किया गया और मैंने उसपर अपने हस्ताक्षर किये। इस स्त्रीका नाम रुक्मिणीबाई बडगे था।

जिरहमें गवाहने कहा कि मैं मराठी भाषा नहीं जानता। जो स्त्री आयी थी वह मराठी बोलती थी। कागजके वे आठों टुकड़े एक अन्य कागजपर चिपकाये गये थे।

१११ वाँ गवाह

इसके बाद बम्बईके टेलीफोन इन्स्पेक्टर श्री फ्रांक रैविलोने गवाही दी। गवाहने कहा कि ८ मार्च १९४८ को मैं सी० आई० डी० के दफ्तरमें पत्र बनने गया था। वहाँ नथूराम गोडसे, आपटे तथा करकरेको बारी बारीसे बुलवाकर उनसे सफेद कागजोंपर लिखवाया गया था। सी० आई० डी० के इन्स्पेक्टर श्री हल्दीपुरने इन लोगोंसे बोलकर लिखवाया था।

११२ वाँ गवाह

अगले गवाह जनार्दन दिनकर सावलेकरने जो कि बम्बईके सेन्ट्रल टेलीग्राफ आफिसके शिकायत विभागका हेडक्लर्क था, गवाही दी। उसने अपने बयानमें बताया कि मुझे २५ जनवरी १९४८ को व्यास नामक एक व्यक्ति द्वारा आपटेको भेजे एक तारकी जाँच-पड़ताल करनेको कहा गया था। चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटके आज्ञानुसार मैंने वह तार २९ मार्च १९४८ को पुलिसको दे दिया था।

१३ सितम्बर—११३ वाँ गवाह

चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट श्री ब्राउनकी गवाही

आज बम्बईके चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट श्री सी० एन० ब्राउनका सबूत पक्षकी ओरसे बयान लिया गया। गवाहने कहा—मैंने महात्मा गान्धी हत्याकाण्डके सिल-सिलेमें कुल ११ शिनाख्त परेडें करवायीं। ये परेडें २१ फरवरी, ७, १६, २३, २४ (दो बार), ३० (दो बार), ३१ मार्च तथा ८ और ९ अप्रैल, १९४८ को हुईं। शिनाख्त परेडें बिल्कुल निष्पक्षतापूर्वक हो सकें इसलिए इनमें मैंने आनरेरी मजिस्ट्रेटोंको पंच नियुक्त किया। मैं स्वयं शिनाख्त-परेडके लिए अभियुक्तों-को लेने एस्प्लेनेड पुलिस हवालातमें गया। मैंने अभियुक्तोंको अन्य व्यक्तियोंके साथ कहीं भी बेरोकटोक बैठ जानेकी आज्ञा दी। मैंने उनसे यह भी कहा कि वे अपने इच्छानुसार अपने कपड़े अथवा सिरकी टोपी आदि बदल सकते हैं। उन्हें अपनी

बैठनेकी जगह भी बदलनेका अवसर दे दिया गया था। किन्तु साथमें यह भी कह दिया गया था कि जब शिनाख्त परेड आरम्भ हो जायगी तो उन्हें फिर अपनी-अपनी जगहसे न उठने दिया जायगा।

इसके बाद मैं शिनाख्त करनेवाले गवाहोंको लेनेके लिए मजिस्ट्रेटके कार्यालय-में गया। मैंने गवाहोंसे जिसे भी वह पहचानते हों, शिनाख्त करनेको कहा।

शिनाख्तके बाद मैंने प्रत्येक गवाहको अपने कमरेके पासके कमरेमें रखा जिसपर देखभाल करनेको एक आनरेरी मजिस्ट्रेट तैयार था। मैंने गवाहोंसे पूछा कि वह शिनाख्त किये जानेवाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियोंको किस प्रकार पहचानते हैं। इसके बाद गवाहोंके बयान लिखे गये।

मैंने अपने कमरेमें पंचनामा लिखा जब कि शिनाख्त करनेवाले गवाह उप-स्थित थे। मैंने गवाहोंसे कह दिया था कि पंचनामामें क्या लिखा जा रहा है तथा जहाँ कहीं भूलचूक हो वहाँ वे बता दें। इसके बाद मैंने स्वयं पंचनामा पढ़कर सुना दिया। जो लोग वहाँ थे उन सबने उसे सुना। अभियुक्तोंसे पूछ लिया गया था कि उन्हें उसमें कुछ सुधार करवाना है या नहीं, लेकिन किसीने कुछ नहीं कहा।

इसके बाद मैंने पंचनामेपर हस्ताक्षर कर दिये और पंचनामा लिखते समय जो टाइम हुआ था वह भी उसीपर लिख दिया गया। शिनाख्त परेडके समय अथवा मेरे कमरेमें कोई पुलिस अफसर मौजूद न था।

सभी ११ शिनाख्त परेडोंमें इसी प्रकार काम किया गया। पहली परेडमें सभी अभियुक्त तथा अन्य लोग खड़े रहे। लेकिन बादकी परेडोंमें बैठा दिये गये थे जिससे बादमें समय अधिक लगा। मैं पंचनामा देखे बिना शिनाख्त किये गये अभियुक्तोंके नाम बतानेमें असमर्थ हूँ।

२१ फरवरी, १९४८ की शिनाख्त परेडमें ११ आदमी खड़े किये गये थे। इस परेडमें नथूराम गोडसे तथा आपटे पहचान लिये गये थे। इनको काले नामक गवाहने पहचाना था और उसने बताया कि मैंने २८ जनवरी १९४८ को डा० पर-चुरेके मकानपर गोडसे तथा आपटेको देखा था। कुमारी लोर्ना बेनब्रिजने उन्हें पह-चानते हुए बताया था कि वह २७ जनवरी १९४८ को बम्बईसे दिल्ली आनेवाले हवाई जहाजपर यात्रा कर चुके थे।

२ मार्च १९४८ की परेडमें संदिग्ध व्यक्तियोंके साथ २४ आदमी खड़े हुए थे। इसी परेडमें मदनलाल, एन० वी० गोडसे, गोपाल गोडसे तथा शंकर किस्तय्या पहचान लिये गये थे। स्वामी कृष्णजीवनजी महाराजने गोडसे, आपटे तथा बडगे-को पहचाना था। दीक्षित महाराजने मदनलालको किताबें बेचनेवाले पञ्जाबी शर-णार्थीके रूपमें पहचाना था। उन्होंने बडगे, आपटे तथा गोडसेको भी पहचाना था।

गवाह कश्मीरीलालने आपटेको एल्फिंस्टन भवनमें ठहरनेवाले व्यक्तिके रूपमें पहचाना था। सत्यवानने सी ग्रिन होटलमें ठहरनेवाले आपटेको पहचाना। २ फरवरी १९४८ को कोट्टायमने बडगे, गोडसे, आपटे और शंकर किस्तय्याको पहचाना। डा० जे. सी. जैनने करकरे और मदनलालको पहचाना जो उनके पास गये थे। चरणदासने करकरेको नथूराम गोडसे बताया था।

१६ मार्च १९४८ को अभियुक्तोंके साथ १९ व्यक्ति और शिनाख्त परेडमें बैठाये गये। कु० शांताबाईने आपटे और नथूराम गोडसेको पहचान लिया जिन्होंने उसके साथ बम्बईसे पूना तक यात्रा की थी। श्री रत्नाकरने बडगे और आपटेको पहचाना। अमचेकरने गोपाल गोडसे, मदनलाल और करकरेको पहचाना।

२३ मार्च को तीन संदिग्ध व्यक्तियोंके साथ १७ व्यक्ति और बैठाये गये। इस दिन पाँच शिनाख्त करनेवाले व्यक्ति थे। इस दिन नथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे तथा आपटे चार गवाहों द्वारा पहचाने गये। एक पांचवें गवाह आनन्दबिहारीलालने नथूराम गोडसेकी जगह अन्य गलत व्यक्तिको पहचाना।

२४ मार्चकी परेडमें मदनलाल, बडगे, करकरे, गोपाल गोडसे तथा शंकर किस्तय्या पहचाने गये। इसी दिन फिर दुबारा परेड हुई। २७ मार्चको ६ गवाहोंने गोपाल गोडसे, बडगे तथा किस्तय्याको पहचाना। इसी दिन तीसरे पहर फिर एक परेड हुई जिसमें सात अभियुक्त पहचाने गये। मार्च ३१ को ९ वीं शिनाख्त परेडमें पाँच व्यक्ति पहचाने गये।

सबूत पक्षके प्रधान वकील श्री दफ्तरीने इस गवाहसे ८ अप्रैल १९४८ को हुई दसवीं शिनाख्त परेडके बारेमें कोई पूछताछ नहीं की। ९ अप्रैल १९४८ की ११ वीं परेडमें नथूराम गोडसे, आपटे तथा बडगे पहचान लिये गये। इस दिन गोडसेका साथी गलत व्यक्ति पहचाना गया। गवाह जी० बी० अफजलपुरकर गोडसे और आपटेको अलग-अलग न पहचान पाये।

गवाह श्री ब्राउनने कहा कि मैंने जाब्ता फौजदारीकी १६४ धाराके अंतर्गत पुलिसको गवाहोंके बयान भी लिखवाये। मैं इस अवसरपर वकील अथवा पुलिस अफसरको पास नहीं फटकने देता था।

मैंने गवाहोंसे कह दिया था कि वे यह बयान स्वेच्छापूर्वक दे रहे हैं। मैं उनका बयान एक-एक अक्षर ज्योंका त्यों दर्ज नहीं कर रहा था। मैंने सिर्फ प्रासंगिक अंश ही उनके बयानोंके लिखे थे।

जिरह करनेपर मजिस्ट्रेट श्री ब्राउनने बताया कि मैंने डा० परचुरेको छोड़कर सभी अभियुक्तोंको समय-समयपर पुलिसकी हिरासतमें भेज दिया था। प्रत्येक बार

हिरासतसे लौटनेपर मैंने उनसे पूछा कि उनको किसी प्रकारकी पुलिससे शिकायत तो नहीं।

गवाह ब्राउनने यह भी कहा कि जहाँतक मुझे याद है नथूराम गोडसे तथा आपटेने मुझसे २४ मार्च १९४८ को पंचनामा लिखे जानेके समय शिकायत की थी कि दिल्लीमें शिनाख्त करनेवाले गवाहोंको उन्हें पहचनवानेका अवसर दिया गया था। गवाह श्री ब्राउनने आगे बताया कि बम्बईमें शिनाख्त-परेडके अवसरपर मुझे वहाँ एक पञ्जाबी पुलिस अफसर दिखायी दिया था जिसे मैंने समय रहते निकाल बाहर किया। मुझे यह याद नहीं कि ये अभियुक्त पुलिस-हिरासतमें कहाँ रखे गये थे, किन्तु नथूराम गोडसे तथा आपटेने मुझसे शिकायत की थी कि पुलिस उनको अपने वकीलोंसे सलाह लेनेकी सुविधा नहीं देती। अत मैंने एक पुलिसके अफसरको बुलाकर निश्चित हिदायतें की कि अभियुक्तोंको अपने वकीलोंसे सलाह लेने दी जाय। १६ फरवरीसे २४ अप्रैलकी अवधिमें आपटेने जो प्रार्थनापत्र दिये उनमें वकीलसे सलाह लेनेकी कोई इच्छा प्रकट नहीं की गयी थी। ४ मई १९४८ को सावरकरकी ओरसे श्री एस. वी. देवधर वकील उपस्थित हुए थे। अन्य अभियुक्तोंके लिए कोई दूसरा वकील था। २२ मई १९४८ को मैंने सावरकर और परचुरेको छोड़कर अन्य सब अभियुक्तोंको स्थानान्तरित करके दिल्ली भेजनेका आदेश दे दिया था।

शिनाख्त परेडमें रजिस्ट्रारके कार्यालयसे शिनाख्त करनेवाले गवाहको लानेमें केवल २ मिनट लगते थे। मैं नहीं कह सकता कि रजिस्ट्रारके कार्यालयमें क्या होता था। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रारके कार्यालयमें एक आनरेरी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त था।

इन शिनाख्त-परेडोंके अतिरिक्त मैंने कभी कोई शिनाख्त परेडका भार नहीं सम्भाला था। मैंने जाब्ता फौजदारीकी १६४ धाराके अंतर्गत कुछ गवाहोंसे पूछ-ताछ भी की थी। बम्बईमें चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटकी सिफारिशपर आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जाते हैं। एक हवलदार, एक नायक तथा ८ कान्स्टेबल शिनाख्त परेडके अवसरपर ड्यूटीपर तैनात किये गये थे। मैंने पंचनामाका विवरण हिन्दुस्तानीमें पढ़कर सुनाया था जिसे बम्बईका कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। मैं मराठी भाषामें नहीं बोला था। मदनलाल पहली बार ६ फरवरी १९४८ को मेरे सामने पेश हुआ था। मैंने मदनलालके सम्बन्धमें ९ बार उसे पुलिसकी हिरासतमें रखनेके आदेश दिये थे। १९०२ के बम्बई पुलिस ऐक्टकी ७० वीं धाराके अनुसार मुझे ऐसा करनेका अधिकार है।

मुझे याद है कि शंकर तेलगु बोलता था और इसके लिए तेलगु-भाषी व्यक्तियोंको

बुलाना पड़ा था। विश्तय्या ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने शिनाख्त परेडोंमें जगहें बदली थीं। एक बार तो उसने जिना टोपी पहनी थी। सावरकरने एक बार शिकायत की थी कि सब अभियुक्त साथ-साथ क्यों रखे गये हैं। डा० जे० सी० जैनने अपना बयान अंग्रेजीमें दिया था। श्री जैनने जो कुछ कहा था वास्तवमें वही लिखा गया। डा० जैनने पढ़कर अपने बयानपर हस्ताक्षर किये थे। मैंने शांताबाईका बयान भी लिखा था।

१४ सितम्बर—११४ वाँ गवाह

सावरकर सदनकी तलाशीका विवरण

आज दादर (बम्बई) के श्री गजानन बालकृष्ण कवठणकरका बयान लिया गया।

गवाहने बताया—मुझे याद है कि ३१ जनवरी, १९४८ को मैं शिवाजी पार्कके सावरकर सदनमें पंचका काम करनेको बुलाया गया था। मकानकी तलाशीके समय मैं उपस्थित था। मकानका मालिक भी मौजूद था। इस मकानकी बैठकमेंसे कुछ फाइलोंका एक ढेर हिरासतमें ले लिया गया था। इसी समय एक पंचनामा लिखा गया था जिसपर मेरे हस्ताक्षर हैं। तलाशीमें १॥ घण्टा लगा था।

जब मैं सावरकर सदन पहुँचा तो मुझे वहाँ कोई भीड़ नहीं दिखायी दी। न वहाँ कोई झगड़ा-बावेला हो रहा था। मकानके पीछे कोई भीड़ जमा थी, यह मुझे मालूम नहीं। जब मैं मकानकी दूसरी मन्जिलपर पहुँचा तो मुझे खिड़कियोंके शीशे टूटे पड़े मिले।

जिरहमें गवाहने कहा कि फाइलोंकी कोई सूची मेरे सामने नहीं बनायी गयी। पुलिसने मुझे तलाशीका कोई वारंट नहीं दिखाया था।

पंचनामामें बंडल तथा फाइलोंकी संख्या लिखी गयी थी। मैंने फाइलोंको बंडलोंमें बाँधे जानेसे पूर्व गिनवाया नहीं था।

११५ वाँ गवाह

दूसरा गवाह दिल्लीकी खुफिया पुलिस शाखाका एक पुलिस इन्स्पेक्टर दसबन्दासिंह पेश हुआ। उसने बताया कि जनवरी १९४८ को मेरी ड्यूटी तुगलक रोड पुलिस थानेके अन्तर्गत थी। २० जनवरी १९४८ को मैं बिड़ला-भवन गया था। मैंने वहाँ मदनलालको देखा था। वहाँ मुझे मजिस्ट्रेटने एक पहले ही तैयार किया हुआ बयान दिया था। इसके बाद मदनलाल मुझे सौंपा गया। तलाशी लेनेपर मदनलालके कोटकी दाहिनी बगलसे एक हथगोला बरामद हुआ था।

मैं मदनलालको बम-विस्फोट स्थलपर ले गया था। यह विस्फोट दीवारमें

सरकारका ४ लाख खर्च

नयी दिल्ली, १४ सितम्बर। महात्मा गान्धी-हत्याकाण्डके मुकदमेमें सरकार अबतक लगभग ४,००,००० रु० खर्च कर चुकी है। खुफिया पुलिस और पुलिसने षड्यन्त्रका पता लगानेमें जो भी खर्च किया तथा गवाहोंके आने-जाने आदिपर जो रुपया खर्च किया गया है, वह इसमें शामिल नहीं है।

सबूत पक्षके प्रधान वकील श्री सी. के. दफ्तरीको प्रति दिन १५०० रु० दिया जाता है। होटलमें ठहरने तथा आने-जानेका जो खर्च होता है उसे इसके अतिरिक्त सरकार देती है। दिल्लीमें एक कार तथा एक नौकर रखनेकी भी सुविधा सरकारने दी है जिसका श्री दफ्तरीको कुछ नहीं देना पड़ता। बम्बईमें गान्धी-हत्याकाण्डके मुकदमेके सम्बन्धमें आपने जो कार्य किया है, उसके लिए आपको प्रति घण्टा ७५) मिलेगा।

सबूत पक्षके अन्य दो वकील श्री एन. के. पेटीगारा तथा श्री जे. सी. शाहको ६००)-६००) प्रति दिनके हिसाबसे दिया जाता है। होटलमें ठहरने तथा आने-जानेका भत्ता इनको इसके अतिरिक्त मिलता है। बम्बईमें इन लोगोंने जो कार्य किया उसका इनको ३०)-३०) प्रति घण्टेके हिसाबसे दिया गया है।

सबूत पक्षके सहायक सलाहकार रायबहादुर ज्वालाप्रसादको जिन दिनों अदालतका इजलास नहीं जुड़ता, उन दिनोंके लिए प्रति मास १००० रु० मेहनताना दिया जाता है। इसके अलावा अदालतमें जिस दिन आप उपस्थित होते हैं उस दिनका २५०) प्रति दिनके हिसाबसे दिया जाता है। श्री हंसराज मेहताको, जो अभियुक्त शंकर किस्तय्याके वकील हैं, अदालतमें उपस्थित होनेके दिनोंका ३२) प्रति दिनके हिसाबसे दिया जाता है।

लाल किलेमें अदालतका कमरा बनाने तथा कैम्प जेलमें परिवर्तन करने आदिमें सरकारका ४७०००) व्यय हुआ है। अदालतके अन्य कर्मचारियों, गवाहोंके खाने तथा अन्य फुटकर बातोंमें २७ मईसे, जिस दिन कि मुकदमा आरम्भ हुआ है, ८ सितम्बरतक १९०००) खर्च हो चुका है। गवाहोंके खाने-पीनेपर ही ६०००) खर्च हुआ है।

इस समय इस मुकदमेका सारा खर्च दिल्ली प्रान्तकी सरकार उठा रही है। जब यह मुकदमा समाप्त हो जायगा तो इस खर्चेकी वापसीका प्रश्न दिल्ली प्रान्तीय-सरकार, भारत-सरकारके सामने पेश करेगी।

हुआ था। यहाँ विस्फोटके कारण ३८ इञ्च लम्बी तथा १९ इञ्च गहरी सेंध हो गयी थी। घटना-स्थलके निरीक्षणके समय काफी उजाला था।

मैं मदनलालको बिड़ला भवनके भीतर भी ले गया था जहाँ बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जमा थे। मैंने वहाँ गवाहोंके बयान लिये। रात ९॥-१० बजे मैं मदनलालको पार्लमेण्ट स्ट्रीट थानेमें ले गया। मदनलालकी सूचनापर मैं रातको ११ बजे मेरीना होटल गया वहाँसे फिर हिन्दूसभा कार्यालयमें गया।

(इस काररवाईसे पहले मदनलालने अपने वकील श्री बनर्जी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिलाया कि श्री ब्राउनने शिनाख्त परेडोंके सम्बन्धमें कुछ अभियुक्तोंके बयान दर्ज नहीं किये हैं जो भारतीय गवाह कानूनकी धारा ९ के अन्तर्गत लिखे जा सकते थे।)

१५ सितम्बर

आज पहले इस प्रश्नपर विचार हुआ कि मदनलालके वक्तव्यके बाद, मेरीना होटलके एक कमरेकी ओर, जिसमें कहा जाता है कि नथूराम गोडसे और आपटे आकर ठहरे थे मदनलालका संकेत करना और उस कमरेमें श्री आशुतोष लाहिड़ीके वक्तव्यकी एक प्रतिलिपिका होना 'पता लगाये गये' तथ्य कहे जा सकते हैं या नहीं।

मदनलालके वकील श्री बनर्जीने दलील दी कि भारतीय गवाह ऐक्टकी २७ वीं धारामें उल्लिखित तथ्य 'पता लगाये गये'के अलग-अलग हाई कोर्टोंमें अलग-अलग अर्थ लगाये जाते हैं।

श्री दफ्तरीने कहा कि मदनलालके बयानसे इस काण्डके सम्बन्धमें कुछ तथ्योंकी जानकारी मिली है जिनको दर्ज कर लिया जाय।

न्यायाधीशने बचाव पक्षकी दलीलको पुष्ट करते हुए सीमित अर्थोंमें २७ वीं धाराका प्रयोग करनेका फैसला दिया।

इसके बाद अपनी गवाही जारी रखनेके लिए दिल्लीके खुफिया विभागके इन्स्पेक्टर सरदार दसवन्दा सिंह बुलाये गये। गवाहने कहा कि मदनलाल मुझे मेरीना होटलके ४० नम्बरके कमरेमें ले गया। वहाँपर होटलका मैनेजर भी था। मैंने रजिस्टर चेक किया, बादमें उसे जब्त कर लिया। कमरेमें जो कागज मिले, उन सबपर मैंने हस्ताक्षर किये।

इसके बाद मदनलाल मुझे हिन्दू महासभा भवन ले गया जहाँ उसने एक कमरेकी ओर इशारा किया। मेरे साथके अन्य पुलिस अफसर मदनलालके साथ कमरेमें चले गये, मैं स्वयं आफिसमें ही रहा।

२२ जनवरी १९४८ को मैं फिर मेरीना होटल गया। कांशीरामने मुझे कुछ

कपड़े लाकर दिये। उन कपड़ोंका प्राप्ति मेमो बनाया गया। उसपर मैंने हस्ताक्षर किये और कालीरामका बयान लिखा।

इससे अगले दिन मदनलालके सूचनानुसार मैं शरीफ होटलमें रजिस्टर चेक करने गया।

३० जनवरीको मैं बिड़ला-भवन गया। तब तक मदनलालके काण्डकी जाँच मैं कर रहा था। इसके बाद इसका मामला बड़े पुलिस अधिकारियोंने अपने हाथमें ले लिया।

९ फरवरी, १९४८ को हथगोला और 'इगनाइट सेट' विस्फोटक विभाग-को भेज दिये गये।

११ फरवरीको शंकर पुलिसको हिन्दूमहासभा भवन ले गया। भवनके पीछे दो स्थानोंसे हथगोले, कारतूस, गनकाटनके टुकड़े, तथा डिटोनेटर भी मिले। उस समय बम्बईके डिप्टी कमिश्नर नगरवाला भी मौजूद थे।

१८ फरवरी, १९४८ को वह टैक्सी कब्जेमें ले ली गयी जिसपर चढ़कर, कहा जाता है कि, अभियुक्त बिड़ला-भवन गये थे।

२५ फरवरीको आपटे और करकरे हवाई जहाजसे दिल्ली लाये गये। अगले दिन आपटे और करकरे हमें हिन्दू महासभा-भवनके पीछेके जंगलमें ले गये। नगर-वाला भी उपस्थित थे। वहाँपर लकड़ीके २ टुकड़े और खाली कारतूसोंका १ डिब्बा मिला।

१८ मार्चको मैं फिर मेरीना होटल गया। वहाँके कुछ कागज और रजिस्टरको अपने कब्जेमें कर लिया। मैंने होटलके दो परिचारक नारायणसिंह और गोविन्दसिंहके बयान भी लिखे।

सावधानीके ख्यालसे अभियुक्त बन्द कारोंमें ले जाये जाते थे, जिससे उन्हें कोई देखे नहीं। किसी भी पुलिस अफसरको नगरवालाकी इजाजतके बिना अभियुक्तों-से बातचीत करनेका अधिकार नहीं था।

कमीशन भेजनेकी प्रार्थना

इससे पूर्व सबूत पक्षने एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके जे० एस० परांजपेकी मौखिक समीक्षा करनेके लिए एक कमीशन बम्बई भेजनेकी प्रार्थना की थी।

मुखबिर बडगेकी सूचनाके आधारपर जी० जी० शेलार, तथा एन० टी० नाग-मोढेके घरसे पूनामें कुछ विस्फोटक द्रव्य मिले थे। गोडसेके कमरेमें कोई चिपकनी वस्तु भी मिली थी। इन विस्फोटकोंकी जाँच श्री परांजपेने की थी।

'प्रार्थनापत्रमें कहा गया है कि विस्फोटकोंकी जाँच करते हुए पराञ्जपे सख्त घायल हो गये हैं। वे दिल्ली नहीं लाये जा सकते, इसलिए एक कमीशनको बम्बई भेजकर वहींपर उनकी मौखिक समीक्षा की जाय। (पर बादमें भी उनकी हालत गवाही लेने लायक नहीं थी, इसलिए उनकी गवाही नहीं ली गयी। यह गवाही २३ सितम्बरको ली जानेवाली थी।)

गवाह दसवन्दा सिंहने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि मैंने अनेक गवाहोंसे जिरह की। पुलिस स्टेशनमें मैंने केवल सुरजीत सिंहके साथ जिरह की थी और उस समय नथूराम गोडसे वहाँ मौजूद था।

जिरहमें गवाहने कहा कि जब मैंने अभियुक्त गोडसेको देखा था तब उसके सिरपर पट्टी नहीं बँधी थी। तुगलक रोड पुलिस स्टेशनके एक छोटेसे कमरेमें गोडसे रखा गया था। २७ फरवरीको आपटे दिल्लीसे ग्वालियर ले जाया गया और अगले दिन ग्वालियरसे वापस भी ले आया गया। २० जनवरीको मैं मदनलालको साथ लेकर विस्फोटके स्थानपर ही जाँच करनेके लिए गया था। उस समय टूटी हुई दीवार फिर बना दी गयी थी। मालूम नहीं इसके लिए पहले इजाजत ले ली गयी थी या नहीं। मुझे काण्डकी छानबीनमें सरदार पटेल या मुरारजी देसाईसे कोई निर्देश नहीं मिले। प्रार्थना-स्थलपर शान्ति रखनेके लिए १ मुख्य कांस्टेबल और ४ सिपाही तैनात रखे जाते थे। २० जनवरीको हेड कांस्टेबल धर्मसिंह अपनी ड्यूटीपर था।

१६ सितम्बर—११६ वाँ गवाह

आज नयी दिल्लीके डिप्टी पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट सरदार जसवन्त सिंहकी गवाही ली गयी।

गवाहने कहा कि मैं सन् १९४५ में नयी दिल्ली आया था। तुगलक रोड और छावनीके थाने मेरे अधिकारमें हैं। २० जनवरी १९४८ को मुझे ज्ञात हुआ कि प्रार्थनास्थलपर बम फटा है। समाचार पाकर ६-६॥ बजे सायं मैं बिड़ला भवन गया।

बिड़ला-भवनके बाहरके तम्बूमें मैंने मदनलाल, मजिस्ट्रेट साहनी, तुगलक रोडके पुलिस सब-इन्स्पेक्टर सरदार दसवन्दासिंह तथा अन्य पुलिस अफसरोंको देखा।

इसके बाद मैं विस्फोट-स्थलपर गया। वहाँपर छानबीन करनेके बाद बिड़ला-भवनमें आकर एक कमरेमें मदनलालसे मैंने पूछताछ की।

९॥ बजे रातको मदनलालको कारमें बैठाकर पार्लमेंट स्ट्रीटके थानेपर ले गया जहाँ पुलिसके उच्च अफसरोंने उससे प्रश्नोत्तर किये।

२१ जनवरीको प्रातः ११ बजे मदनलालकी बतायी हुई सूचनाके आधारपर

मैं मेरीना होटल गया। मदनलालने मुझे ४० नं० का कमरा बताया। शुरूमें मैंने होटलके मैनेजरसे बातचीत की, तब हमने ४० नं० के कमरेकी तलाशी ली, जहाँ हमें टाइप किया हुआ कागज मिला। प्राप्तिका एक मेमो बनाया गया, किन्तु उसपर मेरे हस्ताक्षर नहीं थे।

इसके बाद मदनलालको हिन्दूमहासभा भवनके ३ नं० के कमरेमें ले गया। उसकी तलाशी ली गयी, किन्तु कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिली इसके बाद हमने मदनलालको वापस पार्लमेंट स्ट्रीटके थानेमें लाकर बन्द कर दिया।

श्री नगरवालाको इस घटनाकी सूचना देनेके लिए मैं इन्स्पेक्टर बालकृष्णके साथ बम्बई गया। हम दोनों २४ जनवरीको दिल्ली लौट आये।

२१ जनवरीको मदनलाल सिविल लाइन्सके थानेमें भेज दिया गया, जहाँ वह ३ फरवरीतक रखा गया। कार्यवाहक अफसरको यह आदेश दिया गया था कि मदनलाल बिलकुल अलग एक कमरेमें रखा जाय और उसे किसीको देखने न दिया जाय।

३० जनवरी १९४८ को सायं ५। बजे मुझे मालूम हुआ कि गान्धीजीकी हत्या कर दी गयी है, मैं तुरन्त ही बिड़ला-भवन गया। मैं नन्दलालसे मिला और मैंने उनका बयान लेकर दर्ज करनेके लिए उसे तुगलक रोड थाने भेज दिया। इसके बाद मैंने १-२ गवाहोंकी और जाँच की। जिस कमरेमें गान्धीजीका शव रखा हुआ था, उसके द्वारपर मैंने एक सन्तरी बैठा दिया था।

मैं घटनास्थलपर गया और देखा कि माली रतनसिंह उस स्थानकी रक्षा कर रहा है। मुझे वहाँपर खाली कारतूसोंके २ बक्स, २ खाली खोलियाँ तथा खूनसे लथपथ पेटी मिली। एक पंचनामा तैयार किया गया और वे सब वस्तुएँ कब्जेमें कर ली गयीं।

इसके बाद मैं पुनः उस कमरेमें गया जहाँ उनका शव रखा गया था। मैंने उनके शरीरके घावोंकी जाँच करके उनकी एक सूची तैयार की। उस समय बिड़ला-भवनमें मैंने नथूराम गोडसेको नहीं देखा। रातको ७ बजे मैंने उसे पहली बार पार्लमेंट स्ट्रीट-के पुलिस थानेमें देखा। मैंने एक मेडिकल अफसर भी गोडसेके लिए भेजा था क्योंकि उसने मुझे अपने सिरके घावके विषयमें लिखित शिकायत की थी।

३१ जनवरीको प्रातः ९॥ बजे बिड़ला-भवनमें श्री देवदास गान्धीने मुझे एक चलाया हुआ कारतूस दिया। ४ फरवरीको मदनलाल हवाई जहाजसे बम्बई भेजा गया। मैं उसके साथ नहीं गया।

टैक्सी ड्राइवर सुरजीतसिंहका बयान मैंने ४ फरवरी १९४८ को लिया था।

३० जनवरीसे लेकर ३ फरवरीतक नथूराम गोडसे पार्लमेंट स्ट्रीटके थानेमें और बादमें ६ फरवरी तक तुगलक रोडके थानेमें रखा गया।

—६ फरवरीको गोडसे अदालतकी हिरासतमें दे दिया गया और एक डाक्टरकी सलाह लेकर उसके सिरकी पट्टी खोल दी गयी।

११ फरवरी, १९४८ तक नथूराम गोडसे जिला जेलमें रखा गया। उस दिन वह कई अन्य पुलिस अफसरोंके साथ बम्बई ले जाया गया। श्री नगरवाला भी उनमें शामिल थे। १० फरवरीको नगरवाला शंकर किस्तय्याको साथ लेकर आये थे। शंकर तुगलक रोडके थानेमें रखा गया। अगले दिन गोडसेके साथ वह भी फिर बम्बई ले जाया गया।

२५ फरवरीको नगरवाला आपटे और करकरेको दिल्ली ले आये थे तुगलक रोडके थानेमें रखे गये।

२६ फरवरीको आपटे करकरेके साथ हमें हिन्दू महासभा भवनके पीछेके जंगलमें ले गया। श्री नगरवाला भी उपस्थित थे। वहाँपर कुछ वस्तुएँ मिलीं, जिन्हें मैंने अपने कब्जेमें कर लिया।

२७ फरवरीको आपटे ग्वालियर ले जाया गया और अगले दिन दिल्ली वापस ले आया गया।

१ मार्चको आपटे और करकरे फिर बम्बई ले जाये गये। ५ अप्रैलको नथूराम गोडसे बम्बईसे दिल्ली लाया गया और वह यहाँ ९ अप्रैल तक रहा।

२४ मई, १९४८ को सावरकर और परचुरेको छोड़कर सब अभियुक्त हवाई जहाजसे दिल्ली लाये गये। सावरकर २५ को तथा परचुरे २५ या २६ मईको दिल्ली लाये गये।

गवाहोंमेंसे जंगलके पहरेदार मेहरसिंह तथा टैक्सी ड्राइवर सुरजीतसिंहसे प्रश्नोत्तर तुगलक रोडके थानेमें किये गये थे।

जब मामलेकी छानबीनके लिए अभियुक्त बाहर निकाले जाते थे, तब उनका स्वरूप प्रकट न होने देनेकी पूरी सावधानी रखी जाती थी।

बम्बईकी एक शिनाख्त परेडमें मैं अन्दर चला गया था, तो आपटे बहुत नाराज हुए और मुझे बाहर चले जानेके लिए कहा। इसके बाद मैं उस स्थानपर फिर कभी नहीं गया।

२० जनवरीके बादसे बिड़ला-भवनमें और अधिक पुलिस २४ घंटे नियुक्त की जाती रही।

जिरहमें गवाहने बताया कि गोडसेके [illegible] पार्लमेन्ट स्ट्रीटमें

थानेमें किया गया। गोडसेने उस समय जो बुश कोट पहना हुआ था वह खूनसे सना था। गोडसेकी दवाईके लिए डाक्टर प्रति दिन नहीं बुलाया जाता था। घाव मामूली थे और गोडसेने उनका बाकायदा उपचार किये जानेकी कोई इच्छा प्रकट नहीं की।

६ फरवरी, १९४८ को गोडसेको सेण्ट्रल जेल भेजनेसे पहले सरकारी डाक्टरसे सलाह नहीं ली गयी, क्योंकि वह तुगलक रोड थानेसे ९ मील दूर रहता था। ३० जनवरीको पार्लमेण्ट स्ट्रीटके थानेके बाहर मैंने ऐसी कोई भीड़ नहीं देखी जो नथूराम गोडसेको देखनेके लिए एकत्र हुई हो।

मुझे याद है कि ओम् बाबाने जनवरी, १९४८ में उपवास किया था। वे कैद करके पार्लमेण्ट स्ट्रीटके थानेमें रखे गये थे। यह कहना ठीक नहीं कि जब ओम् बाबाकी अवस्था बिगड़ गयी, तो वे हिन्दूमहासभा भवनमें रखे गये। ओम् बाबा २० जनवरी १९४८ से पहले रिहा कर दिये गये थे। हिन्दू महासभा भवनके ३ नम्बरके कमरेकी तलाशीमें ओम् बाबा वहाँपर मौजूद न थे। परचुरेके बारेमें गृह विभागसे हमें कोई हिदायत नहीं मिली। परचुरेके साथ उसका भाई भी २५-२६ मईको दिल्ली लाया गया।

२० सितम्बर

आज अदालतमें आपटे, करकरे ओर गोपाल गोडसेकी पत्नियाँ उपस्थित थीं। आज नयी दिल्लीके डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट सरदार जसवन्त सिंहके साथ जिरह जारी रही। उन्होंने कहा कि दिल्ली और नयी दिल्लीके पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट, पं. जगन्नाथ तथा ए. एन. भाटियाने भी मदनलालसे प्रश्नोत्तर किये थे। सिविल लाइन्सका थाना मेरे अधिकार क्षेत्रमें नहीं है। मैंने घावोंकी रिपोर्ट ३० जनवरी १९४८ को तैयार की थी। मैंने बम-विस्फोटके स्थानका फोटो लेनेका भी आदेश दिया था। जनवरीमें मैं ४ या ५ बार प्रार्थना सभा-में गया। बिड़ला-भवनमें दिसम्बर १९४७ से एक रक्षक तैनात कर दिया गया था जिससे कोई उपद्रव न हो। (जजने घोषित किया कि मैं पुनः बिड़ला-भवन जाकर घटनास्थलकी जाँच करूँगा।) २० जनवरीकी घटनाके स्थलपर जानेसे पहले १० मिनट तक मैं खेमेमें रुका। मदनलालका बयान पार्लमेंट स्ट्रीटके थानेमें लिया गया था। मदनलाल पार्लमेंट स्ट्रीटके थानेसे सिविल लाइन्स-

के थानेमें इसलिए नहीं भेजा गया था कि वहाँ उससे कोई वकील न मिल सके, अपितु एक वकील उससे थानेमें जाकर मिला था। श्री नगरवालाने मामले की छान-बीनमें मुझे प्रो० जगदीशचन्द्र जैनके विषयमें कुछ भी नहीं बताया। टैक्सी ड्राइवर सुरजीतसिंहके विरुद्ध बिना लाइसेन्सके टैक्सी चलानेपर कारवाई इसलिए नहीं की गयी कि वह एक शरणार्थी था और उसने लाइसेन्सके लिए अर्जी दे रखी थी। गान्धी-हत्याकाण्डके अनुशीलन और जाँच-पड़तालके लिए एक विशेष स्टाफकी नियुक्ति की गयी थी जिसका सदर मुकाम तुगलक रोड-का थाना था।

इसके पहले आज अदालतमें २ दरख्वास्तें दी गयीं। सरकारी वकील-की ओरसे दी गयी एक दरख्वास्तमें कहा गया था कि ९ सितंबरको योगव पाटिलसे गवाहीमें पूछा गया था कि क्या परचुरेने आपसे यह शिकायत की थी कि मैं बीमार हूँ। यह प्रश्न अदालतने पूछने नहीं दिया था, उसे इसे पूछने देना चाहिये था।

अदालतने इसे स्वीकार नहीं किया।

दूसरी दरख्वास्तमें कहा गया था कि एक प्रश्न यह पूछा गया था कि पुलिस २० जनवरीको मेरीना होटल क्यों गयी थी। यह इसलिए पूछा गया था कि मदनलालने कहा था कि मैं अपने २ दोस्तोंके साथ उस होटलमें ठहरा था और जहाँ ठहरा था वह कमरा दिखा सकता हूँ। अदालतने इस प्रश्नको गवाही कानूनकी दफा २७ के अनुसार पूछने नहीं दिया था। इसे भी उसे पूछने देना चाहिये था।

तीसरी दरख्वास्त मदनलालकी ओरसे दी गयी थी। इसमें कहा गया था कि मैं जब पुलिसकी हिरासतमें था तब २० जनवरीको मेरीना होटलका एक और हिन्दू महासभा भवनका एक कमरा पुलिसको दिखाया था। अदालत इसपर विचार करे। क्योंकि जब यह दिखाया गया था तब मैं पुलिसकी हिरासतमें था।

उसके बाद ग्वालियरके इम्पीरियल बैंकके हेड क्लर्क श्री [illegible] की गवाही ली गयी। गवाहने कहा कि ग्वालियरके प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट श्री आर० बी० अटलने २० फरवरी १९४८ को बैंकमें एक मुद्दतबंद डिपाजिट जमा करवाया था जो ६ अप्रैल, १९४८ को वापस दे दिया गया। २०

फरवरी और ६ अप्रैलके बीच किसी भी समय वह लिफाफा वापस नहीं लिया गया था, क्योंकि ऐसा होता तो वह बात रजिस्टरमें दर्ज रहती।

जिरहमें गवाहने कहा कि यह लिफाफा श्री अटलके निजी हिसाबमें जमा किया गया था। इसका सार ग्वालियरकी खुफिया पुलिसके इन्स्पेक्टरको बता दिया गया था। पत्रमें क्या था यह किसीको नहीं मालूम। जहाँ तक मुझे मालूम है ग्वालियरमें कोई अदालत अपने रेकार्ड बैंकमें नहीं जमा कराती।

तीसरे गवाह नामदेव तायप्पा नागमोडेने, जो पूनामें १४ सालसे रहता है और पूना म्युनिसिपलिटीमें क्लर्क है, बताया कि मैं आमदार (एम० एल० ए०) खरातको १२ वर्षोंसे जानता हूँ। हम दोनों एक ही उपजातिके हैं और एक ही गलीमें रहते हैं।

खरातने मुझे एक बण्डल अपने पास रखनेको दिया जिसे मैंने अपने घरके सामनेके मन्दिरमें रख दिया। पुलिस आयी और उस बण्डलको ले गयी। पुलिसके उस बण्डलको खोलनेपर ही मुझे मालूम हुआ कि उस बण्डलमें क्या था ?

बादका गवाह सोनाजी गणपत शेलार था। वह भी पूनाकी म्युनिसिपलिटी-में क्लर्क है। उसने बताया कि मैं खरातको जनवरीसे जानता हूँ। मेरे बयानसे ३ सप्ताह पहले खरातने एक बण्डल दिया था। उस बण्डलको मैंने अपने घरके एक कोनेमें जाकर रख दिया। मुझे नहीं मालूम था कि उस बण्डलमें क्या है।

३ अभियुक्तोंकी सरदार पटेलको बधाई देनेकी इच्छा

दिल्ली, २० सितम्बर। अभियुक्त नथूराम गोडसे, आपटे और मदनलालने अदालतसे प्रार्थना की कि हमें हैदराबादकी विजयपर सरदार पटेलको बधाई देनेवाला एक संदेश भेजनेकी इजाजत दी जाय।

अदालतने कहा कि आप लोगोंको दिल्लीके चीफ कमिश्नरको उसके लिए अर्जी भेजनी चाहिये, जिनके आधिपत्यमें आप लोग हैं।

पुलिस एक दिन खरातके साथ मेरे घर आयी और उसने बण्डलको अपने आधिपत्यमें कर एक पञ्चनामा तैयार किया।

जिरहमें गवाहने कहा कि ३ सप्ताह तक मैंने उस बण्डलको अपने घरपर रखा। मैं नहीं कह सकता कि खरातने मुझे वह बण्डल किसलिए अपने पास रखनेको दिया था।

अगला गवाह इञ्जिनियरिंग कालेज पूनाका एक विद्यार्थी श्री अरुण करमचन्द गान्धी था। उसने बताया कि ८ फरवरी, १९४८ को सायं ७ बजे पुलिसने मुझे नागमोडेके घर पंच बननेके लिए बुलाया। वहाँ दो पञ्च तथा श्री नगरवाला पहले ही मौजूद थे। नागमोडेके साथ मुझे मन्दिरमें ले गये। वहाँ कपड़ेमें लिपटा हुआ एक बण्डल पाया गया, जिसपर मेरे हस्ताक्षर लेकर पञ्च-नामा तैयार किया गया। मैंने पहले कभी बारूदी रूईका टुकड़ा नहीं देखा था। यह पहला ही अवसर था जब मैं किसी मामलेमें पञ्च बनाया गया था।

२१ सितम्बर

आज बम्बईके शंकर गणपत घाडगेकी गवाही ली गयी। गवाहने बताया कि १५ मार्च १९४८ को पञ्चका काम करनेके लिए मैं बम्बईके खुफिया पुलिसके दफ्तरमें बुलाया गया था। वहाँ मैंने नथूराम गोडसेको देखा, जिससे एक कागजपर मराठीमें कुछ लिखनेको कहा गया था। इस पञ्चनामेपर मेरे हस्ताक्षर थे।

जिरहमें गवाहने कहा कि मैं पञ्च इसलिए बनाया गया था कि बादमें मैं गोडसेके हस्ताक्षर पहचान सकूँ। पहले-पहल मैंने गोडसेको खुफिया पुलिसके दफ्तरमें ही देखा था। कागजपर लिखनेके लिए गोडसे अपने पास एक पेन रखता था। मैं नहीं जानता कि यह कहाँका बना हुआ है। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, तो भी खद्दर पहनना अच्छा समझता हूँ।

इसके बाद पूनाकी खुफिया पुलिसके डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री एन. वाइ. देऊलकरकी गवाही ली गयी। गवाहने कहा कि सन् १९२६ में मैं पुलिसमें भरती हुआ और १९४७ से पूनाकी खुफिया पुलिसका डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट हूँ। बम्बईके पुलिस इन्स्पेक्टर-जनरलसे मुझे हिदायत मिली थी कि मैं गान्धीजीके हत्याकाण्डके विषयमें छान-बीन करूँ। तदनुसार ३१ जनवरीको सायं ८ बजे मैं पूनाके थानेमें गया। वहाँ मैंने मुखबिर बडगेको बन्द पाया। उससे मैंने सवाल-जवाब किये। २ फरवरीको मैं बम्बई गया और ३ को हवाई जहाज-से दिल्ली आया। यहाँ मुझे ज्ञात हुआ कि तुगलक रोडके थानेमें नथूराम गोडसे

बन्द है। मैंने न तो उसे देखा और न उससे कोई बातचीत की। गोडसेको मैंने पहले-पहल दिल्ली जेलमें ८ फरवरीको देखा। तब उसके कोई पट्टी नहीं बँधी हुई थी। ११ फरवरीको जब हमने शंकर किस्तय्याको देखा तो श्री नगरवाला भी उसके साथ थे। शंकर किस्तय्या हमें हिन्दू-महासभा-भवनके पीछेके जंगलमें ले गया। वहाँपर कुछ वस्तुएँ मिलीं, जिनका पञ्चनामा तैयार किया गया। १४ फरवरीको मैं ग्वालियर गया और थोरात पाटिलके सहयोगसे मैंने वहाँपर कुछ गवाहोंकी समीक्षा की। १६ फरवरीको मैं परचुरेसे प्रश्नोत्तर करनेके लिए ग्वालियरके किलेमें गया। प्रश्न पूछनेके बाद परचुरेने यह इच्छा प्रकट की कि स्थितिको अधिक स्पष्ट करनेके लिए किसी मजिस्ट्रेटके सामने उसका बयान ले लिया जाय। मैंने स्थानीय पुलिससे एक मजिस्ट्रेटके सामने परचुरेका बयान लिखनेको कहा। १८ फरवरीको ग्वालियरके किलेमें परचुरेका बयान लेनेके लिए मजिस्ट्रेटके साथ मैं भी गया था तथा अन्य पुलिस अफसर भी मौजूद थे। २० फरवरीको मैं ग्वालियरसे बम्बई चला गया और २४ फरवरीको बम्बईसे चलकर २६ को दिल्ली आ गया। मुझे मालूम हुआ कि आपटे और करकरे दिल्लीमें ही हैं, किन्तु मैंने उन्हें देखा नहीं। २७ फरवरीको आपटेको साथ लेकर मैं फिर ग्वालियर परचुरेके घर गया। परचुरेके घरकी तलाशी ली गयी। कुछ वस्तुएँ मिलीं जिनका पञ्चनामा तैयार किया गया। अगले दिन आपटेको मैं वापस दिल्ली ले आया। ३ मार्च १९४८ को मैं बम्बई लौट गया। १५ मार्चको मैंने गोडसेके हस्ताक्षरके नमूने लिये। सब मराठी अखबारोंकी फाइलें रखना मेरे कर्तव्यका एक भाग है। 'अग्रणी' और 'हिन्दू राष्ट्र' मराठीके अखबार हैं। ये अखबार इसलिए पढ़े जाते हैं कि यदि कोई आपत्तिजनक बात हो, तो वह खुफिया पुलिसके डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरलके ध्यानमें लायी जाय। दफ्तरमें कुछ अखबार १ सालके लिए और कुछ २ सालतकके लिए रखे जाते हैं।

अदालतमें नथूराम गोडसे द्वारा सम्पादित मराठी पत्रके सम्पादकीय लेख पेश किये गये, तो बचाव पक्षके वकीलने कहा कि सम्पादकोंको दूसरेके विचारों और क्रियाओंपर टीका-टिप्पणी करनेका अधिकार है इसलिए यह दिखानेके लिए कि इन सम्पादकीय लेखोंमें किसीके विरुद्ध विष उगला गया है अदालतके रेकार्डमें

नहीं लाना चाहिये। षड्यन्त्रके आरोपपर इन कागजोंको पेश करनेसे मुकदमे-पर उसका अवाञ्छनीय प्रभाव पड़ता है।

अदालतने इस मामलेको तबतक लटकाये रखा जबतक सबूत और बचाव दोनों पक्ष इस प्रकारकी गवाहीके स्वीकार करनेके विषयमें कानूनमेंसे कोई नियम न ढूँढ़ लें।

इसके बाद पुलिस अफसरने अपनी गवाही जारी रखते हुए कहा कि मैं परचुरेको जानता हूँ (उसने कठघरेमें परचुरेको पहचाना।)

जिरहमें गवाहने कहा मैं नारायण पेठ पूनाका रहनेवाला हूँ। 'अग्रणी' का एक कर्मचारी भी उसी हातेमें रहता था, किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि वह सम्पादकीय विभागका था या नहीं। ८ फरवरीको दिल्ली जेलमें मैंने गोडसेको देखा था। मुझे नहीं मालूम कि उस समय उसकी चिकित्सा की जा रही थी या नहीं। जुलाई १९४४ में मैं पांचगणीमें नियुक्त किया गया था। मैं गान्धीजी-की प्रार्थना-सभामें जाया करता था। २२ जुलाई, १९४७ को आपटे द्वारा किया गया जोरदार प्रदर्शन भी मैंने देखा था। जनवरी १९४८ में मैं पूनामें नहीं था इसलिए उस मास मैंने 'हिन्दूराष्ट्र' नहीं पढ़ा। करकरेके विषयमें मैंने कोई जाँच-पड़ताल नहीं की। ३१ जनवरीको मैंने बडगेसे प्रश्न किये थे, लेकिन उसका बयान नहीं लिखा। ८ फरवरीको दिल्ली जेलमें सरदार जसवन्त सिंह भी मेरे साथ थे, किन्तु गोडसेसे भेंट करते समय नहीं थे। शंकर ११ फरवरीको जब हिन्दू-महासभा-भवनके पीछे हमें ले गया था, तो उसका मुँह कपड़ेसे ढका हुआ था और उसके बायें हाथमें हथकड़ी पड़ी थी।

२२ सितम्बर

आज भी पूनाकी खुफिया पुलिसके डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री देऊलकरके साथ बचाव पक्षकी जिरह जारी रही। उत्तरमें गवाहने कहा कि पुलिसके काम-की शिक्षा मैंने नासिकमें पायी है। एक गवाहकी परीक्षा करते समय मैं उसका नाम-धाम, उसकी अवस्था, व्यवसाय और सम्बन्धियोंके विषयमें पूछा करता हूँ। ग्वालियरमें गान्धीजीकी हत्याके सम्बन्धमें मैंने किसी व्यक्तिके विरुद्ध कोई केस तैयार नहीं किया। मैंने १५ फरवरीको एम० के० काले तथा एन० डी० पर-चुरेसे प्रश्न किये थे। मैं १६ फरवरीको तीसरे पहर परचुरेके घर गया था। वहाँ-

पर मैंने अभियुक्त परचुरे और के० एस० परचुरेकी पत्नीसे प्रश्न किये। मैंने ग्वालियरमें एक स्टेनगन मिलनेके मेमोपर हस्ताक्षर किये थे। जब मैंने अभियुक्त परचुरे और के० एस० परचुरेकी पत्नियोंसे प्रश्न पूछे थे, तब ग्वालियरके डी० एस० पी० थोरात पाटिल भी मौजूद थे। मैंने इस विषयमें कोई छानबीन नहीं की कि परचुरे ब्रिटिश भारतकी प्रजा है या रियासती भारतकी।

राजज्योतिषीकी गवाही

इसके बाद ग्वालियरके ज्योतिषी श्री सूर्यनारायण व्यास गवाहीके लिए बुलाये गये। श्री व्यासने कहा कि मैं ग्वालियर, नवानगर, कश्मीर और बड़ौदाका राज-ज्योतिषी हूँ। मैं सदा उज्जैनमें रहता हूँ। मेरे पिता भी ज्योतिषी थे।

(गवाहको एक कुण्डली दिखायी गयी। गवाहने उसे पहचाना कि वह परचुरेके पिता सदाशिव गोपाल परचुरेकी है।)

सदाशिव गोपाल परचुरे मेरे पिताके पास आये थे, उस समय मैं भी उपस्थित था। श्री सदाशिव स्वयं ही जन्मपत्री लाये थे। यह सन् १९२१ की बात है। सदाशिव गोपाल परचुरेका रंग गोरा था। वे पूनाकी तरफकी पगड़ी पहनते थे और साथमें एक छड़ी रखते थे। जन्मपत्रीके अनुसार कह सकते हैं कि सदाशिव गोपालका जन्म पूनामें हुआ था।

इसपर बचाव पक्षने कहा कि परचुरेके पिताकी जन्मपत्री रेकार्डमें शामिल नहीं की जा सकती क्योंकि यदि परचुरेके दादा अपने पुत्र सदाशिव गोपाल परचुरेकी जन्मपत्री लाये होते तब तो गवाहकी गवाही मानी जा सकती थी, इस कल्पनाके आधारपर कि सदाशिव गोपालके जन्मकी तिथि उनके पिताको तो याद हो सकती है, किन्तु गवाहके पिताको स्वयं सदाशिव गोपाल परचुरेने अपनी जन्मपत्री दी थी, तो उनको अपने जन्मकी तिथि और स्थानका कैसे पता हो सकता है।

इससे पूर्व एल० बी० भोपटकरने अभियुक्त सावरकरकी ओरसे एक अर्जी पेश की जिसमें कहा गया था कि सबूत पक्षने सावरकरको यह सूचना दी थी कि वे उनकी फाइलमेंसे प्राप्त १४३ पत्रोंको पेश करना चाहते हैं। कहा जाता है कि इन १४३ पत्रोंमेंसे सावरकरको ७४ नथूराम गोडसेसे, २७ आपटेसे और ११ परचुरेसे मिले थे। परचुरेके पत्र १९४० से १९४३ तकके हैं और गोडसे

और आपटेके, १९३८ से १९४६ तकके। इन अभियुक्तों द्वारा १९४६ या ४७ में लिखा हुआ कोई भी पत्र नहीं है।

सबूत पक्ष इनमेंसे २९ पत्रोंपर अधिक निर्भर है, बाकी पत्रोंसे वह सावरकरका गोडसे, आपटे और परचुरेसे सम्बन्ध दिखाना चाहता है।

सावरकरका कथन है कि यह सबूत पक्षके लिए अनुचित है। अभियोगके समयकी सीमा १ दिसम्बर १९४७ से ३० जनवरी १९४८ तक है। १ दिसम्बर १९४७ से पहले जो कुछ कहा गया, किया गया और लिखा गया है, उससे अभियुक्तोंके इरादोंकी जाँच नहीं की जा सकती।

सावरकरकी प्रार्थना है कि इन पत्रोंको गवाहीके रूपमें शामिल न किया जाय।

सबूत और बचाव पक्ष दोनोंकी दलीलें सुननेके बाद अदालतने गवाहसे जिरह फिर शुरू करायी।

गवाहने कहा कि जन्मपत्रीमें फलित ज्योतिषके अनुसार पूनाकी अक्षांश और देशान्तर रेखाएँ भी लिखी हुई थीं। मैंने फलित ज्योतिष अपने पितासे सीखा है। १८ वर्षकी उम्रमें मैंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। कई सालसे मैं उज्जैनमें ही रहता हूँ। जन्मपत्रीसे यह नहीं मालूम पड़ता था कि यह अभियुक्त परचुरेके पिताकी है। उसमें सदाशिव गोपाल परचुरेके माता या पिताका भी उल्लेख नहीं था। यह जन्मपत्री बिहारीलाल क्लर्कने लिखी है, इसका प्रमाण कुछ नहीं। मेरे पिताने इसे नहीं लिखा। मैंने इसको पहले-पहल १९२१ में देखा था। मैं परचुरेको नहीं जानता था। यह बात सही है कि ग्वालियर सार्वजनिक सुरक्षाके मातहत परचुरेपर एक दावा दायर किया गया था, किन्तु बादमें ग्वालियर सरकारने उसे वापस ले लिया।

हवाई अड्डेके अधिकारीका बयान

इसके बाद अगले गवाह पालम हवाई अड्डेके फ्लाइट लेफ्टिनेण्ट एम. के. नेरूरकरने बताया कि मैं शाही भारतीय हवाई सेनाका एक सैनिक हूँ और पालमका दफ्तर मेरी आधीनतामें है। मेरे दफ्तरमें प्रत्येक हवाई जहाजके उड़ने और उतरनेका रेकार्ड रखा जाता है। २७ जनवरी १९४८ को सान्ताक्रुज हवाई अड्डेसे एयर इण्डियाका हवाई जहाज दोपहर १२-४० पर आकर उतरा था।

जिरहमें गवाहने कहा कि हवाई जहाजके उतरनेका रेकार्ड मैंने अपने हाथसे नहीं लिखा, क्योंकि २७ जनवरीको हवाई अड्डेपर मैं उपस्थित नहीं था।

२७ सितम्बर

आज एयर इण्डिया लिमिटेडके यातायात विभागके क्लर्क श्री० पी० जय-रमणने अपने बयानमें कहा कि १५ फरवरी १९४८ को एम० करमरकर तथा एस० मराठे नामक व्यक्तियोंके लिए बम्बईसे दिल्ली १७ जनवरीको हवाई यात्राके लिए दो सीटें रिजर्व करा दी गयी थीं। टिकटोंपर ट्रेफिक असिस्टेण्ट श्री डी० एन० सेनने खानापुरी की थी। २१ जनवरी १९४८ को डी० नारायण राव और डी० विनायक राव नामक व्यक्तियोंके लिए दो सीटें रिजर्व करायी गयी थीं। ये लोग २७ जनवरी १९४८ को बम्बईसे दिल्ली आये थे। इस बार ट्रेफिक असिस्टेण्ट श्री गोम्सने स्लिपें बनायी थीं। दोनों बार १५४) प्रति सवारीके हिसाबसे किराया लिया गया था।

गवाहने बताया कि अपने मित्रोंके नामसे भी सीटें रिजर्व करायी जा सकती हैं।

इसके बाद पब्लिक इन्स्ट्रंक्शन विभाग पूनाके दफ्तरके क्लर्क श्री डी० बी० म्हसकरने गवाही देते हुए बताया कि पूनाका डेक्कन कालेज १९३३-३४ में बन्द कर दिया गया और वहाँके सारे रजिस्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन विभागके डाइरेक्टरके यहाँ भेज दिये गये थे। गवाहने अदालतमें एक रजिस्टर पेश किया जिसमें एस० जी० परचुरेके नामकी खानापुरी थी।

गवाहने बताया कि बी. ए. के बादकी पढ़ाई तथा अनुसन्धान-कार्य अब भी डेक्कन कालेजमें हो रहा है। मैं यह नहीं कह सकता कि इस रजिस्टरमें कैसे खानापुरी की गयी है। मैंने इस बारेमें पूछताछ नहीं की है कि एस. जी. परचुरेने दाखिलेके बारेमें प्रार्थनापत्र दिया था या नहीं।

अगले गवाह बम्बई पुलिसके इन्स्पेक्टर श्री बी. एस. हल्दीपुरने अपनी गवाहीमें बताया कि मैं १९३९ से बम्बई पुलिसमें नौकरी कर रहा हूँ। १९४७-४८ में मैं भ्रष्टाचार विरोधक शाखामें था। १२ फरवरी १९४८ को मैं पुलिसके डिप्टी कमिश्नर श्री नगरवालाकी आज्ञासे ग्रीन होटल गया था और वहाँ कुछ पूछताछ की थी।

१४ फरवरी १९४८ को प्रातः ७ बजे मैं अपोलो होटल गया था। मैंने वहाँका रजिस्टर देखा और कुछ जाँच-पड़ताल की थी। रजिस्टरमें जिन व्यक्तियोंका हवाला था, उनमेंसे २ व्यक्ति मेरे वहाँ जानेपर होटलमें न थे। अतः मैंने होटलकी निगरानी रखी थी। शामको ५। बजे एक व्यक्ति टैक्सीमें बैठकर वहाँ आया। उससे मैंने कुछ प्रश्न किये और उसे गिरफ्तार करके तुरन्त सी. आई. डी. के दफ्तरमें भेज दिया। मैंने इसके बाद भी होटलकी निगरानी जारी रखी। शामको ८ बजकर २५ मिनटपर दूसरा व्यक्ति आया। उससे कुछ पूछ-ताछ करनेके बाद मैंने उसे भी गिरफ्तार किया। (गवाहने आपटे तथा करकरेको उन व्यक्तियोंके रूपमें पहचाना जिन्हें कि उसने उस दिन गिरफ्तार किया था।)

टेलीफोनपर सूचना देनेपर श्री नगरवाला प्रथम व्यक्ति (आपटे) के साथ होटल आये। इसके बाद आपटे तथा करकरेकी तलाशी ली गयी। होटलके कमरा नं० २९ की, जिसमें वे ठहरे थे, तलाशी ली गयी।

१८ फरवरीको मैं आर्य पथिकाश्रम गया। वहाँ आनेवाले लोगोंके बारेमें रजिस्टरमें देखा। १९ फरवरीको मैं आपटेके कहनेसे उसके साथ लालबाग गया। वहाँ मैंने बम्बई यूनियन डाइंग मिल्सके दफ्तरमें चरनदास नामक एक व्यक्तिको पाया। सी. आई. डी. के दफ्तरमें चरनदासका बयान लिखा गया। २२ फरवरीको मैं एल्फिन्स्टन एनैक्स होटल गया और कुछ जाँच-पड़ताल करके कुछ खानापूरी देखी। मैं इसी होटलमें २४ फरवरीको फिर गया और होटलके हिस्सेदार श्री खन्ना तथा होटलके नौकर मालेंकरके बयान लिये।

इसके पूर्व अभियुक्त आपटेने एक प्रार्थना-पत्र अदालतमें पेश किया कि सबूत पक्षको इस आशयकी सूचना दे दी जाय कि पूनाके कलक्टर श्री एच. डी. बर्वेने मेरे घरसे जो दो पत्र प्राप्त किये हैं तथा ३० जनवरी और १४ फरवरी १९४८ के बीचके मेरे सारे पत्र, जो श्री नगरवालाकी आज्ञासे जब्त कर लिये गये थे, श्री नगरवालाको अदालतमें पेश करने होंगे।

करकरेकी ओरसे दिये गये प्रार्थना-पत्रमें कहा गया कि पुलिस तलाशी और जाँच पड़तालमें कुछ कागज और पत्र मेरे घरसे ले आयी थी। अदालतसे प्रार्थना है कि वह सबूत पक्षको आज्ञा दे कि उपर्युक्त कागज अदालतमें पेश किये जायँ ताकि करकरे आवश्यक कागज उनमेंसे ले सके।

मदनलालके वकील श्री बनर्जीने प्रार्थना-पत्र दिया कि ग्वालियरके ज्योतिषी सूर्यनारायण व्यासकी गवाही सर्वथा अस्वीकार्य है क्योंकि जन्म-पत्रिका जन्म-तिथिके बारेमें सबूत मानी जा सकती है, जन्मस्थानके बारेमें नहीं। दूसरे, इस जन्मपत्रिकामें वर्णित बातोंको साबित करनेके लिए गवाही-कानूनके अनुसार गवाह तलब किये जाने चाहिये। इस विषयमें सबूत पक्ष कोई भी प्रमाण नहीं दे सका है। तीसरे, जन्मपत्रिका लिखनेवाले व्यक्ति बिहारीलालको एस. जी. परचुरेके जन्मके बारेमें जानकारीके विशेष साधन प्राप्त न थे। इस बातका सबूत नहीं है कि बिहारी सदाशिवके मातापितासे मिला था जिन्हें कि उसके जन्मके बारेमें प्रामाणिक बात मालूम थी। सदाशिवको स्वयं अपने जन्मके बारेमें विशेष जानकारी नहीं हो सकती। अतः भारतीय गवाही-कानूनकी धारा ३२ (५) की सारी शर्तें इस बारेमें पूरी नहीं होतीं।

श्री हल्दीपुरने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि मैंने एकसे अधिक बार अभियुक्त नथूराम गोडसे, आपटे, मदनलाल, करकरे तथा गोपाल गोडसेकी हस्तलिपिके नमूने लिये थे। मैंने स्वयं अपनी हस्तलिपिमें पंचनामे तैयार किये थे। जिन कागजोंपर अभियुक्तोंकी हस्तलिपिके नमूने लिये गये थे, उन्हें हस्त-लिपि-विशेषज्ञके पास भेजनेसे पूर्व मैंने अभियुक्तोंकी हस्तलिपिके चारों ओर लाल पेन्सिलसे लकीर खींच दी थी। जब भी मैंने अभियुक्तोंकी हस्तलिपि लिखायी, मैंने दो पञ्चोंको बुला लिया था। मैंने उन्हें पञ्चनामे आदिका सारा कार्यक्रम बता दिया था। एकके बाद दूसरा अभियुक्त लाया गया था। अभि-युक्तोंको सफेद कागजके टुकड़े दे दिये गये थे और उनपर उनसे लिखनेको कहा गया था। प्रत्येक बार पञ्चनामा तैयार किया गया था और पञ्चोंने उनपर अपने हस्ताक्षर किये थे। कागजोंकी मेरे पास एक फाइल थी। मैंने इस फाइलमें निशान लगा दिये थे कि अभियुक्तोंको क्या बोलना है। बिड़ला-भवन-में मैं महात्मा गान्धीकी प्रार्थना-सभाओंमें एकसे अधिक बार जा चुका हूँ। मैंने उस बरामदेका पेन्सिलसे खाका भी बनाया है जिसमें बैठकर महात्मा गान्धी प्रार्थना-सभाओंमें भाषण किया करते थे।

मैं बम्बईके सी० आई० डी० दफ्तरको भलीभाँति जानता हूँ। मैंने इस दफ्तरका भी पेन्सिलसे खाका बनाया है। मैंने इस खाकेमें उस स्थानपर निशान लगाये हैं जहाँ कि अभियुक्त रखा गया था। इस खाकेमें मैंने श्री नगरवालाका

कमरा भी दिखाया है। इस खाकेकी अनुक्रमणिकामें मैंने बहुत-सी बातें दिखायी हैं जिन्हें कि मैं जानता था।

२८ सितम्बर

आज भी श्री हल्दीपुरकी गवाही जारी रही। उन्होंने कहा कि अभियुक्तों-की हस्तलिपि जिन कागजोंपर ली गयी थी, उनमेंसे कुछपर मैंने कुछ अक्षर लिख लिये थे जो कि अभियुक्तोंके नामके थे। कुछ कागजोंपर मैंने अक्षर नहीं लिखे थे क्योंकि ये हस्तलिपि विशेषज्ञके पास नहीं भेजे गये थे

पञ्चनामा तैयार करनेके पश्चात् मैं पञ्चोंके सामने वह पञ्चनामा अंग्रेजीमें ही पढ़कर सुना देता था। यदि पञ्च अच्छी तरह अंग्रेजी नहीं समझता था तो मैं उसे मातृभाषामें समझा देता। पञ्चनामोंपर हस्ताक्षर करानेसे पूर्व ही मैं उन्हें सुना या समझा देता था।

जिरहमें गवाहने कहा कि इस मुकदमेकी जब छानबीन हो रही थी तो सी० आई० डी० के दफ्तरकी दूसरी मंजिलमें किसी भी बाहरी व्यक्तिको नहीं आने दिया जाता था। मैंने पेन्सिलसे जो खाका सी० आई० डी० दफ्तरका खींचा है उसमें उस स्थानको कुछ कुछ काला कर दिया है जहाँ कि अभियुक्त बैठे थे। मैंने किसी भी व्यक्तिको शिनाख्त परेडमें मदद नहीं दी। मैं तो केवल उन पुलिस अफसरोंमें एक था जो कि शिनाख्तके लिए अभियुक्तोंको अदालत ले जाया करते थे।

इस मामलेमें मैं अभियुक्तोंको रिमाण्ड दिलाने तथा शिनाख्त परेडके लिए ले जाया करता। दिल्लीसे जो शिनाख्त करनेवाले गवाह आये वे प्रिन्सेस स्ट्रीटके थानेमें ठहराये गये थे। मैंने यह नहीं देखा कि कोई भी शिनाख्त करनेवाला व्यक्ति नगरवालासे मिलने सी० आई० डी० के दफ्तर गया हो।

शिनाख्त परेड समाप्त हो जानेपर अभियुक्तोंको उनके मित्रों तथा सम्ब-न्धियोंसे श्री नगरवालाकी स्वीकृति ले लेनेपर मिलने और बातचीत कर लेने दिया जाता था। मैं यह नहीं कह सकता कि सी० आई० डी० के दफ्तरवालों-ने इस प्रकार हुई मिलाइयोंकी संख्या तथा रेकार्ड रखा है या नहीं।

२८ जनवरी १९४८ से इस मुकदमेकी खोजबीनमें सहायता देनेकी आज्ञा दी गयी थी। 'इस मुकदमे' से मेरा अर्थ बम-विस्फोट तथा गान्धी-

हत्याकाण्ड है ! (तुरन्त ही अपनी गलती ठीक करते हुए गवाहने कहा कि २८ जनवरी १९४८ को मुझे बम०विस्फोटके मामलेमें सहायता देने तथा ३० जनवरीको हत्याकाण्डके मुकदमेकी खोजबीनमें सहायता देनेकी आज्ञा दी गयी थी।)

मैं यह नहीं कह सकता कि हस्तलिपिका नमूना लेनेके लिए आपटेको मैंने उस तारमेंसे बोला था या नहीं जो कि हिन्दूमहासभा, दिल्लीके सेक्रेटरीके नाम आपटेने भेजा था। मुझे तारकी बाबत कुछ भी याद नहीं।

मैं इस मुकदमेके सिलसिलेमें ५ अप्रैल १९४८ को या उसके आसपास दिल्ली आया था। मैं तारीखोंके बारेमें नहीं कह सकता कि अभियुक्त सी० आई० डी० दफ्तरमें कब लाये गये थे। मेरा ख्याल है कि अभियुक्त अन्तिम रूपसे मईके तृतीय सप्ताहमें दिल्ली लाये गये थे।

सफाई पक्षके वकील श्री बनर्जीने आज तीन प्रार्थनापत्र अदालतके सामने पेश किये।

पहले प्रार्थनापत्रमें डेक्कन कालेजके उस रजिस्टरके बारेमें कहा गया जिसको श्री म्हसकरने कल पेश किया था। प्रार्थनापत्रमें कहा गया कि एस०जी० परचुरेके बारेमें जो खानापूरी की गयी है उसके बारेमें कोई प्रमाण नहीं है, अतः यह खानापूरी विषयक गवाही अस्वीकार्य है।

दूसरे प्रार्थनापत्रमें कहा गया कि मदनलालकी हस्तलिपिके नमूने लेनेके सम्बन्धमें सबूत पक्षके चार गवाहोंकी गवाही वैध नहीं है क्योंकि जब मदनलाल पुलिसकी हिरासतमें था और उसके विरुद्ध लगाये गये अभियोगोंकी छानबीन पुलिस कर रही थी, तो इन प्राइवेट नागरिकोंको हस्तलिपि लेनेका कोई कानूनी अधिकार नहीं। अतः इन गवाहोंकी गवाही मान्य नहीं होनी चाहिये।

तीसरे प्रार्थनापत्रमें कहा गया कि कल ३॥ बजे शामको जब अदालतकी काररवाई समाप्त हो गयी थी, तो तेलगूकी दुभाषिया श्री नगरवाला तथा श्री उमरखाँके पास गयी। बादमें उसने लौटकर कुछ बात शंकरसे तेलगूमें कही।

प्रार्थनापत्रमें कहा गया कि यह दुभाषियेका काम नहीं है कि वह अभियुक्त तथा उच्च पुलिस अफसरोंके बीच संदेशवाहकका काम करे। दुभाषियेका उचित स्थान गवाहके कठघरेके पास है न कि अभियुक्तके पास।

दुभाषिया जो भी अर्थ समझाये वह इतनी जोरसे होना चाहिये कि जज और वकील सभी सुन सकें। जैसे कल किया गया, दुभाषिया किसी विशेष अभियुक्तके पास जाकर फुसफुसाकर बातचीत नहीं कर सकता।

श्री इल्दीएुरसे जिरह जारी हुई तो उन्होंने कहा कि आपटे १४ फरवरी १९४८ को गिरफ्तार किये जानेके बाद बम्बईमें सी० आई० डी० के दफ्तरमें ही रखा गया था। बम्बईके डिप्टी पुलिस कमिश्नर श्री नगरवाला स्पेशल ब्रांच नं० १ तथा नं० २ के इन्चार्ज थे।

आपटे उस कमरेमें रखा गया था जहाँ कि जनवरी १९४८ के पूर्व इन्स्पेक्टर कामत बैठा करते थे। जहाँ तक मुझे ज्ञात है इन्स्पेक्टर वाहबअली कभी भी उस कमरेमें नहीं बैठते थे। अगस्तके महीनेमें पुलिसका फोटोग्राफर बिड़लाभवनका फोटो लेने भेजा गया था।

इस मुकदमेके सम्बन्धमें मैं करकरेको लेकर कभी भी ठाणा नहीं गया। करकरेकी हस्तलिपिका नमूना मिलान करनेके लिए हस्तलिपि-विशेषज्ञके पास भेज दिया गया था। जो कुछ मैंने करकरेको बोला था, वही करकरेने लिखा था। अभियुक्तसे हस्तलिपि लिखनेके लिए कई कागजोंपर लिखाया गया था ताकि विशेषज्ञको कठिनाई न हो।

चौकीदार छोटूरामके मकानके पिछले भागका नक्शा लेने मैं कल स्वेच्छासे बिड़लाभवन गया था। कल अदालतमें हुई बहससे मेरी समझमें यह आया कि मुझे विस्तृत खाका पेश करनेकी आवश्यकता है।

सी० आई० डी० का दफ्तर कभी भी पुलिस थाना न था और न इससे पहले यहाँ कोई अभियुक्त रखा जाता था। मेरी ड्यूटी यही थी कि मैं इस मुकदमेके बारेमें छानबीन करनेके लिए श्री नगरवालाको सहायता दूँ।

अदालत जब आजका इजलास समाप्त करके उठने ही वाली थी कि मदनलाल-के वकील श्री बनर्जीने आज प्रातः पेश किये प्रार्थनापत्रकी यह आपत्ति वापस ले ली कि तेलगूकी दुभाषिया महिलाको अभियुक्तके पास नहीं बैठना चाहिये। जजने सफाईके वकील तथा अभियुक्तसे पूछा कि क्या दुभाषिया गवाहोंके कट-घरेसे ही अभियुक्त या गवाहके कथनका भाषान्तर करे, तो इन्होंने कहा कि हम वर्तमान प्रबन्धको चालू रखना ही पसन्द करेंगे

२९ सितम्बर

आज भी श्री हलदीपुरसे जिरह जारी रही। उन्होंने कहा कि मैं बम्बईके चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेटकी अदालततक अभियुक्तको पुलिस हिरासतमें रखनेके लिए रिमाण्ड लेने ले गया था, पर रिमाण्डके लिए प्रार्थनापत्र मेरे सीनियर अफसरने पेश किया था। मैंने यह पूछताछ नहीं की कि उस मुकदमेमें अभियुक्तोंका कब चालान किया गया। मैंने इस मुकदमेकी प्रथम रिपोर्ट भी नहीं देखी। इस मुकदमेके सम्बन्धमें मैं पूना भी नहीं गया। डा० जे० सी० जैनसे भी मैंने कोई बातचीत नहीं की।

जहाँ तक मुझे मालूम है श्री उमरखाँ इस मुकदमेकी छानबीन करनेमें श्री नगरवालाकी सहायता करते थे। श्री उमरखाँका दफ्तर सी० आई० डी० दफ्तरकी निचली (पहली) मंजिलमें था। दङ्गोंके दिनोंमें बम्बईमें एक विशेष पुलिसदल बम-विस्फोटके मामलोंकी छानबीन करनेके लिए था, पर यह दल जनवरीमें भङ्ग हो गया था।

मैं श्री सावरकरके साथ हवाई जहाजमें २५ मई १९४८ या इसके आसपास आया था। १९ जून १९४८ से मैं दिल्लीमें ही हूँ। मैं श्री नगरवालाके साथ कभी भी स्पेशल जेल नहीं गया जहाँ अभियुक्त बन्द हैं। पर मैं कई बार इन अभियुक्तोंको लेकर यहाँकी जेल गया हूँ।

जब सबूत पक्षकी ओरसे एक गवाह यह सिद्ध करने को पेश किया जाने वाला था कि सावरकरका अन्य अभियुक्तोंसे सम्पर्क था, तो सफाई पक्षकी ओरसे इस गवाहीकी वैधतापर आपत्ति की गयी। इसपर श्री दफ्तरीने कहा कि यह गवाही भारतीय साक्षी कानूनकी ११ वीं धाराके अन्तर्गत है तथा यह गवाही श्री सावरकरके उस वक्तव्यका खण्डन करनेके लिए दिलायी जा रही है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि मेरा अन्य अभियुक्तोंसे कोई सम्बन्ध न था। यह वक्तव्य अदालतकी प्रामाणिक वस्तुओंमें है। इसपर भोपटकरने कहा कि जिन स्थितियोंमें कथित वक्तव्य दिया गया है, उसका भी ख्याल किया जाना चाहिये।

इससे पूर्व सबूत पक्षके प्रधान वकील श्री सी० के० दफ्तरीने तीन प्रार्थनापत्र अदालतमें दिये। पहले प्रार्थनापत्रमें कहा गया कि अभियुक्त करकरेसे प्राप्त हुए कुछ कागज तथा सामान उसके वकील श्री डांगेको दिखा दिये जायँ।

दूसरे प्रार्थनापत्रमें इस बातसे इन्कार किया गया कि पूनाके कलक्टर श्री

एस० जी० बर्वेने अभियुक्त आपटेके घरसे कोई सामान तथा पत्र लिये। आपटेकी खानातलाशीमें जो पत्रादि मिले थे अदालतके सामने पेश किये जा चुके हैं। दो 'अन्य स्थानों' से प्राप्त जो दो पत्र पुलिसके पास और हैं वे सफाई-के वकीलको दिखाये जा सकते हैं।

तीसरे प्रार्थनापत्रमें कहा गया था कि बम्बईके खुफियाके डिप्टी सुपरिण्टे-ण्डेण्ट श्री देऊळकरकी यह गवाही वैध मानी जाय कि परचुरेने इकबाली बयान देनेकी स्वयं इच्छा व्यक्त की थी तथा दुर्व्यवहारकी कोई शिकायत नहीं की थी। अदालतने पहले इसे अस्वीकार कर दिया था।

श्री भोपटकरने श्री सावरकरके वक्तव्यको स्पष्ट करते हुए एक प्रार्थना-पत्र उपस्थित किया। सावरकरने दावा किया था कि 'मेरा अन्य अभियुक्तोंके साथ कभी भी किसी प्रकारका सम्पर्क नहीं रहा।' श्री भोपटकरने बताया कि सावरकरके इस दावेका अर्थ यह नहीं कि उनका इन अभियुक्तोंमेंसे किसीके साथ कभी भी सम्बन्ध नहीं रहा; प्रत्युत सावरकरका सम्बन्ध नथूराम, आपटे, परचुरे और बडगेसे तो अति दीर्घकालसे चला आ रहा है क्योंकि हिन्दू महा-सभाके कार्यसे इन लोगोंका व्यापक सम्पर्क रहा है।

श्री भोपटकरने आगे बताया कि सावरकरने इन लोगोंके साथ जिस 'सम्पर्क' का विरोध किया है, उसका अर्थ इतना ही है कि महात्मा गान्धीकी हत्याके सिलसिलेमें इन अभियुक्तोंने जो कुछ भी षड्यन्त्र किया हो, उससे उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं रहा। पुलिसने जब अन्य अभियुक्तोंके साथ गिरफ्तारीके बाद सामूहिक फोटो लिया था तो उन्होंने उसका विरोध किया था।

इसपर सबूत पक्षके वकील श्री दफ्तरीने अपना यह मत दुहराया कि इस षड्यन्त्रमें सावरकरका अन्य अभियुक्तोंके साथ कहाँतक सम्पर्क रहा है, उसका निर्णय सावरकरके घरसे बरामद हुए पत्र-व्यवहार द्वारा किया जाना चाहिये। अतः इस बारेमें गवाही ली जाय।

श्री दफ्तरीने आज अदालतमें एक अन्य प्रार्थना-पत्र देकर श्री बनर्जी द्वारा दुभाषियेपर लगाये गये आरोपोंका खण्डन किया।

श्री दफ्तरीने बताया कि दुभाषियेने केवल अपनी वेतन वृद्धिके बारेमें केवल एक मिनटतक श्री नगरवाला (सी. आई. डी. अफसर) से बातचीत की थी। अन्य पुलिस अफसर श्री उमर खाँसे उसने कतई बातचीत नहीं की। यह

आरोप बिलकुल मिथ्या है कि उसने इस मुकदमेके बारेमें किसी पुलिस अफसरसे कोई बातचीत की, और बादमें वह अभियुक्त शंकरसे कुछ बातचीत करने लगा ।

श्री दफ्तरीने आगे कहा कि यदि दुभाषिये और शंकरमें कुछ बातचीत हुई भी तो यह बात सर्वथा मिथ्या है कि उसने वही बात अभियुक्तसे कही जो कि उसमें और पुलिस अफसरोंमें हुई थी ।

अन्तमें श्री दफ्तरीने कहा कि सी. आई. डी. पुलिस अफसर तथा अभियुक्तोंमें बिना अदालतकी अनुमतिसे कभी किसी प्रकारकी बातचीत नहीं हुई । अतः श्री बनर्जीके आरोप सर्वथा अनावश्यक हैं ।

३० सितम्बर—सावरकरकी फाइलोंमें १० हजार पत्र

आज पूनाकी सी. आई. डी. पुलिसके इन्स्पेक्टरकी श्री ए. आर. प्रधानकी गवाही हुई ।

श्री सावरकर तथा कुछ अभियुक्तोंमें हुए पत्र-व्यवहारको प्रामाणिक सामग्री माननेके विषयमें कल भोपटकरने जो आपत्ति उठायी थी, उसपर निर्णय देते हुए जजने कहा कि जो २९ पत्र आपटे तथा गोडसे द्वारा लिखे बताये जाते हैं, वे कुछ सीमातक प्रासंगिक हैं और प्रामाणिक सामग्री माने जा सकते हैं ।

गवाह श्री प्रधानने अपने बयानमें कहा कि बम्बई पुलिसके डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल श्री राणाने मुझे इस मुकदमेमें श्री नगरवालाकी सहायता करनेकी आज्ञा दी थी । मैं ३ फरवरी १९४८ को बम्बईसे दिल्ली आया था और १२ फरवरी १९४८ को प्रातः २ बजे बम्बई लौट गया था ।

२१ फरवरी १९४८ को मुझे आज्ञा हुई थी कि सावरकरके मकानसे प्राप्त फाइलोंको मैं पढ़ जाऊँ । ये फाइलें प्राप्त करते समय जो पञ्चनामा तैयार किया गया था, वह भी मैंने देखा था । पञ्चनामाके अनुसार कुल १४३ फाइलें ली गयी थीं जो कि वहाँ मौजूद थीं ।

कई फाइलें पढ़नेके बाद मुझे पता चला कि नथूराम गोडसे तथा आपटेने कुछ पत्र संयुक्त रूपसे तथा कुछ पृथक् पृथक् श्री सावरकरको लिखे थे तथा सावरकरने भी उनके उत्तर कभी संयुक्त रूपसे और कभी अलग-अलग दिये थे । तारीखोंके हिसाबसे मैंने फाइलोंपर नम्बर डाल दिये थे ।

नथूराम गोडसे द्वारा लिखित १७ पत्र अदालतकी प्रामाणिक सामग्रीमें शामिल कर लिये गये। जिरहमें गवाहने कहा कि मेरी मुख्य ड्यूटी फाइलें पढ़ना था। १२ से १४ फरवरीतक मैंने नथूराम गोडसेके कमरेकी निगरानी की थी। १५ फरवरीको मैं पूना और अहमदनगर गया था। १८ फरवरीको लौटकर बम्बई गया था। १९ से २१ फरवरीतक मैं इस मुकदमेमें अपने अफसर-की सहायता कर रहा था। २१ फरवरीके बाद तीन महीनेतक बम्बई सी. आई. डी. आफिसमें मैंने फाइलें पढ़ी थीं। मैंने फाइलोंमें करकरेका सावरकरके नाम तथा सावरकरका करकरेके नाम कोई पत्र नहीं देखा। इन फाइलोंको देखनेके लिए मुझे लिखित आज्ञा दी गयी थी। जब मैं पूना तथा अहमदनगर गया था तो कोई उच्च पुलिस अफसर हमारे साथ नहीं गया था। मैं अहमदनगर इस मुकदमेके सम्बन्धमें नहीं गया वरन् कुछ गुप्त फाइलें लेने गया था। मैंने प्रत्येक फाइलकी पत्र-संख्या नहीं गिनी थी। सभी पत्रोंमें क्या लिखा था, यह मैंने पढ़ा था। इन फाइलोंमें अभियुक्तोंके अतिरिक्त अन्य लोगोंके द्वारा सावरकरको लिखे गये पत्र थे। मेरे अनुमानसे सारी फाइलोंमें लगभग १०००० पत्र होंगे।

आपटेके वकील श्री मेंगलेने सावरकरकी फाइलोंसे ७ पत्र छाँटे और उन्हें प्रामाणिक सामग्रीमें सम्मिलित करनेके लिए अदालतके सामने पेश किया।

मदनलालके वकील श्री बनर्जीने कहा कि एक पत्र जो महात्मा गान्धीने श्री सावरकरकी ६१ वीं वर्षगाँठपर उन्हें लिखा था, फाइलमें था। गोडसेने सावरकरको अन्तिम पत्र अक्तूबर १९४६ में लिखा था, जो कि फाइलमें लगा हुआ था।

सावरकरके वकील श्री भोपटकरने सावरकर द्वारा नथूराम गोडसेको लिखे ६ पत्र अदालतके सामने प्रामाणिक सामग्रीमें सम्मिलित किये जानेके लिए पेश किये। १९४२ में कांग्रेस कार्यसमितिकी गिरफ्तारीपर श्री सावरकरने जो वक्तव्य दिया था तथा कस्तूरबा गान्धीकी मृत्युपर सावरकरने जो समवेदना पत्र गान्धी-जीको भेजा था, वह भी अदालतकी प्रामाणिक सामग्रीमें शामिल कर लिया गया।

श्री भोपटकर चाहते थे कि सावरकरको लार्ड लिनलिथगो, स्वर्गीय श्री जिना तथा स्व० सर सिकंदर हयात खाँने जो पत्र लिखे थे, वे भी अदालतके

सामने पेश करें, पर इन्हें ढूँढ़नेमें समय लगता। तबतक अदालत कलतकके लिए उठ गयी।

१ अक्तूबर

आज भोपटकरने सावरकरके घरसे प्राप्त फाइलोंमेंसे ४६ पत्र अदालतकी प्रामाणिक सामग्रीमें शामिल किये जानेके लिए पेश किये।

१२९ वाँ गवाह

इसके बाद बम्बईकी सी० आई० डी० पुलिसके सब-इन्स्पेक्टर श्री सी० आर० प्रधानने अपने बयानमें कहा कि मैं गत ९ वर्षोंसे पुलिस विभागमें नौकरी कर रहा हूँ। २१ जनवरी १९४८ को बम्बई पुलिसके डिप्टी कमिश्नर श्री नगरवालाने रातको ९॥ बजे मुझे आज्ञा दी कि शिवाजी पार्क स्थित सावरकर-सदन और अन्य कुछ मकानोंकी निगरानी करो। करकरेको भी गिरफ्तार करनेकी मुझे आज्ञा दी गयी थी।

तीन चार दिन बाद मुझे बडगेका नाम भी बताया गया जिसको कि मुझे गिरफ्तार करना था। ३१ जनवरी १९४८ को श्री नगरवालाने सावरकर-सदनकी तलाशी ली। पुलिसने कुछ फाइलें तथा पत्रादि वहाँसे अपने कब्जेमें लिये। एक पंचनामा तैयार किया गया। सारी फाइलों और कागजोंको एक बड़े पुलिंदेमें बन्द करके उसपर सील मुहर लगा दी गयी और वह बम्बईके सी० आई० डी० पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री देशपाण्डेके कमरेमें दाखिल कर दिया गया।

कुछ दिनों बाद पत्र-व्यवहारकी फाइलें पूनाके सी० आई० डी० इन्स्पेक्टर श्री ए० आर० प्रधानको जाँच पड़तालके लिए दे दी गयीं। ५ फरवरी १९४८ को मैं श्री नगरवाला और बडगेके साथ पूना गया था। ८ फरवरीको पुनः मैं गोपाल गोडसे तथा बडगेके साथ पूना गया। मैंने गोडबोले तथा जी. पी. कालेका पता लगाया। मारुती-मन्दिरकी तलाशी लेनेपर वहाँसे कुछ विस्फोटक पदार्थ निकले थे। इस सम्बन्धमें एक पंचनामा भी तैयार किया गया था। ९ फरवरीको मैंने कुछ लोगोंके बयान लिखे थे और लौटकर बम्बई गया था।

१५ फरवरी १९४८ को मैंने दीक्षित महाराजका बयान लिखा तथा उससे अगले दिन दादा महाराजका। आपटे तथा करकरेको लेकर मैं २५ फरवरी

१९४८ को दिल्ली आया। मेरे साथ श्री नगरवाला सहित अन्य पुलिस अफसर भी थे। २६ फरवरीको मैं आपटे तथा करकरेके साथ हिन्दू महासभा-भवनके पीछेके जङ्गलमें गया। अन्य पुलिस अफसर भी साथ थे। कुछ वस्तुएँ जङ्गलमें पड़ी मिलीं जिनके सम्बन्धमें एक पंचनामा तैयार किया गया।

१ मार्च १९४८ को मैं आपटे तथा करकरेको लेकर बम्बई लौट गया। वे बन्द पुलिस गाड़ीमें हवाई अड्डे ले जाये गये थे।

२३ मई १९४८ को बडगेकी पत्नी बडगेसे मिलाई करने सी० आई० डी० पुलिसके दफ्तरमें आयी। उसे बडगेके समीप जानेकी आज्ञा देनेसे पूर्व उससे पूछा गया कि क्या वह कोई वस्तु लायी है। उसने कहा—'हाँ, पत्र लायी हूँ।" पत्र उससे ले लिया गया और पंच बुलाकर एक पंचनामा तैयार किया गया। मैं पहले नहीं जानता था कि वह अपने साथ पत्र लायी है। पत्रके आठ टुकड़े कर दिये गये थे। मैंने उन्हें चिपकाया था।

भुलेश्वर, बम्बईमें मैंने शंकर किस्तय्याको ६ फरवरीको गिरफ्तार किया था।

महाबावड़ी थानेमें हवाई हमलेसे बचनेके सिलसिलेमें सारे थानेका जो नक्शा तैयार किया गया था, उसे यह दिखानेके लिए अदालतमें पेश किया गया कि शंकर कहाँ पकड़ा गया था। जिरहमें गवाहने बताया कि मैंने नक्शा नहीं बनाया। यह नक्शा सही है, पर मैंने इसे पैमानेसे नापकर नहीं देखा। मैं इस इलाकेको भलीभाँति जानता हूँ। इस नक्शेको लेकर मैं कभी भी इस हलकेमें नहीं घूमा। नक्शा किसने खींचा है, यह भी मैं नहीं जानता। मैंने अपने हाथसे नक्शेपर कुछ भी नहीं लिखा। २५ फरवरीको जब आपटे तथा करकरे बम्बई लाये गये थे तो उनके चेहरे हवाई जहाजमें ढँके हुए नहीं थे। दिल्लीमें अभियुक्त फौजी लारीमें लाये गये थे जो चारों ओरसे किरमिचसे ढँकी हुई थी। बम्बईमें ये लोग फौजी एम्बुलेंस ट्रकमें लाये गये जो चारों ओरसे बंद थी। २० जनवरी १९४८ को श्री नगरवालाने मुझे दिल्लीमें करकरेको गिरफ्तार करनेकी आज्ञा दी थी। २१ जनवरीको करकरे बम्बईमें था या नहीं यह मुझे नहीं मालूम। करकरेने बम्बईके प्रधान मन्त्रीको कोई पत्र लिखा या नहीं, यह भी मुझे नहीं मालूम है।

दीक्षित महाराजका बयान लेनेमें मुझे तीन घण्टे लगे थे। जिस जगह मैंने

दीक्षित महाराजका बयान लिया था, वहाँ मेरे तथा उनके सिवा कोई नहीं था। जब मुझे पता चला कि बडगेकी स्त्रीके पास पत्र है तो मैंने किसी स्त्री पंचको नहीं बुलाया।

पत्रकी तारीख तथा पत्र एक ही पेंसिलसे लिखे मालूम देते हैं। पत्रके साथ कोई लिफाफा न था। मैंने स्वेच्छासे पत्रके ८ टुकड़ोंको चिपकाया था। मैं जानता हूँ कि ए. आर. पी. संस्था बहुत पहले भंग कर दी गयी है।

इससे पूर्व मदनलालके वकील श्री बनर्जीने अदालतके सामने एक प्रार्थना-पत्र विचारार्थ पेश किया कि कल मैंने बहसके दौरेमें गवाह ए. आर. प्रधानसे प्रश्न किया था कि क्या आप गोडसे तथा सावरकरके बीच १९३८ से १९४६ तक हुए पत्रव्यवहारके प्रति वर्षवार आंकड़े दे सकते हो?

अदालतको यह बता दिया गया था कि यह प्रश्न इसलिए पूछा गया था कि पत्र-व्यवहार धीरे धीरे घटकर अन्तिम रूपसे अक्तूबर १९४६ में समाप्त हो गया था। इससे यह बात प्रायः सिद्ध हो जाती है कि सावरकर और गोडसेमें सभी सम्बन्ध इस षड्यन्त्रसे दो वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गये थे। पर अदालतने कानूनकी ११ वीं धाराके मातहत इस प्रश्नको अप्रासंगिक ठहराया और इस प्रश्नका उत्तर नहीं दिया गया।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि उपर्युक्त तथ्य अदालतके रेकार्डमें रखे जायँ।

फिर सी. आई. डी. पुलिसके अफसर प्रधानसे जिरह शुरू हुई। जिरहके उत्तरमें उन्होंने कहा कि २१ जनवरी १९४८ को मुझे सावरकरके मकान तथा अन्य कुछ मकानोंकी निगरानी और करकरेकी गिरफ्तारीकी आज्ञाके अतिरिक्त और कोई आज्ञा न मिली थी। मैं करकरेको गिरफ्तार करने अहमदनगर नहीं गया था। डा० जे. सी. जैनके बारेमें मुझे १५-१६ फरवरी १९४८ को ज्ञात हुआ था। बडगेकी पत्नीसे प्राप्त हुए पत्रके बारेमें जब रातको ८ बजे पञ्चनामा तैयार हो गया तो बडगेकी पत्नीको बडगेसे मिलनेकी स्वीकृति दी गयी थी। इस पत्रको इसलिए प्राप्त किया गया था कि यह पत्र मुकदमेकी खोजबीनमें कुछ महत्त्वका सिद्ध हो सकता था। परचुरे तथा सावरकरको छोड़कर शेष सभी अभियुक्त २३ मईतक सी. आई. डी. के दफ्तरमें रखे गये थे। अन्य अभियुक्तोंको भी अपने सम्बन्धियोंसे मिलाई करनेकी सुविधा दी गयी थी। यह बात सच नहीं है कि शंकर बडगेसे

मिलने थाने गया था और वहीं ६ फरवरी १९४८ को गिरफ्तार कर लिया गया। बम्बईके सी. आई. डी. दफ्तरकी दूसरी मंजिलमें हवालात नहीं है। इन अभियुक्तोंके सिवा और कोई व्यक्ति इस दफ्तरमें नहीं रखे गये। निचली मंजिल तथा दूसरी मंजिलके दरवाजेपर पुलिसका पहरा लगा हुआ था। सबसे पहले ४ फरवरी १९४८ को अभियुक्त मदनलाल यहाँ लाया गया। मैं डायरी नहीं रखता। मैंने स्वयं सावरकरके घरकी निगरानी नहीं की थी। ३१ जनवरी १९४८ से पहले शायद मैं सावरकरके घर एक बार गया होऊँ, पर बाहरसे मैंने सावरकर-सदन कई बार देखा था। मैंने सावरकरके घरकी दूसरी मंजिलसे फाइलें प्राप्त की थीं। इस सम्बन्धमें सावरकरके घरके तीन कमरोंकी तलाशी ली गयी थी। फाइलें प्राप्त किये जानेके समय सावरकर उपस्थित थे। मैं नहीं कह सकता कि श्री सावरकर बीमार थे या नहीं। सावरकरकी बैठकमें पञ्चनामा तैयार किया गया था। फाइलोंके पत्रों तथा खुले बण्डलोंके कागजोंकी मैंने गणना नहीं की थी। किसी भी पुलिस अफसरने उनके घरके टेलीफोनका सम्बन्धविच्छेद नहीं किया था।

अगले गवाह ग्वालियरके सी. आई. डी. इन्स्पेक्टर श्री माण्डलिकने कहा कि मैं स्पेशल ब्राञ्चका इंचार्ज हूँ। ३१ जनवरीको मैं ग्वालियरमें नहीं था। मैं तो ३ फरवरी १९४८ को ग्वालियर लौटा था। ४ फरवरीको इस मुकदमेके सम्बन्धमें मैं यादव, सूर्यदेव शर्मा तथा दण्डवतेकी तलाशमें दिल्ली आया था। मैं कई जगह गया, पर मुझे उनका पता नहीं चला। ६ फरवरीको मैं ग्वालियर लौट गया। मैंने एक ताँगा किया। ताँगेवालेसे मेरी जो बात-चीत रास्तेमें हुई वह मैंने अपने उच्च अधिकारीसे कही। इस अफसरकी स्वीकृतिपर मैंने ताँगेवालेका बयान लिया। इस ताँगेवालेके कथमानुसार मैंने दूसरे ताँगेवालेका बयान लिया।

इसके बाद मैंने भारतीय पुलिसको मुकदमेकी जाँच-पड़तालमें मदद दी। मैं परचुरेको तथा उसके दो भाई कृष्णराव तथा दिनकररावको जानता हूँ। दिनकर मेरा सहपाठी था। मैं उसके घर आया जाया करता था। मैंने उसके पिताको देखा था। वे लँगड़े थे! उनका पूरा नाम सदाशिव गोपाल परचुरे था। वे ग्वालियरमें शिक्षा-विभागके डी. आई. जी. या आई. जी. थे। पुलिसकी डायरीमें एक दिन प्रातः ६ बजेसे लेकर दूसरे दिन ६ बजेतक होता

है। यदि कोई व्यक्ति रातको ४ बजे पकड़ा जाय तो उसकी गिरफ्तारीकी तारीख पहले दिनकी होगी।

४ अक्तूबर

आज भी ग्वालियरकी सी० आई० डी० पुलिसके इन्स्पेक्टर श्री माण्डलिकसे जिरह जारी रही।

गवाहने कहा कि मैं जन्मसे ही ग्वालियरमें रहता हूँ। रेलवे स्टेशन (ग्वालियर) से परचुरेका मकान लगभग पौन मील दूर होगा। मैं १९४८ में ट्रेनसे दो तीन बार बम्बई गया हूँ। मेरे पिता शोलापुर जिलेके बारसी नामक स्थानसे ग्वालियरमें रहने गये थे। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पिता ग्वालियर राज्यकी नौकरीमें थे। मेरे ताऊ बारसीमें ही रहते थे, पर अब वे मर चुके हैं। ग्वालियरमें बहुत महाराष्ट्रीय रहते हैं।

नियमानुसार गजटी अफसरोंको दरबारमें उपस्थित होनेका निमन्त्रण दिया जाता है। मुझे यह याद नहीं कि १९४१ के दरबारमें परचुरेको २०० रु० इनाम तथा दरबारकी वर्दी मिली थी या नहीं।

इनामदारने अदालतमें ग्वालियर राज्य सरकारकी एक विज्ञप्ति पेश की जिसमें परचुरेको १९४१ में इनाम देनेकी घोषणा की गयी थी। इस विज्ञप्तिको अदालतने प्रामाणिक सामग्री मान लिया।

गवाहने आगे बताया कि ग्वालियरके डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरल आफ पुलिस श्री जगन्नाथ प्रसाद २४ जनवरी १९४८ के बाद छुट्टीपर गये थे। मैं परचुरेको १९३९ से जानता हूँ। यह सच है कि मैं परचुरेकी बाबत जाँच-पड़ताल करने मेडीकल विभाग गया था। मैं उसके बारेमें कोई सूचना प्राप्त नहीं कर सका था। हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करानेके लिए तीन चार साल पहले जो समझौता बोर्ड बना था, परचुरे उसका एक सदस्य था। परचुरेके भाई दिनकर रावको तो मैं १९२२-२३ से ही जानता हूँ। मैं और वह एक स्कूलमें पढ़े थे। जब अभियुक्त परचुरेके पिता श्री सदाशिव जी० परचुरेकी मृत्यु हुई थी तो स्कूल और कालेजोंमें शोकसभाएँ हुई थीं। मेरे ख्यालसे मैंने इनमें भाग लिया था।

१४ फरवरी १९४८ को मुझे आज्ञा मिली थी कि मैं इस मुकदमेकी

जाँच-पड़ताल करूँ। ग्वालियर रक्षा कानूनके मातहत सूर्यनारायण व्यास नामक ज्योतिषीपर जो मुकदमा चला था, उसकी जाँच-पड़ताल भी मैंने की थी। मेरे खयालसे नवम्बर १९४७ में सूर्यनारायण व्यासपरसे मुकदमा उठा लिया गया था। मुझे यह याद नहीं कि मैंने श्री एस० जी० परचुरेका तैलचित्र कहीं देखा है या नहीं।

मैं २७ फरवरी १९४८ को परचुरेके मकानपर गया था। उस समय परचुरेकी पत्नी वहाँ नहीं थी। यह सच है कि मैं उस दिन लश्करके सिटी मजिस्ट्रेटकी अदालतमें गया था।

२४ जनवरी १९४८ को मोतीमहल सेक्रेटरियटके सामने जब हिन्दू महासभाने प्रदर्शन किया था तो मैं वहाँ मौजूद था। परचुरे भी वहाँ था। यह प्रदर्शन राज्यमें कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बननेके विरुद्ध किया गया था। परचुरेके लिए अदालतसे रिमाण्ड माँगनेका मेरा काम न था। जब ग्वालियर राज्यकी सरकारने ग्वालियर हिन्दूसभाको अवैध घोषित कर दिया तो मैं १३ फरवरीको परचुरेके घरसे हिन्दूसभाके सारे कागज जब्त करने गया था।

१३१ वाँ गवाह

इसके बाद बम्बईके विस्फोटक पदार्थोंके इन्स्पेक्टर श्री एस. के. भावनगरीने अपना बयान देते हुए कहा कि मैं १९३७ से विस्फोटक विभागमें काम कर रहा हूँ। मेरे विभागमें उन विस्फोटक पदार्थोंकी परीक्षा की जाती है जिन्हें कि पुलिस हमारे यहाँ भेजा करती है। वास्तविक परीक्षा स्वयं मैं या मेरा कोई सहयोगी करता है।

८ अप्रैल १९४८ को मेरे दफ्तरमें बम्बई सी० आई० डी० पुलिसके डिप्टी कमिश्नरने खबर भेजी। फलतः विस्फोटक पदार्थोंके असिस्टेण्ट इन्स्पेक्टर श्री वाई० एस० परांजपे पुलिसके दफ्तर गये और कुछ विस्फोटक पदार्थ ले आये जो मैंने बम्बई सरकारके रासायनिक विश्लेषण विशेषज्ञके यहाँ विधिवत् भेज दिये थे।

रासायनिक विशेषज्ञके पाससे जब हमारे पास रिपोर्ट आयी तो श्री परांजपेने स्वयं अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। मैंने उस रिपोर्टको पुलिस दफ्तर भेजे जानेसे पूर्व देखा था।

इन विस्फोटक पदार्थों (अग्निप्रेक्षकों, बारूदी रुईके टुकड़ों, कारतूसों तथा हथगोलों) के फोटो तथा रिपोर्टें अदालतमें प्रामाणिक सामग्रीके रूपमें स्वीकार कर ली गयीं।

गवाहने आगे बताया कि जो पदार्थ सरकारके रासायनिक पदार्थ विशेषज्ञके पास भेजे गये थे, वे विधिवत् बम्बई पुलिसके डिप्टी कमिश्नरके पास वापस भेज दिये गये थे।

जहाँ तक मुझे पता है कि परांजपे बम-विस्फोटसे घायल हुए अभी तक चारपाईपर पड़े हैं और स्वस्थ नहीं हुए हैं।

जिरहमें गवाहने बताया कि साधारणतया गैलेग्लाइट पदार्थका अग्निप्रेक्षक तारसे ही विस्फोट होता है। मैंने स्वयं इन पदार्थोंमेंसे किसीकी परीक्षा नहीं की थी। ये पदार्थ रासायनिक विशेषज्ञके पास मैंने नहीं भेजे थे। हथगोलेके विस्फोटक तथा मशीनरी दोनों प्रकारकी बातोंको मैं जानता हूँ।

५ अक्तूबर

श्री भावनगरीसे आज भी जिरह जारी रही। उन्होंने कहा कि एक हथगोलेसे एक आदमी मर सकता या घायल हो सकता है। बिस्फोटके बाद जो टुकड़े इधर-उधर हवामें उड़ते हैं, उनकी परिधिमें आनेवाले व्यक्ति हथगोलेसे मर सकते या घायल हो सकते हैं। मैंने कभी भी हथगोला चलाकर नहीं देखा। बारूदी रुईके टुकड़े तीन वर्षके बाद बेकार हो जाते हैं या नष्ट कर दिये जाते हैं। सेफ्टी फ्यूज १॥ मिनटमें १ गजकी गतिसे जलता है। विस्फोट होनेके बाद हथगोला अपने आसपासकी २० गजसे ६० गजतककी चीजको नष्ट कर सकता है। यह जानकारी सेनाके ट्रेनिंग पाठ्यक्रमसे भी प्राप्त की जा सकती है। हथगोला फौज द्वारा प्रयुक्त की जानेवाली वस्तु है।

श्री नगरवालाकी गवाही

इसके बाद बम्बई सी. आई. डी. पुलिसके डिप्टी कमिश्नर श्री नगरवालाने अपनी गवाहीमें कहा कि मैंने भारतीय पुलिसमें २ फरवरी १९३७ से नौकरी करना शुरू किया है। नासिक सेण्ट्रल पुलिस ट्रेनिंग स्कूलमें मैंने ट्रेनिंग पायी। पूनामें मैं असिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस रहा और शोलापुर तथा अन्य स्थानोंमें डिप्टी पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट रहा।

हूरोंके दमनके सिलसिलेमें मैं तीन सालके लिए सिन्ध भी भेजा गया था। उस समय वहाँ पुलिस तथा हूरोंमें टक्कर हो गयी थी। मैंने कई बार हथगोले चलाये हैं। ३'८ पंजाब रेजीमेंटमें मैंने ६ सप्ताह तककी क्रियात्मक ट्रेनिंग पायी थी।

पुलिसने कथित षड्यन्त्रका पता कैसे लगाया

३१ जुलाई १९४७ को बम्बई सरकारने मुझे बम्बई नगरके दक्षिणी पुलिस डिवीजनका डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया। १४ अगस्त १९४७ को मैं सी. आई. डी. की स्पेशल ब्रांचमें डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया था।

२१ जनवरी १९४८ को बम्बई सरकारके गृहविभागके सेक्रेटरीने मुझे सूचना दी कि मैं बम्बईकी ड्यूटीके अतिरिक्त दिल्लीमें विशेष पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट नियुक्त किया गया हूँ। मैं दो मुकदमेकी जाँच पड़ताल करनेके लिए तुगलक रोड थानेपर तैनात किया गया। २१ जनवरी १९४८ को मैंने अखबारोंमें पढ़ा था कि दिल्लीमें महात्मा गान्धीकी प्रार्थना-सभामें बम विस्फोट हुआ है। उसी दिन शामको ५॥ बजे बम्बईके गृह-मन्त्रीका फोन मिला कि मैं उनसे शीघ्र ही सेक्रेटरियेटमें मिलूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं अन्य काममें फँसा हूँ अतः तुरन्त नहीं मिल सकता। इसपर उन्होंने कहा कि मद्रास मेलके रातको रवाना होनेके पहले निश्चय ही मुझसे बम्बईके सेण्ट्रल स्टेशनपर मिलो। तदनुसार मैं उनसे स्टेशनपर मिला और बातचीत की। उन्होंने मुझे कुछ हिदायतें दीं जिसके अनुसार मैंने उसी रातको ९॥ बजेसे सावरकरके मकानपर कड़ी निगरानी रखनेका प्रबन्ध कर दिया। मैंने करकरेको भी गिरफ्तार करनेका प्रबन्ध कर दिया। मैंने अहमदनगरकी पुलिससे यह पूछताछ की कि करकरे पूर्व आज्ञानुसार बम्बई सुरक्षा कानूनके मातहत गिरफ्तार कर लिया गया है अथवा नहीं। मैंने भेदिया व्यक्तियोंसे भी बातचीत की और करकरे और उसके साथियोंको गिरफ्तार करनेकी आज्ञा दे दी। मैंने अपने मातहत सभी अफसरोंको विभिन्न आज्ञाएँ दीं। मैं इस कार्यको सबसे अधिक महत्त्वका समझता था।

दिल्लीके डिप्टी पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट सरदार जसवन्त सिंह तथा अन्य एक इन्स्पेक्टर २२ जनवरी १९४८ को मुझसे मिलने बम्बई आये थे। वे करकरे तथा उसके साथियोंको गिरफ्तार करना चाहते थे। बम विस्फोटके सम्बन्धमें आये ये लोग बम्बईमें २३ जनवरीको तीसरे पहर तक रहे। इस बीच मैं

करकरे आदिकी तलाश करते रहे। बम्बई पुलिस इससे पहले करकरेको नहीं जानती थी। कुछ सूचना मिलनेपर मैंने २४ जनवरीको या इसके आसपास बडगेको गिरफ्तार करनेकी आज्ञा जारी की।

बम्बई प्रान्तमें सी० आई० डी० पुलिसके डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरल श्री राणाको जानता हूँ। २७ जनवरी १९४८ को वे बम्बई गये थे। मैंने उन्हें सारी स्थितिसे परिचित कराया। उसी दिन मैंने टेलीफोनपर दिल्लीके खुफिया विभागके डाइरेक्टरसे बातचीत की थी।

मैं बम्बईके गृहमन्त्रीको भी सारी बातोंकी सूचना देता रहा। पहले सी० आई० डी० का एक दल अलग था जो बम केसोंका पता लगाता था। २८ जनवरी १९४८ को यह दल मेरी मातहतीमें काम करने लगा था। मैंने जब स्थितिकी गम्भीरता बम्बईके गृहमन्त्रीको बतायी तो यह दल मेरी मातहतीमें काम कर रही विशेष शाखामें मिलाया गया था।

३० जनवरी १९४८ को लगभग ५॥ बजे बम्बईके गृहमन्त्रीने मुझे बताया कि महात्मा गान्धीकी हत्या कर दी गयी। उन्होंने तुरन्त आवश्यक कदम उठानेकी भी आज्ञा दी। उसी दिन कई व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। उस दिन रातको ११॥ बजे जब मैं सड़कोंपर दंगा दबाने तथा गिरफ्तारियाँ करनेमें लगा हुआ था तब मुझे पता चला कि हत्यारेका नाम नथूराम है। हत्यारेका पूरा नाम मुझे अगले दिन मालूम हुआ।

लोगोंको जैसे ही महात्मा गान्धीकी हत्याके बारेमें ज्ञात हुआ, बम्बईमें दंगे आरंभ हो गये। पुलिसकी सहायताके लिए फौरन ही फौज बुला ली गयी थी। ३१ जनवरी १९४८ को प्रातः बम्बईके पुलिस कमिश्नरने मुझे आज्ञा दी कि सावरकरने सहायता माँगी है, अतः मैं सावरकर-सदन जाऊँ। मुझे पता था कि सावरकरकी रक्षाकी व्यवस्था कर दी गयी है अतः मैं स्वयं वहाँ नहीं गया। जब मैं वहाँ गया तो सावरकरके रक्षार्थ १ अफसर तथा ४ पुलिस सिपाही तैनात थे।

३१ जनवरीसे पूर्व मैंने बहुतसे व्यक्तियोंसे पूछताछ की थी। ३१ जनवरीको दोपहरके २॥ बजेके बाद मैंने सावरकरके मकानकी तलाशी ली थी। मकानमें पत्थर भरे थे, खिड़कियोंके शीशे टूटे पड़े थे और घरका सारा सामान

अस्तव्यस्त पड़ा था। इससे पता चलता था कि अत्यन्त क्रुद्ध भीड़ने मकानपर आक्रमण किया ।

उस दिन मैं सावरकरसे मिला और उन्हें बताया कि मैं तलाशी लेने आया हूँ। कुछ और बातचीत करके मैंने दो पंच बुलवाये। मैंने सावरकरसे कहा कि आप मेरी, मेरे साथके अन्य पुलिस अफसरों और पंचोंकी पहले तलाशी ले लीजिये, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया।

मैं स्वयं सावरकरके सारे मकानमें घूमा। दूसरी मंजिलके तीन कमरोंकी मैंने तलाशी ली। १॥ घंटे तक तलाशी ली गयी। तलाशी होते समय ही एक संतरीने आकर मुझे बताया कि सावरकरके मकानके पीछे बहुत सी भीड़ एकत्र हो गयी है। मैंने तुरन्त वायरलेससे हेड आफिसको सूचना भेजी। फलतः और पुलिस वहाँ आ गयी।

सावरकर हताश और भयभीत थे

मैंने सावरकरको बीमार नहीं देखा। वे हताश तथा भयभीतसे थे। सावरकरने उसी समय अपना डाक्टर बुलवाया था। तलाशीके बाद भी रक्षा करने वाला गारद वहाँ पड़ा रहा। तलाशीके बाद वहीं एक पंचनामा तैयार कराया गया।

मैं जो भी सामान वहाँसे लाया था, उसे सी० आई० डी० के दफ्तरमें लाकर तिजोरीमें बन्द कर दिया। बादमें जब श्री ए० आर० प्रधान मेरे मातहत इन कागजोंकी देखभालके लिए नियुक्त किये गये तो मैंने वे कागज उन्हें दे दिये थे और उन्हें पढ़कर रिपोर्ट देनेको कहा।

३१ जनवरी १९४८ को मैंने पूनाकी पुलिसको फोन द्वारा आज्ञा दी कि बडगे और आपटेको गिरफ्तार कर लो और उनके घरोंकी तलाशी लो। २ फरवरीको मुझे पता लगा कि बडगे पकड़ लिया गया है। मैंने उसे बम्बई भेजनेकी आज्ञा पूना पुलिसको दी।

४ फरवरी १९४८ को बडगे बम्बई लाया गया। उसी दिन दिल्लीकी पुलिस मदनलालको बम्बई ले आयी। मैंने बडगे तथा मदनलालसे बहुतसे प्रश्न किये।

मैं ५ फरवरी १९४८ को बडगेको पूना ले गया। पूना ले जानेसे पूर्व मैंने बडगेको मदनलालसे मिलाया ताकि इस षडयंत्र तथा षडयंत्रकारियोंका कुछ पता चले। बम्बईके गृहमन्त्रीने मुझे बताया था कि महात्मा गान्धीकी

हत्याका षडयन्त्र चल रहा है। उस समय मुझे षडयन्त्रकारियोंमेंसे केवल मदन-लाल और करकरेके नाम मालूम हुए थे। बडगेके नामके बारेमें तो मुझे बादमें मालूम हुआ था।

मेरे मातहत अफसरोंके साथ बडगेको पूना तथा अहमदनगर भेजा गया था। अगले दिन मैं अपनी कारमें बैठकर पूना गया था। पूना जाकर मैंने गोपाल गोडसे तथा शंकर किस्तय्याकी तलाश की। गोपाल गोडसे वहाँ पकड़ा गया और वह उसी रात बम्बई भेज दिया गया। ६ फरवरी १९४८ को बम्बईमें भुलेश्वर स्थानपर शंकर किस्तय्या भी पकड़ा गया।

८ फरवरी १९४८ को मैं फिर पूना गया और गोपाल गोडसे, बडगे और शंकरको भी ले गया। गोपाल गोडसेने जिस व्यक्तिको रिवाल्वर दिया था, उसका पता लगाने इस बार मैं पूना गया था। सब-इन्स्पेक्टर श्री प्रधानको सारी बातें बताकर मैंने गोपाल गोडसेके साथ भेजा। गोडबोले तथा काले नामक दो व्यक्तियोंका पता लगा और श्री प्रधानने उनके बयान लिये। मारुती मन्दिरकी जिस समय तलाशी ली गयी, उस समय मैं वहाँ मौजूद था।

ए० कोटियन नामक टैक्सी ड्राइवरको मैं जानता हूँ। मैंने उसका बयान लिया था। बादमें वह मुझे अपनी टैक्सीमें बैठाकर कई स्थानोंपर ले गया था। १० फरवरी १९४८ को मैं शंकर किस्तय्याको लेकर हवाई जहाज द्वारा बम्बई से दिल्ली आया। शंकर तुगलक रोड थानेमें रखा गया और उसे छिपा रखनेकी पूरी पूरी सावधानी बरती गयी थी।

११ फरवरीको मैंने दो पंच बुलाये और उनकी उपस्थितिमें शंकरका बयान लिया। शंकर पंचों तथा पुलिस अफसरोंको हिन्दू महासभा-भवनके पीछे ले गया और कुछ सामान बरामद हुआ जिसकी सूची बनायी गयी।

११ फरवरी १९४८ को रातके ९॥ बजे एक विशेष विमान द्वारा शंकर और नथूराम गोडसेको लेकर बम्बई गया। पूनाकी पुलिसको मैंने आदेश दिया था कि वह ओरिएण्टल गवर्नमेण्ट सेक्योरिटी लाइफ एश्योरेंस कम्पनी-के श्री वैद्यसे सम्पर्क स्थापित करे। उनसे पता चला कि अपनी दो बीमा पालिसियोंके लिए नथूराम गोडसेने दो उत्तराधिकारी नामजद किये थे।

२१ जनवरी १९४८ को जब मैं बम्बईके सेण्ट्रल स्टेशनपर गृहमन्त्रीसे

मिला था तो उन्होंने अपनी सूचनाका सूत्र मुझे नहीं बताया था। बादमें मुझे उस सूत्रका पता चला था। यह पता चलनेपर मैंने डा० जे० सी० जैनका बयान लिया। मैं बोलता गया था और सब-इन्स्पेक्टर श्री प्रधान लिखते गये थे। गृहमन्त्रीका वक्तव्य मैंने स्वयं लिखा था। कुमारी शान्ता भास्कर मोडक-का बयान भी मैंने लिया था।

चोरीसे टेलिफोन सुनकर आपटेकी गिरफ्तारी

१४ फरवरी १९४८ को पार्क अपोलो होटलमें आपटे तथा करकरे गिरफ्तार किये गये। कुमारी मनोरमा सालवेके पिताका टेलिफोन चोरीसे सुनकर आपटेकी गिरफ्तारी की गयी थी। आपटे पहले गिरफ्तार किया गया था तथा मेरे दफ्तरमें लाया गया था। जब सब-इन्स्पेक्टर श्री हल्दीपुरसे करकरेकी गिर-फ्तारीकी सूचना टेलीफोनसे मिली तो मैं आपटेको लेकर अपोलो होटल गया। जिस कमरेमें ये लोग ठहरे थे, उसकी तलाशी ली गयी और फिर आपटे तथा करकरेकी तलाशी ली गयी। इस सम्बन्धमें एक पञ्चनामा भी तैयार किया गया।

श्री राणाकी टेलीफोनपर दी गयी सूचनाके अनुसार १७ फरवरीको परचुरेकी गिरफ्तारीकी बात मैंने दर्ज की। सावरकर तथा परचुरेको छोड़कर सभी अभियुक्त बम्बईकी नयी सी. आई. डी. इमारतकी दूसरी मंजिलमें रखे गये थे। इसी मंजिलमें मेरा दफ्तर भी है। मेरी आज्ञासे श्री हल्दीपुरने दूसरी मंजिलका सारा नक्शा खींचा था जो बिलकुल ठीक था।

जहाँ अभियुक्त बन्द किये गये थे वहाँ हर कमरेके लिए एक एक सन्तरी तैनात किया गया था। इस मंजिलमें जनता न घुस आये इस बातकी पूरी सावधानी रखी गयी थी। इन अभियुक्तोंसे मैंने या तो उनके कमरोंमें जाकर पूछताछ की थी या उन्हें अपने कमरेमें बुलाकर की थी। जब दूसरी मंजिलमें अभियुक्तको एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जाया जाता तो इस बातकी पूरी सावधानी रखी जाती कि उसे कोई दूसरे अभियुक्त न देख सकें!

२४ मई १९४८ को सावरकर तथा परचुरेको छोड़कर शेष सभी अभियुक्त दिल्ली लाये गये। बन्दी-शिनाख्त कानूनकी चौथी धाराके अन्तर्गत १२ मईको अभियुक्तोंका सामूहिक फोटो लिया गया था। यह फोटो १६५८

खींचा गया था कि यदि कोई अभियुक्त भाग जाय तो उसकी गिरफ्तारीमें सहायता मिल सके तथा पुलिसके रेकार्डमें फोटो रहे। यह फोटो खुफिया पुलिसकी इमारतके पुलिस स्टूडियोमें खींचा गया था।

२५ फरवरी १९४८ को मैं हवाई जहाजसे आपटे तथा करकरेको बम्बईसे दिल्ली ले आया था। तुगलक रोड थानेमें, जहाँ शंकर रखा गया था, ये लोग भी रखे गये थे। कमरेके सामने दिल्ली तथा बम्बई पुलिसके सन्तरी तैनात किये गये थे। इस कमरेका एक दरवाजा था, जो बाहर बरामदेकी ओर खुलता था। अगले दिन मैंने पञ्च बुलाये और आपटेका बयान लिया गया। इसके बाद आपटे, करकरेके साथ, हम लोगोंको हिन्दू महासभा भवनके पीछे जंगलमें ले गया जहाँसे कुछ सामान बरामद हुआ। एक पञ्चनामा इस सम्बन्धमें तैयार किया गया जिसपर मैंने अपने हस्ताक्षर किये थे।

मेरे आज्ञानुसार आपटे २७ फरवरीको ग्वालियर भेजा गया। २७ या २९ फरवरीको मैं बम्बई गया। उस समय दिल्लीमें बम्बई पुलिसके जो अफसर थे, उन्हें यह आज्ञा दे गया था कि ग्वालियरसे आनेपर आपटेको तथा करकरेको जो कि दिल्लीमें ही था, दिल्ली पुलिसके हवाले कर दें ताकि शिनाख्त और जाँचके सम्बन्धमें दिल्ली पुलिस उचित कारवाई कर सके। इसके बाद १ मार्च १९४८ को आपटे तथा करकरे बम्बई ले जाये गये।

५ मार्च या इसके आसपास मैंने बम्बईसे कानपुर हिदायतें भेजीं कि इस मुकदमेसे सम्बन्धित व्यक्तियों तथा कानपुर रेलवे स्टेशनके कुछ रजिस्टरोंका पता लगाया जाय। कानपुरका एक सी० आई० डी० अफसर मेरे मातहत काम करता था, उसे आवश्यक रेकार्ड (कागज) और व्यक्तियोंको बम्बई लानेके लिए कानपुर भेजा। पुलिसके कागजमें दिखाया गया है कि सावरकर ११ मार्च १९४८ को इस मुकदमेके सम्बन्धमें गिरफ्तार किये गये। अगले दिन मैं बडगे और शंकर किस्तय्याको लेकर बम्बईसे पूना गया।

इस मुकदमेके सम्बन्धमें बम्बईके चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेटने बहुतसी शिनाख्त परेडोंका निरीक्षण किया। शिनाख्त करानेके लिए दिल्ली तथा अन्य स्थानोंसे बहुतसे गवाह बम्बई लाये गये थे। सभी शिनाख्त परेडें एस्प्लेनेड पुलिस कोर्टमें हुई थीं।

६ अक्तूबर

श्री जे० डी० नगरवालाकी गवाही आज भी जारी रही। उन्होंने कहा कि पुलिसको मदनलालके पाससे एक कोट मिला था जिसे कि मैं बम्बई ले गया था। मैंने पुलिसका एक दल इस कोटके साथके पैण्टका पता लगानेको पूना भेजा। मैंने इस दलको आपटेके मकानकी तलाशी लेनेका भी आदेश दिया था। पैण्ट वहाँ न मिल सका।

कुछ और सूचना मिलनेपर मैंने तीन पंचोंको बुलाया और सी० आई० डी० पुलिसके दफ्तरके उस कमरेकी तलाशी ली जिसमें आपटे नजरबन्द था। आपटेने बक्स खोलकर पैण्ट मुझे दे दिया। एक पंचनामा इस सम्बन्धमें बनाया गया, जिसपर मैंने अपने हस्ताक्षर किये थे।

बादमें दावके एण्ड कम्पनी नामक सिलाईके दुकानके मालिक दावकेका मुझे पता चला। आपटेको तथा उस कोट-पैण्टको लेकर मैं उसके यहाँ गया। मैंने उसका बयान लिया और उस किताबको भी अपने कब्जेमें ले लिया जिसमें वह ग्राहकोंके कपड़ोंकी नाप लिखा करता था।

विस्फोटक पदार्थोंके जाँच करनेवाले इन्स्पेक्टरके यहाँ मैंने कुछ गोला-बारूद भेजा था। पुलिसके फोटोग्राफरको मैंने आज्ञा दी थी कि वह इन पदार्थोंका फोटो ले। ये पदार्थ नागमोडे, शेखर तथा नथूराम गोडसेके मकानसे बरामद हुए थे।

इस मुकदमेकी जाँच-पड़तालके लिए जो व्यक्ति विशेष रूपसे तैनात किये गये थे, उनका सदर मुकाम दिल्ली पुलिसने तुगलक रोड थानेमें रखा था। यहाँ अभियुक्त लाकर रखे जाते थे तो इस बातकी पूरी सावधानी बरती जाती थी कि कोई अन्य व्यक्ति उन्हें न देख सके।

मैंने इस मुकदमेकी जाँच-पड़तालके दौरमें गोडसेका कोई पत्र तथा उसका चित्र नथूराम गोडसेको नहीं दिखाया। जब मैं सावरकरके घर गया था तो किसी भी कमरेमें ताला नहीं लगा था, केवल दो कमरोंमें किवाड़ भिड़े हुए थे। समस्त अभियुक्त उच्च श्रेणीके बन्दी माने गये थे। अभियुक्तोंसे मेरी आज्ञासे ही मिलाई करने दी जाती थी। मैंने मिलाईकी स्वीकृति उन्हींको दी थी जो अभियुक्तोंके निकट सम्बन्धी होते तथा स्वयं आकर मेरे यहाँ पहले प्रार्थनापत्र देते। करकरेकी पत्नीने उससे एकसे अधिक बार मिलाई की।

आपटे भी अपने सम्बन्धियोंसे बातचीत कर सका था। अन्य अभियुक्तोंसे भ '. मिलाई हुई थी।

सम्बन्धियोंके अतिरिक्त श्री देवधर नामक एक वकीलने भी आपटे तथा सावरकरसे मिलाईकी स्वीकृति माँगी थी जिसकी मैंने स्वीकृति दे दी थी। सम· बन्धी प्रायः अभियुक्तोंके लिए धुले हुए कपड़े, खाद्य पदार्थ आदि लाया करते थे।

फरारोंकी खोजमें ३ हजार रुपया भत्ता लिया

मैंने अपने कमरेमें केवल कुमारी मोडककी गवाही ली थी। ३१ जनवरी १९४८ को जब मुझे इस मुकदमेका पता लगानेकी आज्ञा मिली थी तो मैंने अपनी सुविधाके लिए बम्बईके सी० आई० डी० पुलिसके नये दफ्तरकी दूसरी मंजिल खाली करा ली थी। पहली (निचली) मञ्जिलपर जहाँ ऊपर आने-जानेके लिए लिफ्ट लगी हुई थी, एक सन्तरी तैनात कर दिया गया था। लिफ्टमैनको मैंने इस बातकी कड़ी हिदायत कर दी थी कि वह मेरी आज्ञाके विना किसी भी व्यक्तिको ऊपरकी मञ्जिलमें न लाये। मैं अपने कमरेमें बैठकर बहुत कम लोगोंसे बात करता था। जिन कमरोंमें अभियुक्त बन्द रखे गये थे, उनके द्वार तथा खिड़कियाँ बन्द रखी गयी थीं। गोपाल गोडसे और आपटेके कमरोंके दरवाजे तो खुले थे, पर उनपर पर्दे डाल दिये गये थे।

सूर्यदेव शर्मा, जी० एस० दण्डवते तथा जी० जाधवको मैं जानता हूँ। इन लोगोंकी खोजमें मैंने ३ हजार रुपया भत्ता लिया। इस सम्बन्धमें मैंने देशभरमें बहुतसे पुलिस अफसरोंको आज्ञाएँ भी दी थीं। जोगीन्दरसिंह चोपड़ा एक बार मिला था, पर वह तबसे गायब है। वह अब तक नहीं मिला है। मैंने विचाराधीन कागज तथा अभियुक्तोंकी लिखावटके नमूने हस्तलिपि-विशेषज्ञके पास भेज दिये थे। मैंने दिल्ली पुलिसको आज्ञा दी थी कि वह जङ्गलके पहरेदारों, मेरीना होटलके परिचायकों तथा फ्रंटियर हिन्दू होटलके मैनेजरका बयान लें।

गवाह कुमारी मनोरमा सालवे खिलाफ हो गयीं

मैं कई बार बडगेको लेकर पूना गया था। बडगेका बयान मैंने दो दिनमें लिया था। मुकदमेकी जाँच-पड़तालके दौरमें मैंने चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेटकी आज्ञासे अप्रैलमें डाक तथा तार विभागसे दो तार लिये थे, पर बादमें उन्हें लौटा दिया था। इस सम्बन्धमें मैंने वसन्त जोशीका बयान भी लिया था।

जाँचके दौरमें मैं इस बातसे संतुष्ट हो गया था कि आपटेके नामसे जो तार भेजा गया था, वह न तो उसने भेजा था और न उसने अपनी लिखावटमें लिखा था। इस तारके सम्बन्धमें कुमारी मनोरमा सालवे गवाही दे सकती थीं, पर वह खिलाफ हो गयी हैं और सफाईके वकीलसे उसका कुछ पत्रव्यवहार भी हुआ है।

जिरहमें गवाहने कहा कि मैंने बडगेसे प्रश्न किये थे और उसके दिये उत्तरों-को मैं श्री हल्दीपुरको बोलता गया था। जब भी मैं दिल्ली आया मैंने तुगलक रोड थानेमें ही काम किया। जहाँ मैं काम करता था वहाँसे हवालातका दरवाजा दिखायी नहीं देता था। जब चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेटने मुझे मिलाई करनेको अनुमति देनेके लिए कहा तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अनुमति दे देता हूँ।

श्री नगरवालाने आगे बताया कि मैं ५ अप्रैलको गोडसेको बम्बईसे इसलिए दिल्ली ले गया कि वह मुझे एक स्थान दिखाना चाहता था जहाँ उसने हथगोला फेंका था। गोडसेने वह स्थान तो दिखाया पर हथगोला नहीं मिला।

३१ जनवरी १९४८ को मुझे भारत सरकारसे यह आज्ञा नहीं मिली कि मैं दिल्लीमें विशेष रूपसे तैनात किया गया हूँ। बम विस्फोट तथा गान्धी हत्याकाण्डके मुकदमेमें जाँच-पड़ताल करनेके लिए मैं विशेष रूपसे नियुक्त किया गया था। जबसे मैंने इस मुकदमेकी जाँच-पड़ताल करनेका काम अपने ऊपर लिया है तबसे किसीने षडयन्त्रके बारेमें कोई लिखित प्रार्थनापत्र नहीं दिया। पर मैंने मुकदमेके कागज और डायरी देखी तो उसमें भारतीय दण्ड विधानकी धारा १२० बी० के मातहत मामला था। बम्बईके गृहमन्त्रीने मुझे जो भी आज्ञाएँ दी थीं, उनको मैंने नोट नहीं किया था। तुगलकरोड थानेमें दर्ज किये गये दोनों मुकदमोंकी मैं डायरी बनाता रहा हूँ।

मैंने बमविस्फोट सम्बन्धी पहले मुकदमेकी डायरी ३१ जनवरी १९४८ को प्रातः १० बजे तैयार की थी।

७ अक्तूबर

आज भी श्री नगरवालासे जिरह जारी रही। श्री भोपटकरके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गवाहने कहा कि प्रो० जे० सी० जैनसे पहले पहल मेरी बातचीत ४-५

फरवरी १९४८ को हुई थी, पर मैंने उनका बयान १७ फरवरीको लिया था।

गवाहने जो बयान श्री जे० सी० जैनका लिया था उसका हवाला श्री भोपटकरने दिया और कहा कि इस बयानमें प्रो० जे० सी० जैनने यह तो नहीं कहा कि मदनलालने सावरकरसे जब अहमदनगरके अपने कार्योंके बारेमें डींग मारी थी तो सावरकरने यह कहा था—'ठीक है, आगे काम किये जाओ।' स्मरण रहे कि प्रो० जे० सी० जैनने अदालतमें जो बयान दिया है, उसमें कहा है कि श्री सावरकरने मदनलालकी पीठ थपथपाकर यह कहा था कि 'ठीक है, आगे काम किये जाओ।'

गवाहने इसके बारेमें कहा कि 'ठीक है, आगे काम किये जाओ' शब्द लिखनेसे मुझसे छूट गये। मैंने गवाहका बयान लिखा है कि 'मदनलाल जो कुछ कर रहा है, उसके लिए मदनलालकी पीठ सावरकरने ठोकी', इसका यही अर्थ था कि सावरकरने उसकी पीठ ठोककर 'ठीक है, काम किये जाओ' कहा।

गवाहने आगे बताया कि मैं इस बारेमें कुछ नहीं जानता कि सावरकरके जन्मदिवसपर गोवालिया टैंक मैदानमें क्या उत्सव हुआ था। मुझे यह भी ज्ञात नहीं कि सावरकरके मकानपर कोई किरायेपर रहता है या नहीं। सावरकर ५ फरवरी १९४८ को प्रातः पुलिस कमिश्नरके आज्ञानुसार बम्बई सार्वजनिक सुरक्षा कानूनके मातहत गिरफ्तार किये गये थे। पुलिसके डाक्टरसे भी मैंने सावरकरकी परीक्षा करायी थी और यह विश्वास करके कि बीमार नहीं हैं, उन्हें मैंने गिरफ्तार किया था। पुलिसके कागजोंमें यह दिखाया गया है कि २० जनवरीको हुए बम-विस्फोट तथा महात्मा गान्धी-हत्याकांडके सिलसिलेमें सावरकर ११ मार्चको गिरफ्तार किये गये।

अन्य प्रश्नोंके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैंने 'अग्रणी' और 'हिन्दू राष्ट्र' नामक पत्रोंके कार्यालयोंकी तलाशी लेनेकी आज्ञा दी थी। महासभाके बहुतसे गवाहोंके बयान तो मैंने लिये थे, पर मैं यह नहीं कह सकता कि वे दादरकी महासभाके कार्यालयके कर्मचारी और पदाधिकारी थे या नहीं। इस मुकदमेके सम्बन्धमें दिल्लीके महासभा-भवन तो गया था, पर उसकी अच्छी तरह देखभाल नहीं की थी।

श्री भोपटकरने ११ मार्चके बाद सावरकरसे मिलाई करनेकी आज्ञा पाने

के लिए प्रार्थनापत्र दिया था, पर मैंने उसे इस आधार पर स्वीकार नहीं किया था कि इस मुकदमेके सम्बन्धमें श्री भोपटकरका भी बयान लिया जायगा।

श्री मेंगलेके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि मेरे अधिकारमें सी० आई० डी० की १ तथा २ नम्बरकी विशेष शाखाएँ थीं जो कि राजनीतिक, साम्प्रदायिक तथा श्रमिक समस्याओंसे सम्बन्धित मामलोंकी जाँच करती थीं। इस सम्बन्धमें जो भी खुफिया रिपोर्टें प्राप्त की गयी हैं, मेरे दफ्तरमें हैं। मेरी शाखाएँ वृहत्तर बम्बईमें मुकदमोंकी छानबीन कर सकती हैं।

३० जनवरी १९४८ को महात्मा गान्धीकी हत्याका समाचार सुनकर साम्प्रदायिक उपद्रव आरम्भ हो गये थे। अगले दिन मैंने महासभा-समर्थक एक दुकानदारकी दूकान लुटते स्वयं देखी। सावरकरके घर उसी दिन जब मैं गया तो उनके घरमें पत्थर तथा रोड़े पड़े थे तथा सारे दरवाजों तथा खिड़कियोंके शीशे टूटे हुए थे। महासभा-समर्थक एक व्यक्तिको मैंने भीड़के हाथोंसे बचाया। उत्तरी गोखले सड़कपर जब पुलिसने भीड़पर गोली चलायी थी तो वहाँ भी मैं मौजूद था। यह उपद्रव उस समय आरम्भ हुआ था जब लोगोंको यह पता चल गया था कि गान्धीजीका हत्यारा नथूराम गोडसे है।

बम्बई सार्वजनिक सुरक्षा कानूनके मातहत गिरफ्तारी करनेके लिए पुलिस कमिश्नर आज्ञा जारी करता है। यदि वह उपस्थित न हो तो सदर मुकाममें उपस्थित डिप्टी कमिश्नर भी आज्ञा जारी कर देता है।

मुझे स्वयं इस बातका पता है कि एक ऐडवोकेट श्री जमनादास मेहता तथा श्री व्यास भी नजरबन्द किये गये थे। अन्य लोगोंके बारेमें मुझे कुछ पता नहीं। पाकिस्तान-विरोधी लीगके यत्ते नामक व्यक्तिने थानेमें आकर स्वयं रक्षा करनेको कहा था क्योंकि भीड़ उसके पीछे पड़ी थी। इन लोगोंका झुकाव महासभाकी ओर था।

आपटेके मकानकी तलाशी लेनेके लिए मैंने दो बार आज्ञाएँ जारी की थीं।

अभियुक्तने अप्रैलके प्रथम सप्ताहके पूर्व किसीसे भी मिलाई करनेकी प्रार्थना नहीं की थी। यह बात सच नहीं है कि सारी शिनाख्त परेडें हो जानेके बाद मिलाईकी स्वीकृति दी गयी थी। इस बातकी पूरी सावधानी रखी गयी थी कि इन मुलाकातोंके दौरमें कोई अवैध बात न होने पावे। पहले शंकर नामक अभियुक्त अन्य अभियुक्तोंके कपड़े धोया करता था, पर बादमें

यह भी बंद कर दिया गया। उस समय यह प्रबन्ध किया गया कि कपड़े बाहर धुलवाये जायँ, पर धुले कपड़े अभियुक्तोंको देनेसे पूर्व वे भली प्रकार देख लिये जाते थे।

मिलाइयोंका मैंने कोई रेकार्ड नहीं रखा। तार घरसे प्राप्त किया गया तार आपटेने नहीं लिखा था। वह कुमारी मनोरमा सालवेने अपनी हस्तलिपिमें लिखा था जिसका नमूना लेकर तारकी लिखावटसे मिलाया गया था।

करकरेके वकीलकी जिरहके उत्तरमें गवाहने बताया कि करकरेको गिरफ्तारीके बाद मैं उससे पहली बार १४ फरवरी १९४८ को मिला था। २१ जनवरीको जब मैं श्री मुरारजी देसाईसे बम्बई सेण्ट्रल स्टेशन पर मिला था तो मुझे बताया गया था कि सरकारने करकरेको गिरफ्तार करनेके लिए आज्ञाएँ जारी कर दी हैं। दिल्ली पुलिसके अफसर २२ जनवरी १९४८ को जब मुझसे मिले थे तो मैंने करकरेके बारेमें उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। गान्धीजीकी हत्याके बाद ३० जनवरी १९४८ को बम्बईके गृहमन्त्रीने मुझे कोई विशेष आज्ञा नहीं दी थी।

अन्य प्रश्नोंके उत्तरमें गवाहने बताया कि मुझे यह पता नहीं था कि कुछ महीनोंसे बिड़ला-भवनमें जनताको नहीं जाने दिया जाता था।

परचुरेको छोड़कर सभी अभियुक्तोंके (जिनमें बडगे भी है) सामूहिक फोटो तथा अलग अलग फोटो, जो पुलिस फोटोग्राफरने लिये थे, अदालतमें प्रामाणिक सामग्रीके रूपमें स्वीकार कर लिये गये।

श्री नगरवालाने बताया कि मैंने ही अदालतमें अभियोग पत्रिका पेश की थी। इसमें मैंने सबूत पक्षकी ओरसे २७५ गवाहोंके नाम दिये थे। मैंने समाजवादी नेता श्री जयप्रकाशनारायण तथा श्री सुहरावर्दीसे बातचीत नहीं की।

८ अक्तूबर

आज भी श्री नगरवालासे जिरह जारी रही। करकरेके वकील श्री डांगेकी जिरहके उत्तरमें उन्होंने बताया कि नियमानुसार सभी अभियुक्तोंके अलग अलग फोटो लेनेके अतिरिक्त सभी अभियुक्तोंका सामूहिक फोटो लिया जाता है। यह झूठ है कि आपटे तथा करकरेका एक फोटो लिया गया था। इस मुकदमेके सम्बन्धमें मेरी सरदार पटेलसे बातचीत नहीं हुई, पर मैं उनके कानूनी सलाहकार-

से २ बार दिल्लीमें तथा एक बार मंसूरीमें मिला था। अहमदनगरकी घटनाओंके बारेमें मुझे कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं गत ७ वर्षोंसे वहाँ नहीं गया।

बम्बईके गृहमन्त्री श्री मुरारजी देसाईने उस पत्रके बारेमें नहीं बताया जो करकरेने उनको शरणार्थियोंके बारेमें लिखा था। मैं यह तो जानता हूँ कि करकरे महासभाई है पर यह नहीं ज्ञात है कि महासभामें उसका क्या स्थान था।

करकरेके वकीलने कहा कि अंगदसिंह नामक व्यक्तिने अदालतके सामने बयान दिया था कि मदनलालने प्रो० जे० सी० जैनसे कहा था कि मेरे दलको सेठ करकरे आर्थिक सहायता देता है जिससे हमारे दलके सदस्य हथियार तथा गोलाबारूद एकत्र करते हैं। पुलिसके सामने दिये अपने बयानमें अङ्गदसिंहने ये बातें नहीं कही हैं।

मदनलालके वकील श्री बनर्जीकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि २१ जनवरीको अहमदाबाद जाते समय बम्बई सेण्ट्रल स्टेशनपर बम्बईके गृहमन्त्री श्री देसाईने कहा था कि मुझे खबर मिली है कि महात्मा गान्धीकी हत्या करनेका षड्यन्त्र रचा गया है। उन्होंने अहमदाबाद जानेका अपना उद्देश्य मुझे नहीं बताया था।

आपटेने चोरीसे कुमारी मनोरमाको पत्र लिखा

मदनलालके लिए रिमांडकी जो दरख्वास्तें दी गयीं, उनपर मेरे हस्ताक्षर हैं या मेरी आज्ञासे अन्य पुलिस अफसरोंने हस्ताक्षर किये हैं। मैंने श्री देसाईसे इस सूचनाका सूत्र नहीं पूछा, इसका कोई विशेष कारण नहीं। मैंने इस मामलेकी अपनी डायरी अपने उच्च अफसरको नहीं दिखायी। २४ मई १९४८ को चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटकी आज्ञासे सभी अभियुक्त अन्तिम रूपसे दिल्ली लाये गये थे। इससे पूर्व मैंने अभियुक्तोंको एक स्थानसे दूसरे स्थानको ले जानेके लिए कोई आज्ञा प्राप्त नहीं की। मैंने लैंसनायक खादमको इसलिए बरखास्त कर दिया था कि वह कुमारी मनोरमा सालवेके लिए आपटेका पत्र लेकर गया था।

पुलिस कमिश्नरकी यह पहलेसे ही आज्ञा थी कि एक अभियुक्तकी हस्तलिपिके कई नमूने लिये जायँ, तब उन्हें विशेषज्ञके पास भेजा जाय। यह इसलिए था कि विशेषज्ञको ठीक ठीक निर्णय करनेमें सहायता मिले।

शंकर किस्तय्याके वकील श्री मेहताकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि जब मैंने पहली बार शंकरको देखा था, उस समय शंकर एक धोती तथा काले रंगका कोट पहने और टोपी लगाये था। ११ फरवरी १९४८ को शंकरने पंचोंके सामने जो भी कहा था, वह पंचनामेमें लिखा गया है। मैंने स्वयं शंकरसे कहा था कि वह पंचोंके सामने अपनी कहानी कहे। शंकरका बयान ३ मार्च १९४८ को लिखा गया था। जब शंकर हिन्दू महासभा भवनके पीछे ले जाया गया था, तो उसके हाथोंमें हथकड़ियाँ पड़ी हुई थीं।

गोपाल गोडसे तथा परचुरेके वकील श्री इनामदारकी जिरहके उत्तरमें श्री नगरवालने कहा कि मेरा बचपन अहमदनगरमें बीता था और मैं मराठी जानता हूँ। गोपाल गोडसेको गिरफ्तार करनेके लिए मैं स्वयं पूना गया था। मैं स्वयं जानता हूँ कि गोपाल गोडसे नथूराम गोडसेका भाई है। गोपाल गोडसेको पूनासे बम्बई लाते समय पूनामें मैंने उसे किसी मजिस्ट्रेटके सामने पेश नहीं किया था, पर बम्बई लाकर २४ घण्टेके अन्दर मैंने उसे मजिस्ट्रेटके सामने पेश किया था।

मैंने गवाहोंके बयान सफेद कागजोंपर लिखे थे। इस कार्यमें छपे हुए फार्म प्रयुक्त नहीं किये थे। बडगेसे मैंने जिला जेलमें पूछताछ की थी। इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि शंकर और बडगे उसी जेलमें रखे गये थे या नहीं।

गवाहने एक सरकारी विज्ञप्ति भी अदालतमें पेश की जिसमें उसे इस मुकदमेका जाँच-अफसर तथा दिल्लीमें विशेष अफसर नियुक्त किये जानेकी बात थी।

दुबारा जिरह की जानेपर गवाहने बताया कि इस मुकदमेकी जाँच-पड़ताल करनेके लिए पूनाके डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरल श्री राणा विशेष रूपसे दिल्लीके डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरल नियुक्त किये गये थे। जब वे बम्बई में थे तो इस मुकदमेकी रिपोर्टें पढ़ लिया करते थे। ३० जनवरी १९४८ को मैंने स्वयं साम्प्रदायिक दंगा होते नहीं देखा, पर दंगोंमें घायल व्यक्तियोंको अस्पतालमें पड़े देखा था। ५ जनवरी १९४८ को जबतक सावरकर गिरफ्तार नहीं किये गये थे, तबतक उनपर कोई भी पाबन्दी नहीं लगायी गयी थी।

और जिरह की जानेपर गवाहने कहा कि जब बडगेको राजकीय क्षमादान दिया गया था, उस समय मैं उपस्थित नहीं था।

आज नगरवालसे जिरह समाप्त हो गयी और अदालत विजयादशमी-बकरीदकी छुट्टियोंके लिए १८ अक्तूबर तकके लिए उठ गयी।

१८ और २० अक्तूबर

९ दिन दशहरेकी छुट्टी मनानेके बाद १८ अक्तूबर को अदालत फिर बैठी' पर २० अक्तूबरके लिए उठ गयी क्योंकि विचारपति श्री आत्माचरणको तार मिला कि कानपुरमें उनके पिताकी तबीयत बहुत खराब हो गयी है। वे तुरन्त कानपुरके लिए रवाना हो गये। श्री नगरवालने आज अपने बयानपर हस्ताक्षर कर दिये।

२० तारीखको भी श्री आत्माचरण लौटे नहीं थे, इसलिए मुकदमेकी सुनवाई नहीं हुई।

२१ अक्तूबर

पूनाकी प्रान्तीय खुफिया पुलिससे सम्बद्ध प्रमुख हस्तलेख विशेषज्ञ श्री गजरकी गवाही आज ली गयी। गवाहने कहा कि मैं सन् १९३३ से हस्तलेख विशेषज्ञ हूँ। मैंने दीवानी और फौजदारी मामलोंमें असंख्य विवादग्रस्त कागजोंकी जाँच की है।

१७ मार्च १९४८ को मुझे सूचना मिली कि गान्धी हत्याकाण्डके सम्बन्धमें मुझे कुछ कागजोंकी जाँच करनी है। इसलिए मैं २९ मार्चको बम्बई गया और वहाँ पुलिसके डिप्टी कमिश्नर श्री जे. डी. नगरवालसे मिला। बम्बईके पुलिस सब इन्स्पेक्टर श्री हल्दीपुरने मुझे कुछ विवादग्रस्त कागज तथा उन कागजोंके प्रमाण दिये। मुझे बम्बई रुकनेके लिए कहा गया। मैंने खुफिया पुलिसके कार्यालयकी दूसरी मञ्जिलमें उन कागजोंकी जाँच की। पुलिस फोटोग्राफरने इन कागजोंके चित्र लिये थे। स्मरण रहे कि कई बार अभियुक्तोंसे साफ कागजपर अंग्रेजी और मराठीमें श्री हल्दीपुरका बोला हुआ विषय लिखनेको कहा गया था और इस विषयमें सबूत-पक्षके अनेक गवाहोंकी गवाहियाँ भी ले ली गयी थीं। ये सब कागज श्री गजरके पास जाँच और तुलनाके लिए भेज दिये गये थे।

इससे पूर्व मदनलालके वकील श्री बनर्जीने आवेदनपत्र पेश किया था कि बम्बईमें हिरासतमें रहते हुए उनके मुअक्किलसे ५ बार अपने नमूनेका लेख

देनेको कहा गया था। उन्होंने यह भी कहा था कि ये हस्तलेख गवाहीमें शामिल नहीं किये जा सकते, अतएव श्री गजर उनका निर्देश करते हुए कोई बयान नहीं दे सकते।

अपनी गवाही जारी रखते हुए गवाह गज्जरने कहा कि अभियुक्तोंके हस्त-लेखोंके नमूनोंके चारों ओर लाल लकीर खींचकर वे मेरे पास जाँचके लिए भेजे गये थे। २१ जनवरी १९४८ को कानपुर स्टेशनपर एक कमरा रिजर्व करानेकी बाबत आने जानेवालोंकी किताबमें नथूराम गोडसेने लिखा था, जिसके हस्त-लेखका नमूना मेरे पास भेजा गया था। गवाहने कहा कि वे दोनों हस्तलेख परस्पर मिलते हैं।

बम्बईके एल्फिंस्टन एनेक्सी होटलके मुलाकाती रजिस्टरमें २४ जनवरी १९४८ को दर्ज किये गये विषयका हवाला देते हुए गवाहने कहा कि वह हस्तलेख भी नथूराम गोडसेके हस्तलेखके नमूनेसे मिलता था।

गवाहने कहा कि ३ फरवरी १९४८ को बम्बईके एल्फिंस्टन एनेक्सी होटलमें, १८ जनवरी १९४७, २१ अगस्त १९४७, तथा १३ फरवरी १९४८ को अपोलो होटलमें तथा २ फरवरी १९४८ को बम्बईके सी ग्रीन होटलमें आपटे द्वारा रजिस्टरमें दाखिलेकी लिखावटका उस लिखावटसे मुकाबला किया, जो खुफिया पुलिसके कार्यालयमें ली गयी थी। गवाहने कहा कि होटलोंके रजिस्टरमें यह दाखिला अवश्य आपटेका किया हुआ होना चाहिये।

२२ अक्तूबर—विचारपतिके पिताकी मृत्यु

न्यायाधीश श्री आत्माचरणके पिता अवसर प्राप्त डिप्टी कलेक्टर श्री राधा-चरणकी आगरेमें ७५ वर्षकी अवस्थामें मृत्यु हो गयी। श्री आत्माचरण आगरे चले गये। इसलिए आज मुकदमेकी सुनवाई न हो सकी।

२५ अक्तूबर

आज भी हस्तलिपि विशेषज्ञ श्री गज्जरकी गवाही जारी रही। उन्होंने कहा कि करकरेने २ फरवरी १९४८ को सी ग्रीन होटलके यात्री रजिस्टरमें, श्री जी० एम० जोशीने २० जनवरी १९४८ को फ्रण्टियर हिन्दू होटलमें तथा बी० एम० व्यासने शरीफ हिन्दू होटलके रजिस्टरमें १७ जनवरी १९४८ को

जो खानापूरी की थी, उसे ध्यानसे देखा। उसकी-जाँच पड़ताल करनेके बाद मैंने देखा कि सभी जगह कलमका वही झुकाव, वही मोड़ तथा वैसा ही लिखना है जैसा कि करकरेकी हस्तलिपिके नमूनेमें है।

शरीफ हिन्दू होटलके रजिस्टरमें १९ जनवरी १९४८ को मदनलालने जो खानापूरी की थी, वह मदनलालकी हस्तलिपिके नमूनेसे बिलकुल मिलती जुलती है। २० जनवरी १९४८ को फ्रण्टियर हिन्दू होटलमें गोपाल गोडसेने खानापूरी की है और अपने हस्ताक्षर करके उसके नीचे लाइन खींच दी है। यह लिखावट निश्चय ही गोपाल गोडसेकी हो सकती है, क्योंकि उसने अपने हस्ताक्षर बिना कलम उठाये एक ही साथ किये हैं और गोपाल गोडसेकी हस्तलिपिके नमूनेसे मिलती जुलती है।

इसके बाद गवाहने उस चिट्ठीकी हस्तलिपिकी शिनाख्त की जो कि करकरेने बडगेको लिखी थी और जिसे पुलिसने बडगेकी पत्नीसे बरामद किया था। गवाहने कहा कि इस पत्रकी लिखावट भी करकरेकी हस्तलिपिके नमूनेसे मिलती है।

गवाहने कहा कि ओरियेण्टल गवर्नमेण्ट सिक्योरिटी जीवन बीमा कम्पनीकी दो पालिसियोंपर नथूराम गोडसेके ही हस्ताक्षर हैं। (स्मरण रहे कि नथूराम गोडसेने इन पालिसियोंमें आपटे और गोपाल गोडसेकी पत्नियोंको वारिस बनाया है। ये पालिसियाँ अदालतकी प्रामाणिक सामग्रीके रूपमें स्वीकार की जा चुकी हैं।) मेरे विचारसे पालिसियोंपर गवाहके खानेमें आपटेने हस्ताक्षर किये हैं।

गवाहने यह भी बताया कि नथूराम गोडसेकी डायरीके १४ और १५ जनवरी १९४८ के पन्नोंपर जो कुछ लिखा गया है वह नथूराम गोडसेकी ही हस्तलिपिमें है।

हस्तलिपिकी जाँच करनेके लिए मैं हस्तलिपिका फोटो लेता हूँ जो कि मूलसे बड़ा होता है। इसके बाद मैं विवादग्रस्त कागजोंको तथा स्वीकृत किये हुए लेखनको बराबर-बराबर रखकर उसकी ध्यानसे जाँच-पड़ताल करता हूँ और देखता हूँ कि वह असली हैं या नहीं।

नथूराम गोडसेके वकील श्री ओकको जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैं विवादग्रस्त कागजोंके सिलसिलेमें कई मामलोंमें गवाही दे चुका हूँ। मुझे

विश्वास है कि ९० प्रति शत मामलोंमें मेरी गवाही स्वीकार की गयी पर इसका यह अर्थ नहीं कि शेष मामलोंमें मेरी गवाही गलत या झूठी थी ।

और प्रश्नोंका उत्तर देते हुए कहा कि गोडसेके लिखनेमें जहाँ भी 'आई' (I) वर्णका प्रयोग हुआ है, उसमें टेढ़ापन है । वह सीधा नहीं है । इसमें जरा सा फर्क भी कहीं कहीं आता है, पर यह फर्क हरएकके लिखनेमें थोड़ा बहुत आ जाता है । जब आई (I) वर्ण किसी शब्दके बीचमें प्रयुक्त होता है तो छोटा होता है जिसमें कभी भी फर्क नहीं आता ।

जब गवाहको नथूराम गोडसेके विभिन्न हस्ताक्षर दिखाये गये जिनमें थोड़ा थोड़ा फर्क था, तो गवाहने कहा कि ऐसा अन्तर आना तो स्वाभाविक है ।

आपटेके वकील श्री मेंगलेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मेरे विचारसे विवादग्रस्त कागजोंकी लिखावटके विषयमें ओस्बर्नने जो पुस्तक लिखी है, वह इस विषयके वेदके समान है ! एक ही व्यक्तिके लिखे हुए विभिन्न कागजोंकी लिखावटमें थोड़ा फर्क आ ही जाता है । यह अन्तर लेखककी कलमके प्रवाहपर निर्भर है । कलमके प्रवाहसे मेरा अर्थ है, एक व्यक्तिकी लिखनेकी योग्यता तथा लिखनेकी आदत । लिखनेकी योग्यता प्रायः हाथकी शक्तिपर निर्भर करती है । एक आदमी वर्षों तक लिखनेका अभ्यास करता रहे तो भी यह संभव है कि उसकी कलममें प्रवाह न आये ।

२६ अक्तूबर

आज भी श्री गज्जरसे जिरह जारी रही । गवाहको आपटेके वकील श्री मेंगलेने वह पत्र दिया जो नथूराम गोडसेने १३ जनवरी १९४८ को आपटेको लिखा था और कहा कि इसके हस्ताक्षरोंकी परीक्षा करो और बताओ कि क्या यह हस्ताक्षर उस नमूनेसे मिलते हैं जो कि पुलिसने लिये और इस समय अदालतकी प्रामाणिक सामग्रीमें सम्मिलित किये जा चुके हैं । इसपर गवाहने कहा कि मुझे पत्र और इसकी तुलनाके लिए नमूनेके हस्ताक्षरोंका एन्लार्ज किया हुआ फोटो चाहिये । इसके बिना मैं अपनी विशेष राय नहीं दे सकता ।

गवाहने कम पावरकी एक खुर्दबीनसे पत्रको देखकर कहा कि इस पत्रकी लिखावटमें लिखनेका तरीका, अक्षरोंकी बनावट और घुमाव तो वैसे ही हैं जैसे कि गोडसेकी लिखावटके हैं, पर कुछ फर्क अवश्य है ।

करकरेके वकील श्री डांगेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि विदेशोंमें ऐसे स्कूल हैं जहाँ विवादग्रस्त कागजोंके हस्तलेखकी पहचान करनेकी ट्रेनिङ्ग दी जाती है। भारतमें भी बहुतसे विशेषज्ञ थे। श्री मदनलाल गजर जिनके नीचे रहकर मैंने हस्तलेख पहचाननेकी ट्रेनिंग पायी, १९२७ में स्वर्गवासी हो गये।

गवाहने आगे कहा कि विवादग्रस्त कागजोंपर अपना मत देते समय विशेषज्ञको देखना चाहिये कि उसके पास तुलना करनेके लिए थोड़ा सा ही नमूना न हो। एक ही व्यक्तिके विभिन्न अवसरोंपर लिखे हुए हस्तलेखोंमें प्रायः थोड़ा बहुत अन्तर आ ही जाता है। अगर कोई फटा हुआ कागज परीक्षार्थ आये तो मैं उसे चिपकाता नहीं हूँ वरन् उसे शीशेकी प्लेटोंमें दबाकर रखता हूँ और उसकी परीक्षा करता हूँ। कुछ लोगोंके पेन्सिलसे लिखे और कलमसे लिखे हस्तलेखमें काफी अन्तर आ जाता है। इस मामलेमें मुझे अभियुक्तोंके पेन्सिलसे लिखे हस्तलेखकी परीक्षा नहीं करनी पड़ी।

अन्य प्रश्नोंके उत्तरमें गवाहने कहा कि किसी व्यक्तिकी मानसिक और शारीरिक स्थितियोंका उसके हस्तलेखपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कभी कभी जबरन लिखाये हुए लेख और स्वेच्छासे लिखे लेखमें काफी अन्तर होता है। अपनी विशेष राय देते समय मैं वर्णोंकी लम्बाई तथा आकार देखता हूँ।

मदनलालके वकील श्री बनर्जीके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि 'लेखनकला' से मेरा तात्पर्य लिखनेके ढंगसे है। विवादग्रस्त कागजके सिलसिलेमें ओस्बर्नने जो पुस्तक लिखी है, उसकी सूचीमें लेखनकलाका जिक्र नहीं है।

इसके बाद गवाहको मदनलालके वे हस्ताक्षर दिखाये गये जो कि पुलिसने लिये थे और पूछा कि क्या ये असली हस्ताक्षरोंसे मिलते हैं या नहीं। इसपर गवाहने कहा कि यद्यपि हस्ताक्षरोंका आकार और सही सही जाँच करनेसे यह ठीक वही हस्ताक्षर नहीं लगते, पर अक्षरोंकी बनावट और मिलावट एक सी ही है। शीघ्र दूर दूर, तिरछा तथा सीधा लिखनेकी अच्छाइयाँ मदनलालने अपनी लिखावटमें पैदा कर ली थीं।

गोपाल गोडसेके वकील श्री इनामदारकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि यदि एक व्यक्ति एक समय तो सीधा लिखे और दूसरी बार वह उसे बदलकर लिखे तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह अपना लेख छिपा रहा है। अपना हस्तलेख छिपानेका अर्थ यह होता है कि एक व्यक्ति अपने लिखनेकी कुछ खास

खूबियोंको बदल देता है कि वह उसका लिखना न लगे। यदि कोई व्यक्ति उत्तेजित हो तो उसका हस्तलेख वस्तुतः बदल नहीं जायगा वरन् थोड़ा सा अन्तर आ जायगा। पर यह उसकी लेखनकलापर निर्भर है।

इसपर गोपाल गोडसेका हस्तलेख गवाहको दिखाया गया तो गवाहने कहा कि इसमें जरा सा अन्तर है।

२७ अक्टूबर

हस्तलेख विशेषज्ञ श्री टी० जे० गज्जरसे आज भी जिरह जारी रही। उन्होंने गोपाल गोडसेके वकील श्री इनामदारके एक प्रश्नके उत्तरमें कहा कि मैंने विवादग्रस्त कागजोंके हस्तलेखका मिलान अभियुक्तोंके उस हस्तलेखके नमूनोंसे किया जो पुलिसने लिये थे। मिलान करनेके बाद मैंने अपना निर्णय दिया। बडगेकी हस्तलिपिका नमूना देवनागरी लिपिमें पुलिसने लिया था। विवादग्रस्त कागज तथा स्वीकृत कागजोंकी लिखावटमें जो अन्तर मालूम देता था उसे नोट कर लेता था, पर उनमें थोड़ा अन्तर था।

सावरकरके वकील श्री भोपटकरकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि जो पत्र नथूराम गोडसे द्वारा सावरकरको लिखा गया बताते हैं, उसका एन्लार्ज फोटो नहीं लिया गया था, इसलिए मैं उसपर अपना मत व्यक्त नहीं कर सका। दुबारा जिरह की जानेपर गवाहने कहा कि मेरे कार्यमें इस बातसे कोई बाधा नहीं पड़ी कि लिये गये पत्रोंमें कुछ पत्र फटे थे और बादमें वे चिपकाये गये थे। यदि कोई विवादग्रस्त कागज पेंसिलसे लिखा गया हो और उसके लेखकके हस्तलेखका नमूना स्याहीसे लिया गया हो तो भी मैं उसके सम्बन्धमें अपना निर्णय कर सकता हूँ। हस्ताक्षरकी परीक्षा करनेमें मुझे एक घण्टा लगता है।

खुफिया इन्स्पेक्टर पिण्टोकी गवाही

श्री गज्जरकी गवाहीके बाद बम्बईकी सी० आई० डी० के इन्स्पेक्टर श्री चार्ल्स एन्थनी पिण्टोने अपना बयान देते हुए कहा कि मैं बम्बईकी सी० आई० डी० की स्पेशल ब्राँचसे २९ जनवरी १९४८ से सम्बन्धित हूँ। इससे पहले मैं खुफिया पुलिसकी बम ब्राँचमें था। बम ब्राँचके सारे कर्मचारी २८ जनवरी १९४८ को श्री नगरवालाके मातहत नियुक्त कर दिये गये थे। यह

२० जनवरी १९४८ को बिड़ला-भवनमें हुए बम-विस्फोट तथा महात्मा गान्धीकी हत्याके सन्देहात्मक षडयन्त्रके कारण किया गया था।

मुझे सबसे पहले यह काम सौंपा गया था कि मैं बडगे और करकरेका पता लगाऊँ। महात्मा गान्धीकी हत्याके पश्चात् ३० जनवरीको रात और उससे अगले दिन बहुतसे स्थानोंकी तलाशियाँ ली गयीं। १४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। पकड़े गये व्यक्ति सबसे पहले सी० आई० डी० के नये दफ्तरमें ले जाये गये और उनसे काफी पूछताछ की गयी। इसके बाद वे बरनी जेलमें नजरबन्दीके लिए भेज दिये गये। उसके सिवा अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किये गये जिनके बारेमें यह सन्देह था कि इन लोगोंका भी इस षडयन्त्रमें हाथ है।

उसके आगे गवाहने कहा कि जब कभी भी उन्हें शिनाख्त परेडके लिए जेलसे बाहर ले जाता तो बन्द गाड़ीमें उन्हें बैठाता। मेरे साथ एक आनरेरी मजिस्ट्रेट भी होता। गोपाल गोडसेको मैंने ५ फरवरीको गिरफ्तार किया था। उस समय गोपाल गोडसेके पास खाकी कन्वेसका झोला था। झोलेकी तलाशी लेनेपर उसमेंसे कुछ भी आपत्तिजनक वस्तु प्राप्त नहीं हुई। मैंने उसके घरकी तलाशी नहीं ली थी। बादमें वह बम्बई ले जाया गया था।

पार्क अपोलो होटलमें १४ फरवरी १९४८ की रातको जब आपटे और करकरेकी तथा उनके कमरोंकी तलाशी ली गयी थी तो मैं वहाँ मौजूद था। मैं २५ जनवरीको आपटे तथा करकरेको लेकर दिल्ली आया था। जहाँ भी ये लोग गये मैं इनके साथ था। २६ फरवरीको मैं इनके साथ हिन्दू-महासभा भवनके पीछे गया था। अगले दिन आपटेको हवाई जहाजसे ग्वालियर ले गया और २८ फरवरीको प्रातः दिल्ली लेकर लौट आया था।

उसी दिन तीसरे पहर मैंने आपटे और करकरेको जिला जेलके अधिकारियोंको सौंप दिया जहाँ इनकी शिनाख्त होनी थी। रातको ७॥ बजे ये तुगलक रोड थानेमें वापस भेज दिये गये। २९ फरवरीको प्रातः मैं दिल्लीके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट श्री किशनचन्द्रके साथ अभियुक्तोंको दिल्ली और नयी दिल्लीके कई स्थानोंपर ले गया। यह उनके बयानोंके फलस्वरूप किया गया। इन्हें छिपानेकी पूरी सावधानी बरती गयी थी।

५ अप्रैल १९४८ को मैं श्री नगरवाला तथा अभियुक्त नथूराम गोडसेके साथ दिल्ली आया। ८ या ९ अप्रैलको मैं नथूराम गोडसेको वापस बम्बई ले

गया। मैं दिल्लीकी पुलिससे एक सफेद कोट और जेबी डायरी भी ले गया था।

बम्बई के पुलिस कमिश्नरने बम्बई नगर पुलिस कानूनके मातहत एक आज्ञा जारी करके तलवार, भाले लाठी आदि पर पाबन्दी लगा दी थी। यह पाबन्दी १ अगस्त १९४६ से लागू हुई थी और अब भी लागू है। सभी अभियुक्तों तथा कुछ गवाहों का बयान लेनेमें मैंने श्री नगरवालकी सहायता की थी।

२८ अक्तूबर

आज सी० आई० डी० के इन्सपेक्टर श्री पिन्टोने अपनी गवाही आगे देते हुए कहा कि ५ अप्रैल १९४८ को जब मैं गोडसेको लेकर दिल्ली आया था तो आपटे और करकरे उसके साथ न थे।

नथूराम गोडसेके वकील श्री वी० वी० ओकके जिरह करने पर गवाहने बताया कि गोडसेसे प्राप्त की गयी डायरीकी मैंने रसीद दी थी। मैंने उसपर अपने हस्ताक्षर नहीं किये थे। गोडसेने जो बयान दिया था उसके अनुसार ७ अप्रैलको मैं दिल्लीके कई स्थानोंपर गोडसेको लेकर गया था।

आपटेके वकील श्री मेंगलेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैं यह नहीं जानता कि ईश्वरदास वल्लभदास रेस्तराँ आम जनता के लिए खुला रहता है या नहीं। यह केवल यात्रियों तथा रेल कर्मचारियोंके लिए खुला रहता है।

करकरेके वकील श्री डांगेकी जिरहकी उत्तरमें गवाहने बताया कि इस मुकदमेकी जाँच-पड़तालमें मैंने श्री नगरवाल को सहायता दी थी। मुझे यह पता नहीं कि करकरेके नामका पता पुलिसको कब लगा। इस मुकदमेके सम्बन्धमें मैं अहमदनगर नहीं गया। मैं वहाँ ओमप्रकाश नामक एक व्यक्तिके सम्बन्धमें पूछताछ करने एक बार गया था। वहाँ मैंने करकरेके बारेमें कोई पूछताछ नहीं की थी। १२ अप्रैलको मैंने छावनीके थानेमें श्री भोपटकरसे जिरह की थी।

इसके बाद मदनलालके वकील श्री बनर्जीकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि विले पारलेके महात्मा गान्धी रोडपर रहनेवाले परांजपे नामक एक व्यक्तिको न तो मैंने देखा न उससे प्रश्न किये।

गोपाल गोडसे तथा परचुरेके वकील श्री इनामदारकी जिरहके उत्तरमें

गवाहने कहा कि मैं केवल एक बार औरंगाबाद गया था जब कि मैंने गोपाल गोडसेको गिरफ्तार किया था। खड़की शस्त्रागारमें मैंने गोपाल गोडसेके बारेमें पूछताछ की थी। मैंने गोपाल गोडसेके पिता या मातासे पूछताछ नहीं की थी वरन् उसके भाई दत्तात्रेय गोडसेसे अवश्य जाँच-पड़ताल की थी। जब मैंने गिरफ्तारीके बाद गोपाल गोडसेकी तलाशी ली तो किसी पंचको नहीं बुलाया था। मैंने उसकी तलाशी केवल अपनेको इस सम्बन्धमें सन्तुष्ट करनेके लिए ली थी कि कहीं उसके पास कोई अस्त्रशस्त्र न हो। गोपाल गोडसेसे जो वस्तुएँ मिली थीं उन्हें हवालातके रजिस्टरमें दर्ज कर दिया गया था तथा जब वे चीजें श्री नगरवालकी आज्ञासे लौटायी गयीं तब भी उन्हें हवालातके रजिस्टरमें दर्ज किया था।

दुबारा प्रश्न किये जानेपर गवाहने हवालातका रजिस्टर पेश किया जिसमें गोपाल गोडसेसे प्राप्त वस्तुएँ दर्ज की गयी थीं। गवाहने कहा कि मैं २२ जून १९४८ को अहमदनगर गया था।

पुलिस फोटोग्राफरकी गवाही

इसके बाद पुलिस फोटोग्राफर श्री राजेने गवाही देते हुए कहा कि मैंने २९ मार्च १९४८ को कुछ दस्तावेजों तथा रजिस्टरोंकी खानापूरीका फोटो खींचा था जिसे हस्तलेख विशेषज्ञ श्री गज्जरने खिंचवाया था। प्रत्येक फोटोकी मैंने एन्लार्ज की हुई ६ ६ प्रतियाँ बनायी थीं। मैंने श्री हल्दीपुरके साथ बिड़ला-भवन जाकर भी कुछ फोटो खींचे थे।

आपटेके वकील श्री मेंगलेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि यह फोटो (प्रामाणिक सामग्रीमेंसे जो अदालतमें प्रदर्शनार्थ रखी हुई है, गोडसेका फोटो उसे दिखाया गया।) सड़कपर बैठकर फोटो खींचनेवालेसे खिंचवाया गया है। यह फोटो दो या तीन वर्ष पहले खींचा गया होगा!

श्री मेंगलेके दुबारा जिरह करनेपर गवाहने कहा कि मैं इसलिए कह सकता हूँ कि यह फोटो २-३ वर्ष पहले खींचा गया क्योंकि फोटोके कागजपर रासायनिक प्रक्रिया हो चुकी है, मैंने सड़कपर बैठकर कभी फोटो खींचनेका काम नहीं किया। पर कुछ समय पहले वैसा घटिया काम किया अवश्य है।

करकरेके वकील श्री डांगेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने बताया कि मेरी

मुख्य ड्यूटी फोटो लेना और उनको बड़े आकारका फोटो बनाना था। सड़कपर बैठकर फोटो खींचनेवाले फोटो खींचनेके कागजपर ही नेगेटिव फोटो लेते हैं, शीशेपर नहीं। यदि उन फोटोको रासायनिक पदार्थोंमें डालकर काफी समय तक रखा जाय तो शीघ्र ही ये फोटो खराब हो जायँगे।

जज द्वारा पूछे गये प्रश्नके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैं गत २० वर्षोंसे फोटो खींचनेका काम करता हूँ।

१३६ वें गवाह—भवन-निर्माणकारकी गवाही

इसके बाद कनाट सर्कस नयी दिल्लीके एक भवन-निर्माणकार श्री गुलाबचन्द्रने अपनी गवाही देते हुए कहा कि मैं श्री घनश्यामदास बिड़लाको जानता हूँ। मैं उनके यहाँ भवन-निर्माणकारके रूपमें मार्च १९४७ से काम कर रहा हूँ। मेरे निरीक्षणमें बिड़ला-भवनमें कई परिवर्तन तथा सुधार किये गये हैं। मैंने बिड़ला-भवनके नौकरोंके क्वार्टरोंको कई बार देखा है। मैं आज भी वहाँ गया था। मार्च १९४७ से नौकरोंके क्वार्टरोंके पीछेकी ओर जो दीवार है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

करकरेके वकील श्री डांगेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैंने पीछेकी ओरकी जालीका कोई फोटो नहीं देखा था। मैं जानता हूँ कि बिड़ला-भवनके बाहर गारद पड़ा रहता था और महात्मा गान्धीकी हत्याके बाद जनसाधारणको अन्दर जानेकी आज्ञा नहीं है। मैंने बरामदे और जालीका नक्शा बनाया था। मैं आज सुबह बिड़ला मिलके एक अफसरकी प्रार्थनापर बिड़ला-भवन गया था क्योंकि वहाँ कुछ खिडकियोंकी मरम्मत होनी है। कल ही मुझे यह ज्ञात हुआ था कि मुझे आज महात्मा गान्धी-हत्याकाण्डके मुकदमेमें गवाही देनी है।

टिकट क्लर्ककी गवाही

इसके बाद दिल्ली रेलवे स्टेशनके चीफ बुकिंग क्लर्क श्री चक्रधरने अपनी गवाही देते हुए कहा कि मुझे यह काम सौंपा गया था कि मैं अन्य बुकिंग क्लर्कोंकी ड्यूटियाँ लगाऊँ। किस क्लर्कको कबसे कबतक ड्यूटीपर आना है, इसका मैं निश्चय करके एक रजिस्टरपर एक या दो दिन पहले लिख देता था ताकि क्लर्कोंको आनेमें सुविधा हो। रजिस्टरमें हुई खानापूरीके अनुसार २९ और ३० जनवरीको सुन्दरलाल बुकिंग क्लर्ककी ड्यूटी प्रातः ८ बजेसे शामके ४ बजे तक थी।

इसके बाद गवाहने वह रजिस्टर अदालतमें पेश किया जिसमें क्लर्कोंकी ड्यूटियाँ लिखी जाती थीं।

आपटेके वकील श्री मेंगलेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि एक किताब ऐसी रहती है जिसमें सभी कर्मचारियोंके पते लिखे हुए रहते हैं।

इसके बाद सफाईके किसी वकीलने गवाहसे जिरह नहीं की और अदालत उठ गयी।

२९ अक्तूबर—१३८ वाँ गवाह

आज दिल्लीके रेलवे क्वार्टरोंमें रहनेवाले श्री भोजारामने अपनी गवाही देते हुए कहा कि मैं गत २७ वर्षोंसे रेलवेमें काम कर रहा हूँ और एक साल पहले दिल्लीमें तैनात हुआ हूँ। इस समय मैं सीनियर प्लेटफार्म इन्स्पेक्टर हूँ। विश्राम-गृहोंका निरीक्षण करनेका भी मेरा काम है। जनवरी-फरवरी १९४८ में श्री मोहनलाल सीनियर इन्स्पेक्टर था। पर अब वह फीरोजपुरमें है।

जनवरी-फरवरीमें स्टेशनके विश्राम-गृहोंमें हरिकृष्ण नामक व्यक्ति परिचायक था और अब भी है। इसके अतिरिक्त दो परिचायक और हैं। (इन परिचायकोंके सिलसिलेमें गवाहने २८, २९ और ३० जनवरीका हाजिरी रजिस्टर पेश किया जो प्रामाणिक सामग्रीके रूपमें स्वीकार कर लिया गया।)

आपटेके वकील श्री मेंगलेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि आवश्यक कर्मचारियोंको रहनेके लिए मकान दिये जाते हैं। १९४४ में मैं लाहौरमें था और विभाजनके बाद मैं भारत चला आया। हरिकृष्ण भी रेलवे क्वार्टरोंमें रहता था। मैं दिल्ली स्टेशनके बुकिंग क्लर्क श्री सुन्दरलालको नहीं जानता।

करकरेके वकील श्री डांगेकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि जिन कर्मचारियोंको रेलवे क्वार्टर दिया जाता है, उनकी सूची आदि स्टेशन सुपरिण्टेण्डेण्टके दफ्तरमें एक रजिस्टरमें है। लाहौरमें मैं ब्रेण्ड्रेथ रोडपर 'आस्ट्रेलिया हाऊस'' में रहता था।

मैं लाहौरमें मार्च १९४७ के प्रथम सप्ताहतक था। २ मार्च १९४७ को लाहौरमें मास्टर तारासिंहके नेतृत्वमें जो जुलूस निकला था, उसे मैंने नहीं देखा। इस अरसेमें मैंने कई मकानोंमें आग लगते देखी थी। उस समय बहुतसे हिन्दू शरणार्थी लाहौर स्टेशनपर आये थे। वहाँ हिन्दू और मुसलमानोंके

लिए दो शरणार्थी शिविर खोले गये थे। मैं यह नहीं कह सकता कि हिन्दू शिविरकी देखभाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और महासभाके स्वयंसेवक करते थे या नहीं। मुझे यह ज्ञात है कि मुस्लिम शिविरकी निगरानी मुस्लिम नेशनल गार्ड करते थे।

अन्य प्रश्नोंके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैंने अपनी आँखोंसे स्टेशनपर मुसलमानोंको हिन्दुओंपर आक्रमण करते देखा। मैं १५ अगस्त १९४७ को रेलसे लाहौरसे दिल्ली आया था। क्वार्टर देनेके सम्बन्धमें दो सूचियाँ बनायी जाती हैं। कोई मकान खाली होनेपर यह देखा जाता है कि आवश्यक कर्मचारीको तो जरूरत नहीं है। यदि वह नहीं होता तो ऐसे कर्मचारीको दिया जाता है जो कि आवश्यकताके समय ड्यूटीके अलावा बुलाया जा सकता है।

श्री मेंगलेके दुबारा जिरह करनेपर गवाहने कहा कि ई० पी० रेलवेके मैनेजरने आवश्यकताके समय ड्यूटी न होनेपर बुलाये जानेवाले (आवश्यक) कर्मचारी तथा ड्यूटी होनेपर बुलाये जा सकनेवाले कर्मचारियोंकी परिभाषा की है।

ग्वालियरके मेजरकी गवाही

इसके बाद ग्वालियरके ७८ वर्षीय मेजर दादाभाई माणकजीने अपना बयान देते हुए कहा कि मैं १८९५ में ग्वालियर गया और उसी साल ग्वालियरकी सेनामें भरती हुआ था। जब मैं कृषि विभागका डिप्टी डायरेक्टर था तो १९२३ में रिटायर हुआ था। मैं स्वर्गीय ग्वालियर नरेशके निजी कर्मचारियोंमें भी था। रिटायर होनेके बादसे मैं ग्वालियरमें हूँ। मैं रेस कोर्स तथा पशु-विभागका भी अध्यक्ष था।

गवाहने कहा कि मैं सदाशिव गोपाल गोडसेको भली भाँति जानता हूँ। मैं उन्हें 'मास्टर साहब' कहा करता था। वे मुझे प्रथम बार उज्जैन स्टेशनपर १८९५ में मिले थे। वे उस समय उज्जैन के महादेव कालेजमें या तो लेक्चरार थे या प्रोफेसर।

१९०६ के बादमें राजप्रासाद में नित्य तीन-चार घण्टेतक स्वर्गीय ग्वालियर नरेशके साथ बैठकर बातचीत किया करता था और हमारा यह सम्बन्ध उनकी

मृत्यु १९२३ में होनेतक बना रहा। कुछ अफसर महाराजसे आज्ञा प्राप्त करने महलमें आया करते थे।

श्री एस० जी० परचुरेके ५ पुत्र तथा १ पुत्री थीं। मैं परचुरेके पूना-स्थित मकानपर भी गया था। श्री परचुरे लँगड़े थे। वे पूनाके ब्राह्मणोंकी भाँति ही वस्त्र पहना करते थे।

मुझे यह याद है कि कई पदोंपर काम करनेके बाद श्री एस० जी० परचुरे अन्तमें शिक्षा-विभागके डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल नियुक्त हो गये थे। मैं उनसे उनकी मृत्युके दिन भी मिला था। बातचीतके सिलसिलेमें मुझे यह पता चला था कि परचुरे मुझसे ८-९ वर्ष बड़े थे।

अभियुक्त परचुरेके वकील श्री इनामदारकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि मैं यह नहीं कह सकता कि श्री परचुरे किस तारीखको मरे थे। मुझे यह तो पता नहीं कि ग्वालियरमें श्री परचुरेका कोई मकान या जमीन है या नहीं, पर यह अवश्य मालूम है कि उन्होंने स्वर्गीय महाराजसे एक मकान खरीदनेके लिए ऋण अवश्य माँगा था।

मैं श्री परचुरेके घर केवल दो बार गया था। मैंने परचुरे (अभियुक्त) को न तो देखा और न बातचीत की। मुझे ग्वालियरके एक पुलिस अफसर श्री एस. आर. मांडलिक ग्वालियरसे दिल्ली लाये थे।

१४० वाँ गवाह

इसके बाद भूमि रेकार्ड कमिश्नर, पूनाके दफ्तरके हेड क्लर्क श्री एच. वी. जरिन्दकरने अपने दफ्तरके दो कागज अदालतमें पेश किये जिनसे पता चलता था कि गुहागर (रत्नागिरि जिला) तथा पूनामें परचुरेके परिवारकी कितनी जमीन आदि है।

'जयाजी प्रताप' के सम्पादककी गवाही

ग्वालियरके पत्र 'जयाजी प्रताप' के सम्पादक श्री रामप्रसादने अपनी गवाही देते हुए कहा कि मेरा पत्र पहले ग्वालियर सरकार चलाती थी और अब मध्यभारत सरकार चलाती है।

गवाहने, जो इस समय सूचना-विभागका डायरेक्टर है, अदालतमें

'जयाजी प्रताप' की एक फाइल पेश की जो अप्रैलसे जुलाई १९२३ तककी थी। इसमें ३ मई १९२३ का संस्करण दिखाया गया।

परचुरेके वकील श्री इनामदारकी जिरहके उत्तरमें गवाहने कहा कि अन्य लोगोंसे भी पत्रके लिए दिया जानेवाला दान स्वीकार किया जाता था।

आज बताया गया कि सबूत पक्षकी गवाहियाँ समाप्त हो गयीं। ये चार महीने ली जाती रहीं। इतने दिनोंसे १४३ गवाहोंने बयान दिये और लगभग ५०० वस्तुएँ प्रामाणिक सामग्रीके रूपमें स्वीकार की गयीं।

३ नवम्बर

आज अदालत फिर बैठी, पर अभियुक्त परचुरेके अधिवासके सम्बन्धमें सबूत-पक्षको कुछ और गवाहियाँ जुटानेकी सुविधा देनेके उद्देश्यसे इजलास स्थगित कर दिया गया।

५ नवम्बर—चार और गवाहियाँ

आज सबूत-पक्षकी ओरसे और गवाहियाँ पेश हुईं। बम्बई विश्वविद्यालय-के प्रधान क्लर्क श्री विनायक रघुनाथ दरशेठकरका बयान हुआ। गवाहने बम्बई विश्वविद्यालयके १८८०-८१, १८८४-८५ तथा १८८५-८६ वर्षके कलेण्डर पेश किये। उन्होंने १८७६-७७ की मैट्रिक परीक्षा तथा १८८१-८२ और १८९१-९२ की बी. ए. परीक्षाओंके परिणामोंकी सूचियाँ भी पेश कीं।

गवाहने बम्बई विश्वविद्यालयके उस प्रमाण-पत्रपर लगी मुहरकी शिनाख्त कर दी जो १८८६ में एस. जी. परचुरेको (अभियुक्त परचुरेके पिता) प्रदान किया गया था।

बचाव-पक्षकी ओरसे गवाहसे कोई जिरह नहीं की गयी।

इसके बाद ग्वालियरके रेकार्ड-विभागके सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री रावजनका बयान लिया गया। इस गवाहने ग्वालियर राज्यकी फौजी सूची तथा नागरिक सूची पेश की जिसमें अभियुक्त परचुरेके पिता श्री एस. जी. परचुरेके सम्बन्धमें लिखा-पढ़ी थी। श्री एस. जी. परचुरेके हस्ताक्षर भी दिखाये गये। ये सब कागज-पत्र प्रामाणिक वस्तुओंमें रख लिये गये।

इस गवाहसे भी बचाव-पक्षने कोई जिरह नहीं की।

तीसरा गवाह ग्वालियर राज्यके लश्कर थानेका थानेदार श्री केशव था।

इस गवाहने बताया कि मैंने अपने सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री थोरात पाटिलके आदेशानुसार २९ तथा ३० अक्तूबरको (डा०) परचुरेके घरकी तलाशी ली। वहाँ से श्री एस. जी. परचुरेकी जन्मपत्री, एक फोटो तथा लगान सम्बन्धी ६ रसीदें बरामद हुईं। मैं परचुरेके घरपर २ नवम्बरको फिर गया था।

गवाह श्री केशवने आगे बताया कि मैं एक मुहरबन्द बक्स दिल्ली ले आया था जो यहाँ पञ्चों और श्री नगरवालाके सामने खोला गया था। इस बक्ससे कुछ कागज-पत्र निकाले गये थे और उनका एक पञ्चनामा लिख लिया गया था।

उनमेंसे कुछ कागज भी प्रमाणके रूपमें अदालतमें पेश किये गये।

करकरेके वकील श्री डांगेने गवाह श्री केशवसे जिरह की।

गवाहने बताया कि मुझे यह मालूम नहीं कि बक्स कैसे दिल्ली लाया गया।

परचुरेके वकील श्री इनामदारके जिरह करनेपर गवाहने बताया कि इस बारेमें मुझे तनिक भी मालूम नहीं कि जनवरी १९४८ में लश्करमें हिन्दू-महासभा दल द्वारा कोई आन्दोलन छेड़ा गया था या नहीं। कांग्रेस दलने २४ जनवरी १९४८ को ग्वालियरमें शासनाधिकार प्राप्त किया। २४ जनवरीको या इसके आस-पास हिन्दू-महासभा दलने कोई सभा उसके विरोधमें की या नहीं, इसके बारेमें भी मुझे कुछ स्मरण नहीं।

गवाह श्री केशवने फिर कहा कि ३ फरवरी १९४८ को जब परचुरेके घरकी तलाशी ली गयी तो मैं वहाँ उपस्थित था। यह तलाशी महात्मा गान्धी-की हत्याके सम्बन्धमें ली गयी थी।

ग्वालियरके एक अधिवासी श्री श्याम बहादुरने अपनी गवाहीमें कहा कि २९ तथा ३० अक्तूबरको और २ तथा ३ नवम्बरको जब परचुरेके घरकी तलाशियाँ ली गयीं तो मैं पञ्चकी हैसियतसे वहाँ उपस्थित था। वहाँसे कुछ कागज भी बरामद हुए थे। मैंने पञ्चनामेपर हस्ताक्षर भी किये थे।

८ नवम्बर

ग्वालियरके श्री श्यामबहादुरका बयान आज भी जारी था। गवाहने कहा

कि जो बक्स ग्वालियरसे दिल्ली लाया गया था उसके खोले जानेकेसमय मैं उपस्थित था। उसमेंसे कुछ कागज निकाले गये थे और उसके सम्बन्धमें जो रसीद लिखी गयी थी उसपर मैंने हस्ताक्षर किये थे।

परचुरेके वकील श्री इनामदारके प्रश्नके उत्तरमें गवाहने बताया कि मैं १९४० से लश्करमें निवास कर रहा हूँ। मैं परचुरेको १९३४ से डाक्टरी करते देखता आया हूँ। इससे पहले परचुरे सरकारी नौकरी करता था।

एक अन्य गवाह आदित्यरामने बयान देते हुए कहा कि ज्योतिष मेरा परम्परागत व्यवसाय है। मैं पिछले ८ वर्षोंसे दिल्लीमें हूँ और १९२४ से यह पेशा कर रहा हूँ।

प्रामाणिक वस्तुओंमें रखी हुई कुछ किताबें इस गवाह ज्योतिषीको दिखायी गयीं। उसने कहा कि इन किताबोंमें जो जन्मकुण्डलियाँ बनी हुई हैं उनका सम्बन्ध केवल एस. जी. परचुरेसे ही है।

गवाहने कहा कि इस जन्मपत्रीकी रचना तथा ग्रह-गणना जिस प्रकारसे की गयी है वह 'अष्टोत्तरी' सिद्धान्तोंसे मेल खाती है। अष्टोत्तरीका प्रयोग विन्ध्याचलके दक्षिण-स्थलवासी ही किया करते हैं। जहाँतक उल्लेख मिलता है उसके अनुसार श्री एस. जी. परचुरेका जन्म 'पुण्य पट्टन' अर्थात् वर्तमान पूनामें होना चाहिये।

करकरेके वकील श्री डांगेको गवाहने बताया कि मैं ज्योतिषीका पेशा करता हूँ, लेकिन इन आलोच्य जन्मपत्रियोंके निरीक्षणका कोई शुल्क अभीतक मुझे नहीं दिया गया है। यह ठीक है कि मैं २ नवम्बरको निरीक्षणके लिए स्विस होटल गया था। दो जन्मपत्रियाँ मुझे दूसरे दिन दिखायी गयीं।

गवाहने फिर बताया कि यदि दो व्यक्ति एक ही समय एक ही स्थानमें पैदा हों तो उनकी जन्मपत्रियाँ समान होंगी।

करकरेके वकील श्री डांगेकी जिरहका उत्तर देते हुए गवाह आदित्यराम ज्योतिषीने कहा कि जन्मपत्रिका तैयार करनेके जो दो तरीके होते हैं, मैंने वे दोनों प्रयुक्त किये थे। मुझे ज्ञात है कि महाराष्ट्रमें दो प्रकारके पञ्चांग होते हैं। पेशेवर ज्योतिषी होनेके कारण मैं एक रजिस्टर रखता हूँ जिसमें मेरे प्रमुख यजमानोंके नाम दर्ज हैं।

इसके बाद मेजर दादाभाई मणिकजीकी फिर दुबारा गवाही ली गयी।

सबूत-पक्षकी ओरसे इस गवाहकी गवाही गत सप्ताह हो चुकी थी। अदालतकी स्वीकृतिसे सबूत पक्षने इस गवाहको फिर गवाही देनेके लिए बुलाया था।

गवाहको एक सामूहिक फोटो दिखाया गया (जो अभियुक्त परचुरेके मकानमें बरामद किया गया था।) गवाहने इस फोटोमें श्री एस. जी. परचुरेको पहचाना और न्यायाधीशको दिखाया। प्रामाणिक वस्तुओंमें रखे हुए कुछ कागज गवाहको दिखाये गये जो कि एस. जी. परचुरेके हाथके लिखे हुए थे। गवाहने भी इस लिखावटको पहचाना।

परचुरेके वकील श्री इनामदारके जिरह करनेपर गवाहने कहा कि इस समय अदालतमें जो कागज मुझे दिखाये गये हैं, वे अबसे पहले मैंने कभी नहीं देखे थे। मुझे याद है कि मैंने एस. जी. परचुरेका हस्तलेख सबसे बाद १९२२ में देखा था।

इसके बाद लश्कर (ग्वालियर) के पुलिस सब-इन्स्पेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंहने अपना बयान देते हुए बताया कि ३० अक्तूबर और २ नवम्बरको डा० परचुरेके घरकी तलाशी लेनेपर कुछ कागज और फोटो बरामद हुए थे। गवाहने डा० परचुरेके मकानसे प्राप्त हुआ ताला लगा बक्स दिल्ली लाये जानेके बारेमें भी अपनी जानकारी बतायी।

श्री इनामदार द्वारा जिरह की जानेपर गवाहने बताया कि मैंने कृष्णरावसे कहा था कि वह बक्स खोलने दिल्ली जाय, पर वे नहीं आये।

इस समय बचाव-पक्षके वकीलने यह इच्छा प्रकट की कि जज महोदय स्वयं बिड़ला-भवन, तुगलक रोड थाने और दिल्लीके हिन्दूमहासभा-भवन जाकर देख आयें। जजने कहा कि मैं इन स्थानोंको देखनेके लिए अगले सप्ताह जाऊँगा।

आज सबूत-पक्षके बयान समाप्त हो गये।

सबूत-पक्षके गवाहोंकी सूची

१	ईश्वरदत्त—खुफिया पुलिस, ग्वालियर	२४ जून
२	रामलालदत्त—मैनेजर, शरीफ हिन्दू होटल, दिल्ली	„
३	शांतिप्रकाश—साझीदार „ „	२५ जून
४	रामसिंह—नौकर „ „	„
५	शांताराम अमचेकर—करकरेके साथ होटलमें ठहरा शरणार्थी	„
६	हीरानन्दानी—ट्रांसफर ब्यूरोका क्लर्क	„
७	रामचन्द्र—दिल्लीके मेरीना होटलका क्लर्क	„
८	नारायणसिंह— „ बड़ा बेयरा	„
९	मेहरसिंह—जंगल विभागका सिपाही	२९ जून
१०	कालेराम—मेरीना होटलका बेयरा	„
११	गोविन्दराम— „	„
१२	पचेको—मेरीना होटलका मैनेजर	„
१३	मार्टिन थेडियस— „ क्लर्क	„
१४	सुरजीतसिंह—टैक्सी ड्राइवर	३० जून
१५	सुलोचना देवी—दिल्ली	१ जुलाई
१६	छोटूराम—बिड़ला-भवनका एक नौकर	„
१७	भूरसिंह— „ चौकीदार	२ जुलाई
१८	के. एम. साहनी—शरणार्थी अफसर, करनाल	५ जुलाई
१९	रामप्रकाश—मैनेजर, फ्रण्टियर हिन्दू होटल, दिल्ली	६ जुलाई
२०	चमनलाल ग्रोवर—पंच दिल्ली	„
२१	एस. सी. राय—विस्फोटक इन्स्पेक्टर, आगरा	७ जुलाई
२२	कुँवरसिंह—पुलिस फोटोग्राफर	„
२३	पी. आर. कैलास—टेलीफोन अफसर, दिल्ली	„
२४	लाला बदरीनाथ—टिकट-बाबू, दिल्ली	„
२५	एन. एन. कपूर—नक्शानवीस	„

२६	सुन्दरलाल—बुकिंग क्लर्क, दिल्ली स्टेशन	८ जुलाई
२७	हरिकिशन—बेयरा, दिल्ली स्टेशन	,,
२८	जन्नू—मोची, दिल्ली स्टेशन	,,
२९	देवकीनन्दन—हेड कान्स्टेबुल	,,
३०	फ्लाइट सार्जेण्ट रामचन्द्र	९ जुलाई
३१	अमरनाथ—सब-इन्स्पेक्टर पुलिस	,,
३२	नन्दलाल मेहता—गान्धीजीके साथी	,,
३३	काबुलसिंह—हेड कान्स्टेबुल	,,
३४	रतनसिंह—सिपाही	,,
३५	घासीराम—सहायक सब-इन्स्पेक्टर	,,
३६	परशराम— ,,	,,
३७	धरमसिंह—हेड कान्स्टेबुल	,,
३८	पी. एन. तनेजा—सिविल सर्जन, नयी दिल्ली	१२ जुलाई
३९	जगदीशप्रसाद गोयल—ग्वालियर	,,
४०	सरदारीलाल वर्मा—सुपरवाइजर टेलिफोन, दिल्ली	,,
४१	कुमारी बलवन्त कौर—आपरेटर ,,	,,
४२	कुमारी जी० फर्नेस—आपरेटर ,,	,,
४३	गरीबा—ताँगावाला, ग्वालियर	१३ जुलाई
४४	जुम्मा— ,,	,,
४५	शिवप्यारेलाल दीक्षित—इनक्वायरी क्लर्क, कानपुर स्टेशन	,,
४६	ए. बी. सक्सेना—क्लर्क ,,	,,
४७	एञ्जेलिना कोलेस्टन—मेट्रन, ,,	,,
४८	रघुपतिराव हाँडा—गाइड, दिल्ली रेलवे स्टेशन	,,
४९	सैयद मंजरअली रिजवी—मजिस्ट्रेट, ग्वालियर	१४ जुलाई
५०	मधुकर केशव काले—ग्वालियर	,,
५१	मधुकर बालकृष्ण खिरे— ,,	१५ जुलाई
५२	रामदयालसिंह— ,,	,,
५३	जगन्नाथसिंह— ,,	,,
५४	गूँगनसिंह—लम्बरदार, दिल्ली	१६ जुलाई

५५	बिहारीलाल—थानेदार, ,,	१६ जुलाई
५६	आर. बी. अटल—फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ग्वालियर	१९ जुलाई
५७	मुखबिर दिगम्बर बडगे—	२०, २१, २२, २३, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ जुलाई
५८	डाक्टर डी. एन. गोयल—वैज्ञानिक डाइरेक्टर, पंजाब	२ अगस्त
५९	सत्यवान भिलाजी राले—मैनेजर, सी ग्रीन होटल, बम्बई	,,
६०	कुमारी शान्ता भास्कर मोडक—फिल्म अभिनेत्री, पूना	३ अगस्त
६१	काश्मीरीलाल—एलफिन्स्टन होटल, बम्बई	,,
६२	नरसिंह भागाजी—बम्बई लाण्ड्री, पूना	,,
६३	गयाप्रसाद दूबे—आर्यपथिकाश्रम, बम्बई	,,
६४	गोविन्द विश्वनाथ मलेकर—नौकर, एलफिन्स्टन होटल, बम्बई	,,
६५	कैण्डिडो पिण्टो—क्लर्क, अपोलो होटल, बम्बई	४ अगस्त
६६	माइकेल पैट्रिक केरी—पत्र, बम्बई	,,
६७	प्रोफेसर जगदीशचन्द्र जैन—रामनारायण रुइया कालेज	४-५-९ अगस्त
६८	जान फ्रेट्स—पत्र, बम्बई	९ अगस्त
६९	गोस्वामी श्रीकृष्णजी महाराज—बम्बई	९-१० अगस्त
७०	श्रीधर नारायण वैद्य—बीमा कम्पनी, बम्बई	१० अगस्त
७१	कुमारी लोर्ना वेनब्रिज—विमान परिचारिका	१३ अगस्त
७२	अंगदसिंह—दलाल, बम्बई	१३-१६ अगस्त
७३	गणपत भीमराव अफजुलपुरकर—पेंशनर, बम्बई	१६ अगस्त
७४	चरणदास मेघजी मथुरादास—बम्बई	१६-२० अगस्त
७५	लेस्ली पर्सिवल पाँडे—खड़की	,,
७६	रघुनाथ नाइक—माली, बिड़ला-भवन, दिल्ली	,,
७७	गोस्वामी दीक्षित महाराज—बम्बई	२०-२१-२३ अगस्त
७८	मुरारजी देसाई—गृहमन्त्री, बम्बई	२३-२४-२५ अगस्त
७९	वसन्त गजानन जोशी—ठाणा, बम्बई	२५ अगस्त
८०	ऐतप्पा कृष्णा कोटियन—टैक्सी ड्राइवर, बम्बई	२६ अगस्त
८१	गणपत संभाजी खरात—एम. एल. ए., बम्बई	,,
८२	गुरुवचनसिंह—दिल्ली	३० अगस्त

८३	प्रभाकर लक्ष्मण आफले—क्लर्क, पूना	३० अगस्त
८४	मधुसूदन गोपाल गोलवलकर—ग्वालियर	,,
८५	पाण्डुरंग विनायक गोडबोले—पूना	३१ अगस्त
८६	महादेव गणेश काले—कुर्ला	,,
८७	रामचन्द्र मोहिनीराज पाटनकर—कुर्ला	,,
८८	गोविन्द विष्णु काले—पूना	,,
८९	शिवा नागेश शेट्टी—पत्र, बम्बई	१ सितम्बर
९०	यशवन्त शान्ताराम बोरकर—पत्र, बम्बई	,,
९१	विनयकुमार शान्ताराम प्रधान—पत्र, बम्बई	,,
९२	कृष्णचन्द्र—मजिस्ट्रेट, दिल्ली	२ सितम्बर
९३	एस. आर. सहगल—शरणार्थी विभागका कर्मचारी, दिल्ली	,,
९४	रमणलाल देसाई—टिकट कलक्टर, विलेपार्ले	३ सितम्बर
९५	जान गोम्स— ,, एलफिन्स्टन रोड	,,
९६	रघु परमेश्वर नाइक—पत्र, बम्बई	,,
९७	नाथूराम अग्रवाल—रेलवे, अजमेर	६ सितम्बर
९८	जे. मैण्डस—रेलवे, दादर	,,
९९	दत्तात्रेय रामचन्द्र फाटे—पत्र, बम्बई	,,
१००	के. पी. परेरा—पत्र, बम्बई	७ सितम्बर
१०१	एस. वाई. सुर्वे— ,,	,,
१०२	बिहारीलाल—लुधियाना	,,
१०३	त्र्यम्बक हरि जावक—पत्र, पूना	८ सितम्बर
१०४	नारायण गणेश दावके—दर्जी, पूना	,,
१०५	वी. एस. दलवी—पत्र, बम्बई	,,
१०६	महादेव गोविन्द कुलकर्णी—पत्र, पूना	९ सितम्बर
१०७	दिनकर पाण्डुरंग थोरात पाटील—पुलिस-कप्तान, ग्वालियर	,,
१०८	डाक्टर पी. डी. गोखले—पत्र, पूना	१० सितम्बर
१०९	बालकृष्ण वामन इनामदार—,,	,,
११०	शिवकलकुञ्ज बिलचन्द—पत्र, बम्बई	,,
१११	फ्रैंक रैविलो—पत्र, बम्बई	,,

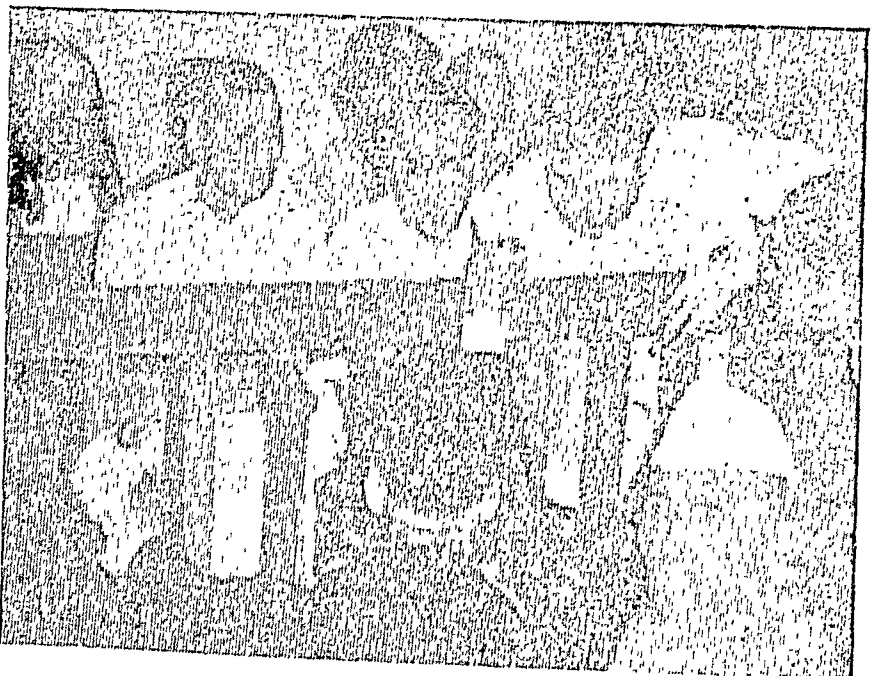
११२ जनार्दन दिनकर सावलेकर—टेलिग्राफ, बम्बई — १० सितम्बर
११३ ब्राउन—चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट, बम्बई — १३ सितम्बर
११४ गजानन बालकृष्ण कवठणकर—पञ्च, बम्बई — १४ सितम्बर
११५ दसवन्दासिंह—खुफिया पुलिस, दिल्ली — १४-१५ सितम्बर
११६ जसवन्तसिंह—पुलिस-कप्तान, दिल्ली — १६-२० सितम्बर
११७ बालकृष्ण खन्ना—इम्पीरियल बैंक, ग्वालियर — २० सितम्बर
११८ नामदेव तात्या नागमोडे—पूना — ,,
११९ होनाजी गणपत शेलार— ,, — ,,
१२० अरुण गान्धी—पञ्च, ,, — ,,
१२१ शंकर गणपत घाडगे—बम्बई — २१ सितम्बर
१२२ देऊळकर—खुफिया डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट, पूना — २१-२२ सितम्बर
१२३ सूर्यनारायण व्यास—ज्योतिषी, उज्जैन — ,,
१२४ एम. के. नेरुरकर—हवाई अड्डा पालम, दिल्ली — ,,
१२५ पी. जयरमण—हवाई सर्विस क्लर्क, बम्बई — २७ सितम्बर
१२६ डी. वी. म्हसकर—क्लर्क, शिक्षा-विभाग, पूना — ,,
१२७ बी. एस. हल्दीपुर—इन्स्पेक्टर पुलिस, बम्बई — २७-२८-२९ सितम्बर
१२८ ए. आर. प्रधान—इन्स्पेक्टर खुफिया पुलिस, पूना — ३० सितम्बर
१२९ सी. आर. प्रधान—सब-इन्स्पेक्टर खुफिया पुलिस, बम्बई — १ अक्तूबर
१३० मांडलिक—इन्स्पेक्टर खुफिया पुलिस, ग्वालियर — १-४ अक्तूबर
१३१ भावनगरी एस. के.—विस्फोटक इन्स्पेक्टर, बम्बई — ४-५ अक्तूबर
१३२ नगरवाला जे. डी.—डिप्टीकमिश्नर खुफिया पुलिस, बम्बई — ५-६-७-८ अक्तूबर
१३३ गजर—हस्तलिपि-विशेषज्ञ, पूना — २१-२५-२६-२७ अक्तूबर
१३४ पिण्टो—खुफिया इन्स्पेक्टर, बम्बई — २७-२८ अक्तूबर
१३५ राजे—पुलिस फोटोग्राफर, पूना — २८ अक्तूबर
१३६ गुलाबचन्द्र—भवन-निर्माणकार, दिल्ली — ,,
१३७ चक्रधर—बुकिंग क्लर्क, दिल्ली — ,,
१३८ भोजाराम—रेलवे प्लेटफार्म इन्स्पेक्टर, दिल्ली — २९ अक्तूबर
१३९ मेजर दादाभाई माणिकजी—ग्वालियर — ,,

१४०. एच. बी. जरिन्दकर—कृषि हेडक्लर्क, पूना २९ अक्तूबर
१४१ रामप्रसाद—सूचना डाइरेक्टर, ग्वालियर ,,
१४२ विनायक रघुनाथ दरशेठकर—विश्वविद्यालय हेडक्लर्क, बम्बई ५ नवम्बर
१४३ राघवन—रेकार्ड सुपरिण्टेण्डेण्ट, ग्वालियर ,,
१४४ केशव—थानेदार, लश्कर ,,
१४५ श्यामबहादुर—पञ्च, ग्वालियर ५, ६ नवम्बर
१४६ आदित्यराम—ज्योतिषी, दिल्ली ,,
(दुबारा) मेजर दादाभाई—ग्वालियर ,,
१४७ वीरेन्द्रसिंह—पुलिस सब-इन्स्पेक्टर, ग्वालियर ,,

अस्वीकार गवाहियाँ

१४८ जयप्रकाश कुदेसिया—टिकट-कलेक्टर, टागा ६ सितम्बर
१४९ जे. एस. परांजपे—विस्फोट विशेषज्ञ, बम्बई— नहीं ली गयी

गान्धी-हत्याकाण्डके अभियुक्त



मुकदमेके पहले दिन लिया गया चित्र—कटघरेमें पहली कतारमें बायी ओरसे गोडसे, आपटे, और करकरे (खड़े होकर बात करते हुए) हैं। उनके पीछे दाढ़ी और लम्बे बालवाला इकबाली गवाह बडगे है। कटघरेके आगे बचाव पक्षके वकील हैं।

गोडसेका वक्तव्य

अकेले मैंने ही गान्धीजीका खून किया

८ नवम्बरको जब अदालत बैठी तो सरकारी वकील श्री दफ्तरीने न्यायाधीशसे कहा कि सबूतकी ओरसे अब किसी गवाहका बयान नहीं लिया जायगा। इसपर अदालतने नथूराम गोडसेसे पूछा कि उसे कुछ कहना तो नहीं है। गोडसेने कहा कि मैं एक ९३ फुलस्केप पृष्ठका लम्बा बयान पढ़ना चाहता हूँ। १०। बजे गोडसेने अपना बयान पढ़ना शुरू किया। वक्तव्य पढ़नेके पहले उसने कहा कि मैंने अपना वक्तव्य ६ भागोंमें विभाजित कर दिया है—[१] षड्यन्त्र तथा अन्य छोटे-मोटे अभियोग ; [२] गान्धीजीकी राजनीतिपर प्रकाश (पूर्वार्द्ध) ; [३] गान्धीजीकी राजनीतिपर प्रकाश (उत्तरार्द्ध) ; [४] गान्धीजी और भारतीय स्वतन्त्रता ; [५] स्वतन्त्रता स्वप्नका भंग और [६] राष्ट्रीयता-विरोधी शमन-नीतिकी पराकाष्ठा।

गोडसेने इसके बाद अखबारवालोंसे अपील की कि आप लोग मेरे वक्तव्यके सारको तोड़िये-मरोड़िये मत। इसपर श्री दफ्तरीने आपत्ति की और कहा कि वक्तव्यमें जो बातें अनावश्यक या इस मुकदमेसे सम्बन्धित न होंगी उनको अदालतके रेकार्डमें नहीं रखना चाहिये, अदालत कोई सार्वजनिक सभा स्थान या ऐसी जगह नहीं है जहाँसे अखबारवालोंसे अपील की जा सके।

ठीक ११ बजे अपना वक्तव्य पढ़ते पढ़ते गोडसेको चक्कर आया और वह गिर पड़ा। कठघरेमें बैठे पुलिसवालोंने उसे उठाया। जजने उसे अपनी जगह पर बैठ जानेको कहा। कुछ देर विश्राम करनेके बाद नथूरामने फिर अपना वक्तव्य पढ़ना शुरू किया। वक्तव्य पूरा पढ़नेमें उसे ५ घण्टे लगे। थोड़ी थोड़ी देरपर वह पानी पीता था और लौंग खाता था। वक्तव्य खतम होनेपर उसने कहा—'अखंड भारत अमर रहे' 'वंदेमातरम्।'

वक्तव्य पढ़े जानेके बाद मुख्य सरकारी वकील श्री दफ्तरीने कहा कि इस वक्तव्यके कुछ भाग अनावश्यक हैं और वे रेकार्डमें नहीं रखे जाने चाहिये।

उदाहरणके लिए उन्होंने वह भाग बताया जिसमें गोडसेने कहा था कि वर्तमान भारत-सरकारके प्रति मुझे कोई आदर नहीं है क्योंकि वह मुस्लिम परस्त है।

जजने कहा कि मैं लिखित वक्तव्यमेंसे कोई भाग निकाल देनेके लिए कैसे कह सकता हूँ। आपके लिए वे अनावश्यक होंगे। उसके लिए वे आवश्यक हो सकते हैं। युक्तप्रान्तमें महत्त्वके मुकदमोंमें लिखित वक्तव्य हमेशा दिये जाते हैं।

जजने अनावश्यक भागोंको रेकर्डमें न रखनेकी बात नहीं मानी और श्री दफ्तरीसे कहा कि आपके पास इस सम्बन्धमें पहलेके यदि कोई फैसले हों तो वे सब कल मुझे दिखाइयेगा।

अदालतमें आज काफी भीड़ थी।

गोडसेका वक्तव्य छापनेपर रोक

गोडसेका वक्तव्य अखबारोंमें छप जानेके बाद दिल्ली, अजमेर, संयुक्तप्रान्त, उड़ीसा, मद्रास, बम्बई, मध्यप्रान्त, पश्चिमी बङ्गाल आदि अनेक प्रान्तों और रियासतोंकी सरकारोंने जनसुरक्षा कानूनोंके अनुसार गोडसेका वक्तव्य छापने या प्रकाशित करनेकी मनाही करनेवाले आदेश निकाले।

९ नवम्बर

गोडसेसे जजने प्रश्न पूछे

आज सबसे पहले अदालतमें मुख्य सरकारी वकील श्री सी.के. दफ्तरीने इस विषयपर तर्क-वितर्क किया कि दौरा अदालतमें किसी अभियुक्तका लिखित वक्तव्य रेकार्डमें शामिल किया जा सकता है या नहीं।

उन्होंने अपने विचारकी पुष्टिमें इलाहाबाद हाईकोर्टका एक निर्णय उद्धृत किया (३४ क्रिमिनल ला जर्नल, पृष्ठ ९६७)। उक्त मामलेमें हाईकोर्टने यह निर्णय दिया था—अभियुक्तको केवल उन प्रश्नोंका ही उत्तर देना चाहिये जो उससे पूछे जायँ।

न्यायाधीशने कहा कि अदालतके समक्ष इस विशेष मामलेमें यह एक आम प्रश्नका लिखित उत्तर है, जिसे खुली अदालतमें विस्तारके साथ पढ़ा गया है।

इसके बाद न्यायाधीशने गवाह गोडसेसे २८ प्रश्न पूछे जिनके उत्तर उसने खड़े-खड़े दिये। प्रश्नोत्तरका सार यह है—

१. गोडसेने पूनामें अपने समाचार-पत्रके कार्यालयमें बडगेसे मिलने और १४ जनवरीको उसे हिन्दू-महासभा भवनमें शस्त्रास्त्र देनेके लिए कहनेके आरोपका प्रतिवाद किया।

२. उसने यह स्वीकार किया कि मैंने बीमेकी पालिसियाँ आपटेकी और गोपाल गोडसेकी पत्नीके नाम की थीं।

३. गोडसेने स्वीकार किया कि कुमारी मोडक पूनासे बम्बई हमारे साथ एक ही डिब्बेमें गयी थी और वह स्टेशनसे अपने भाईकी जीपमें उन्हें सावरकर-सदन ले गयी थी।

४. गोडसेने इस बातसे इनकार किया कि आपटेके साथ १४ जनवरीको मैं बम्बईके हिन्दू महासभा भवनमें बडगेसे मिला, जब कि यह कहा जाता है कि बडगे एक थैलेमें कुछ सामान ले आया था। उसने इससे भी इनकार किया कि

बादमें वह सब लोगोंको साथ लेकर सावरकरके घर गया और वहाँपर ८-१० आदमियोंसे बात की और शंकर तथा बडगेको नीचे ही छोड़ दिया।

५. उसने आपटे और बडगेके साथ दीक्षित महाराजके घर जानेके कथनका तथा गोला-बारूदसे भरे थैलेको वहाँ छोड़नेकी बातका प्रतिवाद किया।

६. उसने कहा कि सफरके लिए बडगेको ५०) मैंने नहीं दिये। मेरी डायरीमें बण्डोभाऊको ५०) देनेकी बात लिखी है। वह बण्डोभाऊ बडगे नहीं है, किन्तु पूनामें मेरे कार्यालयका एक कर्मचारी है। उसने कहा कि वह संक्रांति-दिवस था और उस दिन मैंने अपने भाई गोपालको भी २५०) दिये थे। इसका भी उल्लेख मेरी डायरीमें है।

७. गोडसेने कहा कि यह सर्वथा झूठ है कि १५ जनवरीको मैं, आपटे, मदनलाल और बडगे उस थैलेको लेने दीक्षित महाराजके घर गये थे और वहाँ बातचीतसे यह प्रकट किया गया था कि महात्मा गान्धी, पं० नेहरू और सुहरावर्दीको खतम करनेका निश्चय कर लिया है।

८. उसने इस बातसे भी इनकार किया कि १६ जनवरीको वह पूनामें बडगेसे मिला और उसने बडगेसे दिल्ली चलने और अपनी पुरानी पिस्तौलके बदले नयी ला देनेको कहा। उसने कहा कि १६ जनवरीको मैं बडगेसे मिला ही नहीं।

९. गोडसेने यह स्वीकार किया कि १७ जनवरीको मैं आपटे और बडगेके साथ बम्बईमें धन एकत्र करनेके लिए ३-४ व्यक्तियोंके घर गया था, पर उसने कहा कि उस दिन मैं सावरकरसे नहीं मिला।

१०. गोडसेने १७ जनवरीको आपटेके साथ तात्यारावके अन्तिम दर्शन करने सावरकर-भवन जानेकी तथा सावरकरके इस कथनको कि 'जाओ सफल होकर वापस आओ' झूठ बताया।

११. गोडसेने परिवर्तित नामोंसे आपटेके साथ हवाई जहाजमें सफर करना स्वीकार किया, किन्तु इस बातसे इन्कार किया कि आपटेने मेरी उपस्थितिमें दादा महाराजसे कहा—'प्रतीक्षा करो और देखो कि हम क्या करते हैं।' उसने कहा कि नाम-परिवर्तनकी बात आपटेने मुझे अदालतमें बतायी।

१२. गोडसेने यह स्वीकार किया कि वे कल्पित नामोंसे १७ और २०

जनवरीके बीच मेरीना होटलमें ठहरे थे और उन्होंने धोबीको अर्जेण्ट धोनेके लिए कपड़े भी दिये थे।

१३. गोडसेने आपटे और करकरेके साथ १९ जनवरीको नयी दिल्लीके हिन्दू महासभा-भवनमें जाकर बडगे और मदनलालसे मिलनेके कथनका प्रतिवाद किया।

१४. गोडसेने इस बातसे इनकार किया कि २० जनवरीको गोपाल गोडसेने मेरीना होटलमें उसके सामने रिवाल्वरकी मरम्मत की, और आपटे, करकरे, बडगे और मदनलालने बारूदी रूईके टुकड़ोंको फिट किया। उसने इस बातसे भी इनकार किया कि उसने बडगेको यह कहा हो कि 'यह हमारा अन्तिम अवसर है, इसलिए ध्यानपूर्वक प्रत्येक चीजको फिट करना'। गोडसेने कहा कि उस दिन मुझे सिर-दर्द था और कहीं बाहर नहीं गया। बडगे और आपटे प्रार्थना-स्थलपर प्रदर्शन करनेकी बात कह रहे थे। मैंने उनसे कहा कि दूसरे कमरेमें जाकर बातें करो, मेरे सिरमें दर्द हो रहा है और मैं अकेला रहना चाहता हूँ।

१५. गोडसेने उनको हथियार बाँटनेसे इनकार किया और कहा कि यह सच नहीं है कि यह तै हुआ हो कि मैं और आपटे तो संकेत करेंगे, मदनलाल विस्फोट करेगा और शेष गान्धीजीपर गोला बारूद फेंकेंगे।

१६. गोडसेने कहा कि २० जनवरीको मैं प्रार्थना-स्थलपर नहीं गया। और न मुझे यह मालूम है कि वहाँ क्या हुआ और क्या नहीं।

१७-१८. न्यायाधीशके १७ वें और १८ वें प्रश्नके उत्तरमें भी गोडसेने यही कहा कि मैं २० जनवरीको प्रार्थना-स्थलपर उपस्थित ही नहीं था।

१९. गोडसेने कहा कि न तो मैं आपटेके साथ बडगेसे मिलने हिन्दू महासभा-भवन गया और न बडगेने हमें यह कहा कि 'निकल जाओ—मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं।'

२०. गोडसेने यह स्वीकार किया कि २० जनवरीकी रातको मैं पहले दर्जेमें बैठकर रेलगाड़ीसे कानपुर गया था और २१ जनवरीको स्टेशनपर ठहरनेके लिए मैंने एक कमरा रिजर्व कराया था।

२१. गोडसेने स्वीकार किया कि २४ जनवरीसे २७ जनवरीतक मैं

आपटेके साथ बम्बईके एल्फिंस्टन एनेक्सी होटलमें ठहरा था किन्तु कहा कि वहाँपर गोपाल और करकरे मुझसे मिलने नहीं आये थे।

२२. गोडसेने यह स्वीकार किया कि २५ जनवरीको एयर इण्डिया लिमिटेडमें मैंने दो सीट रिज़र्व करायी थीं और आपटे और मैं कल्पित नामोंसे उसके विमानमें २७ जनवरीको बैठकर दिल्ली आये।

२३. गोडसेने यह मान लिया कि मैं २६ जनवरीको आपटेके साथ माता-मन्दिर गया था, किन्तु कहा कि मैंने दादा महाराजसे रिवाल्वरकी माँग नहीं की। उसने कहा कि मैं वहाँपर सिर्फ दीक्षित महाराजसे मिलने गया था, जो उस समय बीमार पड़े थे। वहाँपर जो बातचीत हुई वह हैदराबादकी सीमापर होनेवाले अत्याचारोंको रोकनेके लिए हथियार और गोला बारूद जमा करनेके विषयमें हुई थी।

२५. गोडसेने कहा कि २७ जनवरीको नारायणराव और विनायकराव इन प्रच्छन्न नामोंसे हवाई जहाज द्वारा बम्बईसे दिल्ली आनेके बाद २७ जनवरीको रातको मैं और आपटे ग्वालियर चले गये। वहाँ सवेरे पहुँचे और स्टेशनके पासकी एक धर्मशालामें ही ठहर गये।

२६. गोडसेने यह भी स्वीकार किया कि २८ जनवरीको सवेरे ७॥ बजे और शामको ४ बजे हम डा० परचुरेके घरमें थे, किन्तु यह बात सच नहीं है कि वहाँसे जो पिस्तौल प्राप्त की गयी बतायी जाती है वह गोयलकी थी या दण्डवतेके द्वारा गोयलसे मैंने प्राप्त की थी।

२७. गोडसेने स्वीकार किया कि २९ जनवरीको विनायकरावके कल्पित नामसे दिल्ली रेलवे स्टेशनपर २४ घण्टेके लिए मैंने एक कमरा लिया था, किन्तु अपने साथ आपटे और करकरेके भी मौजूद होनेसे इनकार किया। उसने कहा कि आपटे और करकरेको मैंने २९ या ३० जनवरीको नहीं देखा। आपटे मुझसे ग्वालियरसे ही अलग हो गया था।

२८. गोडसेने स्वीकार किया कि गान्धीजीपर मैंने ३ गोलियाँ चलायीं। उसने गान्धीजीको मारनेसे पूर्व और मारनेके कुछ मिनट बादतककी अपनी मनोदशाका स्पष्ट चित्रण उपस्थित किया।

गोडसेने कहा कि महात्माजी जैसे ही चबूतरेके समीप आ रहे थे मैं उनके सामने कूद कर आया। मेरा विचार था कि गान्धीजीको मैं इस तरह मारूँ कि

किसी दूसरे व्यक्तिको चोट न लगे। अपनी हथेलीमें पिस्तौल छिपाकर मैंने नमस्कार किया। मैंने सेफ्टीकैच हटा दिया था। मेरा ख्याल था कि मैंने दो फायर किया है, केवल पुलिससे मालूम हुआ कि मैंने ३ वार फायर किया। मैं उत्तेजित हो गया और पुलिस! पुलिस!! चिल्लाया। फायर करनेके बाद लोग मुझे एकदम स्तब्ध दिखायी पड़े। मुझे याद है कि पहले मुझे पुलिसके एक सिपाहीने पकड़ा। बादमें दूसरा भी आ गया। बादमें किसीने मेरे हाथसे पिस्तौल ले ली।

गोडसेने कहा कि एक आदमीने पीछेसे मेरे सिरके पिछले भागपर वार किये और मेरे खून निकल आया। मैंने उससे कह दिया कि मैं जो कुछ करना चाहता था, कर चुका। उसके लिए मुझे कोई पश्चात्ताप भी नहीं है।

गोडसेने आगे कहा कि जिस व्यक्तिने मेरे हाथसे पिस्तौल छीनी थी उसे मैंने चेतावनी दे दी थी कि मैंने इसका सेफ्टीकैच हटा रखा है और यह ओटोमेटिक है, कहीं किसी दूसरेके चोट न लग जाय। उस आदमीने मेरी ओर घूमकर कहा कि मैं तुम्हें शूट कर दूँगा। मैंने कहा—कर दो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। दो घण्टे बाद मैंने अपने हृदय और नाड़ीकी परीक्षा करायी।

अंतमें गोडसेने कहा कि गान्धीजी अवश्य ही उस पिस्तौलकी गोलियोंसे ही मरे होंगे।

१० नवम्बर—गोडसेके साथ जिरह जारी

आज न्यायाधीश आत्माचरणके और प्रश्नोंका उत्तर देते हुए मुख्य अभियुक्त गोडसेने कहा कि २० जनवरी १९४८ को मेरीना होटलमें ४० नम्बरके कमरेमें मैंने करकरे और शंकरके साथ चाय नहीं पी। न हमें शराब दी गयी। मेरीना होटलमें करकरे मुझसे मिला ही नहीं। मैंने अपने जीवनमें चाय कभी पी ही नहीं, हाँ कभी-कभी काफी जरूर पी है।

शिनाख्त परेडका उल्लेख करते हुए गोडसेने कहा कि शिनाख्त परेडसे पूर्व मैं कुछ गवाहोंको दिखाया गया। टैक्सी ड्राइवर सुरजीतसिंहने तुगलक रोडके थानेमें मुझे दो बार देखा। एक बार वह मेरी कोठरीके पास ही खड़ा-खड़ा मुझे देख रहा था।

गोडसेने कहा कि दिल्लीके विशेष मजिस्ट्रेटने इस बातकी मेरी कोई

शिकायत इसलिए नहीं की कि मैंने अपराध स्वीकार कर लेनेका निश्चय कर लिया था, किन्तु मुझे स्वप्नमें भी ख्याल नहीं था कि षड्यन्त्र करनेका भी अभियोग लगाया जायगा।

गोडसेने कहा कि बम्बईकी खुफिया पुलिसके दफ्तरमें जहाँ मैं और दूसरे लोग रखे गये थे अनेक लोग आते-जाते थे। मुझे याद है कि मधुकर काले और जानू गवाहोंने मुझे शिनाख्त परेडसे पहले देखा था।

गोडसेने यह स्वीकार किया कि तुगलक रोडके थानेमें उसकी कोठरीके दरवाजेपर सदैव एक कम्बल लटका रहता था और जब बड़े पुलिस अफसर आते थे, तो उसे आधा या पूरा लपेट दिया जाता था। गोडसेने शिकायत की कि वह कोठरी बहुत छोटी थी।

गोडसेके हस्तलेख और हस्ताक्षरके कागज दिखाये गये। गोडसेने कहा कि ये मेरे ही हैं। गोडसेने यह भी कहा कि बम्बईके खुफिया पुलिसके दफ्तरमें जब मुझसे मराठीमें लिखनेको कहा गया था, तो पुलिसने मुझे विशेष निर्देश दिया था कि मैं अक्षरोंके ऊपरकी लाइन अवश्य दूँ।

गोडसेने कहा कि जिन ४ व्यक्तियोंने २० जनवरीकी शामको मेरे प्रार्थना-स्थलपर उपस्थित होनेकी गवाही दी है उन्होंने यह पुलिसके दबावमें आकर किया होगा। इसी प्रकारकी शिकायत मुझे एक ग्वालियरके गवाहके विषयमें भी है।

दादा महाराज और दीक्षित महाराज द्वारा अपने विरुद्ध दी गयी गवाहीके विषयमें गोडसेने कहा कि हो सकता है कि यह गवाही उन्होंने इस भयसे दी हो कि कहीं इस मामलेमें पुलिस उन्हें भी न फँसा ले।

बडगेकी गवाहीके विषयमें गोडसेने कहा कि बडगे हथियार और गोला-बारूदका व्यापार करता था। मैं यह सब कुछ जानता था। एक दो अवसरोंपर उसने मुझे हथियार और गोला-बारूद भी दिये, जो मैंने हैदराबाद रियासतके मामलेमें दे दिये। फिर बडगे मुझसे १००) से कमकी रकमें बार बार माँगने लगा, तो एक धोखा-सा मुझे प्रतीत हुआ।

जब बडगे गिरफ्तार हो गया, तो बम्बईमें उसे पुलिसने बहुत सताया।

महात्मा गान्धीकी हत्याके बाद महाराष्ट्रमें ब्राह्मणोंके विरुद्ध सार्वत्रिक विद्वेष फैल गया। बडगे ब्राह्मण नहीं है।

मेरा ख्याल है कि इन्हीं कारणोंसे बडगेने मेरे विरुद्ध गवाही दी होगी।

गोडसेने यह स्वीकार किया कि ३० जनवरीको मैंने अपना फोटो खिंचवाकर आपटेको भेजा था——इससे पूर्व मैंने छापनेके लिए कभी किसीको अपना फोटो नहीं लेने दिया था।

१० नवम्बर—आपटे का वक्तव्य

'मैं दोषी नहीं हूँ—३० को मैं दिल्लीमें नहीं था'

दूसरे अभियुक्त नारायण दत्तात्रेय आपटेने अदालतमें आज अपना २२ पृष्ठका वक्तव्य पढ़ा, जिसमें उसने कहा—मैं निर्दोष हूँ, हत्याके समय मैं घटनास्थलपर उपस्थित नहीं था और गान्धीजीकी हत्यामें नथूराम गोडसेको सहायता देने या उकसानेका जो दोष मुझपर लगाया गया है, उससे मैं सर्वथा अनभिज्ञ हूँ।

आपटेने कहा कि मेरे विरुद्ध मुकदमा बनानेके लिए काफी गवाही इकट्ठा की गयी है और गवाहोंको इसके लिए तैयार किया गया है। उसने आगे कहा कि जब मैंने दिल्लीमें हिन्दू महासभा-भवनके पीछेका स्थान पुलिसको बताया और ग्वालियरमें डा० परचुरेका घर दिखाया तो मैं पूरी तरह पुलिसके कब्जेमें और उसकी दयापर निर्भर था। पुलिस जो चाहती थी, वह मुझे मारने और मेरे परिवारको सतानेका डर दिखाकर मुझसे कहला या करवा लेती थी।

आपटे बम्बई विश्वविद्यालयका विज्ञान और अध्यापनका स्नातक है। अहमदनगरके अमरीकन मिशन हाईस्कूलमें वह ७ वर्ष तक अध्यापक रहा है। एक साल तक भारतीय हवाई सेनामें आपटेको किंग कमीशन प्राप्त रहा है। सन् १९४२ से लड़ाई समाप्त होने तक वह सहायक टेकनिकल रिक्रूटिंग अफसर रहा।

आपटेने कहा कि मैं हिन्दूधर्मी होनेका अभिमान करता हूँ। हिन्दू जातिको संघटित और शक्तिशाली होना चाहिये, जिससे उसकी महान् और उज्ज्वल संस्कृति सुरक्षित रहे और फले फूले। मेरा विश्वास है कि गान्धीजीकी पूर्ण अहिंसा हिन्दू समाजके सर्वतोमुखी उत्थानके लिए घातक है।

हिन्दू नेताओंके राजनीतिक विचारोंके प्रचारके लिए आपटे और नथूराम

गोडसेने 'अग्रणी' अखबार निकाला। समय समयपर गान्धीजी और कांग्रेसके विचारों और कार्योंके विरुद्ध जिन्हें हम भारत और विशेषकर हिन्दू जातिके लिए अत्यन्त विनाशकारी समझते थे, प्रार्थनासभामें प्रदर्शन किया करते थे।

आपटेने इसके बाद कहा कि जब मुझे यह मालूम हुआ कि गान्धीजीके उपवाससे बाध्य होकर भारत सरकारको पाकिस्तानको ५५ करोड़ रुपया न देनेका अपना निर्णय वापस लेना पड़ा है तो मैंने नथूराम गोडसेके साथ मिलकर दिल्लीमें गान्धीजीकी प्रार्थना-सभामें एक शान्तिपूर्ण किन्तु प्रभावशाली प्रदर्शन करनेका निश्चय किया।

आपटेने यह स्वीकार किया कि २० जनवरीको मैं दिल्लीमें था। उस दिन प्रातः मैं बिड़ला-भवनमें उपस्थित था। शामको मैं प्रार्थना-स्थानमें गया था। उस समय मेरे मनमें यह ख्याल था कि मैं सबके सामने गान्धीजीसे यह पूछूँगा कि भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानको ५५ करोड़ रुपया एक बार रोककर पुनः दे देनेमें आपका कितना हाथ है। उस समय माइक्रोफोन ठीक काम नहीं कर रहा था, इसलिए जिस तरहसे मैं प्रदर्शन करना चाहता था, उस तरह प्रदर्शन कर सकना मुझे असम्भव मालूम हुआ।

यह बात सच है कि मैं १५ जनवरीको बडगेसे मिला था। बडगेने दिल्लीमें प्रदर्शनके लिए अपने आपको प्रस्तुत किया। मैंने बडगेको अपने साथ किसी प्रकारका गोला-बारूद ले चलनेको मना किया, क्योंकि हम केवल शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने दिल्ली आ रहे थे, किन्तु बडगे अपने साथ गोला-बारूद ले आया और उसने वह कुछ शरणार्थियोंको दिया, जिनमें मदनलाल भी शामिल था।

आपटेने आगे कहा कि जब मैंने बडगेसे मदनलालकी गिरफ्तारीका हाल सुना, तो मैं दिल्लीसे बम्बई चला गया। वहाँ मैं गोडसेसे मिला और हम दोनोंने दिल्लीमें फिर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करनेका निश्चय किया। बम्बईसे स्वयंसेवक ले जानेके लिए पर्याप्त धन न होनेके कारण हम इस प्रदर्शनके लिए डा० परचुरेके स्वयंसेवक प्राप्त करने ग्वालियर उसके घरपर गये। किन्तु डा० परचुरे इस कार्यमें हमारी कोई विशेष मदद नहीं कर सके क्योंकि उनके अधिकांश स्वयंसेवक या तो पकड़े जा चुके थे, या छिप गये थे।

इसपर नथूराम गोडसेने मुझसे कहा कि बम्बई जाओ और दिल्लीके प्रद-

र्शनके लिए कमसे कम कुछ स्वयंसेवक वहींसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करो। फलतः मैं २८ जनवरीको बम्बई चला गया और गोडसे दिल्ली चला गया।

इसके बाद आपटेने कहा कि ३० जनवरीको मैं बम्बई पहुँचा और प्रस्तावित प्रदर्शनके लिए कोश और स्वयंसेवकोंकी खोजमें इधर उधर घूमता रहा। उस दिन शामको मैंने गान्धीजीकी हत्या और नथूराम गोडसेकी गिरफ्तारीका समाचार सुना।

आपटेने कहा कि यह खबर सुनते ही मैंने तुरन्त दिल्ली जानेका निश्चय किया, किन्तु यह सोचकर रुक गया कि पुलिस गोडसेका मित्र होनेके नाते मुझे तुरन्त गिरफ्तार कर लेगी।

आपटेने कहा—यह झूठ है कि मैंने १५ जनवरीको बडगेसे यह कहा हो कि सावरकरका निश्चय है कि महात्मा गान्धी, पं० जवाहरलाल नेहरू और सुहरावर्दीको खतम कर दिया जाय और यह कार्य उन्होंने हमें सौंपा है। यह सब मनगढ़न्त बात है।

सबूत पक्षने जो यह सिद्ध करनेका निश्चय किया है कि मेरी गिरफ्तारीके समय मेरे पाससे जो टिकट बरामद हुए थे, वे स्टेशनपर इकट्ठे किये जा चुके थे और बादमें चुरा लिये गये थे। यह एक ऐसा प्रयत्न है जो सबूत-पक्षको कोई सुराग नहीं देता। यह गवाही मनगढ़न्त है।

आपटेने यह स्वीकार किया कि मदनलालके पास जो कोट मिला था, वह मेरा था, किन्तु दिसम्बर १९४७ में मैंने एक सूट चेम्बूर शरणार्थी कैम्पको उपहार दिया था। शरणार्थियोंके प्रति मेरे दिलमें सहानुभूति थी, इसलिए मैंने अपना सूट कैम्पको दे दिया है। मुझे नहीं मालूम कि मेरा सूट पुलिसको कहाँ और कैसे मिला। यह निश्चित है कि यह मेरे पास या मेरे घरसे बरामद नहीं हुआ।

अन्तमें उसने कहा कि सबूत-पक्ष मेरे विरुद्ध कोई अभियोग सिद्ध नहीं कर सका है। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दिया जाना चाहिये।

११ नवम्बर—आपटेसे प्रश्न

आज आपटेने न्यायाधीश श्री आत्माचरणके प्रश्नोंका उत्तर दिया।

आपटेने कहा कि मैं बडगेको ४ सालसे जानता हूँ। आपटेने यह स्वीकार किया कि हैदराबाद संघर्षके लिए बडगेने मुझे हथियार और गोला-

बारूद दिये थे, किन्तु मैंने उससे कोई स्टेनगन नहीं खरीदी। नवम्बर सन् १९-४७ से जनवरी १९४८ के बीच मैं बडगेसे नहीं मिला।

आपटेने कहा कि यह कहना झूठ है कि १० जनवरी १९४८ को मैं बडगे-को 'हिन्दू राष्ट्र' आफिस ले गया और उससे १४ जनवरीको दादरके हिन्दू महासभा-भवनके कार्यालयमें बारूदी रूईके दो टुकड़े और ५ हथगोले देनेके लिए कहा।

आपटेने यह स्वीकार किया कि नथूराम गोडसेने उसकी और गोपाल गोडसेकी पत्नीके नाम अपनी दो बीमा पालिसियाँ की थीं, जिनपर उसकी साक्षी थी।

आपटेने कहा कि यह सच है कि १४ जनवरी १९४८ को कुमारी शान्ता भास्कर मोडक, नथूराम गोडसे और मैं पूनासे बम्बई गये थे और कुमारी मोडक हमें सावरकर-सदन ले गयी थीं। सावरकरके घरके सामने केलकरके घरपर हम गये और बादमें एक होटलमें चले गये। उस दिन रातको हम बडगेसे नहीं मिले।

अगले प्रश्नका उत्तर देते हुए आपटेने कहा कि यह गवाही झूठ है कि नथू-राम गोडसे, शंकर और बडगेके साथ मैं दीक्षित महाराजके घर गया था और बडगे वहाँपर एक थैलेमें हथियार और गोला-बारूद लाया था, जिसके लिए गोडसे-ने ५०) बडगेको दिये थे।

आपटेने कहा कि १५ जनवरी १९४८ को सबेरे दादरके हिन्दू महासभा-भवनके कार्यालयमें मैं बडगेसे मिला था, मदनलाल और करकरेसे नहीं, जैसा कि सबूतकी गवाहीमें कहा गया है। उसने बडगेकी इस गवाहीका भी खण्डन किया कि सावरकरने महात्मा गान्धी, पं० नेहरू और सुहरावर्दीको खतम करने-का आदेश दिया था। आपटेने इस बातसे भी इन्कार किया कि उसने दीक्षित महाराजसे रिवाल्वरके लिए बातचीत की। उसने कहा कि मेरी समझमें नहीं आता कि मैं ऐसे व्यक्तिसे रिवाल्वर जैसी चीज क्यों माँगूँगा जिसके साथ केवल मेरा परिचय है और किसी प्रकारकी घनिष्ठता नहीं।

आपटेने स्वीकार किया कि गोडसे और वह १७ जनवरी १९४८ को एयर इण्डिया हवाई सर्विसके विमानमें बैठकर बम्बईसे दिल्ली आया था। हमने मराठे और करमरकर ये कल्पित नाम रख लिये।

नाम बदलनेका कारण बतलाते हुए आपटेने कहा कि मैं १७ जनवरीको

दिल्लीके लिए दो सीट रिजर्व कराने एयर इण्डियाके कार्यालयमें गया था। वहाँ मुझे एक आदमी मिला जिसने १७ जनवरीके ही दो टिकट ले रखे थे। वह उन्हें रद्द कराना चाहता था। उसने मुझसे पूछा कि क्या आप इन टिकटोंको ले लेंगे? मैंने वे टिकट ले लिये। यही कारण था जिससे हमें कल्पित नामोंसे सफर करना पड़ा। किन्तु अगर मैं स्वयं कार्यालयमें टिकट खरीदने जाता तो भी मैं कल्पित नामोंसे ही उन्हें खरीदता। इसका कारण यह था कि 'हिन्दू राष्ट्र' के सम्पादकीय लेख अधिकाधिक उग्र होते चले जा रहे थे और सरकारने हमें यह धमकी दी थी कि यदि हमने साम्प्रदायिक कलह और हिंसाको उकसानेवाला कोई भी लेख लिखा, तो हमपर मुकदमा चलाया जायेगा।

आपटेने कहा कि १७ जनवरीको सवेरे गोडसे और मैं विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, बम्बईपर बडगेसे मिला। इसके बाद धन जमा करनेके लिए टैक्सीपर बैठकर हम जहाँ तहाँ गये। आपटेने उस गवाहीको झूठा बताया कि वह और उसके साथी सावरकरके अन्तिम दर्शन करने उनके घर गये थे।

अन्य प्रश्नोंके उत्तर देते हुए आपटेने स्वीकार किया कि दादा महाराज अहमदाबाद तक बम्बईसे गोडसे और मेरे साथ आये थे और गोडसे और मैं १७ जनवरी से २० जनवरी तक एम. देशपाण्डे और एस. देशपाण्डेके कल्पित नामोंसे मेरीना होटलमें रहे थे। इन दिनों करकरे, मदनलाल और गोपाल गोडसेसे मिलनेके कथनका आपटेने प्रतिवाद किया।

आपटेने आगे कहा कि २० जनवरीको सवेरे बडगे हमारे पास आया और मैंने शामको यह देखनेके लिए उसे बिड़ला-भवनके प्रार्थना-स्थलपर जानेके लिए कहा कि कोई प्रदर्शन किया जा सकता है या नहीं। दिल्लीमें रहते हुए हम अनेक शरणार्थी कैम्पोंमें गये और हमने २०-२५ शरणार्थी प्रदर्शनके लिए तैयार भी कर लिये जिन्होंने २०-२१ जनवरीको प्रदर्शनमें शामिल होनेका वचन दिया।

आपटेने सबूत पक्षके इस कथनसे इन्कार किया कि मैं २० जनवरीको सवेरे प्रार्थना-स्थलपर गया था, या मैंने हिन्दू महासभा-भवनके पीछेके जंगलमें रिवाल्वर चलानेका अभ्यास किया और बिड़लाभवन जानेसे पूर्व २० जनवरीको होटलमें कुछ व्यक्तियोंसे बात की थी।

२० जनवरीको उसने प्रदर्शन करनेका विचार क्यों छोड़ दिया, यह बताते

हुए आपटेने कहा कि शामको ४॥ बजे बिड़लाभवनके लिए चला था, रास्तेमें मुझे शंकर और बडगे मिले, उन्हें मैंने टैक्सीमें बैठा लिया। नथूराम गोडसे मेरीना होटलमें ही रहा, क्योंकि उसके सिरमें बहुत जोरका दर्द था।

प्रार्थना स्थलपर जाकर मैंने देखा कि यहाँ तो कोई शरणार्थी प्रदर्शनके लिए नहीं आया। माइक्रोफोन खराब हो गया था। मैंने सोचा कि ऐसे अवसरपर तो गोडसेको जरूर उपस्थित होना चाहिये था।

इसलिए शंकरके साथ मैं मेरीना होटल लौट आया। बडगे अपनी इच्छा-से ही वहाँ रह गया। होटलमें आकर गोडसेको मैंने सारी घटना सुनायी।

यह झूठ है कि उस दिन रातको मैं हिन्दू महासभा-भवनमें बडगेसे मिला। बडगे प्रार्थना-स्थलसे मेरीना होटल आया और उसने विस्फोटकी घटना सुनायी। आपटेने कहा कि बडगे बड़ा विचित्र और चिन्तित मालूम पड़ता था, क्योंकि उसने मदनलालको बारूदी रुईका टुकड़ा दिया था, और उसके प्रार्थना-स्थलपर विस्फोट करनेसे वह गिरफ्तार कर लिया गया था। मैंने इस बातपर खेद प्रकट किया कि मेरे मना करनेके बावजूद बडगे दिल्लीमें गोला-बारूद ले आया था। बडगेने तुरन्त ही पूना जानेकी इच्छा प्रकट की।

आपटेने कहा—हमने सोचा कि मदनलाल कह देगा कि मुझे बडगेने गोला-बारूद दिया और बडगे हमारा नाम कह देगा इसलिए हमारा अब दिल्लीमें रहना खतरनाक होगा।

१२ नवम्बर

जज श्री आत्माचरणके और प्रश्नोंका उत्तर देते हुए आपटेने आज अदा-लतमें यह स्वीकार किया कि २० जनवरीकी रातको हम पहले दर्जेके डिब्बेमें बैठकर कानपुर गये थे और वहाँ अगले दिन रहनेके लिए स्टेशनपर हमने एक कमरा लिया था।

आपटेने यह भी स्वीकार किया कि २३ जनवरीकी रातको गोडसे और मैं बम्बईके आर्यपथिकाश्रममें और अगले दिन एल्फिंस्टन (एनेक्सी) होटलमें रहे थे।

आपटेने कहा—यह कहना झूठ है कि २५ जनवरीको मैं और गोडसे जी. एम. जोशीके घर गये थे और वहाँपर हम करकरे और गोपाल गोडसेसे

मिले थे। असलमें एल्फिंस्टन होटलमें उसी समय गोविन्द मालेकरने मुझे देखा था। मैं गोपाल गोडसेसे वहाँ नहीं मिला।

आपटेने यह स्वीकार किया कि दिल्ली आनेके लिए मैंने और गोडसेने बम्बईमें २५ जनवरीको २७ तारीखके लिए डी० नारायणराव और एन० विनायकरावके कल्पित नामोंसे २ टिकट रिजर्व कराये थे।

आपटेने स्वीकार किया कि मैं २६ जनवरीको माता मन्दिर गया था, किन्तु कहा कि मैंने दादा महाराज या दीक्षित महाराजसे कोई रिवाल्वर नहीं माँगा।

अगले प्रश्नके उत्तरमें आपटेने कहा कि मैं और गोडसे एयर इण्डियाके हवाई जहाजसे २७ जनवरीको १ बजे दिल्ली पहुँच गये थे। तीसरे पहर हम कुछ शरणार्थी कैम्पोंमें गये और रातको ग्वालियर चले गये।

ग्वालियरमें हम स्टेशनके सामनेकी श्रीकृष्ण धर्मशालामें ठहरे। ग्वालियरमें हम परीवा, गोयल या कालेसे नहीं मिले।

आपटेने कहा कि सबूत पक्षके लिए यह सिद्ध करना कि ग्वालियर हम पिस्तौल लेने गये थे, एक बेहूदी बात है। वस्तुतः अगर हमें उसकी जरूरत होती तो हम वह पूना या बम्बईसे ही आसानीसे प्राप्त कर सकते थे।

ग्वालियर आनेका हमारा उद्देश्य केवल दिल्लीमें प्रदर्शनके लिए स्वयं-सेवक प्राप्त करना था। हम अपनी गिरफ्तारीसे पूर्व, प्रदर्शन करनेके लिए बहुत ही उत्सुक थे और हमें अपनी गिरफ्तारीका डर इसलिए था कि अगर बम-विस्फोटके मामलेमें बड़गे पकड़ा गया, तो वह अनायास ही हमारा भी नाम ले लेता।

विरोध-प्रदर्शनके विषयमें मैंने डा० परचुरेसे मिलनेका बम्बईमें ही निश्चय कर लिया था, क्योंकि परचुरे अपने स्वयंसेवकोंसे मोतीमहलमें प्रदर्शन करा चुका था। ग्वालियरमें हमें सफलता नहीं मिली, इसलिए हमने फिर बम्बई जानेका निश्चय किया किन्तु गोडसेने कहा कि तुम बम्बई जाओ और मैं दिल्ली जाता हूँ, अलग अलग स्थानोंसे स्वयंसेवक जमा करनेका प्रयत्न करना अच्छा होगा।

आपटेने सबूतकी इस गवाहीको झूठा बताया कि दिल्ली स्टेशनके बुकिंग आफिसके पास २९ जनवरीको वह गोडसेके साथ देखा गया था और अगले दिन स्टेशनके विश्राम गृहमें गोडसे और करकरेके साथ उसे किसीने देखा था।

आपटेने अपने उत्तर जारी रखते हुए कहा कि मैं २८ जनवरीको ग्वालियरसे चल पड़ा था। अगले दिन सवेरे इटारसीमें बम्बईके लिए गाड़ी बदली। ३० जनवरीको मैं बम्बई पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही प्रदर्शनके सम्बन्धमें मैं चेम्बूर शरणार्थी कैम्प गया। उस दिन रातको मैंने पूना जानेका निश्चय किया किन्तु विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशनपर मुझे मालूम हुआ कि नथूराम गोडसेने गान्धीजीकी हत्या कर दी है। सब जगह भारी हल-चल मची हुई थी इसलिए मैंने स्टेशनपर ही रहना अच्छा समझा!

आपटेने कहा कि अगले दिन सवेरे मैं विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशनपर करकरेसे मिला। मैंने नथूराम गोडसेके बचावके लिए श्रीमती मनोरमा सालवेके द्वारा हिन्दू महासभाके दिल्ली कार्यालयको तार भेजनेकी व्यवस्था की थी। मैं एक वकीलसे मिला जिसने मुझे सलाह दी कि अभी दिल्ली जानेसे कोई लाभ नहीं है। शामको मैं श्री जमनादास मेहतासे मिला।

और प्रश्नोंके उत्तर देते हुए आपटेने कहा कि मैं ३१ जनवरी और १ फरवरी १९४८ को चेम्बूर शरणार्थी कैम्पमें ठहरा था। २ फरवरीसे ३ फरवरी तक मैं सी ग्रीन होटलमें रहा। ३ फरवरीसे ५ फरवरी तक मैं एल्फिंस्टन होटलमें रहा। वह होटल मैंने इसलिए नहीं छोड़ा कि पुलिस मेरी तलाशमें है।

आपटेने कहा कि ५ फरवरी १९४८ से १३ फरवरी १९४८ तक मैं जी० एम० जोशीके घरपर रहा। इस अरसेमें करकरे मुझसे ४ बार मिला। ८ और १० फरवरीके बीचमें मैं पूना गया, किन्तु तुरन्त ही मैंने अपनी गिरफ्तारीका खतरा देखकर पूना छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ सब यह जानते थे कि गोडसेसे मेरा सम्बन्ध है।

आपटेने कहा--यह सच है कि १३ फरवरीको मैं और करकरे आर० विष्णु और एन० काशीनाथके कल्पित नामोंसे पार्क्स अपोलो होटलमें ठहरे थे।

बम्बईके उपनगरोंके टिकटोंके विषयमें, जो कि गिरफ्तारीके समय बरामद हुए थे, आपटेने कहा कि उन दिनों मैंने सफर किया था।

आपटेने सबूतकी इस गवाहीका खण्डन किया कि बम्बईकी खुफिया पुलिसके कार्यालयमें मेरा पैण्ट मिला था। उसने कहा कि पुलिस मेरे कमरेमें एक ट्रंक लायी थी और उसने मुझे दो चाभियाँ दीं। पुलिसने मुझसे उस ट्रंकमेंसे पैण्ट निकालनेके लिए कहा। मुझे नहीं मालूम कि मेरा पैण्ट उसमें कैसे आ गया।

यह बताते हुए कि दिल्ली और ग्वालियरमें उसे कुछ जगहें कैसे दिखानी पड़ीं, आपटेने कहा मेरी गिरफ्तारीके बाद पुलिसने मुझे और मेरे परिवारको सतानेकी धमकी देकर सब कुछ अपने इच्छानुसार करवाया।

२६ मार्चको सवेरे पुलिस मुझे हिन्दू महासभा-कार्यालयके पीछेके जंगलमें ले गयी। पुलिसने मुझे वहाँपर एक वृक्ष दिखाया और कहा कि जब पंच आयें, तो मैं उनको वह पेड़ दिखाऊँ।

लगभग २ बजे पंच आये। मैंने उनसे कहा, आइये जंगलमें चलें। करकरे समेत हम सब हिन्दू महासभाके पीछेके जंगलमें गये। तब मैंने उस पेड़की ओर इशारा कर दिया, जिसे पुलिसने मुझे सवेरे दिखाया था।

जब मैं दिल्ली लाया गया था, उससे पूर्व खुफिया पुलिसके आफिसमें करकरे और गोपाल गोडसेसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें पुलिसके इच्छानुसार ही कार्य करना चाहिये, अन्यथा पुलिस तुम्हें भी उसी तरह सतायेगी, जिस प्रकार उसने हमें सताया है।

मैं जब ग्वालियरमें डा० परचुरेके घर ले जाया गया तब पुलिसने हम सबको मकानके पिछवाड़े जानेके लिए कहा। मुझे पता नहीं था कि पीछे कैसे जाया जाये, मैं बाईं तरफ मुड़ गया, पुलिसने मुझसे दायीं तरफ मुड़नेके लिए कहा। उस स्थानपर मैं गोली चलानेका अभ्यास करनेसे इन्कार करता हूँ।

१२ नवम्बर—हत्यामें ब्रिटिश और रूसी षड्यन्त्र !!

आज न्यायाधीश श्री आत्माचरणने आपटेके साथ जिरह जारी रखी।

आपटेने कहा कि मैं नथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, सावरकर, करकरे और बडगेको १७ जनवरीसे पहले ही जानता था। शंकर किस्तय्याके साथ मेरी दिल्लीमें जान पहचान हुई। मदनलालको मैं बिलकुल ही नहीं जानता था।

आपटेने कहा कि दिल्ली और बम्बईकी शिनाख्त परेडोंके विषयमें मुझे और तो कुछ नहीं कहना है। केवल यही कहना चाहता हूँ कि शिनाख्तसे पहले मैं गवाहोंको भली भाँति दिखा दिया गया था। बम्बईके चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट श्री ब्राउनके विरुद्ध मुझे कोई शिकायत नहीं है।

आपटेको उसके हस्तलेखके नमूने और रजिस्टरका दर्जनामा दिखाया गया। उसने स्वीकार किया कि वे मेरे ही हैं।

जजने आपटेसे पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि सबूतके गवाहोंने तुम्हारे विरुद्ध गवाही क्यों दी ? आपटेने कहा कि कुछ तो गवाह नकली बनाये गये थे। कुछने पुलिसके डरसे और कुछने इस डरसे कि कहीं हमें भी अभियोगमें न फाँस लिया जाय, मेरे विरुद्ध गवाही दी है।

अन्तमें आपटेने कहा कि २० जनवरी और ३० जनवरीकी घटनाएँ अलग अलग थीं। पहली घटनाके बाद भी मुझे स्वप्नमें भी यह ख्याल नहीं था कि गान्धीजीको मार डालनेके लिए कोई षडयन्त्र चल रहा है।

आपटेने कहा कि पुलिसने यह जाननेके लिए कि इसमें कोई अन्तरराष्ट्रिय षड़यन्त्र तो नहीं है मुझे कागज दिखाये थे। उसको इस हत्यामें ब्रिटेन और रूसका हाथ होनेका सन्देह था। बादमें उसे पता लगा कि उसका ख्याल सर्वथा मिथ्या था।

इसके बाद आपटेने कहा कि पुलिसने इस मामलेमें अन्तर्प्रान्तीय या अन्त-रियासती षड़यन्त्रकी खोज की। हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके कार्यकर्त्ताओंकी आम गिरफ्तारियाँ हुईं। पुलिसका ख्याल था कि कोई बड़ा भारी षड़यन्त्र होना चाहिये, उसके बिना गान्धीजी कत्ल किये ही नहीं जा सकते, इसलिए उसने मुकदमा बनानेके लिए इतनी गवाहियाँ प्रस्तुत की हैं।

आपटेने और कहा कि पुलिसको किसी तरह षड्यन्त्रकी बात साबित करनी थी। २० जनवरीको मैं और नथूराम साथ-साथ थे और ग्वालियर भी हम साथ-साथ गये। इसीतरह अब दो रिवाल्वर प्राप्त करनेकी बात बनानी थी। इसीलिए दादा महाराज और दीक्षित महाराज और बडगेकी गवाही तैयार की गयी। श्री नगरवालासे मेरी बात-चीत हुई थी। इसके बाद उन्हें विश्वास हो गया था कि कोई षड्यन्त्र नहीं रचा गया था। नगरवाला मुझसे हमेशा पूछते कि तुम दोनों साथ-साथ क्यों गये। मैं उन्हें हमेशा जवाब देता कि षड्यन्त्रकी बात आपके दिमागमें फजूल ही घुस गयी है। हम तो केवल प्रदर्शन करना चाहते थे। श्री पटवर्धन, श्री एस. के. पाटिल और बंगालके मनोनीत गवर्नर तथा अन्य कई व्यक्ति मुझसे हवालातमें मिलने आये और उनसे हमारी लम्बी बातचीत हुई। पुलिस जानती थी कि कोई षड्यन्त्र रचा नहीं गया था, फिर

श्री गान्धीजी जैसा बड़ा आदमी मारा गया इसलिए कोई न कोई बड़ा षड्यन्त्र अवश्य रचा गया होगा ऐसा उसका विश्वास था।

अदालतने पूछा कि क्या तुम अपनी ओरसे कोई गवाही देना चाहते हो, तो आपटेने कहा कि नहीं।

अदालतके अधिकार-क्षेत्रको चुनौती

१५ नवम्बर—करकरेका वक्तव्य

गान्धी-हत्याकाण्डके तीसरे अभियुक्त करकरेने आज अपने ३७ पृष्ठके वक्तव्यमें कहा कि मैं सर्वथा निरपराध हूँ। करकरेने कहा कि अभियोग बहुत अस्पष्ट हैं। अदालतके अधिकारको चुनौती देते हुए करकरेने कहा कि अदालतको उतने कानूनी अधिकार नहीं दिये गये हैं कि वह इन अभियोगोंपर विचार कर सके।

पुलिसका अभियोग यह है कि गान्धीजीकी हत्या करनेवालोंमें करकरे भी एक था और २० जनवरीको विस्फोटके समय और उसके बाद ३० जनवरीको गान्धीजीकी हत्याके समय भी वह घटना-स्थलपर उपस्थित था।

आपटेके समान करकरेने कहा कि मैं भी गान्धीजीकी हत्याके समय उपस्थित नहीं था और उनकी हत्यासे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं। जनवरीके चौथे सप्ताहमें मैं शरणार्थियोंकी सहायता करने चेम्बूर शरणार्थी कैम्पमें ठहरा हुआ था। इसी कार्यके लिए मैं बम्बईमें यत्र-तत्र घूमा करता था। ३० जनवरीको वहींपर मुझे लोगोंसे और अखबारसे गान्धीजीकी हत्याका समाचार ज्ञात हुआ।

करकरे बम्बई प्रान्तके रत्नागिरि गाँवमें सन् १९१० में पैदा हुआ। वह गरीब था। बचपनमें ही उसके पिताकी मृत्यु हो गयी। शुरूमें उसने यतीमखानेमें पढ़ा, बादमें पूनामें। सन् १९३५ में उसने अहमदनगरमें चायकी दुकान खोली और सन् १९३८ में वह हिन्दू महासभाका सदस्य बना। बादमें वह अहमदनगर जिला हिन्दू महासभाका सेक्रेटरी बन गया।

करकरेने कहा कि मुझे कई गवाहोंने 'सेठ' कहा यह गलत है।

करकरेने कहा कि सन् १९४५–४६ और ४७ में मैंने नोआखालीमें शरणार्थियोंकी सहायता की। मैंने वहाँ पर उनकी सहायता करनेके अतिरिक्त उनको फिर मुसलमानसे हिन्दू बनाया। पंजाबके हत्याकाण्डके बाद में अहमद-

नगर आ गया और मैंने पत्रों द्वारा बम्बई सरकारको शरणार्थी समस्याके हलके लिए कई सुझाव दिये। यह कहना गलत है कि मैंने उन्हें उपद्रवके लिए भड़काया।

मदनलालके साथ अहमदनगरमें मेरी जान-पहचान हुई। मुझे मालूम था कि मुसलमान मेरे ऊपर क्रुद्ध हैं और पुलिसकी भी आँख मेरे ऊपर लगी हुई है। जनवरीके दूसरे सप्ताहमें मैं बम्बई गया। वहाँसे अहमदनगर लौटनेपर मुझे मालूम हुआ कि सार्वजनिक सुरक्षा कानूनके अन्तर्गत पुलिस मुझे अहमदनगरमें ही नजरबन्द करनेवाली है।

करकरेने इसके बाद कहा कि मदनलाल मुझे चेम्बूर शरणार्थी कैम्पमें मिला। मुझे मदनलालका यह सुझाव पसन्द आया कि मैं गान्धीजीकी मुस्लिम पक्षपाती नीतिके विरुद्ध प्रदर्शन करनेके लिए उसके साथ दिल्ली चलूँ।

करकरेने यह स्वीकार किया कि २० जनवरीको मैं प्रार्थना-स्थलपर गया था, किन्तु विस्फोट हो चुकनेके बाद। मदनलालकी गिरफ्तारीकी खबर सुनकर मैं डर गया। मैं दिल्लीसे मथुरा चला गया और दो दिन बाद वहाँसे बम्बई। मैं दिल्ली और मथुरा गुप्त नामोंसे ठहरा था, जिसमें मेरा पता न लग जाय। बम्बईमें मैं आपटेसे मिला और १४ फरवरीको पुलिसने मुझे गिरफ्तार कर लिया।

बडगेने उसके विरुद्ध जो गवाही दी उसे इन्कार करते हुए करकरेने कहा कि बडगे झूठा, अविश्वसनीय और बहानेबाज आदमी है। उसके लिए जो कुछ भी कहा जाय वह कम है।

करकरेके विरुद्ध जिन ४५ गवाहोंने गवाहियाँ दी थीं, उनके विषयमें करकरेने कहा कि प्रत्येकने असत्य, उलटी सीधी, अतिरंजित और अविश्वसनीय गवाही दी है। मुखबिर बडगेके विषयमें इसने कहा, यह बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे आदमी हिन्दुस्तानमें पैदा हों।

नमूनेके हस्ताक्षरोंके विषयमें, जो बम्बईकी खुफिया पुलिसके कार्यालयमें लिया गया था, करकरेने कहा कि यह कानूनके आधारभूत सिद्धांतोंके विपरीत है कि पहले अभियुक्तसे हस्ताक्षर ले लिये जायँ, और फिर उसका ही अभियुक्तके विरुद्ध उपयोग किया जाय। इसलिए इस हस्तलेखका सबूत पक्षको फायदा नहीं उठाने देना चाहिये।

अपनी गिरफ्तारीके समय कुछ रेलवे टिकट बरामद होनेके विषयमें करकरे-ने सबूतके एक गवाहका उल्लेख किया जिसने कहा था कि भीड़ अधिक होनेके कारण कुछ मुसाफिर बिना टिकट दिये भी स्टेशनसे बाहर निकल जाते हैं।

शिनाख्त परेडके विषयमें करकरेने कहा कि बम्बईके चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेटने यह स्वीकार कर लिया था कि वे पहली बार ही शिनाख्त परेडका कार्य कर रहे थे। मैं न हिंदी जानता हूँ न अंग्रेजी। फिर भी श्री ब्राउनने इस बातकी परवाह न की कि जो पञ्चनामा मेरी उपस्थितिमें तैयार किया गया था वह मुझे मराठीमें सुना दिया जाता। गवाहीमें ही यह बताया गया है कि हम अभियुक्त बिना किसी विशेष कारणके इधर उधर ले जाये गये और पुलिसकी हिरासतमें हमारा फोटो भी लिया गया। ऊपर लिखी बातोंको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि शिनाख्त परेड एक धोखा था।

करकरेने कहा कि मामलेकी जाँचके विषयमें दालमें कुछ काला है। सबूत पक्षने पहले कहा था कि उसके २६५ गवाह हैं, किन्तु उनमेंसे केवल १४९ की गवाही ली गयी। कई ऐसे गवाहोंसे जिरह की गयी, जिनका पहले उल्लेख नहीं था, और जिन गवाहोंको जाँच की जानी चाहिये थी उनकी नहीं की गयी। करकरेने यह भी कहा कि गवाहोंके पुलिसके सामनेके बयान और अदालतके बयानमें अन्तर है, और पीछेसे उनमें सुधार किया गया है। अन्तमें करकरेने कहा कि मेरे विरुद्ध गवाही बहुत संदिग्ध है और उस सन्देहका लाभ मुझे मिलना चाहिये और इस प्रकार अदालतको मुझे निर्दोष करार देकर छोड़ देना चाहिये।

करकरेसे जजने प्रश्न पूछे

करकरेके मराठीमें अपना वक्तव्य समाप्त करनेके बाद अदालतने उससे कुछ प्रश्न पूछे।

प्रश्न--इस बातकी साक्षी है कि २९ मई १९४७ को तुमने बडगेको एक पत्र लिखा था जिसमें तुमने उससे बम देनेके लिए कहा था। जुलाई और दिसम्बर १९४७ के बीच तुमको और आपटेको बडगेने ३००० रु० के विस्फोटक दिये थे। तुमको उसने एक स्टेनगन भी दी थी।

उत्तर—मैंने बडगेको इस प्रकारका कोई पत्र नहीं लिखा। मैं अपने सारे

पत्र अपने होटलके लेटर पेपरपर लिखता हूँ। बडगेसे मैंने कोई हथियार, गोला-बारूद या स्टेनगन नहीं ली। बडगेको तो मैं जानता भी नहीं।

प्रश्न—९ जनवरी १९४८ को तुम, मदनलाल, ओमप्रकाश और चोपडा कुछ गोला-बारूद देखने बडगेके यहाँ पूना गये थे। बडगेने तुम्हें कुछ हथियार दिखाये थे।

उत्तर—यह सब कुछ झूठ है।

प्रश्न—जनवरीके प्रथम सप्ताहके अन्तमें तुम मदनलालके साथ प्रो० जे० सी० जैनके पास गये थे। मदनलालने सेठके रूपमें प्रो० जैनसे तुम्हारा परिचय कराया था। इस विषयमें तुम्हें क्या कहना है?

उत्तर—यह बात झूठ है। वस्तुतः ८ से १० जनवरी तक मैं चेम्बूर शरणार्थी कैम्पमें था।

प्रश्न—१५ जनवरी १९४८ को तुम नथूराम गोडसे, मदनलाल, आपटे और बडगेके साथ दीक्षित महाराजके घर गये थे। एक थैला लाकर खोला गया। उसमेंसे हथियार और गोला-बारूद निकला। बडगे और दीक्षित महाराजने तुमको उन हथियारोंका प्रयोग सिखाया। इसके बाद वह थैला तुम्हें दे दिया गया और आपटेने उस थैलेको लेकर उस रात तुम्हें दिल्ली जानेके लिए कहा।

उत्तर—यह सब झूठ है।

प्रश्न—१५ जनवरीको दीक्षित महाराजके घर जानेसे पूर्व गोडसे, आपटे, शंकर और बडगे तुमसे शिवाजी प्रेसके पास मिले थे। गोडसे, आपटे और तुमने जी० एम० जोशीसे बात की थी। इसके बाद तुम सब हिन्दू महासभा भवन, दादर चले गये। तुम, गोडसे, आपटे, मदनलाल और बडगे टैक्सीमें दीक्षित महाराजके घर गये थे। मदनलालका बिस्तर टैक्सीमें था। इस विषयमें तुम्हें क्या कहना है?

उत्तर—यह सब झूठ है।

प्रश्न १५ जनवरीको तुम और मदनलाल रातकी एक्सप्रेस गाड़ीसे बम्बईसे दिल्ली गये थे और दिल्ली १७ जनवरीको १२ बजे पहुँचे। रास्तेमें तुमने अमचेकरसे बातें की। तुमने उससे कहा कि मैं हिन्दू महासभाका कार्य-

कर्ता हूँ और सभाके कार्यसे दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली पहुँचनेपर तुमने मदनलालसे अमचेकरका परिचय कराया।

उत्तर—यह सच है कि १५ जनवरीको मदनलाल मुझे बम्बईसे दिल्ली लाया। मैं शादीमें सहायता देने उसके साथ दिल्ली आया था। बादमें मदनलालने मुझसे कहा कि पंजाबी शरणार्थी दिल्लीमें गान्धीजीके समक्ष एक शिष्ट मण्डल ले जायँगे, उसमें मैं भी शामिल होऊँ। किन्तु चूँकि पुलिस मेरे पीछे लगी हुई थी, मैं खुले तौरपर शिष्टमण्डलमें भाग नहीं लेना चाहता था। मैंने उससे कहा कि मैं तो सिर्फ देखनेका काम करूँगा। गाड़ी जब तक दिल्ली स्टेशन तक नहीं पहुँच गयी तब तक मैंने अमचेकरको नहीं देखा। इस बीच मदनलाल स्टेशनपर ताँगा करनेकी कोशिशमें था। मैंने अमचेकरके यह पूछनेपर कि तुम कहाँ जा रहे हो, उससे कहा कि तुम हमारे साथ होटलमें ठहर सकते हो। मैं उसे तांगेकी तरफ ले गया जहाँ मदनलाल खड़ा था। उस समय मैंने मदनलालसे कहा था कि अमचेकर भी एक शरणार्थी है।

न्यायाधीशके अगले प्रश्नके उत्तरमें करकरेने कहा कि मैं, मदनलाल और अमचेकर सीधे शरीफ होटल गये थे। मैंने अपना नाम एम० व्यास हिन्दीमें रजिस्टरमें स्वयं लिखा था। मुझे मालूम है कि मदनलालने भी बादमें रजिस्टरमें कुछ नाम लिखे। हम वहाँ १७ जनवरीसे १९ जनवरी तक ठहरे।

अगले प्रश्नके उत्तरमें करकरेने इस बातसे इन्कार किया कि १८ जनवरीको मैंने अमचेकरसे यह कहा हो कि मैं किसीको लेने स्टेशन जा रहा हूँ, फिर १९ जनवरीको गोपाल गोडसे मुझसे मिला हो या मैंने अमचेकरसे २० को जलन्धर जाने या २०) होटलका खर्च देनेके लिए कहा हो। उसने कहा कि होटलका सारा खर्च मैंने ही दिया था।

करकरेने कहा कि १९ जनवरीको रातको मैं गोडसे और आपटेके साथ हिन्दू महासभा-भवन नहीं गया। वहाँपर शंकर, गोपाल गोडसे और बडगेसे नहीं मिला।

अगले प्रश्नके उत्तरमें करकरेने कहा कि यह कहना झूठ है कि १९ और २० जनवरीके बीच मैं आपटे और गोडसेके पास मेरीना होटल गया था और वहाँ मुझे चाय और शराब दी गयी थी।

२० जनवरीको सबेरे मैं आपटेके साथ हिन्दू महासभा-भवन नहीं गया

और न मदनलाल, गोपाल गोडसे और बडगेसे मिला। हमारा न हम हिन्दू महासभा भवन ही गये और न हमने शंकर और बडगेको बिड़ला-भवन साथ चलनेके लिए कहा।

करकरेने कहा कि यह सब गवाही झूठ है कि मैं आपटे, मदनलाल, शंकर, गोपाल गोडसे और बडगे २० जनवरीको ४० नं० मेरीना होटलमें मिले; वहाँ नथूराम गोडसे भी था; गोपाल गोडसेने रिवाल्वर ठीक किया; मैंने, बडगे, आपटे, और मदनलालने बारूदी रूईके टुकड़ोंमें फ्यूज वायर लगाये; गोडसेने वहाँ बडगेसे कहा कि यह हमारा अन्तिम प्रयास है, इसमें अवश्य सफलता मिलनी चाहिये; यह निर्णय किया गया कि आपटे और गोडसे संकेत करेंगे, मदनलाल विस्फोट करेगा और शेष गान्धीजीपर हथगोले फेकेंगे और बडगे फोटोग्राफरके रूपमें कमरेके झरोखेसे गान्धीजीको गोली मार देगा।

करकरेने कहा कि यह सारी गवाही भी झूठी है कि २० जनवरीको ५ बजे मैं, आपटे और बडगे प्रार्थना-स्थलपर देखे गये थे; बडगे उस कमरेमें घुसनेसे झिझका, तब गोडसेने कहा कि डरनेकी कोई बात नहीं है, सब लोगोंके भाग निकलनेकी व्यवस्था कर ली गयी है।

२० जनवरीको मैं फ्रन्टियर हिन्दू होटलमें जी० एम० जोशीके नामसे नहीं ठहरा। गोपाल गोडसे मेरे पास नहीं आया। २५ जनवरीको जी० एम० जोशीके घरपर ठहरते हुए मैंने व्यास नामसे आपटेको कोई तार नहीं भेजा।

अगले प्रश्नके उत्तरमें करकरेने कहा कि २९ और ३० जनवरीको दिल्ली स्टेशनके विश्राम गृहमें मेरे आपटे और गोडसेके साथ देखे जानेकी बात झूठ है। उस समय मैं बम्बईमें था।

२-३ फरवरीको मैं वी० कृष्णजी नामसे सी ग्रीन होटलमें नहीं ठहरा। मैं ३ फरवरीसे ५ फरवरीतक बम्बईके एलफिन्टन एनेक्सी होटलमें ठहरा था। ५ फरवरीसे १३ फरवरीके बीच मैं जी० एम० जोशीके घर तो नहीं ठहरा, किन्तु छपाईके सम्बन्धमें मैं उनके घरपर और प्रेसमें मिलने जरूर गया हूँ।

करकरेने कहा कि यह बात सच है कि गिरफ्तारीसे पूर्व मैं और आपटे अपोलो होटलमें आर० विष्णु और एन० काशीनाथके नामसे १३-१४ फरवरी-को ठहरे थे।

१५ जनवरीको दिल्ली जानेसे पूर्व मैं गोडसेसे परिचित नहीं था। आपटे-

को मैं सन् १९३६ से जानता हूँ। मदनलालके साथ परिचय दिसम्बर १९४७ में हुआ। मैं न शंकर किस्तय्याको जानता था और न बडगेको। सावरकरको मैंने सार्वजनिक सभाओंमें देखा है, व्यक्तिगत तौरपर मैं उनसे कभी नहीं मिला।

१६ नवम्बर—करकरेसे और प्रश्न

आज न्यायाधीश श्री आत्माचरण द्वारा आगे पूछे गये प्रश्नोंके उत्तर-में अभियुक्त करकरेने कहा कि बम्बईके सी. आई. डी. कार्यालयमें पुलिसने हस्तलेखके जो विभिन्न नमूने लिये थे वे सब उसके ही हैं।

करकरेने यह अस्वीकार कर दिया कि दिल्लीके फ्रांटियर हिन्दू होटल तथा बम्बईके सी ग्रीन होटल और एल्फिंस्टन होटलके रजिस्टरोंमें जो खानापूरी की गयी थी वह उसकी अपनी लिखी हुई है।

उसने बताया कि मेरे विरुद्ध अदालतमें १५ से अधिक गवाहियाँ होटल व्यवस्थापकों, बेयरों आदिकी हुईं जिन्होंने पुलिसके दबावके कारण मनगढ़ंत बयान दिये हैं। मैं खुद होटलवाला हूँ और जानता हूँ कि पुलिस होटल वालोंको किस तरह अपने चंगुलमें रखती है।

दादा महाराज, दीक्षितजी महाराज और बडगे सब गोलीबारूद और हथियारका काम करते हैं। अतः उन्होंने मेरे विरुद्ध जो गवाहियाँ दी हैं वह पुलिसको अप्रसन्न न करनेके कारण दी हैं। श्री मुरारजी देसाईने जो कहा है कि मैं षड़यन्त्रमें शामिल हूँ वह झूठ है।

करकरेने बताया कि २१ जनवरी १९४८ को मैं विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशनपर आपटेसे मिला था जो गान्धीजीकी गोडसे द्वारा की गयी हत्याके कारण किंकर्तव्यविमूढ़ हो रहा था। बम्बई उपनगरीय रेलवे टिकटोंके सम्बन्धमें उसने कहा कि मैंने उन जगहोंकी यात्रा की थी, इसलिए वे मेरे पास थे।

अन्तमें उसने कहा कि १७ जनवरी १९४८ को दिल्लीमें होनेके कारण पुलिसने मुझे इस काण्डमें धर पकड़ा।

मदनलालका वक्तव्य

बम विस्फोट शोरगुल मचानेवाला सत्याग्रह था !

इसके बाद मदनलालने अपना लिखा हुआ बयान दिया। उसने चौथे अभियुक्त मदनलालने स्वीकार किया कि २० जनवरीको जब महात्मा गान्धी

बिड़ला-भवनकी प्रार्थना-सभामें प्रवचन कर रहे थे तो मैंने बम (गन काटनके टुकड़े) का धड़ाका किया था।

मदनलालने खुली अदालतमें अपना २१ पन्नेका बयान पढ़ा। उसने कहा कि विस्फोटके समय मैंने इसका पूरा ध्यान रखा था कि उससे म० गान्धीको कोई चोट न पहुँचे। मैंने केवल दीवारको छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्तिको भी क्षति न पहुँचनेका ध्यान रखा था।

मदनलालने आगे बताया कि इकबाली गवाह बडगेने, जो दिल्लीमें शरणार्थियोंको अपनी गोली बारूद बेचने आया था, मुझे गन-काटनका टुकड़ा तथा हथगोला दिया था।

अभियुक्तने फिर बताया कि जब मुझे गन-काटनका टुकड़ा मिल गया तो मैंने उसके जरिये राष्ट्रपिताके कानों तक उत्पीड़ित देशवासियोंके दुःखकी कहानी पहुँचानेका एक अच्छा उपाय सोचा। बिड़ला-भवनमें डेपूटेशन भेजनकी अपेक्षा यह उपाय मुझ शरणार्थीको अच्छी तरह शोरगुल मचानेवाला प्रतीत हुआ। मेरी यह भी इच्छा थी कि इसका सारा श्रेय केवल मुझको ही मिले। मैंने इस कदमको सत्याग्रहका ही एक अंग समझा था।

गत १२ जनवरीको जब मैं बम्बईमें था तो मुझे यह समाचार मिला कि दिल्लीमें मुसलमानोंको फिर बसानेके लिए म० गान्धी आमरण उपवास करने वाले हैं। मुझे इस बातसे बड़ा रंज हुआ। २४ जनवरीकी रातको मुझे यह मालूम हुआ कि गान्धीजीके उपवासके कारण भारत सरकार अपने पूर्व निर्णयके विपरीत पाकिस्तानको ५५ करोड़ रुपये देने जा रही है। इसी अवसरपर मुझे पिताजीने मेरे विवाहके प्रस्तावके सम्बन्धमें शीघ्र जलंधर आनेको लिखा था। लेकिन उक्त परिस्थितियोंके कारण मैंने पहले दिल्ली तथा फिर जलंध जानेका निश्चय किया।

मुझे नयी दिल्लीमें ऐसा प्रतीत हुआ कि महात्मा गान्धीके चारों ओर मुसलमान घिरे रहते हैं और शरणार्थियोंकी आवाज उनके कानों तक पहुँचानेका कोई मार्ग नहीं। अतः गान्धीजीके कानों तक यह आवाज पहुँचाने तथा उनसे उपवासके विरुद्ध अप्रसन्नता प्रकट करनेके लिए मैं कटिबद्ध हो गया।

मदनलाल मांटगुमरी जिले (अब पाकिस्तानमें) की पाकपट्टन तहसीलका निवासी है। उसकी शिक्षा मेट्रीकुलेशन तक हुई है। वह कुछ समय तक

वायरलेसका तारबाबू रहा है। उसने दो वर्ष फौजी नौकरी भी की है। १९४७ में देश-विभाजन होनेपर उसे अपनी मातृ-भूमि छोड़नी पड़ी। वह किसी न किसी तरह दिल्ली आ पहुँचा।

गत सितम्बरके अन्तिम सप्ताहमें वह बम्बई चला गया। उसने काम दिलाऊ संस्थाके कार्यालयमें अपना नाम दर्ज करवा लिया और चेम्बूर कैम्पमें चला गया। उसने कमीशनकी शर्तोंपर डा० जे० सी० जैनकी किताबें बेंची जिससे उसे लगभग ५०) की आय हो गयी थी।

मदनलालने बताया कि मैं अहमदनगर इसलिए गया था कि मैं वहाँपर फलोंका व्यापार प्रारंभ कर सकूँ। उसने कहा कि सबूत पक्षने मेरे अहमदनगर जानेके बारेमें डा० जैनकी गवाहीसे तिलका ताड़ बनानेका प्रयास किया है। मैंने अहमदनगरमें शरणार्थियोंके प्रति पूरी दिलचस्पी दिखायी और यहींपर मेरी करकरेसे मुलाकात हुई।

मदनलालने कहा कि इकबाली गवाह बडगेने मेरे सम्बन्धमें जो यह बयान दिया है कि गन-काटन टुकड़ेके विस्फोटके बाद मेरा काम हथगोलेसे महात्माजी पर हमला करनेका था, वह बिल्कुल सफेद झूठ है।

यह दिखाया जा चुका है कि दियासलाई जलाकर फ्यूजमें लगानेके १॥ मिनट बाद धड़ाका हो सकता था। यदि बडगेकी कहानी तनिक भी सच होती और मैं म० गान्धीपर कोई शारीरिक प्रहार करनेका इरादा रखता होता तो इस अवधिमें मैं भली प्रकार वहाँ दौड़कर पहुँच सकता था जहाँ प्रार्थना-मचपर गान्धीजी विराजमान थे। यह अदालतके सामने साफ है कि मैंने इस प्रकारका कोई काम नहीं किया। इस बातसे ही बिल्कुल उस आरोपका खण्डन हो जाता है कि महात्मा गान्धीके हत्या-षड्यन्त्रमें मेरा कोई सम्बन्ध है।

मदनलालने यह अस्वीकार किया कि उसने अहमदनगरके 'कार्यों' की कोई कहानी डा० जैनसे कही थी। सावरकरसे मुलाकात तथा बातचीतके बारेमें भी उसने डा० जैनसे कभी कुछ नहीं कहा। सबूत पक्षने जो कोट आपटे-का बताया है, उसके बारेमें मदनलालने कहा कि वह उसे शरणार्थी शिविरमें मिला था।

अन्तमें उसने कहा कि गान्धीजीकी हत्याका कोई षड्यन्त्र न था। यदि कोई था भी तो उससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं।

मदनलालसे प्रश्न

मदनलालके बयानके बाद उससे प्रश्न पूछे गये।

प्रश्न—अक्तूबर १९४७ में तुम्हारा परिचय डा० जे० सी० जैनसे करानेके बारेमें गवाही हुई है। अंगदसिंहके सामने यह तय हुआ था कि तुम २५ प्रति शत कमीशनपर उनकी किताबें बेचोगे। तुमको डा० जैनके पतेपर अपने पत्र भी मिले थे। इस प्रकारके दो पत्र अहमदनगरके पतेपर तुमको फिर भेज दिये गये थे।

उत्तर—यह ठीक है।

प्रश्न—जनवरी १९४८ के पहले सप्ताहके आखीरमें तुम करकरेको डा० जैनके यहाँ ले गये और 'सेठ' कहकर उसका परिचय कराया। दो तीन दिन बाद फिर जैनसे लम्बी बातचीत हुई जिसमें कुछ समयके लिए अंगदसिंह भी उपस्थित थे। जैनने अपनी गवाहीमें तुम्हारे कारनामे, सावरकरसे तुम्हारी भेंट और गान्धीजीकी हत्याके षड्यन्त्रके बारेमें कहा है। तुम्हें इस सम्बन्धमें क्या कहना है?

उत्तर—यह सब झूठ है।

१७ नवम्बर—मदनलालसे और प्रश्न पूछे गये

आज भी मदनलालसे और प्रश्न पूछे गये।

प्रश्न—इसका प्रमाण दिया गया है कि दो दिन बाद तुम डा० जे० सी० जैनसे मिले। तब उन्होंने तुमसे पूछा था कि क्या तुमने उनकी सलाहपर विचार कर लिया है? तुमने उत्तर दिया कि करकरेसे पूछे बिना कोई काम नहीं कर सकता और करकरेको पितृतुल्य समझता हूँ। एक दो दिन बाद तुम फिर डा० जे० सी० जैनसे मिले और उनसे कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ।

उत्तर—यह सब झूठ है।

एक अन्य प्रश्नके उत्तरमें मदनलालने इस आरोपका खण्डन किया कि ९ जनवरीको वह करकरे तथा अन्य व्यक्तियोंके साथ पूनामें बडगेकी दूकानपर गया था और उसे शंकरने कुछ विस्फोटक दिखाये थे जिसपर उसने कहा था कि इनका प्रयोग मैं कर सकता हूँ। उसने कहा कि उस दिन मैं पूनामें

नहीं था, वरन् खर्डामें था जो हैदराबादकी सीमापर एक गाँव है। मैंने वहाँपर कुछ कांग्रेसजनोंसे इस विषयपर बातचीत की थी कि भारतीय गाँवोंपर हमला करनेके लिए जिन चार पुलोंसे होकर रजाकार आते हैं उन्हें उड़ा दिया जाय।

प्रश्न—१५ जनवरी १९४८ को बडगे, आपटे, गोडसे, करकरे तथा शंकर तुम्हारे पास आये जब कि तुम दादरके हिन्दू महासभा-भवनमें थे। शंकरको छोड़कर तुम सब उस टैक्सीमें जा चढ़े जिसे आपटे लाया था। तुमने अपने बिस्तरे भी टेक्सीमें रख लिये। तब तुम लोग दीक्षित महाराजके घर गये। तुमने अपने बिस्तरे वहाँ जाकर हालमें रख दिये और सब लोग घरके भीतर घुस गये। क्या यह ठीक है?

उत्तर—यह सब झूठ है। वास्तवमें मैं नथूराम गोडसे, आपटे और शंकरसे पहली बार १४ फरवरी १९४८ को या उसके आसपास बम्बईके खुफिया पुलिस-भवनमें मिला था। उनके साथ मुझे वहाँ पुलिस मिली थी।

प्रश्न—दीक्षितजी महाराजके घरपर एक थैला दिया गया जिसमें दो गन-काटन टुकड़े, पाँच हथगोले तथा तत्सम्बन्धी अन्य सामान था। दीक्षितजी महाराज और बडगेने इनका प्रयोग तुमको बताया। तब बडगेने यह थैला आपटेको और उसने करकरेको दिया। करकरेने फिर यह थैला तुमको दिया और बिस्तरेमें बाँध लेनेको कहा। तब तुम और करकरे कमरेसे निकल गये।

उ०—यह सब झूठ है। मैं १९४७ में डा० जैनके साथ दीक्षितजी महाराजके यहाँ गया था। उन्होंने शरणार्थियोंके लिए मुझे कुछ कपड़े दिये थे। नवम्बर १९४७ में मैं दो-तीन बार फिर उनके पास गया। जनवरी १९४८ में मैं दीक्षित महाराजके पास नहीं गया।

एक अन्य प्रश्नके उत्तरमें अभियुक्तने बताया कि करकरेके साथ १७ जनवरीको मैं दिल्ली पहुँचा था। मुझे यह याद नहीं कि शांताराम ए० अनचेकर हमारे डिब्बेमें यात्रा कर रहा था। दिल्ली स्टेशनके तांगा अड्डेपर मैंने करकरेके साथ एक आदमीको देखा था जिसका परिचय करकरेने कराया था।

प्र०—तुम, करकरे और अनचेकर एक तांगेमें सवार होकर पहले हिन्दू महासभा-भवन, फिर बिड़ला-मंदिर तथा अन्तमें शरीफ हिन्दू होटल पहुँचे?

उ०—यह सब झूठ है। हम सीधे शरीफ होटल गये थे। मदनलालने

फिर बताया कि १९ जनवरीको मेरा एक सम्बन्धी मुझे होटलमें देखने आया था। अमचेकर 'ट्रान्सफर ब्यूरो' ले जाया गया, यह मुझे मालूम नहीं। मैंने गोपाल गोडसेको पहली बार बम्बई खुफिया पुलिस भवनमें देखा था। मैंने अमचेकरसे कहा था कि मैं अपने विवाहके सम्बन्धमें अपने सम्बन्धीके यहाँ ठहरने जा रहा हूँ। अभियुक्तने १७ जनवरीसे १९ जनवरी तक शरीफ होटल-में ठहरने तथा होटल रजिस्टरमें अंग्रेजीमें खानापूरी करनेकी बात मान ली। उसने हिन्दू महासभा-भवनमें ठहरनेकी बात अस्वीकार कर दी और कहा कि मैं बादमें प्रस्तावित वधूके व्यक्तियोंके साथ ठहरा था।

प्र०—२० जनवरीको तुम करकरे, गोपाल गोडसे, नथूराम गोडसे, आपटे, शंकर और बडगे मेरीना होटलके कमरा नं० ४० में थे। गोपाल गोडसेने एक रिवाल्वरकी मरम्मत की। तुमने, करकरेने तथा आपटेने गुसलखानेमें हथगोले तथा गन काटन टुकड़ोंको प्रयोगके लिए तैयार किया। इस समय नथूराम गोडसेने कहा था—'बडगे, यह हमारा अन्तिम प्रयास होगा और काम पूरा होना चाहिये।' इसके बाद हथियार और गोला-बारूद बाँटे गये। यह भी तय हो गया कि नथूराम गोडसे और आपटे संकेत देंगे और तुम गन काटन टुकड़ेमें आग लगाओगे। तब जो शोरगुल और भगदड़ होगी उसकी ओटमें अन्य लोग महात्मा गान्धीपर हथगोले और रिवाल्वर दागेंगे।

उत्तर—यह सब झूठ है। उपवास तोड़नेके दो दिन बाद २० जनवरीको मुझे पता चला कि आज शामको महात्माजी प्रार्थना-सभामें पधारेंगे। मुझे शरणार्थी शिविरमें बडगे मिला जिसने बताया कि वह दिल्लीमें हथियार और विस्फोटक बेचने आया है। उसने मुझे एक गन-काटनका टुकड़ा तथा एक हथगोला नमूनेके रूपमें दिया था। मैंने सोचा कि यह गन-काटन टुकड़ा गान्धीजीसे दूर विस्फोटित किया जाना चाहिये ताकि उन्हें कोई चोट न पहुँचे और इस प्रकार अपनेको गिरफ्तार करवा दिया जाय।

अभियुक्तने कहा कि मैं मेरीना होटलसे नहीं, वरन् सब्जी-मण्डीसे बिड़ला-भवन गया था। मेरे पास गन-काटन टुकड़ा तथा एक हथगोला था। जब मैं गिरफ्तार किया गया तब मैं वह कोट नहीं पहने था जो प्रामाणिक वस्तुओंमें संग्रहीत है। मेरे साथ उस समय कोई अन्य अभियुक्त न था।

प्रश्न—गिरफ्तारीके पश्चात्, बिड़ला-भवनके बाहर तुम पुलिस-शिविरमें

ले जाये गये। उस समय तुम्हारी तलाशी ली गयी और तुम्हारे कोटके भीतरी जेबसे एक हथगोला बरामद हुआ ?

उत्तर—यह ठीक है। दरअसल मैंने पुलिससे कहा था कि मेरे पास एक अप्रयुक्त हथगोला है। गिरफ्तारीके बाद मैंने पुलिससे कहा कि मुझे महात्मा गान्धीके पास ले चलें। लेकिन मैं पार्लमेण्ट स्ट्रीट पुलिस थानेपर ले जाया गया। पुलिसने वहाँ मुझसे पूछ-ताछ की और मुझे मारा-पीटा। मैंने पुलिसको बताया कि मुझे यह विस्फोटक बडगेसे मिले हैं जो शरणार्थी-शिविरमें ठहरा है। उसके साथी भी मेरीना होटलमें हैं। पुलिस मुझे लेकर वहाँ गयी, लेकिन वे लोग वहाँसे रफ्फूचक्कर हो चुके थे। मैं फिर पार्लमेण्ट स्ट्रीट थानेमें ले आया गया।

मैं १५ जनवरी १९४८ को बम्बईसे दिल्ली रवाना हुआ था, तब मैं केवल करकरेको जानता था—नथूराम गोडसे, आपटे, बडगे, शंकर किस्तय्या अथवा सावरकरमेंसे मैं किसीको नहीं जानता था।

मदनलालने आगे कहा कि मुझे उन गवाहोंके विरुद्ध कुछ नहीं कहना है जिन्होंने शिनाख्त परेडमें मेरी शिनाख्त की है। लेकिन एक बात अवश्य कहूँगा कि मैं बम्बई खुफिया पुलिस-भवनकी दूसरी मञ्जिलमें रखा गया और यह स्थान सर्वसाधारणके आने-जानेके लिए खुला था। इस प्रकार अनेक व्यक्तियोंने आकर मुझे देखा था।

अभियुक्तको अनेक हस्ताक्षर तथा हस्तलेखके नमूने दिखाये थे जिन्हें उसने स्वीकार कर लिया कि वे मेरे ही हैं।

पूछनेपर मदनलालने बताया कि सबूतके गवाहोंने मेरे विरुद्ध जो गवाहियाँ दी हैं वे पुलिसके दबावके कारण ही दी होंगी। उसने कहा कि मैंने विस्फोट होनेपर भागनेकी कोई कोशिश नहीं की।

अन्तमें मदनलालने कहा—मैं २० फरवरीसे ३ मार्च १९४८ तक सिविल लाइन पुलिस थानेमें रखा गया। इस अवधिमें ३० जनवरीतक इन्स्पेक्टर बालकृष्ण मेरे पास निरन्तर कागज ला लाकर मुझसे यह कहते रहे कि मैंने महात्मा गान्धीको मारनेके लिए जलन्धर और अमृतसरके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघियोंके साथ मिलकर कोई षड्यन्त्र रचा है।

४ फरवरी १९४७ को बम्बई खुफिया पुलिस-भवनमें मैंने बडगेको देखा

था। मैंने पुलिसको बता दिया था कि इस व्यक्तिने ही मुझे दिल्लीमें गन काटन टुकड़ा तथा हथगोला दिया था। पुलिसने मुझसे कहा कि मैं नथूराम गोडसे, आपटे और सावरकरके साथ हत्या-षड्यन्त्रमें सम्मिलित हूँ, किन्तु मैंने इसका उत्तर नकारात्मक दिया।

पुलिसने मुझसे कहा कि 'तुम षड्यन्त्रको स्वीकार कर लो, नहीं तो गो-मांस तुम्हारे मुँहमें ठूँसा जायगा।' तब मैं अपना बयान मजिस्ट्रेटके सामने देनेको तैयार हो गया।

मैं सबूत पक्षके प्रमाणोंके विरुद्ध तथा अपने बयानके समर्थनमें अब कुछ नहीं कहना चाहता।

१८ नवम्बर—शंकर द्वारा प्रश्नोंके जवाब

आज पाँचवें अभियुक्त शंकर किस्तय्यासे न्यायाधीशने प्रश्न पूछे ताकि यह निश्चित किया जा सके कि तथाकथित हत्या षड्यन्त्रमें उसका क्या हाथ था।

शंकर बेपढ़ा-लिखा व्यक्ति है। अतः पहले बयान देनेवाले चार अभियुक्तोंकी भाँति उसने कोई लिखित बयान तैयार नहीं किया जिसे वह पढ़कर सुना सकता। वह तेलगू भाषा बोलता है। उसने प्रश्नोंके जो उत्तर दिये उनका अदालतके दुभाषियेने अनुवाद किया।

शंकरने बताया—मेरी अवस्था २० वर्षकी है। मैं गृहपरिचारक हूँ। मैं शोलापुरका रहनेवाला हूँ।

इस बीचमें बचावपक्षके वकील श्री बनर्जीकी प्रार्थनापर इकबाली गवाह बडगे, जिसके यहाँ गिरफ्तारीसे पहले शंकर नौकर था, तथा जेल अधिकारी अदालतकी परिधिसे बाहर हटा दिये गये।

प्रश्नोत्तरमें शंकरने कहा कि १९४६में बडगेने मुझे अपने यहाँ नौकर रखा। मैं प्रायः बडगेके घरसे बम्बईमें हथियार और गोला-बारूद लाद लाया करता था। मैं उसके कपड़े भी धोता था। इसके अलावा उसके हथियारोंकी दूकानकी देख-भाल करता था और अन्य छोटे-मोटे काम-काज भी करता रहता था।

जुलाईसे दिसम्बर १९४७ तक बडगेने आपटे और करकरेको काफी गोली-बारूद और हथियार दिये। वे यह सामान लेने प्रायः बडगेके घर आया करते थे।

९ जनवरी १९४८ को सायंकाल लगभग ८॥ बजे करकरे, मदनलाल तथा दो अन्य लोग बडगेकी दूकानपर आये। मैंने दो थैले बडगेको ला दिये और फिर दूसरे कमरेमें चला गया। फिर मैं नहीं जानता कि क्या हुआ।

हथियार तथा गोली-बारूद पिछवाड़ेके आंगनमें रखी जाती थी और ईंट पत्थरोंसे ढँकी रहती थी। एक थैला जूटका था तथा दूसरा खाकी कपड़ेका था। यह दोनों आपसमें नत्थी थे। ये थैले मेरे सामने किसी समय नहीं खोले गये थे। बडगेने इनके बारेमें मुझे हिदायत दे रखी थी कि जब वह मुझे हुक्म दें तो मैं उपस्थित करूँ।

१३ जनवरीको बडगेने एक थैलेमें कुछ हथियार आदि रखनेके लिए मुझसे कहा। १४ जनवरीको मैं और बडगे बम्बईको रवाना हुए और उसी दिन सायं ७। बजे दादर पहुँचे।

—— बडगे और मैं अलग-अलग रेलके डिब्बोंमें बैठे थे। उन्होंने मुझे दादर स्टेशनपर उतरकर बाहर मिलनेका आदेश दिया था। मेरे पूछनेपर उन्होंने मुझे बताया था कि वे दादर स्टेशन इसलिए जा रहे हैं कि बम्बईमें आपटे और नथूराम गोडसेको हथियार-गोली-बारूद दे सकें।

बडगे और मैं दादरके हिन्दू महासभा कार्यालयमें गये। हमने वहाँ लगभग १५ मिनटतक प्रतीक्षा की। जब हम सीढ़ियोंसे नीचे उतरने लगे तो हमें अपनी ओर आता हुआ आपटे दिखायी दिया। नथूराम उस समय लगभग १० कदम दूर खड़ा था।

मुझे हिन्दू महासभा कार्यालयमें बैठाकर ये सब लोग बाहर चले गये। रातको १०॥ बजे वे सब एक कारमें वहाँ आये। फिर हम सब दीक्षित महाराजके घर गये। बडगेने कारसे थैला लानेका आदेश मुझे दिया। मैं अकेला कारमें बैठा रहा और ये तीनों व्यक्ति घरके भीतर चले गये। जब वे सब घरसे बाहर आये तब उनके पास थैला न था।

बडगे और मैं फिर हिन्दू महासभा-कार्यालय लौट आये। बडगे कारकी दाहिनी ओरसे और मैं बाईं ओरसे नीचे उतरा। मैंने देखा कि बडगेको कोई कुछ रुपया दे रहा है, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि उसे किसने और कितना रुपया दिया।

उस रातको मदनलाल, बडगे और मैं हिन्दू महासभा-कार्यालयमें ही

सोये थे। बिछानेके लिए हमारे पास एक दरी थी और मदनलालने हमें एक कम्बल दे दिया था।

१५ जनवरीको नथूराम गोडसे, आपटे और बडगे शिवाजी प्रिंटिंग प्रेसमें करकरेसे जाकर मिले। मैं भी इन तीनोंके साथ गया था।

इसी रातको मैं और बडगे पूना चले गये। जनवरी १६ को नथूराम गोडसे बडगेसे मिलने उसके घर दो बार आया, किन्तु बडगे घरमें नहीं था। नथूरामके आनेका जिक्र मैंने बडगेके घर आनेपर उससे कर दिया था। १७ जनवरीको प्रातः २॥ बजे मैं और बडगे बम्बई चले गये। बडगेने मुझे बम्बई ले जानेके लिए एक पिस्तौल और ४ कारतूस दिये थे।

उसी दिन मैं, बडगे, आपटे और नथूराम गोडसे एक टैक्सीमें शिवाजी पार्क गये। मैं नहीं जानता कि यह किसका घर था (सबूत पक्षका कहना है कि यह सावरकरका घर था)। मुझे टैक्सीमें बैठा छोड़कर ये सब लोग उतर गये। मुझे टैक्सीका नम्बर मालूम नहीं, किन्तु जिस टैक्सी ड्राइवर-का बयान अदालतमें लिया जा चुका है, वही इस टैक्सीको चला रहा था।

मैं नहीं जानता कि इन तीनों व्यक्तियोंने आपसमें क्या बातचीत की थी। वे आपसमें मराठीमें बातचीत कर रहे थे जिसे मैं नहीं समझ सकता।

मैं नहीं जानता कि वहाँसे लौटकर उन्होंने आपसमें क्या बातचीत की। वे लोग मराठी और अंग्रेजीमें बातचीत करते थे। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वे क्या बातें करते थे।

१८ जनवरीको बडगेके साथ मैं बोरीबंदर स्टेशन पहुँचा। बडगेने दो टिकट खरीदे और हम अगले दिन रातको ९॥ बजे दिल्ली पहुँच गये। स्टेशनसे तांगेपर सवार होकर हम आगे बढ़े। बडगेने एक जगह पूछा कि हिन्दू महासभा-भवन कहाँ है?

वहाँ पहुँचकर हमने देखा कि भवनका द्वार बन्द था। बडगेने दरवाजा खटखटाया और भीतरसे आकर किसीने उसे खोला। हमें एक कमरा रहनेके लिए बता दिया गया।

इस कमरेमें प्रकाश था। उसमें तीन व्यक्ति थे। एक व्यक्तिकी बडगे जैसी ही दाढ़ी थी और वह सो रहा था। शेष दो व्यक्ति मदनलाल

और गोपाल गोडसे थे। वे अपने बिस्तरोंपर बैठे बातचीत कर रहे थे। बडगेने ही इन दोनों व्यक्तियोंका परिचय मुझसे कराया था।

लगभग २० मिनट बाद, नथूराम गोडसे, करकरे और आपटे वहाँ आये और बडगेको बाहर ले गये। वहाँ उन्होंने कुछ बातचीत की। उन्होंने क्या बातचीत की, यह मुझे मालूम नहीं।

हम बम्बईसे कुछ लड्डू लाये थे। हमने उनको खाया और सो गये। गोपाल गोडसे और मदनलाल भी वहीं सो रहे।

अगले दिन प्रातःकाल बडगेने मुझे अपने कपड़े धोनेको कहा। मैंने कपड़े साफ किये। उस दिन बड़ी सर्दी थी। आपटे और करकरे वहाँ आये। करकरेने मुझसे कहा कि उसने कुछ रुपया मदनलालको दे दिया है ताकि वह नहाने-धोनेका पानी गर्म करनेके लिए लकड़ियाँ खरीद लाये। करकरे और आपटे कहीं चले गये।

थोड़ी देर बाद आपटे और करकरे आये। मैं, बडगे और आपटे सब बिड़ला-भवन चले गये और करकरे हिन्दू महासभा-भवनमें ही ठहरा रहा।

बिड़ला-भवनके द्वारपर हमें एक पुलिसमैनने रोक लिया। उसने हमसे पूछा कि हम किससे मिलना चाहते हैं। आपटेने एक चिटपर कुछ लिख दिया। उस समय दो आदमी बिड़लाभवनमें घुस रहे थे। आपटेने कुछ संकेत करके बडगेसे कहा जिसे मैं नहीं समझ सका।

हम बिड़लाभवनके पीछे गये और प्रार्थना-मैदानमें पहुँचे। आपटेने एक डोर अपनी जेबसे निकाली और कुछ नाप-जोख करके बडगेसे कुछ कहा।

मैंने बडगेसे पूछा कि क्या बातचीत हो रही थी। बडगेने कहा कि कुछ नहीं। तब हम हिन्द महासभा-भवनको चले गये।

आपटेने गोपाल, बडगे और मुझसे उनके साथ चलनेको कहा। हम हिन्दू महासभा-भवन कार्यालयके पीछे पहुँचे। वहाँ गोपाल गोडसेने अपनी पिस्तौलका परीक्षण किया लेकिन गोली न चली। मैंने दूसरी पिस्तौल चलायी और गोली निकल पड़ी। मुझे गोपाल गोडसेके लिए तेल और चाकू लानेका आदेश मिला जिससे वह अपनी पिस्तौलकी मरम्मत कर सके। मदनलालने एक थैलेसे निकालकर मुझे तेल और चाकू दिया। जब गोपाल अपनी पिस्तौल

सुधार रहा था तो जंगलके तीन चौकीदार उधर आ धमके। गोपालने उनसे पंजाबीमें बातें कीं और उन्हें टहला दिया।

हिन्दू महासभा-भवनमें करकरेने मदनलालसे कहा कि आप बिस्तरेसे थैला निकाल लें। मदनलालने थैला निकाला और करकरेके साथ वहाँसे चला गया। उसके बाद गोपाल गोडसेने एक सफेद थैला निकाला। आपटे, गोडसे, बडगे, और मैं तब मेरीना होटल गये। उस समय गोपाल गोडसेके पास सफेद थैला था।

१९ नवम्बर—शंकरसे और प्रश्न

आज शंकर किस्तय्यासे और प्रश्न पूछे गये।

उसने कहा कि यह ठीक है कि हिन्दू महासभा-भवनसे मैं गोडसे, आपटे और बडगे मेरीना होटलके कमरा नं० ४० में गये जहाँ नथूराम बिस्तरपर लेटा था। मैं और बडगे दूसरी मन्जिलपर गये और भोजन किया। इसके बाद हम फिर उसी कमरेमें गये। गोपाल गोडसे यहाँ रिवाल्वर सुधार रहा था।

इसके बाद उन सबमें कुछ बातें होने लगीं। करकरेने अपनी मूछों और भौंहोंपर रंग लगाया। उसने अपने माथेपर तिलक लगाया। आपटेने मुझे एक बम और एक पिस्तौल दी। बडगेको भी बम और पिस्तौल दी गयी। एक बम और एक गन काटन टुकड़ा करकरेको दिया गया। शेष सामान गोपालने अपने थैलेमें रख लिया।

आपटे, गोपाल, बडगे और मैं तब मेरीना होटलसे एक कारमें हिन्दू महासभा-भवन गये। इस कारका ड्राइवर एक सिख था। बडगेने यहाँ पगड़ी उतार दी और ऐनक लगा लिया। तब हमलोग बिड़ला-भवन गये। बिड़ला-भवनके पीछे हमें पहले मदनलाल और फिर करकरे मिले।

बादमें मैं और बडगे द्वारपर आये। आपटे और अन्य लोग वहाँ पहलेसे ही थे। बडगेने उनसे कुछ बातें कीं और फिर हम दोनों प्रार्थना-मैदानमें चले गये। थोड़ी देरमें जोरका धमाका हुआ और मैंने पुलिसकी हिरासतमें मदनलालको देखा। बडगेने मुझसे एक तांगा मँगवाया और हम दोनों हिन्दू महासभा-भवन खिसक आये।

वडगे इस समय भयभीत था। उसके आदेशसे मैंने बम हिन्दू महा-सभा भवनके पीछे ईंट पत्थरोंसे दबा दिये और थैलेका सामान भी फेंक दिया, लेकिन थैला वापस ले आया।

जब मैं लौट रहा था तो आपटे और नथूराम हिंदू महासभा भवनसे बाहर जा रहे थे। मैंने वडगेसे पूछा कि क्या मामला है। वह इतना झल्ला उठा कि उसने मेरे चांटा रसीद कर दिया। हम स्टेशन आये। वडगेने दो टिकट लिये और रातको १० बजे बम्बईकी ओर चल पड़े। मैं शोलापुर गया। लौटनेपर मुझे पूनामें पता चला कि वडगे गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं बम्बई गया और दीक्षित महाराजके घर नौकरसे मिला। उसने मुझे बम्बई सी. आई. डी. भवन पहुँचाया। श्री नगरवालाने मुझे यहाँ एकदम थप्पड़ मारा और पूछा कि क्या किया गया है। मैंने उन्हें सब बताया।

११ फ़रवरी १९४८ को दिल्लीमें मेरे साथ पंच गये और हिन्दू महा सभा भवनके पीछे बहुत सामान बरामद हुआ।

शिनाख्त परेडोंके बारेमें मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं वडगेका नौकर था। इसलिए मैं उनके साथ दिल्ली गया। मैं षडयन्त्रके बारेमें कुछ नहीं जानता। सबूत पक्षके प्रमाणोंके विरुद्ध तथा अपने बयानके समर्थनमें मैं कोई गवाह पेश नहीं करना चाहता।

गोपाल गोडसेका वक्तव्य

मैं सरकारका वफादार तथा निर्दोष हूँ

छठे अभियुक्त गोपाल विनायक गोडसेने आज विशेष अदालतमें अपने लिखित बयानमें इस बातका जोरदार शब्दोंमें खण्डन किया कि गान्धीजीकी मृत्यु किसी गठबन्धन अथवा षडयन्त्रके अनुसार की गयी थी।

उसका बयान १५ पन्ने लम्बा था जिसे पढ़कर उसने अदालतके सामने सुनाया। उसने कहा कि १ दिसम्बर १९४७ तथा ३० जनवरी १९४८ के बीच मैंने किसी जगह भी कोई गठबन्धन या षडयन्त्र अपने या किसी अन्य

व्यक्तिके बीच नहीं किया जिससे या जिसके द्वारा कोई गैर-कानूनी काम अर्थात् महात्मा गान्धीकी हत्या हो सकती।

गोपाल गोडसेने यह भी अस्वीकार किया कि उसने १० जनवरी तथा २० जनवरी १९४८ के बीच किसी षडयन्त्र या समझौतेके अंतर्गत गैरकानूनी अथवा अन्य प्रकारका कोई हथियार या गोली बारूद दिल्ली भेजा। उसने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई विस्फोटक पदार्थ न था जिससे किसीके जीवनको हानि पहुँचायी या पहुँचवायी जा सके।

मैंने महात्मा गान्धीकी हत्याके लिए किसीको प्रोत्साहन नहीं दिया। मुझपर जो अभियोग लगाये गये हैं मैं उनसे बिल्कुल निर्दोष हूँ। १७ तथा २५ जनवरीके बीच मैं दिल्ली, पूना अथवा बम्बई किसी भी स्थानपर मौजूद न था।

उसने बताया कि जैसा सबूत पक्षका कहना है, मैं ५ फरवरीको उकसणमें गिरफ्तार नहीं किया गया। मुझे पुलिस मेरी रक्षाके बहाने बम्बई ले गयी और बादमें मुझे बताया कि मैं गान्धी हत्याकाण्डके सम्बन्धमें हिरासतमें ले लिया गया हूँ।

दुर्घटनाके समय दूसरी जगह होनेका सबूत देते हुए गोपाल गोडसेने कहा कि मैंने अपने भाई नथूराम गोडसेकी किसी राजनीतिक हलचलमें कभी भाग नहीं लिया। महात्मा गांधी समेत किसी व्यक्ति अथवा सम्प्रदायसे मैंने कभी कोई घृणा नहीं की।

उसने कहा कि मैं सरकारका स्वामिभक्त नौकर हूँ। बम विस्फोटके समय मैं अपने गाँवमें था तथा गांधीजीकी हत्याके समय अपने खड़कीके फौजी शस्त्रागारके दफ्तरमें काम कर रहा था।

गोपाल गोडसेने हस्तलेख-विशेषज्ञ श्री गज्जरकी गवाहीको तथ्यहीन बताया। उसने कहा कि श्री गज्जर हस्तलेखकी वास्तविकता जाननेमें असफल रहे हैं। उन्होंने उस हस्तलेखको मेरा ही बताया है जो पुलिसने मुझपर दबाव डालकर मुझसे विशेष ढँगसे लिखवाया था। उनके विषयमें इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यह गवाह पुलिससे वेतन पाता है, अतः वह सामान्यतः वही बात कहेगा जिससे पुलिसके पक्षका समर्थन हो।

जिन गवाहोंने उसे पहचाना था उनके बारेमें अभियुक्तने कहा कि इन गवाहोंको मुझे शिनाख्त परेडोंसे पहले देखनेका अवसर मिला था। इसके

अलावा वे गवाह पुलिसके दबावमें काम करते थे। मैं उस जगह रखा गया था जहाँ आकर मुझे कोई भी देख सकता था। उसने कहा कि मेरे चेहरेपर जो एक निश्चित चिन्ह है उससे शिनाख्त करनेमें किसीको क्या कठिनाई हो सकती थी।

उसने यह भी कहा कि बम्बईमें पुलिसने मेरे फोटो लिये थे। मेरे मुकदमेके पहले दिन प्रेस तथा केमरामेनोंने भी फोटो ले लिये थे। समाचारपत्रोंमें प्रकाशित फोटो तथा सिनेमाचित्रोंमें दिखाये गये मुकदमा-चित्रोंसे मुझे सभी पहचान गये थे।

अन्तमें उसने कहा कि मैं अपनी पूर्ण ईमामदारीसे कहता हूँ कि मैं अभियोगोंसे निर्दोष हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मेरेलिए न्याय किया जाय और मुझे, मुझपर विना धब्बा लगाये, बरी किया जाय।

गोपालसे प्रश्न

वक्तव्यके बाद गोपाल गोडसेसे न्यायाधीशने प्रश्न पूछे। गोपालने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि १४ जनवरी १९४८ को नथूरामने अपना बीमा मेरी पत्नीके नाम वसीयत कर दिया था। १७ से २५ जनवरी तक जो छुट्टी खड़की मोटर ट्रांसपोर्ट मालगोदामसे मैंने ली थी वह मैंने उकसणमें ही बितायी थी। यह छुट्टी मैंने घरेलू कामके लिए ली थी।

जज—१९ जनवरी १९४८ को तुम शरीफ होटल (दिल्ली) में गये। तुमने वहाँ पूछा कि मदनलाल किस कमरेमें ठहरा है। तुम मदनलाल और करकरेके साथ शाम तक वहाँ ठहरे ?

गोपाल—यह गलत है।

अभियुक्तने आगे बताया कि वह हिन्दू महासभा भवनमें १९ जनवरीकी रातको कभी नहीं ठहरा। उसने मदनलाल, शंकर और बडगेको पहली बार बम्बई सी. आई. डी. कार्यालय भवनमें ही देखा था। इसके बाद जजने मेरीना होटलमें जाने, रिवाल्वर सुधारने, टैक्सीसे बिड़ला भवन जाने तथा दिल्लीके फ्रांटियर हिन्दू होटलके रजिस्टरकी खाना पूरी करने हाथ करने आदिके बारेमें अनेक प्रश्न पूछे, जिनको उसने बिल्कुल मनगढ़न्त और झूठ

बतलाया। उसने कहा कि करकरेको भी मैंने पहली बार बम्बईके सी. आई. डी. कार्यालयमें देखा था।

गोपालने आगे कहा कि २४-२६ जनवरीके बीच मैं नथूरामसे नहीं मिला। न मैंने आपटे और करकरेको ही एल्फिस्टन होटल (बम्बई) में देखा। ५ फरवरी १९४८ को मैं उकसण जा रहा था जब कि पुलिसने मुझे सुरक्षा देनेके नामपर पकड़ लिया और बम्बई सी. आई. डी. कार्यालयमें ले आयी। जब मैं उकसण जा रहा था तो मेरे पास कोई थैला न था। मुझे सी. आई. डी. कार्यालयमें प्रत्येक गवाहको पहचनवा दिया गया था। इसके बाद शिनाख्त परेडोंमें मेरी शिनाख्त करवायी गयी थी।

उसने यह मान लिया कि यह हाथके लेख उसीके हैं, किन्तु पुलिसने उससे यह सब एक विशिष्ट ढँगसे जबर्दस्ती लिखवाये थे। गवाहोंने सम्भवतः उसके विरुद्ध गवाहियाँ पुलिसके दबावसे दी हैं। मुझसे पुलिसने यह भी कहलवाना चाहा था कि नथूरामको पिस्तौल मैंने ही दी है। पुलिसकी मनचाही बात न कहनेपर मुझे तीन दिन तक खूब मारा पीटा गया।

मैं सबूत पक्षके प्रमाणोंके विरुद्ध तथा अपने बयानके समर्थनमें कोई प्रमोण नहीं देना चाहता।

२० नवम्बर—सावरकरका वक्तव्य

मेरा अन्य अभियुक्तोंसे कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध न था

"मैं सच्चे दिलसे कहता हूँ कि सबूत पक्षने जिस साँठगाँठ अथवा षड्-यन्त्रका आरोप लगाया है उसमें मेरा कभी भी कोई हाथ नहीं और न मुझे इस प्रकारकी अपराधपूर्ण योजनाकी कोई पूर्व सूचना ही थी। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसका दोषारोपण मुझपर किया गया है और न कोई कारण ही था कि मैं इस प्रकारके काम करता।" ये शब्द महात्मा गांधीकी हत्याके सातवें अभियुक्त विनायक दामोदर सावरकरने आज विशेष अदालतमें कहे।

सावरकरने अपना ५७ पन्नेका लिखित बयान पढ़कर सुनाते हुए अपने व्यक्तिगत जीवनका सिंहावलोकन कराया ताकि वे अपनी स्थितिको स्पष्ट कर सकें। उन्होंने कहा कि मैंने १९०५ में बम्बई विश्वविद्यालयसे ग्रेजुएटकी

उपाधि प्राप्त की । १९०९ में मैंने लंदनसे बैरिस्टरी पास की । मैंने मराठी और अंग्रेजीमें राजनीति, इतिहास, नाटक तथा अन्य विषयोंकी अनेक पुस्तकें लिखीं । इनमेंसे अनेक पुस्तकें या उनके अंश भारतके स्कूल तथा कालेजोंकी पाठ्य पुस्तकोंमें समाविष्ट हैं । हालमें ही मुझे नागपुर विश्वविद्यालयसे डाक्टरकी उपाधि मिली है । मुझे भारतके लगभग सभी प्रांतोंमें किसी न किसी राजनीतिक धार्मिक, साहित्यिक सम्मेलनकी अध्यक्षता करनेका अवसर मिल चुका है ।

सावरकरने कहा कि १० वर्ष हुए जब कि मैंने 'सावरकर सदन' नामक अपना दो मंजिला मकान बनवाया । मकानकी निचली मंजिलमें जो हाल है वह हिंदू संगठन कार्यालयके लिए सुरक्षित कर दिया गया है । यह हाल स्वागत भवन भी बना लिया गया था । इस हालकी बायीं तरफ कुछ वर्षों से श्री ए. एस. भिड़े किरायेपर रहते आ रहे हैं और दाहिनी तरफ मेरे सेक्रेटरी श्री जी. वी. दामले सपरिवार रहते हैं । मैं सपरिवार इस मकानकी पहली मंजिल में रहता हूँ । देश और विदेशोंके लोगोंको मुलाकात करनेका अवसर तभी दिया जाता है जब वे पहलेसे ही मेरे साथ अपना समय निश्चित करवा लेते थे ।

सावरकरने आगे बताया कि १९३७ में मैं पहली बार हिन्दू महासभाका अध्यक्ष चुना गया और तत्पश्चात् लगातार छः वर्ष तक चुना जाता रहा । अन्तमें अस्वस्थ होनेके कारण मैंने इस पदसे त्यागपत्र दे दिया । सभाका उद्देश्य हिन्दुओंका संगठन करना और उन्हें सैनिक बनाना था ।

उन्होंने कहा कि भारतमें हिन्दुओंका बहुमत है । मेरे दलका मत था कि भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य बने जिसमें जाति, धर्म तथा वर्णके बिना भेद-भावके सब नागरिकोंको समान अधिकार प्राप्त हों । लेकिन मेरे दलने यह कभी नहीं माना कि हिन्दुओंके न्याय्य अधिकारोंको छीनकर मुसलमानोंको तरजीह दी जाय ।

सावरकरने कहा कि मेरे विरूद्ध सारा आरोप केवल दो सुने सुनाये वाक्योंके आधारपर लगाया गया है । आपटे-गोडसेके अखबार 'अग्रणी' में लेख लिखनेसे मैंने इनकार कर दिया था । एक बार आर्थिक मदद दी, पर बादमें फिर उससे भी इनकार कर दिया था । कई बार गोडसेको अपने साथ ले जानेसे भी मैंने इनकार कर दिया था । यह संभव है कि आपटेने बडगेसे यह असत्य बात कही हो कि सावरकरने नेहरू-गान्धी-सुहरावर्दीको खतम करनेका आदेश दिया

है। इससे वह मुझे हिन्दू संघटनवादियोंकी दृष्टिमें बदनाम करना चाहता हो। आपटे कारगुजारी करनेवाला है यह सबूत पक्षने दिखाया है। कल्पित नाम रखकर घूमना, होटलोंमें झूठे पते देना, चोरीसे शस्त्रास्त्र बेचना आदि आरोप उसपर लगाये गये हैं। आपटेका तो कहना है कि उसने बडगेसे ऐसी कोई बात नहीं कही। बडगेको यदि सावरकरकी बातपर इतनी श्रद्धा थी तो वह दिल्लीसे अपनी जान बचानेके लिए भाग क्यों आया। पुलिस भी किसी बड़े नेताको फँसाकर सनसनी पैदा करके अपना नाम बढ़ाना चाहती होगी।

देशकी स्वाधीनताके लिए पिछले ५० वर्षोंमें जो लड़ाइयाँ हुईं उनमें मैंने भी एक सैनिककी हैसियतसे भाग लिया है और अपनी पीढीके किसी भी देशभक्तसे कम त्याग मैंने नहीं किया।

गान्धीजीने मेरे बारेमें 'यङ्ग इण्डिया' में बहुतसी प्रशंसापर टिप्पणियाँ लिखी हैं।

अन्य अभियुक्तोंकी जानकारी

सावरकरने कहा कि मैं नथूराम गोडसे, आपटे, डा० परचुरे, करकरे और बडगेको हिन्दू महासभाके कार्यकर्ता होनेके कारण जान सका था। नथूरामका मुझसे विशेष परिचय कराया गया था। आपटेका परिचय एक पत्र द्वारा हुआ था कि वह अहमदनगरका सभाई कार्यकर्ता है। डा० परचुरे ग्वालियर हिन्दू महासभाके नेताकी हैसियतसे मुझसे परिचित हुआ था। करकरे हिन्दू महासभाके टिकटपर अहमदनगर म्युनिसिपलिटीका चेयरमैन चुना गया था। बडगेने मुझे एक पत्र लिखा था कि वह एक 'हिन्दू संघटन' का सदस्य है और वह उन हथियारोंको बेचता है जो बिना लाइसेंसके बेचे जा सकते हैं।

सावरकरने कहा कि गोडसे और आपटेके पत्रोंकी यदि विशद विवेचना की जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि यह हमारा सम्बन्ध बिलकुल कानून-सम्मत था। आपटे और गोडसे एक मराठी दैनिक पत्रके लिए मुझसे धन तथा नैतिक समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। मैंने उन्हें १५००० रुपया दिया। यह इसलिए नहीं कि वह गोडसे-आपटेका पत्र था, वरन् इसलिए कि यह हिन्दू-महासभाका पत्र था। इस पत्रकी नीतिपर पूर्णतया आपटे और गोडसेका नियन्त्रण था। मेरा उसपर कोई प्रभाव न था।

मैं हिन्दू-महासभाका अध्यक्ष था। अतः इस पत्रके मुखपृष्ठपर मेरा फोटो प्रति दिन निकलता था। लेकिन फोटो प्रकाशित करनेका निर्णय गोडसे-आपटेने किया था। मैंने उसमें कोई आपत्ति नहीं समझी।

गोडसे दौरेपर मेरे साथ प्रेस प्रतिनिधिकी तरह जाता था। यह सम्पर्क केवल हिन्दू महासभाके पदाधिकारीके नाते था। यह कितना बेहूदा होगा यदि इस सम्पर्कको हत्याकाण्डमें सम्मिलित होनेकी सीमा तक सिद्ध करनेका प्रयास किया जाय।

सावरकरने बताया कि शंकर, गोपाल गोडसे और मदनलालका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना और न मैं उन्हें तनिक भी जानता हूँ।

बडगेकी गवाहीका खण्डन

बडगेने जो यह गवाही दी है कि 'मैंने १९४६ के अंतमें सावरकर-सदन की एक अनियमित सभामें यह भाषण किया कि कांग्रेसकी नीति हिन्दुओंके लिए अहितकर है और मुस्लिमोंका आर्थिक बाइकाट होना चाहिये। यदि मुस्लिम हिन्दुओंपर हमला करें तो हिन्दुओंको उसका बदला लेने तथा प्रतिरोध करनेके लिए कटिबद्ध रहना चाहिये।' बडगेका यह बयान मनगढ़ंत है। इस प्रकारकी कभी कोई सभा नहीं हुई। और यदि थोड़ी देरके लिए मान भी लिया जाय कि इस प्रकारकी सभा हुई और मैंने ऐसा भाषण किया, तो भी उसको इस विशेष षड़यन्त्रसे सम्बद्ध किसी प्रकार नहीं किया जा सकता।

बडगेने कहा है कि आपटे और गोडसेके साथ वह सावरकर-सदन गया। वह बाहर बना रहा और शेष दोनों भीतर चले गये। कुछ देर बाद वे बाहर आये। इसका यह अर्थ कैसे लगाया जा सकता है कि यदि वे लोग 'सावरकर सदन' में गये तो वह मुझसे मिलकर लौटे? आपटे और गोडसे अपने मित्रों तथा सहकर्मियोंको देखने गये होंगे। कोई स्पष्ट सबूत नहीं जो इस घटनाका समर्थन करे।

बडगेका कथन है कि आपटेने उसे दिल्ली जानेको कहा। आपटेने उससे कहा कि तात्यारावका कहना है कि महात्मा गान्धी, पं० नेहरू और श्री सुहरावर्दीका अंत कर देना चाहिये और यह काम उन्हें सौंपा गया है। यह गवाही बिल्कुल मनगढ़ंत है। आपटेने इस दुष्टतापूर्ण ढंगका हिन्दू महासभाइयोंको

मनमानी दिशामें प्रयुक्त करनेके लिए आविष्कार किया होगा। इस झूठका तीर निशानेपर लगानेके लिए मेरे नामकी ओट ली गयी होगी। आपटे और गोडसेने मुझपर जो आरोप लगाये हैं उनका तीव्र प्रतिवाद किया है।

बडगेने कहा है कि मैंने कहा 'सफल होकर वापस आओ'। इसके बारेमें मेरा कहना है कि १७ जनवरी १९४८ को या इसके आसपास गोडसे और आपटे मुझसे नहीं मिले। यदि मान भी लिया जाय कि वे सावरकर सदन में आकर मिले होंगे, तो कोई स्पष्ट सबूत नहीं जिससे साबित हो सके कि वे मुझसे मिले और षडयन्त्र-योजना पर बातचीत की।

सावरकरने कहा कि बडगेका अधिकांश बयान मनगढ़ंत है और शेष बयान का मेरे विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें कोई प्रामाणिकता ही नहीं।

कुमारी मोडकने आपटे और गोडसेको सावरकर-सदनमें स्वयं घुसते नहीं देखा। अतः उनका बयान प्रमाण नहीं माना जा सकता। डा० जैनका बयान मदनलालकी सूचनाओंपर अवलम्बित होनेके कारण निष्प्रयोजनीय है। बम्बईके गृहमंत्री श्री मुरारजी देसाईका प्रसंग भी मेरे विषयमें कुछ टेक्नीकल कमीके कारण लागू नहीं हो सकता।

"मैं निर्दोष हूँ"

पर सावरकरने कहा कि १० हजार पत्रोंमेंसे भी कोई आपत्तिजनक बात नहीं मिली। मेरे पास कोई ऐसी चीज बरामद नहीं हुई जिससे मुझे इस षडयंत्रमें शामिल माना जाय। अन्य अभियुक्तोंसे परिचित होनेका अर्थ यह नहीं कि मेरी उनसे साँठगाँठ थी। मेरे विरुद्ध जो आरोप सबूत पक्षने लगाये हैं वे सब कपोल कल्पित हैं। अतः मैं बिलकुल निर्दोष सिद्ध होता हूँ। मुझे बरी किया जाय।

अन्तमें सावरकरने अपनी उन प्रेस-विज्ञप्तियोंको दिखाया जिनमें उन्होंने १९४० में पं० नेहरू की, तथा १९४२ में म० गान्धी और पं० नेहरूकी गिरफ्तारियोंकी निंदा की थी; १९४३ में महात्मा गान्धीसे उपवास छोड़ने का अनुरोध किया था तथा श्री जिनाकी हत्याके प्रयासकी निंदा की थी।

म० गान्धीकी हत्याकी निंदा जिन स्पष्ट शब्दोंमें की थी वह भी वक्तव्य पेश किया।

सावरकरने कहा—इन विज्ञप्तियोंसे प्रकट है कि मैं विभिन्न दलोंके नेताओं-के लिए कितना अधिक सम्मान रखता हूँ।

मैं अपना अहोभाग्य मानता हूँ कि मैं अपने देशको स्वाधीन देखनेके लिए जीवित रहा। इसमें संदेह नहीं कि मेरे जीवन-लक्ष्यका एक भाग अभी पूरा नहीं हुआ। फिर भी उसे पूरा करनेकी महत्त्वाकांक्षा मैंने विसर्जित नहीं की है। अपने देशकी अखण्डता—सिंधुसे समुद्रों तक अब भी पुनः स्थापित करनी है। इस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए जो कुछ हमें मिला है उसका संघटन करना अत्यन्त आवश्यक है। इस विचारसे प्रेरित होकर मैंने जनताको हमेशा समझाया कि केंद्रीय सरकारको सुदृढ़ बनाओ, चाहे उसका नेतृत्व कोई भी दल क्यों न करता हो। मैंने नये राष्ट्रीय झंडेको स्वीकार कर लिया। महासभाकी कार्य-समितिने एक प्रस्ताव द्वारा केंद्रीय सरकारको समर्थन देनेका निर्णय किया। महासभाके नेता श्यामाप्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडलमें हैं।

सभाकी नीति तकका विरोध

सावरकरने कहा कि हिंदू महासभाकी उक्त नीतिका विरोध करनेके लिए एक हिंदू सघटन स्थापित हुआ जिसने सभाई उच्च नेताओंका खुला विरोध प्रारम्भ किया। उसने कहा कि इंडियन यूनियनको सभा द्वारा स्वीकार करना अप्रत्यक्षतः पाकिस्तानकी स्थापना मान लेना है। जो केंद्रीय सरकार पंजाब और बंगालमें लाखों हिंदुओंको नहीं बचा सकी उसे समर्थन देना हिंदूहितोंके साथ विश्वासघात करना है। सावरकरने बताया कि आपटे और गोडसेने इस विरोधी सघटनको अपनाया। वे बड़े दृढ़ विश्वासी और हिंदूहितोंके कट्टर पक्षपाती होनेके कारण उन सब बातोंके आलोचक थे जो उनके विचारसे निम्न तथा शिथिल नीतिकी द्योतक थीं।

१९४२ में बहुतसे कांग्रेसियोंने गांधीजीका आदेश तोड़कर, पर गांधीजी का नाम ले-लेकर तोड़-फोड़के काम किये, पर ब्रिटिश सरकारने भी गांधीजी पर इसके लिए मुकदमा नहीं चलाया।

अंतमें सावरकरने कहा—मेरे विरुद्ध षड्यंत्र पकने जो आरोप लगाये हैं

उन्हें वह प्रमाणित करनेमें असफल है। अतः मेरी रिहाईका तुरन्त आदेश दिया जाना चाहिये।

सावरकरको अपना ५७ पन्नेका बयान पढ़नेमें लगभग २॥ घंटे लगे। यद्यपि उनका स्वास्थ्य गिर रहा है फिर भी बयान पढ़ते समय वे खड़े रहे। उनकी आवाज स्पष्ट थी।

जब ५१ वें पन्नेपर २७ वाँ पैरा पढ़ रहे थे तो उनके बयानमें भारत-विभाजनका प्रसंग आया। इस अवसरपर उनका गला भर आया, वाणी कांपने लगी और आँखोंसे आँसुओंकी झड़ी लग गयी। थोड़ी देरको उनका स्वर अवरुद्ध हो गया; उन्होंने अपनी आँखें मलीं, आँसुओंको रूमालसे पोंछा और फिर गम्भीरतापूर्वक बयान आगे पढ़ने लगे। बादमें भी आर्द्र नेत्रों अथवा आँसुओंको वे बीच-बीचमें रूमालसे पोंछते रहे।

वक्तव्यके बाद अदालतने उनसे कुछ प्रश्न पूछे।

सावरकरसे प्रश्न

जज—यह गवाहीमें कहा गया है कि जनवरी १९४८ के पहले सप्ताहमें मदनलालने डा० जैनसे कहा कि आपने उसके अहमदनगरके कारनामोंको सुना था। आपने उसे बुलाया था। आपने उससे लगभग दो घण्टे बातें की थीं, और जब-तब पीठ ठोककर वाहवाही देते हुए कहा था—'शाबाश!'

अभियुक्त—यह सब झूठ है।

जज—१४ जनवरी १९४८ को सायँ ९ बजे नथूराम गोडसे और आपटे आपके घर गये। उनके पास विस्फोटकोंका एक थैला था। थोड़ी देर बाद वह आपके घरसे चले गये।

अभि०—यह सब झूठ है।

जज—१५ जनवरी १९४८ को प्रातःकाल दीक्षित महाराजके घरके हातेमें नथूराम गोडसेके सामने आपटेने बडगेसे कहा कि आपने निर्णय किया है कि महात्मा गान्धी, पण्डित नेहरू तथा श्री सुहरावर्दीका खात्मा कर दिया जाय। और यह काम आपने उनको सौंपा था।

अभि०—मैंने ऐसी बात आपटे, गोडसे अथवा किसी व्यक्तिसे कभी नहीं कही।

जज—१७ जनवरीको नथूराम, आपटे और वडगे आपके घर गये। लगभग १० मिनट बाद आपटे और गोडसे बाहर आये। आप भी उनके पीछे ही चले आये। आपने कहा—"सफलता प्राप्त करो और लौट आओ।"

अभि०—यह सब झूठ है।

जज—लौटनेपर आपटेने टैक्सीमें सबसे कहा कि आपने भविष्यवाणी की है कि महात्मा गान्धीके १०० वर्ष पूरे हो गये हैं।

अभि०—मैंने ऐसी बात कभी भी किसीसे नहीं कही। मैं नहीं कह सकता कि क्या कुछ हुआ!

जज—१९ जनवरीको प्रातः लगभग ९·२० बजे दिल्लीसे दामले अथवा कासारके लिए एक टेलीफोन काल किया गया। दामले आपका सेक्रेटरी है, कासार आपका अंगरक्षक।

अभि०—मैं टेलीफोन कालके बारेमें कुछ नहीं जानता। दामले मेरा सेक्रेटरी है और कासार मेरा अंगरक्षक।

जज—३१ जनवरीको आपके घरकी तलाशीमें बहुतसे पत्र मिले। इनमेंसे कुछपर गोडसे, आपटे तथा आपके हस्ताक्षर हैं।

अभि०—जी हाँ।

जज—१७ जनवरी १९४८ से पूर्व, आप नथूराम गोडसे, आपटे, करकरे, मदनलाल, परचुरे और वडगेसे भली प्रकार परिचित बताये गये हैं?

अभि०—मैं गोडसे और आपटेको हिन्दू महासभाके कार्यके सिलसिलेमें भली भाँति जानता था। करकरे, परचुरे तथा वडगेके मैंने नाम भर सुने थे। लेकिन मैं उन्हें व्यक्तिगत रूपसे नहीं जानता था। मदनलालका मुझे परिचय न था।

पूछनेपर सावरकरने कहा कि मैं और कोई बात नहीं कहना चाहता और न मैं कोई गवाह ही पेश करना चाहता हूँ।

परचुरेका वक्तव्य

मैं ग्वालियरका नागरिक हूँ

सावरकरसे जिरह होनेके बाद आठवें अभियुक्त परचुरेने अपना १५ पृष्ठका बयान पढ़ा। परचुरेने कहा कि किसी भी तथ्यके आधारपर तथा किसी भी

चावके वावजूद यह विशेष अदालत मेरे विरुद्ध लगाये गये अभियोगोंकी सुनवाई नहीं कर सकती। मैं ग्वालियर राज्यकी सरकारका राजभक्त नागरिक रहा हूँ। मैं लश्करमें पैदा हुआ और मैंने वहीं शिक्षा पायी थी। अपने जीवनकालमें मैं कभी ब्रिटिश भारतमें नहीं रहा, इसलिए मेरे मुकदमेकी सुनवाई गैर-कानूनी है।

परचुरेने इस वातका जोरदार खण्डन किया कि वह कभी भी किसी भी व्यक्तिसे महात्मा गान्धीकी हत्याके षडयन्त्रके सम्बन्धमें सहयोगी बना या सहमति प्रकट की। परचुरेने यह भी माननेसे इन्कार कर दिया कि गान्धीजीकी हत्या किसी षडयन्त्रके अनुसार हुई है।

गोडसे और आपटेके ग्वालियर जाकर उसके मकानमें ठहरनेके बारेमें परचुरेने कहा कि यह झूठ है कि वे २७ जनवरीकी आधी रातसे २८ जनवरी १९४८ की शाम तक मेरे यहाँ ठहरे। सच बात तो यह है कि वे २८ जनवरीको प्रातः ७॥ बजे मेरे यहाँ आये थे। मैं इन लोगोंको आया देख कुछ रुष्ट-सा हो गया। अपनेको सम्भाल कर मैंने उनसे कुछ बातें कीं और चाय पिलाकर औषधालय जानेके लिए बिदा माँगी। प्रातः आठ बजे मैं घरसे अकेला रवाना हुआ था।

दोपहरको एक बजे मैं जब घर आया तो उन्हें वहाँ नहीं देखा। लगभग शामके चार बजे वे मेरे यहाँ फिर आये और मैंने उनसे चाय पीनेके लिए कहा। बातचीतके सिलसिलेमें आपटेने मुझसे कहा कि हम ग्वालियर इसलिए आये हैं कि आप हमें दिल्लीमें प्रदर्शन करनेके लिए कुछ स्वयंसेवक दें। मैंने इसके लिए उनसे साफ इन्कार कर दिया।

नथूराम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघका कार्यकर्ता था

परचुरेने कहा कि गोडसे-आपटे २८ तारीखको मेरे यहाँ आये और स्वयंसेवकोंकी माँग करने लगे। मैं गोडसेको जानता था। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघसे सहानुभूति रखता था। गोडसे संघका प्रमुख संघटक रह चुका था। अपने 'हिन्दू राष्ट्र' पत्रमें वह संघका प्रचार कर चुका था। मुझे यह अच्छा नहीं लगता था क्योंकि संघ हमेशा हिन्दू महासभासे अलग रहनेकी चेष्टा करता रहा। इसीलिए मैंने स्वयंसेवक देनेसे इनकार कर दिया।

उस दिन शामको अपने साथ खाना खानेका मैंने निमन्त्रण दिया, पर वे खाना खाने नहीं आये। इसके बाद मैंने उन्हें कभी भी लश्करमें नहीं देखा। यह झूठ है कि २८ जनवरी १९४८ को दोपहर उन्होंने मुझसे या मेरी उपस्थितिमें रिवाल्वरकी चर्चा की थी। उन्होंने मेरे घरमें रिवाल्वर चलानेका अभ्यास भी नहीं किया।

यह बात भी सच नहीं है कि महात्मा गान्धीके निधनपर खुशी मनानेके लिए मेरे घरपर मिठाई बाँटी गयी थी।

अपने इकबाली बयानके बारेमें परचुरेने कहा कि मुझसे जबरन एक वक्तव्य-पर हस्ताक्षर करा लिये गये जो मेरा वक्तव्य न था।

पुलिस अफसरोंके असभ्य व्यवहारके बारेमें परचुरेने कहा कि ग्वालियर किलेकी एक पत्थरकी कोठरीमें मैं १७ दिन और १६ रात सर्वथा अकेला रहा था। ग्वालियरके सी. आई. डी. के अफसर श्री खिज्र मुहम्मदने मुझसे कहा था कि मैं अब आपसे बदला चुकाऊँगा क्योंकि आप ग्वालियरके हिंदुओंके नेता हो।

कुछ दिनों बाद भारतीय संघके पुलिस अफसर मेरी बारिकमें आने जाने लगे। उन्होंने मुझसे पूछताछ की। उन्होंने मुझसे सभी प्रकारके प्रश्न किये और अपमानजनक बातें कहीं। बम्बईके एक पुलिस अफसर देउलकरने मुझे धमकियाँ दीं और कभी कभी सलाह दी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे परिवार के सभी व्यक्ति गिरफ्तार करके इसी तरह कैद कर दिये गये हैं। पुलिस अफसरने मुझे बार बार यह सलाह दी कि तुम उस वक्तव्यपर हस्ताक्षर कर दो जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जब मैंने इससे इन्कार किया तो कहा कि अपने परिवारके विषयमें सोच लो। तुम सभीको कष्ट भोगने पड़ेंगे।

मैंने अपने परिवारका ख्याल करके, खासकर अपनी ८० वर्षीया माताका ख्याल करके, वक्तव्यपर हस्ताक्षर करनेका निश्चय कर लिया।

एक दिन प्रातः एक मजिस्ट्रेट श्री अटल कुछ अफसरोंके साथ आये। उन्होंने मेरे सामने कुछ कागज रख दिये और मुझसे हस्ताक्षर करनेको कहा। मैंने उनपर हस्ताक्षर कर दिये। पर यह सही नहीं है कि मजिस्ट्रेटने मुझसे कुछ प्रश्न किये या मेरा बयान लिखा। चूँकि उपर्युक्त हस्ताक्षर किया हुआ मेरा बयान वास्तवमें इकबाली बयान नहीं है अतः स्वीकार नहीं होना चाहिये।

अन्तमें परचुरेने कहा कि मुझपर जो आरोप लगाये गये हैं उनके सम्बन्धमें मैं सर्वथा निर्दोष हूँ, अतः मुझे मुक्त कर दिया जाना चाहिये।

२२ नवम्बर—परचुरेसे प्रश्न

आज अदालतमें जिरहके जवावमें डा० परचुरेने कहा कि गोडसे और आपटे २६ जनवरी १९४८ को मेरे मकानपर नहीं आये थे और न ही वे रातभर वहाँ रहे। उन्होंने मेरे मकानपर किसी पिस्तौलका परीक्षण नहीं किया। यह गलत है कि मैंने दण्डवतेके द्वारा उन्हें कोई पिस्तौल दिलायी थी। अभियुक्त दण्डवते इस वक्त फरार है।

परचुरेने आगे कहा कि गान्धीजीके कत्लका समाचार सुनकर मैंने यह नहीं कहा कि बहुत अच्छा काम हुआ है और हिन्दू धर्म खतरेसे बाहर हो गया है।

एक और प्रश्नका उत्तर देते हुए परचुरेने कहा कि मजिस्ट्रेटके सामने मैंने जो बयान दिया था उसपर मेरे हस्ताक्षर प्रामाणिक हैं, लेकिन मैंने अपने लिखित बयानमें उन कारणोंका निर्देश किया है जिनसे प्रभावित होकर मैंने उसपर हस्ताक्षर किये हैं।

परचुरेने आगे कहा—मेरे दादा पूनामें पैदा हुए और वहीं उन्होंने शिक्षा पायी और बम्बई प्रान्तमें उन्होंने नौकरी की थी। मैं नहीं जानता कि मेरे पिता कहाँ पैदा हुए थे और उन्होंने कहाँ शिक्षा पायी थी।

अभियुक्तको कई दस्तावेज दिखाये गये जिनसे यह स्पष्ट होता था कि श्री एस. जी. परचुरेने पूनामें शिक्षा पायी थी और वहीं वे पैदा हुए थे। डा० परचुरेने कहा कि मुझे उनके सम्बन्धमें कोई ज्ञान नहीं। मैं नहीं कह सकता कि क्या सदाशिव गोपाल परचुरे मेरे बापके रिश्तेदारोंमेंसे हैं।

इसके बाद अभियुक्तको वह फोटो दिखाया गया जिसमें कुटुम्बके सब सदस्य शामिल थे और जो अभियुक्तके मकानसे तलाशीके समय कब्जेमें लिया गया था। उसको देखकर अभियुक्तने कहा कि मुझे उसके सम्बन्धमें भी कोई ज्ञान नहीं। अभियुक्तने कुछ दस्तावेज पहचाने जो उसके पिताके अपने हाथके लिखे हुए थे और शेष दस्तावेजोंके सम्बन्धमें अभियुक्तने कहा कि मुझे पता नहीं कि वे किस व्यक्तिके लिखे हुए हैं।

इसके बाद अदालतने अभियुक्तसे पूछा कि उसके विरुद्ध मुकदमा क्यों चलाया गया है। इस प्रश्नका उत्तर देते हुए डा० परचुरेने कहा कि कुछ गवाहोंने पुलिसके दबावके कारण मेरे विरुद्ध शहादत दी है और शेषने इसलिए गवाहियाँ दी हैं कि मेरी उनके साथ वैयक्तिक शत्रुता है।

अभियुक्तने इस बातकी शिकायत की कि ग्वालियरके मजिस्ट्रेट श्री आर. बी. अटलको जिसे १० सालसे कोई तरक्की नहीं दी गयी थी, अब तरक्की दी गयी है और उसके वेतनमें १००) प्रति मासकी वृद्धि कर दी गयी है, क्योंकि उसने मेरे विरुद्ध इस मुकदमेमें शहादत दी है।

अभियुक्तने आगे कहा कि मैं अपनी सफाईमें कोई गवाही प्रस्तुत नहीं करना चाहता और न ही अपने बयानकी सचाईमें।

अभियुक्तोंके वक्तव्योंकी लम्बाई

नथूराम गोडसे	९२ पृष्ठ
आपटे	२२ ,,
करकरे	३७ ,,
मदनलाल	२१ ,,
गोपाल गोडसे	१९ ,,
शंकर किस्तय्या	अलिखित
सावरकर	५७ ,,
परचुरे	१५ ,,

तीसरा अध्याय

सबूत पक्षके वकीलका वक्तव्य

१ दिसम्बरको गान्धी हत्या काण्डके मुकदमेका तीसरा अध्याय शुरू हुआ। सबूत पक्षके प्रमुख वकील श्री सी. के. दफ्तरीने अपना वक्तव्य देना शुरू किया।

उन्होंने कहा कि इस विशेष अदालत तथा विशेष विचारपति श्री आत्मा-चरणको मुकदमा सुननेका अधिकार है। एक आर्डिनेंस द्वारा विशेष विचार-पतिको मुखबिरको क्षमा प्रदान करनेका भी अधिकार दिया गया है, और यह आर्डिनेंस अब ऐक्ट भी हो गया है।

सबूत पक्ष द्वारा अभियुक्तोंके विरुद्ध लगाये गये आरोपोंका उल्लेख करते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि गान्धीजीकी हत्या नथूराम गोडसेका स्वतन्त्र कार्य नहीं है, किन्तु उसके लिए प्रेरणा दी गयी है, उसे उकसाया गया है और इसके लिए षडयन्त्र रचा गया है।

श्री दफ्तरीने उसके लिए युक्ति पेश करते हुए कहा कि बडगेका सन् १९४७ से आपटेके साथ सम्बन्ध है। बडगे 'हिन्दूराष्ट्र' के कार्यालयमें आपटेसे मिलता रहता और उसे हथियार और गोला बारूद दिया करता था। बडगेका नौकर शंकर भी इन अवसरोंपर मौजूद होता था।

मदनलाल करकरेको साथ लेकर १० जनवरीको प्रो० जैनसे मिला था, और सेठके रूपमें करकरेका परिचय कराया था। २-३ दिन बाद मदनलाल प्रो० जैनसे फिर मिला और उसने अहमदनगरके कारनामे बताये। उसी समय मदनलालने महात्मा गान्धीको मारनेके षडयन्त्रकी बात भी जैनको बतायी थी।

श्री दफ्तरीने आगे कहा कि १३ और १४ जनवरी ऐसी मुख्य तिथियाँ हैं कि अदालतको उनका ध्यान रखना चाहिये। १३ जनवरीको नथूराम गोडसे ने अपनी बीमा पालिसी आपटेकी पत्नीके नाम कर दी और १४ जनवरीको उसने अपनी दूसरी पालिसी अपने भाई गोपाल गोडसेकी पत्नीके नाम कर दी। गोडसे और आपटेने अदालतके समक्ष बहुत कुछ कहा है किन्तु यह नहीं बताया कि ये पालिसियाँ इनके नाम क्यों की गयीं।

१४ जनवरी १९४८ को आपटे और गोडसे पूनासे बम्बई आये। शंकर और बडगे भी हथियार और गोलाबारूद लेकर बम्बई आये और १५ जनवरीसे ही गोपाल गोडसेने खड़कीमें छुट्टीका आवेदनपत्र दिया। इसका तात्पर्य है कि उन सबने १५ को बम्बईमें मिलनेका निश्चय किया था।

१५ जनवरीको मदनलाल और करकरे भी बम्बईमें थे। सावरकर और डा० परचुरेको छोड़कर सब अभियुक्त उस दिन बम्बईमें इधर उधर अनेक स्थानोंपर गये। उनके पास हथियार और गोलाबारूदका थैला था। मदनलाल और करकरे, गोडसे और आपटे तथा बडगे और शंकर अलग अलग तिथियोंपर दिल्ली-के लिए चल पड़े। दिल्ली आकर वे अलग अलग स्थानोंपर रहे। गोपाल गोडसे दिल्लीमें पहले ही मौजूद था।

इसके बाद दफ्तरीने दिल्लीमें उनके परस्पर मिलने, जंगलमें रिवाल्वर चलानेका अभ्यास करने, २० जनवरीको सवेरे बिड़लाभवन जाने और मेरीना होटल-में उनकी पारस्परिक बातचीतका उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि २० जनवरी-को गान्धीजीको मारनेका इनका प्रयत्न इसलिए सफल नहीं हुआ कि बडगेने, जिसको यह काम सौंपा गया था, यह देखा कि सब लोग तो भागनेकी ताकमें हैं और इसका परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ेगा। मदनलालने बमका विस्फोट योजनानुसार किया किन्तु बडगेने शंकरको इशारेसे कह दिया कि वह कुछ न करे और अपने आप भी शान्त रहा। बाकी सब लोग घटनास्थलसे नौ दो ग्यारह हो गये। मदनलालको पुलिस पकड़ ले गयी। बडगे और शंकर हिंदू महासभा भवन गये। दोनोंने वहाँ जाकर गोलाबारूद फेंक दिया और उसी रातको बम्बई चले गये। अन्य लोग भी दिल्लीसे चले गये।

आपटे और नथूराम गोडसे कल्पित नामोंसे बम्बईके अनेक स्थानोंमें घूमते रहे, और वहाँके अनेक होटलोंमें ठहरे। २७ जनवरीको वे पुनः हवाई-जहाजमें बैठकर बम्बईसे दिल्ली आ गये। उसी दिन रातकी गाड़ीसे वे ग्वालियर चले गये जहाँ वे डा० परचुरेके घरमें ठहरे। उन्होंने डा० परचुरेकी सहायतासे एक पिस्तौल प्राप्त की।

२८ जनवरीको वे दोनों दिल्ली लौट आये। ३० जनवरीको दिल्ली स्टेशन-पर करकरे भी उनके साथ देखा गया। वे उस उस दिन शामको प्रार्थनास्थल-पर गये थे। नथूराम गोडसेने गान्धीजीके तीन गोलियाँ मारीं, जिससे गान्धीजी

मर गये। नथूराम गोडसेके पाससे पिस्तौल और कुछ कारतूस बरामद हुए और वह गिरफ्तार कर लिया गया। २४ फरवरीको आपटे और करकरे भी अपोलो होटल बम्बईमें पकड़ लिये गये। इसके बाद विभिन्न तिथियोंपर अन्य अभियुक्त पकड़ लिये गये।

श्री दफ्तरीने कहा कि सावरकर और डा० परचुरेको छोड़कर अन्य अभियुक्तोंमें परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। सावरकर और परचुरे एक अलग प्रकारके अभियुक्त हैं। जनवरीके दूसरे सप्ताहमें गोडसे, करकरे, आपटे, मदनलाल, बडगे तथा शंकर समय समयपर साथ देखे गये। २८ जनवरीको प्रार्थना-स्थलपर यही दल फिर दिखाई पड़ा। इसलिए इसमें कोई सन्देह नहीं कि गान्धीजीको मारनेका कोई न कोई षड़यन्त्र अवश्य रचा गया था।

अपने तर्कोंको जारी रखते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि अभियुक्त दिल्लीमें जिस प्रकार पहुँचे और यहाँके होटलोंमें जिस प्रकार ठहरे और वहाँसे जिस प्रकार गये, उससे उनके विरुद्ध सन्देह होता है। अगर उन्होंने कोई गैर-कानूनी काम न किया होता, तो अपने नाम बदलकर क्यों ठहरते?

मेरीना होटलके परामर्शके विषयमें दफ्तरीने यह स्वीकार किया कि वह गवाही केवल बडगेने दी थी। यह आवश्यक नहीं है कि साक्षात् गवाही ही किसी षड़यन्त्रके अस्तित्वको सिद्ध करे। यह स्वाभाविक है कि समझौतेके अन्तर्गत किसीको माफी देकर वह सबूतके गवाहके रूपमें पेश किया जाय। यह सच है कि मुखबिरकी गवाहीको प्रत्येक महत्वपूर्ण विषयमें प्रामाणिक सिद्ध किया जाना चाहिये। किन्तु अभियुक्तके पिछले व्यवहारपर जब विचार किया जाता है तो अदालत मुखबिरकी गवाहीपर विश्वास कर सकती है। केवल अपराधके साथीकी गवाहीपर ही अदालत अभियुक्तको सजा दे सकती है किन्तु यह अपराधके स्वरूप, अपराधकर्ताओंके चरित्र तथा गवाहीकी महत्तापर आश्रित है।

डा० जैनकी गवाही, जिसका अंगदसिंह और मुरारजी देसाईने समर्थन किया है, यह सिद्ध करती है कि मदनलाल वस्तुतः गान्धीजीको मारनेके षड़यन्त्रको जानता था और मदनलालने यह डा० जैनको भी बता दिया था।

श्री दफ्तरीने कहा कि यह बात किसी तरह मानी ही नहीं जा सकती कि

शंकर किस्तय्याको २० जनवरीको बडगेके साथ दिल्लीसे लौटने तक भी यह न बताया गया हो कि तुम्हारे दिल्ली जानेका क्या प्रयोजन है।

इसके बाद श्री दफ्तरीने नथूराम गोडसे और आपटेके साथ बडगेके सावरकरके घरपर जानेकी बडगेकी गवाही और आपटे और गोडसेको सावरकर सदनकी ओर जाते देखनेकी कुमारी शान्ता मोडककी गवाहीका जिक्र किया और कहा कि इनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये।

बडगेकी गवाहीमें कहा गया है कि नथूराम गोडसेने बडगेको कहा कि गोपाल गोडसेने भी दिल्ली जानेका प्रबन्ध कर लिया है। यह वक्तव्य वस्तुतः प्रमाणित हो गया है, क्योंकि गोपाल गोडसेने १४ जनवरीको एक सप्ताहकी छुट्टीके लिए प्रार्थना-पत्र दिया था।

बडगेकी गवाहीसे यह स्पष्ट है कि आपटे १७ और १९ जनवरी १९४८ के बीच बिड़ला-भवन गया था, क्योंकि २० जनवरीको सवेरे जब वह बिड़ला-भवन गया, तो उसने वह स्थान दिखाया था जहाँ महात्मा गान्धी बैठा करते थे।

२ दिसम्बर

सबूत पक्षके प्रमुख वकील श्री चन्द्रकिशन दफ्तरीने आज भी अपने तर्क जारी रखे।

श्री दफ्तरीने पहले २० जनवरीको हिन्दू महासभा भवनके पीछेके जङ्गलमें रिवाल्वर चलानेके अभ्यासकी बडगेकी गवाहीका जिक्र किया। जङ्गलके ३-४ चौकीदारोंने अभियुक्तोंको वहाँपर देखा भी था और उसकी गवाही भी दी है।

बडगेकी गवाही है कि गोपाल गोडसेने कुछ पंजाबीमें कहा किन्तु बातचीत हिन्दुस्तानीमें हुई थी, उसमें कुछ पंजाबी मिली हो सकती है।

२० जनवरीकी शामको बिड़लाभवन जानेसे पूर्व मरीना होटलमें अभियुक्तोंकी पारस्परिक बातचीत होनेकी जो बात कही गयी है, उसके विषयमें श्री दफ्तरीने कहा कि सबूत पक्ष यह प्रमाणित करना चाहता है कि उन्होंने अपने नाम बदले। श्री दफ्तरीने यह दिखानेके लिए कुछ स्वतन्त्र गवाहोंकी गवाहियोंके उद्धरण प्रस्तुत किये कि बडगेकी गवाहीके इस हिस्सेको अदालत सच मान सकती है। नथूराम गोडसेने अपनी डायरीमें लिखा हुआ है कि उसने चंदोलकरको ५० रु० दिये। आपटेने करमरकर नाम रखकर होटल

जहाजमें दिल्लीका सफर किया। मेरीना होटलमें बडगेने अपना नाम वंडोपंत तथा आपटेने करमरकर रख लिया। विभिन्न स्थानोंमें अनेक नाम बदल लेना अभियुक्तके लिए कोई नयी बात नहीं थी।

गवाह टैक्सी ड्राइवर सुरजीत सिंहने अदालतके सामने यह कहा है कि वह २० जनवरीकी शामको अभियुक्तोंको बिड़ला-भवन ले गया था। इससे यह माना जा सकता है कि वे सब मेरीना होटलमें मिलकर बिड़ला-भवन जानेके लिए टैक्सी स्टैण्डपर आये थे, और यही गवाही बड़गेने अपने बयानमें दी है।

आपटेका प्रमुख हाथ

श्री दफ्तरीने आगे कहा कि षड्यन्त्रमें आपटेने प्रमुख भाग लिया। २० जनवरीको सवेरे उसने बड़गे आदिको बिड़ला-भवन ले जाकर वह स्थान दिखाया जहाँ गान्धीजी बैठा करते थे, और शामको उन्हें बिड़ला-भवन ले गया और उसीने यह बताया कि किसको क्या करना है। अगर वे दिल्लीमें किसी विशेष उद्देश्यसे न आये होते तो उनको एक दूसरेके निवासस्थानका पता कैसे रह सकता था?

श्री दफ्तरीने कहा कि गवाहियोंमें कुछ असंगतियाँ अवश्य हैं, किन्तु ऐसी असंगतियोंका होना अनिवार्य है। अनेक गवाहोंके बातचीत स्मरण कर उसे बतानेसे स्वरूपमें भेद हो जाना स्वाभाविक है।

विस्फोटके बाद, सुरजीत सिंहने बताया है कि गोडसे, आपटे और गोपाल गोडसे, बडगे और शंकरको छोड़ टैक्सीपर चढ़कर रफू चक्कर हो गये। बडगेने भी यह बात बतायी है।

इसके बाद दफ्तरीने अपने कथनकी पुष्टिमें जिरहके समय बडगे द्वारा दी गयी गवाहीकी मुख्य बातोंका जिक्र किया। जिरहमें यह कहा गया था, कि हिन्दू महासभा भवनमें ठहरनेके लिए आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती है। अगर आज्ञा लेना आवश्यक है तो शंकर और बडगेने भी हिन्दू महासभा भवनमें ठहरनेसे पूर्व आज्ञा ले ली होगी, अन्यथा यह मानना चाहिये कि आज्ञा लेना आवश्यक नहीं।

आपटे और बडगे तथा आपटे और दीक्षित महाराजकी मुलाकातोंके समय-में कुछ गड़बड़ी और अनिश्चितता प्रकट होती है, किन्तु इसके साथ ही बातचीतके

समय दीक्षित महाराजके स्वास्थ्य तथा बातचीत और बयानके समयके अन्तरका भी ध्यान रखना चाहिये।

बचाव पक्षको इस दलीलका जवाब देते हुए कि बडगेकी गवाही कोई बहुत अर्थ नहीं रखती, दफ्तरीने कहा कि बडगे साधारण आदमी है, मामूली काम करता है, और उसका चरित्र कोई बहुत ऊँचा नहीं है। न ही वह कोई विद्वान् है किन्तु केवल इन्हीं आधारोंपर अदालत उसकी सारी गवाहीको झूठा नहीं कह सकती।

२० जनवरीकी शामको अभियुक्तोंको अपनी पहली योजनामें परिवर्तन करना पड़ा क्योंकि बडगेने कमरेमें घुसनेसे इन्कार कर दिया था और उसे खुलेमें ही गान्धीजीको गोली मार देना अधिक पसन्द था। यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि बडगेने कमरेमें पकड़े जानेके डरसे ऐसा कहा हो।

इसके बाद श्री दफ्तरीने कहा कि हस्तलेख विशेषज्ञोंने यह सिद्ध कर दिया है कि करकरे द्वारा बडगेको लिखा हुआ जो फटा पत्र मिला है उसमें करकरेके ही हाथसे लिखा हुआ है। जिरहमें बडगेसे पूछा गया था कि क्या करकरेसे उसे ४०० रु० मिले। इससे सबूतके पक्षको बल मिलता है कि करकरे और बडगे एक दूसरेको जानते थे।

अभियुक्तोंने अपने बयानोंमें कहा है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें तंग किया गया और सताया गया। बचाव पक्षके वकीलोंको पुलिस अफसरोंके विरुद्ध ये अभियोग नहीं लगाने चाहिये, क्योंकि उन्हें उनका उत्तर देनेका अवसर नहीं मिला।

श्री दफ्तरीने बडगेके जिरहके समय किये गये प्रश्नोंको उद्धृत किया और कहा कि इनमें सबूतके विषयमें पहलेसे ही कुछ धारणाएँ बना ली गयी हैं।

बचाव पक्षके वकीलने बडगेसे पूछा था कि क्या यह सत्य नहीं है कि आपटेने १९ जनवरीको हिन्दू महासभा भवनमें बडगेको फटकारा हो कि यद्यपि उसे रुपये मिल गये हैं तो भी उसने स्वयंसेवक नहीं जुटाये। इस प्रश्नसे ३ परिणाम निकलते हैं। १. वे उस हिन्दू महासभा भवन गये थे। २. उनकी बैठक हुई और ३. कुछ रुपया भी दिया गया।

बडगेकी स्मरणशक्ति अद्भुत है, उसमें साहस और आत्मविश्वास है।

दिन तक वह बराबर जिरहका सामना करता रहा। अगर उसकी गवाही झूठी हो, और वह इन अभियुक्तोंके दलका न हो, तो उसको ये सब बातें इतनी अच्छी तरह कैसे याद रह सकती हैं।

२ दिसम्बर

श्री दफ्तरीका वक्तव्य आज भी जारी रहा। उन्होंने कहा कि सबूतके अन्य गवाहोंके बयानोंसे जरूरी अंश लेकर मैं यह दिखाऊँगा कि बडगेकी गवाही उनसे मिलती है। शांता मोडक १४ जनवरीकी शामको पूनेसे बंबई आपटे-गोडसेके साथ आयी। बडगेने भी कहा था कि ये लोग इसी दिन बंबई आये और बादमें उसी दिन रातमें आपटे, गोडसे और बडगे फिर सावरकर-सदन गये।

बचावके वकीलोंने जिरहमें शांता मोडकके बयानपर आपत्ति नहीं उठायी थी।

दीक्षित महाराजकी गवाहीसे यह साफ है कि (१) १५ जनवरीको दीक्षित महाराजके घर शस्त्रास्त्र और विस्फोटक पदार्थ देखे भाले गये थे। (२) एक या दो रिवाल्वरोंकी माँग की गयी थी। (३) दीक्षित महाराजसे एक रिवाल्वर माँगा गया था। (४) बडगेने पिस्तौलके लिए दीक्षित महाराजसे रुपया माँगा था। (५) कश्मीरके लिए ३०–४० हजारके शस्त्रास्त्र एकत्र किये गये थे। (६) ये सब एक 'महत्त्वके कामसे' जा रहे थे।

श्री दफ्तरीने कहा कि इन सब बातोंकी पुष्टि हुई यद्यपि तारीखके बारेमें कुछ गड़बड़ी थी। इसका कारण यह हो सकता है कि श्री दीक्षित महाराजको कुछ बातें ठीक ठीक याद न रही हों क्योंकि षडयन्त्रमें वे कोई भाग नहीं ले रहे थे।

२६ जनवरीको फिर रिवाल्वर माँगा गया। आपटे-गोडसे उस दिन दीक्षित महाराजके यहाँ गये। बचाव पक्षने इस मुलाकातकी बातको जिरहके समय अस्वीकार नहीं किया है। मुलाकातके समय जो बात-चीत हुई उसके बारेमें भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया।

इस तर्कपर कि दीक्षित महाराजने पुलिसके कहनेसे गवाही दी होगी, श्री दफ्तरीने कहा कि बचावके वकील यह सवाल पूछ सकते थे कि क्या आपने पुलिसके दबावसे गवाही दी है, पर ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया। दीक्षित महा-

राजने भी स्वीकार किया है कि वे गैरकानूनी रूपसे शस्त्रास्त्र और गोला-बारूदका लेन-देन करते रहे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे बम्बईके हिन्दुओंको आत्मरक्षाके लिए तलवारें और खंजर देते रहे। उस समय कुछ लोगोंकी यही विचारधारा थी। दीक्षित महाराज एक सम्प्रदायके आचार्य हैं। इसलिए उनकी गवाही सच माननी होगी।

यह भी कहा गया कि उन्होंने अपनेको बचानेके लिए गवाही दी होगी, पर बचना किससे था? वे तो षड्यन्त्रमें थे ही नहीं। अब कहा जाता है कि दीक्षित महाराज कांग्रेसी हैं इसलिए उन्होंने गवाही दी। पर दीक्षित महाराज इसका खण्डन कर चुके हैं। उन्होंने 'भारत छोड़ो' आन्दोलनमें सहायता दी, पर बहुतसे गैरकांग्रेसी भारतीयोंने भी ऐसी सहायता दी है। जिरहके समय भी ऐसी कोई बात उनसे नहीं पूछी गयी थी।

इन सब बातोंसे कहा जा सकता है कि दीक्षित महाराज और बडगेकी गवाहियाँ मिलती जुलती हैं।

टैक्सी ड्राइवर कोटियनकी गवाहीका जिक्र करते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि बडगेने १७ जनवरीको जहाँ जहाँ बम्बईमें जानेकी बात कही वे सब जगहें उसकी गवाहीमें भी आ गयी थीं।

१७ जनवरीको गोडसे-आपटे हवाई जहाजमें गये, इसकी पुष्टि दादा महाराजने की। एयर इण्डियाके श्री जयरामने भी टिकट दिखाकर बता दिया कि आपटे और गोडसे १७ और २७ जनवरीको हवाई जहाजसे दिल्ली गये थे।

दादा महाराजकी गवाहीके बारेमें श्री दफ्तरीने कहा कि आपटेने एक आदमीको दादा महाराजसे मिलने पंढरपुर भेजा था। वह सम्भवतः करकरे ही था। आपटे और करकरेको दादा महाराज अच्छी तरह जानते थे। यदि आपटे गोडसेका इरादा दिल्लीमें केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन करनेका था तो आपटेने यह क्यों कहा—जब सब हो जायगा तो आपको मालूम हो जायगा।

केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकी बात होती तो उसमें छिपानेकी कोई बात नहीं है। दादा महाराज और आपटेके बीच गाड़ियाँ, पुल विस्फोटसे उड़ाने तथा इसी तरहकी बात होती रही। इसलिए दादा महाराजका यह सोचना कि कोई भारी बात होनेवाली है उचित ही था। आपटेके दिमागमें भी उस समय कोई भारी बात थी जिसे वह बताना नहीं चाहता था।

अमचेकरने अपनी गवाहीमें कहा है कि दिल्लीके शरीफ होटलमें करकरे और मदनलालके साथ गोपाल गोडसेको भी उन्होंने देखा था। वे १७ से १९ जनवरीतक दोनोंके साथ रहे और गोडसेको काफी समयतक उन्होंने देखा होगा, इसलिए उनकी गवाहीपर अधिक विश्वास रखना चाहिये। कहा गया है कि अमचेकरको नगरवालाने नौकरी दिलायी। यह प्रश्न अमचेकरसे पूछा जाना चाहिये था, पर नहीं पूछा गया था।

बडगेने जो 'सामान' दिया उसके बारेमें नागमोडे, खरात और शेलार कह चुके हैं। बहुतसे गवाह कह चुके हैं कि उन्होंने १७ और २० जनवरीके बीच अभियुक्तोंको दिल्लीमें देखा था। ड्राइवर सुरजीतसिंहने कहा है कि २० जनवरीकी शामको उसकी मोटरमें आपटे, गोपाल गोडसे, बडगे और शंकर रीगल सिनेमाके टैक्सी स्टैण्डसे बिड़लाभवन गये और आपटे, गोपाल गोडसे और नथूराम गोडसे वापस आये। जिस प्रकार जल्दी जल्दी और हड़बड़ा कर वे आये उससे मालूम होता है कि वे सब जानते थे कि क्या हो रहा है।

सुलोचनाने भी उसी शामको गोडसे, आपटे, बडगे और मदनलालको देखा था। मदनलालको तो उसने बमकी बत्तीमें सलाई लगाते हुए देखा था। बम-विस्फोट अकेले मदनलालका काम नहीं था। उसी समय प्रार्थना-सभामें अन्य अभियुक्तोंका उपस्थित रहना तथा बडगे तथा अन्य गवाहोंकी गवाहियोंसे इस बातका सबूत मिलता है कि गान्धीजीकी हत्याके लिए षडयन्त्र रचा गया था।

कहा गया है कि छोटूराम पर पुलिसका दबाव पड़ा है, पर यह नहीं बताया गया कि क्यों ऐसा दबाव डाला गया होगा।

४ दिसम्बर

आज चौथे दिन भी वकील श्री दफ्तरीकी बहस जारी रही।

बिड़ला भवनके चौकीदार भूरसिंहकी गवाहीका उल्लेख करते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि इस गवाहने २० जनवरी, १९४८ को प्रार्थना मैदानमें नथूराम गोडसे, मदनलाल, बडगे तथा गोपाल गोडसेको देखा था। उसने प्रामाणिक वस्तुओंके साथ संग्रहीत मदनलालके उस कोटको भी पहचान लिया है जो वह अपनी गिरफ्तारीके समय पहने हुए था।

श्री दफ्तरीने बताया कि सरकारी गवाहोंसे जिरहके समय बचाव पक्षकी ओरसे कोटके सम्बन्धमें कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। मदनलालने अपने लिखित बयानमें कोटका कोई जिक्र नहीं किया है। लेकिन पूछनेपर मदनलालने अदालतसे कहा है कि यह वह कोट नहीं जो वह गिरफ्तारीके समय पहने था। लेकिन जब यह कोट एक हथगोले सहित पुलिसने मदनलालके पाससे हिरासतमें लिया तो मजिस्ट्रेट श्री साहनी तथा पुलिस सब इन्स्पेक्टर दसवन्दासिंह भी मौजूद थे।

श्री दफ्तरीने आगे कहा कि आपटेने यह मान लिया है कि वह २० जनवरी १९४८ की शामको प्रार्थना-मैदानमें गया था। वह टैक्सीमें नहीं, वरन् एक प्राइवेट कारमें गया था। उसने बडगे और शंकरको रास्तेमें जाते पाया और उन्हें अपने साथ बैठा लिया। बचाव पक्षने इस गवाहीकी पुष्टिमें अपनी जिरहमें कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं दिये।

अन्य बहुतसे गवाहोंने भी अभियुक्तोंको उस दिन शामको प्रार्थना-मैदानमें देखनेकी गवाहियाँ दी हैं। इन प्रमाणोंसे २० जनवरीकी तिथि सही सिद्ध हो जाती है। यह भी प्रमाणित हो जाता है कि अभियुक्त किसी सामान्य उद्देश्यकी पूर्तिके लिए वहाँ आये थे।

चमनलालकी गवाहीका उल्लेख करते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि बडगेने हिंदू महासभा भवनके पीछेसे जो हथगोले बरामद होनेका बयान दिया है, वह प्रमाणित हो जाता है।

श्री दफ्तरीने आगे कहा कि गवाह गोडबोलेके बयानसे उस रिवाल्वरका भी भेद खुल गया है जो गोपाल गोडसे २० जनवरीको दिल्ली लाया था और फिर बम्बई वापस ले गया।

इसके बाद श्री दफ्तरीने दिल्लीके शरीफ और मेरीना होटलोंकी गवाहियों द्वारा यह प्रमाणित किया कि करकरे, मदनलाल, अप्तेकर, गोपाल तथा नथूराम गोडसे और आपटे कहाँ-कहाँ ठहरे थे और दिल्लीमें ही थे। उन्होंने बताया कि करकरेने शराब मँगायी थी और कमरा नं० ४० के अतिथियोंने बिल चुकाया था। वह सब लोग एक सामान्य उद्देश्यकी पूर्तिके लिए दिल्लीमें जमा हुए थे।

विस्फोटके वाद

विस्फोटके पश्चात् , आपटे और गोडसे कानपुरको ; बडगे और शंकर बम्बईको तथा करकरे और गोपाल दिल्लीके फ्रांटियर हिन्दू होटल चले गये।

फ्रांटियर हिन्दू होटलके मैनेजरने २० जनवरी १९४८ को सायं ९ बजे करकरे तथा गोपाल गोडसेके होटलमें होनेका प्रमाण दिया है।

श्री दफ्तरीने आगे कहा कि गोपाल गोडसेने होटलके रजिस्टरमें जान बूझकर गलत समय लिखा है। यह भी संभव हो सकता है कि अन्य लोगोंके साथ बडगे गुसलखानेमें (कमरा नं० ४०) जब फ्यूज तथा डिटोनेटर ठीक कर रहा था तो उसने नथूराम तथा गोपालकी हलचलोंको न देखा हो। इसलिए इनके वारेमें और कुछ नहीं बता सकता।

६ दिसम्बर

आज श्री दफ्तरीने अपनी बहस जारी रखते हुए कहा कि बडगेकी गवाहीके अनुरूप ही स्थितियोंके प्रमाण ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि महात्मा गान्धी-की हत्या करनेके लिए एक षड़यन्त्र रचा गया था। सभी अभियुक्तोंकी बम्बईमें उपस्थिति दीक्षित महाराज और कोटियन नामक टैक्सी ड्राइवरकी गवाहियोंसे सिद्ध हो जाती है। सभी अभियुक्त २० जनवरीको महात्मा गान्धीकी प्रार्थना-सभामें विड़ला-भवनमें उपस्थित थे। पाँच अभियुक्तोंने भी यह स्वीकार किया है कि वे विभिन्न कारणों और उद्देश्योंसे २० जनवरीकी शामको विड़ला-भवन गये थे। यह वात समझमें नहीं आती कि वे वहाँ बिना किसी पूर्व योजनाके अनुसार एक साथ कैसे पहुँचे।

श्री दफ्तरीने आगे कहा कि एक हथगोला मदनलालके पाससे बरामद हुआ था। इस बातके भी प्रमाण मौजूद हैं कि एक अभियुक्तने तीन हथगोले इधर उधर कर दिये थे। इसके वाद श्री नगरवाला नथूराम गोडसेके साथ दिल्ली आये थे जो कि उन्हें पाँचवाँ बम दिखाना चाहता था। उन स्थितियोंके कारण यह सोच सकना असम्भव है कि मदनलालके पास जो बारूदी रुईका टुकड़ा और हथगोला था, उसकी जानकारी दूसरे अभियुक्तोंको न हो।

यह बात तो निस्सन्देह सिद्ध हो चुकी है कि ये अभियुक्त हथियारोंकी

खरीद और बिक्री करते थे। इस प्रकार उनके पास हथगोला या अन्य वस्तुएँ होना सहज सम्भव था।

मेरीना होटलके चालीस नम्बरके कमरेमें कौन कौन ठहरे हैं, इसकी जानकारी मदनलालको होना, अन्य लोगोंके दिल्लीमें होनेके बारेमें मदनलालको ज्ञात होना, १० जनवरीको गोपाल गोडसे द्वारा खड़की शस्त्रागारसे छुट्टी लेना, १३-१४ जनवरीको नथूराम गोडसे द्वारा अपनी बीमाकी पालिसियोंमें आपटे और गोपाल गोडसेकी पत्नियोंको वारिस बनाना तथा दादा महाराज और दीक्षित महाराजसे रिवाल्वर माँगना, इन सारी चीजोंपर एक साथ गौर करनेसे पता चलता है कि यह सब एक निश्चित षड्यन्त्रके अनुसार हुआ।

इसके साथ आपटे, नथूराम गोडसे, करकरे और मदनलालकी विचारधारा एक थी। महात्मा गान्धीके विचारोंके विरुद्ध उनमें विचारसाम्य था और निस्सन्देह वे एक ही उद्देश्यकी सिद्धिके लिए दिल्लीमें इकट्ठे हुए थे।

उसके बाद डा० जैनकी गवाहीका हवाला देते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि यह बात मदनलालने भी स्वीकार की है कि डा० जैन मदनलालको जानते थे। यह बहुत संभव हो सकता है कि युवक और भावुक होनेके कारण मदनलालने शेखीके मारे प्रो० जैनको बताया हो कि उसने अहमदनगरमें क्या क्या हथियार और गोला-बारूद इकट्ठे किये हैं और महात्मा गान्धीकी हत्या करनेकी योजना बनायी जा रही है। इस सम्बन्धमें वह सावरकरसे मिला और उन्होंने उसकी (मदनलालकी) पीठ थपथपायी। डा० जैन प्रोफेसर और शान्तिप्रिय व्यक्ति हैं। वे शस्त्रास्त्र और गोला-बारूदसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते। वे सम्मानित व्यक्ति भी हैं। फिर भला वे उस मदनलालके विरुद्ध यह सारी झूठी बातें क्यों कह सकते हैं जिसे तथा जिसके परिवारको वह स्वयं भली प्रकार जानते हैं?

बचाव पक्षकी ओरसे कहा गया है कि यदि डा० जैन यह बात जान गये थे, तो उन्होंने पुलिसको इसकी सूचना क्यों नहीं दी। पर डा० जैनने मदनलालकी बातपर इसलिए अधिक ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस समय सारे शरणार्थी कांग्रेसके विशेषतः महात्मा गान्धीके विरुद्ध थे। जब उन्होंने यह सुना कि गान्धीजीकी प्रार्थना-सभामें विस्फोट हुआ और मदनलाल पकड़ा गया तो

सच्चे नागरिककी भाँति उन्होंने वह सारी बातें अधिकारियोंको बता दीं जिसका कि गान्धीजीकी हत्याके षडयन्त्रके बारेमें पता था।

सबूत पक्षके एक गवाह अंगदसिंहने प्रो० जैनकी गवाहीकी पुष्टि की है। बचाव पक्षने इसके विरुद्ध कुछ नहीं कहा है। मदनलालने भी इस गवाहके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाये हैं।

श्री मुरारजी देसाईने अपने ११ वर्षके मजिस्ट्रेटीके अनुभवसे डा० जैनकी बातोंको स्पष्ट और सच समझा। वे पूर्णतः स्वीकार्य गवाह हैं जिनकी गवाहीपर विश्वास किया ही जाना चाहिये।

इसके बाद श्री दफ्तरीने श्री मुरारजी देसाई और अंगदसिंहकी गवाहीके वे भाग पढ़े जिनसे यह सिद्ध होता था कि डा० जैनकी गवाही सच है।

बचाव पक्षके वकीलने डा० जैनके साधारण ज्ञानके बारेमें संदेह प्रकट किया है क्योंकि वे बम्बईके गवर्नरका नाम और उनके पदग्रहणकी ठीक तारीख नहीं बता सके थे। श्री दफ्तरीने कहा कि शिक्षाकी वर्तमान प्रणालीमें छात्रोंका साधारण ज्ञान अधिक नहीं होता। इस बातसे पता चलता है कि प्रोफेसर दिन प्रतिदिनकी राजनीतिसे कितने अलग रहते थे।

डा० जैन, अंगदसिंह और श्री मुरारजी देसाईकी गवाहियोंसे प्रकट होता है कि महात्मा गान्धीकी हत्याका षड़यन्त्र रचा गया था और २० जनवरी १९४८ से पहले रचा गया था।

श्री दफ्तरीने अपनी दलीलें जारी रखते हुए कहा कि आपटे और गोडसे कल्पित नामोंसे विभिन्न होटलोंमें २३ जनवरीके बाद रहते रहे हैं। कल्पित नाम रखनेकी महत्ताको आप स्वयं समझ सकते हैं।

२५ जनवरीको आपटे, गोडसे, गोपाल गोडसे और करकरे बसन्त जोशीके मकानपर देखे गये। आपटे जोशीके मकानमें ५ से १३ फरवरीतक रहा। बचाव-पक्षने आरोप लगाया है कि बसन्त जोशीने पुलिसके दबावके कारण गवाही दी। गवाहने जिस तरीकेसे साफ-साफ गवाही दी है, उसको ध्यानमें रखा जाना चाहिये।

श्री दफ्तरीने आगे कहा कि एक रिवाल्वर बडगे और दूसरा गोपाल गोडसे लाया था। दोनों ही रिवाल्वर खराब थे, अतः दीक्षित महाराजसे बढ़िया रिवाल्वरकी माँग की गयी। यदि उन्होंने इस कार्यके लिए बम्बईसे

ही रिवाल्वर ले लिया होता तो वे ग्वालियर क्यों जाते ? चूँकि उन्हें बम्बईमें बढ़िया रिवाल्वर नहीं मिला, इसलिए वे ग्वालियर गये ताकि परचुरेकी सहायतासे रिवाल्वर लिया जा सके।

ग्वालियर जानेके बारेमें दो बातें हैं—(१) वे २७ जनवरी १९४८ को रातके ११॥ बजे गये तथा (२) वे २८ जनवरीको प्रातः ग्वालियर गये। पर ताँगेवाले सबूत पक्षके गवाहोंने बताया कि वे अभियुक्तोंको २७ जनवरीकी रातको १२ बजेके करीब डा० परचुरेके घर पहुँचाने गये थे।

ग्वालियरके मजिस्ट्रेटके सामने दिये डा० परचुरेके इकबाली बयानका कुछ भाग श्री दफ्तरीने पढ़कर बताया कि परचुरेने यह भी स्वीकार किया है कि गोडसे और आपटे उसके घर २७ जनवरीको रातके ११॥ बजे गये थे और गान्धीजीकी हत्या करनेके लिए एक पिस्तौल प्राप्त करना उनका उद्देश्य था। दण्डवते (फरार अभियुक्त) ने जो पिस्तौल ला दी थी, उसके ५००) में ३००) आपटेने दे दिये थे। इससे साफ है कि आपटे और गोडसे दिल्लीमें प्रदर्शन करनेको स्वयंसेवक लेने नहीं वरन् पिस्तौल लेने गये थे।

बचाव पक्षकी ओरसे कहा गया है कि ग्वालियरके गवाहोंने पुलिसके दबावसे गवाहियाँ दीं। ग्वालियरके गवाहोंसे काले, खिरे और गोयलसे नथूराम गोडसेके वकीलने जिरहतक नहीं की, इससे पता चलता है कि यह आरोप कहाँतक निराधार है। श्री दफ्तरीने आगे कहा कि दिल्ली रेलवे स्टेशनके गवाहोंने अपने बयानमें कहा है कि उन्होंने २९ जनवरी १९४८ को आपटे, गोडसे और इनके साथ करकरेको देखा है। इसलिए जिस दिन महात्मा गान्धीकी हत्या की गयी उस दिन आपटे, गोडसे और करकरे दिल्लीमें थे।

३० जनवरीसे २ फरवरीतक करकरेने क्या किया, इसका पता नहीं। हाँ, यदि करकरे ३० जनवरीको दिल्लीसे बम्बईको रेल द्वारा गया होता तो यह समय रेलयात्रामें ही कट गया होता।

७ दिसंबर

सबूत पक्षके प्रधान वकीलने आज छठे दिन भी अपनी दलीलें जारी रखीं और बताया कि बम्बई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जानेसे पूर्व आपटे और करकरेने ३० जनवरीसे १४ फरवरी तक क्या किया।

श्री दफ्तरीने बमविस्फोटके बाद २० जनवरीको मदनलालसे प्राप्त कोटके बारेमें विस्तारपूर्वक बताया और कहा कि प्रामाणिक वस्तुओंमें जो कोट रखा गया है, उसके सम्बन्धमें मदनलालका कहना है कि यह वह कोट नहीं है जो वह गिरफ्तारीके समय पहने था। पर बचाव पक्षकी ओरसे यह दिखानेका प्रयत्न भी किया गया है कि गिरफ्तारीके समय मदनलाल कोट पहने भी था या नहीं, यदि पहने था तो कैसा।

बम्बई सी० आई० डी० पुलिसके दफ्तरमें आपटेके कमरेसे जो पैण्ट बरामद हुआ उसके सम्बन्धमें श्री दफ्तरीने कहा कि पूनाके दर्जी दाबकेने अदालतके सामने यह शिनाख्त की है कि यह कोट जिसे पहने मदनलाल दिल्लीमें गिरफ्तार हुआ था, तथा यह पैण्ट दोनों मैंने आपटेके लिए सिये थे और एक ही सूटके हैं। आपटेने भी स्वीकार किया है कि यह पैण्ट मेरा है पर उसने कहा कि यह पैण्ट और ट्रंक पुलिसने मेरे कमरेमें लाकर रख दिया था और पंचोंके आनेपर मुझसे कहा कि पैण्ट निकालकर दे दो। पर पुलिस अफसरोंका कथन इसके विरुद्ध है।

आपटेका यह भी कहना है कि मैंने यह सूट बम्बई कैम्पके शरणार्थियोंमें बाँटनेके लिए दिया था। इसलिए मुझे पता नहीं कि पुलिस इसे ले कहाँसे आयी। श्री दफ्तरीने कहा कि यदि यह पैण्ट अपोलो होटलमें आपटेकी गिरफ्तारीके समय उसके पास नहीं था तो सी. आई. डी. के दफ्तरमें आपटेके पास कहाँसे आया। इस बातकी साक्षी मौजूद है कि बम्बईके सी. आई. डी. दफ्तरमें जब आपटे कैद था तो उसे अपने सम्बन्धियोंसे कपड़े मिल सकनेकी सुविधा थी और आपटेको देनेसे पूर्व उनकी परीक्षा नहीं होती थी। जाँच पड़तालके सिलसिलेमें पूनासे खबर मिली कि आपटेके पास बक्समें वह पैण्ट है तो आपटेके कमरेकी तलाशी ली गयी और पैण्ट बरामद हुआ।

आपटेका कथन "दूसरा" विचार है और आपटे तथा मदनलाल २० जनवरीसे पूर्व एक दूसरेको जानते थे। यह मानना अधिक युक्तिपूर्ण मालूम देता है कि आपटे मदनलालको एक शरणार्थीके रूपमें जानता हो और उसे अपना कोट दे दिया हो और पैण्ट आपटेके पास रह गया हो। पर यह कहना कि यह पैण्ट बादमें पुलिसने लाकर उसे दिया, ऐसी बात है जिसपर विश्वास नहीं किया जा सकता।

बचाव पक्षकी ओरसे सबूत पक्षके कथनको गलत सिद्ध करनेकी चेष्टा नहीं की गयी है। इसलिए सबूत पक्षका कथन ही निर्विवाद सत्य समझा जाना चाहिये।

श्री दफ्तरीने आगे बताया कि अभियुक्तोंको थानोंमें रखने और एक स्थानसे दूसरे स्थान तक जाँच पड़तालके लिए ले जाते समय अभियुक्तोंका परिचय छिपानेकी यथाशक्ति सावधानी रखी गयी थी। एक या दो व्यक्तियोंको छोड़कर बचाव पक्षकी ओरसे किसीने भी यह नहीं कहा कि अभियुक्त बाहर लाकर शिनाख्त गवाहोंको दिखाये गये। गोडसेने स्वयं अपने वक्तव्यमें यह स्वीकार किया कि जब वह तुगलक रोड थानेके कमरेमें बन्द था तो दरवाजेके सामने कम्बल लटकाया हुआ था। पर गोडसेने इसकी शिकायत की है कि टैक्सी ड्राइवर सुरजीतसिंहको उसे देखनेका मौका मिल गया था। श्री दफ्तरीने कहा कि इस बारेमें गवाह सुरजीतसिंहसे बचाव पक्षके वकीलोंने कोई प्रश्न नहीं किया।

इसके बाद श्री दफ्तरीने विभिन्न गवाहोंकी गवाहियोंके वे भाग पढ़े जिनमें कहा गया था कि थानोंमें या बाहर अभियुक्तोंको न देख सकनेकी पूरी-पूरी सावधानी बरती गयी थी।

शिनाख्त परेडके बारेमें बचाव पक्षकी ओरसे कोई प्रश्न नहीं उठाया गया, हाँ अन्य स्थितियोंके कारण कुछ सन्देह उत्पन्न करनेका प्रयत्न अवश्य किया गया है। दिल्लीके मजिस्ट्रेट लाला किशनचन्दसे बचाव पक्षकी ओरसे शिनाख्त परेडके तरीकोंके बारेमें प्रश्न नहीं पूछा गया। इस बातका आरोप लगाया गया है कि शिनाख्त परेडोंसे पूर्व गवाहोंको अभियुक्त दिखा दिये गये थे। पर मजिस्ट्रेटने अपनी गवाहीमें कहा है कि शिनाख्त परेडोंके समय कोई भी पुलिस-अफसर मौजूद न रहता था।

श्री दफ्तरीने बम्बईकी शिनाख्त परेडका जिक्र करते हुए कहा कि बचाव पक्षने उसके बारेमें कोई भी आपत्ति नहीं उठायी है। केवल करकरे और गोपाल गोडसेने अपने बयानोंमें यह आपत्ति की थी कि अभियुक्तोंका समूह-फोटो पहले लिया गया था और शिनाख्त करनेवाले गवाहोंको दिखा दिया गया था।

अपनी बहस जारी रखते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि दिल्लीमें मदनके विस्फोट-

से जो हानि पहुँची थी, उसकी मरम्मत अभी तक नहीं की गयी है। यहाँकी मरम्मत किये जाने सम्बन्धी बच.व पक्षकी आपत्ति गलत है।

इसके बाद श्री दफ्तरीने सबूत पक्षकी गवाहियोंका हवाला दिया और कहा कि सबूत पक्षकी गवाहियोंको सच मान लिया जाय तो इस बातमें तनिक भी सन्देह नहीं रह जायगा कि २० और ३० जनवरीकी घटनाएँ एक ही योजनाके अनुसार हुई हैं। सबूत पक्षने दोनों घटनाओंको सम्मिलित रूपसे प्रमाणित किया है।

नथूराम गोडसेके विरुद्ध लगाये गये आरोपोंका वर्णन करते हुए श्री दफ्तरी-ने कहा कि गोडसेने अपने बयानमें यह बात स्वीकार की है कि उन्होंने गान्धी-जीकी हत्या की है। कानूनके अनुसार किसी भी व्यक्तिको हत्या करनेका अधिकार नहीं है। किसी हत्याको उचित सिद्ध करनेके लिए दी गयी सफाई कानूनके समक्ष बेकार होती है। पाकिस्तानको ५५ करोड़ रुपया दे देनेका गोडसेने बहुत जिक्र किया है। २० जनवरीसे ३० जनवरीके बीच ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं घटी जिसके कारण नथूराम गोडसे इतना उत्तेजित हो गया कि उसने महात्मा गान्धीकी हत्या कर दी। यह नृशंस, स्वेच्छासे तथा अविचारपूर्वक जान बूझ-कर की गयी हत्या है।

इसके बाद श्री दफ्तरीने उस पत्रका जिक्र किया जो गोडसेने दिल्लीसे आपटे-को लिखा था और जिसमें उसने लिखा कि मेरा दिमाग चरम सीमातक उत्तेजित हो चुका है। मैं पूछता हूँ कि २० जनवरीसे ३० जनवरीके बीच ऐसी क्या घटना हुई जिसके कारण गोडसे इतना उत्तेजित हो गया। षडयन्त्रके बारेमें भी सबूत पक्षकी गवाहियाँ बहुत तगड़ी हैं। गोडसे इसलिए अपनेको शेष व्यक्तियोंसे अलग बताता है ताकि बाकीके अभियुक्त बच जायँ।

श्री दफ्तरीने अदालतसे अपील की कि वह बचाव पक्षकी ओरसे जिरहके सिलसिलेमें पूछे गये प्रश्नोंके तरीके और नथूराम गोडसेके वक्तव्यका ध्यान रखें। बम्बई, पूना और दिल्लीमें स्वयंसेवकोंकी कमी नहीं है और गोडसेका यह कहना कि वह आपटेको लेकर ग्वालियरसे स्वयंसेवकोंको लेने गया था, बिल्कुल बेहूदी बात है।

नथूराम गोडसेने गान्धीजीकी हत्याके बाद डाक्टर बुलाकर पूछा था कि

उसकी नाड़ियाँ और दिल ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। इसे दफ्तरीने अपने स्वास्थ्यका अभिमान प्रकट करना बताया।

इसके बाद श्री दफ्तरीने दूसरे अभियुक्त आपटेके विरुद्ध सबूत पक्षकी उन गवाहियोंका स्मरण कराया जिनमें कहा गया है कि उन्होंने आपटेको बम्बई, ग्वालियर और दिल्लीमें देखा। इसके बाद श्री दफ्तरीने आपटेके वक्तव्यके कुछ भागोंको इधर उधरसे पढ़ा और बताया कि इस वक्तव्यमें कितनी असंगति है।

इसके बाद श्री दफ्तरीने आपटेकी इस उक्तिका हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि वह हत्याकाण्डके समय दिल्लीमें नहीं बम्बईमें था, क्योंकि उसके पास उस तारीखके बम्बईके टिकट हैं। इस सम्बन्धमें बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरहकी ओर भी आपने ध्यान दिलाया।

८ दिसम्बर

आज भी श्री सी. के. दफ्तरीने अपनी दलीलें जारी रखीं।

श्री दफ्तरीने दूसरे अभियुक्त आपटेके वक्तव्यका स्मरण कराया, जिसमें उसने कहा था कि पुलिसने उसे कुछ कागज दिये थे और उन्हें देखकर यह बतानेको कहा था कि ब्रिटेन अथवा रूससे महात्मा गान्धीकी हत्याके सिलसिलेमें कोई सहायता ली गयी या नहीं। श्री दफ्तरीने कहा कि इस विषयमें सबूत पक्षके किसी गवाहसे जिरह नहीं की गयी।

सबूत पक्षकी गवाहियोंके हवाले देते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि गवाहियोंके मुताबिक आपटे २९ और ३० जनवरीको दिल्लीमें ही था। २० जनवरीको दिल्लीमें मौजूद होनेकी बात आपटेने स्वयं स्वीकार की है, पर उसका कहना है कि वह ३० और ३१ जनवरी तथा इसके बादके दिनोंमें बम्बईमें था। इस बातको सिद्ध करना आपटेके लिए आवश्यक था।

कहा जाता है कि ३१ जनवरीको आपटेने बम्बईसे कुमारी मनोरमा सालवे द्वारा एक तार भिजवाया था। इसके सम्बन्धमें श्री दफ्तरीने कहा कि पहले तो आलोच्य तार बचाव पक्षने पेश नहीं किया। दूसरे तारघरमें मौजूद होते हुए भी आपटेने कुमारी सालवेसे तार भिजवाया। यह बात बेतुकी-सी लगती है।

श्री दफ्तरीने आपटेके इस कथनका हवाला दिया कि आपटेने ३१

जनवरीको अपने कुछ वकील मित्रोंसे गोडसेकी सफाईके सम्बन्धमें बातचीत की थी और कहा कि यदि यह ठीक है तो बचाव पक्षने आपटेके इस कथनको सत्य सिद्ध करनेके लिए कुछ वकीलोंको गवाहके तौरपर क्यों पेश नहीं किया ?

बम्बईके उपनगरोंके रेलवे टिकटोंके आधारपर बचाव पक्षके वकील यह सबूत देना चाहते हैं कि आपटे ३० और ३१ जनवरीको और उसके बाद बम्बईमें था। इस सम्बन्धमें श्री दफ्तरीने कहा कि सबूत पक्षके रेलवेके गवाहोंने यह बताया है कि ये टिकट उक्त स्टेशनपर यात्रियोंसे लिये गये थे और इनका हवाला रजिस्टरमें है। फिर आपटे और करकरेके पास ये टिकट कहाँसे आये, यह बताना मेरा काम नहीं है। यह कहा गया है कि इन दिनों आपटे और करकरे अपने मित्रोंके यहाँ बम्बईमें आये-गये थे। क्या उनके एक भी मित्र ऐसे नहीं थे जो उनके कथनकी पुष्टिमें गवाही देने उपस्थित हो सकते ! अब यह फैसला करना अदालतके हाथमें है कि वह यह बतावे कि इस सम्बन्धमें सबूत पक्षकी गवाहियाँ पर्याप्त हैं या नहीं। आपटेके विरुद्ध लगाये गये अपने आरोपोंको दुहराते हुए आपने कहा कि दिल्लीमें उपस्थित न होनेकी कहानी गढ़नेका आपटेने प्रयत्न किया है और बचाव पक्षके प्रमाण इसकी पुष्टि नहीं करते कि उन दिनों करकरे और आपटे बम्बईमें थे।

गोडसेके द्वारा आपटेको लिखे गये पत्रका प्रमाण इस बातके लिए पर्याप्त नहीं है कि आपटे बम्बईमें था। फिर पत्रमें लिखी गयी बातोंको सिद्ध करानेके लिए कोई गवाह पेश नहीं किया गया। फिर लिफाफेपर ३० जनवरीकी डाकखानेकी मुहर नहीं है।

करकरेके विरुद्ध दी गयी सबूत पक्षकी बहुतसी गवाहियोंका हवाला देते हुए श्री दफ्तरीने करकरेको षड्यन्त्रमें भाग लेनेवाला बताया और कहा कि मदनलालने भी अपने वक्तव्यमें यह स्वीकार किया है कि वह डा० जे० सी० जैन और करकरेके साथ रहा है। सबूत पक्षके कई गवाहोंने भी बताया है कि उन्होंने करकरेको षड्यन्त्रकारियोंके साथ देखा था। मदनलालने भी माना है कि उसने दिल्ली और अहमदाबादके प्रदर्शनोंमें भाग लिया था। यह बात तो विश्वास योग्य नहीं जँचती कि मदनलालने शरणार्थियोंके कष्टोंकी ओर गान्धीजीका ध्यान आकर्षित करनेके लिए विस्फोट किया था। वह सभामें खड़े होकर चिल्ला सकता था और गान्धीजी निश्चय ही उसकी बात सुनते।

श्री दफ्तरीने आगे कहा कि शंकरने यह स्वीकार किया है कि वह बडगेके साथ था, अन्य अभियुक्तों सहित वह २० जनवरीको बिड़ला-भवन गया। इस प्रकार बडगेकी गवाहीकी पुष्टि हो जाती है। पर शंकरने इस बातसे इन्कार किया है कि बिड़ला-भवन जाते समय उसे उसके उद्देश्यके बारेमें कुछ भी ज्ञात था। उसने यह भी स्वीकार नहीं किया है कि बडगेने मेरीना होटलसे उतरते समय उसे कुछ बताया था। श्री दफ्तरीने कहा कि लेकिन यह असम्भव है कि मेरीना होटलके ४० नम्बरके कमरेमें जब उसे विस्फोटक पदार्थ दिये गये थे, तो वह कुछ न जानता हो। वे विस्फोटक उसे बडगेके नौकर होनेके कारण नहीं वरन् एक षड़यन्त्रकारी होनेके कारण दिये गये होंगे। इस प्रकार शंकर यह भलीभाँति जानता था कि वे क्या करने बिड़ला-भवन जा रहे हैं।

गोपाल गोडसेके विरुद्ध सबूत पक्षकी ओरसे उपस्थित की गयी गवाहियों-का जिक्र करते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि इन गवाहियोंसे यह बात सिद्ध हो जाती है कि वह भी एक षड़यन्त्रकारी था।

श्री दफ्तरीने कहा कि यदि गोपाल गोडसेका यह बयान कि छुट्टीके दिनोंमें वह अपने गाँवमें था, सत्य मान लिया जाय तो इस सिलसिलेमें बचाव पक्षके वकील बड़ी सुगमतासे गाँवसे गवाह बुला सकते थे, पर ऐसा नहीं किया गया।

सावरकरके विरुद्ध की गयी गवाहियोंका हवाला देते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि सावरकरका बडगेसे १९४४-४५ में परिचय कराया गया था। सावरकर सदैव मुसलमानोंके विरुद्ध भाषण करते थे और हिन्दू महासभाके अध्यक्ष भी थे। उन्होंने हिन्दू सम्मेलनकी भी अध्यक्षता की थी। इस बातका साक्षी मौजूद है कि सावरकरके यहाँ १४ जनवरीको आपटे और गोडसे मोटर द्वारा गये थे। बडगेने भी अपने बयानमें इस बातपर प्रकाश डाला है। बडगेके बयानके अनुसार सावरकरने गान्धीजीकी हत्याका काम गोडसे और आपटेको सौंपा था। इससे प्रकट होता है कि उन्होंने भी षड़यन्त्रमें भाग लिया। श्री दफ्तरीने आगे कहा कि सावरकरके विरुद्ध यह आरोप-अभियोग वास्त-विकता और कानूनके अनुसार लगाया गया है।

इसके बाद श्री दफ्तरीने विभिन्न गवाहोंकी गवाहियोंके भाग पढ़े, जिनमें परचुरेके सम्बन्धमें बहुत कुछ कहा गया था और बताया गया था कि परचुरेके राजनीतिक विचार क्या थे और क्या हैं। उन्होंने कहा कि इस बातका भी साक्षी

मौजूद है कि गोडसे और आपटे डा० परचुरेके मकानपर मौजूद थे और पिस्तौल खरीदी थी।

डा० परचुरेके इकबाली बयानका हवाला देते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि यह बयान उस वास्तविकताकी स्वीकृति है जो कि अपराध है। यदि अदालत इस बातसे सन्तुष्ट है कि यह बयान कानूनन लिया गया है तो इसका अर्थ है कि यह किसीके दबावसे नहीं लिया गया है।

इसके बाद श्री दफ्तरीने अपनी दलीलोंके पक्षमें ग्वालियरके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट श्री अटलके बयानके कुछ भाग पढ़े जिनमें कहा गया था कि जब परचुरेका इकबाली बयान लिया गया था तो सभी कारवाई विधिवत् की गयी थी और उस समय कोई भी पुलिस अफसर वहाँ उपस्थित न था। श्री दफ्तरीने कहा कि श्री अटलको डा० परचुरेका इकबाली बयान लेनेका पूर्ण अधिकार था।

श्री दफ्तरीने बताया कि परचुरेका यह आरोप विश्वास करने योग्य नहीं कि जब वह नजरबन्द था तो उसे काफी कष्ट पहुँचाया गया था और उसने स्वेच्छासे इकबाली बयान नहीं दिया था। यदि यह सच है तो बचाव पक्षके वकीलने इस सम्बन्धमें ग्वालियरके गवाहोंसे जिरह क्यों नहीं की ? यदि परचुरे अस्वस्थ था तो उसकी दवा की जानी चाहिये थी और इसका उल्लेख किलेके रजिस्टरमें होना चाहिये था। बचाव पक्ष अपने कथनकी पुष्टिमें उस रजिस्टरको पेश कर सकता था। फिर यह क्यों नहीं किया गया ? यह बात इसकी स्वीकृति है कि परचुरेने अपराध किया और उत्तेजित आपटे और गोडसेको गान्धीजीकी हत्या करनेमें सहायता दी।

अन्तमें आपने बचाव पक्षकी दलीलका वर्णन किया कि चूँकि परचुरे ग्वालियर राज्यकी प्रजा है इसलिए इस अदालतको परचुरेपर मुकदमा चलानेका कोई अधिकार नहीं। श्री दफ्तरीने कहा कि डा० परचुरे पूनानिवासी श्री एस. जी. परचुरेका पुत्र है। अतः ब्रिटिश भारतका नागरिक है। डा० परचुरे-की नागरिकता सिद्ध करनेके लिए यह आवश्यक है कि उसके पिताके जन्मस्थानका पता लगाया जाय। इस सम्बन्धमें श्री दफ्तरीने कुछ हाईकोर्टोंके फैसलोंका उदाहरण दिया।

९ दिसम्बर—८ दिनके बाद श्री दफ्तरीका वक्तव्य समाप्त

श्री दफ्तरीने आज भी अपनी दलीलें आगे देनी शुरू कीं। उन्होंने कहा कि डा० परचुरेपर उन्हीं कानूनोंके अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है जिनके अनुसार भारतीय नागरिकपर चलाया जा सकता है।

डा० परचुरेके सम्बन्धमें कानूनी पहलूपर प्रकाश डालते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि डा० परचुरेके ग्वालियरमें पैदा होने मात्रसे ही वह ग्वालियर राज्यकी प्रजा नहीं हो जाता। वह जब तक वहाँका स्थायी निवासी नहीं होता तथा अन्य अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता, वह भारतीय नागरिक ही रहेगा।

श्री दफ्तरीने बताया कि डा० परचुरेके पिता श्री सदाशिव जी० परचुरे पूना (ब्रिटिश भारत) में पैदा होनेके कारण ब्रि० भारतीय प्रजा थे। ब्रिटिश नागरिकता कानूनके अनुसार जो भी व्यक्ति ब्रिटिश प्रदेशमें उत्पन्न हुआ है वह ब्रिटिश प्रजा है। इस व्यक्तिका पुत्र भी ब्रिटिश प्रजा होता है। इस प्रकार जो भी ब्रिटिश भारतकी प्रजा है वह यदि रियासतमें रहने लगे तो भी वह ब्रिटिश भारतकी ही प्रजा रहेगा। नया डोमीनियन बन जानेपर भारतका अर्थ भारत डोमीनियन है। भारतमें ब्रिटिश भारत और रियासतें सभी शामिल हैं। इस प्रकार यदि हम डा० परचुरेको ग्वालियर राज्यकी भी प्रजा मान लें तो भी परचुरे भारतीय प्रजाजन ही हुआ क्योंकि ग्वालियर राज्य भारतसंघमें शामिल हो चुका है।

इसके बाद श्री दफ्तरीने उन विभिन्न कागजोंका हवाला दिया जो कि अदालतकी प्रामाणिक सामग्रीके रूपमें स्वीकार किये जा चुके हैं। इन कागजोंमें बताया गया है कि श्री सदाशिव जी० परचुरे अभियुक्त डा० परचुरेके पिता हैं।

श्री दफ्तरीने श्री एस० जी० परचुरेके आत्मचरित्रका हवाला दिया और कहा कि उनसे और मेजर जालके बयान और अन्य कागजोंसे श्री एस० जी० परचुरेकी शिक्षाके बारेमें पुष्टि होती है। यद्यपि इस जीवनीका लेखक मर चुका है, पर उसकी जीवनीको अदालतका प्रामाणिक दस्तावेज स्वीकार किया जा सकता है जिसमें जन्मस्थान और जन्मतिथिका सही पता चलता। इस सम्बन्धमें आपने ग्वालियरके ज्योतिषीकी गवाहीकी ओर ध्यान दिलाया।

अभियुक्तोंके विरुद्ध बम्बईसे गैरकानूनी तौरपर दिल्ली असलाह लानेके एक

अभियोगका हवाला देकर श्री दफ्तरीने कहा कि अदालतके सामने कुछ गवाहोंने यह गवाही दी है कि अभियुक्तोंके पास उन्होंने शस्त्रास्त्र और गोलाबारूद देखा है। यद्यपि इस सम्बन्धमें सबूत पक्षके पास और बहुतसे गवाह मौजूद थे, पर उन्हें इसलिए नहीं बुलाया कि वे वर्तमान गवाहोंके कथनका समर्थन मात्र करते थे।

सबूत पक्षका विचार है कि अभियुक्तोंपर अभियोग सिद्ध हो चुका है। आपने आगे कहा कि दादा महाराज और दीक्षित महाराजके सम्बन्धमें यह कहा जा सकता है कि क्यों उन्हें अभियुक्त नहीं समझा गया। चूँकि उन्होंने अपराधमें सीधा भाग नहीं लिया, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया है। अपने इस कथनकी पुष्टिके लिए आपने कुछ हाईकोर्टोंके फैसलोंका हवाला दिया।

इसके बाद श्री दफ्तरीने कहा कि हस्तलेख विशेषज्ञ और विस्फोटक विशेषज्ञकी गवाहियोंको विश्वसनीय और स्वतःसिद्ध समझा जाना चाहिये।

आठ रोजसे चल रही बहसको समाप्त करते हुए श्री दफ्तरीने कहा कि मुकदमेपर किसी भी दृष्टिसे देखते हुए तथा सबूत पक्षकी गवाहियोंका विचार करते हुए अभियुक्तोंके विरुद्ध सभी आरोप निस्सन्देह सिद्ध हो चुके हैं।

कल बचाव पक्षकी ओरसे बहस की जायगी।

बचाव पक्षकी ओरसे दलीलें

१० दिसम्बर—आपटेकी ओरसे दलीलें

आज द्वितीय अभियुक्त आपटेके वकील श्री मैंगलेने अपनी दलीलें आरम्भ कीं।

उन्होंने यह आशा प्रकट की कि मैं बचाव पक्षके जहाजको उन सुरंगोंको साफ करके सफलतापूर्वक निर्दिष्ट स्थान तक ले जा सकूँगा, जो कि सबूत पक्षने मार्गमें बिछा रखी हैं। आपने स्मरण कराया कि सबूत पक्षने अभियोग-पत्रिका-में गिनाये २५० गवाहोंमेंसे केवल १४९ गवाह ही पेश किये हैं।

श्री मैंगलेने आगे कहा कि फौजदारीके मामलेमें किसी विशेष तथ्यको सिद्ध करनेका उत्तरदायित्व सबूत पक्षपर ही होता है। श्री मैंगलेने सबूत पक्षके वकील-की बहसकी ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि सबूत पक्षकी ओरसे अभियुक्तोंके वक्तव्योंको बचाव पक्षको दृढ़ बनानेके लिए दुबारा गढ़े हुए बताया गया है और कहा है कि बचाव पक्षने अपना पक्ष दृढ़ बनानेके लिए गवाहोंसे जिरह क्यों नहीं की।

श्री मैंगलेने कहा कि यदि सबूत पक्षके आरोपोंको सच भी मान लिया जाय तो भी अपने कथनकी पुष्टिके लिए सबूत पक्षको प्रमाण देने चाहिये। फौजदारी-के मुकदमेमें अभियुक्तको कुछ भी सिद्ध नहीं करना पड़ता। यदि अभियुक्तका विशेष मामला हो और उसने जिरहमें उसे उपस्थित न किया हो तो क्या सबूत पक्षका आरोप सिद्ध समझा जा सकता है? अभियुक्तोंके बयान तथा सबूत पक्षके गवाहोंसे बचाव पक्षकी जिरह ही उसका मामला सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त है।

श्री मैंगलेने कहा कि मैं अपनी दलीलोंमें यह सिद्ध करूँगा कि मेरे मुअक्किलने जो कहा है, वह सच है। इस सम्बन्धमें आपने सावरकरके घरसे प्राप्त पत्रका तथा १९३८ में राइफल कलब चलानेकी आपटेकी "लाभदायक गति-विधियों" की ओर इंगित किया। इस राइफल क्लबका समर्थन श्री मावलंकर और श्री एन. वी. गाडगिलने भी किया था। श्री मैंगलेने आगे कहा कि मेरा

मुअक्किल असिस्टेण्ट टैक्नीकल रिक्रूटिङ्ग अफसर था। १९४४ में आपटेने मैनेजर होकर नथूराम वी. गोडसेके सम्पादकत्वमें हिन्दू महासभाके विचारोंके प्रचारार्थ "अग्रणी" पत्र निकाला। आपटेने पाँचगणीमें महात्मा गान्धीकी प्रार्थना-सभामें प्रदर्शन किया था।

श्री मेंगलेने देशकी १९४७-४८ की साधारण स्थितिका हवाला दिया और बताया कि भारतका विभाजन हुआ, पाकिस्तानमें हिन्दू और सिखोंको असंख्य कष्ट हुए और कश्मीरपर आक्रमण किया गया। भारत सरकारने पहले पाकिस्तानका ५५ करोड़ रुपया इसलिए देनेसे इन्कार कर दिया कि वह धन कश्मीर युद्धमें प्रयुक्त किया जाता। पर गान्धीजीके अनशनके कारण यह फैसला उलट दिया गया और पाकिस्तानको यह धनराशि दे दी गयी। यह अनशन "एक प्रकारका दबाव" था।

आपटे उस समय पूनामें था। उसने इसे बहुत बुरा समझा और गान्धीजी-की प्रार्थना-सभामें दिल्लीमें प्रदर्शन करनेका निर्णय किया। श्री मेंगलेने अदालतसे अपील की कि वह कानूनकी दृष्टिसे इन दो तथ्योंका विशेष खयाल करे—(१) भारतका विभाजन, और (२) विभाजनके बाद हिन्दुओंको पाकिस्तानमें हुआ कष्ट।

श्री मेंगलेने सबूत पक्षके उन गवाहोंका स्मरण कराया जिन्होंने अपनी गवाहियोंमें महात्मा गान्धीके अनशन और उस समय समाचारपत्रोंमें प्रकाशित खबरोंके बारेमें बताया था। उन लोगोंकी गवाहियोंसे यह प्रमाणित हो चुका है कि भारत सरकारने पहले तो पाकिस्तानका ५५ करोड़ रुपया रोक लिया था, पर महात्मा गान्धीके अनशनके कारण उसे अपना पूर्व निर्णय बदलना पड़ा। इसलिए आपटेने दिल्लीमें प्रदर्शन करनेका निर्णय किया और १४ जनवरीको नथूराम गोडसेके साथ रुपया और स्वयंसेवकोंको एकत्र करनेके लिए बम्बई गया।

होटल मैनेजर क्यों नहीं पेश किया गया ?

यह तथ्य कि आपटे और गोडसे १४ जनवरीको बम्बई गये, हम भी झूठ नहीं बता रहे हैं। पर अदालतके सामने इस आशयकी गवाहियाँ पेश नहीं हुई हैं जिनमें बताया गया हो कि आपटे और गोडसे १४ जनवरीसे

१७ जनवरीतक कहाँ ठहरे। इस सम्बन्धमें केवल एक गवाह सी ग्रीन होटलका मैनेजर श्री वाडिया था, जिसे सबूत पक्षने अदालतके सामने पेश नहीं किया। केवल यही व्यक्ति सबूत पक्षकी अभियोग सूचीमें उनके ठहरनेके सम्बन्धमें साधिकारपूर्ण गवाही देनेवाला था। श्री आपटेने अपने वक्तव्यमें कहा है कि वह सी ग्रीन होटलमें गोडसेके साथ ठहरा था और सबूत पक्षकी ओरसे बम्बईके टैक्सी ड्राइवर कोटियनने इस आशयकी गवाही दी है कि वह इन्हें बैठाकर मेरीन ड्राइवके होटलमें ले गया था।

बडगेने अपने बयानमें कहा है कि १४ जनवरीको आपटे और गोडसे दीक्षित महाराजके घर रातमें गये थे। यदि सबूत पक्षने श्री वाडियाको गवाहके रूपमें पेश किया होता तो उन्होंने बताया होता कि दोनों व्यक्ति उस समय होटलमें थे। इस प्रकार सबूत पक्षका मामला खराब हो जाता। यदि सबूत पक्ष उतना निष्पक्ष है जितना कि वह बताता है, तो उसे इस गवाहको पेश करना चाहिये था।

श्री मैंगलेने आगे चलकर आपटे और गोडसेकी बम्बईयात्राके उद्देश्य —प्रदर्शनके लिए धन और स्वयंसेवक प्राप्त करने— पर प्रकाश डाला और इस सम्बन्धमें सबूत-पक्षकी ओरसे पेश किये गये विभिन्न गवाहोंकी गवाहियोंका भी उल्लेख किया। आपने बडगेके उस बयानकी त्रुटियोंको बताया जो उसने आपटे और गोडसेके १७ जनवरीको सावरकर-सदन जानेके सम्बन्धमें दिया था और कहा कि बडगेकी गवाहीपर विश्वास नहीं किया जाना चाहिये।

११ दिसम्बर

आज श्री मैंगलेने अदालतमें अपनी बहस जारी रखी।

उन्होंने कहा कि सबूत पक्षने नथूराम गोडसे तथा आपटेका १७, १८ तथा १९ जनवरीको दिल्लीमें उपस्थित होना बताया है, लेकिन यह कुछ भी नहीं बताया कि उन्होंने उन दिनों वहाँ क्या किया। उन्होंने आगे कहा कि आपटेने अपने बयानमें यह बताया है कि वह इन दिनों शरणार्थी-शिविरोंमें गया था ताकि वह अपने प्रस्तावित प्रदर्शनके लिए लोगोंका समर्थन प्राप्त कर सके।

श्री मैंगलेने और कहा कि गवाहियोंमें यह कहीं नहीं बताया गया कि

१७, १८ तथा १९ जनवरीको महात्मा गान्धीने प्रार्थना-सभामें भाषण किये या नहीं। केवल मदनलालके कहनेसे मालूम होता है कि महात्मा गान्धी २० जनवरीको प्रार्थना-सभामें भाषण करनेवाले थे, जैसा कि उसने पहलेसे सुन रखा था। इस बातकी गवाही है कि महात्मा गान्धीने १८ जनवरीको उपवास तोड़ा। इस घटनासे इसकी पूरी सम्भावना है कि उन्होंने उन दिनों दुर्बल होनेके कारण प्रार्थना-सभामें भाषण न किये होंगे।

श्री मैंगलेने कहा कि आपटेने बयान दिया है कि वह २० जनवरीकी शामको एक प्राइवेट कारसे बिड़ला-भवन गया था और मार्गमें उसे बडगे और शंकर मिले थे जिन्हें उसने अपने साथ गाड़ीमें बैठा लिया था। आपटेने वहाँ कोई प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि लाउडस्पीकर खराब हो गये थे, वालण्टियर नहीं आये थे तथा नथूराम गोडसे बीमार पड़ जानेके कारण प्रार्थना-सभामें न आ सका था।

आपटे प्रार्थना-सभासे क्यों चला गया? इसके बारेमें श्री मैंगलेने कहा कि अचानक बम-विस्फोटकी दुर्घटना होनेके कारण आपटेको गड़बड़ीकी आशंका हुई और वह वहाँसे चला गया।

इसके बाद मैंगलेने आपटेकी उन हलचलोंका उल्लेख किया जिनपर कोई वाद-विवाद ही नहीं उठता।

गोडसे और आपटे ग्वालियर क्यों गये, इस बारेमें श्री मैंगलेने सफाई दी कि गत जनवरीमें ग्वालियर हिन्दू महासभाके अध्यक्ष डा० परचुरेने मोतीमहलमें एक प्रदर्शन किया था। इन अभियुक्तोंको बम्बई और पूनासे वालण्टियर मिलना कठिन जान पड़ा। अतः वे ग्वालियरसे वालण्टियर पानेकी आशामें वहाँ गये। यदि सबूत पक्ष ग्वालियरसे वालण्टियर लानेकी बात बकवास समझता है तो पिस्तौल लानेका आरोप भी उससे कम बकवास नहीं।

यह ठीक है कि गोडसे और आपटे २७ जनवरीको हवाई जहाजसे दिल्लीको रवाना हुए। उन्होंने अपने नाम एन. राव तथा वी. राव बताये जिनका पूरा अर्थ है नथूराम और विनायकराव। यही उनके असली नाम हैं। उन्होंने अपने नाम बदल लिये थे, इससे यह कैसे कहा जा सकता है? उनके ग्वालियर पहुँचनेका जो समय २७ जनवरीको रात ११ या ११॥ बजे बताया जाता है, वह गलत है। उस समय कोई ट्रेन ग्वालियर नहीं पहुँचती।

श्री मेंगलेने पिस्तौलके सम्बन्धमें ग्वालियर वाले गवाहोंको पक्षपातपूर्ण तथा निराधार बताया। उन्होंने कहा कि गवाह मधुकर काले मई १९४७ से परचुरेके घर कभी नहीं गया।

अभियुक्त आपटेने अपने किसी स्थानपर होनेका प्रमाण क्यों नहीं पेश किया? इस बारेमें श्री मेंगलेने कहा कि ३० तथा ३१ जनवरीको वह शरणार्थी-शिविरोंमें गया था, किन्तु वह उन शरणार्थियोंके नाम नहीं जानता। अतः वे पेश नहीं किये जा सके। इससे अदालतको यह परिणाम न निकालना चाहिये कि वह कहीं और स्थानपर था।

श्री मेंगलेने कहा कि १४ फरवरीको आपटेके गिरफ्तार होनेपर उसके पास लोकल ट्रेन (बम्बई) के जो टिकट मिले तथा ३१ जनवरीको बम्बईसे दिल्लीको टेलिग्राम भेजनेका जो प्रमाण दिया गया उससे साबित हो जाता है कि वह इन दिनों (३०-३१ जनवरी) दिल्लीमें न होकर बम्बईमें था। सबूत पक्षका सुझाव है कि ये टिकट ठीक थे, किसीके चुराये हुए नहीं। इससे प्रमाण स्वयंसिद्ध है।

१३ दिसम्बर—आपटेका भाई भी गवाही देनेको तैयार नहीं

आपटेके वकील श्री मेंगलेने अपनी बहस आज भी जारी रखी। नथूराम गोडसेने ३० जनवरीको पूनेमें आपटेके नाम दिल्लीसे जो पत्र भेजा बताते हैं उसके बारेमें उन्होंने कहा कि अदालत उस पत्रकी हस्तलिपिकी जाँचकर पता लगा ले कि वह नथूरामका ही लिखा हुआ है। जिस लिफाफेमें पत्र था उसपर दिल्लीकी ३० जनवरीकी और पूनेकी २ फरवरीकी मुहरें लगी हैं। सबूत पक्ष कहता है कि यह साबित नहीं किया गया कि इसी लिफाफेमें वह पत्र था। हमारे इस कथनपर भी संदेह प्रकट किया गया है कि पत्र सेन्सर न हो इसलिए आपटेके दफ्तरके पतेपर भेजा गया। इस पत्रसे साफ है कि आपटे हत्याके समय दिल्लीमें नहीं था और हत्या अकेले नथूरामका काम था। पत्र मराठीमें था और उसमें कहा गया था—"यह पत्र पाकर तुम सबको आश्चर्य होगा। इसके पहलेके सब प्रदर्शन व्यर्थ साबित हुए हैं। मेरा दिमाग अब बेकाबू हो रहा है। एक-दो दिनमें मैं आखिरी कदम उठानेवाला हूँ।"

इसपर जजने बीचमें ही पूछा—यह पत्र आपटेके भाईने खोला तो उसे

आप गवाहीमें पेश कर सकते थे। वह गवाही नहीं पेश की गयी। अदालतके सामने तीन ऐसे गवाह आये जिन्होंने कहा कि आपटे उन दिनों दिल्लीमें था। सम्भव है कि आपटे दिल्लीमें हो और उसे बचानेके लिए गोडसेने यह पत्र लिखा था।

मैंगलेने कहा कि यह दुर्भाग्यकी बात है कि हम गवाह नहीं ला सके। आपटेका भाई भी गवाही देनेको तैयार नहीं है। आपटेकी शिनाख्त करनेवाले सुंदरीलालसे दिल्लीमें शिनाख्त नहीं करायी गयी। बम्बईकी शिनाख्त परेडके समय भी आपटे गोडसेने यह शिकायत की थी कि वे गवाहोंको पहले ही दिखा दिये गये थे। सुंदरीलाल और जानू दोनोंकी शिनाख्तें और गवाहियाँ सन्देहास्पद हैं। बडगे चोरबाजारी करनेवाला, झूठा, मक्कार और नेडर है। सबूतपक्षने ओम्प्रकाश और चोपड़ाकी भी गवाही नहीं दिलायी। ओम्प्रकाशकी गवाही हुई होती तो बडगेकी गवाहीपर बहुत प्रकाश पड़ता। सबूतपक्षने दीक्षित महाराजके नौकरको भी पेश नहीं किया। यह गवाह बहुत महत्त्वका था। यह आता तब भी बडगेकी गवाहीपर बहुत असर पड़ता। सबूत पक्षने जोशीको भी पेश नहीं किया। उनके बदले उनके लड़केकी गवाही ली गयी जिसने सुनी सुनायी बातें कहीं। नगरवाला लाल किलेमें जोशीसे ४-५ बार मिले, फिर भी वे पेश नहीं किये गये। सारी गवाहियाँ अगर सच मान ली जायँ तो दीक्षित महाराज भी एक षडयन्त्रकारी हैं, इसलिए दीक्षित महाराजकी गवाहीका कोई मूल्य नहीं। २० जनवरीको सवेरे बिड़ला-भवन जानेकी बडगेकी बात भी बनायी हुई मालूम होती है। जंगलमें जो कारतूस मिलनेकी बात चमनलालने कही है वह कारतूस रिवाल्वरका है और पिस्तौलमें फिट नहीं होता। मेहरसिंह कहता है कि वे जंगलमें घूम रहे थे। बडगेने और ही कुछ बात कही है।

१४ दिसम्बर

श्री मैंगलेने यह सिद्ध करनेके लिए कि गान्धीजीको मारनेके लिए कोई षड्यन्त्र नहीं किया गया, और आपटे २० जनवरीको दिल्लीमें नहीं था आज भी अपनी युक्तियाँ जारी रखीं। श्री मैंगलेने २० जनवरीको जंगलके पीछे पिस्तौल चलानेके कथित अभ्यासकी ओर निर्देश किया।

उन्होंने कहा कि जंगलके एक चौकीदार मेहरसिंहने पिस्तौल चलानेके

अभ्यासके विषयमें अदालतमें कुछ भी नहीं कहा है। पिस्तौल चलानेका अभ्यास करनेके बडगेके कथनको प्रमाणित करनेके लिए सबूत पक्षके पास कोई गवाही नहीं। गोडसे और आपटेने बम्बईकी शिनाख्त परेडसे पहले मजिस्ट्रेट ब्राउनसे शिकायत की थी कि अनेक गवाहोंने उन्हें पहले ही देख लिया है। उन गवाहोंमें एक मेहरसिंह भी है। इसलिए मेहरसिंहकी शिनाख्त संदिग्ध है।

श्री मेंगलेने आगे कहा कि बडगेकी गवाहीको प्रमाणित करनेके लिए ही सबूत पक्षने मेहरसिंहको गवाह बनाया है। मेहरसिंहसे पूर्व बडगेको गवाहीके लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिये था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। इसलिए बचाव पक्ष कुछ मुख्य मुद्दोंपर गवाह मेहरसिंहसे जिरह नहीं कर सका। इसलिए मेहरसिंहकी सारी गवाही उपेक्षणीय है। साथ ही सबूत पक्षने चारमेंसे केवल एक ही जंगलरक्षकको प्रस्तुत किया। बाकी तीनसे क्यों नहीं गवाही ली गयी, इसका कोई कारण नहीं बताया गया।

इसके बाद श्री मेंगलेने २० जनवरीको मेरीना होटलके ४० नं० के कमरेमें अभियुक्तोंके मिलनेकी घटनाकी ओर निर्देश किया। बडगेने कहा है कि उस कमरेमें अभियुक्त उपस्थित थे और उन्हें चाय दी गयी। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि बडगेने जिन्हें बताया वे ही लोग वहाँ विराजमान थे, अन्य और कोई नहीं।

हथियारोंके बाँटने और नाम बदलनेके विषयमें मेंगलेने कहा कि यह बडगेके दिमागकी उपज है, जिसकी होटलके अन्य गवाहोंने पुष्टि नहीं की।

इस प्रकार सबूतकी साक्षात् गवाहियोंके सम्बन्धमें अपनी युक्तियाँ खतम करते हुए मेंगलेने कहा कि सबूतका सारा केस बडगेकी गवाहीपर अवलम्बित है और बडगे दुश्चरित्र आदमी है, इसलिए उसकी गवाही व्यर्थ है।

इसके बाद श्री मेंगलेने आपटेके कथनपर अवलम्बित सबूतकी गवाहियोंको लेकर उनपर युक्तियाँ करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सबूतने दादा महाराज और दीक्षित महाराजकी गवाहियोंसे यह प्रतिपादित करनेका प्रयत्न किया है कि आपटेने १७ जनवरीको दादा महाराजको कहा—"जब हम काम पूरा कर लेंगे, तब आपको सब कुछ मालूम हो जायगा।" और २६ जनवरीको आपटेने दादा महाराजसे एक रिवाल्वरकी माँग की। यह गवाही यह दिखाने

के लिए दिलायी गयी कि आपटेका मन दूषित था। किन्तु गवाहीका मूल्याङ्कन करनेसे पूर्व दादा महाराजके चरित्रकी देखभाल करना आवश्यक है।

दादा महाराज मुसलमानोंको मारनेके लिए हिन्दुओंमें हथियार बाँटते थे। उनकी यह इच्छा थी कि आपटे जिना और लियाकतअली खाँको मारनेके लिए पाकिस्तानकी गाड़ीको उड़ा दे। इन गैरकानूनी कारवाइयोंमें हिस्सा लेनेके कारण दादा महाराज पुलिससे हमदर्दी प्राप्त करना चाहते थे। क्या ऐसा आदमी अपने आपको बचानेके लिए एक-दो झूठ नहीं बोल सकता? वह अपने आपको बचाना चाहता था, इसलिए उसकी गवाहीपर विश्वास करना खतरनाक है। आपटे और गोडसेके अगर कुछ भी दिमाग है तो क्या यह सम्भव है कि वे हवाई अड्डेपर सब लोगोंके सामने ऐसे व्यक्तिसे ये बातें कहते?

दीक्षित महाराजके विषयमें मेंगलेने कहा कि वह अपने भाई दादा महाराजके समान ही शस्त्रोंका गैरकानूनी व्यापार करता था। इसलिए उसकी गवाही भी विश्वसनीय नहीं।

आपटेने फिर किया क्या—यह बताते हुए श्री मेंगलेने कहा कि १७ जनवरीको वह हैदराबाद-संघर्ष तथा हिन्दूराष्ट्र कार्यालयके लिए धन-संचय करने अनेक स्थानोंपर गया। आपटेके २० जनवरीको प्रातः बिड़ला भवन जानेकी बात केवल बडगेने कही है जिसके कथनपर विश्वास नहीं किया जा सकता। आपटेने यह तो स्वयं स्वीकार कर लिया कि २० जनवरीकी शामको वह बिड़ला-भवन गया था; परन्तु केवल इसलिए कि वह देख सके कि वहाँपर कोई शान्तिपूर्वक प्रदर्शन किया जा सकता है या नहीं। यही बात कि आपटेने टैक्सी ड्राइवर सुर्जीतसिंहसे घबराहटमें कहा—'कार चलाओ, कार चलाओ' उसकी निर्दोषिताको सिद्ध करती है। बम-विस्फोट भी एकदम अप्रत्याशित घटना हो गयी। इसलिए आपटे घबरा गया।

श्री मेंगलेने सबूतके इस कथनको लिया कि आपटेके बतानेसे ही हिन्दू महासभा-भवनके पीछेके जंगलसे कुछ वस्तुएँ बरामद हुई थीं। मेंगलेने कहा कि उस समय आपटे पूरी तरह पुलिसके काबूमें था।

बम्बईकी खुफिया पुलिसके कार्यालयमें ट्रंकमेंसे आपटेका पाजामा मिलनेके कथनपर मेंगलेने कहा कि इस्तगासेने इस प्रकारकी कोई गवाही नहीं दी,

जिससे पता लगता हो कि आपटेके पास ट्रंक आया कहाँसे। १४ फरवरीको अपोलो होटलमें आपटेको गिरफ्तार करते हुए भी यह ट्रंक नहीं पकड़ा गया था।

श्री मैंगलेने अन्तमें यह कहकर अपनी युक्तियाँ समाप्त कीं कि सबूत पक्ष आपटेपर लगाये गये अभियोगोंको सिद्ध नहीं कर सका है।

शंकरके वकीलकी दलीलें

इसके बाद शंकर किस्तय्याके वकील श्री मेहताने युक्तियाँ प्रारम्भ कीं।

श्री मेहताने कहा—शंकर बडगेका नौकर था और वह ईमानदारीसे बडगेका काम करता था। यह सच है कि शंकरने अनेक बातें स्वीकार कर ली हैं। जब अभियुक्त आपसमें मिलते थे, तो शंकर दूर ही रह जाता था, इसलिए हो सकता है कि उसे कथित षडयन्त्रका पता न हो। बडगेकी आज्ञासे ही वह हथियार और गोलाबारूद इधरसे उधर ले जाया करता था। शंकर जैसे अपढ़ आदमीसे यह आशा नहीं की जानी चाहिये कि उसे हथियार और गोलाबारूद इधरसे उधर ले जानेका उद्देश्य भी मालूम हो।

श्री मेहताने आगे कहा, मेरे मुअक्किलकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। महात्मा गान्धीको कत्ल करनेमें शंकरका कोई उद्देश्य या स्वार्थ सबूत पक्ष सिद्ध नहीं कर सका है।

१५ दिसम्बर

शंकरके वकीलने आज अदालतमें अपनी युक्तियाँ जारी रखीं। श्री मेहताने कहा कि शंकर अपने दिमागसे कुछ नहीं कर रहा था, केवल अपने स्वामीकी आज्ञाओंका पालन कर रहा था।

जजने कहा कि बडगेने तो अपनी गवाहीमें कहा है कि शंकर बड़ा हठी था।

श्री मेहताने आगे कहा कि शंकरने कई चीजें स्वीकार कर ली हैं और अदालतकी जिरहमें उसने कहा है कि बडगेने मुझे षडयन्त्रके विषयमें कुछ नहीं बताया। केवल 'सामान' रखनेके लिए कहा। शंकरने जब दुबारा उस 'सामान' को रखनेके विषयमें पूछा तो बडगे इतना तंग आ गया कि उसने शंकरको थप्पड़ मार दिया। अगर शंकरके बयानकी अन्य बातें सच मानकर उन्हें

स्वीकार कर लिया जाय, तो षड़यन्त्रसे उसकी अनभिज्ञता भी मान लेनी चाहिये।

अन्तमें श्री मेहताने कहा—हो सकता है शंकर अपराधी हो, किन्तु उसकी स्थितिपर विचार करते हुए यह नहीं भूलना चाहिये कि वह बडगेका नौकर था।

गोडसेने स्वयं बहस की

नथूराम गोडसेने अपने विरुद्ध सबूत पक्षके अभियोगपर स्वतः बहस करनी चाही, बशर्ते कि उसके वकीलकी हैसियतमें इससे कुछ फर्क न पड़ता हो। न्यायाधीशने कहा कि इसका निर्णय स्वयं गोडसेके वकील वी. वी. ओक करेंगे।

नथूराम गोडसेने अपने विरुद्ध हत्याके अभियोगका प्रतिवाद नहीं किया, किन्तु उसने कहा कि बडगेकी गवाहीमें अनेक ऐसी बातें हैं जो प्रमाणित नहीं की गयी हैं क्योंकि वे सच ही नहीं हैं।

बडगेने बताया कि उसने १० जनवरीको 'हिन्दूराष्ट्र' कार्यालयमें गोडसेको देखा है, किन्तु सबूत-पक्षने उसके इस कथनको पुष्ट करनेके लिए हिन्दूराष्ट्र कार्यालयसे कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया।

इस बातके प्रमाण हैं कि बडगे शंकरके साथ १४ जनवरीको पूनासे बम्बई गया। यह वही दिन है जिस दिन आपटे और गोडसे बम्बई गये। किन्तु यह नहीं बताया गया कि बडगे और शंकर किस गाड़ीसे बम्बई गये। बडगेका कथन है कि वह उसी ट्रेनसे बम्बई गया, जिससे हम गये, किन्तु यह बड़ी विचित्र बात है कि गवाहीमें बडगेने मुझे देखनेकी कोई बात नहीं कही।

१३ और १४ जनवरीको अपनी बीमा पालिसियोंका उत्तराधिकार करनेके विषयमें गोडसेने कहा कि इसमें सबूत पक्षका क्या उद्देश्य है, यह मेरी समझमें नहीं आता। षड़यन्त्रसे मेरी पालिसियोंके दूसरोंके नाम करनेका क्या प्रयोजन—क्या यह काम मैंने इसलिए किया था कि आपटे और गोपाल गोडसे, प्रलोभनमें आकर षड़यन्त्रमें मेरे साथ शामिल हो जायँ।

सबूत पक्षने कुमारी शान्ता मोडककी गवाहीसे यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि १४ जनवरीको बम्बई पहुँचनेके बाद हम सावरकर सदन गये।

शान्ता मोडकने हमें सावरकर-सदन जाते हुए नहीं देखा। सबूत पक्ष हमारा वहाँ जाना सिद्ध करनेके लिए सावरकर-सदनके ही किसी आदमीसे आसानीसे गवाही दिला सकता था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया।

बडगेने आगे अपने बयानमें यह भी कहा है कि १४ जनवरीको दादर उतरनेके बाद वह हिन्दू सभाके कार्यालयमें गया और वहाँ उसे मालूम हुआ कि आपटे और गोडसे आज ही आने वाले हैं। वह व्यक्ति कौन है जिसे बडगेने हमारे आगमनकी सूचना दी हो। वह व्यक्ति बडगेकी गवाहीके इस हिस्सेको प्रमाणित करनेके लिए गवाही देने बुलाया जा सकता था। ऐसा किया क्यों नहीं गया?

हम गवाही पेश क्यों नहीं कर सके

गोडसेने अपनी डायरीमें लिखित इस बातका निर्देश किया कि उसने बण्डोपन्तको ५०) और गोपाल गोडसेको २००) दिये। सबूत पक्षने इस बण्डोपन्तको मेरीना होटलमें बडगेके कथित बण्डोपन्त नामसे जोड़ दिया जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि बहुत पहलेसे ही यह षड्यन्त्र मेरे दिमागमें घूम रहा था। अगर यह सच भी मान लिया जाय कि बण्डोपन्त बडगे ही है, तो मैं षड्यन्त्रमें गोपाल गोडसेको भी फँसानेके लिए डायरीमें उसका नाम न लिखता। गोपाल मुझे बडगेसे अधिक प्यारा है।

अपनी युक्तियाँ जारी रखते हुए नथूराम गोडसेने कहा कि बम्बईमें १४, १५ और १७ जनवरीको मेरी गतिविधियोंका उल्लेख किया गया है, किन्तु पूनामें १६ जनवरीको मैंने क्या किया इस विषयमें कुछ नहीं कहा गया। बडगेसे मैंने एक पिस्तौल माँगी—बडगेकी यह गवाही भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित नहीं की गयी है।

१७ जनवरीको आपटेके साथ मैं सावरकर-सदन नहीं गया। सबूतका पक्ष सर्वथा बडगेकी गवाहीपर निर्भर है, और उसे पुष्ट नहीं किया गया। हम सबूतकी गवाहीको गलत साबित करनेके लिए गवाह भी प्रस्तुत कर सकते थे, किन्तु गान्धीजीकी हत्याके बाद हमारे अनेक आदमी पुलिसकी हिरासतमें ले लिये गये। कौन कह सकता है कि पुलिसने उन्हें अपनी हिरासतमें रखते हुए तरह तरहसे धमकाया न हो।

सबूतके एक गवाहने बताया है कि बमविस्फोटसे ३ दिन पूर्व हम मेरीना होटलमें थे, किन्तु सबूत कहता है कि उस दिन हम दिल्लीमें थे।

२० जनवरीकी शामको मेरीना होटलके ४० नम्बरके कमरेमें हमने परस्पर बैठक की, बडगेकी इस गवाहीको मेरीना होटलके अन्य किसी गवाहने पुष्ट नहीं किया।

उस दिन मैं बीमार था, बडगेने भी वही बताया है, उस दिन शामको मैं बिड़ला-भवन नहीं गया।

गोडसेने कहा—एक गवाह गोविन्द मालेकरने बताया है कि आपटे, गोपाल गोडसे और मैं २५ जनवरी, १९४८ को रातके ९ बजे बम्बईके एल्फिस्टन होटलमें था। जब कि एक दूसरे गवाह वसन्त जोशीने आपटे, गोपाल गोडसे, करकरे और मुझको २५ जनवरी, १९४८ को रातको ९ बजे बम्बईसे २५ मील दूर ठाणामें देखनेकी बात कही है। यह कैसे हो सकता है? इसके अतिरिक्त वसन्त जोशीके स्थानपर उसके पिता जी० एम० जोशीसे क्यों नहीं गवाही दिलवायी गयी? वसन्त जोशीसे बम्बईकी शिनाख्त परेडमें अभियुक्तोंकी शिनाख्त भी नहीं करायी गयी।

दादा महाराजकी गवाहीके विषयमें गोडसेने कहा कि वह गैरकानूनी काम करता था। ऐसे आदमीपर कैसे विश्वास किया जा सकता है? इस बातकी गारण्टी कौन दे सकता है कि उसने पुलिस और सरकारके फन्देसे बचनेके लिए अदालतमें झूठ बोलकर भलाई मोल न ली हो। हम दादा महाराजसे किसी प्रकारकी आर्थिक सहायता नहीं चाहते थे, हम तो उनसे एक रिवाल्वर चाहते थे जो अरसेसे उनसे लेनेका हमारा अधिकार चला आता था।

गोडसेने यह भी पूछा कि गान्धीजीकी हत्याके बहुत पहलेसे ही पुलिस चुप-चाप सावरकरके घरकी निगरानी रखती थी। हम सावरकरके घर गये और पुलिसको पता न चले, यह कैसे हो सकता है।

१६ दिसम्बर

नथूराम गोडसेने आज भी अपनी युक्तियाँ जारी रखीं।

गोडसेने सबूतके इस कथनकी ओर निर्देश किया कि गोपाल गोडसे २० जनवरीको तीसरे पहर मेरीना होटलसे फ्रण्टियर हिन्दू होटल गया होगा

और चुपकेसे लौट आया होगा। गोडसेने कहा कि गोपाल गोडसेके मेरीना होटलसे कहीं जानेकी बात तो बडगेने भी अपने बयानमें नहीं कही। बडगेने कहा है कि उसने गोपाल गोडसेको एक रिवाल्वरकी मरम्मत करते देखा था और बडगे स्वयं फ्यूज और डिटोनेटर लगानेके लिए स्नानगृहमें चला गया था। बडगे जब स्नानगृहसे बाहर आया तब भी उसने गोपाल गोडसेको वहीं खड़ा हुआ देखा। इसके बाद गोपाल गोडसे अन्योंके साथ बिड़ला-भवन गया। यह बात कि बडगे अपने कार्यमें इतना व्यस्त था कि उसने गोपाल गोडसेकी गतिविधियोंको नहीं देखा होगा, बड़ी अद्भुत मालूम देती है।

फ्रण्टियर हिन्दू होटलके मालिकने अपनी गवाहीमें कहा है कि उसने गोपाल-को २० जनवरीको ४ बजे अपने होटलमें देखा और रजिस्टरमें उसका नाम भी दर्ज है। किन्तु मालिकको उसके होटल पहुँचनेका ठीक-ठीक समय तो मालूम नहीं, किन्तु वापस आनेका याद है और फ्रण्टियर हिन्दू होटल मेरीना होटलसे ५ मील दूर है। फ्रण्टियर होटलका मालिक यह भी नहीं कहता कि गोपाल गोडसेके आनेपर होटलके बाहर उसने कोई कार भी देखी। मालिक जब एक घंटा ठहरनेके भी पैसे ले लेता है, तो यह कैसे हो सकता है कि उसे किसीके आने और जानेके ठीक ठीक समयका ज्ञान न हो। यह सारी गवाही अत्यन्त सन्दिग्ध और विचित्र है।

गोडसेने कहा—मुझे तो यही विचित्र मालूम होता है कि बडगेके बयानको काटनेके लिए सबूतने इस गवाहको पेश ही क्यों किया। मुझे तो ऐसा मालूम देता है कि षड्यन्त्रके अस्तित्वको सिद्ध करनेके निमित्त सबूत पक्ष २० जनवरी-को दिल्लीमें गोपाल गोडसेकी उपस्थितिको सिद्ध करनेके लिए उतावला था।

एक अन्य गवाह गोडबोलेने कहा है कि गान्धीजीकी हत्यासे ८-१० दिन पूर्व गोपाल गोडसेने पूनामें उसे एक रिवाल्वर और कुछ गोलियाँ दीं। अगर १० दिन माने जायँ तब तो यह सिद्ध ही है कि २० जनवरीको गोपाल गोडसे दिल्लीमें नहीं था। अगर उस अवधिको ८-९ दिन समझा जाये और सबूतपक्ष-की इस बातको मान लिया जाय कि २० जनवरीको गोडसे दिल्लीमें था तो सवाल यह है कि गोपाल गोडसे रेलगाड़ीसे इतनी जल्दी पूना पहुँच कैसे सकता है, और हवाई जहाजसे जानेकी बात सबूतने कही नहीं है। अगर इन

गवाहोंकी गवाहियाँ एक साथ, पढ़ी जायँ तो ये एक दूसरेके विरोधमें जाती हैं और अभियोग सिद्ध नहीं होते।

गोडसेने यह स्वीकार किया कि २७ जनवरीको आपटेके साथ हवाई जहाजसे वह बम्बईसे दिल्ली आया था। सबूत पक्ष कहता है कि हम उसी दिन रातको ११ बजे ग्वालियर पहुँचे। किन्तु ताँगा हाकनेवालेका बयान है कि हम बम्बई एक्सप्रेससे ग्वालियर पहुँचे थे। बम्बईको जानेवाली कोई गाड़ी उस समय ग्वालियर नहीं पहुँचती। इसके अतिरिक्त हम रातमें उसके ताँगेमें बैठे। वह हमें याद कैसे रख सका यह बड़ी अद्भुत बात मालूम देती है।

सबूतका कथन है कि डा० परचुरेने अपनी स्वीकारोक्तिमें कहा है कि गोडसेसे मेरी बनती नहीं थी, लेकिन मैंने डा० परचुरेसे गान्धीजीको मारनेके लिए पिस्तौल माँगी। बचाव पक्षकी इस दलीलको कि गोडसे और आपटे केवल स्वयंसेवक लेने डा० परचुरेके पास गये थे, सबूतने बेहूदा बताया है। किन्तु अगर यह बात बेहूदी है तो डा० परचुरेके साथ मेरी न बनते हुए भी यह कहना कि मैंने उससे कहा कि गान्धीजीको मारनेके लिए एक पिस्तौल चाहिये, और भी बेहूदी बात है।

इसके बाद गोडसेने गवाह सुन्दरीलाल और हरिकृष्णके बयानोंको लिया। उसने कहा कि उन दोनोंकी गवाहियाँ एक दूसरेकी विरोधी हैं, इसलिए उनकी कोई कीमत नहीं। सुन्दरीलालने कहा कि ३० जनवरीको उसने हमें दिल्ली स्टेशनका विश्रामगृह खाली करनेको कहा किन्तु परिचारक हरिकृष्णने अपने बयानमें सुन्दरीलालका उल्लेख तक नहीं किया। इसके अतिरिक्त हरिकृष्ण आपटे, गोडसे और करकरेको आसानीसे पहचान सकता था, किन्तु वह शिनाख्त परेडमें भी और अदालतमें भी आपटेको पहचाननेमें विफल रहा।

इसका कारण बताते हुए कि बचाव पक्ष गवाह पेश क्यों नहीं कर सका, गोडसेने कहा, "यह पहला मुकदमा है जब कि सरकार और जनता एक तरफ है और अभियुक्त दूसरी ओर। भगतसिंहके कार्य यद्यपि हिंसात्मक थे, तो भी कांग्रेसने कराचीके अधिवेशनमें एक प्रस्ताव द्वारा उनका समर्थन किया था।

इसके बाद गोडसेने कहा कि भारतके बँटवारेके बाद जो परिस्थितियाँ पैदा हो गयीं और सरकार पाकिस्तानको ५५ करोड़ रोका हुआ रुपया वापस देकर जिस नीतिपर चल रही थी उन परिस्थितियोंमें यद्यपि कानूनकी दृष्टिसे

नहीं, तो भी जनता जनार्दन, भावी पिढ़ियों या भावी ईमानदार इतिहास लेखकों- की आँखोंमें गान्धीजीको मार डालना सर्वथा उचित था।

मैंने जिसको मारा, उसके प्रति कुछ भी दया नहीं दिखायी, इसलिए मेरा अधिकार भी नहीं है कि मैं किसीसे दयाकी भीख माँगूँ। गान्धीजीको मारनेके मेरे जो उद्देश्य थे, वे पूरे हो चुके हैं, इसलिए अब मुझे अधिक और कुछ नहीं कहना है। गोडसेने भविष्यवाणी की कि एक वह भी समय आयेगा जब दुनिया देशभक्तिकी भी उसी प्रकार निन्दा किया करेगी, जिस प्रकार अब धर्मकी निन्दा की जाती है।

करकरेके पक्षमें युक्तियाँ

इसके बाद करकरेके वकील श्री डांगेने युक्तियाँ करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि केवल ४६ गवाहोंकी गवाहियाँ करकरेसे सम्बन्ध रखती हैं। इनमेंसे २६ तो सर्वथा निरर्थक हैं। श्री डांगेने कहा कि सबूतको कमसे कम आवश्यक गवाहोंकी तो जिरह करानी चाहिये थी। भारत यूनियनके किसी भी मुसलमान गवाहको प्रस्तुत नहीं किया गया। बडगे कोई महत्त्वपूर्ण गवाह नहीं है। केवल ५ गवाह महत्त्वपूर्ण हैं। मेरीना होटलकी गवाहियोंका करकरेसे कोई सम्बन्ध ही नहीं है।

श्री डांगेने आगे कहा कि अपराध सिद्ध करनेका सारा दायित्व सबूत पक्ष- पर है, अदालत अनुमानसे कुछ निर्णय नहीं कर सकती। बचाव पक्ष गवाह प्रस्तुत करनेके लिए बाधित नहीं है। कानूनका तकाजा है कि चाहे १० अपराधी दण्डसे भले ही बच जायँ किन्तु निर्दोषको कहीं सजा न मिल जाय। इसके बाद श्री डांगेने करकरेके वक्तव्यसे कुछ ऐसे अंश पढ़े जिनसे उसके बाल्यकाल और शिक्षा-दीक्षापर प्रकाश पड़ता था।

१७ दिसम्बर

श्री डांगेने अपनी युक्तियाँ आज जारी रखीं।

श्री डांगेने श्री जे० सी० जैनके साथ मदनलालके सम्बन्धका जिक्र किया जब कि करकरेको अहमदनगरका सेठ बताया गया था। श्री डांगेने मदनलाल द्वारा प्रो० जैनको लिखे गये पत्रोंका हवाला दिया जिसमें करकरेको करकरे साहब लिखा था, सेठ नहीं।

सबूत पक्ष करकरेको सेठ कहकर उसे धनी व्यक्ति सिद्ध करना चाहता है किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि समाजसेवा केवल धनी मनुष्य ही कर सकता हो। समाजसेवाके लिए मनुष्यका केवल प्रभावशाली और ईमानदार होना ही आवश्यक है। इसलिए करकरेको सबूत द्वारा सेठ कहना झूठ है।

अहमदनगरमें शरणार्थियोंके आ जानेसे मुसलमानोंको नुकसान पहुँचा और करकरेकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। मुसलमानोंको स्वभावतः यह बात खटकी और उन्होंने सरकारसे शिकायत की कि करकरे शरणार्थियोंको दंगेके लिए उसका रहा है। इसीलिए सरकारने उसकी गिरफ्तारीकी आज्ञा दी। गिरफ्तारीकी इस आज्ञाके कारण ही करकरेने अपना नाम बदलकर व्यास रखा।

सरदार पटेलके वक्तव्यपर आपत्ति

उससे पूर्व गोपाल गोडसे और डा० परचुरेके वकील श्री इनामदारने एक प्रेस रिपोर्टकी ओर अदालतका ध्यान खींचा, जिसमें कहा गया है कि सरदार पटेलने कांग्रेसके जयपुर अधिवेशनमें कहा कि जिस पिस्तौलसे गान्धीजीको मारा गया था, वह ग्वालियरमें खरीदी गयी थी। श्री इनामदारने कहा कि जब तक मुकदमा जारी है, ऐसे खुले वक्तव्य नहीं दिये जाने चाहिये।

श्री डाँगेने कहा कि अगर करकरे और मदनलाल कोई षड्यन्त्र करनेके उद्देश्यसे दिल्ली आये होते तो वे अपने साथ एक अपरिचित व्यक्ति अमचेकरको क्यों लाते।

इसके अतिरिक्त एक गवाहने कहा कि मदनलाल २० जनवरीको एक सभामें गया था, जिसमें जयप्रकाशनारायणने भाषण किया था। मदनलालने वहाँपर नारे बुलन्द किये थे। क्या किसी षड्यन्त्रकारीका व्यवहार इस प्रकारका होता है? इसलिए सबूतका यह कहना कि ये अभियुक्त षड्यन्त्र करनेके खयालसे दिल्ली आये थे, सरासर झूठ है।

श्री डाँगेने इसके बाद मेरीना होटलकी गवाहियोंको लिया। उन्होंने कहा कि एक गवाहने बम्बईकी शिनाख्त परेडमें करकरेको पहचाना था, किन्तु यह कैसे सम्भव है कि वह गवाह नित्यप्रति सैकड़ों व्यक्तियोंको चाय पानी परोसता है, तब भी उसे करकरेकी सूरत याद रह गयी हो और बम्बईकी शिनाख्त परेडमें वह उसे पहचान ले। इसके अतिरिक्त मेरीना होटलके एक गवाहने होटलमें

आपटे, नथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे और बडगेकी उपस्थितिका जिक्र किया है, करकरेका नहीं। उसके कथनानुसार करकरे उस समय बम्बईमें था। इसलिए उस गवाहके बयानसे बडगेकी गवाही कट जाती है।

श्री डाँगेने आगे कहा कि बिडला-भवनके दो गवाहों छोटूराम और भूरसिंहकी भी गवाहियाँ एक दूसरेके विरुद्ध हैं। छोटूरामने कहा है कि गान्धीजीका फोटो लेनेके लिए अनुमति लेने करकरे उसके पास आया था। शिनाख्त परेडमें उसने आपटे और करकरेको पहचाना तो जरूर किन्तु वह यह नहीं बता सका कि दोनोंमेंसे कौन व्यक्ति फोटोकी अनुमति लेने उसके पास आया था।

भूरसिंहका बयान है कि २७ जनवरीको दो व्यक्ति आये थे। एकने फोटो लेनेकी अनुमति माँगी, किन्तु वह यह नहीं पहचान सका कि वह व्यक्ति था कौन।

श्री डाँगेने आगे कहा—सबूत पक्षका कथन यह है कि आपटे, गोडसे और करकरे ३० जनवरीको दिल्लीमें थे। दिल्ली स्टेशनपर टिकट बाँटनेवाले सुन्दरीलालने आपटे और गोडसेको पहचाना जिनके विषयमें उसने कहा कि वे २९ जनवरीको दिल्ली स्टेशनपर थे और करकरेको इस रूपमें पहचाना कि वह ३० जनवरीको आपटे और गोडसेके साथ दिल्ली स्टेशनके विश्रामगृहमें था। सुन्दरीलाल द्वारा इन व्यक्तियोंकी शिनाख्त सन्दिग्ध है। ८ फरवरीको दिल्लीकी शिनाख्त परेडमें इससे शिनाख्त क्यों नहीं करायी गयी? बम्बईकी शिनाख्त परेड तक उसके रोक रखनेका मतलब यह है कि सबूत पक्ष उसे पाठ पढ़ा रहा था। सुन्दरीलालने यह कहा है कि उसने आपटे और गोडसेको बैठा हुआ तथा करकरेको खड़ा हुआ देखा। किन्तु करकरे खड़ा क्यों रहता, वह आपटे और गोडसेका नौकर तो नहीं था, या उनसे हीन तो नहीं था। इसलिए यह कहना कि करकरे वहाँपर मौजूद था बिल्कुल झूठ है। सबूत पक्ष यह प्रतिपादित नहीं कर सका कि करकरे दिल्ली कैसे पहुँचा, इसलिए इस बातका लाभ मेरे मुअक्किलको मिलना चाहिये।

श्री डाँगेने आगे कहा कि बडगेकी गवाही अविश्वसनीय है, क्योंकि मुखबिरकी गवाही जबतक अन्य सूत्रोंसे प्रमाणित न हो जाय, उसपर विश्वास नहीं किया जा सकता।

१८ दिसम्बर

आज श्री एन. डी. डांगेने अपनी बहस जारी रखते हुए उस पत्रका प्रसंग उद्धृत किया जो बम्बई सी. आई. डी. के नये भवनमें बडगेकी पत्नीसे उपलब्ध हुआ था।

वकीलने कहा कि जब बडगेकी पत्नी सी. आई. डी. भवनमें आयी तो उसने पुलिसके माँगनेपर उसे उक्त पत्र दिया। यह समझमें नहीं आता कि श्रीमती बडगे वह पत्र क्यों लायी होंगी, जब कि बडगेने उसे लानेके लिए कुछ नहीं कहा था। अतः यह मामला पूर्णतया सन्दिग्ध प्रतीत होता है।

श्री डांगेने कहा कि यह पत्र बडगेके छपे कागजपर भी नहीं लिखा था। यह पत्र—कागज फटा हुआ था और चिपका रखा गया था। पुलिसने इसकी लिखावट करकरेकी लिखावटसे मिलायी थी। अभियुक्तको एक निश्चित ढंगसे लिखनेका आदेश दिया गया था। हस्तलेख-परीक्षकका कहना है कि ये लिखावटें एक व्यक्ति, अर्थात् करकरेकी हैं। लेकिन बलपूर्वक अथवा फुसलाकर लिखायी गयी लिखावटको मिलानके लिए प्रामाणिक नहीं समझा जा सकता है।

श्री डांगेने कहा कि इस पत्रमें पुस्तकों और लेखोंका जो सांकेतिक प्रयोग किया गया है उसका अर्थ बमोंसे नहीं, प्रत्युत लौह जाकिटोंसे है जिन्हें नोआखाली जानेसे पहले करकरेने खरीदा था।

वकीलने कहा कि गान्धीजीकी हत्याके लिए कोई षड्यन्त्र न था। बडगे दिल्लीमें अपने हथियार बेचने आया था। आपटेने उससे एक शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमें भाग लेनेके लिए आनेकी प्रार्थना की थी। अतः उसने सामान्यतः ऐसा अवसर चुना कि दोनों काम हो सकें।

श्री डांगेने फिर कहा कि सबूत पक्षका कथन है कि मेरीना होटल (दिल्ली) में यह तय किया गया था कि जब मदनलाल गनकाटन बमका धड़ाका करे तो तुरन्त ही करकरे, गोपाल गोडसे और शंकर, छोटूरामके कमरेसे महात्मा गान्धीपर हथगोलेका प्रहार करें। लेकिन बडगेने इस योजनामें परिवर्तन कर दिया। करकरेको इसकी जानकारी न थी। यदि करकरे वास्तवमें षड्यन्त्रकारियोंमें होता तो उसे यह मालूम होना चाहिये था। इससे सिद्ध होता है कि करकरे निर्दोष है और हत्याके लिए कोई षड्यन्त्र नहीं किया गया।

श्री मुरारजी देसाई, अंगदसिंह और प्रो० जे. सी. जैनकी गवाहियोंमें परस्पर विरोधाभास है और मूल कथनका पिष्टपेषण है, अतः इन्हें स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

करकरेकी गिरफ्तारीके समय उसके पास बम्बई उपनगरके ३१ जनवरीके टिकट बरामद हुए थे। इसी बातसे यह प्रकट होता है कि वह हत्याके समय दिल्लीमें नहीं होगा।

श्री डांगेने बम्बईमें हुई शिनाख्त परेडोंकी आलोचना की और कहा कि चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट श्री ब्राउनने जिस समय शिनाख्त परेड की तो कोई भी मराठी दुभाषिया करकरेको सारी बातें समझानेको नहीं था।

अन्तमें श्री डांगेने कहा कि मेरे मुअक्किलने कोई भी अपराध नहीं किया, अतः उसे सन्देहका लाभ मिलना चाहिये और रिहा कर देना चाहिये।

सावरकरकी ओरसे श्री दासकी बहस

इसके बाद सावरकरके बचावमें श्री पी. आर. दासने बहस आरम्भ की और कहा कि हमारे सामने दो चीजें विचारणीय हैं। पहली यह कि क्या गान्धीजी-की हत्या करनेके लिए कोई षड्यन्त्र रचा गया? दूसरी यह कि यदि कोई षड्यन्त्र रचा गया तो उसमें सावरकरका कितना हाथ है?

श्री दासने कहा कि सबूत पक्षके कथनानुसार गान्धीजीकी हत्या करनेका अन्तिम फैसला २० ज़नवरी १९४८ को मेरोना होटलके ४० नम्बरके कमरेमें हुआ था। बचाव पक्षका कहना है कि गान्धीजीकी हत्या करनेके लिए कोई षड्यन्त्र नहीं रचा गया और यदि इसे षड्यन्त्र कहा जाय तो कितनी बुरी बात है, क्योंकि अन्य अभियुक्तोंने तो गान्धीजीकी प्रार्थना-सभामें प्रदर्शन करनेका प्रयत्न किया। २० जनवरीका काण्ड तो केवल नथूराम गोडसेका वैयक्तिक कार्य है। यदि कोई षड्यन्त्र ही किया गया था तो २० जनवरीको ही गान्धीजीकी हत्या क्यों नहीं की गयी। उस दिन सात व्यक्ति भली-भाँति शस्त्र-सज्जित थे, वे उस दिन आसानीसे गान्धीजीकी हत्या कर देते, यदि उन्होंने कोई षड्यन्त्र किया होता। इस सम्बन्धमें जो गवाहियाँ सबूत पक्षकी ओरसे पेश की गयी हैं, वे मुखबिरकी गवाहीको पुष्ट नहीं करतीं, वरन् कहीं कहीं खण्डन करती हैं। सबूत पक्षने इस बातकी भी गवाहियाँ पेश की हैं कि

अभियुक्त २० जनवरीके बाद फिर मिले और गान्धीजीकी हत्या करनेका निर्णय किया। प्रश्न यह होता है कि यदि षड्यन्त्र ही था तो हत्या २० जनवरीको क्यों नहीं की जब कि उस दिन हत्या करना आसान था।

श्री दासने लार्ड सभा और इलाहाबाद हाई कोर्टके फैसलोंका हवाला देकर कहा कि सबूत पक्षके मुकदमेमें सन्देहके कई कारण मौजूद हैं और सबूत पक्षको अपना मुकदमा सन्देह-रहित रूपसे सिद्ध करना चाहिये।

श्री दासने अपनी बहस जारी रखते हुए कहा कि क्या सबूत पक्ष सच्चा है या सफाई पक्ष। २० जनवरीको केवल एक बम फटा। क्या इसका यह अर्थ है कि सबूत पक्ष बिना सन्देहके अपना पक्ष सच साबित कर चुका है। क्या सबूत पक्षके पास इस बातका प्रमाण है कि अभियुक्तोंने २० जनवरीको ही षड्यन्त्र क्यों कार्यान्वित नहीं किया?

मुखबिर बडगेकी गवाहीके बारेमें श्री दासने कहा कि मुखबिरकी गवाहीकी पुष्टि विवरणात्मक रूपसे न हुई हो पर मुख्य बातोंकी पुष्टि तो आवश्यक है। यह फैसला अदालत करेगी कि मुखबिरकी गवाहीकी समुचित पुष्टि हो सकी है या नहीं।

आपने आगे कहा कि बडगेने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि वह १९४७ से हथियार और गोला बारूद करकरे और आपटेके हाथों बेचता रहा है। इस बिक्रीका उद्देश्य गान्धीजीकी हत्या करना नहीं वरन् हैदराबादके हिन्दुओंके लिए शस्त्रास्त्र एकत्र करना था।

नवम्बर १९४७ में आपटेने बडगेसे पूछा कि शस्त्रास्त्र तैयार हैं या नहीं। उसने यह भी कहा कि करकरे उससे ये हथियार आदि एक या दो दिनमें लेने आयगा। यह हथियार भी हैदराबाद संघर्षके लिए थे। १० जनवरीको बडगे को 'हिन्दू राष्ट्र' पूनाके दफ्तरमें बुलाया गया और उससे दो बारूदी रूईके टुकड़े, २ रिवाल्वर तथा ५ हथगोले देनेको कहा गया। यह सामान १४ जनवरीको हिन्दू महासभा कार्यालय दादरमें पहुँचाना था। श्री दासने कहा कि मुखबिरके बयानके इस भागकी पुष्टि किसी भी गवाहकी गवाहीसे नहीं होती।

अपनी बहस जारी रखते हुए श्री दासने कहा कि जब बडगे और शंकर १४ जनवरीको बम्बई पहुँचे तो बडगे वह शस्त्रास्त्र दीक्षित महाराजके घर ले गया और उन्हें दीक्षित महाराजके नौकरको दे दिया। बडगे उन शस्त्रास्त्रोंको

वहाँ क्यों ले गया ? वह इसलिए ले गया क्योंकि दीक्षित महाराजके जरियेसे शस्त्रास्त्र हैदराबादके लिए एकत्र किये जाते थे।

दीक्षित महाराजका नौकर अदालतमें पेश नहीं किया गया। दीक्षित महाराजकी इस गवाहीसे कि बडगे शस्त्रास्त्र आदि मेरे नौकरको दे गया, बडगेकी गवाहीकी पुष्टि नहीं होती। दीक्षित महाराजके ऊपर बड़ी आसानीसे जाब्ता फौजदारीके अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा सकता था, पर बम्बई सरकारने इस सम्बन्धमें कोई कदम नहीं उठाया। यह बहुत सम्भव हो सकता है कि दीक्षित महाराजने अपने आपको बचानेके लिए सबूत पक्षके कहनेपर गवाही दी हो। इसलिए उनकी गवाहीका कोई महत्त्व नहीं।

हैदराबादका प्रश्न उस समय सबके दिमागमें था। क्या ये शस्त्रास्त्र जो बम्बई लाये गये थे, हैदराबाद भेजनेके लिए मँगाये गये थे या एक निहत्थे वृद्धकी हत्या करनेके लिए ? सबूत पक्षका कहना है कि यह "सामान" दिल्ली ले जाकर गान्धीजीकी हत्या करनेके लिए बम्बई मँगाया गया था। क्या यह सारे शस्त्रास्त्र गान्धीजीकी हत्याके लिए आवश्यक थे ?

यदि दीक्षित महाराजके नौकर नारायणको अदालतमें पेश किया गया होता तो पता चल जाता कि यह शस्त्रास्त्र बम्बई क्यों लाये गये थे। उस समय षड्यन्त्रका भंडाफोड़ हो जाता। श्री दासने आगे कहा कि इस सम्बन्धमें सबूत पक्षके इस मुकदमेमें काफी सन्देह-स्थल मौजूद हैं कि ये शस्त्रास्त्र गान्धीजीकी हत्याके लिए बम्बई लाये गये थे।

श्री दासने बताया कि मुखबिर और कथित षड्यन्त्रकारियोंमें केवल विक्रेता और ग्राहकका सम्बन्ध था। सबूत पक्षकी गवाहियोंसे पता चलता है कि जब भी सावरकरसे गोपनीय वार्ता हुई, बडगेको अलग रखा गया। जब आपटेने बडगेसे पूछा कि क्या वह उनके साथ दिल्ली जाने और महात्मा गान्धी तथा श्री सुहरावर्दीको हत्या करनेको तैयार है या नहीं, क्योंकि हत्या करनेकी आज्ञा श्री सावरकरने दी है, तो बडगेने उसे बिना ननुनचके स्वीकार कर लिया। यह कितनी आश्चर्यकी बात है कि बडगेको यह ध्यान भी नहीं आया कि वह इसकी सूचना पुलिसको दे दे। आपटे और गोडसे जब अन्तिम बार सावरकरके दर्शन करने गये तो भी बडगेको बाहर छोड़ गये। यह और भी ताज्जुबकी बात है कि कथित षड्यन्त्रकारियोंको बडगेपर विश्वास न होते हुए भी उन्होंने उसे

गान्धीजीकी हत्याके षड्यन्त्रके बारेमें सूचना दे दी। २० जनवरीको प्रातः अभियुक्तोंके बिड़ला-भवन जानेके विषयमें श्री दासने कहा कि सबूत पक्ष ऐसे किसी टैक्सी ड्राइवरको पेश नहीं कर सका जो निश्चयपूर्वक बडगेकी गवाहीकी पुष्टि करता।

२० दिसम्बर—बम-विस्फोटके बाद षड्यन्त्र खतम हो गया

श्री पी० आर० दासने आज भी अपनी बहस जारी रखते हुए कहा कि सबूत पक्षने यह नहीं कहा है कि २० जनवरीके बाद ३० जनवरी तक षड्यन्त्र जारी था। बिडला भवनके गवाहोंने परस्परविरोधी और बडगेकी गवाहीसे विपरीत गवाहियाँ दी हैं। कानूनके अनुसार शिनाख़्त कराना जरूरी है, पर क्या यह सम्भव है कि कोई आदमी शिनाख्त कर कहे कि मैंने अमुक व्यक्तिको छः आदमियोंके साथ टहलते हुए देखा था। सुलोचना और सूरजीत सिंहकी गवाही अस्वीकृत कर बचाव पक्षको यह बात मान लेनी चाहिये कि २० जनवरीकी शामको नथूराम बिडला भवनमें उपस्थित नहीं था और हत्याके लिए कोई षड्यन्त्र नहीं रचा गया था।

जजने पूछा कि सबूत पक्षका कहना है कि आपटे तथा अन्य लोग घबड़ाकर टैक्सीमें भाग गये। यदि वे लोग शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने आये होते तो इस तरह हड़बड़ाकर क्यों भागते? श्री दासने कहा कि इस तरह भागनेकी बातपर ज्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिये। यदि गान्धीजीको मारनेका कोई षड्यन्त्र होता तो इन लोगोंमेंसे किसी एकने, मदनलालने ही, उस दिन गान्धीजीकी हत्या कर डाली होती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। षड्यन्त्र गुप्त रूपसे रचा जाता है। सबूत पक्ष भी यह नहीं कहता कि २० तारीखके बाद कोई षड्यन्त्र जारी था।

जजने पूछा कि यदि षड्यन्त्र किसी एक दिन विफल हुआ तो क्या वह फिर षड्यन्त्र नहीं रह जाता? श्री जैनकी गवाहीको बढ़ा चढ़ाकर दी गयी गवाही कहा गया था। उसपर जजने कहा कि वह बढ़ा-चढ़ाकर होती तो जैन खुद ही उसमें और फँसते।

श्री दासने कहा कि श्री मुरारजी देसाई हत्याके षड्यन्त्रकी बातें जानते थे तो उन्होंने उसे रोकनेके लिए कुछ क्यों नहीं किया। अधिकारियों द्वारा जैसा गाफिलपन इस मामलेमें दिखाया गया वैसा आजतक किसी भी मामलेमें नहीं

देखा गया था। मान भी लिया कि हत्याका कोई षडयन्त्र था और जैनकी गवाही सच है तब भी जैनने मुरारजी देसाईको केवल मदनलाल और करकरेके नाम बताये थे। श्री मुरारजीकी गवाही सुनी हुई बातोंके आधारपर थी इसलिए उसे अदालतको स्वीकार नहीं करना चाहिये। २० जनवरीकी रातको जब बडगेने हिन्दू महासभा भवनमें गोडसे और आपटेको भला-बुरा कहा तभी षडयन्त्र समाप्त हो गया।

२१ दिसम्बर

श्री दासने आज भी अपनी बहस जारी रखी। उन्होंने कहा कि सबूत पक्षने बसंत जोशीकी गवाही दिलाकर यह साबित करना चाहा है कि चार अभियुक्त ठाणामें जोशीके यहाँ एकत्र हुए थे। यदि यह सच माना जाय तब भी एकत्र होनेका मतलब षड्यन्त्र करना कैसे होगा? असलमें गवाही बसन्त जोशीके पिता जी. एम. जोशीसे दिलानी चाहिये थी, पर वे १५ दिन तक लाल किलेमें थे फिर भी उनकी गवाही नहीं ली गयी। २५ जनवरीको आपटेको पूना तार भेजनेकी बात भी कही गयी, पर आपटे तो मालेकरकी गवाहीके अनुसार उस दिन बम्बईमें था।

सावरकर जैसा देशके लिए सर्वस्व त्याग किया हुआ आदमी आपटे-गोडसे जैसे लोगोंके साथ षड्यन्त्र कैसे कर सकता है? पुलिसने उनके यहाँसे १४० फाइलोंमें १० हजार पत्र बरामद किये, पर एक भी पत्रमें एक भी ऐसा शब्द उसे नहीं मिला जिससे मालूम हो कि सावरकर गान्धीजीके प्रति दुर्भावना रखते थे। १९४७ में आपटे-गोडसे और सावरकरमें कोई पत्रव्यवहार ही नहीं हुआ। अगस्त ४७ में महाराष्ट्र हिन्दूसभाका आदेश भंग करके सावरकरने अपने मकानपर तिरंगा झंडा फहराया। इसपर आपटे-गोडसे करकरेने उनकी निंदा की। बडगेने जो यह कहा कि आपटेने दीक्षित महाराजके घरके हातेमें कहा कि सावरकरका आदेश है कि गान्धी, नेहरू और सुहरावर्दीको खतम कर दिया जाय, क्या विश्वसनीय है? क्या किसीके मकानके हातेमें ऐसी बातें कही जा सकती हैं? आपटेने झूठमूठ सावरकरका नाम लिया हो तो? यदि ऐसी गवाही अदालतोंमें मान्यता पा जाय तब तो इस दुनियामें कोई भी आदमी सलामत नहीं रह सकता। १९४७-४८ में सावरकरसे आपटे-गोडसे कभी नहीं

मिले, तो फिर क्या केवल यह बात कहने कि हम गान्धीजीकी हत्या करने जा रहे हैं दोनों सावरकरके यहाँ गये होंगे ! यह असम्भव मालूम देता है। जैन, मुरारजी देसाई या अंगदसिंह तीनोंमेंसे किसीने भी यह नहीं कहा है कि सावरकर षड्यन्त्रमें शामिल थे। २४ से २७ जनवरी तक आपटे गोडसे बम्बईमें थे। इन तीन दिनोंमें इन दोमेंसे कोई सावरकरके घर नहीं गया। सावरकरने हिन्दू सभाको बनाया। वे अवश्य जानते होंगे कि गान्धीजीको मारना हिन्दू सभाको खतम करना है। फिर वे ऐसा अपने हाथों कैसे करते ! बडगे और दीक्षित महाराजकी गवाहियाँ मेल नहीं खातीं। सारी चीजें संदेहात्मक हैं इसलिए संदेहका लाभ अभियुक्तोंको मिलना चाहिये।

सावरकर निर्दोष कहकर छोड़े जायँगे इसमें मुझे संदेह नहीं, पर अदालतको उन्हें निष्कलंक कहकर भी छोड़ना चाहिये।

मदनलालके वकील द्वारा बहस

श्री दासके बाद मदनलालके वकील श्री बनर्जी बहस करने लगे। उन्होंने कहा कि अदालतको गान्धीजीके भाषणों आदिको अदालती सबूतोंमें शामिल कर लेना चाहिये। गान्धीजीके कारण सरकारको पाकिस्तानको ५५ करोड़ रुपया देना पड़ा यह बात भी अदालतके रेकार्डमें आ जानी चाहिये।

ग्वालियरके मजिस्ट्रेटने जो बयान लिया वह कानूनन यह अदालत नहीं ले सकती।

२२ दिसम्बर

श्री बनर्जीने आज अपनी युक्तियाँ जारी रखते हुए ग्वालियरके मजिस्ट्रेट आर. बी. अटल द्वारा दर्ज किये गये परचुरेके अपराध-स्वीकारका स्मरण कराया।

श्री बनर्जीने कहा कि रियासतोंके मजिस्ट्रेटको अपराध-स्वीकारोक्ति प्रस्तुत करनेके सिवा स्वयं भी गवाही देनी चाहिये। श्री अटलने उस स्वीकारोक्तिको अदालतमें केवल पढ़ दिया।

श्री बनर्जीने कहा आम रिवाज यह है कि रियासतके मजिस्ट्रेटको अदालतमें अभियुक्तकी अपराध-स्वीकारोक्ति प्रस्तुत करनेके साथ-साथ अपनी गवाही भी देनी चाहिये।

श्री बनर्जीने अपने पक्षको पुष्ट करनेके लिए अनेक न्यायोंका हवाला दिया।

श्री बनर्जीने कहा कि यह कथित षड्यन्त्र कब रचा गया, इस विषयमें भिन्न भिन्न तिथियाँ बतायी गयी हैं। गवाहीसे यह सिद्ध है कि ९ जनवरीतक मदनलाल इस कथित षड्यन्त्रमें शामिल नहीं था। अगर यह षड्यन्त्र अहमदनगरमें बनाया गया तो मदनलाल उसमें शामिल नहीं हो सकता। क्योंकि मदनलाल उस समय वहाँपर था ही नहीं। दीक्षित महाराजकी गवाहीसे भी यह ज्ञात नहीं होता कि मदनलाल षड्यन्त्रमें शामिल था। दीक्षित महाराजने यह बताया है कि जब दूसरे लोग हथियार और गोलाबारूदकी परख कर रहे थे, तो मदनलाल चुप और निष्क्रिय था। अगर षड्यन्त्रमें मदनलालका हाथ होता तो वह चुप क्यों रहता।

मेरीना होटलके गवाहोंने मदनलालके मेरीना होटलमें उपस्थित होनेके विषयमें कुछ नहीं कहा है। मदनलाल ही २० जनवरीको पुलिसको मेरीना होटलके ४० नम्बरके कमरेमें ले गया था, किन्तु अभियुक्त द्वारा पुलिसको दिया गया वक्तव्य स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सबूत पक्षके अनुसार प्रो० जैनको बताया कि उन्होंने गान्धीजीकी हत्या करनेका षड्यन्त्र रचा। भला यह कैसे हो सकता है कि एक षड्यन्त्रकारी अपना रहस्य दूसरेपर प्रकट कर दे। आपने आगे कहा कि प्रो० जैनकी गवाहीकी न तो श्री अंगदसिंह और न श्री मुरारजी देसाईने ही पुष्टि की है। इन परिस्थितियोंको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कोई षड्यन्त्र नहीं किया गया था और यदि कोई षड्यन्त्र किया भी गया था तो मदनलालका इसमें कोई हाथ नहीं था।

अगर सबूतके कथनको सही भी मान लिया जाय तो भी यह प्रश्न उठता है कि मुरारजी देसाईने षड्यन्त्रकारियोंको पकड़नेके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया ताकि गान्धीजीका जीवन बचाया जा सकता। श्री मुरारजी देसाईने प्रो० जैनसे षड्यन्त्रका पता लगनेपर श्री नगरवालाको बुलाया और वह कहानी सुना दी जो उन्होंने प्रो० जैनसे सुनी थी। लेकिन श्री नगरवालाको मुखबिरका नाम नहीं बताया। इससे प्रकट होता है कि श्री मुरारजी देसाईको प्रो० जैनकी कहानीपर विश्वास नहीं था। इसलिए कोई विशेष बयान उस समय नहीं दिया गया।

प्रो० जैनकी गवाहीका जिक्र करते हुए श्री बनर्जीने कहा कि यह हो

सकता है कि अखबारोंमें २० जनवरीकी घटनाको पढ़कर प्रो० जैनने गान्धीजी-को मारनेके षड्यन्त्रके होनेका अनुमान लगाया हो।

२३ दिसम्बर

श्री बनर्जीने बहस जारी रखते हुए कहा कि जैनकी गवाहीका खण्डन मुरारजी देसाई और अगदसिंहकी गवाहीसे हो जाता है। नगरवालाने भी जैन-के बयानको कोई महत्त्व नहीं दिया। जब दिल्लीसे पुलिस अफसर गया तब उन्होंने बडगेकी गिरफ्तारीका वारंट निकाला।

श्री बनर्जीने कहा कि यदि करकरे-मदनलाल इतना गोलाबारूद तीसरे दर्जे-के भीड़-भरे डब्बेमें बम्बईसे दिल्ली ले आ सकते थे तो १५ जनवरीको वे चीजें बम्बईके हिन्दू सभाके दफ्तरमें ही रखी जातीं, दीक्षित महाराज जैसे आदमीके घर क्यों रखी जातीं? बडगे और दीक्षित महाराजकी गवाहीमें विरोध है। यदि गान्धी-नेहरू-सुहरावर्दी तीनोंको मारनेका षड्यन्त्र था तो नेहरू-सुहरावर्दीको मारनेका प्रयत्न क्यों नहीं किया गया? सबूत पक्षने यह भी नहीं बताया कि कब इनको मारनेकी योजना रद्द कर दी गयी थी। यदि कोई षड्यन्त्र होता तो ये लोग दिल्लीमें हिन्दू सभाके दफ्तर जैसे धर्मशालाके सामने खुली जगहमें न टिकते।

२० तारीखको सबेरे बडगेको आपटे बिड़ला-भवन क्यों ले गया? यदि षड्यन्त्र था तो मदनलालको ले जाना चाहिये था। उसे ले जानेकी बात नहीं कही गयी है। बडगेको २० को सबेरे कोई काम नहीं सौंपा गया। तब फिर उसे ही बिड़ला-भवन क्यों ले गये? हथियार बाँटनेके लिए २ मील दूर मेरीना होटल क्यों चुना जाता? हिन्दू सभाभवनमें ही यह क्यों नहीं किया गया? फिर गोपाल गोडसे वापस हिन्दू सभाभवन क्यों गया? सारी कथा फरवरीके मध्यमें पुलिस द्वारा गढ़ी गयी मालूम होती है। ३१ जनवरीको गिरफ्तार किये गये बडगेका बयान २१-२२ फरवरी तक नहीं लिखा गया। जैनसे ४-५ फरवरीको मुलाकात की गयी, पर उनका बयान १७ फरवरीको लिया गया। अदालतको मालूम हो जायगा कि कहानी रचनेका जानबूझकर प्रयत्न किया गया है। अदालतमें भी कहानीको सुधारनेकी और चेष्टा की गयी। मुकदमा २४ जूनको शुरू हुआ। इकबाली गवाहको २१ जूनको माफी दी गयी, पर उसका बयान जो सबसे पहले लिया जाना चाहिये था, जुलाईके मध्यमें लिया गया।

कहा गया कि नथूरामने बडगेसे कहा कि यह हमारा आखिरी प्रयत्न है। फिर पहला प्रयत्न कब किया गया? यदि आपटे-गोडसे षड्यन्त्रके मस्तिष्क थे तो हथियार बाँटनेके बारेमें उन्होंने बडगेकी नयी योजना कैसे स्वीकार की? सुलोचना और बडगेकी गवाहीमें भी विरोध है। यदि षड्यन्त्र था तब भी यह नहीं साबित होता कि मदनलाल उसमें था।

२४ दिसम्बर

श्री बनर्जीने आज भी अपनी युक्तियाँ जारी रखीं।

शिनाख्त परेडको गवाहियोंका जिक्र करते हुए श्री बनर्जीने कहा कि बम्बईके चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट श्री ब्राउनको अभियुक्तोंको पुलिसकी हिरासतमें रखनेके सम्बन्धमें कोई अधिकार नहीं है जबतक कि आप फाइलपर उन कारणोंका उल्लेख न करें कि क्यों उन्हें पुलिसकी हिरासतमें दिया गया। पुलिस ऐक्टमें उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं कि शिनाख्त परेड करायी जाय, जब कि अभियुक्त पुलिसकी हिरासतमें हैं। इसलिए सारा तरीका जो अपनाया गया, गैर-कानूनी है। अपनी युक्तियाँ जारी रखते हुए श्री बनर्जीने इस बातको मान लिया कि अभियुक्तोंको पूछताछके लिए एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जाया गया। कानूनमें अभियुक्तोंसे पूछताछ करना अनुचित है। लेकिन पुलिसने ऐसा किया ताकि षड्यन्त्र बनाया जाय। सबूत पक्ष यह नहीं बता सका कि क्यों २० जनवरीको सब अभियुक्तोंने अपना-अपना भाग अदा नहीं किया जब मदनलालने बम विस्फोट किया था। इसलिए षड्यन्त्रका अभियोग सिद्ध नहीं होता।

इसके बाद श्री बनर्जीने अदालतके इस मुकदमेपर विचार कर सकनेके अधिकारको चुनौती दी। आपने कहा कि कानूनके अनुसार अभियुक्तोंके विरुद्ध मुकदमेकी सुनवाईका जो अधिकार अदालतको प्राप्त है उसके अनुसार आप सेशनमें मुकदमा भेजनेकी अपेक्षा स्वयं सुन सकते हैं।

चाहिये तो यह था कि सारे मुकदमेको वारण्ट मुकदमा स्वीकार किया जाता न कि समन मुकदमा जैसा कि अब किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कानूनके अनुसार भी कोई तरीका कि किस प्रकार ऐसा मुकदमा किया जाय, दर्ज नहीं है। इसलिए वह भी अधूरा है। सारा मुकदमा गैरकानूनी तरीकेपर

चलाया गया है, क्योंकि अभियुक्तोंके विरुद्ध जो अभियोग लगाये गये हैं वे भी न्याय्य तरीकेसे नहीं लगाये गये।

मदनलालकी गिरफ्तारीके समय जो कोट पुलिसने उसके पाससे बरामद किया था, उसका जिक्र करते हुए श्री बनर्जीने कहा कि वह कोट आपटेका नहीं है जैसा कि सबूत पक्षका कथन है। कोटकी कहानी इसलिए पेश की गयी है ताकि मदनलालका अन्य व्यक्तियोंसे सम्बन्ध बताकर यह सिद्ध किया जा सके कि कोई षड्यन्त्र था। जिन अवस्थाओंमें आपटेसे पतलून अधिकारमें की गयी वे भी सन्दिग्ध हैं।

आगे चलकर श्री बनर्जीने कहा कि अहमदनगरसे कोई गवाह क्यों नहीं पेश किया गया, जब कि सबूतने अभियोगपत्रमें उनका भी उल्लेख किया था। यह सही है कि यह सबूतकी मर्जीपर है कि वह जिन गवाहोंको चाहे उन्हें ही पेश करे। किन्तु आवश्यक गवाहोंको प्रस्तुत करना ही चाहिये।

अब यह अदालतपर है कि वह फैसला करे कि सबूतने जो गवाहियाँ प्रस्तुत नहीं कीं यह उचित है या नहीं? मदनलालकी बहादुरीको जतानेवाले अहमदनगरके उसके कामोंका बयान सबूतने प्रो० जैनके जरिये दिलवाया है। किन्तु प्रो० जैनकी गवाही सिर्फ सुनी-सुनायी कहानी है।

श्री बनर्जीने अभियुक्तों द्वारा स्थान निर्देश सम्बन्धी गवाहियोंके स्वीकारणीय होनेपर आपत्ति उठायी। उन्होंने अपने पक्षको पुष्ट करनेके लिए अदालतोंके अनेक फैसलोंका हवाला दिया। अगर इन वक्तव्योंको स्वीकार न किया जावे तो बडगेका उस आशयका वक्तव्य प्रमाणित नहीं होता कि मदनलालका आपटेके साथ कोई सम्बन्ध था।

श्री बनर्जीने आगे कहा कि अभियुक्तोंने अपने वक्तव्यमें कुछ बातें कही हैं। सबूतका कथन है कि उनको गवाह प्रस्तुत करके पुष्ट किया जाना चाहिये किन्तु यह तो सबूतका कार्य है कि वह स्वयं ही अभियोगोंको साबित करे।

सबूतने मानो अदालतसे यह कहा है कि वह यह मानकर चले कि कोई षड्यन्त्र था। बचाव पक्षको यह जाननेका अधिकार है कि यह षड्यन्त्र शुरू कब किया गया। सबूतको बताना चाहिये कि यह षड्यन्त्र कबसे शुरू किया गया।

प्रो० जैनने बताया है कि मदनलाल जब उनसे मिला तो षडयन्त्रका

प्रारम्भ हो चुका था। यह षड्यन्त्र तबसे शुरू हुआ नहीं समझा जा सकता जब उससे पहले दिन मदनलाल बडगेके शस्त्र-भण्डारमें गया और ओमप्रकाश तथा चोपड़ाके साथ उन्होंने मालकी परीक्षा की। अगर षड्यन्त्र इसलिए किया गया कि गान्धीजीने उपवास करके ५५ करोड़ रुपया पाकिस्तानको दिलवा दिया तो षड्यन्त्रका प्रारम्भ १४ जनवरीसे होना चाहिये।

जब तक सबूत पक्ष यह नहीं बताता कि किन परिस्थितियों और कारणोंसे प्रेरित होकर षड्यन्त्रकी रचना की गयी तब तक अदालत यह कल्पना ही कैसे कर सकती है कि कोई षड्यन्त्र था।

श्री बनर्जीने आगे कहा कि २० और ३० जनवरीकी घटनाएँ बिल्कुल अलग अलग हैं। २० जनवरीको नथूराम गोडसे प्रार्थना-भवनमें नहीं था। सबूतका कथन है कि षड्यन्त्र पहली बार २० जनवरीको निष्फल हो गया और नथूराम गोडसे उस दिन प्रार्थनास्थलपर उपस्थित था। किन्तु ३० जनवरीको उसने जो कुछ किया उससे सबूतकी बात सिद्ध नहीं होती।

नथूराम गोडसेको यह ख्याल होगा कि २० जनवरीको लोगोंने मुझे प्रार्थना-स्थलपर देख लिया है। अगर मैं दुबारा गया तो पहचान जाऊँगा। इससे सिद्ध होता है कि २० जनवरीको वह प्रार्थनास्थलपर विद्यमान नहीं हो सकता और ३० जनवरीको गान्धीजीकी हत्या उसका बिलकुल स्वतन्त्र कार्य है।

२७ दिसम्बर

मदनलालके वकील श्री बनर्जीने आज भी अपनी युक्तियाँ जारी रखीं।

श्री बनर्जीने कहा कि पुलिसको अभियुक्तसे जिरह करनेका कोई अधिकार नहीं है। अभियुक्त स्वेच्छासे कोई वक्तव्य दे सकता है। जिरह पहले पुलिसने की जो कानूनमें नाजायज है। स्वयं अदालत भी किसी अभियुक्तसे पहले जिरह नहीं कर सकती।

शिनाख्त परेडका उल्लेख करते हुए श्री बनर्जीने कहा कि जो वक्तव्य मजिस्ट्रेटने दर्ज किये थे उन्हें मजिस्ट्रेटको मुकदमेकी अदालतमें भेज देना चाहिये था। किन्तु ऐसा नहीं किया गया। रिमाण्ड आर्डर एक ऐसे मजिस्ट्रेट-ने दिये, जिसका अभियुक्तोंपर कोई अधिकार नहीं था।

श्री बनर्जीने अपनी युक्तियाँ जारी रखते हुए आगे कहा कि इस मामलेमें

सबूत पक्षने पहले अदालतको एक षड्यन्त्रका अस्तित्व कल्पित करनेके लिए कहा है और तब गवाहोंके बयानको स्वीकार करनेके लिए कहा है। बिना किसी गवाहीके अदालत द्वारा अभियोगपत्र बनाना गैरकानूनी है। इसके अतिरिक्त जब मुकदमा शुरू हो गया था, उसके बाद पुलिसको ग्वालियरमें डा० परचुरेके घरकी तलाशी नहीं लेनी चाहिये थी। इस प्रकार सबूत पक्षने वे काम किये हैं जो हाईकोर्टों द्वारा निन्दित हैं।

अदालतको डा० परचुरेका विचार करनेका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह ग्वालियरका होनेके नाते एक विदेशी प्रजाजन है।

श्री बनर्जीने आगे कहा कि कानूनके अनुसार अदालतको अभियोग तैयार करनेका कोई अधिकार नहीं है जैसा कि इसने किया है। उन्होंने अपने कथनकी पुष्टिमें प्रिवी कौंसिलका एक निर्णय प्रस्तुत किया।

षड्यन्त्रके विषयमें प्रो० जैनको मदनलालके कथनका निर्देश करके श्री बनर्जीने कहा कि यह केवल एक उक्ति थी, जिसका षड्यन्त्रसे कोई सम्बन्ध नहीं था।

श्री बनर्जीने इसके बाद कुछ गवाहियोंका निर्देश करते हुए कहा कि जहाँ तक मेरे मुअक्किलका सम्बन्ध है वे प्रमाणित नहीं हुई हैं और इसलिए उनकी कोई कीमत नहीं।

श्री बनर्जीने अपनी युक्तियाँ समाप्त करते हुए कहा कि अभियुक्तोंपर बड़े गम्भीर आरोप हैं और मुकदमा बड़ा महत्त्वपूर्ण है। पीढ़ियों तक इस अदालतके निर्णयकी वकील और जज आलोचना प्रत्यालोचना किया करेंगे तथा लाखों पढ़ेंगे।

श्री बनर्जीने स्व० रवीन्द्रनाथ ठाकुरका एक उद्धरण देते हुए कहा कि न्याय करना परमात्माका कार्य है जो मनुष्यके द्वारा किया जाता है। ऐसे मुकदमोंका निर्णय करते हुए किसी भी भावना और पक्षपातमें नहीं बहना चाहिये। उन्होंने अदालतसे अपील की कि अगर उसका यह ख्याल हो कि सबूत पक्षने सारा मुकदमा ही गलत रीतिसे चलाया है तो उसे सारे मुकदमेको गैरकानूनी घोषित कर अभियुक्तोंको निर्दोष घोषित करनेमें कोई संकोच नहीं करना चाहिये। जजपर एक गम्भीर जिम्मेदारी है, जिसे उसे निर्भय होकर निबाहना है।

गोपाल गोडसेके वकीलकी वहस

अदालतने इसके बाद गोपाल गोडसे तथा डा० परचुरेके वकील श्री इनामदारको अपनी युक्तियाँ प्रस्तुत करनेके लिए बुलाया।

श्री इनामदारने कहा कि सबूत पक्षने गोपाल गोडसेका जो मुकदमा बनाया है, वह मुझे बादका बनाया हुआ प्रतीत होता है। सर्वप्रथम हथियारोंके गैर-कानूनी लेन-देनके अभियोगपर श्री इनामदारने कहा कि सबूत पक्षकी इतनी गवाहियोंमें मुझे एक भी वाक्य ऐसा नहीं मिला जिससे यह सिद्ध होता हो कि गोपाल गोडसे बिना लाइसेंसके कोई रिवाल्वर दिल्ली लाया हो।

इसके बाद श्री इनामदारने अदालतको जो अधिकार दिये गये हैं उनके अन्तर्गत अभियुक्तोंपर मुकदमा चलानेके अधिकारको चुनौती दी कि जब तक यह सिद्ध नहीं किया जाता कि वह बिना लाइसेंसके पिस्तौल ले गया है तब तक केवल इस बातपर अभियुक्तको छोड़े जानेका अधिकार मिल जाता है।

२८ दिसम्बर

गोपाल गोडसे तथा डा० परचुरेके वकील श्री इनामदारने आज पुनः अपनी युक्तियाँ शुरू कीं।

श्री इनामदारने कहा कि यह बड़ी विचित्र बात है कि जब बम्बईकी पुलिसको गान्धी जैसे व्यक्तिकी हत्याका पहलेसे ही पता लग गया था तब भी उसने उनकी रक्षाका प्रबन्ध नहीं किया।

श्री इनामदारने आगे कहा कि जब गान्धीजीकी हत्या हो गयी तब श्री नगरवालाने तुरन्त ही प्रो० जैनके वक्तव्यको दर्ज करनेके बजाय १३ फरवरीको मुरारजी देसाईका वक्तव्य दर्ज किया। उसके बाद प्रो० जैनका वक्तव्य लिया। तबतक आपटे और करकरेको छोड़कर सब अभियुक्त पकड़े जा चुके थे। प्रो० जैनका वक्तव्य बादमें इसलिए लिखा गया कि उनका वक्तव्य श्री देसाईके वक्तव्यके आधारपर लिखा जा सके।

श्री इनामदारने कहा कि उपर्युक्त कारणोंसे प्रो० जैन, अंगदसिंह तथा मुरारजी देसाईकी गवाहियाँ उपेक्षणीय हैं। किन्तु अदालत उनपर विश्वास करे तो उसे निम्न परिणामोंपर पहुँचना चाहिये—

१. मदनलाल बेवकूफ था कि उसने प्रो० जैनको षड्यन्त्र खोल दिया।

२. प्रो० जैन भी महान् मूर्ख हैं। ३. श्री देसाई तथा सरदार पटेल अपने पदोंके अयोग्य हैं तथा ४. श्री नगरवाला भी अयोग्य हैं क्योंकि उन्होंने २१ जनवरीको ही श्री देसाईका वक्तव्य दर्ज क्यों नहीं किया।

श्री इनामदारने कहा कि मैं उन गवाहोंको झूठा नहीं कहता किन्तु अधिकारियोंकी उपेक्षा दिखाना चाहता हूँ। अगर कानूनके रक्षक ही भूलोंकी आड़ लेने लगें, तो देश तबाह हो जायगा।

इसके बाद श्री इनामदारने पुलिसके तहकीकात करनेके तरीकेपर आपत्ति की। उन्होंने कहा कि खुफिया पुलिसकी जिस बिल्डिंगमें अभियुक्तोंको रखा गया वहाँपर लोग आते-जाते रहते थे तो क्या यह सम्भव नहीं है कि पुलिसने गवाहोंको पट्टी पढ़ा दी हो।

श्री इनामदारने आगे कहा कि गवाहोंको भी पुलिसने बयान दर्ज करनेसे पूर्व अपनी हिरासतमें रखा। मधुकर काले और जगदीश गोयल इसी प्रकारके गवाह थे। इस प्रकारके गवाहोंसे यह कैसे आशा की जा सकती है कि वे सही सही बात बता देंगे। पी. वी. गोडबोलेने पहले गोपाल गोडसेको देखनेकी बातसे इन्कार किया था। पुलिस उसके पास गयी। जी. बी. कालेको भी पुलिसकी हिरासतमें रखा गया। कौन विश्वास कर सकता है कि पुलिसने अपने दबावका प्रयोग नहीं किया होगा।

श्री इनामदारने इसके बाद परचुरेके घरकी तलाशीका उल्लेख किया। परचुरे १७ फरवरीको पकड़े गये थे। उसके बाद उनके घरकी जो तलाशियाँ ली गयीं वे किसकी आज्ञासे हुईं? मैं ये बातें अदालतके सामने केवल इसलिए कह रहा हूँ कि पुलिसका व्यवहार अदालतके ध्यानमें आ जाय। आपटे और गोपाल गोडसेसे पुलिसकी हिरासतमें रहते हुए एक पैण्ट और थैला बरामद किया गया। मैंने अपने जीवनमें प्रथम बार यह सुना है कि पुलिसकी हिरासतमें रहते हुए भी किसीसे कोई चीज बरामद की जा सकती है। इसलिए यह अत्यन्त सन्दिग्ध है। इन वस्तुओंसे अदालतको कोई अनुमान नहीं लगाना चाहिये।

प्रमाणित करनेवाले गवाहोंके बाद बडगेके साथ जिरह की गयी है, इससे मेरे मुअक्किलोंके मुकदमोंपर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

शिनाख्त परेडके विषयमें श्री इनामदारने कहा कि गोविन्दरामसे दो महीने बाद शिनाख्त करायी गयी।

गोपाल गोडसेकी छुट्टीके प्रार्थनापत्रकी ओर निर्देश कर श्री इनामदारने कहा—यह माननेके उपयुक्त कारण हैं कि गोपाल गोडसे अपनी छुट्टियोंमें अपने गाँवमें ही रहा। २६ जनवरीको वह कामपर आ गया। जब उसे मालूम हुआ कि उसके बड़े भाईने ही गान्धीजीको मारा है और उसकी पत्नीपर गान्धीजीकी अहिंसाके एक अनुयायीके हाथों आपत्ति आयी है तो उसने पुलिसकी शरण ली। पुलिसकी सलाहसे ही वह खड़कीसे उकसण चला गया, जहाँ वह गिरफ्तार कर लिया गया।

श्री इनामदारने कहा कि गोविन्दरामने बताया है कि बमविस्फोटसे तीन दिन पूर्व उसने बडगे और गोपाल गोडसेको मेरीना होटलमें देखा था। १६ जनवरीको गोपाल गोडसे खडकीमें था और यह किसीने नहीं कहा कि १७ जनवरीको वह हवाई जहाजसे दिल्ली आया। इसलिए उसकी गवाहीका कोई मूल्य नहीं।

शरीफ हिन्दू होटलमें गोडसेके होनेकी गवाहीका जिक्र करते हुए श्री इनामदारने कहा कि होटल जैसे व्यस्त स्थानमें कोई व्यक्ति गोपाल गोडसेके चेहरेको याद करके शिनाख्त परेडमें कई महीने बाद उसे कैसे पहचान सकता है। पुलिसको उसी समय गवाहसे शिनाख्त करवानी चाहिये थी, किन्तु पुलिसने ऐसा नहीं किया।

हिन्दू महासभा-भवनका कोई गवाह पेश नहीं किया गया जो वहाँ पर गोपाल गोडसेकी उपस्थिति बताता हो। जंगलके चौकीदारने भी महासभा-भवनके पीछेके जंगलमें गोपाल गोडसेको देखनेकी बात नहीं कही।

श्री इनामदारने कहा कि जिस दिन मेरे मुअक्किलकी शिनाख्त परेड करायी गयी उसी दिन मजिस्ट्रेटसे शिनाख्त परेडके विषयमें शिकायत की गयी। मजिस्ट्रेटको शिकायतपर ध्यान देना चाहिये था। पुलिसका व्यवहार इस विषयमें अत्यन्त सन्दिग्ध है।

सुरजीतसिंहके पास टैक्सी चलानेका लाइसेंस नहीं इसलिए यह कल्पना करना स्वाभाविक है कि वह पुलिसकी दयापर था और उसके कथनानुसार गवाही दे सकता था।

अदालतको इस घटनासे कोई अनुमान नहीं लगाना चाहिये कि २० जनवरीको विस्फोटके बाद अभियुक्त हड़बड़ा कर प्रार्थनास्थलसे रफूचक्कर हो गये।

२९ दिसम्बर

आज भी श्री इनामदारकी युक्तियाँ जारी रहीं।

श्री इनामदारने कहा कि गवाह भूरसिंहने २० जनवरीको पुलिसके सामने छोटूरामसे बात करनेवाले व्यक्तिका जो हुलिया बताया था वह उससे बिलकुल भिन्न है, जो उसने अदालतमें बताया है। सबूत पक्षका कथन है कि वह व्यक्ति करकरे था और भूरसिंहने उसका हुलिया दुबला-पतला बताया है, किन्तु करकरे तो हट्टा-कट्टा आदमी है। इसलिए अदालतको भूरसिंहकी गवाही नहीं माननी चाहिये। इसके अतिरिक्त भूरसिंह बिड़ला-भवनका नौकर होनेके नाते पूर्णतः पुलिसके नियन्त्रणमें था। भूरसिंहने गोपाल गोडसेको भी पहचाना है किन्तु उसकी असंगत बातोंको देखते हुए उसके गोपाल गोडसेको पहचाननेका कोई मूल्य नहीं। इसके सिवा भूरसिंह और सुलोचना दोनों गवाहोंसे बहुत ही देरमें शिनाख्त करायी गयी।

फ्रण्टियर हिन्दू होटल के मैनेजर रामप्रकाशने बताया है कि २० जनवरीको ४ बजे एक आदमीने आकर कमरा रिजर्व कराया। उस व्यक्तिको उसने पुनः ९ बजे रेडियो सुनते हुए देखा। क्या यह काम किसी ऐसे आदमीका हो सकता है जो प्रार्थना-स्थलपर बम फेंकनेके उपरान्त भयभीत होकर वहाँसे भागा हो।

इसके अतिरिक्त अंगुलियोंकी छापके विशेषज्ञने अपने बयानमें कहा है कि होटलके रजिस्टरमें राजगोपालन् लिखाई गोपाल गोडसेके उस हस्तलेखके नमूनेसे मिलती है जो पुलिसने लिया था। विशेषज्ञने अपने बयानमें कहा था कि राजगोपालन् कलमके एक ही प्रवाहमें लिखा गया है। किन्तु जिरहमें उसने स्वीकार किया कि हस्ताक्षर करते हुए बीचमें कलम उठायी गयी है। वह विशेषज्ञ झूठा है। वह पुलिसका नौकर है और उसको खुश करनेके लिए उसने वैसा बयान दिया है।

श्री इनामदारने यह भी कहा कि हस्ताक्षरमें कुछ काटकर ठीक भी किया हुआ था, और स्याही भी बदली हुई थी। अगर उन सब बातोंपर विचार

किया जाय तो प्रमाणित होता है कि सबूत पक्षका कहना कि दिल्लीमें गोपाल गोडसे उपस्थित था, सर्वथा संदिग्ध है।

श्री इनामदारने उसके बाद अदालत और मजिस्ट्रेटके समक्ष गोडबोलेके बयानोंमें पारस्परिक विरोधोंका उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक ही दिन गोपाल गोडसेका बम्बईमें और ठाणामें भी होना सर्वथा असम्भव है। इसलिए मेरे मुअक्किलके विरुद्ध इससे कोई अनुमान न लगाया जाय।

गोपाल गोडसेके पाससे रिवाल्वर जिस प्रकार बरामद किया गया है वह गैरकानूनी है। उसकी तलाशी लेनेसे पूर्व पंच निश्चित करने चाहिये थे। गोडबोले और काले पुलिसकी हिरासतमें थे, इसलिए उनको पंच नहीं माना जा सकता, क्योंकि पुलिसने उनपर दबाव डाला होगा।

ठाणामें गोपाल गोडसेके उपस्थित होनेके कथनका जिक्र करते हुए श्री इनामदारने कहा कि वसन्त जोशीने उसके उपस्थित होनेके विषयमें कुछ भी नहीं कहा है।

जो थैला गोपाल गोडसेके पाससे बरामद हुआ बताया जाता है, वह असलमें बडगेका है। बडगेको गिरफ्तार करनेके बाद उसके घरकी तलाशी नहीं ली गयी। अगर तलाशी ली गयी होती, तो सम्भवतः यह थैला वहीं मिल जाता। इसलिए थैलेसे सम्बन्धित गवाही स्वीकार नहीं की जानी चाहिये।

सबूत पक्षका कथन है कि गोपाल गोडसेने दिल्ली जानेके उद्देश्यसे छुट्टी ली, किन्तु उसने उकसणके किसी भी गवाहको यह दिखानेके लिए प्रस्तुत नहीं किया कि गोपाल गोडसे उस समय अपने गाँवमें नहीं था। इसलिए बचाव पक्षकी इस दलीलको स्वीकार किया जाना चाहिये कि गोपाल गोडसे अपने ही गाँवमें था।

नथूराम गोडसेने बीमेकी पालिसी गोपाल गोडसेकी पत्नीके नाम क्यों की, इसका कारण बताते हुए इनामदारने कहा कि यही कहना उपयुक्त है कि गोपाल गोडसे तो अपने वेतनमेंसे कुछ बचा नहीं पाता था—नथूराम गोडसे उसका भाई था, इसलिए उसको आर्थिक सहायता देनेके लिए कदाचित् उसने यह आवश्यक समझा कि वह अपनी बीमा पालिसी उसकी पत्नीके नाम कर दे।

श्री इनामदारने इसके बाद परचुरेके पिछले इतिहासके विषयमें कहा कि

वह हिन्दू सभाका अध्यक्ष था और उसने कांग्रेसके विरुद्ध प्रदर्शन भी किये थे इसलिए स्वाभाविक है कि कांग्रेसने उसे जानबूझकर मामलेमें फँसा दिया हो।

ग्वालियरके ताँगा हाँकनेवालोंकी गवाहीके विषयमें उन्होंने कहा कि यह हो सकता है कि वे परचुरेके एक रिश्तेदार पाठकको ले गये हों। उन गवाहोंका कथन है कि वे दो मुसाफिर रातको ११ बजे बम्बईसे आये, किन्तु सबूतका कथन है कि आपटे और गोडसे मद्रास एक्सप्रेससे ग्वालियर गये। यह सारा मामला सन्दिग्ध मालूम होता है इसलिए अदालतको ये गवाहियाँ स्वीकार नहीं करनी चाहिये।

श्री इनामदारने कहा कि वह पिस्तौल किसकी थी यह सिद्ध करनेके लिए कोई प्रामाणिक साक्षी नहीं दी गयी। ग्वालियरके गवाहोंको पुलिसकी हिरासतमें रखा गया। इसलिए सम्भव है कि उन्होंने पुलिसके दबावमें आकर गवाही दी हो।

३० दिसम्बर—सुनवाई समाप्त

श्री इनामदारने आज भी अपनी युक्तियाँ जारी रखीं। उन्होंने कहा कि ग्वालियरके गवाह मधुकर काले और खिरेकी गवाहियाँ एक दूसरेकी विरोधी हैं। मधुकर कालेका कथन है कि गान्धीजीकी मृत्युका समाचार पाकर उसने डा० परचुरेसे औषधालय बन्द करनेके लिए कहा, किन्तु खिरेका कथन है कि डा० परचुरे यह खबर पाकर स्वयं ही औषधालय बन्द कर रहे थे। जो आदमी गान्धीजीकी मौत चाहता हो, क्या वह ऐसा कर सकता है।

डा० परचुरेकी कथित अपराध-स्वीकारोक्तिके विषयमें श्री इनामदारने कहा कि स्पेशल मजिस्ट्रेट श्री अटलको अपराध-स्वीकारोक्तिके दर्ज करनेका अधिकार ही नहीं है। श्री अटलने किलेमें जाकर अपने मजिस्ट्रेटके अधिकार खो दिये।

इसके अतिरिक्त ग्वालियरके पुलिस इन्स्पेक्टर जनरल श्री मार्श स्मिथने परचुरेको सैनिक हिरासतमें रखनेका आदेश दिया था। महाराजको छोड़कर ऐसी आज्ञाएँ देनेका और किसीको अधिकार नहीं है। इसलिए डा० परचुरेको सैनिक हिरासतमें रखना गैरकानूनी है।

परचुरेने अपनी कथित अपराध-स्वीकारोक्तिमें कहा है कि वह ३ फरवरीसे पुलिसकी हिरासतमें रहा। यह चीज बादमें जोड़ी गयी है कि परचुरेकी अपराध-

स्वीकारोक्ति औषधालयमें लिखायी गयी। इसके बजाय उसे तंग किया गया और सताया गया। अभियुक्तकी ठीक ठीक स्थितिको दो ही व्यक्ति बता सकते थे, एक तो किलेका सेनापति और दूसरा चिकित्सक अफसर। किन्तु सबूत पक्षने उन्हें गवाहके तौरपर पेश नहीं किया। क्यों ?

इसके अतिरिक्त जिरहमें श्री अटलसे पूछा गया कि परचुरेकी अपराध-स्वीकारोक्तिके पन्ने उन्होंने गिने थे। अपराध-स्वीकारोक्ति करनेके बाद उन्होंने उत्तर दिया कि यह काम उसी दिन किया गया होगा, यह उत्तर कितना अस्पष्ट है।

श्री इनामदारने आगे कहा कि मजिस्ट्रेट श्री अटलने कहा है कि अपराध-स्वीकारोक्ति लिखवानेकी तैयारी कराने और उसे लिखानेमें उन्हें तीन घण्टे लगे। ७ पृष्ठोंकी अपराध-स्वीकारोक्ति ३ घण्टेमें कैसे लिखी जा सकती है ? इससे यही मानना चाहिये कि परचुरेने स्वयं अपराध स्वीकार नहीं किया, अपितु श्री अटल स्वयं लिखा-लिखाया पत्र लाये और उसपर परचुरेसे हस्ताक्षर करवा लिये। जिन परिस्थितियोंमें वह अपराध-स्वीकारोक्तिपत्र लिखाया गया और उसको प्रमाणित करनेके लिए कोई स्वाभाविक गवाही पेश नहीं की गयी इससे कोई भी सबूतकी कहानीपर विश्वास नहीं कर सकता। अपराध-स्वीकारोक्तिकी कहानी झूठ है। यह बनायी गयी है। ग्वालियरकी सारी गवाहियाँ सन्दिग्ध हैं। इसलिए मेरे मुअक्किलको छोड़ देना चाहिये।

दीक्षित महाराज और आपटे अच्छे परिचित थे। अगर आपटेको एक पिस्तौलकी जरूरत थी, तो वह उसे बम्बईमें ही मिल सकती थी। उसके लिए डा० परचुरेके पास आनेकी आवश्यकता न होती।

सबूत पक्षके इस कथनपर कि २० और ३० जनवरीके बीच गोडसेको उकसानेवाली कोई घटना नहीं हुई इसलिए यही मानना चाहिये कि गान्धीजीकी हत्या अकस्मात् न होकर एक षड्यन्त्रका परिणाम थी, इनामदारने कहा कि सारे मामलेपर मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे विचार किया जाना चाहिये। परचुरेके पाससे गोडसेको प्रदर्शनकारी न मिलनेपर वह हताश हो गया था।

गोडसे एक अखबारका सम्पादक था, भावुक था, और अविवाहित था, तथा अपने परिवारसे दूर रहता था। उसे अपने विचारोंके कारण जेल भुगतनी पड़ी है। दिल्ली आनेपर गोडसेने शरणार्थियोंकी दुर्दशा देखी और देखा कि

गान्धीजीके सामने भारत सरकार बिल्कुल पंगु और असहाय है। क्या ये कारण गोडसेको उत्तेजित करनेके लिए काफी नहीं हैं ?

परचुरेके पिता एस. जी. परचुरे ग्वालियरमें आकर बसे थे। अभियुक्त परचुरेका जन्म ग्वालियरमें हुआ, और उसका सारा जीवन अभी तक वहींपर बीता है। इसलिए परचुरेके राज्यकी प्रजा होनेके विषयमें तो कोई संशय ही नहीं। अन्तमें श्री इनामदारने कहा कि सबूत पक्षका सारा ही पक्ष सन्दिग्ध है।

जजको दोनों पक्षोंकी ओरसे बधाई

इसके बाद श्री दफ्तरीने कौन अपराधमें भागी है और कौन भागी हो सकता है इसपर हाईकोर्टके कुछ निर्णय जजके सामने प्रस्तुत किये। अन्तमें श्री दफ्तरीने सबूत पक्षकी ओरसे और श्री भोपटकरने बचाव पक्षकी ओरसे जजको उनके धैर्यसे सारा मामला सुननेपर बधाई दी।

इस प्रकार गान्धी-हत्याकाण्डकी सुनवाई आज समाप्त हो गयी। जजने कहा कि मैं एक मासके अन्दर फैसला सुना दूँगा।

सबूत पक्षके गवाहोंके बयान ८४ दिन तक जारी थे। उनके बयानोंके ६९६ टाइप किये हुए पेज हो गये हैं। इनमें बडगेके इकबाली बयानके ही ७९ पृष्ठ हैं। हरएक प्रश्नोत्तरका हिंदुस्तानी, मराठी और तेलगूमें दुभाषियों द्वारा अनुवाद होता था। कुछ गवाहोंने गुजराती और पंजाबीमें भी बयान दिये।

अदालतमें सबूत पक्षकी ओरसे ३५४ और सफाई पक्षकी ओरसे ११८ कागजपत्र पेश किये गये। अदालतमें मुकदमे-सम्बन्धी जमा की गयी अन्य चीजोंकी संख्या ८० है।

गान्धी-हत्याकाण्डके मुकदमेकी प्रमुख तारीखें

२० जनवरी १९४८—गान्धीजीकी प्रार्थना-सभामें बम-विस्फोट

३० जनवरी—गान्धीजीकी हत्या

८ मई—दिल्लीमें विशेष फौजदारी अदालतकी स्थापना

१५ मई—अभियुक्तोंके नामों और अभियोगोंकी घोषणा

२७ मई—
३ जून—
१४ जून— } प्रारम्भिक तीन पेशियाँ

२२ जून—बडगेको क्षमादानकी घोषणा, आरोपपत्र प्रकाशित, सरकारी पक्षके वकीलका वक्तव्य

२४ जून—सबूत पक्षके गवाहोंके बयान शुरू

२० से ३१ जुलाई—मुखबिर बड़गेका बयान

६ नवम्बर—सबूत पक्षके गवाहोंके बयान समाप्त

८ से २२ नवम्बर—अभियुक्तोंके वक्तव्य और उनसे प्रश्न

१ से ९ दिसम्बर—सबूत पक्षके वकीलकी बहस

१० से ३० दिसम्बर—अभियुक्तोंके वकीलोंकी युक्तियाँ

१० फरवरी १९४९—फैसला

---

२ फरार गिरफ्तार ?

१ फरवरीको बम्बईकी पुलिसने दादरमें चार आदमियोंको गिरफ्तार किया जिनमें दोके बारेमें यह संदेह है कि वे गान्धी-हत्याकाण्डके तीन फरार अभियुक्तोंमेंसे दो, गंगाधर दण्डवते और गंगाधर जाधव हैं। बाकी दो छोड़ दिये गये।

फैसला

गोडसे-आपटेको मृत्युदण्ड—सावरकर निर्दोष छूटे

अन्य पाँच अभियुक्तोंको आजीवन कालापानी—मुखबिर बडगे रिहा—शंकरकी सजा घटाकर ७ साल कैद करनेकी सिफारिश—अपील हो सकेगी

१० फरवरीको दिनमें ठीक ११॥ बजे श्री आत्माचरणने गान्धी हत्या-काण्डका फैसला सुना दिया।

गान्धीजीके हत्यारे नथूराम गोडसेको और आपटेको फाँसीकी सजा सुनायी गयी।

करकरे, मदनलाल, शंकर किस्तय्या, गोपाल गोडसे और डाक्टर परचुरे-को आजीवन कालापानीकी सजा सुनायी गयी।

श्री सावरकर निर्दोष पाये गये और रिहा कर दिये गये।

इकबाली गवाह बडगे भी छोड़ दिया गया।

जिस अभियुक्तको सजा सुनाई जाती थी वह एकके बाद एक खड़ा हो जाता था। कटघरेसे हटाये जानेके पहले सबने ये नारे लगाये—

'हिन्दू धर्मकी जय'

'तोड़के रहेंगे पाकिस्तान, हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान' आदि।

जजने सजा पाये हुए अभियुक्तोंसे कहा कि यदि वे अपील करना चाहते हैं तो आजसे १५ दिनके अंदर करें। फैसलेकी प्रतियाँ तैयार हैं और अभी मिल सकती है।

जजने सिफारिश की कि शंकर किस्तय्याकी सजा आजीवन कालापानीसे घटाकर सात साल कड़ी कैद कर दी जा सकती है।

अदालतके दृश्यका वर्णन

अदालतका कमरा आज ठसाठस भरा था। लाल किलेका क्षेत्र कल ही वर्जित क्षेत्र घोषित किया गया था और पुलिस तथा सैनिकोंका गहरा प्रबन्ध

किया गया था। पुलिसवाले तथा खुफियावाले पासों और फोटोकी खूब जाँच-कर लोगोंको अन्दर या बाहर छोड़ते। ११-२० बजे कठघरेके बगलका कमरा खुला और गोडसेके पीछे पीछे आठो अभियुक्त कठघरेमें अपनी अपनी रोजकी जगहोंपर आ बैठे। अकेले सावरकर विचारमग्न मुद्रामें थे। अन्य अभियुक्त और खासकर गोडसे, आपटे और करकरे परिचितोंको देखकर शिर हिलाते और मुसकराते रहे।

न्यायाधीश आत्माचरण अपना रोजका काला सूट पहनकर ठीक ११॥ बजे अदालतमें आये। सब लोग खड़े हो गये। जजने पहले नथूरामका नाम पुकारा। वह खड़ा हो गया। सजा सुननेके बाद वह बैठ गया। इसके बाद आपटे, करकरे, मदनलाल, शंकर किस्तय्या, गोपाल गोडसे और परचुरेके नाम पुकारे गये और उनकी सजाएँ सुनायी गयीं। अन्तमें सावरकरका नाम पुकारा गया। वे अभियोगोंसे निर्दोष घोषित किये गये और जजने आदेश दिया कि अन्यत्र आवश्यकता न हो तो वे छोड़ दिये जायँ। जजने कहा कि बडगेने अपने क्षमादानकी शर्तोंका पालन किया है इसलिए वह भी अन्यत्र आवश्यकता न हो तो छोड़ दिया जाय।

अभियुक्तोंको ज्यों ही सजाएँ सुनायी गयी अखबारवाले खबर भेजनेके लिए बाहर निकल पड़े।

सजाएँ सुनानेमें जजको २० मिनट लगे। जो अभियुक्त अंग्रेजी ठीक ठीक नहीं समझते थे उनके फैसलेका अनुवाद सुनानेका इन्तजाम किया गया था। पर इसकी आवश्यकता केवल शंकर कितय्याको पड़ी। औरोंने कहा कि हम सब समझ गये।

अभियुक्तोंसे यह कहकर कि आप फैसलेकी नकलें ले लें और १५ दिनके अंदर अपील कर सकते हैं, श्री आत्माचरण अदालतसे चले गये। दो मिनट बाद अभियुक्त भी कटघरेसे हटाये गये। सावरकरको छोड़कर और सबने नारे लगाये—हिंदी, हिंदू हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदू धर्मकी जय आदि।

अदालत उठ जानेके बाद मालूम हुआ कि जिला मजिस्ट्रेटने पंजाब जन-सुरक्षा कानूनको दिल्ली प्रान्तमें लागू कर उसके अनुसार आदेश निकाला कि

श्री सावरकर दिल्लीके लाल किलेमें ही रहेंगे। बताया गया है कि ऐसा शान्ति-रक्षाके उद्देश्यसे किया गया है।

षड्यन्त्रके सिलसिलेमें जो भी हथियार, गोला-बारूद, जिससे गान्धीजी मारे गये वह पिस्तौल और छूटी गोलियाँ बरामद हुई हैं वे सब वैसीको वैसी रखी रहेंगी। जजने आदेश दिया कि केन्द्रीय सरकारसे पूछे बिना इनके बारेमें कोई निर्णय न किया जाय। शायद राष्ट्रीय म्यूजियममें रखनेके लिए इनकी आवश्यकता पड़ सकती है।

फैसला कुल २०४ पृष्ठका है।

श्री सावरकरपर तीन महीने दिल्ली न आनेका प्रतिबन्ध

१० फरवरीकी शामको दिल्लीके जिला मजिस्ट्रेटने पंजाब जनसुरक्षा कानूनके अनुसार श्री सावरकरको आदेश दिया कि वे तुरत दिल्ली छोड़कर चले जायँ और तीन महीने तक दिल्ली न आवें।

इस आदेशके अनुसार वे शामको दिल्लीसे बम्बईके लिए रवाना हो गये।

षड्यन्त्र साबित—पुलिसकी अकर्मण्यताकी निन्दा

२०४ पृष्ठके फैसलेमें जजने कहा है कि गान्धीजी हत्याके लिए षड्यन्त्र किया जाना साबित हो गया है। १० जनवरीसे ३० जनवरी तक षड्यन्त्र जारी था। पूना, बम्बई, दिल्ली तथा अन्य स्थानोंपर षड्यन्त्र रचा गया और षड्यन्त्र-कारियोंमें कमसे कम नथूराम गोडसे, नारायण आपटे, विष्णु करकरे, मदनलाल, शंकर, गोपाल गोडसे और डाक्टर परचुरे दिगम्बर बडगेके साथ, जिसे क्षमादान किया गया है, शामिल थे। सबूत पक्षने सावरकरके खिलाफ अपना मामला केवल बडगेकी गवाहीपर खड़ा किया था। मुखबिरके कथनपर विश्वास रखकर कोई फैसला करना धोखेका काम होगा।

नथूरामने गान्धीजीकी हत्या जान-बूझकर की। आपटेने भी हत्यामें मदद देकर अघोर काम किया। जब-जब नाजुक मौका आता वह या तो भाग जाता या अनुपस्थित रहता। उसका दिमाग न काम करता तो शायद गान्धीजीकी हत्या कभी न होती।

मदनलालने २० फरवरीको अपनी गिरफ्तारीके बाद जो वक्तव्य दिया उससे पुलिसने कोई लाभ नहीं उठाया। डाक्टर जैन और श्री मुरारजी देसाईके बयानोंके बाद दिल्लीकी पुलिसने बम्बईकी पुलिससे सम्पर्क स्थापित किया, पर इससे भी पुलिसने कोई लाभ नहीं उठाया। २० और ३० जनवरीके बीच पुलिसने जरासा भी और सतर्कता दिखाई होती तो सम्भवतः हत्या न हुई होती।

यह बात निश्चित है कि हत्याके लिए षड्यन्त्र रचा गया। श्री पी. आर. दासने यह दलील दी है कि २० जनवरीके बाद षड्यन्त्र समाप्त हो गया, पर रेकार्डपर ऐसी कोई बात नहीं आयी जिससे मालूम हो कि २० जनवरीके बाद अभियुक्तोंने हत्याका इरादा छोड़ दिया। उलटे इसके, २० से ३० जनवरी तक उनके इसी कामके बारेमें फँसे रहनेकी बातें मालूम हो चुकी है।

जजने कहा कि सबूत पक्ष यह नहीं बता सका कि षड्यन्त्र शुरू कैसे हुआ? पर ९ जनवरीको उसका अस्तित्व था जब आपटेने कुछ लोगोंको बडगेके यहाँ शस्त्रास्त्र लेने भेजा। १० को नथूराम और १५ को बडगे षड्यन्त्रमें शामिल हुआ। १४ को गोपाल, २० को शंकर और २७ को परचुरे इसमें शामिल हुए। इस प्रकार नथूराम, आपटे, करकरे, मदनलाल, शंकर, गोपाल और परचुरे दफा १२० बी के अनुसार षड्यन्त्रमें शामिल थे। हथियार ले जानेके बारेमें जजने

कहा कि दिल्ली ले जाये गये दोनों रिवाल्वर अदालतमें पेश नहीं किये गये। इसलिए उसके आधारपर हथियार कानूनका अभियोग लगाना ठीक नहीं होगा।

विस्फोटक कानूनके अभियोगके बारेमें जजने कहा कि गन काटनका एक टुकड़ा और ४ हथगोले बरामद हुए। इसलिए विस्फोटक कानूनकी दफा इनपर लग जाती है। मदनलालने विस्फोट कराया और औरोंने इसमें सहायता की।

गोडसे-आपटे ग्वालियरसे पिस्तौल ले आये। आपटे और करकरे ३० को दिल्लीमें थे, यद्यपि बिड़ला-भवनमें उनके होनेकी बात साबित नहीं की जा सकी है। २० के बाद बडगे और किस्तय्या षड्यन्त्रसे अलग हो गये। गोपालके अलग होनेका कोई सबूत नहीं मिला है। परचुरे ब्रिटिश प्रजाजन है। उसे ग्वालियरका माननेपर भी, हत्या दिल्लीमें हुई इसलिए उसपर दिल्लीमें मुकदमा चल सकता है। गोडसेने जानबूझकर हत्या की इसलिए दफा ३०२ के अनुसार उसे मौतकी ही सजा दी जा सकती है। आपटेके मस्तिष्कने काम न किया होता तो सम्भवतः हत्या न होती। इसलिए दफा १०९ और ३०२ के अनुसार उसे भी मृत्युदण्ड देना होगा। करकरे, गोपाल गोडसे और परचुरेको दफा १०९ और ३०२ के अनुसार आजीवन कालापानीसे कम कोई सजा दी ही नहीं जा सकती। शंकरको और मदनलालको दफा १२० बी और ३०२ के अनुसार आजीवन कालापानीकी सजा देना ठीक होगा। दफा १०५ और ३०२ के अनुसार भी सजा देनेमें नरमी बरतनेकी कोई आवश्यकता नहीं। ७-७ सालकी सजा ठीक है।

शंकर बडगेका नौकर था और अपने मालिककी केवल आज्ञा पालन करता था। इसलिए उसके प्रति नरमी बरती जानी चाहिये। उसकी सजा दफा १२० बी की कालापानीको घटाकर फौजदारी कानूनकी दफा ४०१ और ४०२ के अनुसार ७ साल कड़ी कैद कर देनेकी मैं सिफारिश करता हूँ।

जजने कहा कि स्पेशल जज द्वारा दी गयी मृत्यु-दण्डकी सजाको हाईकोर्टकी मंजूरी आवश्यक नहीं है।

सावरकरके बारेमें जजने कहा कि २० या ३० तारीखकी घटनाओंमें सावरकरका हाथ होनेका कोई सबूत नहीं मिला है। केवल मुखबिरके कथनपर विश्वास नहीं रखा जा सकता। मुखबिर कहता है कि सावरकरने कहा—'यशस्वी होऊन या।' पर इसके पहले क्या बात हुई इसकी जानकारी किसीको नहीं है।

बडगेने बहुत अच्छी गवाही दी। जिरहमें भी उसने ठीक ठीक उत्तर दिये। उसने किसी सवालको टाला नहीं। कई दिन तक वह लगातार उत्तर देता रहा।

परचुरेके इकबाली बयानपर विश्वास न रखनेका कोई कारण नहीं है। कुछ गवाहोंने उसके खिलाफ जरूर कुछ बढ़ा-चढ़ा कर कहा है, पर वह पहलेसे जानता था कि ३० जनवरीको कोई बहुत सनसनीदार बात होनेवाली है।

जजने सबूत और सफाई पक्षके वकीलोंको, मुकदमेके चलते उन्होंने जो सहयोग दिया उसके लिए, धन्यवाद दिया। उन्होंने यदि सहयोग न दिया होता तो यह मामला इतने समयमें न निपटाया जा सकता था। अदालतके कर्मचारियोंको भी उनके कामके लिए जजने धन्यवाद दिया।

फैसलेका दफावार विवरण

हत्याकाण्डका पूरा फैसला इस प्रकार है—नथूराम विनायक गोडसे ताजीरात हिंदकी दफा ३२० के साथ दफा १२०, हथियार कानूनकी दफा १९ (सी) या ताजीरात हिंदकी दफा ११४ और हथियार कानूनकी दफा १९ (सी), हथियार कानूनकी दफा १९ (एफ), विस्फोटक कानूनकी दफा ५ या यही दफा इसी कानूनकी दफा ६ के साथ, विस्फोटक कानूनकी दफा ४ (बी) और ६, विस्फोटक कानूनकी दफा ६ और ३, ताजीरात हिंदकी दफा ११५ और ३०२ के अनुसार दोषी पाया गया और उसे

(१) हथियार कानूनकी दफा १९ (सी) या ताजीरात हिंदकी दफा ११४ और हथियार कानूनकी दफा १९ (सी) के अनुसार दो सालकी कड़ी कैद;

(२) हथियार कानूनकी दफा १९ (एफ) के अनुसार दो सालकी कड़ी कैद;

(३) विस्फोटक कानूनकी दफा ५ या इसी दफा और दफा ६ के अनुसार ३ साल कड़ी कैद;

(४) विस्फोटक कानूनकी दफा ४ (बी) और दफा ६ के अनुसार ५ साल कड़ी कैद,

(५) विस्फोटक कानूनकी दफा ३ और ६ के अनुसार ७ वर्ष कड़ी कैद

(६) ताजीरात हिन्दकी दफा ३०२ के अनुसार दम निकलने तक फाँसीपर लटकानेकी सजा दी जाती है।

सब सजाएँ साथ साथ चलेंगी। अन्य अभियोगोंमें वह निर्दोष पाया गया और दोषसे रिहा किया जाता है।

इसी प्रकार नारायण दत्तात्रेय आपटेको भी ताजीरात हिन्दकी दफा ११४ ११५, १०९, १२० बी, दफा ३०२, हथियार कानूनकी दफा १९ (सी), १९ (एफ), विस्फोटक कानूनकी दफा ५, ६, ४ (बी), ३ के अनुसार, २, २, ३, ५, और ७ साल कड़ी कैद तथा ताजीरात हिन्दकी दफा १०९, ३०२ के अनुसार दम निकलनेतक फाँसीकी सजा सुनायी गयी। इनकी भी सजाएँ एक साथ चलेंगी।

विष्णु करकरेको भी इन्हीं दफाओंके अनुसार २, ३, ५, ७, सालकी सजाएँ तथा ताजीरात हिन्दकी दफा १०९ और ३०२ के अनुसार आजीवन कालापानीकी सजा सुनायी जाती है। सब सजाएँ एक साथ चलेंगी। अन्य अभियोग साबित नहीं हुए।

मदनलाल पहवाको भी ताजीरात हिन्दकी दफा १२० बी और ३०२ के अनुसार आजीवन कालापानी तथा अन्य दफाओंमें ३, १० और ७ सालकी सजाएँ दी गयीं जो सब साथ चलेंगी।

शंकर किस्तय्याको भी इन्हीं अभियोगोंमें आजीवन कालापानी, ३, ५, ७ और ७ सालकी सजाएँ दी गयी हैं। फौजदारी कानूनकी दफा ४०१ के अनुसार आजन्म कालापानीकी सजा घटाकर ७ सालकी कर देनेकी सिफारिश की जाती है। सब सजाएँ साथ-साथ चलेंगी। अन्य अभियोग साबित नहीं हुए।

गोपाल गोडसेको भी ३, ५, ७ सालकी सजाएँ और आजीवन कालापानीकी सजा दी गयी है। सब सजाएँ एक साथ चलेंगी। अन्य अभियोग साबित नहीं हुए।

परचुरे दफा १२० बी, दफा ३०२ और दफा १०९ के अनुसार दोषी है और उसे दफा १०९ के अनुसार आजीवन कालापानीकी सजा दी जाती है। उसपर अन्य अभियोग साबित नहीं हुए।

विनायक दामोदर सावरकरपर एक भी अभियोग साबित नहीं हुआ। वे हिरासतमें हैं और उन्हें छोड़नेका आदेश देता हूँ। यदि अन्यत्र आवश्यकता न हो तो वे छोड़े जा सकते हैं।

दिगम्बर बडगे‌ने क्षमादानकी शर्त पूरी की। अन्यत्र आवश्यकता न हो तो वह छोड़ दिया जाय।

लाल किला, दिल्ली
फरवरी १०, १९४९

आत्माचरण आई. सी. एस.
जज, स्पेशल कोर्ट

फैसलेका विस्तृत सार

महात्मा गान्धी-हत्याकाण्डका फैसला २०४ पृष्ठोंका है और उसमें २७ अध्याय हैं। पहले अध्यायमें अदालतकी स्थापना, अभियुक्तोंके नाम, मुकदमेका संक्षेपमें साधारण इतिहास, गवाहोंकी संख्या, अभियुक्तोंके बयानोंके पृष्ठोंकी संख्या, दोनों तरफके वकीलोंके नाम, दुभाषियोंके नाम आदि मुकदमेके सम्बन्धकी साधारण बातें दी गयी हैं।

दूसरे अध्यायमें २० जनवरी १९४८ को गान्धीजीकी प्रार्थनासभामें हुए बम-विस्फोट और ३० जनवरीको हुए गोलीकाण्डका थोड़ेमें वर्णन है और विभिन्न अभियुक्तोंकी गिरफ्तारियोंकी तारीखें दी गयी हैं। पुलिसकी जाँच और मजिस्ट्रेटों द्वारा की गयी शिनाख्त परेडोंका थोड़ेमें हाल बताया गया है। इस मुकदमेके सम्बन्धमें सरकारके आदेशों और आर्डिनेन्सोंका विवरण और अभियुक्तोंपर लगायी गयी विभिन्न धाराएँ भी बतायी गयी हैं।

तीसरे अध्यायमें हत्याका और षड्यन्त्रका सबूत पक्षका कथन दिया गया है (पृ० २९-३८)। इस कहानीके आधारपर अभियुक्तोंके विरुद्ध जो आरोप-पत्र तैयार किया गया था वह चौथे अध्यायमें दिया गया है (पृ० २५-२७)।

षड्यन्त्रका उद्देश्य

पाँचवें अध्यायमें हत्याकाण्डके बारेमें सफाई पक्षका कथन देते हुए अभियुक्तोंके वक्तव्यके सारांश दिये गये हैं। नथूरामके बारेमें कहा गया है कि उसका कहना है कि महात्मा गान्धीकी हत्या करनेके लिए मैंने अन्य अभियुक्तोंके साथ कोई षड्यन्त्र नहीं किया, जो कुछ किया मैंने अकेलेने किया। हत्या करनेका कारण अपने वक्तव्यमें वह यह बताता है कि देशका पाकिस्तान और हिन्दमें विभाजन हुआ और इस विभाजनके लिए वह महात्मा गान्धीको दोषी समझता था। उसका यह भी कहना है कि १३ जनवरी १९४८ को महात्मा गान्धीने जो अनशन शुरू किया वह भारत सरकारको इस बातके लिए बाध्य करनेको था कि वह पाकिस्तान सरकारको ५५ करोड़ रुपया दे दे।

शंकर किस्तय्याकी ओरसे १४ दिसम्बर १९४८ को बहस खतम हुई। १६ नवम्बरको उसने अदालतके सामने जो बयान दिया था उसे उसने २९ दिसम्बरको एक दरखास्त देकर वापस ले लिया। अपनी दरखास्तमें उसने लिखा कि मैंने पुलिसके दबावसे वह वक्तव्य दिया था। शंकरने खुद ही कुछ देर सहगोसे जिरह की। उसका वकील सरकारकी ओरसे दिया हुआ था इस-लिए उसे खुद बहस करने दी गयी। उसने जिस ढंगसे जिरह की वह उसके पहलेवाले वक्तव्यसे मेल खाता था। न जिरहसे और न बयानसे यह मालूम पड़ता है कि वह अपनेको षड्यन्त्रके अभियोगमें फँसाना चाहता है। इसलिए उसके बादके वक्तव्यसे पुलिसका अन्य अभियुक्तोंके खिलाफ कोई लाभ नहीं हुआ। उसने वक्तव्य पुलिसके प्रभावके कारण दिया ऐसा माननेका इसलिए कोई आधार नहीं है। मैं समझता हूँ कि उसने सम्भवतः अन्य अभियुक्तों या उनमेंसे कुछके कहनेपर अपना पहला वक्तव्य वापस लिया।

अन्य अभियुक्तोंके वक्तव्यके सार इसी प्रकार देनेके बाद इस अध्यायमें कहा गया है—इस प्रकार दोनों पक्षोंका कहना है कि दिल्लीमें २० और ३० जनवरी १९४८ को जो कुछ हुआ उसका उद्देश्य राजनीतिक था और वह देशके पाकिस्तान और हिन्दमें विभाजन होनेके फलस्वरूप हुआ था। सभी या कमसे कम कुछ अभियुक्त समझते थे कि महात्मा गान्धी न होते तो देशका विभाजन ही न होता। पाकिस्तानमें अल्पसंख्यकोंको जो भुगतना पड़ा उसके लिए भी ये लोग गान्धीजीको ही जिम्मेदार मानते थे। इसलिए गान्धीजीने १३ जनवरी १९४८ को जब अनशन शुरू किया तब तो इनकी भावनाएँ और भी उत्तेजित हो गयीं।

दोनों पक्षोंके कथनोंमें मुख्य भेद यह है कि सबूत पक्ष कहता है कि इसी राजनीतिक कारणसे अभियुक्तोंने मिलकर गान्धीजीकी हत्या करनेका षड्यन्त्र रचा। अभियुक्त कहते हैं कि इसी कारण हम सबने मिलकर गान्धीजीके सामने शांति-पूर्ण प्रदर्शन करनेका निश्चय किया। इसलिए अदालतको यह निश्चय करना है कि सब लोगोंने मिलकर जो बात तय की वह हत्या करनेकी थी या केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन करनेकी थी।

कुछ कानूनी आपत्तियाँ

फैसलेके छठें अध्यायमें कानूनी मुद्दोंपर विचार किया गया है। सफाई पक्षको दो कानूनी आपत्तियाँ हैं। वह इस मुकदमेको वारण्ट केसके अनुसार चलाना चाहता था और उसका कहना है कि इसमें विभिन्न अभियोग और विभिन्न अभियुक्त एक दूसरेमें गलत ढंगसे मिला दिये गये हैं। पहली आपत्तिके बारेमें जजने लिखा है कि यह मुकदमा बम्बई जनसुरक्षा कानूनके अनुसार हुआ और उस कानूनकी १३ वीं धाराके अनुसार स्पेशल जजको बिना वारण्ट केस किये सेशन्स केसकी तरह मुकदमा चलानेका अधिकार है। वारंट केसका अधिकार होता तो फर्द जुर्म लगानेके पहले किसी अभियुक्तको छोड़नेका भी अधिकार होता, पर वैसा अधिकार इसमें नहीं है। इसलिए आरोपपत्र भी पुलिसके कथनके (चार्ज शीटके) आधारपर ही बनाना पड़ा। बंबईमें ऐसा ही होता आया है और इसपर आपत्ति करनेवाली हाईकोर्टकी कोई व्यवस्था भी सामने नहीं आयी है।

सफाई पक्षकी दूसरी आपत्ति यह है कि 'षड्यन्त्र' और 'षड्यन्त्रमें सहायता' ये दोनों अभियोग अलग-अलग लगाकर अलग अलग मुकदमे चलने चाहिये। उसने अपने समर्थनमें १९०१ की प्रीवी कौंसिलकी एक व्यवस्था (आई. एल. आर. २५ मद्रास ६१) पेश की है। इसके उत्तरमें सबूत पक्षने १९३८ की कलकत्तेमें बिजलीकी चोरीके षड्यन्त्रके मामलेकी प्रीवी कौंसिलकी व्यवस्था (३९ सी. आर. एल. जे. ४५२) पेश की है। गान्धी-हत्याकाण्डके मामलेमें षड्यन्त्रके अपराध १-१२-१९४७ से ३०-१-१९४८ तक विभिन्न समयोंमें और विभिन्न जगहोंमें होते रहे। सवाल यह है कि क्या पहला व्यक्ति दूसरे या अन्य व्यक्तियोंको अपना कोई मंतव्य बताता है तो षड्यन्त्रका कार्य समाप्त हो जाता है या षड्यन्त्रके आखिरी साथीके शामिल होनेतक वह जारी रहता है। ३९ सी. आर. एल. जे. ४५२, १६ सी. आर. एल. जे. ४९७ और ४७ सी. आर. एल. जे. ४६० (२) इन सबमें बताया गया है कि षड्यन्त्रका आखिरी व्यक्तिके शामिल होनेतक जारी रहना माना जा सकता है। फौजदारी कानूनकी दफा १८२ में भी यही बात कही गयी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मामलेमें अभियोगोंके एक दूसरेमें गलत ढंगसे मिलाये जानेका तर्क ठीक नहीं है।

परचुरेकी ओरसे कहा गया है कि वह ग्वालियर सरकारकी प्रजा है इसलिए

इस अदालतको उनके ऊपर मुकदमा चलानेका अधिकार नहीं। सबूत पक्ष कहता है कि वह भारतमें रहनेवाला ब्रिटिश प्रजाजन है इसलिए उसके ऊपर इस अदालतमें मुकदमा चल सकता है। सबूतने फौजदारी कानूनकी दफा १८८ के अनुसार परचुरेपर दिल्लीमें मुकदमा चलानेकी केन्द्रीय सरकारसे अनुमति भी प्राप्त कर ली है। कोर्टको यह देखनेके बाद कि वह 'भारतमें बसा ब्रिटिश प्रजाजन' है, उसपर ग्वालियरमें हुए अपराधके लिए दिल्लीमें मुकदमा चलानेका पूरा अधिकार है। अन्य अभियुक्तोंके साथ एक ही मुकदमेमें उसपर मुकदमा चलानेका भी कोर्टको अधिकार है।

बरामद हुई और बरामद की गयी चीजें और उनका स्वरूप

सातवाँ अध्याय 'बरामद हुई और बरामद की गयी चीजें और उनके स्वरूप' के सम्बन्धमें है। २० जनवरी, १९४८ को रातको ९॥ बजेके बाद मदनलाल मेरिना होटलमें ले जाया गया और उसके कहनेपर ४० नम्बरके कमरेमें, जहाँ १७ से २० तक गोडसे आपटे ठहरे थे, एक दराजसे गान्धीजीके अनशनके सम्बन्धमें श्री आशुतोष लाहिड़ीका एक टाइप किया हुआ वक्तव्य बरामद किया गया। सफाई पक्षका कहना है कि भारतीय सबूत (एविडेन्स) कानूनकी धारा २७ के अन्तर्गत यह सबूत नहीं आता। अपनी पुष्टिमें वे ११५ आई. सी. ६ जिसका बादमें ए. आई. आर. १९४७ पी. सी. ६७ में उपयोग किया गया है, पेश करते हैं। सबूत पक्ष इस सबूतसे बादमें कुछ साबित कर सकेगा इसलिए अदालतने टाइप किया हुआ वह कागज पहले सबूतके तौरपर स्वीकार कर लिया था, पर सबूत पक्ष उस कागजका अपराधसे कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं कर सका इसलिए उक्त कागजका सबूत कोई निर्णय करनेके लिए अस्वीकार्य माना जाता है।

इसके बाद अजने २० जनवरीको मदनलालके पाससे बरामद हुए हथगोले और ऊनी कोटका जिक्र किया है। हथगोला वेरियम नाइट्रेट और ट्राइनाइट्रोटोलीन (टेरेटाल) से भरा था जैसे ब्रिटेनके हथगोले रहते हैं। उसकी बत्ती ४ सेकेण्डवाली थी और खड़की (पूना) में फिट की गयी थी। कोटके बारेमें मदनलालका कहना है कि वह उसके पाससे उस समय नहीं मिला, पर इसके बारेमें जिरहमें किसीने कोई सवाल नहीं पूछा। इससे यह सन्देह करनेका

कोई कारण नहीं है कि सबूतके इस सम्बन्धके तीनों गवाहोंने झूठी बात कही हो।

३०. जनवरीको नथूरामके पाससे बिना छूटे ४ कारतूस भरी पिस्तौल, डायरी तथा अन्य चीजें मिलीं। हत्या-स्थलपर दो खाली कारतूस, दो छूटी गोलियाँ और खूनसे सना एक कन्धेका पट्टा मिला। एक खाली कारतूस बादमें गान्धीजीकी चादरमें मिला बताते हैं। फिल्लौरकी वैज्ञानिक प्रयोगशालाके डाइरेक्टरने इसी पिस्तौलसे बिना छूटी और दो गोलियाँ छोड़कर परीक्षा की और बताया कि इसी पिस्तौलसे वे तीनों गोलियाँ छोड़ी गयीं। ३१ जनवरीको पूनेमें नथूरामके कमरेकी तलाशीमें एक प्रवाही पदार्थ मिला, पर कमरा खुला पड़ा था इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि वह पदार्थ नथूरामका ही था।

३१ जनवरीको सावरकरके घरकी तलाशी ली गयी और बहुत सी फाइलें और कागज बरामद किये गये जिनमेंसे कुछ अदालतमें भी दाखिल किये गये।

५ फरवरीको गोपाल गोडसेकी गिरफ्तारीके समय कहा जाता है कि केन वासका एक खाली बैग बरामद हुआ; पर पुलिसकी गवाहीकी पुष्टिमें कोई गवाह या मेमो पेश नहीं किया गया इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि वह बैग गोपालके पाससे ही बरामद हुआ।

९ फरवरीको पूनेमें नागमोडे और शेलारके घरोंकी तलाशियाँ ली गयीं। इनमें जो चीजें मिलीं वे परीक्षाके लिए भेजी गयीं। परीक्षकोंकी रिपोर्ट, गवाहियाँ और इनके फोटोसे पता लगता है कि ये मुख्यतर प्राइमरों और डेटोनेटरोंसे युक्त हथगोले और गनकाटनके टुकड़े थे।

११ फरवरीको शंकरने नयी दिल्लीके हिन्दू महासभा भवनके पीछे दो स्थानोंसे १ गन काटनका टुकड़ा और तीन गोले बरामद कराये। टुकड़ा १ पौण्ड वजनका था और १ औंस सूखे गनकाटन प्राइमरसे फिट था।

२६ फरवरीको नारायण आपटे पुलिसको हिन्दू महासभा भवनके पीछे जङ्गलमें ले गया जहाँ पिस्तौल चलानेका अभ्यास किया गया था। वहाँ पेड़की डालियोंपर गोलियोंके ४ निशान मिले। डाली काटकर लायी गयी। एक खाली कारतूस भी वहाँ मिला। सफाई पक्षका कहना है कि यह सबूत भारतीय [illegible] कानूनकी धारा २७ के अंतर्गत नहीं आता। सबूत पक्ष भी यह [illegible]

कह सका है कि इन चीजोंसे और हत्यासे क्या सम्बन्ध है। इसलिए वे चीजें सबूतके रूपमें अस्वीकार मानी गयी हैं।

आपटे पुलिसको ग्वालियरमें परचुरेके घरके पिछवाड़े ले गया और वहाँ एक छूटी गोली मिली। यह भी ऊपरवाले कारणसे अस्वीकार्य सबूत माना जाता है।

१६ अप्रैलको बम्बईकी सी. आई. डी. इमारतमें नारायण आपटेके ट्रंककी तलाशी ली गयी। ट्रंक आपटेने अपने पासकी चाभीसे खोला और उसमें एक पैण्ट बरामद हुआ। सफाई पक्षका कहना है कि पैण्ट पुलिसने खुद रखा था, पर ऐसा माननेका अदालतके पास कोई सबूत नहीं है। दावके कम्पनीकी दर्जीकी नापकी किताब भी अदालतमें है।

शिनाख्त परेडें

फैसलेका आठवाँ अध्याय 'शिनाख्त परेडों' के बारेमें है। गोडसेका कहना है कि ७ फरवरीको दिल्ली जिला जेलमें स्पेशल मजिस्ट्रेट श्री किशनचन्दने जब शिनाख्त परेड की तो गोडसेके सिरपर जैसी पट्टी थी वैसी अन्योंके सिरपर नहीं थी। मजिस्ट्रेटका कहना है कि अन्योंके सिरपर भी वैसा ही कपड़ा बँधा था जैसा गोडसेके सिरपर था। इसको अमान्य करनेकी कोई वजह दिखाई नहीं देती। आपटे और करकरेका कहना है कि २८ फरवरीकी परेडमें उनके साथ कोई और महाराष्ट्रीय नहीं था इसलिए वे आसानीसे पहचाने जा सके। आपटे महाराष्ट्रीयकी तरह नहीं दिखाई देता। करकरे भी महाराष्ट्रीय पोशाक पहननेपर ही महाराष्ट्रीय मालूम पड़ता है और उसे कपड़े बदलनेकी इजाजत थी। इसलिए यह दलील भी ठीक नहीं है। बम्बईमें चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेटने अपनी अदालतकी इमारतमें ८ परेडें २१-२, २-३, १६-३, २३-३, २४-३, ३०-३, ३१-३, और ९-४-४८ को की। सफाई पक्षका कहना है कि दिल्लीके गवाह एक ही डिब्बेमें दिल्लीसे लाये गये और अभियुक्त बम्बईके सी. आई. डी. के नये दफ्तरमें रखे गये थे इसलिए गवाहोंको आपसमें सलाह मशविरा करनेका और बम्बईमें अभियुक्तोंको देखनेका मौका मिला होगा। ये दलीलें ठीक नहीं मालूम होतीं क्योंकि जिरहमें किसीने इस सम्बन्धमें नहीं पूछा। शिनाख्त परेडों-की कारवाइयाँ हो जानेके बाद १२ मईको पुलिसने १९२० के सेण्ट्रल कानून ३३ की ४थी धाराके अनुसार अभियुक्तके फोटो लिये। २७ मईको अदा-

उसमें भी अखबारवालोंने अभियुक्तोंके फोटो लिये। इसपर भी आपत्तियाँ उठायी गयी हैं, पर ये सब शिनाख्त परेड होनेके बाद हुआ है इसलिए इन आपत्तियोंमें कोई तथ्य नहीं। अदालतमें अभियुक्तोंकी शिनाख्तको वैसे ही अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता। अवधके एक मामलेमें (२१ क्रि.ला.ज. १२१) और बादमें लाहौर हाईकोर्टने (२१ क्रि. ला. ज. १६६) यह बात मान ली है कि शिनाख्त परेडकी शिनाख्त उस हालतमें भी मंजूर की जाती है जब बादमें अदालतमें भी गवाह फिर शिनाख्त न कर सका हो। एक आपत्ति यह उठायी गयी है कि १ अप्रैल तक शिनाख्तें होती रहीं, यह अनुचित है। गवाह विभिन्न प्रान्तों और रियासतोंके थे और घटनाके २।। महीनेके अन्दर शिनाख्तें हो गयीं। इसमें अनुचित कुछ नहीं कहा जा सकता।

अभियुक्तोंके हस्ताक्षरोंकी अमान्यता

फैसलेके नौवें अध्यायका शीर्षक है 'अभियुक्तोंके हस्ताक्षरोंकी अमान्यता'। अभियुक्तोंके करीब २५ पत्र थे जिनमेंसे केवल ४के बारेमें उनका कहना है कि ये हमारे नहीं, बाकी सबको उन्होंने मंजूर किया। सफाई पक्षका कहना है कि हस्ताक्षर मिलानेके लिए जो नमूने लिये गये वे अभियुक्तोंके वक्तव्योंके बराबर हो गये इसलिए (फौजदारी कानूनकी १६२ वीं धाराके अनुसार) स्वीकार नहीं किये जाने चाहिये। अदालतको यह तर्क स्वीकार नहीं। जिन चार हस्ताक्षरोंके बारेमें झगड़ा है उनपर आश्रित होकर अदालतने कोई निर्णय नहीं किया है।

१९-१-४८ तक क्या हुआ?

१० वें अध्यायमें अभियुक्तोंके १९ जनवरी १९४८ तकके इधर-उधर आने-जाने और उनके कार्योंका विस्तारपूर्वक विवरण दिया गया है। नवम्बर १९४७ के बादसे अभियुक्त कहाँ गये, बम्बईके रुइया कालेजके हिंदी और अर्धमागधीके प्रोफेसर डाक्टर जे. सी. जैनका वक्तव्य, गोडसेका अपने बीमोंका उत्तराधिकार करना, गोपालका छुट्टीके लिए दर्खास्त देना, और बडगेके वक्तव्यके आधारपर उन दिनोंकी पूरी कथा आदि बातोंका विवरण है। आपटेने १४-१ को डी. एन. करमरकर और एस. मराठेके कल्पित नामोंसे १७ को दिल्ली जानेवाले विमानके जो दो टिकट लिये थे उसके बारेमें उसका कहना है कि ये

किसी दूसरेने खरीदे थे और वह उसे रद्द कराना चाहता था इसलिए मैंने उनको खरीद लिया। पर रिजर्वेशन स्लिपपर जानेवालोंका पता ६ सी. ग्रीन होटल दिया है और उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उन दिनों बम्बईमें वे सी. ग्रीन होटलमें ही थे। इसलिए आपटेकी बात झूठी मालूम पड़ती है। बडगेके वक्तव्यके आधारपर कहा गया है कि तात्याराव सावरकरने कहा—"यशस्वी होऊन या।" बादमें आपटेने कहा— "तात्यारावांनी असे भविष्य केले आहे की गान्धीजींची शंभर वर्षे भरली। आता आपले काम निश्चित होणार यांत कांही संशय नाहीं।" १९ तारीखको दिल्लीसे बम्बई सावरकरके बंगलेपर दामले या कासारके नाम जो टेलिफोन काल बुक किया गया था उसका हाल भी इसमें है।

२० और ३० जनवरीकी घटनाएँ

ग्यारहवें अध्यायमें अभियुक्तोंके २० जनवरीके कार्यों और उस दिन इधर उधर जानेका वर्णन है। यह भी बडगेकी गवाहीके आधारपर ही है। २० जनवरीकी घटनाके सम्बन्धमें आपटे, गोडसे, मदनलाल, करकरे, गोपाल और शंकरने जो बातें कही हैं उनका भी उल्लेख इस अध्यायमें है।

बारहवें अध्यायमें अभियुक्तोंके ३० जनवरी तकके आवागमन और कार्योंका विवरण दिया गया है। कहा गया है कि सफाई पक्षका कहना है कि श्री मुरारजी देसाईने डाक्टर जैनसे जो बातें सुनीं वे भारतीय साक्षी कानूनकी १५७ वीं धाराके अनुसार अमान्य होनी चाहिये। कहा गया है कि गोपालने पूनेमें पांडुरंग गोडबोलेको एक रिवाल्वर और कुछ कारतूस दिये थे। हत्याका पता लगनेपर गोडबोलेने उसे फेंकनेको कालेको दिया। कालेने कारतूस २ फरवरीको और रिवाल्वर ७ फरवरीको फेंक दिया। वह रिवाल्वर नहीं मिला। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली ले जाये गये दो रिवाल्वरोंमेंसे एक यही था। जिस पिस्तौलसे हत्या की गयी उसके बारेमें गोडसेने अपने लिखित वक्तव्यमें कहा है कि वह मैंने ग्वालियरमें गोयलसे नहीं, पर दिल्लीमें किसी शरणार्थीसे प्राप्त की थी। ग्वालियर ये लोग सिर्फ स्वयंसेवक लानेके लिए गये थे।

तेरहवें अध्यायमें गान्धीजीकी हत्याका विभिन्न गवाहों द्वारा किया गया

वर्णन है। घावोंके बारेमें सिविलसर्जनकी रिपोर्ट भी है। नथूरामने हत्याके षड्यन्त्र-का जो वर्णन किया है (पृष्ठ ११८-११९) वह भी इसमें दिया गया है।

अन्य अभियुक्तोंको गिरफ्तारियों तकका वर्णन १४ वें अध्यायमें है। पन्द्रहवें अध्यायमें डाक्टर जैनको मदनलाल द्वारा बतायी गयी षड्यन्त्रकी बातोंके सम्बन्धमें साक्षियोंका विवेचन किया गया है। इस विषयपर श्री मुरारजी देसाईने जो गवाही दी उसपर बचाव पक्षका कहना है कि यह गवाही भारतीय साक्षी कानूनकी दफा १५७ के अनुसार स्वीकार्य नहीं है। दफा १५७ में कहा गया है कि "किसी गवाहकी गवाहीकी पुष्टि करनेके लिए उस गवाहका उसी घटनाके बारेमें घटनाके दिन या उसके दो चार दिन बाद पहले दिया हुआ वक्तव्य या किसी वैधानिक दृष्टिसे अधिकारी व्यक्तिके सामने दिया हुआ वक्तव्य साबित किया जा सकता है।" सफाई पक्षका कहना है कि १२ जनवरीकी घटना २१ जनवरीको श्री मुरारजी देसाईको बतायी गयी। इतने दिनकी बादकी घटना 'घटनाके दिन या उसके दो चार दिन बाद' की नहीं कही जा सकती। न्यायाधीशने व्यवस्था दी है कि घटनाके दिन या उसके दो चार दिन बाद वक्तव्य न दिया गया हो, पर वह एक अधिकारी व्यक्तिको दिया गया है और 'या' शब्दके कारण श्री मुरारजीकी गवाही मान्य है। इसी प्रकार कहा गया है कि श्री जैनने अपनी गिरफ्तारीके डरसे गवाही दी। पर जिस प्रकार उन्होंने एक-के बाद एक बड़े अधिकारियोंको सूचना देनेका अथक प्रयत्न किया उसमें यह नहीं कहा जा सकता। कहा गया है कि डाक्टर जैनने जो कुछ कहा उसपर पुलिसने प्रारम्भिक रिपोर्ट भी नहीं लिखी। नगरवाला खुफियाके आदमी थे और सरकार कभी कभी इस प्रकार नीम अदालती जाँच भी कराती है जिसपर आपत्ति नहीं की जा सकती। जैनने ठीक ठीक दिन नहीं बताये, पर उन्होंने जैसा वर्णन किया उससे कहा जा सकता है कि १० जनवरीके लगभग मदन-लालने करकरेका परिचय सेठ कहकर जैनसे कराया। जैन, अंगदसिंह और मुरारजी देसाईकी गवाहियाँ विश्वसनीय मानी जा सकती हैं।

धन और शस्त्रास्त्र एकत्र करनेके प्रयास

१६वाँ अध्याय धन और शस्त्रास्त्र एकत्र करनेके प्रयत्नके सम्बन्धकी गवाहियोंके बारेमें है। जजने इसमें कहा है कि दीक्षित महाराजकी गवाही और

बडगेकी गवाहीमें कहीं कहीं विरोध है, पर इसका कारण यह हो सकता है कि दीक्षित महाराज उन दिनों बीमार थे और उनको ठीक ठीक दिन याद नहीं रहे। फिर भी दोनोंकी गवाहियाँ मुख्य बातोंपर एक सी हैं। दीक्षित महाराज और दादा महाराजके सम्बन्धमें कहा गया है कि वे भी हथियारोंका लेनदेन करते थे इसलिए अभियोगमें साथी हैं और उनकी गवाही विश्वसनीय नहीं माननी चाहिये। जजने कहा है कि मुकदमेमें ऐसी कोई बात नहीं आयी जिससे मालूम हो कि वे दोनों महात्मा गान्धीकी हत्याके मामलेमें भी साथी थे। वे हथियारोंका लेनदेन करते थे। इसीलिए तो आपटे-गोडसे उनके पास गये, न करते तो ये क्यों जाते? टैक्सी ड्राइवर ऐतप्पा कोटियनके बारेमें कहा गया है कि वह टैक्सी ड्राइवर है इसलिए पुलिसके प्रभावमें आकर चाहे जैसी गवाही दे सकता है, पर जजने कहा है कि मैं यह नहीं मानता कि टैक्सी ड्राइवर होनेपर वह झूठ ही बोले।

२० जनवरीतक दिल्लीमें क्या हुआ?

१७वाँ अध्याय २० जनवरीतक दिल्लीमें जो कुछ हुआ उसके बारेमें है। मेरिना होटलमें ४० नम्बरके कमरेमें १७ जनवरीको १ पेग, १८ को २ पेग और २० को ३ कप अतिरिक्त चाय गयी थी। मेरिना होटलके गोविन्दरामकी गवाहीमें कुछ अस्पष्टता है, पर इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी सारी गवाही ही अविश्वसनीय है। पुलिसको बहुतसी गवाहियाँ लेनी थीं इसलिए गोविन्दरामकी गवाही घटनाके दो महीने बाद ली जानेपर भी क्षम्य है। शरीफ होटलके रामलालदत्त और शान्तिप्रकाशकी गवाहियोंमें जो थोड़ा-सा फर्क है वह भी मामूली है और महत्त्वका नहीं। अंगचेकरका बयान ६ हफ्ते बाद लिये जानेपर सफाई पक्षने आपत्ति की है, पर अंगचेकर रजिस्टरमें अंगाचारी हो गया था और ४ मार्चतक उसका पता नहीं लग सका। उस दिन सावन्तवाड़ीमें उसका पता लगा और वह ८ मार्चको बम्बई लाया गया और तुरन्त उसका बयान लिया गया। यह देर भी आपत्तिजनक नहीं। गवाहीसे यह बात प्रमाणित है कि २० जनवरीको ऊपर जँगलेवाली और मूँगिया रंगकी जिस कारमें बैठकर अभियुक्त बिड़ला-भवन गये थे उसकी तलाशमें पुलिस ४ फरवरीसे पहले ही थी। ४ फरवरीको कारका पता लगा। सुरजीत सिंहकी टैक्सीका नं० पी.

पी॰ एफ॰ ६०१ है। मनोहरसिंहने कारका नम्बर डी. एल. एच. १४३५ बताया था और यह बात पुलिसकी पहली रिपोर्टमें दर्ज है। सफाई पक्षका कहना है कि वह कार सुरजीतसिंहकी नहीं थी। 'मनोहरसिंह' गवाहीमें पेश नहीं किया गया इसलिए पुलिसकी रिपोर्टमें दर्ज उसका वक्तव्य मंजूर नहीं किया जा सकता। सुलोचना, भूरसिंह और छोटूरामकी गवाहियोंमें जो कुछ थोड़ी-सी विरोधी बातें हैं वे महत्त्वकी नहीं और मुकदमेपर उसका कोई असर नहीं पड़ता। कुछ गलतियाँ होना स्वाभाविक है क्योंकि कोई भी घटनाकी आशंका नहीं करता था इसलिए पहलेसे सब कुछ ठीक तरह देख रखनेके लिए चिन्तित नहीं हो सकता। कारपर आये लोग कारकी दूसरी बगलसे उतरकर पीछे से आये। कुछ लोग पहलेसे खड़े थे इसलिए कौन कारमें आये इसके बारेमें गलतियाँ होना अस्वाभाविक नहीं है। हिन्दू फ्रण्टियर होटलके रामप्रकाश-ने गोपाल गोडसे (गोपालन) के होटलमें आनेका समय २० जनवरी दिनमें ४ बजे लिखा है। गोपाल ६॥ के पहले न आया होगा और मालूम होता है कि किसी तरहसे उसने समय ४॥ लिखा लिया। रामप्रकाश यह बात कहनेको राजी नहीं है इसलिए उसकी गवाहीके आधारपर कोई ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता।

२७ जनवरीतक बम्बईमें क्या हुआ ?

२७ जनवरीतक बम्बईमें जो कुछ हुआ उसके सम्बन्धकी गवाहियोंका विवरण अठारहवें अध्यायमें है। ठाणाके जी. एम. जोशीकी, जिनके घर अभियुक्त बादमें ठहरे थे, गवाही नहीं दिलायी गयी थी। उनके पुत्र वसन्त जोशीने गवाही दी थी। जजने लिखा है कि उनके घर लोग ठहरे थे इसलिए स्पष्ट है कि उनकी गवाही न दिलाना ही ठीक हुआ। वसन्त जोशी गोपाल गोडसेको नामसे तो पहलेसे ही जानता था इसलिए उससे गोपालकी शिनाख्त नहीं करायी गयी इसमें भी आपत्तिजनक कुछ नहीं है। दादा महाराज और दीक्षित महाराजकी गवाहियोंसे स्पष्ट है कि २६ जनवरीतक गोडसे-आपटे एक रिवाल्वरकी खोजमें थे।

३० जनवरीको आपटे कहाँ था

३० जनवरीको आपटे और करकरेकी दिल्लीमें उपस्थितिके विषयमें जो

गवाहियाँ हुईं उनपर उन्नीसवें अध्यायमें विचार किया गया है। बचाव पक्षकी आपत्तियोंको अस्वीकार करते हुए जजने कहा है कि दिल्ली स्टेशनके रिटायरिंग रूममें २ आदमियोंकी ठहरनेकी जगहके लिए एक ही आदमी के नाम रसीद दी जा सकती है। मोचीकी गवाही वह केवल मोची होनेके कारण अस्वीकृत नहीं की जा सकती। आपटे-करकरेने बम्बईके उपनगरोंके ३० और ३१ तारीखके कुछ टिकट पेश किये हैं जो उनके पास १४ फरवरीको गिरफ्तारीके समय बरामद हुए थे। इन टिकटोंके बारेमें रेलवेके टिकट कलेक्टरोंकी गवाहियाँ हुई हैं कि ये टिकट दरवाजोंपर वसूल किये गये थे, पर बादमें कहींसे चुराये गये मालूम पड़ते हैं। आपटेने एक तारकी ३१-१-४८ की ग्रांट रोड तारघर बम्बईकी रसीद भी पेश की है। आपटेका कहना है कि मैं ३० को सवेरे ग्वालियरसे सीधा बम्बई पहुँचा और दिनभर शरणार्थी कैम्पोंमें रहा। रातको बोरीबन्दर आया तो गान्धीजीकी हत्याका पता लगा। ३१ को सवेरे वकीलोंसे मिलने ग्रांट रोड गया। स्टेशनपर कुमारी मनोरमा सालवी मिलीं। उनसे एक तार भेजवाया जो इस प्रकार है—"सेक्रेटरी, हिंदू महासभा दिल्ली—अराइविंग डेलही टु अरेंज गोडसेज डिफेन्स"। उसी तारकी यह रसीद है। जजका कहना है कि टिकटों और तारकी रसीदसे यह साबित नहीं होता कि आपटे उस दिन बम्बईमें ही था। सबूतने फौजदारी कानूनकी दफा १६४ के अनुसार कुमारी मनोरमा सालवीका बयान एक मजिस्ट्रेटके सामने दिलवाया। अदालतमें उसकी गवाही यह कहकर नहीं दिलवायी गयी कि आपटेसे उसकी बहुत अधिक दोस्ती है इसलिए वह सच नहीं कहेगी। आपटेको अपनी ओरसे कुमारी सालवीकी गवाही करानी चाहिये थी। आपटेने एक चिट्ठी, एक लिफाफा और एक फोटो भी पेश किया। लिफाफेपर ३०-१-४८ की दिल्लीकी डाककी मुहर और पता 'डेली हिन्दू राष्ट्र, पो० बा० ५०३ लक्ष्मीरोड, पूना नं० २' है। चिट्ठी नारायण आपटेके निजी नामसे है। फोटो गोडसेका है। आपटेका कहना है कि मैं ८ फरवरीसे १० फरवरी तक पूनेमें था और वहींपर गोडसेकी यह चिट्ठी मुझे लिफाफेमें मिली। जजका कहना है कि गोडसेने चिट्ठी भेजी होती तो आपटेके नामसे भेजी होती, पत्रके पतेसे नहीं। लिफाफा किसी दफ्तरके कामकी चिट्ठीका मालूम पड़ता है। उसमें बादमें यह चिट्ठी गोडसेसे लिखवाकर चोरीसे बाहर भेजकर रखवायी गयी मालूम होती है। नगरवालाने अपनी गवाहीमें

कहा है कि लैफ्टनेनायक कदम नामका एक पहरेदार आपटेकी चिट्ठियाँ चोरीसे बाहर दे आता था। वह इसलिए बरखास्त किया गया और उसके पास आपटेकी मनोरमा सालवीके नाम चिट्ठी भी मिली। यह चिट्ठी भी इसी तरह अपनी निर्दोषता साबित करनेके लिए लिखी गयी मालूम देती है।

बीसवाँ अध्याय बहुत छोटा है और आपटे-करकरेकी ३१-१-४८ के बाद १३ तक एलफिंस्टन होटल और जी० एम० जोशीके यहाँ ठहरनेकी गवाहीके सम्बन्धमें है। २१वें अध्यायमें ग्वालियरमें २८-१-४८ को हुए कार्य और परचुरेके सम्बन्धकी गवाहियोंका विवरण है। जजका कहना है कि आपटे-गोडसे २७ की रातको ही दिल्लीसे ग्वालियर आये। ग्वालियरके गवाहोंने बढ़ा-चढ़ाकर परचुरेके खिलाफ बातें कही होंगी पर इतना सच है कि परचुरे उस दिन किसी सनसनीदार समाचारकी आशा करते थे, हत्याका समाचार सुनकर वे बहुत अधिक खुश हुए, कुछ दक्क गये और अपने घरपर मिठाई बाँटी। जजने बुकिंग क्लर्क गोल्वलकरकी गवाही साक्षी कानूनकी दफा ३५ और १४४ के अनुकूल ही बतायी।

परचुरेका इकबाली बयान और नागरिकता

महात्मा गान्धी-हत्याकाण्डके फैसलेका २२वाँ अध्याय परचुरेके इकबाली बयानके सम्बंधमें है। जजने सफाई पक्षकी यह बात नहीं मानी कि मजिस्ट्रेट अटलको किलेके अन्दर सैनिक गिरफ्तमें बंद परचुरेसे इकबाल करानेका कोई अधिकार नहीं था। जजने साक्षी कानूनकी दफा १५९ और १६० की भी चर्चा की है और कहा है कि लिखित इकबाली बयान अदालतके रेकार्डोंमें शामिल करनेमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। परचुरेके इकबाली बयानकी मुख्य बातें देनेके बाद जजने कहा कि यह समझनेका कोई आधार नहीं है कि इसे परचुरेने अपनी खुशीसे नहीं लिखाया और उनसे केवल जबरदस्ती हस्ताक्षर कराये गये।

२३वाँ अध्याय परचुरेके नागरिकत्व या राष्ट्रीयताके बारेमें है। जजने फौजदारी कानूनकी दफा १८८ और १९१४ के ब्रिटिश प्रजाजन कानूनकी व्याख्याएँ देकर बताया है कि दत्तात्रेय परचुरेके जन्मके समय सदाशिव परचुरे ब्रिटिश प्रजाजन थे इसलिए दत्तात्रेय परचुरे भी भारतमें रहे ब्रिटिश प्रजाजन

हुए। कुंडलीसे मालूम होता है कि श्री सदाशिव परचुरेका जन्म ज्येष्ठ शुक्ल ५ सं० १९१६ या सन १८५९-६० में पूनेमें हुआ। साक्षी कानूनकी दफा १२ (५) (६) के अनुसार यह मंजूर किया जा सकता है। साक्षी कानूनकी दफा ३२ (२) और ९० के अनुसार डेक्कन कालेजका रजिस्टर अस्वीकृत करनेको सफाई पक्ष कहता है, पर जजका कहना है कि उसी कानूनकी दफा ११४ और ३५ तथा ए. आई. आर. १९२६ लाहौर १०४ के अनुसार इसे स्वीकार किया जा सकता है। जजने 'जयाजी प्रताप'में छपी सदाशिव परचुरेकी जीवनीको यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि इसको लिखनेवाला अदालतमें पेश नहीं किया गया था।

मुखबिर बडगेकी गवाही

१४वें अध्यायमें मुखबिर दिगम्बर बडगेकी गवाहीका विश्लेषण किया गया है। सफाई पक्षने यह आपत्ति उठायी थी कि उसे पूर्व-सूचना दिये २१ जूनको बडगेको जो क्षमादान किया गया वह गैरकानूनी है। जजने कहा कि कानूनमें कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि क्षमादानकी पूर्व-सूचना अभियुक्तोंको देना आवश्यक है। सफाई पक्षका कहना है कि मुखबिर बडगेको अन्य गवाहोंसे पहले गवाहीके लिए बुलाना चाहिये था। जजने कहा है कि सबूत पक्षने ऐसा किया होता तो और अच्छा होता पर नहीं किया तो कानूनी दृष्टिसे कोई गलती नहीं की। कानून कहता है कि मुखबिरकी गवाहीकी पुष्टि अन्य सूत्रोंसे होनी चाहिये। पुष्टि कितनी होनी चाहिये यह परिस्थिति मुखबिर और मामलेपर ही निर्भर रहता है। इस मामलेमें बडगेने १० दिनतक गवाही और जिरहके जिस साफ ढंगसे जवाब दिये वह प्रशंसनीय है। बडगेकी जिन बातोंकी पूरी-पूरी नहीं, पर साधारणतया पुष्टि हुई है उनमें यह है कि उसके घर जो ४ आदमी ९ जनवरीको शस्त्रास्त्र देखने गये थे उनमेंसे दो-को सबूत पक्ष पेश नहीं कर सका। सबूत पक्ष कहता है कि ढूँढनेपर भी उनका पता नहीं मिलता। यदि वे मिले होते तब भी अभियुक्तके साथीकी तरह ही उनकी भी गवाही होती। अभियुक्त विनायक डी. सावरकरकी शिनाख्तके बारेमें मुखबिरकी गवाहीकी पुष्टि बिलकुल नहीं हो सकी है। सबूत पक्षने मुखबिरके बयानके आधारपर ही सावरकरपर मुकदमा चलाया है और उसका कहना है कि कुमारी मोडक और

ड्राइवर एतेप्पाकी गवाहीसे बडगेकी गवाहीकी अंशतः पुष्टि होती है। पर सावरकरसदनमें केवल सावरकर ही नहीं रहते, भिडे और दामले भी रहते हैं। सावरकरके इस कथनकी कि 'यशस्वी होऊन या' किसी और गवाहसे पुष्टि नहीं हो सकी है। सावरकरके ये बातें कहनेके पहले आपटे, गोडसेकी उनसे क्या बातें हुईं उसका भी पता नहीं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ये बातें गान्धीजीके हत्याके षड्यन्त्रके सिलसिलेमें ही कही गयी थीं। इसलिए सावरकरके बारेमें निर्णय करते हुए मुखबिर बडगेकी गवाहीपर आधारित रहना ठीक नहीं होगा।

षड्यन्त्र यदि हुआ तो किन लोगोंने किया

२५वें अध्यायका शीर्षक है 'षड्यन्त्र यदि हुआ तो किन लोगोंने किया।' अभियुक्त १७ और २० के बीच विभिन्न रास्तोंसे दिल्ली पहुँचे। दोसे अधिक अभियुक्त किसी एक मार्गसे नहीं आये। मदनलालकी गिरफ्तारीके बाद बाकी सब उसी दिन या दूसरे दिन दिल्लीसे चले गये। बम्बईमें लोग ठाणामें एकत्र हुए। फिर दिल्ली आये। नथूरामका कहना है कि कोई षड्यन्त्र नहीं रचा गया, मैंने अकेले ही खून किया। आपटेका कहना है कि मैं २० को नथूराम-के साथ दिल्लीमें केवल प्रदर्शन करने आया था। करकरे कहता है कि वह मदनलालके कहनेसे उसकी शादी और डेपुटेशनके सिलसिलेमें आया। मदन-लाल भी यही कहता है—और कहता है कि दिल्लीमें शरणार्थी शिविरमें बडगेने उसे हथगोले और गनकाटनका टुकड़ा दिया। शंकर कहता है कि मैं षड्यन्त्रके बारेमें कुछ नहीं जानता, जो कुछ मुझे मेरा मालिक बताता था, मैं करता था। गोपाल गोडसे कहता है कि मैं १७ से २५ जनवरी तक छुट्टीपर उकसणमें था। सावरकर कहते हैं कि यदि कोई षड्यन्त्र था तो भी मेरा उससे कोई सम्बन्ध नहीं था और आपटे-गोडसेपर मेरा कोई नियन्त्रण नहीं था। परचुरेका कहना है कि आपटे-गोडसे स्वयंसेवक माँगने आये थे।

सफाई पक्षने इस बातका कोई कारण नहीं दिखाया है कि नथूरामने अपने दोनों बीमोंका उत्तराधिकार क्यों कर दिया। गोडसे-आपटेने कल्पित नाम क्यों रखे, सब लोग २० को एक साथ बिड़ला-भवनमें कैसे एकत्र हुए और विस्फोटके समय सब एक साथ क्यों भागे, यह भी नहीं बताया गया है।

बडगे जैसा आदमी मदनलालको मुफ्तमें हथगोला क्यों देता जब वह उसको पहलेसे जानता भी नहीं था जैसा कि सफाई पक्षने कहा है। आपटे और मदनलाल साथी न होते तो एक ही सूटका मदनलालके पास कोट और आपटेके पास पैण्ट कैसे रह जाता। मदनलालने गिरफ्तारीके बाद गान्धीजीसे बातचीत करनेका भी कोई प्रयत्न नहीं किया। शंकरको षड्‌यन्त्रके बारेमें यदि कोई बात न मालूम होती तो २० तारीखको सब लोग उसे बिड़ला-भवन कभी न ले जाते। गोपालने सालके शुरूमें ही अपनी आधी कैजुअल छुट्टी क्यों खतम की, इसका कोई सबल कारण सफाई पक्षने नहीं दिया। १४ जनवरीको नथूरामने अपने और आपटेके संयुक्त हिसाबसे २५०) गोपालको क्यों दिया, जैसा कि गोडसेकी डायरीमें दर्ज है। उस दिन उनके हिसाबमें २०००) जमा था और कुल ३४२) १४ जनवरीको खर्च हुआ। बचे १६५८) का २ हिस्सा किया गया है। इसलिए यह सिद्ध है कि २५०) गोपालको नथूरामने निजी कारणोंसे नहीं दिया था। गोपाल तेजीसे बिड़ला-भवनसे भागा क्यों, इसका कारण भी नहीं बताया गया है। जैसा कि पहले कहा गया है केवल मुखबिर बडगेकी गवाहीपर विश्वास रख सावरकरके खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए कह सकते हैं कि २० और ३० जनवरीको दिल्लीमें जो कुछ हुआ उससे सावरकरसे कोई सम्बन्ध नहीं था।

बचाव पक्षकी ओरसे कहा गया है कि गान्धीजीको मारनेके लिए एक ही हथगोला काफी रहता, फिर २० तारीखको ५ हथगोले क्यों ले जाये गये।

जो सबूत एकत्र हुआ है उससे यह मेरी धारणा हुई है कि गोडसे-आपटेका यह कभी मंशा न था कि पाँचों हथगोले गान्धीजीपर फेंके जायँ। मालूम होता है कि उनका असली उद्देश्य यह था कि मदनलालसे बारूदी रुईका विस्फोट कराया जाय और बडगे छोटूरामके कमरेसे पीछेसे गान्धी-जीपर हथगोला फेंके। मदनलाल पंजाबी था और बडगे अब्राह्मण इसलिए आपटे-गोडसे दोनोंको इन दोनोंका कोई विशेष ख्याल करनेकी आवश्यकता नहीं थी। उनका असली मकसद यह मालूम पड़ता है कि जब बारूदी रुईका विस्फोट हो और हथगोला फेंका जाय तो उसके बाद जो भगदड़ हो उससे लाभ उठाकर नौ दो ग्यारह हुआ जाय। बारूदी रुईका विस्फोट हथगोला फेंकनेके लिए सूचनामात्र था।

बडगे डर गया और छोटूरामके कमरेमें नहीं गया। यदि गान्धीजीको मारनेका इरादा आपटे-गोडसेका होता तो उनमेंसे ही कोई छोटूरामके कमरेमें घुस जाता। पर कोई दूसरा नहीं गया। इससे साफ है कि पाँचों हथगोले गान्धीजीपर फेंकनेके लिए नहीं थे। इन सबसे एक ही तथ्य निकलता है कि गान्धीजीको मारनेके लिए षड्यन्त्र रचा गया था और षड्यन्त्रमें कमसे कम गोडसे, आपटे, करकरे, मदनलाल, शंकर, गोपाल और परचुरे—ये लोग अवश्य थे।

श्री पी. आर. दासका कहना है कि यदि कोई षड्यन्त्र रचा गया था तो वह २० जनवरीको समाप्त हो गया, पर ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है जिससे मालूम हो कि २० जनवरीकी विफलताके बाद सबने हत्याका इरादा छोड़ दिया हो। इसके उलटे, जो सबूत मिला है वह यही साबित करता है कि फिर सब लोग २० के बाद भी इसी हत्याकी फिकरमें लगे रहे। षड्यन्त्र जारी था और उसीके फलस्वरूप हत्या हुई।

इस बातका सबूत नहीं है कि षड्यन्त्र कब और कहाँ कैसे शुरू हुआ और किसने शुरू किया। पर घटनाओंसे कहा जा सकता है कि ९ जनवरीको षड्यन्त्र का अस्तित्व था जब आपटे, करकरे और मदनलाल दो और व्यक्तियों-के साथ बडगेकी दूकानमें 'सामान' देखने गये थे। नथूराम १० को, बडगे १५ को, गोपाल १४ को, शंकर २० को और परचुरे २७ को इसमें शामिल हुए होंगे।

अभियोग और सजाएँ

फैसलेके २६वें अध्यायमें लगाये गये अभियोगों और सुनाये गये फैसले-का विवरण दिया गया है। पहला अभियोग गोडसे, आपटे, करकरे, मदनलाल, शंकर, गोपाल और परचुरेपर हत्याके षड्यन्त्रका भारतीय दण्ड विधानकी धारा ३०२ से युक्त धारा १२० बी-का लगाया गया है और वे दोषी ठहराये गये हैं।

दूसरा अभियोग परचुरेको छोड़कर अन्य अभियुक्तोंपर हथियार कानूनकी दफा १०, १४, १५ के अनुसार दिल्लीमें बिना लाइसेंसके २ रिवाल्वर और कारतूस ले जाने-रखनेमें मदद करनेके कारण दफा १९ (डी), १९ (एफ) और भारतीय दण्ड-विधानकी धारा १०९, ११४ के अनुसार लगाया

गया है, पर कहा गया है कि वे दोनों रिवाल्वर मिले नहीं इसलिए यह अभियोग साबित नहीं हुआ।

तीसरा अभियोग इन्हीं लोगोंपर २ बारूदी रुईके टुकड़े और ५ हथगोले रखने, ले जाने और रखने ले जानेमें मदद करनेके कारण विस्फोटक कानूनकी दफा ४ (बी) और ६, दफा ५ या दफा ६ युक्त दफा ५ के अनुसार लगाया गया है और वे दोषी पाये गये।

चौथा अभियोग मदनलालपर विस्फोट कानूनकी दफा ३ के अनुसार विस्फोट करने और अन्योंपर विस्फोटमें मदद करनेके कारण दफा ३ और ६ के अनुसार लगाया गया है और वह दोषी पाया गया।

पाँचवाँ अभियोग इन्हीं लोगोंपर २० जनवरीको हत्या करनेका प्रयत्न करनेका, जो असफल हुआ, ताजीरात हिन्दकी दफा ३०९ और ११५ का लगाया गया है और वे दोषी पाये गये हैं।

छठाँ अभियोग गोडसे और आपटेपर २८-२९ जनवरी १९४८ को बिना लाइसेंसके ग्वालियरसे दिल्ली ६०६८२४ नं० का ओटोमेटिक पिस्तौल और कारतूस लानेके कारण हथियार कानूनकी दफा १९ (सी) या भारतीय दण्डविधानकी दफा १४४ के साथ हथियार कानूनकी दफा १९ (सी) का लगाया गया है और दोनों दोषी पाये गये। परचुरेपर भी यह अभियोग लगाया गया, पर चूँकि वह ग्वालियरमें रहता था इसलिए १९ (सी) का अभियोग वहाँ उसपर नहीं लग सकता। गोडसेपर दिल्लीमें पिस्तौल रखनेके कारण हथियार कानूनकी दफा १९ (एफ) के और आपटे-करकरेके उसके साथ रहनेके कारण ताजीरात हिन्दकी दफा १४४ के साथ हथियार कानूनकी दफा १९ (एफ) का अभियोग लगाया गया और वे दोषी पाये गये।

सातवाँ अभियोग गोडसेपर जान बूझकर हत्या करनेका भा० दं० वि० ३०२ के अनुसार मदद करने तथा आपटे, करकरे, गोपाल और परचुरेपर हत्यामें मदद करनेके कारण दफा ३०२ और १०९ का है और वे दोषी पाये गये। आपटे-करकरेकी ३० जनवरीको बिड़ला-भवनमें उपस्थिति साबित नहीं की जा सकी, उनके केवल दिल्ली स्टेशनपर उपस्थित होनेकी बात सिद्ध हो चुकी

है इसलिए उनपर दफा १०९ और ११४ का अभियोग नहीं लग सका, पर दफा १०९-१०९ उनपर भी लगी है। बडगे और शंकर २० जनवरीके बाद षड्यन्त्रसे अलग हो गये। गोपाल षड्यन्त्रमें बना रहा। मदनलाल गिरफ्तार हो चुका था। परचुरेको यदि हम ग्वालियरका मानें तब भी हत्या दिल्लीमें हुई, इसलिए उनपर दिल्लीमें हत्या-मददका मुकदमा चल सकता है (११ क्रि का० ज० ४२६ और २९ क्रि० ला० ज० १०८९)।

इस प्रकार हरएक अभियुक्तपर अलग-अलग इस प्रकार धाराएँ लगीं—

नथूराम गोडसे—(१) १२० (बी)–३०२, (२) इ० १९ (सी) या ११४–इ० १९ (सी), (३) इ० १९ (एफ), (४) वि ५ या वि ५–६, (५) वि ४ बी–६, (६) वि ३–६, (७) ११५–३०२ तथा (८) ३०२

आपटे—(१) १२० बी–३०२, (२) इ १९ सी या ११४–इ १९ सी, (३) ११४–इ १९ (एफ), (४) वि ५ या वि ५–६, (५) वि ४ बी–६, (६) वि ३–६ (७) ११५–३०२ तथा (८) १०९–३०२

करकरे—(१) १२० बी–३०२, (२) ११४–इ १९ एफ, (३) वि ५ या वि ५–६, (४) वि ४ बी–६, (५) वि ३–६, (६) ११५–३०२ तथा (७) १०९–३०२

मदनलाल—(१) १२० बी–३०२, (२) वि ५ या वि ५–६, (३) वि ४ बी–६, (४) वि ३ तथा (५) ११५–३०२

शंकर—(१) १२० बी–३०२, (२) वि ५ या वि ५–६, (३) वि ४ बी–६, (४) वि ३–६ तथा (५) ११५–३०२

गोपाल—(१) १२० बी–३०२, (२) वि ५–६, (३) वि ४ बी–६, (४) वि ३ या वि ५–६, (५) ११५–३०२ तथा (६) १०९–३०२

परचुरे—(१) १२० बी–३०२ तथा (२) १०९–३०२

मुख्य अभियोग दफा १२० बी–३०२, ११५–३०२ और ११२–३०२ के हैं। बचाव पक्षकी ओरसे कहा गया है कि इंग्लिश फौजदारी

कानूनके अनुसार हत्या हो जानेपर हत्याके अभियोगमें षड्यन्त्रका अभियोग मिल जाता है। भारतमें दोनों अभियोग अलग अलग लगाते हैं, पर षड्यन्त्रमें सहायताके अभियोगमें सजा देनेके बाद षड्यन्त्रके अभियोगमें सजा नहीं देते। इसी तरह मेरी रायमें जिनपर ११५—३०२ और १०९—३०२ के दोनों अभियोग हैं उन्हें एक ही अभियोगमें सजा सुनानी चाहिये। पर जहाँ १२० बी—३०२ तथा ११५—३०२ के दो अभियोग हैं वहाँ दोनोंमें सजा सुनानी पड़ेगी क्योंकि पहले अभियोगमें कमसे कम सजा आजीवन कालापानी है और दूसरेमें अधिकसे अधिक ७ साल कैद है।

नथूरामने जानबूझकर और सोचसमझकर महात्मा गान्धीकी हत्या की। इसलिए उसे दफा ३०२ के अनुसार केवल मौतकी ही सजा दी जा सकती है। आपटेका हत्यामें सहायताका कार्य कम घृणित नहीं था। अपराधके हर मौकेपर वह अगुवा रहता था और जब असल काम करनेका मौका आता तो वह या तो भाग जाता या गैरहाजिर रहता था। यदि उसका दिमाग काम न करता तो सम्भवतः हत्या हुई ही न होती। इस स्थितिमें भारतीय दण्ड-विधानकी धारा १०९—३०२ के अनुसार उसे केवल मृत्युदण्डकी ही सज़ा दी जा सकती है। करकरे, गोपाल और परचुरेको १०९—३०२ के अनुसार आजीवन कालापानीकी सजा दी जाय तो, मैं समझता हूँ कि न्याय हो जायगा। इन धाराओंके अनुसार इससे कम सजा कोई दी ही नहीं जा सकती। मदनलाल और शंकर किस्तय्याको दफा १२० बी—३०२ के अनुसार आजीवन कालापानीकी सजा देना न्यायकी दृष्टिसे ठीक होगा। यही इस धाराकी कमसे कम सज़ा है। दफा ११५—३०२ के अनुसार दोनोंको ७-७ सालकी सज़ा देना ठीक होगा। शंकर बडगेका नौकर है और उसने जो कुछ किया ज्यादातर अपने मालिकके आदेशसे किया। बडगे न होता तो अन्य अभियुक्त शंकरको कभी षड्यन्त्रमें शामिल होनेको न कहते। वह दयाका पात्र है इसलिए उसकी दफा १२० बी—३०२ की सजा फौजदारी कानूनकी दफा ४०१ और ४०२ के अनुसार ७ सालकी कड़ी कैदकी करनेकी सिफारिश करता हूँ। अन्य अभियोगोंमें अभियुक्तोंको न्यायकी दृष्टिसे अभियोगोंके क्रमानुसार ये सज़ाएँ देना ठीक होगा—

	हत्या ३०२	हत्यामें सहायता १०९ ३०२	१२० बी ३०२	११५ ३०२	इ १९ सी या ११४ १९ सी	१९ एफ	११४ १९ एफ	वि ५ या ५-६	४ बी ६	२ ६	वि ३	
गोडसे	मृत्युदण्ड				२ साल	२ साल		३ साल	५ साल	७ साल		मृत्युदण्ड + १९ साल (अधिकसे अधिक ७)
आपटे		मृत्युदण्ड			२ साल		२ साल	३ साल	५ साल	७ साल		मृत्युदण्ड + १९ (७)
करकरे		कालापानी					२ साल	३ साल	५ साल	७ साल		कालापानी + १७ (७)
मदनलाल			कालापानी	७ साल				३ साल	५ साल		१० साल	कालापानी + २५ (१०)
शंकर			कालापानी *	७ साल				३ साल	५ साल	७ साल		२२ साल (७ साल)
गोपाल		कालापानी						३ साल	५ साल	७ साल		कालापानी + १५ (७)
परचुरे		कालापानी										कालापानी

* घटाकर ७ साल करनेकी सिफारिश

पाठकोंकी सुविधाके लिए दफाओं और सजाको कोष्ठकके रूपमें दिया गया है—सं०

यह मुकदमा बम्बई जनसुरक्षा कानूनके अनुसार सुना गया है और उसकी १६ वीं दफामें मौतकी सजाकी हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि करानेकी कोई शर्त नहीं है, इसलिए मृत्युदण्डपर हाईकोर्टकी पुष्टिकी आवश्यकता नहीं है।

२७वें अध्यायमें जजका अंतिम निर्णय है। गोडसे, आपटे, करकरे, मदनलाल, शंकर, गोपाल गोडसे और परचुरेपर साबित हुई दफाओंके अनुसार विभिन्न सजाएँ बतायी गयी हैं। कहा गया है कि हरएक अभियुक्तकी सब सजाएँ साथ साथ चलेंगी और आरोपपत्रमें इनके अतिरिक्त और दफाएँ लगायी गयी थीं उनके अनुसार अपराध साबित नहीं हुआ इसलिए वे दोषमुक्त घोषित किये जाते हैं। सावरकर निर्दोष घोषित किये जाते हैं और अन्यत्र आवश्यकता न हो तो, वे रिहा किये जायँ।

बडगेने क्षमादानकी अपनी शर्तें पूरी कीं, इसलिए अन्यत्र आवश्यकता न हो, तो उसे छोड़ दिया जाय।

अन्य अभियुक्त यदि अपील करना चाहें तो १५ दिनके अन्दर कर सकते हैं, फैसलेकी नकलें तैयार हैं।

मैं केन्द्रीय सरकारका ध्यान २० जनवरी १९४८ और ३० जनवरी १९४८ के बीच मामलेकी छानबीन करनेमें पुलिसने जो ढिलाई दिखलायी उसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। मदनलालकी गिरफ्तारीके बाद २० तारीखको ही दिल्लीकी पुलिसको उसका विस्तृत वक्तव्य प्राप्त हो गया था। डाक्टर जे. सी. जैनने २१ जनवरीको माननीय मन्त्री श्री मुरारजी देसाईको जो बयान दिया था वह बम्बईकी पुलिसको बता दिया गया था। इन दोनों वक्तव्योंके बाद तुरत दिल्लीकी पुलिस और बम्बईकी पुलिसमें सम्पर्क भी स्थापित हो गया था। पर पुलिस इन दोनों वक्तव्योंसे कोई लाभ उठानेमें सर्वदा विफल रही। उसी समय यदि जरासा और ध्यान देकर जाँच की जाती तो संभवतः यह दुर्घटना न होती।

दोनों पक्षोंके वकीलोंको उनके पूरे पूरे सहयोगके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यदि सहयोग न मिलता तो इतने थोड़े समयमें यह मुकदमा समाप्त न होता। अदालतके स्टाफको भी धन्यवाद है। वे युक्तप्रान्तके विभिन्न जिलोंसे आकर दिल्लीमें ठहरे थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया।

मुकदमेके रेकार्डपर जितने शस्त्रास्त्र, विस्फोटक गोली-बारूद तथा अन्य वस्तुएँ लायी गयीं सब फौजदारी कानूनकी दफा ५२७ के अनुसार जब्त की जाती हैं। ४ हथगोलोंके खाली खोल, पिस्तौल, ३ खाली कारतूस और दो छूटी हुई गोलियाँ—बिना केन्द्रीय सरकारसे पूछे इनका कुछ न किया जाय। वे राष्ट्रीय म्यूजियममें रखी जा सकती हैं, उनकी जरूरत पड़ सकती है।

फरवरी १०, १९४९,
लालकिला, दिल्ली।

(ह) आत्माचरण, आई. सी. एस.
जज, स्पेशल कोर्ट

प्रिवी कौंसिलमें अपील और अन्त

शिमलेके पूर्वी पञ्जाब हाईकोर्टके फैसलेके विरुद्ध नथूराम गोडसे, नारायण आपटे, विष्णु करकरे, मदनलाल पहवा और गोपाल गोडसेने प्रिवी कौंसिलमें अपील की। १२ अक्तूबरको प्रिवी कौंसिलकी जूडिशल कमेटीने इसे सुनना अस्वीकार कर दिया। अपील 'पापर्स' यानी रुपया खर्च न कर सकनेवालोंको मिली सहूलियतके अनुसार न्यायके नामपर की गयी थी। श्री जान मेगा अभियुक्तोंकी ओरसे वकील थे। अपीलके मुख्य आधार ये थे—

(१) इकबाली गवाहको जो माफी दी गयी वह गैरकानूनी रूपसे और अनधिकारसे दी गयी थी। इसके फलस्वरूप सारी गवाहियाँ असम्मत मानी जानी चाहिये और उनपर विचार नहीं होना चाहिये था।

(२) कानूनन षड्यन्त्रका अभियोग लगाना अनावश्यक था। विभिन्न अभियोग एक दूसरेसे गलत ढंगसे मिला दिये गये थे जो फौजदारी दण्ड-विधानकी लिखित धाराओंके विरुद्ध था और ऐसी बहुत सी गवाही लेने दी गयी और मान ली गयी जो भारतीय गवाह कानूनके विरुद्ध थी।

(३) भारतकी अदालतोंने एक फौजदारीके मामलेमें दोष साबित करनेकी जिम्मेदारीके बारेमें ठीक-ठीक मार्ग नहीं अख्तियार किया।

(४) मदनलालके मामलेमें षड्यन्त्रका अभियोग टिक नहीं सकता, क्योंकि षड्यन्त्रसे उसकी सहायता प्राप्त करनेके वैसे ही दूसरे अभियोगमें वह निर्दोष घोषित किया गया है।

गवर्नर जनरलको दखल देना नामंजूर

प्रिवी कौंसिलमें अपील अस्वीकृत हो जानेके बाद २६ अक्तूबरको दिल्लीके स्पेशल जज श्री एस. एस. दुलारने गोडसे-आपटेको फाँसीका वारण्ट काटा और १५ नवम्बरकी तारीख उनकी फाँसीके लिए निश्चित की। देशमें और विदेशमें भी कहीं-कहीं गोडसे-आपटेको दी जानेवाली फाँसीकी सजाके सम्बन्धमें जन-

बारेमें पक्ष-विपक्षमें लेख आने लगे। वाद-विवाद कटु रूप धारण करने लगा। गोडसेकी ओरसे उसके माता-पिताने और आपटेकी ओरसे स्वयं उसने और उसकी पत्नीने दयाकी दर्ख्वास्तें दीं। ७ नवम्बरको दिनमें १॥ बजे गवर्नर जनरलकी ओरसे अखबारवालोंको बताया गया कि इस मामलेमें गवर्नर जनरलने हस्तक्षेप करनेसे इनकार कर दिया है।

अम्बाला जेलमें अन्त

१५ नवम्बरको सवेरे ८ बजे अम्बाला जेलमें, जहाँ अभियुक्त रखे गये थे, गोडसे-आपटे फाँसी पर लटका दिये गये। ९ सरकारी अफसरोंके अलावा और कोई उपस्थित नहीं था। जेलके लोगोंने ही दोनोंके शवोंकी अंत्येष्टि की। फाँसीके फन्देकी ओर जाते हुए दोनोंने 'अखण्ड भारत अमर रहे' और 'वन्दे-मातरम्' के नारे लगाये। गीताकी प्रति उनके हाथमें थी। कहते हैं कि उन्होंने अपनी यह अन्तिम इच्छा प्रकट की कि (जब सम्भव हो) हमारी राख सिंधु नदमें प्रवाहित की जाय।

इस प्रकार २१॥ महीने बाद गांधी हत्याकाण्डका पटाक्षेप हो गया। हत्याकाण्डके तीन फरार अभियुक्त भी गिरफ़ार किये जा चुके हैं या आत्म-समर्पण कर चुके हैं।

समाप्त
